उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ९७

३ सितम्बर, सन् १९५१ ई० से ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० तक।

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९५१

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

सोमवार, ३ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

मंगलवार, ४ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

बुधवार, ५ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

वृहस्पतिवार, ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री हारमसजी पेरोशा मोदी।

मंत्रि-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन मंत्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन तथा माल मंत्री।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादककर मंत्री।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वशासन मंत्री।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

माननीय श्री लालबहादुर, एम० एल० ए०, गृह पुलिस तथा परिवहन मंत्री।

माननीय श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सूचना, कृषि तथा पशु-पालन मंत्री।

माननीय श्री हर गोविन्द सिंह, एम० एल० सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री।

माननीय श्री सैयद अली जहीर, एम० एल० सी०, न्याय मंत्री।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मंत्री के सभा-सचिव—

(१) श्री मंगला प्रसाद, एम० एल० ए०।

(२) श्री जगमोहन सिंह नेगी, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण मंत्री के सभा-सचिव—

(१) श्री लताफत हुसेन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मंत्री के सभा-सचिव—

(१) श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१---अक्षय कुमार करण	..	जिला फैज़ाबाद (पूर्व)।
२---अचल सिंह	..	आगरा नगर।
३---अजित प्रताप सिंह, राजा	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
४---अब्दुल गनी अन्सारी	..	जिला आज़मगढ़ (पश्चिम)।
५---अब्दुल बाक़ी	..	जिला आज़मगढ़ (पूर्व)।
६---अब्दुल मजीद	..	मुरादाबाद अमरोहा चन्दौसी नगर।
७---अब्दुल मजीद, ख्वाजा	..	अलीगढ़ हाथरस मथुरा नगर।
८---अब्दुल मुईज खां	..	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
९---अब्दुल रऊफ खां	..	जिला फतेहपुर और बांदा।
१०---अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।
११---अब्दुल हमीद	..	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
१२---अम्मार अहमद खां	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
१३---अलगू राय शास्त्री	..	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व)।
१४---अली जर्रार जाफ़री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१५---अल्फ्रेड धर्मदास	..	उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई।
१६---असगर अली खां	..	जिला मुजफ्फ़रनगर (पश्चिम)।
१७---अक्षयवर सिंह	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१८---आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	..	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर।
१९---आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम	..	उत्तर प्रदेश ऐंग्लो इंडियन।
२०---इन्द्र देव त्रिपाठी	..	जिला गाज़ीपुर (पश्चिम)।
२१---इनाम हबीबुल्ला, बेगम	..	लखनऊ नगर।
२२---इतिज़ा हुसैन	..	मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा-नगीना नगर।
२३---ई० एम० फिलिप्स	..	उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई।
२४---उदयवीर सिंह	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२५---एजाज़ रसूल	..	जिला हरदोई।
२६---कमलापति तिवारी	..	जिला बनारस (पूर्व)।
२७---क़रीमुर्रज़ा खां	..	बदायूं-शाहजहांपुर-सम्भल नगर।
२८---कालीचरण टंडन	..	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२९---किशनचन्द पुरी	..	उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
३०---कुंजविहारी लाल शिवानी	..	जिला झांसी (उत्तर)।
३१---कुशलानन्द गैरोला	..	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)।
३२---कृपाशंकर	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
चन्द्र	..	जिला मथुरा (पश्चिम)।
न्द्र गुप्त	..	जिला सीतापुर (दक्षिण)।
ारण आर्य	..	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
गुप्त	..	जिला मुजफ़्फ़रनगर (पूर्व)।
देव मालवीय	..	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
गौतम	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
य	..	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)।
	..	जिला अल्मोड़ा।
	..	जिला बिजनौर (पूर्व)।

४२—गंगाधर	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
४३—गंगा प्रसाद	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
४४—गंगा सहाय चौबे	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४५—गजाधर प्रसाद	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४६—गणपति सहाय	..	जिला सुल्तानपुर (मध्य)।
४७—गिरधारीलाल, माननीय श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४८—गुरु नारायण	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
४९—गोपाल नारायण सक्सेना	..	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
५०—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	..	बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं नगर।
५१—गोविन्द सहाय	..	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
५२—चतुर्भुज शर्मा	..	जिला जालौन।
५३—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	..	लखनऊ नगर।
५४—चन्द्रभानु शरण सिंह	..	जिला गोंडा (दक्षिण)।
५५—चरण सिंह, माननीय श्री	..	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५६—चेतराम	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५७—छेदालाल गुप्त	..	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
५८—जगन्नाथ दास	..	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
५९—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल	..	जिला सीतापुर (पूर्व)।
६०—जगन्नाथ सिंह	..	जिला बलिया (उत्तर)।
६१—जगन प्रसाद रावत	..	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
६२—जगमोहन सिंह नेगी	..	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
६३—ज़फ़र अहमद	..	जिला सहारनपुर (उत्तर)।
६४—जमीलुर्रहमान क़िदवाई	..	जिला बाराबंकी।
६५—जयकृष्ण श्रीवास्तव	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६६—जयपाल सिंह	..	जिला फैज़ाबाद (पूर्व)।
६७—जयराम वर्मा	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६८—जवाहर लाल रोहतगी	..	कानपुर नगर।
६९—जहूर अहमद	..	इलाहाबाद-झांसी नगर।
७०—ज़ाकिर अली	..	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर।
७१—ज़ाहिद हसन	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
७२—जुगुल किशोर	..	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
७३—त्रिलोकी सिंह	..	जिला लखनऊ
७४—त्रेपन सिंह	..	टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम-निर्देशित)।
७५—दयालदास भगत	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७६—दाऊदयाल खन्ना	..	जिला मुरादाबाद (पूर्व)।
७७—द्वारिका प्रसाद मौर्य	..	जिला जौनपुर (पूर्व)।
७८—दीन दयालु अवस्थी	..	जिला इटावा (पश्चिम)।
७९—दीन दयालु शर्मा	..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
८०—दीन दयालु शास्त्री	..	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ़्फ़रनगर नगर।
८१—दीप नारायण वर्मा	..	जौनपुर-मिर्ज़ापुर-गाज़ीपुर-गोरखपुर नगर।
८२—नफीसुल हसन, माननीय श्री	..	जिला इटावा और कानपुर
८३—नवाजिश अली खां	..	फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर।
८४—नवाब सिंह चौहान	..	जिला अलीगढ़ (पूर्व)।

८५—नाजिम अली	..	जिला सुलतानपुर ।
८६—नारायण दास	..	लखनऊ नगर ।
८७—निसार अहमद शेरवानी	..	जिला मैनपुरी और एटा।
८८—निहालुद्दीन	..	जिला बदायूं (पूर्व) ।
८९—परागीलाल	..	जिला सीतापुर (उत्तर—पश्चिम) ।
९०—पुरुषोत्तमदास टंडन	..	इलाहाबाद नगर ।
९१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	जिला मेरठ (उत्तर) ।
९२—प्रयागनारायण	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन ।
९३—प्रेम किशन खन्ना	..	जिला शाहजहांपुर (पश्चिम) ।
९४—प्रेम लाल वैद्य	..	टेहरी—गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम—निर्देशित) ।
९५—फखरुल इस्लाम	..	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)।
९६—फजलुर्रहमान खां	..	जिला शाहजहांपुर ।
९७—फतेह सिंह राणा	..	जिला मुजफ्फ़रनगर (पश्चिम) ।
९८—फूल सिंह	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण—पूर्व) ।
९९—बदन सिंह	..	जिला बदायूं (पश्चिम) ।
१००—बनारसी दास	..	जिला बुलन्दशहर (उत्तर) ।
१०१—बलदेव प्रसाद	..	जिला गोंडा (उत्तर—पूर्व) ।
१०२—बशीर अहमद हकीम	..	जिला सीतापुर ।
१०३—बशीर अहमद अन्सारी	..	जिला बिजनौर (दक्षिण—पूर्व) ।
१०४—बादशाह गुप्त	..	जिला मैनपुरी (उत्तर—पूर्व) ।
१०५—बाबूराम वर्मा	..	जिला एटा (उत्तर) ।
१०६—ब्रजमोहन लाल शास्त्री	..	जिला बरेली (दक्षिण—पश्चिम) ।
१०७—बेचन राम गुप्त	..	बनारस (विलीन राज्य के नाम—निर्देशित) ।
१०८—ब्रजरानी, श्रीमती	..	जिला कानपुर (उत्तर—पूर्व) ।
१०९—भगवती प्रसाद दुबे	..	जिला गोरखपुर (दक्षिण—पश्चिम) ।
११०—भगवती प्रसाद शुक्ल	..	जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) ।
१११—भगवानदीन	..	कानपुर नगर।
११२—भगवानदीन मिश्र	..	जिला बहराइच (दक्षिण) ।
११३—भगवान सिंह	..	जिला पीलीभीत (दक्षिण) ।
११४—भारत सिंह	..	जिला मैनपुरी (दक्षिण—पश्चिम) ।
११५—भीम सेन	..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण—पश्चिम) ।
११६—मंगला प्रसाद	..	जिला रायबरेली (दक्षिण—पश्चिम) ।
११७—मक़सूद आलम खां	..	बरेली—पीलीभीत नगर ।
११८—मसुरियादीन	..	इलाहाबाद नगर ।
११९—महफूजुर्रहमान	..	जिला बहराइच (दक्षिण) ।
१२०—महमूद अली खां	..	देहरादून—हरिद्वार—सहारनपुर—मुजफ्फ़रनगर नगर ।
१२१—महमूद अली खां	..	रामपुर(विलीन राज्य के नाम—निर्देशित) ।
१२२—मिजाजी लाल	..	जिला मैनपुरी (उत्तर—पूर्व) ।
१२३—मुकुन्दलाल अग्रवाल	..	जिला पीलीभीत (उत्तर) ।
१२४—मुख्तार अहमद क़िदवाई	..	जिला फैजाबाद ।
१२५—मुजफ्फ़र हुसैन	..	लखनऊ नगर।
१२६—मुहम्मद अदील अब्बासी	..	जिला बस्ती (पश्चिम) ।
१२७—मुहम्मद असरार अहमद	...	जिला बदायूं (पश्चिम) ।

१२८—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री	..	जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२९—मुहम्मद इस्माईल	..	जिला मुरादाबाद (पूर्व)।
१३०—मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी	..	जिला अलीगढ़।
१३१—मुहम्मद एवज खां	..	जिला पीलीभीत।
१३२—मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब	..	जिला मेरठ (पश्चिम)।
१३३—मुहम्मद नबी, सैयद	..	जिला मुजफ्फ़रनगर (पूर्व)।
१३४—मुहम्मद नजीर	..	जिला बनारस और मिर्जापुर।
१३५—मुहम्मद फारूक़	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१३६—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती	..	जिला गोरखपुर (पूर्व)।
१३७—मुहम्मद याकूब	..	जिला गाजीपुर और बलिया।
१३८—मुहम्मद यूसुफ़, नवाब	..	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१३९—मुहम्मद रजा खां	..	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)।
१४०—मुहम्मद रहमत खां	..	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१४१—मुहम्मद शकूर	..	बनारस-मिर्जापुर नगर।
१४२—मुहम्मद शाहिद फाखरी	..	गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर।
१४३—मुहम्मद शोएब	..	जिला रायबरेली।
१४४—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	जिला बहराइच (उत्तर)।
१४५—मुहम्मद सुलेमान अधमी	..	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१४६—यज्ञनारायण उपाध्याय	..	जिला बनारस (पश्चिम)।
१४७—रघुनाथ विनायक धुलेकर	..	जिला झांसी (दक्षिण)।
१४८—रघुवंश नारायण सिंह	..	जिला मेरठ (पूर्व।
१४९—रघुवीर सहाय	..	जिला बदायूं (पूर्व)।
१५०—राघवदास	..	फैजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर।
१५१—राजकुंवार सिंह, राव	..	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१५२—राजाराम मिश्र	..	जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१५३—राजाराम शास्त्री	..	कानपुर औद्योगिक मिल श्रम।
१५४—राधाकृष्ण अग्रवाल	..	जिला हरदोई (मध्य)।
१५५—राधा मोहन सिंह	..	जिला बलिया (दक्षिण)।
१५६—राधेश्याम शर्मा	..	जिला बस्ती (पश्चिम)।
१५७—रामकुमार शास्त्री	..	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१५८—राम कृपाल सिंह	..	बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खुर्जा-नगीना नगर।
१५९—रामचन्द्र सेहरा	..	आगरा नगर।
१६०—रामचन्द्र पालीवाल	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१६१—रामजी सहाय	..	जिला गोरखपुर (मध्य)।
१६२—रामधर मिश्र	..	इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्व-विद्यालय।
१६३—रामधारी पांडे	..	जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१६४—राम नन्दन सिंह	..	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
१६५—राम नारायण	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
१६६—रामबली	..	जिला सुल्तानपुर (पूर्व)।
१६७—राममूर्ति	..	जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।
१६८—राम शंकर लाल	..	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
१६९—रामशरण	..	मुरादाबाद-अमरोहा-संभल-चन्दौसी नगर।
१७०—राम स्वरूप गुप्त	..	जिला कानपुर (दक्षिण)।

१७१—रामेश्वर सहाय सिंह .. जिला हरदोई (दक्षिण–पूर्व)।
१७२—रुक्नुद्दीन खां .. जिला प्रतापगढ़।
१७३—रोशन जमां खां .. जिला गोंडा (दक्षिण–पश्चिम)।
१७४—लक्ष्मी देवी, श्रीमती .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१७५—लताफत हुसैन .. जिला मुरादाबाद (उत्तर–पश्चिम)।
१७६—लाखन दास जाटव .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१७७—लालबहादुर, माननीय श्री .. जिला इलाहाबाद (गंगापार)।
१७८—लाल बिहारी टंडन .. जिला गोंडा (पश्चिम)।
१७९—लीलाधर अष्ठाना .. जिला उन्नाव (पूर्व)।
१८०—लुत्फ अली खां .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१८१—लोटन राम .. जिला जालौन।
१८२—वंशगोपाल .. जिला फतेहपुर (पूर्व)।
१८३—वंशीधर मिश्र .. जिला खीरी (दक्षिण–पश्चिम)।
१८४—विजयानन्द मिश्र .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१८५—विद्याधर वाजपेयी .. जिला सुल्तानपुर (पश्चिम)।
१८६—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. जिला एटा (दक्षिण)।
१८७—विनय कुमार मुकर्जी .. लखनऊ–आगरा–अलीगढ़–इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम।
१८८—विश्वनाथ प्रसाद .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१८९—विश्वनाथ राय .. जिला गाजीपुर (पूर्व)।
१९०—विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी .. जिला उन्नाव (पश्चिम)।
१९१—विष्णु शरण दुबलिश .. जिला मेरठ (उत्तर)।
१९२—वीरबल सिंह .. जिला जौनपुर (पश्चिम)।
१९३—वीरेन्द्र शाह, राजा .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसिएशन।
१९४—वेंकटेश नारायण तिवारी .. जिला कानपुर (उत्तर–पूर्व)।
१९५—शंकर दत्त शर्मा .. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।
१९६—शान्ति प्रपन्न शर्मा .. जिला देहरादून।
१९७—शिव कुमार पांडे .. जिला इलाहाबाद (द्वाबा)।
१९८—शिवकुमार मिश्र .. जिला शाहजहांपुर (पूर्व)।
१९९—शिव दयाल उपाध्याय .. जिला फतेहपुर (पश्चिम)।
२००—शिवदान सिंह .. जिला अलीगढ़ (पश्चिम)।
२०१—शिवमंगल सिंह .. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।
२०२—शिव मंगल सिंह कपूर .. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)।
२०३—श्याम लाल वर्मा .. जिला नैनीताल।
२०४—श्याम सुन्दर शुक्ल .. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
२०५—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री .. जिला बांदा (उत्तर)।
२०६—श्रीचन्द सिंघल .. जिला अलीगढ़ (मध्य)।
२०७—श्रीपति सहाय .. जिला हमीरपुर।
२०८—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती .. बनारस नगर
२०९—सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर .. बनारस नगर।
२१०—सरवत हुसैन .. जिला मुरादाबाद (उत्तर–पूर्व)।
२११—सलीम हामिद खां .. जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
२१२—साजिद हुसैन .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
२१३—सालिग्राम जायसवाल .. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।

२१४—सिंहासन सिंह	.. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२१५—सीताराम अष्ठाना	.. जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२१६—सुदामा प्रसाद	.. जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२१७—सुरेन्द्र बहादुर सिंह	.. जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
२१८—सुल्तान आलम खां	.. जिला फर्रुखाबाद।
२१९—सूर्य प्रसाद अवस्थी	.. जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२२०—सईद अहमद	.. जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२२१—हबीबुर्रहमान अन्सारी	.. जिला लखनऊ तथा उन्नाव।
२२२—हबीबुर्रहमान खां	.. जिला खीरी।
२२३—हरगोविन्द पन्त	.. जिला अल्मोड़ा।
२२४—हर प्रसाद सत्यप्रेमी	.. जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२२५—हुकुम सिंह, माननीय श्री	.. जिला बहराइच (उत्तर)।
२२६—होती लाल अग्रवाल	.. जिला इटावा (पूर्व)।
२२७—हैदर बख्श	.. जिला मथुरा तथा आगरा।
२२८—रिक्त	.. जिला फर्रुखाबाद (उत्तर), सामान्य ग्रामीण।
२२९—रिक्त ..	.. जिला बांदा (दक्षिण), सामान्य ग्रामीण।
२३०—रिक्त ..	.. कानपुर नगर, मुस्लिम नगर।
२३१—रिक्त ..	.. जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२३२—रिक्त ..	.. ट्रेड यूनियन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

माननीय श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हर गोविन्द पन्त ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर ।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६१)

अक्षयबर सिंह, श्री
अजित प्रताप सिंह, राजा
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ईर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुशलानन्दन गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरणसिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री

दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फख़रुल इस्लाम, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरिया दीन, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद याक़ूब, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रोशन जमां खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी शास्त्री, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर

सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कृषि विभाग में कामदारों तथा वेल सुपरवाइजरों की छटनी

*१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कामदारों की छंटनी का क्या नियम लागू किया गया है ?

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)—इस छटनी में ज्यादा सर्विस का नियम बर्ता गया है। साथ ही में उनकी योग्यता का भी ख्याल रखा गया है।

*२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जिला बनारस, तहसील चन्दौली में कौन-कौन कामदार, किस-किस तारीख को नियुक्त हुए थे और उनमें से किस-किस की छटनी हुई है ?

माननीय श्री चरण सिंह—जिला बनारस तहसील, चन्दौली में ३ कामदार थे, अर्थात्, १ जीउतराम, २ खुरशेद अहमद, ३ सीकूराम जो २४ मार्च, १ अप्रैल और ६ अप्रैल सन् १९४९ ई० को क्रमशः नियुक्त हुये थे, तीनों छटनी में आ गये।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कोई ऐसा भी कामदार छांटा गया है जो सीनियर रहा हो, लेकिन योग्यता न पूरी होने की वजह से छांट दिया गया हो ?

माननीय श्री चरण सिंह—जी नहीं। बस तीन आदमियों की छटनी हुई है जो कि जूनियर थे।

*३—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—वेल सुपरवाइजर जो स्टोर कीपर का काम कर रहे थे क्या सरकार ने उनकी छंटनी का भी आदेश जारी किया है ?

मानीय श्री चरण सिंह—जी हां।

रामपुर जिले के अदालती-नोटिसों का अखबारों में प्रकाशन

*४—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में किन-किन अखबारों को अदालती नोटिसें दी जाती हैं ?

माननीय श्री चरण सिंह—केवल "नाजिम" दैनिक को।

*५—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में रामपुर के कलेक्टर ने कोई ताकीद जारी की है ?

माननीय श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर ने किस क़िस्म की ताकीद जारी की है ?

माननीय श्री चरण सिंह—ताक़ीद की नक़ल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जिस बिना पर ताकीद जारी हुई है वह मैंने बतला दी है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "नाज़िम" दैनिक की कितनी प्रतियां रोज बिकती हैं ?

माननीय श्री चरण सिंह—एक हज़ार से कम।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिर इस अख़बार को नोटिस कैसे दिये जा रहे हैं ?

माननीय श्री चरण सिंह—मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं यह समझा कि दूसरे अख़बार की बाबत पूछ रहे हैं। "नाज़िम" का सर्कुलेशन दो हज़ार के क़रीब है और "आग़ाज़" का एक हज़ार से कम।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो उस का नियम है कि एक हज़ार से कम पब्लीकेशन वाले अख़बार को नोटिस न दी जायं बिल्कुल इसी पर अमल होता है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके मुतािल्लक़ कोई डिस्क्रिशन भी दिया गया है कि वह एक हज़ार से कम वाले को भी नोटिस दे सकता है ?

माननीय श्री चरण सिंह—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई डिस्क्रिशन नहीं है। लेकिन किस अख़बार का कितना सर्कुलेशन है यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय पर ही है क्योंकि कोई फूलप्रूफ पैमाना नहीं है कि वाक़ई कितना सर्कुलेशन है। हो सकता है कि किसी मामले में गलती हो रही हो। लेकिन क़ायदे के अनुसार उनको कोई अख्तियार तमीज़ी नहीं है। केवल एक एक्सेप्शन (अपवाद) किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायत राज विभाग की हर जिले में जो पत्रिकाएं निकलती हैं अगर उनकी तादाद एक हजार से कम भी हो तब भी उन को नोटिसेज़ मिल सकती हैं।

*६—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि स्थानीय दैनिक "आग़ाज़" को नोटिसेज़ देने पर कोई रोक है ?

माननीय श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रोक क्यों लगायी गयी है ?

माननीय श्री चरण सिंह—क्योंकि इस अख़बार का सर्कुलेशन कम है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस "आग़ाज़" अख़बार को पहले नोटिस मिलते थे ?

माननीय श्री चरण सिंह—यह मुमकिन है कि इस अख़बार को पहले नोटिसेज मिलती हों लेकिन पहले नियम यह था कि पांच सौ का सर्कुलेशन जिस अख़बार का हो उस को नोटिसेज़ मिल सकती हैं। लेकिन इसके बाद जून के महीने में गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया कि जिस अख़बार का एक हज़ार का सर्कुलेशन होगा और जिसकी इशात के कम से कम ६ महीने हो गये हों और जो रेगुलरली (बराबर) छपता हो, उसको मिलेंगी। लिहाज़ा इस नियम के अधीन वह नहीं आता।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि रामपुर के दैनिक पत्र "नाज़िम" और "आग़ाज़" राष्ट्र-विरोधी प्रचार करते हैं और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को साम्प्रदायिक रूप देकर जनता के सामने रखते हैं ?

माननीय श्री चरण सिंह--जी हां, इस तरह की कुछ शिकायतें आयी हैं ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें उनके पास इन दोनों अखबारों के खिलाफ आईं उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

माननीय श्री चरण सिंह--एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मारफत जिस अखबार की शिकायत थी उसको तंबीह कर दी गई ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत प्रेस कंसलटेटिव कमेटी के सामने रखी गई थी ?

माननीय श्री चरण सिंह--हर शिकायत प्रेस कंसलटेटिव कमेटी के सामने नहीं रखी जाती है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि अभी पिछले दिनों रामपुर में जो कुछ व्यक्ति जामा मस्जिद में पाकिस्तान के पक्ष में हलफनामा भरवाने और पाकिस्तान की हमदर्दी में लेक्चर्स या वाज देने के संबंध में पकड़े गये थे, इस मामले को 'आगाज' अखबार ने साम्प्रदायिक रूप में छापा है ?

माननीय श्री चरण सिंह--मैं आपका सवाल अच्छी तरह से समझ नहीं सका ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई है कि अभी पिछले दिनों रामपुर की जामा मस्जिद में पाकिस्तान के पक्ष में हलफनामा भरवाने और पाकिस्तान की हमदर्दी में लेक्चर्स देने के संबंध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उस समाचार को 'आगाज' अखबार ने साम्प्रदायिकता का रंग देकर छापा है ?

माननीय श्री चरण सिंह--मेरा ध्यान ऐसी किसी रिपोर्ट की तरफ आकर्षित नहीं किया गया है ।

श्री पूर्णमासी के निधन पर शोकोद्गार

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--माननीय अध्यक्ष मैं एक दुखित कर्त्तव्य पालन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मुश्किल से एक हफ्ता हुआ कि इस सदन ने अपने तीन सदस्यों के देहांत के ऊपर शोक प्रकट किया था । आज फिर एक इसी क़िस्म की खबर हमको मिली है । कल इस बात की सूचना मिली कि सदन के सदस्य श्री पूर्णमासी का देहांत हो गया । पूर्णमासी जी एक तपे हुए राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे और जिन लोगों का उनके जीवन से परिचय है, वह जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उनको बहुत तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा जिनको उन्होंने बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ बरदाश्त किया । उनके निधन पर पूर्वी जिलों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है । उन लोगों की संख्या में जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जातियों में काम करते हैं, एक बहुत बड़ी कमी हुई है और इस सदन को भी एक गहरा धक्का लगा है। मैं श्रीमान् से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुटुम्बियों के पास हम लोगों की संवेदना कृपया पहुंचा दें ।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, श्री पूर्णमासी जी के निधन का समाचार सुनकर एक अजीब धक्का सा लगा । पूर्णमासी जी से मेरा जाती तौर पर बड़ा निकट का संबंध था और इस आदरणीय सदन में कई वर्षों तक हम और वह एक साथ बराबर बैठा करते थे । उनकी तन्दुरुस्ती पिछले दो वर्षों से खराब थी, लेकिन यह कभी भी गुमान न था कि वह इतनी जल्दी हमारे बीच से उठ जायेंगे । वह बड़े ही निःस्वार्थ, शान्ति स्वभाव, सच्चे, लोकप्रिय जनसेवी गोरखपुर जिले के कार्यकर्त्ता थे।

उनके न रहने से गोरखपुर में ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश में ऐसे कार्यकर्त्ताओं का अभाव हुआ है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनके निधन पर जो उद्गार प्रकट किये हैं मैं अपने को उनमें शरीक करता हूं और श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि वह उनके परिवार वालों को, जो हम लोगों को उनके न रहने पर अफसोस है, उसकी सूचना देने की कृपा करेंगे ।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, मुझे अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से जो कुछ अभी कहा गया है, श्री पूर्णमासी जी के इंतकाल के सिलसिले में उससे पूरे तौर पर इत्तिफाक़ है। अपने इस सदन के भाई का हमेशा के लिए जुदा हो जाना और ऐसे भाई का जुदा हो जाना जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की थी और अपनी जिन्दगी को मुल्क और क़ौम के लिए वक्फ कर दिया हो, ऐसे भाई की जुदाई यक़ीनन निहायत तक़लीफदेह है। मुझे उन सब अल्फाज से इत्तिफाक़ है जो लीडर आफ अपोजीशन ने और आनरेबुल मिनिस्टर आफ एजुकेशन ने इस सिलसिले में कहे हैं और मैं जनाब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी पार्टी की जानिब से उस हमदर्दी और इजहारे गम को उनके खानदान के लोगों के पास पहुंचा दिया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, श्री पूर्णमासी जी की मौत पर जिसकी खबर यहां अभी माननीय मंत्री जी ने पहुंचायी, हम सबको बहुत दुख है। कौन सा शख्स ऐसा होगा जिसको अपने साथी से गुजर जाने पर गम और रंज न हो खासतौर पर जब कि हम यह जानते हैं कि वह एक बड़े काम करने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने जिले की नुमाइन्दगी हमेशा इस भवन के अन्दर बड़ी काबिलियत के साथ की और क़ौम के काम के लिए उन्होंने अपनी जिन्दगी हमेशा वक्फ रखी। हम सब को बड़ा अफसोस है कि वह अब हमारे साथ नहीं रहे। कौन जानता था कि वह इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जायेंगे। हम सब को उनके गुजरने का बेहद सदमा और अफसोस है और मैं उन तमाम अल्फाज की जो मुझसे पहले यहां कहे गये ताईद करता हूं और आप से दरख्वास्त करता हूं कि हम सब लोगों की तरफ से उनके पस्मांदगान को हमारे इजहारे गम और हमदर्दी का पैगाम पहुंचा दें।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उस दर्द और रंज का इजहार करता हूं जो एक नागहानी सदमे पर इन्सानों के दिमाग में पैदा होता है। मुझे और मेरी पार्टी को हर उन अल्फाज से इत्तिफाक़ है जो हमारे इस ऐवान के मेम्बरान ने श्री पूर्णमासी जी के इंतकाल के सिलसिले में इजहार किये हैं। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी पार्टी की तरफ से और इस ऐवान की तरफ से पस्मांदगान को, जो हमको दर्द और गम हुआ है, उसे पहुंचा दें।

श्री राजाराम शास्त्री--अध्यक्ष महोदय, श्री पूर्णमासी जी की मौत का समाचार सुन कर हमें हार्दिक दुख हुआ। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी जल्दी हमारे सदन के एक के बाद दूसरे मेम्बर हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। पूर्णमासी जी उन वीर सैनिकों में से थे जिन्होंने मुल्क की आजादी में बहुत कुछ कुर्बानी दी। ऐसे मौक़े पर जब देश में ऐसे सच्चे कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों का उठ जाना निश्चय ही बहुत दुख की बात है, लेकिन मृत्यु के आगे तो किसी इंसान का बस नहीं चलता सिवा इसके कि हम अफसोस जाहिर कर सकते हैं।

माननीय श्रम मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनमें अपने को शरीक करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी तरफ से और सदन की तरफ से उनके दुखी परिवार के साथ संमवेदना प्रकट कर दी जाय।

श्री खुशी राम--अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्गीय पूर्णमासी जी के देहांत का हाल सुन कर दुखी हुआ, और इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी ने जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि श्री पूर्णमासी जी एक चुपचाप लगन से कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जिनको अपने मौन प्रतिष्ठा का कोई ख्याल न था सिर्फ देश-कार्य का ख्याल था वह व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं। इसलिए मैं उस दिवंगत आत्मा को शान्ति, दुखी परिवार को धैर्य्य प्रदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा श्रीमान् से प्रार्थना करता हूं कि यह संवेदना-संदेश उस दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाय।

मानतीय अध्यक्ष--श्री पूर्णमासी जी के मुताल्लिक़ जो बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा माननीय विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं, मैं उनकी ताईद करता हूं। पूर्णमासी जी एक पुराने कार्यकर्त्ता थे । वह बेगरज़ मुल्क की खिदमत बहुत अर्से तक करते रहे । इस सदन की मेम्बर की हैसियत से भी उन्होंने इस सदन में काफी भाग लिया और मुझे उनके हम लोगों के बीच में से चले जाने का दिली अफसोस है । जैसा कि आप लोगों की इच्छा है उसके अनुसार, जो शोक आपने उनके प्रति प्रकट किया है और उनके परिवार के साथ जो संवेदना आपने जाहिर की है, उसकी इत्तिला उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा । मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आप दिवंगत आत्मा के सम्मानार्थ एक मिनट के लिए खड़े हो जायं ।

(सब सदस्य एक मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

सभा से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम वर्मा का प्रार्थना-पत्र

मानतीय अध्यक्ष--श्री बाबूराम वर्मा जी अपने सदन के एक सदस्य हैं। उनका बीमारी की वजह से रुखसत के लिए प्रार्थना-पत्र आया है, जिसकी एक प्रति ऐजेंडा के साथ नत्थी है । इसके संबंध में अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री बाबू राम वर्मा का प्रार्थना-पत्र दो मास के लिए इस सभा से अनुपस्थित रहने के लिए स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रक्रिया नियमावली के प्रारूप पर विचार करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष--मुझे इस बात की सूचना देनी है कि श्री हरगोविन्द जी पंत, उपाध्यक्ष, जो कि नियम समिति के सभापति भी थे उन्होंने एक प्रस्ताव की सूचना २२ अगस्त, को दी थी और वह इस संबंध में है कि हमारा जो नियम १७३ है उसमें यह लिखा है कि नियम कैसे बदला जाय या कैसे बनाया जाय उसको सदन एक प्रस्ताव के जरिये से तय करे । तो मैं वह प्रस्ताव पढ़े देता हूं । वह प्रस्ताव इस प्रकार है --

"निश्चय हुआ कि क्योंकि विधान सभा के ८ अगस्त, १९५० के संकल्प के अनुसार संविधान के अनुच्छेद २०८ (१) के अन्तर्गत नियम बनाने के लिए एक समिति का निर्माण माननीय अध्यक्ष ने किया था और इस समिति ने नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है, यह सदन संकल्प करता है कि नियमों के इस प्रारूप पर विचार उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार सदन में प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थित होने के उपरान्त विधेयकों पर विचार होता है।"

तो यह तरीका उन्होंने तजवीज किया है अपने इस प्रस्ताव में कि जैसे प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले आती है उसके बाद उस सिलसिले में जैसे कार्यवाही होती है उसी तरह से यह भी हो, यानी पहले यह प्रस्ताव होगा कि समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाय और उसके बाद कोई खास बात कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो उनको मौका दिया जायगा । उसके बाद हर एक नियम एक-एक करके लिया जायगा। अगर उसमें तरमीम की सूचना है तो वह तरमीम ली जायगी, तब वह नियम पास होगा । यह उनका प्रस्ताव है जिसे मैंने इत्तिला के लिए सदन को बतला दिया । यह २७ तारीख का प्रस्ताव है। इसलिए यह क़ायदे के मुताबिक १५ दिन गुजरने के बाद आयेगा और तब हम अपने नियमों को बना सकेंगे ।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण विधेयक (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--इसके बाद माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक पर विचार किया जाय और श्री अम्मार अहमद खां के संशोधन पर कि यह विधेयक ३० दिन के भीतर जनमत संग्रह के लिए सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाय, विवाद जारी रहेगा। उस दिन श्री खानचन्द गौतम तक़रीर कर रहे थे। वे कृपया अपना भाषण खत्म करें।

श्री खान चन्द गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब इस विषय पर विवाद हो रहा था तो मैं माननीय न्याय मंत्री के कथन के उत्तर में इंगलैण्ड और हिन्दुस्तान इन दोनों देशों के बीच लोकतंत्र की स्थापना और उसके विकास क्रम का मुकाबिला कर रहा था। तो श्रीमन्, पिछले ७०० वर्ष में जहां इंगलैण्ड में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र के विकास का बहुत बड़ा काम हुआ है वहां पर लोक प्रतिनिधियों ने ऐसी ऐसी परम्परायें कायम की हैं जिनसे लोक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे, जनता के मत किसी तरह से खरीदे न जा सकें, शासन लोकमत के हिसाब से चले और उसके बाद भी यदि ऐसे प्रतिनिधियों की हुकूमत हो कि लोकतंत्र विफल हो जाय तो इंगलैंड में जहां इस प्रकार के संघर्ष चलते हैं वहां हमारे यहां लोकतंत्र की कल्पना और लोकतंत्र की आराधना इस काल में एक बीज के रूप में दबी हुई रही है। दबी रही वेद की ऋचाओं के स्वरूप में, मंत्रों में, परम्पराओं में, कहानियों में, कथाओं में, किंवदन्तियों में और लालसाओं में। और वह इस प्रकार है कि बीज जो है वह बालू के खेत में दबा हुआ है, आसाढ़ के मेघ का स्वागत करने के लिए कि किस रोज आसाढ़ आवे, वर्षा हो और बीज फूट कर अंकुरित हो और प्रस्फुटित हो।

श्रीमन्, जब अनावृष्टि हो जाती है, जब अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है तो हमारे देश में ऐसी परम्परा रही है कि यज्ञ होता है और इस दौरान में एक महायज्ञ हमारे देश को करना पड़ा है। १०० वर्ष नरमेध यज्ञ इस देश को करना पड़ा है कि वह असाढ़ आये, वह समय आये और वह दिन आये कि जब दैव बरसे और लोकतंत्र का बीज प्रस्फुटित होकर अंकुरित हो। इस नरमेध यज्ञ में कितनी आहुतियां दी गई हैं। माननीय सदस्य को इसका अच्छी तरह से ज्ञान है। अभी ऐसी मातायें हमारे प्रदेश में मौजूद हैं जिन्होंने उस हवन कुण्ड में अपनी भरी गोदी को उलट दिया है। चन्द्रशेखर आजाद की श्रद्धेय माता अभी तक जीवित हैं। और भी ऐसे बहुत परिवार जीवित हैं जिन्होंने उस हवन कुंड में आहुतियां दी हैं ताकि हवन सफल हो और पिछले कुछ वर्षों यानी सन् १९२१ ई० से लेकर अब तक इस लगभग २५ वर्ष के समय में यह देख कर कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य का आसन ग्रहण किया और उन्होंने यह देखा कि अगर किसी कारण से नरमेध यज्ञ में बलि अशुद्ध हो रही है तो उसको शुद्ध किया जाय और उसके बाद अपनी बलि देने का निश्चय किया और तब वह यज्ञ आरम्भ हुआ।

मुझे क्षमा किया जाय। इसकी ओर मैं संकेत केवल इसलिए कर रहा हूं कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद उसकी रक्षा किस प्रकार हो, किन परम्पराओं से उसकी रक्षा की जाय, यह प्रश्न आज इस माननीय सदन के सामने उपस्थित है। इस बात को उपहास के रूप में न माना जाय कि यह साधारण प्रश्न है। मैं उस को आप के सामने रख रहा हूं जिसमें राष्ट्रपिता ने अपनी पूर्ण आहुति दी और उसको सम्पन्न करने का प्रयास किया है। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए कितना रक्त इस होमकुंड में हो गया है, कितने बालक और कितने नौजवान और कितने नरनारी इसमें होमे गये हैं, इस लोकतंत्र की स्थापना के समय, जिस समय इसका शिलाखंड रखा गया था। यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह प्रश्न बड़े महत्व का हो जाता है कि अगर इस क़ीमत पर इस लोकतंत्र की स्थापना हुई है

तो प्राणपण से इसकी रक्षा करनी होगी। रक्षा करना आवश्यक इसलिए है कि सन् १९४८ से लेकर आज तक इस महायज्ञ में समय समय पर दी हुई आहुतियों को भस्म न कर दिया जाय और इस प्रदेश में आने जन्मने वाली, हमारी भावी संतान का भविष्य अन्धकारमय न बन पाये। यह इतिहास है हमारे यहां लोकतन्त्र की स्थापना का। आखिर क्या आवश्यकता हुई इंगलैंड को जो उनको अपने यहां कान्स्टीट्यूशन (संविधान) में ऐसे नियम बनाने पड़े और उनको अपने यहां ऐसी परम्परा की स्थापना करने की आवश्यकता हुई कि जिसके आधार पर उन्होंने अपने यहां क्वालिफिकेशन (अर्हता) के नियम बनाये और उसी की देखादेखी आज हम भी अपने यहां लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिये एक ऐसा अधिनियम ला रहे हैं।

हमारे विद्वान न्याय मंत्री जानते हैं कि इंगलैंड में राजा, जब जब उसका बस चला है हाउस आफ कामन्स के सदस्यों को खरीदता रहा है। ऐसे स्थान वहां रहे हैं कि जो वेतन, एलाउन्स (भत्ता) और दूसरे लाभों से संयुक्त थे। उन पदों पर हाउस आफ कामन्स के सदस्य बनाये जाते थे और वह लोग हमेशा राजा के साथ वोट देते थे। फिर यह भी देखा गया कि इस तरह से राजा को समर्थन देना हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की शान के खिलाफ है। कि जनता के प्रतिनिधि होकर राजा की हां में हां मिलाना इस वजह से कि वह उनसे कुछ लाभप्रद पदों को पाये हुये हैं, यह चीज हाउस की शान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ समझी जाय। इसी वजह से कई बार क़ानून बना कि इन पदों पर रहने वाले लोगों को अयोग्य ठहराया जाय। उसके बाद ऐसा भी देखा गया कि न सही कोई तनख्वाहदार पद बल्कि कोई ऐसे पद भी हों कि तनख्वाह न होने पर भी कुछ एलाउन्स या दूसरे लाभ शामिल हों, या कोई स्थायी नियुक्ति न होने पर भी अगर कोई ऐसे पद हों जिनके कारण राजा का दबाव माननीय सदस्यों पर रहता हो तो उसके लिए वहां फिर क़ानून बना कि उन पदों को भी उसी फेहरिस्त में शामिल कर लिया जाय कि जिनको पाने वाले सदस्य हाउस आफ कामन्स के सदस्य न रह सकें। बहुत से बोर्ड्स और बहुत से कारपोरेशन्स वहां ऐसे हैं कि जिनमें रहकर एक सदस्य बहुत बड़े प्रभाव प्रयोग में ला सकता है। ऐसे बहुत से पद हैं कि जिन में रहकर दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के सिलसिले में बहुत बड़ा असर अपने निजी लाभ के लिये प्रयोग में ला सकते हैं। इसी वजह से ऐसे पद भी उसी फेहरिस्त में शामिल किये गये और अब यहां तक हुआ है कि इस समय जो आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) की परिभाषा हाउस आफ कामन्स ने बनाई है वह यहां तक बनाई गई है कि कोई ऐसा पद या कोई ऐसा स्थान जिसके साथ न केवल कोई आर्थिक लाभ बल्कि कुछ सम्मान और प्रभाव तक सम्बद्ध हो तो भी वह पद आफिस आफ प्राफिट माना जायगा और उस पर रहने वाले सदस्य हाउस आफ कामन्स के सदस्य न रह सकेंगे और रहने के दौरान में अगर ऐसा हुआ है तब भी वह न रह सकेंगे।

यहां विचारणीय यह है कि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री तथा माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि हमारे यहां ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई कि जिस तरह वहां हुई है और इसीलिये हमारे लिये वहां की तमाम परम्पराओं को मानना जरूरी नहीं है। माना कि हमारे यहां लोकतंत्र जिस रूप में आज हमारे यहां है वह एक दान के रूप में आया है और ऊपर से लादा गया है। मगर क्या हमारे यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है कि लोकतंत्र में उत्पन्न होने वाले दोष सम्भव हों? क्या हमारे यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है कि लोकतंत्र के विकास क्रम में जिस प्रकार की बाधायें नित्य-प्रति उपस्थित हो जाती हैं वह हमारे यहां भी हो जायं और क्या इसी वजह से हम को इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? आप जरा सी निगाह डाल कर देखें कि हमारे यहां लेजिस्लेटिव असेम्बली या लेजिस्लेटिव कौंसिल क्या ऐसी संस्थायें नहीं हैं कि जिनमें लोक प्रतिनिधि आकर शासन भार में हाथ बंटाते हों और इस व्यवस्था में शिरकत करते हों और सरकार को मदद देते हों। म्युनिसिपिल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और भी ऐसी

[श्री ज्ञान चन्द गौतम]

संस्थायें हैं जैसे कारपोरेशन हैं। मगर अगर आपको स्मरण हो, इस माननीय सदन में म्युनिसिपल बोर्ड्स के शासन के सम्बन्ध में विवाद होते वक्त कई बार यहां इस भवन के इधर के और उधर के माननीय सदस्यों की ओर से यह कहा गया है कि बोर्ड्स के सदस्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, बेजा फ़ायदा खुद उठाते हैं और अपने निकटतम लोगों को उठवाते हैं। ऐसे भी अवसर आये हैं कि ऐसी हरकत और भूल करने वालों के मामले सामने आये हैं और अनेक प्रकार के दबाव डालकर उन्होंने अपने आपको बचाने की कोशिश की। ऐसे भी केस यहां आये हैं जहां इस तरह के प्रतिनिधियों पर मुक़द्दमे चले, इस तरह के प्रतिनिधि अपने पदों से अलग किये गये हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो यह तो रहा स्थानीय संस्थाओं में जहां हमारे यहां के प्रतिनिधि जाकर शासन में हाथ बंटाते हैं। इस माननीय सदन में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अनेक बार प्रश्नों के समय और वाद-विवाद के समय ऐसी मिसालें रखी गई हैं जब हुकूमत को स्वीकार करना पड़ा है कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों से भी ऐसी भूलें हुई हैं, चाहे अज्ञान में और चाहे लोभवश, जो न केवल माननीय सदस्यों की शान में अशोभन हो बल्कि वे न्याय की दृष्टि से दंडनीय समझी जाती रही हैं।

इसलिये हमको सोचना चाहिये कि क्या ऐसी परम्परायें हमको यहां नहीं क़ायम करनी चाहिये कि इस तरह की चीज़ें नामुमकिन हो जावें? क्या हम ऐसा करके इस लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से नहीं बचा सकते? इस माननीय सदन में कई बार अवसर आये हैं जब एक-एक करके माननीय मंत्रियों को यह स्वीकार करना पड़ा है कि इस सदन के बनाये हुये क़ानूनों का संचालन ठीक तरह से नहीं हो सका। उसमें शिकायतें आई हैं हमारे लोक-प्रतिनिधियों की बेजा दखलअन्दाज़ी की। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि क्या कोई पुरानी बात हो गई है कि हम लोग जब रेल में, बस में, सड़क पर और बाज़ार में आते जाते रहे हैं तो हमको भर्त्सना के साथ यह सुनने को मिलता रहा है कि क्या यह एम० एल० एज०राज्य है? यह एक कुत्सित और ख़राब हुकूमत क़ायम हो गई है। अगर एम० एल० ए० राज्य से लोगों का तात्पर्य रहा है कि जब हम लोग यहां बैठते हैं और यहां के सभी एम० एल० एज० क़ानून बनाते हैं और उनके हिसाब से शासन होता है, तो एम० एल० ए० राज्य होना या कहना कोई ग़लत बात नहीं है। मगर एम० एल० ए० राज्य जिस मानी में कहा गया है उसके अर्थ यह है कि हुकूमत न मंत्री की रहती है, न कमिश्नर, कलेक्टर और हुकूमत के नियुक्त दूसरे अधिकारियों की होती है, बल्कि जिले का तमाम शासन स्थानीय एम० एल० ए० की हुकूमत के हिसाब से चलता है और वह भी विशेषतया हुकूमत की पार्टी के एम० एल० एज के इशारे पर। अगर कोई हाकिम उन एम० एल० ए० साहब को नाराज़ या रुष्ट करने की जुर्रत करता है तो उसका वहां काम करना और होना असम्भव हो जाता है। ऐसी मिसालें १, २, १० या २० नहीं हैं बहुत हैं जहां हुकूमत में जिले के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उनको शासन कार्य चलाना प्रायः असम्भव हो रहा है इस तरह की दस्तअन्दाज़ी से और उनकी शिकायतें हुकूमत के पास भी ज़रूर आई होंगी और क्या यह केवल शक्ति के लोभवश होता है? नहीं। मेरा आरोप यह है और मेरा अभियोग यह है कि हुकूमत जान बूझ करके अपने पीछे बैठने वाले सदस्यों को इस परिस्थिति में डालती है। हुकूमत का यह रवैया रहा है कि एक ओर वह अपने अनुयायी सदस्यों को ऐसे अधिकार सुपुर्द करती है कि वे शासन में दस्तअन्दाज़ी करें, शासन में भाग लें और शासन संचालन करें और दूसरी ओर स्थानीय अधिकारियों को हर प्रकार से उनके अंगूठे के नीचे लाकर रखती है जिससे कि हर प्रकार से लोक-जीवन और लोकमत उनके पीछे चलने वाले लोगों की मुट्ठी में रहे ताकि उसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकें।

मैं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत बड़ा अभियोग है मगर इसको जान बूझ करके यहां लगाया जा रहा है और इसलिये कि यह कोई नयी बात नहीं है। आज पिछले पांच वर्षों में अनेकों

बार यह अभियोग इस माननीय सदन के सम्मुख आया है। इसके प्रमाण दिये गये हैं परन्तु हुकूमत के तर्जेअमल में, उनके कारोबार में किसी क़िस्म का, रत्ती भर फ़र्क़ हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति अगर है तो स्पष्ट है कि हम लोगों को बहुत ही सतर्क होकर चलना चाहिये। कितना सतर्क? कम से कम इतना सतर्क अवश्य कि जितना अंग्रेज अपने देश में चलाते रहे हैं। तो इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के क़ानून का बनना, ऐसी परम्पराओं का स्थापित होना बहुत जरूरी है। जैसा एक विधेयक आज हमारे सम्मुख है ऐसे विधेयक का भी आना मैं जरूरी समझता हूं। वह इस वजह से कि कूमत को अनेक बार अपने प्रदेश में लोगों का सहारा, उनकी सलाह, उनका मशिवरा, उनकी ओर से प्रकाश ऐसी चीजों में लेना पड़ेगा कि जिनमें कि हुकूमत के लिये उनकी सलाह लेना लाज़मी है। कितनी हो इन्क्वायरी कमेटीज (जांच समितियां) हुकूमत को बनाना होती हैं जिनसे वह एक माकूल जांच करके ऐसे नतीजे पर पहुंचती है कि जिस नतीजे के आधार पर उनको व्यवस्था करनी हो। ऐसी कमे ी उसको बनानी पड़ती है कि जिनमें उनको एक अध्ययन के बाद, बहुत सोच विचार के बाद सलाह लेने की आवश्यकता होती हो। तो ऐसी हर ऐडवाइजरी (परामर्शदात्री) कमेटी, हर ऐसी इन्क्वायरी कमेटी की जिसकी सलाह लेना हुकूमत के लिये जरूरी हो कमेटियों पर इस माननीय सदन के सदस्यों की नियुक्ति न केवल आवश्यक है बल्कि वांछनीय भी है। इसलिये ऐसे सदस्यों को इस क़ानून से जोकि डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) के संबंध में हो उससे सुरक्षित करना हुकूमत का कर्त्तव्य है और इसलिये इस तरह का जो विधेयक आया है यह भी एक आवश्यक विधेयक है। इस प्रकार के विधेयक बार-बार इस माननीय सदन के सम्मुख आवेंगे और वे कुछ विशेष पदों को सुरक्षित करेंगे कि उन पर रहने वाले लोग डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) न हो सकें और उन पदों पर काम करते हुये हुकूमत को ऐसी सलाह दें और मशिवरा दे सकें। इस तरह की परम्परा और इस तरह का क़ानून जैसा कि पहले कहा जा चुका है और जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री खुशवक्त राय जी ने बड़े विस्तार के साथ अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में बतलाया, सभी प्रजातांत्रिक देशों में हैं। जितनी डोमिनियन्स (राज्य) हैं उनमें इस प्रकार की परम्परायें क़ायम की गयी हैं, समय-समय पर ऐसे क़ानून बने हैं उन सब डोमिनियन्स ने प्रायः उन्हीं नियमों का और उन्हीं परम्पराओं का अनुकरण किया है जैसी कि हाउस आफ़ कामन्स में स्थापित की गयी हैं।

अभी हमारे यहां केन्द्र में जो एक बिल आया है वह भी प्रायः उसी प्रकार का है। उसमें हमारे यहां का जैसा यह बिल है उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, कुछ और इजाफा उसमें किया गया है और वह है कि गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखने वाले कंट्रैक्ट्स (ठेकों) के सिलसिले में। माननीय न्याय मंत्री को ध्यान होगा कि सीलोन में जो इस प्रकार का क़ानून बना है उसमें खास तौर से उन्होंने इसको शामिल किया है कि गवर्नमेंट के साथ कांट्रेक्ट्स पर काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट के लिये रुपया इकट्ठा करने वाले लोग, गवर्नमेंट की मदद से दूसरे देशों में आदान-प्रदान और व्यापार करने वाले लोग ऐसे पदों से वंचित रखे जायं कि जो लोकप्रतिनिधियों के लिये सुरक्षित है और वह केवल इसी लिये किया गया है कि निजी लाभ के लिये उनको गवर्नमेंट की खुशनूदी पर, गवर्नमेंट की प्रसन्नता पर निर्भर करना पड़ता है और बहुत पुरानी कहावत है "मुंह खाय और आंख लजाय" जो आदमी हुकूमत की खुशी से और खुशनूदी से फायदा उठाता है ऐसा आदमी कूमत से दब कर चलता है और वह खुल कर किसी तरह की राय नहीं दे सकता है। तो जहां लोकतंत्रात्मक शासन चल रहा है ऐसे सभी देशों में इस प्रकार की परम्परायें क़ायम की जा रही हैं और हमारे लिये भी वे परम्परायें क़ायम करना वांछनीय हैं।

श्रीमन्, इसके पहले, कि मैं इस बिल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से कहूं, मैं दो शब्द उन माननीय मित्रों के उत्तर में कहना चाहता हूं जो अब से पहले अपने विचार यहां प्रकट कर चुके हैं क्योंकि उन बातों का सम्बन्ध अब इस प्रसंग से है कि जिस पर अभी मैं विचार

[श्री खार चन्द गौतम]

करता रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने छोड़े से भाषण में दो एक बातें कहीं। उन्होंने हमें सूचना दी थी कि इस प्रकार के पद कौन कौन से हैं कि जिन पर रहने वाले लोग इस बिल के अधीन डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कुछ नाम उन्होंने हमें गिनायें थे। मुझे दुख है कि वह सूचना पूरी नहीं है। इस सम्बन्ध में इसी स्थल पर मैं श्रीमन् का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और बड़ी सख्त शिकायत माननीय न्याय मंत्री जी के समक्ष उपस्थित करता हूं कि जिस तरह को सूचनायें हमने मांगी वह सूचना हमको नहीं दी गई। माननीय न्याय मंत्री का यह कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं है कि वह अगर कृपा करें तो वह हमें सूचना दें और अगर उनकी मंशा हमारे ऊपर कृपा करने की न हो तो न दें। यह हमारा प्रिविलेज (विशेषाधिकार) है और माननीय न्याय मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि किसी बिल से सम्बन्ध रखने वाले कोई कागजात, कोई सूचनायें, कोई रिटर्न्स (नकशे) जो कोई माननीय सदस्य मांगें वह उनको देनी होंगी। अगर वह नहीं देते हैं तो स्पष्ट मतलब यह है कि जिस प्रकार से सम्यक विचार उस पर हो सकता है उसमें वह बाधा देते हैं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री)--मैं यह चाहता हूं कि जनाब मुकर्रिर यह बतलायें कि कौन सी मखसूस चीजें हैं जो उन्होंने मांगी थीं और उनको नहीं दी गई हैं। इस किस्म के जेनरल एलीगेशंस (सामान्य आरोप) से मेरी समझ में नहीं आता है कि वह किस किस चीज की शिकायत कर रहे हैं।

श्री खानचन्द गौतम--मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने मुझसे तीसरी दफा यह पूछ लिया कि किस प्रकार की सूचनाओं की हमें आवश्यकता है और जनरल एलीगेशन (सामान्य आरोप) उनकी समझ में नहीं आया। बड़ी साफ बात है और बड़ी आसानी से समझ में आ जायगी। मैंने मांगा था कि किस प्रकार गवर्नमेंट के सम्मुख यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कुछ पदों पर रहने वाले लोग डिस्क्वालिफाइड (अनर्ह) समझे जा सकते हैं। उस सम्बन्ध में अगर सूचनायें, शिकायतें या संदेश क़ानूनी इमदाद से या और कहीं से उनके पास आयी हों, कहीं से कई और दूसरी सूचना आयी हो, तो वह उसको मुहैया करदें। दूसरी बात हमने यह चाही थी कि कौन सी कमेटीज ऐसी हैं जोकि गवर्नमेंट ने अपने अख्तियार से नियुक्त की हैं। उन कमेटियों को छोड़कर कि जिनको सदन ने नियुक्त किया हो, गवर्नमेंट से अप्वाइंटेड (नियुक्त) कमेटीज कौन-कौन सी हैं, एक्जिक्यूटिव नेचर (शासनात्मक प्रकृति) की, सेमी-एक्जीक्यूटिव नेचर (अर्ध-शासनात्मक प्रकृति) की और जुडिशियल (न्याय सम्बद्ध) और सेमी-जुडिशियल नेचर (अर्ध-न्याय सम्बद्ध प्रकृति) की, जिन पर माननीय सदस्य नियुक्त किये गये हैं। कौन से वह पद हैं इन कमेटियों के अलावा कि जिन पर व्यक्तिगत रूप से कई माननीय सदस्य नियुक्त किये गये हों और जिसमें वह हुकूमत के आदेशानुसार, उनकी सलाह के अनुसार काम करते हों, और इन सब बातों से सम्बन्धित जो रेम्युनरेशन (पारिश्रमिक) मिलता हो, एलाउंस (भत्ता) मिलता हो, सैलरी (वेतन) मिलती हो, दूसरे प्रकार की सुविधायें मिलती हों, यह सूचनायें हम लोगों ने मांगी थीं। परन्तु इसके सम्बन्ध में एक फेहरिस्त लम्बी सी, जिसमें कि हाउस की अप्वाइंटेड (नियुक्ति) तमाम कमेटियां भरी पड़ी हैं, उठा करके भेज दी गयी। ऐसे जंजाल में फंसा करके हमको कनफ्यूज (भ्रांत) नहीं किया जा सकता है। पिछले पांच साल से इस हुकूमत की यही कारगुजारियां हैं जिनसे हमारा वास्ता रहा है। माननीय न्याय मंत्री नये नये यहां आये हैं, इस लिए उनको दिक्कत हो सकती है यहां का तरीका समझने में और इससे यह मुमकिन है कि अज्ञात रूप से फंस गये हों और वह ऐसी डिसकर्टसी (अशिष्टाचार) इस हाउस के सदस्यों के साथ कर चुके हों, जैसी कि वह कर गये हैं, मगर इससे काम नहीं चलता। हम लोगों को वह सूचना चाहिये और ऐसी सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री हम लोगों को जल्द देंगे।

कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) में बिल के आने के पहले हमको वह सूचना मिल जाना आवश्यक है और अगर उसमें देर हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका तृतीय वाचन हर्गिज न शुरू किया जाय जब तक कि वे समस्त सूचनायें सदन के सामने पेश न कर दी जायं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ सूचना देने के लिए, कृपा करके खड़े हुये थे लेकिन उस सिलसिले में उन्होंने अपनी राय भी दो मामलों में जाहिर की। एक तो यह कि इस बारे में लेजिस्लेशन ले (विधान निर्माण) उचित है और सोशल लेजिस्लेशन जो होता है वह लोकमत के प्रकाश के लिए, या जानकारी के लिए या लोकमत हासिल करने के लिए भेजा जाता है और जैसा कि इस बिल का उद्देश्य है, जैसे कि इस बिल के प्राविजन्स (उपबन्ध) हैं, इस में उनको कोई आपत्ति नहीं नजर आयी। इसी के साथ-साथ उन्होंने सूचना देते समय एक बात कहा जिसका मैं उचित स्थल पर जिक्र करूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं बड़ा आदर करता हूं परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी राय मानकर नहीं चल सकता। उनकी अपनी राय लोकतंत्र के सम्बन्ध में समयक्रम से बहुत तेजी से बदल रही है। पार्टी, पार्टी का अनुशासन, पार्टी और हुकूमत का सम्बन्ध, लोकमत और हुकूमत का सम्बन्ध, इसके सम्बन्ध में उनके अपने निजी विचार हैं। उनका अपना ख्याल ऐसा है कि जिनकी पार्टी बहुमत में आ जाय और अपनी हुकूमत बना ले, तो फिर सारा काम हुकूमत के करने का रह जाता है और उस पार्टी के करने के लायक कोई काम नहीं रहता। पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं, वे केवल प्रचार कर सकते हैं। हुकूमत के जो एचीवमेंट्स (कार्य) हों, हुकूमत की जो सफलतायें हों, उसी का प्रचार-कार्य उस पार्टी के लोगों के जिम्मे रह जाता है और कुछ नहीं। और इसके सम्बन्ध में उन्होंने फरमाया है कि यह काम तो बड़ी आसानी से तनख्वाहदार लोग कर सकते हैं जिनको हुकूमत नियुक्त कर दे। अगर लोग प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में जो हुकूमत की बेंचों के पीछे आकर के बैठें उनकी उपयोगिता सार्वजनिक जीवन में केवल इतनी माननीय शिक्षा मंत्री की निगाह में रह गयी है कि वह हुकूमत के अचीवमेंट्स की सफलताओं का ढोल जाकर पीटें जैसा कि कोई तनख्वाहदार नौकर भी आसानी से कर सकता है, तो मुझे खेद है कि लोकजीवन की और लोकतंत्र में प्रजा प्रतिनिधियों की उपयोगिता, उनकी हैसियत और उनका सम्मान जिस पैमाने से माननीय शिक्षा मंत्री के यहां नपता होगा उस पैमाने से हमारे यहां नहीं नपता। माननीय शिक्षामंत्री जी ने जो नाम गिनाये उनमें एक नाम एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्याधिकारी) का भी गिनाया। जहां तक उस सूचना का सम्बन्ध था हम स्वागत करते हैं और उसी सूचना को हमें जैसे इस्तेमाल करना था, वैसे हम करते। मैं यह नहीं समझता था कि माननीय शिक्षा मंत्री सूचना देते समय इस सदन के सम्मुख किसी आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्याधिकारी) के सम्बन्ध में कुछ बड़ी प्रशंसात्मक बातें कहेंगे कि सरकार का क्या क्या फायदा उन्होंने कर दिया है। यह तो बड़ा विवादग्रस्त विषय है। माननीय शिक्षा मंत्री ने फरमाया कि जिस आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का सम्बन्ध उस सूचना से है उन्होंने ४-५ लाख का फायदा गवर्नमेंट को कर दिया है। ४-५ लाख की रकम बहुत बड़ी रकम है। मगर ५०-५५ करोड़, ६० करोड़ रुपया जो हर साल इस हुकूमत के सुपुर्द किया जाता है कि वह यहां के सार्वजनिक कार्यों में खर्च करे, उसको देखते हुए ४-५ लाख रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं समझता कि उस हुकूमत में जिसको यह जिम्मेदारी सुपुर्द होती है यह हो सकता हो कि उसकी इज्जत करे वह आफिसर आन स्पेशल डियूटी दुनिया में, अपने प्रदेश में, अखबारों में, पढ़े लिखे लोगों में और सब जगह जलील कर दे। यह नुकसान न सिर्फ हुकूमत को हुआ, यहां के सार्वजनिक जीवन को हुआ, शिक्षा संस्थाओं को हुआ और क्योंकि वह सदन के एक माननीय सदस्य थे इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य की इज्जत को ठेस पहुंची है उससे जो कार्य उस आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी ने किया....

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) यह है कि कोई माननीय सदस्य इस भवन के अन्दर किसी दूसरे माननीय सदस्य के ऊपर

[श्री कृष्णचन्द्र]

आक्षेप नहीं कर सकता और इस वक्त जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं उन्होंने माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा का जिक्र करते हुए ऐसी बातें कही हैं जिनसे आक्षेप समझा जाता है।

श्री खानचन्द गौतम---श्रीमन्, मुझे इजाजत हो इस संबंध में जवाब देने की। श्रीमन्, जैसा मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था, अगर सूचना केवल इतनी होती जितनी कि माननीय सदस्य के संबंध में मांगी गई थी तो मेरा कुछ भी कहना अप्रासंगिक होता। मगर एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी के संबंध में यहां पर तारीफ बयान की गयी है। हमें पूरा हक़ है कि उन आफिसर साहब आन स्पेशल ड्यूटी के काम बजाय तारीफ के मजम्मत के काबिल हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वह गलत काम हुए हैं। अगर आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी हैं जो माननीय सदस्य भी हैं तो यह माननीय सदस्य का दुर्भाग्य है और मेरा दुर्भाग्य है और गवर्नमेंट के द्वारा उनके प्रति किया हुआ घोर अन्याय है जिसकी वजह से वह ऐसी परिस्थिति में पड़ गये हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने गलत नहीं कहा है।

माननीय अध्यक्ष---मैं यह समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ उनके किसी कार्य के संबंध में आक्षेप नहीं होना चाहिए, मगर इसी के साथ साथ माननीय सदस्य जो यह आलोचना कर रहे हैं वह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी के कार्य की कर रहे हैं। उसका उनकी सदस्यता के कार्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वह ऐसा कर सकते हैं। मगर व्यक्तिगत आरोप से एतराज करेंगे।

श्री खानचन्द गौतम---श्रीमन्, मैं ख्वाहमख्वाह इस तरह की बातें कहने का आदी नहीं हूं। ऐसी आदत मुझे नहीं है। मेरे सामने यह टेक्स्ट बुक्स (पाठ्य पुस्तकों) का एक गड्डा रखा हुआ है। यहां एक टेक्स्ट-बुक मौजूद है मेरी मेज पर जिसमें १०० से अधिक गलतियां छपी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात का इस विधेयक से बहुत थोड़ा सा संबंध है इसलिए यहां पर "आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी" के शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। लेकिन वह कैसा काम करते हैं कैसा काम नहीं करते हैं इसका इस विधेयक से बहुत दूर का ताल्लुक़ है। इसलिए जितनी बात माननीय सदस्य ने अब तक कह ली है वही काफी है। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम---मैं इस प्रसंग में विस्तार में नहीं जाऊंगा और केवल इतना ही कह कर संतोष करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यहां भवन में सूचना देते हुए तारीफ की वह अप्रासंगिक, गैर मुनासिब और बिलकुल गलत थी और परिस्थिति बिलकुल उसके विपरीत है।

माननीय प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी का एक बहुत विस्तीर्ण व्याख्यान इस माननीय सदन में हुआ। मैं बहुत रुचि से उनका व्याख्यान सुनता हूं और बड़ी रुचि से उनको देखता हूं। शुरू शुरू में माननीय प्रो० कृष्ण चन्द्र जी हमारे यहां बड़े प्रगतिशील सदस्यों में रहे हैं। हमारा उनका बड़ा सहयोग रहा है बीच में कुछ समय को छोड़कर जब कि हमें सौभाग्य नहीं मिला है सुनने का, जब कि वे इस सदन में बहुत कम भाग लेते थे। हमारी समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने भाग लेना, आलोचना करना, सरकार की सम्यक समीक्षा सब छोड़ दिया। बड़ी खुशी है, अब फिर उन्होंने इस सदन की कार्यवाही में रुचि रखना शुरू किया है और भाग लेना शुरू किया है। मगर इस बार उनका सहयोग दूसरी जगह ही है, हमारे साथ नहीं, हुकूमत के साथ। इसका कारण समझना बहुत भी कठिन नहीं है। उन्होंने जो भी बातें कहीं उनसे मेरा बड़ा मतभेद है। माननीय श्री कृष्ण चन्द्र जी का ज्यादातर भाषण इस बात पर था कि उस ओर के लोग नहीं बल्कि इस ओर के लोग ज्यादा डिसक्वालीफाइड (अनर्ह) हैं या डिसक्वालिफिकेशन के ज्यादा पात्र हैं। यह तो बहुत कुछ उपयुक्त बात नहीं है। इस ओर के हों या उस ओर के हों, हम यहां तय करने बैठे हैं कि

किस प्रकार के पद ऐसे समझने चाहिएं जिन पर रहने वाले व्यक्ति अनधिकारी समझे जायं ! उसमें प्रतिशत और परिमाण ये दोनों मतलब के विषय नहीं हैं । बड़ी घबराहट उनको इस बात की है कि वे स्वयं भी कुछ डिस्क्वालीफिकेशन में आ रहे हैं । मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि जितनी जानकारी मेरी इस विषय में है माननीय श्री कृष्ण चन्द्र जी सुरक्षित हैं। वह घबरायें नहीं । अगर किसी ऐडवाइजरी (परामर्शदात्री) कमेटी में उन्होंने काम किया है । तो वे सुरक्षित हैं । अगर किसी इन्क्वायरी (जांच) कमेटी में वह रहे हैं जैसी कि मेरी जानकारी है कि एक कमेटी में हैं, तब भी वह सुरक्षित हैं । इस घबराहट को निकाल कर फिर वह विचार करें तो मेरा ख्याल है कि उनकी राय अब दूसरी बनेगी और ज्यादा साथ खोजने की वह कोशिश नहीं करेंगे जैसा साथ वह अपने भाषण में खोजते रहे।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी ने कही । उन्होंने कहा कि इस संविधान में कोई ऐसा आर्टीकिल (अनुच्छेद) नहीं है जिसके अंतर्गत विशेष पद पर रहने वाले लोग अनधिकारी समझे जायं लेजिस्लेचर में बठने के लिए या चुनाव में जाने के लिए उन्होंने हमारा ध्यान पहले १९३५ ई० के कानून की ओर दिलाया कि उसमें भी ऐसी धारायें हैं । सचमुच इस १९३५ के कानून में ऐसी धारायें केन्द्रीय शासन के लिए भी और प्रान्तीय शासन के लिए भी हैं । मैं उन्हें पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्यों को उनका ज्ञान है और प्राय: वह उन्हीं शब्दों में वहां से उठा कर हमारे संविधान में रखी गई हैं जिन शब्दों में वह १९३५ के कानून में हैं। प्राय: उन्हीं शब्दों में इंगलैंड में लिखी हुई हैं और वहां से भी ज्यों कि त्यों उठायी गई हैं क्योंकि इस समय के कानून बनाने वालों ने उसी परम्परा का अनुकरण किया था और उन्हीं की सलाह ली थी और गाइडेंस (पथ-प्रदर्शन) लिया था। फिर माननीय प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी का कथन जब कि अंग्रेजी में बनाया हुआ कानून था और उन्हीं अंग्रेजों के राज्य में वह लागू था तो उसी जमाने में इस तरह की कमेटियों में लोग रहे और वह डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए तो फिर आज कौन सी बात है कि इस तरह से मेम्बर्स डिस्क्वालीफाइड हो जायं ?

श्रीमन्, अंग्रेजों से हमारी बड़ी दुश्मनी रही है और उनके साथ लड़ाई लड़ी गई है । मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत बार बड़ी बड़ी कटुता अंग्रेजों के प्रति जो शासक थे और अंग्रेज जाति के प्रति कुछ क्षणों के लिए हमारे मनों में भी आई है मगर अंग्रेज जाति का बड़ा प्रशंसक हूं । अंग्रेज जाति दुनिया में अग्रगण्य जातियों में से हैं । साधारण अंग्रेज का राष्ट्रीय चरित्र बहुत उन्नत देश के नागरिकों के चरित्र से मुकाबला करने वाला है । अपने अपने यहां अंग्रेज जिस तरीके से बरतता है वह अनुकरणीय है । अगर इतना भी हम अपना राष्ट्रीय चरित्र १०।२०।५० वर्षों में निर्माण कर सकें जैसा कि अंग्रेज आज बरतता है तो मैं समझता हूं कि हमने काफी उन्नति की। मगर श्री कृष्णचन्द्र जी को अंग्रेजों की नकल करने में न तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने की सूझी और न इसके लिए सूझी कि अंग्रेज कैसे बरतता है उनको सूझा क्या अंग्रेज का जो भ्रष्टतम रूप वह यह कि इंगलैंड दूसरे ·····..

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य ने गलत कोट (उद्धृत) किया है । माननीय सदस्य को याद नहीं कि मैंने यह अल्फाज कहे थे कि अंग्रेज लोगों को जिनको अपने यहां की डैमोक्रेटिक प्रथाओं व परम्पराओं का पूरा अनुभव और जानकारी है और वह आफिस आफ प्राफिट का अनुभव अपने यहां का रखते थे उन्होंने भी गवर्नमेंट ऐक्ट के चलते हुए कभी भी यहां उसकी तरफ नहीं सोचा। मैंने नकल करने की बात कहां कही थी ।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, अगर पतला दुबला आदमी इतना अधीर और चंचल हो तब तो ठीक है लेकिन माननीय प्रोफेसर साहब कम से कम मेरे एक दो वाक्य सुन लेते फिर समझते कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। प्रोफेसर साहब ने यह फरमाया कि अंग्रेज इसी परम्परा को समझते हैं जिन्होंने इस कानून को बनाया था और यह चीज अनुकरणीय है । मेरा इतना ही कहना है कि अंग्रेज अनुकरणीय है उस चीज में जिसमें वह अपने देश में नागरिकता की हैसियत से बरतता है और अपने देश में देश सेवा के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति

[श्री खानचन्द गौतम]

संस्थाओं से बरतता है,। मगर अंग्रेज जैसा गलत, और क्या कहूं मुझे काफी स्ट्रांग (कड़े) शब्द नहीं मिल रहे हैं, अंग्रेज जैसा विरोध करने लायक व्यक्ति दूसरी जगह मिलना मुश्किल है जहां कि उसके देश का दूसरे देश से संबंध है। अंग्रेज यहां शासक की हैसियत से थे और शासक की हैसियत से यहां कानून बनाये और शासक की हैसियत से उन उन कानूनों को यहां लागू किया। यहां पर वह अपनी शान रखते हुए, अपने गौरव और अपने देश का इतिहास और सम्मान की रक्षा करने के इच्छुक होते हुए भी उन्होंने बराबर हमारे सामाजिक जीवन को तोड़ा, उसको भ्रष्ट किया, दबा कर गुलाम बनाया, चापलूसी पर मजबूर किया, छोटी छोटी बातों पर ईमान खरीदा। उसने यहां वह परम्परायें कायम नहीं कीं जो इंग्लैंड में इंग्लैंड निवासियों के लिए होती थीं। यहां पर उसे शासन करना था। उन परम्पराओं को उसी प्रकार यहां चलाने के लिए वह कर्मशील नहीं था जैसा कि प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जी उसे समझते हैं। इसलिए कतई तौर पर हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है कि अंग्रेज ने हमसे कैसा रवैया बरता। रवैया गलत था और अगर गलत था तो उसे बदलें और सही रवैया अख्तियार करें। माननीय कृष्ण चन्द्र जी का यह कहना कि १९३५ का कानून जिस तरह बरतते चले जा रहे हैं वैसे ही बरतते चले जायें तो ठीक है,। अब से पहले इस माननीय सदन में यह तय हो चुका है कि जैसा ३५ में बर्ताव होता था वह गलत होता था। हमने बदला है उस रवैये को, उन कनवेन्शंस (अभिसमयों) को बदला गया है। इसलिए कोई वजह नहीं है कि हम उसको मानने के लिए मजबूर हों जैसी माननीय कृष्ण चन्द्र जी की सलाह है।

माननीय कृष्णचन्द्र जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो इस बिल से संबंध रखती है। बहुत सी ऐसी बातें कही थीं जो इस बिल से कोई संबंध नहीं रखती थीं। लेकिन एक बात बिल से ताल्लुक रखती है और वह यह है कि आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) की कोई परिभाषा नहीं की जा सकी है। यह बात सच है कि आफिस आफ प्राफिट की कोई परिभाषा कोई सिलेक्ट कमेटी हाउस आफ कामन्स की नहीं कर पाई और न कोई ऐसी कमेटी कर पाई जो वहां किसी बिल को बनाने के लिए नियुक्त हुई हो। मैं पूछूं माननीय श्रीकृष्ण चन्द्र जी से क्या पाप और पुण्य की कोई परिभाषा उनके शास्त्रों में यहां बन पाई है? पाप और पुण्य की रिजिड (ठोस) परिभाषा नहीं बन सकी ठीक उसी प्रकार से आफिस आफ प्राफिट की परिभाषा नहीं बन पाई। तो क्या यह मतलब है कि पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं किया जायगा? आफिस आफ प्राफिट परिस्थिति वश, नियतिवश कि उस परिस्थिति में क्या परिणाम हो सकते हैं उन सब का परिणाम लेकर निश्चय किया जायगा। अगर कोई आफिस इंग्लैंड में किसी वजह से आफिस आफ प्राफिट नहीं समझा जाता और हमारे यहां ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो जाय जिसमें वह आफिस हमारे यहां हानिकर सिद्ध हो जाय तो बहुत सम्भव है कि यह माननीय सदन उस आफिस को आफिस आफ प्राफिट डिक्लेयर (घोषित) करते हुए कानून पेश करे। तो इस वजह से मैं यह नहीं समझता कि परिभाषा के कारण वह इतनी लचक को इस कानून के अन्दर ले लें कि जिस चीज को चाहें उसमें शामिल कर दें। माननीय श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने बहुत सी बातें कहीं मगर अपने समय में से कुछ समय मैं उन बातों पर खोना नहीं चाहूंगा और मेरा ख्याल है कि माननीय सदन का भी उनसे समय नष्ट होगा अगर उन चीजों पर विचार किया जाय।

एक बात अवश्य है जिसके लिए कहावत है "नादान दोस्त से अच्छा दाना दुश्मन"। अगर वह आचार्य जुगुल किशोर जी की सिफारिश करने के लिए खड़े हुए होते तो आचार्य जुगुल किशोर जी की शान में बहुत अच्छा होता। उन्होंने इस प्रसंग को उठा कर ठीक नहीं किया और श्रीमन्, जैसा कि आपका संकेत हो चुका है मैं किसी इंडिविजुअल (व्यक्ति) को रिफर (निर्दिष्ट) नहीं करुंगा। मगर मेरे मित्र श्री कृष्णचन्द्र जी ने जो वकालत आचार्य जुगुल किशोर जी के संरक्षण में कर दी उससे उन्होंने परिस्थिति को बिगाड़ा। जिस स्थान की तनख्वाह नियुक्त थी, जिस पद पर उनसे पहिले रहने वाले सज्जन निबकर जी तनख्वाह लेते थे,

तथा कमेटी के दूसरे सदस्य जो ठेके पर काम करने वाले हैं जिनको १५०० रु० दिया गया और दो हजार बाद में दिया जायगा, इस प्रकार की अगर कोई कमेटी है तो उन पदों पर नियुक्त कोई माननीय सदस्य हों वे कैसे इस नाते से मुक्ति पा सकते हैं और ये इस कानून के अन्तर्गत आने वाली बातें नहीं हैं। चाहे व्यक्ति की कितनी ही तारीफ हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही तारीफ के योग्य हो उसका इस कानून से कैसे कोई ताल्लुक नहीं है और उससे आवर्जन का किस प्रकार बचाव हो सकता है ?

माननीय निर्माण मंत्री जी ने इस बिल के संबंध में कुछ बातें कहीं, जिनका ताल्लुक इस बिल से है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस समय माननीय निर्माण मंत्री विवाद में हिस्सा ले रहे थे और दलीलें दे रहे थे तो माननीय अध्यक्ष, मुझे आप क्षमा करें, मैं क्षण भर के लिए यह भूल गया कि मैं असेम्बली चैम्बर में हूं, आप के सम्मुख हूं और माननीय निर्माण मंत्री भाषण दे रहे हैं। मुझे सचमुच कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि मैं बिजनौर के तहसीलदार की अदालत में पहुंच गया हूं और कोई वकील साहब कोई दलील तहसीलदार साहब को दे रहे हैं। इस प्रकार की दलीलें थीं माननीय निर्माण मंत्री की। अभी मैं विस्तार से साबित करूंगा कि वे दलीलें किस प्रकार इस विधेयक पर लागू नहीं होतीं। मैं संविधान की धारा १९१ आप के सामने हाजिर करूंगा जो उन्होंने पेश की और कहा कि यह डिसक्वा-लीफिकेशन (अनर्हता) रिमूव (निरस्त) करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। वह इस प्रकार है —

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if... ..."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए तथा सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा यदि......................]

माननीय निर्माण मन्त्री का यह फरमाना कि यह १९१ दफा डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) हटाने के लिये है, यह बिल्कुल उल्टी बात है। यह दफा डिस्क्वालिफिकेशन लागू करने के लिये है। इसमें बड़ा भेद हो जाता है अगर यह दफा लागू करने के लिये लाई गई तो फिर फोकस (लक्ष्य बिन्दु) का अन्तर पड़ता है। प्राधान्य इस बात का है, संविधान के निर्माण करने वालों ने इस बात को आवश्यक समझा कि डिस्क्वालिफिकेशन लागू करने वाला कोई आर्टिकिल (अनुच्छेद) अवश्य रखा जाय जिससे गलत काम करने वाले, गलत परिस्थिति में रहने वाले कोई साहब मेम्बर न रह सकें।

माननीय अध्यक्ष--उन्होंने उस धारा के सिर्फ आखिरी हिस्से को पढ़कर बताया था।

श्री खानचन्द गौतम--वह एक हिस्सा प्राधान्य का है कि किसी परिस्थितिवश किसी गलत आदमी पर डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाय तो उससे उसे कैसे संरक्षण दिया जाय, इसका प्राविजन (उपबन्ध) उसमें किया गया है। इस वजह से इस बात से फोकस हटा लेना कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे आयद की जाय, उस पर एक पल भी विचार न हो, उसके बजाय हम डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने की फिक्र करें यह बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी कर देना। इतना उनको ध्यान में रखना चाहिए था। उन्होंने यह भी फरमाया कि जहां तक उनका ख्याल है और जहां तक उनकी जानकारी है कोई मेम्बर डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) नहीं हुआ है। कोई हरकत ऐसी हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है, कोई नियुक्ति हुकूमत की तरफ से ऐसी नहीं हुई है जो कि बेजा नियुक्ति हो गई हो और जिस पर जाने वाला आदमी आयोग्य हो गया हो इस माननीय सदन में बैठने के लिये। लेकिन फिर उन्होंने अपने दौराने तकरीर में फरमाया कि अगर किसी ट्रिब्यनल (न्यायाधिकरण) के सामने ऐसे मेम्बर डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) समझे जांय तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने का इंतजाम करना चाहिए और इस वजह से यह कानून लाना जरूरी है। अगर वाकई में कोई डिस्क्वालिफाई हुआ ही नहीं है तो

[श्री खानचन्द गौतम]

तो फिर अन्देशा काहे का कि किसी ट्रिब्यूनल के सामने कोई आदमी डिस्क्वालिफाई समझा जायगा ? स्पष्ट है कि हुकूमत के सदस्य जानते हैं, समझते हैं, हुजूरवाला, वे बड़े समझदार लोग हैं, उन सब को पता है कि कानून की रू से कौन-कौन आदमी डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं और अगर उन्हें बचाना है तो किस प्रकार से बचाया जाय। उसी के लिये यह कानून हमारे सामने लाया गया है।

माननीय हाफिज जी ने एक और मनोरंजक बात कही। अपने खयाल से उन्होंने बहुत बड़ी दलील दी कि अगर कोई सदस्य डिस्क्वालिफाई हो चुका है तो वह उनके ख्याल से किसी प्रकार से अपने आप डिस्क्वालिफाई नहीं हो सकता है जब तक कि गवर्नर इस प्रश्न को उठाकर एलेक्शन कमीशन के सामने न भेजे और एलेक्शन कमीशन का जब तक उस पर निर्णय न आ जाय तक तब कोई सदस्य डिस्क्वालिफाई नहीं हो सकता। श्रीमन्, जरा आप गौर करें इन शब्दों पर, यह जो गवर्नर से सम्बन्ध रखने वाली आर्टिकिल है :

"(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has be come subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

[यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायगा तथा उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने के पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

यह जो कहा गया है--

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in the clause (1) of Article 191......"

[यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है . ....]

तो १९१ (१) में श्रीमन् ए०, बी०, सी०, डी० और ई० इतने क्लाजेज हैं। एक क्लाज है कि अगर कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड (लाभ का पद धारण) करे तो वह डिस्क्वालिफाई हो जाय। दूसरे में है कि अगर कोई पगला जाय तब वह डिस्क्वालिफाई हो जाय। तीसरे में है कि अगर कोई दिवालिया हो जाय तब वह डिस्क्वालिफाई हो जाय, और फिर यह है कि अगर वह हिन्दुस्तानी सिटिजन (नागरिक) न रहे तब डिस्क्वालिफाइ हो जाय और अगर किसी कानून के जरिये से कोई डिस्क्वालिफाई हो गया हो तब वह डिस्क्वालिफाई हो जाय। अगर फिर भी सवाल उठे इसमें किसी कोटि के संबंध में तो गवर्नर एलेक्शन कमीशन के साथ विचार करके इस पर अपनी व्यवस्था देगा। खाली मेम्बर का ताल्लुक इससे नहीं है। अगर कोई मेम्बर पगला जाय तो उसके संबंध में कोई भी प्रश्न उठा सकता है। यह हुकूमत प्रश्न उठा सकती है, कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकता है, पब्लिक का कोई आदमी इस प्रश्न को उठा सकता है, और जब कोई ऐसा प्रश्न उठाया जाय तब गवर्नर इस पर कार्यवाही करेगा। यह जो होल्डिंग आफ आफिस आफ प्राफिट है (लाभ का पद धारण करना) है, इस संबंध में तो बात साफ है। इतना और इस सलसिले में कह दूं कि अगर कोई आदमी दिवालिया हो

जाय या कोई पागल हो जाय तो जिस क्षण वह पागल हुआ उसी क्षण वह आदमी इस सदन में बैठने के अयोग्य सिद्ध हो जाता है। अगर न्याय मंत्री जी का यह ख्याल हो कि नहीं पागल हो जाने के बाद भी और पागल खाने में भेजने के काबिल होते हुए भी जब तक गवर्नर साहब उसकी बाबत एलेक्शन कमिश्नर से राय लेकर यह घोषित न करें कि वह अयोग्य हो गया तब तक उसको इस सदन में बैठने का हक होगा और लोगों के सर फोड़ने का और कपड़े फाड़ने का हक होगा तो यह सही इन्टरप्रिटेशन (निर्वचन) नहीं है। पागलपन का होना उसी समय सिद्ध कर देता है कि वह इस सदन में बैठने के अयोग्य हो गया। यहां पर तो सेन (स्वस्थ मस्तिष्क) लोग ही बैठते हैं और सेन आदमियों के लिये यह जगह है।

अगर वह दिवालिया हो जाय और उसके बाद भी अगर वह यहां पर बैठना जारी रखता है तो आप उसके लिये क्या कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष—अगर वह दिवालिया हो जाने से इन्कार करता है तो मैं वह मामला महामान्य राज्यपाल को भेज सकता हूं, लेकिन उसको यहां बैठने से रोक न सकूंगा। पर इस प्रकार यहां बैठने के कारण वह दंड का भागी हो सकता है।

श्री खानचन्द गौतम—श्रीमान् की व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूं कि अगर अयोग्य होने के बाद भी वह यहां पर बैठता है तो वह दंड का भागी होगा लेकिन आप उसको यहां से निकालने में समर्थ नहीं। परन्तु आपका आसन सर्वमान्य आसन है। अव्वल तो इस माननीय सदन को एक सर्वोच्च अधिकार है और सर्वमान्य आपका यह आसन है। मगर आपके आसन का आदेश सर्वमान्य होते हुए भी जनता का प्रतिनिधि जो चुना हुआ है वह आदर करता है क्योंकि उसका यह प्रिविलेज (विशेषाधिकार) है और उसी अधिकार को लेकर वह यहां बैठता है। अपने क्षेत्र में चुने जाने की हैसियत से उसको यह अधिकार है क्योंकि वह प्रतिननिधि हो कर यहां आया है। इस वजह से आपका अधिकार विस्तृत होते हुए भी सीमित है। उस लोकमत के प्रतिनिधि के संबंध में जो व्यवस्था की गयी है कि पहिले उसके लिये गवर्नर के पास भेजा जाय और महामान्य राज्यपाल एलेक्शन कमिश्नर के पास भेजें और फिर वहां से व्यवस्था आयेगी। अगर यह है कि वहां से व्यवस्था आने के बाद फिर सदन में घोषित किया जाय कि सीट वेकेन्ट (स्थानरिक्त) हो गई तो यह समझना चाहिये कि यह लोकमत की राय होगी और उसके बाद आपको उस सीट को यहां वेकेन्ट (रिक्त) घोषित करके उस सदस्य को रोकने का अधिकार भी हो जायगा। मगर वास्तव में प्रश्न यह है कि वह सदस्य किस समय किस वक्त अयोग्य हुआ। अयोग्य होने के बाद यहां बैठने में उसको रोकने में आप असमर्थ हैं। अगर अयोग्यता उपस्थित होने के बाद उसको योग्य आप घोषित करें यह आपके बस की बात नहीं है, यह गवर्नर के बस की बात नहीं है और एलेक्शन कमिश्नर के बस की भी यह बात नहीं है। यह तो परिस्थिति के बस की बात है। जिस दिन वह दिवालिया हुआ और जिस दिन वह पागल हुआ उसी दिन वह अयोग्य होगया और जिस दिन उसने आफिस आफ प्राफिट ग्रहण किया उसी दिन वह अयोग्य हो गया। इस वजह से माननीय हाफिज साहब के कथन से कोई अयोग्यता का प्रश्न उठता नहीं है और न गवर्नर साहब या एलेक्शन कमिश्नर की राय में ही उसके अयोग्य होने का प्रश्न उठता है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनकी यह राय गलत है।

हमारे माननीय न्याय मंत्री बड़े अनुभवी वकील हैं और सौभाग्य से उन्होंने परम्परा से और अपने बचपन से ऐसा एनवायरनमेंट (वातावरण) पाया है कि बड़ी योग्य दलीलों और योग्य विश्लेषण का प्रभाव उनके खून में होना चाहिये और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह इन सब चीजों पर विचार करके इस

[श्री खान चन्द गौतम]

प्रश्न पर जो व्यवस्था देंगे वह हुकूमत की रू से, हुकूमत की पालिसी (नीति) से रंगी हुई न होगी, बल्कि निष्पक्ष कानूनी रू से एक सही राय होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह हो सकता है चूंकि हुकूमत की मजबूरियां हैं "को न कुसंगति पाइ नसाहीं", तो मुमकिन है कि उनको गलत राय देना पड़े। लेकिन मैं माननीय न्याय मंत्री जी को इसका खतरा बतला दूं कि इस सदन में अगर कोई गलत बात पास कराई जाती है तो यह पहला कानून न होगा कि जो किसी काम्पिटेंट (सक्षम) अदालत से, हाईकोर्ट या दूसरी अदालत से अवैध घोषित किया जायगा और यह पहला तमगा न होगा बल्कि अब से पहले भी यहां ऐसा हो चुका है। हमारे पुलिस मंत्री जी इसी प्रकार का एक बिल यहां लाये थे। उनको समझाया गया, बुझाया गया लेकिन वह उसको यहां से पास करा कर ले गये और बाद में उसको हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया और उसके बाद भी हुकूमत की समझ में नहीं आया और इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रही। वह कानून फिर अवैध रहा और माननीय हाईकोर्ट ने इस हुकूमत की बड़ी कड़ी मजम्मत की है। दो बार पुलिस मंत्री जी के कानून के संबंध में ऐसा हो चुका है और कितनी बार वेलीडेशन ऐक्ट (वैधीकरण अधिनियम) आ चुके हैं और जिन चीजों को हुकूमत कानूनी समझती थी उनको वेलीडेशन (वैध) कराया गया और इस प्रकार के कानून यहां बन चुके हैं। अगर माननीय न्याय मंत्री गौर करेंगे कि यहां पहले क्या-क्या हो चुका है और कैसी यहां की परम्परा है और किस तरह के कानून यहां बनते हैं और उनका कैसा आदर-सत्कार यहां की जनता करती है, कैसी मजम्मत उनकी हाईकोर्ट करता है तो वह अपने हक में और अपनी हुकूमत के हक में सही राय कायम करने पर दृढ़ हो जायेंगे।

श्रीमन्, मुझे भय है कि जितना समय मुझे लेना चाहिये था मैं उससे कुछ ज्यादा ले चुका हूं। मैं अपना मन्तव्य बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा कि यह कानून जिस शक्ल में आया है वह बहुत गलत है। यह मैं मानता हूं कि इस प्रकार का कानून इस माननीय सदन के सम्मुख पेश होना चाहिए था और पेश हो सकता है। संविधान का तकाजा है कि ऐसा कानून बने यहां तक सब ठीक। मगर इस कानून के अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत गलत हैं और कोई वजह नहीं है कि यह कानून पेश्तर इसके कि यह अपने तृतीय वाचन की हद तक पहुंचे वह गलतियां इसमें दुरुस्त न कर ली जायं और इसी वजह से इस समय इस विधेयक के दोषों पर विचार कर लेना चाहिये।

पहला दोष इस विधेयक में मैं यह देखता हूं कि यह जनरेलाइजेशन (सामान्यीकरण) से भरा हुआ है। अगर आप इस आर्टिकिल को देखें कि:—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा——

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम सूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए हैं।]

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इन शब्दों की ओर "अदर दैन ऐन आफिस" [ऐसे पद को छोड़ कर] और इसमें आर्टिकिल "ऐन" की तरफ। हुजूरवाला, मैं स्कूल, मास्टर रहा हूं और छोटी-छोटी क्लासों को पढ़ाया करता था। मेरी आदत....

माननीय अध्यक्ष--सिंगुलर इनक्लूड्स प्लूरल [एक वचन में बहुवचन भी सम्मिलित है] जिसकी तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं।

श्री खानचन्द्र गौतम--बात सही है कि सिंगुलर प्लूरल को इनक्लूड करता है। मगर चूंकि बहुत से आफिसेज का जिक्र था कोई बाधा कानून बनाने वालों के सामने ऐसी नहीं थी कि वे इसे प्लूरल ही लिखते। यह भी कोई कैद नहीं है कि सिंगुलर ही लिखा जाय और प्लूरल समझा जाय। प्लूरल भी लिखा जा सकता था और इस कानून के अन्दर बहुत सी जगह जहां प्लूरल होना चाहिये था वहां प्लूरल ही रखा गया है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आफिस आफ प्राफिट को होल्ड करने वाले सब के सब डिस्क्वालिफाई समझे जायेंगे, उन केसेज को छोड़कर जो एक एक करके कानून में गिना दिये जावें कि इनके होल्ड करने वाले डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे। यह हो सकता है और इस परिभाषा को इतना जरूर खींचा जा सकता है कि एक-एक आफिस को न गिना कर आप बहुत करेंगे तो एक क्लास को गिना देंगे। मसलन् यह जरूरी नहीं है कि अगर इन्क्वायरी कमेटीज (परिप्रश्न समितियों) को इनमें से माफ करना हो तो आप यह रखें कि फलां एडवाइजरी कमेटी हो या इस तरह की २५ कमेटियां आप गिनावें। आप ऐडवायजरी कमेटीज (परामर्शदात्री समितियां) करके लिख सकते हैं और इस तरह से क्लास का द्योतक यहां तक रखा जा सकता है। यह इस आर्टिकिल से बहुत बाहर चला जायगा अगर आप यह कहें कि गवर्नमेंट जिस किसी को भी माननीय सदस्यों में से किसी सार्वजनिक काम के लिये नियुक्त कर दे वह डिस्क्वालिफिकेशन से भरा समझा जायगा और जहां तक प्राफिट (लाभ) का संबंध है उसमें गवर्नमेंट यह पास करदे कि उसके खर्च के लिये और उसके काम को ठीक तरह से चलाने के लिये जितना भी रुपया गवर्नमेंट उसको दे, वह डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) का कारण न समझा जाय। आर्टिकिल की रू से यह बहुत गलत होगा। आर्टिकिल का कभी भी यह मंशा नहीं है। ऐसा होने पर यह ऐसा होगा जिससे कोई दबाव उन सदस्यों पर न रहे। वे एक्जीक्यूटिव काम से संबंध रखने वाले नहीं होंगे, सेमी-एक्जीक्यूटिव (अर्द्ध-शासकीय) नहीं होंगे और जुडीशल (न्यायिक) नहीं या सेमी-जुडशिल (अर्द्ध न्यायिक) भी नहीं होंगे वे केवल ऐसे होंगे जिनकी एडवाइजरी कैपेसिटी हो और वह सलाह मश्विरे और तहकीकात के लिये हों। हाउस आफ कामन्स की परम्परा में भी ऐसा ही है।

आपको स्मरण होगा , श्रीमान्, वर्तमान प्रधान मंत्री, मिस्टर एटली, हमारे देश में साइमन कमीशन के मेम्बर होकर आ चुके हैं। एक रायल कमीशन का मेम्बर होना उनके यहां डिस्क्वालिफीकेशन का कारण नहीं समझा जाता। किसी सलाह मश्विरा देने वाली कमेटी का या जांच करके रिपोर्ट देने वाली कमेटी का मेम्बर होना उनके यहां डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) नहीं होता। चुनांचे हमारे यहां इस रू से सिर्फ थोड़े

[श्री खानचन्द गौतम]

ही सदस्य ऐसे बचेंगे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं और अगर हमें एक सही परम्परा कायम करने की ओर कदम उठाना है तो इस घबराहट में जिसमें माननीय कृष्ण चन्द्र जी बहुत कुछ बोल गये, उस घबराहट में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो चन्द आफिसेज जानकारी में या अनजान में ऐसे हैं जिसमें कि जो माननीय सदस्य रह चुके हैं उनको डिस्क्वालिफाई होने दिया जाय। वे सदस्य हटते हैं तो हटें, वे एक बहुत बड़ा काम करने के लिये हटेंगे, एक बहुत बड़ी परम्परा कायम करने के लिये हटेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

हमारे यहां, श्रीमान्, मैं हुकूमत का ध्यान आकृष्ट करूं कि कुछ कमेटियां ऐसी हैं, और यह मैं अपनी जानकारी से कहता हूं क्योंकि अभी तक कोई मुझे सूचना माननीय न्याय मंत्री ने नहीं दी है कि जिनमें काम करने वाले माननीय सदस्य अवश्य ही डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अथारिटी (परिवहन प्राधिकारी)। मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट अथारिटी में हमारे माननीय सदन के कुछ सदस्य नियुक्त हैं। वह कमेटी ऐसी है कि वह सेमी-जुडिशियल किस्म की है और वह वहीं पर निर्णय करती है और वे निर्णय कार्यान्वित होते हैं। उस कमेटी का कुछ एक्जीक्यूटिव हिस्सा भी है। ऐसी कमेटी इन डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) से बरी नहीं हो सकती। मुझे ख्याल आता है एक कमेटी है बद्रीनाथ टेम्पुल के ऐडमनिस्ट्रेशन से संबंध रखने वाली। वह केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी (प्रशासन समिति) है। वहां कोई सलाह मशिवरा देने की बात नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है उस अवस्था से संबंध रखने वाली कमेटी में भी हमारे यहां से कोई माननीय सदस्य नियुक्त हैं। उनका बचाव भी, मेरा ख्याल है, इस कानून से नहीं होता। वह भी ऐसी कमेटी है कि जिस प्रकार की कमेटी को इस कानून से बरी नहीं रखा जा सकता और उस कमेटी के सदस्यता के पद का डिस्क्वालिफिकेशन का कारण समझना ही होगा। और भी इस प्रकार की कमेटीज हैं, जैसे लेबर कमेटी। माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया ही। और भी ऐसी कमेटीज और ट्रिब्यूनल्स (न्यायाधिकरण) हो सकते हैं और जब सूचना मिलेगी तो हम लोगों को मालूम होगा कि वे कौन-कौन सी कमेटीज हैं जो केवल शुद्ध रूप से ऐडवाइजरी कमेटीज हैं और उन पर रहने वाले सदस्य डिस्क्वालिफाइड (अनर्ह) न समझे जायं।

बड़े विस्तार से माननीय खुशवक्त राय जी ने एक बात पर विचार यहां किया था और मैं संक्षेप में उनका समर्थन करना चाहता हूं। इसमें जो एक क्लाज है—

"It will be deemed to have come into force on the 26th day of January, 1950."

[यह अधिनियम २६ जनवरी, १९५० से प्रचलित हो गया समझा जायगा।]

तो मेरा भी ख्याल है कि इस प्रकार का असर रखने वाला कोई कानून हम पास नहीं कर सकते। ऐसे कानून हमने यहां पास किये हैं कि जिनका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) हमने दिया है और ऐसे यहां बहुत कानून पास होते हैं। दरअस्ल जितने वेलिडिटी ऐक्ट्स (वैधीकरण अधिनियम) हैं हमारे। यहां जो कि हमारी हुकूमत की कारगुजारियों की शर्म को ढकने के लिये समझने चाहिये, वे सब के सब रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) दे कर ही किये जाते हैं। कोई नयी बात तो नहीं है, मगर इस चीज का ताल्लुक ऐसे प्रश्न से है कि जिसमें रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देना हमारी क्षमता से बाहर है।

जैसा कि, श्रीमान्, मैं अपने विवाद में कह चुका हूं कि जिस समय डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) का कारण उपस्थित हुआ उसी क्षण माननीय सदस्य डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) हो गये, चाहे उनका मसला गवर्नर के सामने उठा या नहीं उठा। इस संविधान में यह लिखा

हुआ है कि जो नागरिक वह सब-क्वालिफिकेशन (अर्हता) न रखता हो जो कि सदस्यता के लिये जरूरी हो वह न तो सदस्य हो सकता है और न रह सकता है। सदस्य होने के लिये और सदस्य रहने के लिये एक ही प्रकार की क्वालिफिकेशन (अर्हता) की आवश्यकता है और वह क्वालिफिकेशन (अर्हता) अगर किसी समय गायब हो जाती है तो वह सदस्य उसी समय सदस्य नहीं रहता। अगर वह सदस्य नहीं रहा तो क्या आप कानून के जरिये से फिर उस डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) को हटा कर उनको फिर से सदस्य बना सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं।

क्या यह कानून पास करके हम कोई ऐसी चीज कर सकते हैं कि हम माननीय श्री पंत जी या माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी को यह अधिकार दे दें कि हम इन माननीय मंत्रियों में से किन्हीं एक को यह अधिकार देते हैं कि ये जिस कानून को पास करना चाहें, हमारी सब की राय अपनी राय में सम्मिलित समझते हुए उसको पास कर दिया करें? क्या हम ऐसा कानून पास कर सकते हैं कि इस तमाम हाउस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, प्राक्सी से वोट मंगा लिया जाया करें, जैसा कि बहुत सी संस्थाओं में होता है? अगर हम ऐसा कर सकें तो उलझन बहुत कम हो जायगी, झंझट बहुत कम हो जायगी और खर्च भी कम हो जायगा और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मित्र जिनके कंधों पर आज हुकूमत का भार पड़ा है वह तो बहुत प्रसन्न होंगे अगर इस तरह का कानून पास हो जाय। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता है।

इस संविधान में कुछ सीमायें रख दी हैं कि किन-किन कानूनों को आप पास कर सकते हैं और कुछ सीमायें हैं जिनको आप पास नहीं कर सकते हैं और इस संविधान के ऊपर भी जो एक बड़ी भारी शक्ति है, यहां का लोकमत, यहां का लोकाधिकार, नागरिकता का अधिकार वह इस कानून और संविधान से भी बड़ी चीज है। अगर कोई माननीय सदस्य किसी समय लोकप्रतिनिधि होने के अधिकारी नहीं रहे और वह अधिकार से वंचित हो गये तो क्या आप इस असेम्बली के द्वारा, इस विधान सभा के द्वारा उस तमाम निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं कि आप यहां से जिस किसी को चाहें नियुक्त कर दें? जैसा कि माननीय श्री खुशवक्त राय जी ने कहा था, विधान सभा के सदस्य का चुनाव होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती। वह समय बीत गया, वहां से हम काफी दूर चले आये कि जब विधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति हुआ करती थी। तो ऐसी सूरत में निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये आप किन्हीं ऐसे माननीय सदस्य को, जो किसी समय यहां बैठने के या सदस्य रहने के अनधिकारी रह गये हैं, कानून के बल से, चाहे आपके पीछे कितना ही, बहुमत क्यों न हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको फिर से सदस्य घोषित कर सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको कोई ऐसा असर देने वाला, रिट्रास्पेक्टिव (अनुदर्शी) असर देने वाला कोई कानून इस संबंध में आप पास नहीं कर सकते।

कुछ प्रसंग ऐसा है, श्रीमान्, जो विस्तार से संबंध रखता है, क्लाजेज (खंडों) से संबंध रखता है और उनका यह अवसर नहीं है और न उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वह जब अवसर आयेगा तब उस पर विचार किया जायगा। परन्तु मेरा यह ऐसा ख्याल है कि इस कानून के जरिये हुकूमत जो एक खतरनाक कदम उठा रही है उससे हम लोगों को संविधान रहना चाहिये। लोकतंत्र के जीवन में, हमारे यहां के लोकतंत्र के विकासक्रम में यह जो स्थिति आज कल है यह ऐसी स्थिति है कि जहां हम एक बहुत बड़ी पार्टी के हाथ में संपूर्ण शक्ति देखते हैं और उस पार्टी को यह महसूस करने का हक भी है और संभावना इस बात की भी है कि वह ऐसा महसूस करे कि हमारा रोकने वाला कोई नहीं है, हमारे अधिकारों की कोई सीमा नहीं है और उनको जो एक स्वाभाविक रूप से होता है हुकूमत को शक्ति का नशा हो गया है।

[श्री लालचन्द गौतम]

ऐसे समय में हमारे लिये बड़ा आवश्यक है कि किसी किस्म से ऐसा कानून हम हुकूमत के हाथ में न दे दें कि जिसमें सीमायें न हों और जिसमें आगे आने वाली लोकतंत्र की परम्परायें इस प्रकार की बन जायें कि जिनसे माननीय सदस्य अपने उसूलों और कर्त्तव्यों में निरन्तर सचेत न रहने पावें। अगर यहां एक बार एक कानून से हम लोगों ने यह कर दिया कि हुकूमत जिस माननीय सदस्य को चाहे तनख्वाह देकर, एलाउन्स देकर, पद देकर, अधिकार देकर या गौरव देकर उसके मत को खरीद सकती है और फिर भी वह सदस्यता से वंचित न होगा और न सरकार के ऊपर कोई रोक थाम का काम होगा, तो हम ऐसी परम्परा को जन्म देंगे कि न केवल यह हुकूमत बल्कि आने वाली हुकूमतें न तो लोकतांत्रिक शासन और न लोकतंत्र की परम्परायें कायम कर सकेंगी। इस चीज से बचने के लिये हम लोगों को, इस सदन के प्रत्येक सदस्य को बहुत सावधानी से इसको देखना है कि जैसा माननीय सम्पूर्णानन्द जी का ख्याल है कि लोग एक एक दो दो करके आते हैं, अधिकारी आते हैं और जाते हैं, प्रेसीडेंट आते हैं और जाते हैं, प्रधान मंत्री आते हैं और जाते हैं, हमारा एक विकासक्रम है जो चलता है, लोकतंत्र है जो चलता है, ऐसी सूरत में हम लोग रहें, न रहें, यह हुकूमत रहे न रहे, हम यहां हों, न हों, मगर ऐसी चीज हर्गिज यहां न होने पाये कि अगर आप लौट कर आवें और किसी रोज ईमानदारी से इस बात पर सोचें कि लोकतंत्र कैसा यहां स्वस्थ और सुरक्षित चला तो आपको शरमिन्दगी हो, और दूसरा कोई आपकी जगह आ करके बैठे तो उसके हाथों में और पैरों में शैकिल्स (श्रृंखलायें) मिलें, बंधन मिलें और वह ऐसी मजबूरियों में अपने को फंसा पायें कि वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परायें कायम न कर सकें। मेरा ख्याल है, श्रीमान्, कि इन सब बातों के कारण हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इस कानून में वह आवश्यक संशोधन करके हम पास करें कि जो जरूरी है और जैसा कि यह बिल आया है, उस शक्ल में यह हर्गिज न पास होने पावे।

श्री राधामोहन सिंह--श्रीमान्, मैं इस मोशन (प्रस्ताव) पर भाषण समाप्त करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--अनुमति है।

श्री राधामोहन सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मोशन पर बहस समाप्त की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस मसले पर अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मिस्टर स्पीकर, मैं निहायत अफसोस के साथ यह कहता हूं कि मुझे यह ख्याल था कि ग़ालिबन अपोजीशन की तरफ से इस बिल के ऊपर, कम से कम जिसका उसूल हर शख्स ने मान लिया है और खुद हमारे मुकर्रिर ने जिन्होंने तक़रीबन डेढ़ घंटे से ज्यादा इसके ऊपर बहस की उन्होंने भी यह तसलीम किया कि इस बिल के उसूल से उन्हें अख्तिलाफ नहीं है और इस किस्म का बिल आना चाहिये हाउस में। उनकी तरफ से कम से कम कोई ऐसा कांस्ट्रक्टिव सजेशन (रचनात्मक सुझाव) या ऐसी कोई तजवीज पेश होगी कि जिससे हमको फायदा हो। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि सिवाय इसके कि लफ्ज़ों की भरमार तो जरूर थी, हमले तो बहुत से थे और तरह तरह की शिकायतें थीं ऐसे मामलात की कि जिसका कोई ताल्लुक़ इस बिल से नहीं है। लेकिन जहां तक कि उसूल का मामला है, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गयी। शिकायतें, मुखालिफतें, गवर्नमेंट के पुराने-पुराने किस्से उखाड़ करके और ऐसी बातें जिनका कि ताल्लुक़ इस बिल से हो ही नहीं सकता है उनको इस बहस में शामिल किया गया और वक्त जाया किया गया। बहरहाल यह उनकी खुशी है।

जहां तक मेरे जवाब का ताल्लुक है, मैं उन उसूल जिनको आज उठाया गया है, उनका जवाब पेश करना चाहता हूं और इस हाउस के सामने इसका इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह जिस शक्ल में आया है यह इस मौक़े पर निहायत मुनासिब था और इससे ज्यादा बेहतर कोई बिल ऐसा नहीं पेश हो सकता था जिसकी मौजूदा सूरत में जरूरत होती। सब से बड़ी बात यह है और जो काबिले गौर है कि जहां तक लीडर आफ अपोजीशन (विरोधी दल के नेता) का ताल्लुक था, मुझसे उनसे कब्ल इसके कि बिल हाउस के सामने आवे, बातचीत हुई और आप देखेंगे कि पहले दिन एजंडे (कार्यक्रम) के ऊपर भी उनकी तरफ से यह चीज थी कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। हम लोगों ने इस चीज को मान लिया था और यह कहा था कि अगर सिलेक्ट कमेटी की तजवीज अपोजीशन की तरफ से आ गयी तो यह मतलब होगा कि उसूल तो बिल के जायज हैं और जो मामलात हैं वह आपस में बैठ कर आशियत के साथ तय हो जायंगे। लेकिन मुझे अफ़सोस है, मैं समझ नहीं सका कि बाद को उन्होंने मुझसे यह बताया कि वह इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहते हैं बल्कि यह चाहते हैं कि यहीं बहस हो। मैं सिर्फ इसका यही मतलब समझता हूं और जहां तक मेरा ख्याल है सिवाय इसके कोई गर्ज नहीं हो सकती कि उनका मतलब यह था कि चाहे जा हो या बेजा हो, गवर्नमेंट के ऊपर उनको अटक (आक्रमण) करना है और गवर्नमेंट की मुखालिफत करना है। जो बहसें हाउस के सामने आई हैं उनमें सबसे बड़ी बहस यह है कि हमको अंग्रेजी कानून से और वहां के जो उसूल माने हुए हैं उनसे इस मामले में मदद लेनी चाहिये और उनके ऊपर एतबार करना चाहिये।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता मंडल के सदस्य, श्री कृष्णचन्द्र की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाब सदर, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था इस बिल के सिलसिले में मुझे यही अफसोस है कि अगर कोई तामीरी तजवीजात उधर से होतीं तो गवर्नमेंट निहायत खुशी के साथ उन पर गौर करने के लिये और इसमें जो जरूरी तरमीमात होतीं उन पर गौर करने के लिये तैयार हो जाती। लेकिन अफसोस है कि किसी तक़रीर में मैंने यह नहीं देखा कि ठंडे दिल से इस पर गौर किया गया हो। बहरहाल, मुझे अब चन्द उन शिकायतों के जो कि बिल के मुताल्लिक की गई हैं या उसके खिलाफ जो बातें कही गयी हैं उसके मुताल्लिक थोड़े अल्फाज में इस हाउस के सामने अर्ज करना है। पहली बात जिसके ऊपर जोर दिया गया है वह यह है कि हमको जो अंग्रेजी तरीके रहे हैं या जो हाउसेज आफ पार्लियामेंट (संसद के सदनों) में जो कानून रहे हैं उनके कदम ब कदम चलना चाहिये और उससे फायदा उठाना चाहिये। मैंने यह कहा कि वहां के हालात दूसरे हैं उनकी नक़ल हम बहुत थोड़ी हद तक कर सकते हैं, बहुत तक नहीं। लेकिन इसके ऊपर सख्त एतराज किया गया और यह कहा गया कि बावजूद इसके कि हमारे यहां डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) इतनी पुरानी है, वेदों के जमाने की है लेकिन फिर भी हमको इस मामले में पूरी मदद उन उसूलों से लेनी चाहिए जो हाउसेज आफ पार्लियामेंट में इसके मुताल्लिक तसलीम किए गए हैं।

मैं आज आपके सामने जितनी बहस करूंगा, जो कुछ अर्ज करूंगा वह गालिबन बिल्कुल उन्हीं उसूलों पर मबनी होगा जो इंगलिस्तान में हैं और जो वहां की तारीख बतलाती

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

है। पहली बात यह देखनी है कि खुद इंगलिस्तान में इस उसूल के मुताल्लिक क्या-क्या तब्दीलियां वक्तन-फवक्तन होती रही हैं। मेरे दोस्त खुशवक्त राय साहब ने उधर से कई मौक़ों पर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया और उस पर उन्होंने अपनी बहस की ताईद चाही है। अगर उसी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि इंगलिस्तान में इसके मुताल्लिक़ बराबर तीन फेजेज (युग) हो चुके हैं जैसा कि मैंने कहा है। पहले फेज को, जैसा कि मैंने कहा है, प्रिविलेज फेज (विशेषाधिकार का युग) कहते हैं यानी उस ज़माने में इस उसूल के मातहत जो मेम्बर हाउस आफ कामंस या पार्लियामेंट का होता है उसको अख्तियार नहीं है कि कोई दूसरा ओहदा हासिल करे। उसका उसूल यह था कि अगर दो ओहदे अख्तियार कर लेगा तो अपने फरायज बहैसियत मेम्बर पार्लियामेंट के अंजाम देने में काफी मोहलत नहीं मिलेगी। और इस वजह से यह मुनासिब है कि मेम्बर जो पार्लियामेंट का है उसके कोई दूसरे फरायज नहीं होने चाहियें। चुनांचे एक जमाने तक इसके ऊपर अमलदरामद होता रहा महज इस वजह से कि फिजीकल अटेंडेंस (शारीरिक उपस्थिति) जो मेम्बर की है वह मुमकिन नहीं होगी। इस वजह से इसकी मुख़ालिफत की गई और लोग उसके खिलाफ रहे।

दूसरा फेज वह शुरू होता है जिसको करप्शन फेज (भ्रष्टाचार का युग) कहते हैं। लोगों को उस वक्त यह ख्याल पैदा हुआ , बादशाह और जनता में एक जंग हुई और उस वक्त यह समझा जाता था कि बादशाह कुछ लोगों को मिला कर बहुत सी ऐसी चीजों को मंजूर करवा लेगा जो अवाम के खिलाफ होगीं। चुनांचे इसके ऊपर इसकी मुमानियत की गई क्योंकि ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया यह मालूम हुआ कि यह करप्शन फ़ेज और वह प्रिविलेज फेज दोनों ही ग़लत थे और इस उसूल को भी बदलना पड़ा।

तीसरा फेज जिसका आजकल में अमलदरामद है उसको मिनिस्टीरियल रिस्पांसीबिलिटीज फेज (मंत्रिदलीय उत्तरदायित्व का युग) कहते हैं। इसके माने यह हैं कि जब पार्लियामेंट का मेम्बर गवर्नमेंट को संभालता है और एक्जीक्यूटिव आफिस (शासकीय कार्यों) को रन करता है तो उनको लाजिम है कि कुछ न कुछ ऐसे मेम्बर्स हों जिनको मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारी दी जा सके। चुनांचे वहां उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसी वजह से वहां पर जैसा कि मैंने कहा कि सफा २०३ में लिखा है कि जंग अव्वल के बाद जो वहां पर ऐसे आदमी और आफिसेज (पदों) की तादाद थी वह ६२-६३ थी जिनकी डिस्क्वालीफिकेशन्स (अनर्हता) थीं लेकिन वह मुस्तसना किये जाते थे बजरिये किसी कानून के या रूल के। लेकिन दूसरी जंग के बाद यह तादाद ६२ से बढ़ कर अब ९२ हो गई है, यानी अब ३० आफिसेज ऐसे हो गये जिनको मुस्तसना करना पड़ा। इसके माने यह हैं कि जब वहां पर यह फेज तस्लीम किया गया तो मान लिया गया कि इस किस्म के तकर्रुरात जो लीडर आफ दि पार्टी करता है उस वक्त इसको आब्जेक्शनेबिल (आपत्तिजनक) न समझा जाय और काफी जायज समझा जाता है। चुनांचे आप इसी सिलसिले में यह देखेंगे कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह लिखा है कि ऐसे मेम्बरान जो मुक़र्रर किये जाते हैं जिनको पोलिटिकल लीडर (राजनैतिक नेता) करता है तो वह आब्जेक्शनेबिल (आपत्तिजनक) नहीं समझा जाता है।

मैं इस बारे में एक पैसेज (उद्धरण) जो सफा २०१ पर है पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरीज (संसदीय अनुसचिव) का हवाला देते हुये यह फर्क किया गया है कि--

"His office may be an old office but it may not be an office under the Crown. If he is appointed by his political chief and not directly by the King, by the generally accepted reading of the Act of 1707 he escaped naturally from its provision being neither disqualified nor required to vacate his seat and stand for re-election."

[उसका पद पुराना पद हो सकता है किन्तु, यह पद क्राउन के अधीन न हो। यदि वह अपने राजनीतिक नेता द्वारा नियुक्त होता है और प्रत्यक्षतया राजा द्वारा नहीं तो वह १७०७ के अधिनियम के साधारणतया स्वीकृत अनुदेशों के अनुसार प्राकृतिक रूप से इसके उपबंधों से बच जाता है और न तो वह अनर्ह होता है न उसे अपना स्थान रिक्त करने की आवश्यकता है और न पुनर्निर्वाचन के लिये खड़े होने की आवश्यकता है।]

मैं इसलिये पढ़ता हूं कि आप देखेंगे कि वह जो तारीख है और जिसकी बुनियाद पर यह कानून बनाया गया था वह किस तरह से बदलता रहा है और जो अब सूरत है उसमें और जो पहले सूरत थी, किस तरह से इख्तलाफ हो गया है और इसी मियाद और उसूल पर मैंने अर्ज किया था वह मुख्तलिफ है और उसको हमें ले लेने में सख्त जहमतें होंगी और बहरहाल हमें सबक सीखना है। जहां हम यह सबक सीखेंगे कि एक जमाने में यह समझा जाता था कि क्राउन की तरफ से जो शख्स मुक़र्रर होगा वह इस काबिल नहीं है कि हाउस में रह सके। उसी तरह से बरअक्स इसके हमें यह भी सबक सीखना पड़ेगा कि अगर पोलीटिकल लीडर की तरफ से मुक़र्रर किया जाता है तो उस पर डिक्स्वालीफिकेशन (अनर्हता) का असर नहीं पड़ता है जो क्राउन की तरफ से अगर अप्वाइंटमेंट (नियुक्त) होता और उस पर पड़ता था। मेरे एक फ्रेन्ड (मित्र) मिस्टर गौतम ने इस दौरान में यह भी बहस पेश की है कि हमारे यहां तकरीबन वही तारीख रही है जो तारीख इंगलिस्तान में थी बादशाह की वजह से। जिस जमाने में हमारे यहां अंग्रेज थे उनकी सूरत करीब करीब वही थी जैसी इंगलिस्तान के बादशाह की थी। मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल दूसरी सूरत थी। उसकी हैसियत वह नहीं हो सकती जैसी इस मुल्क में बादशाह और जनता में जो जग हुई, उसमें पैदा हुई। जिस तारीख में उनका डेवलपमेंट (विकास) हुआ उसकी मिसाल हम नहीं ले सकते जब कि एक दूसरे मुल्क का बाशिन्दा यहां आकर हुक्मरां रहे। किसी सूरत में वह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट (प्रतिनिधि सरकार) नहीं थी और जो थी वह नक़ली रिप्रेजेंटिव गवर्नमेंट थी जिसमें उनको पूरे अख्तियारात रहते थे और लेजिस्लेचर (विधान मंडल) ऐसा होता था जिसमें ज्यादातर उन्हीं के आदमी नामजद होते थे और जो वह चाहते थे उसको पास करा लिया करते थे। ऐसी सूरत में न तो यहां वे ट्रेडीशंस डेवलप (परम्परा विकसित) होने पाये और न हमारे फायदे के लिये अच्छे कानून ही बनते थे जिनसे हम कोई सबक सीख सकें। लिहाजा अगर आपको अंग्रेजी कानून से फायदा उठाना है तो आंख खोल कर उनको समझ कर फायदा उठाना चाहिये। सिर्फ यह कहना कि अंग्रेजी कानून में एक जमाने में यह रिवाज था उसकी नक़ल करना चाहिये, इससे हम फायदा नहीं पहुंचा सकते।

इसके बाद मैं तवज्जह दिलाऊंगा दोनों दफात की तरफ जिनका हवाला मैंने शुरू की स्पीच में दिया था जिसके मुताबिक यह कानून आपके सामने पेश हुआ है। आप यह देखेंगे और ग़ौर करेंगे कि उन दफात में १९०, १९१ और १९२ में कुछ ऐसे इख्तिलाफ हैं जिनकी वजह से यह मालूम होता है कि बजाहिर उनमें एक किस्म का कांफ्लिक्ट (संघर्ष) है। ऐसे कोई मानी नहीं लगाये जा सकते जिसमें दोनों रिकंसाइल (समन्वित) की जा सकें। मसलन यह कि इसके ऊपर मेरे दोस्त

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

मिस्टर खुशवक्त राय की यह बहस थी कि यह कानून बिल्कुल अल्ट्रा-वायरिस (अवैध) है, यह कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया के खिलाफ है। आर्टिकिल १९० में पैराग्राफ ३ में अल्फाज यह हैं—

"If a member of a House of the Legislature of a State—

(a) becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause (1) of Article 191, his seat shall thereupon become vacant"

[यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।]

यानी यह क्लाज यह कहता है कि जैसे ही एक मेम्बर हाउस आफ लेजिस्लेचर की दफा १९१ के क्लाज (ए) के किसी जुज के खिलाफ कुछ करे तो फौरन वह सीट खाली हो जाती है। बरखिलाफ इसके अनुच्छेद १९२ यह कहता है—

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

[यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।]

यानी यह कि कोई शख्स डिस्क्वालिफिकेशन इन्कार (अनर्हता का भागी) करता है तो वह मामला गवर्नर के पास भेजा जायगा और उस पर गवर्नर का फैसला होगा। वही फाइनल (अन्तिम) होगा इस प्वाइन्ट के ऊपर। इससे बजाहिर यह मालूम होता है कि एक दफा में यह कहते हैं कि फौरन जगह खाली हो जायगी और दूसरी जगह यह कहते हैं कि फौरन जगह खाली नहीं होगी बल्कि गवर्नर का उस पर फैसला होगा।

सरसरी तौर से यह मालूम होता है कि इन दोनों में कांफिलिक्ट (संघर्ष) है लेकिन असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट का हवाला देंगे हमारे खुशवक्त राय जी जैसा उन्होंने अपनी स्पीच में हवाला दिया था कि जो सिलेक्ट कमेटी ४६ में इंगलिस्तान में बैठी थी उसी से इसका जवाब आपको मिल जायगा। तो ऐसे ओहदे होते हैं कि देने वाले और लेने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह ओहदा इस गरज से दिया जा रहा है कि यह शख्स आइंदा अब लेजिस्लेचर (विधान मंडल) का मेम्बर नहीं रहेगा। मतलब यह कि कोई शख्स यहां का हो और हाई कोर्ट का जज उसे एप्वाइंट (नियुक्त) कर दिया जाय या कहीं भेज दिया जाय, तहसीलदार बना कर या और किसी किस्म का एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) उसको मिल गया जो कि इस किस्म का एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) हो जो कि एडमिटेडली आफिस आफ प्राफिट (मान्य रूप से लाभ का पद) हो और जिसको कि लेने के बाद किसी तरह से अपने फरायज अंजाम नहीं दे सकते। जाहिर है कि उस ओहदे को हासिल करते हुए, जैसे ही वह उस ओहदे को हासिल करेंगे फौरन ही असेम्बली की सदस्यता से अलहदा हो जायंगे, फौरन

मेम्बर असेम्बली बाकी नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट की भी यही मंशा होती है। और उस ओहदे को लेने वाले की भी यही मंशा होती है। दोनों चाहते हैं कि उस ओहदे को लेने के बाद मेम्बर न रहें और वह ओहदा ले लिया जाता है। इंगलिस्तान में, मैं आपको मिसाल दूं इसी किस्म के ओहदे स्टुअर्ड आफ दी शिल्टर्न थे। उस ओहदे की कोई तनख्वाह नहीं थी लेकिन जो आदमी उसको एक्सेप्ट (स्वीकार) करता है वह इसी गरज से एक्सेप्ट (स्वीकार) करता है कि वह मेम्बरी से अलग हो जायगा। चुनांचे उसी बयान में यह भी तफसील से दिया गया है कि ओहदे का दारोमदार इस पर नहीं है कि उससे मुनाफा कितना होता है। आउट आफ पाकिट (हानि) कितना होता है और इन पाकिट (लाभ) कितना होता है। उसकी गरज यह होती है कि फलां ओहदा देने के बाद वह मेंबर नहीं रहता। बरखिलाफ इसके कुछ ऐसे काम हैं जो मेम्बरान लेजिस्लेचर को खुद अंजाम देने होते हैं उनका फर्ज है और वे उस फर्ज को अंजाम देते हैं और नेशनल इंटरेस्ट (राष्ट्रीय हित) की वे चीजें हैं। इसमें वे तमाम कमेटीज आ जाती हैं जिनका जिक्र किया गया है। लेबर कमेटी, एजूकेशन कमेटी वग़ैरा वग़ैरा। कुछ साहबान कमेटीज के प्रेसीडेंट भी हैं। ये इस किस्म के काम हैं जो नेशनल वेल्यू के हैं, जो मेम्बरान के फरायज़ में से हैं, और जिनको उन्हें बहैसियत मेंबर पार्टी या बहैसियत मेम्बर लेजिस्लेचर अंजाम देने होते हैं। ऐसे ओहदे ऐक्सेप्ट करने में न उनकी यह नीयत होती है कि वे अपनी मेम्बरी को कता कर दें और न गवर्नमेंट की यह नीयत होती है कि वे उनको लेजिस्लेचर की मेम्बरी से अलहदा कर दें। सिर्फ कुछ लोगों की बाबत यह शक था क्योंकि यहां कोई तारीफ ऐसी न थी, कुछ जगहें ऐसी हो सकती थीं जिनकी बाबत मुमकिन था कि ख्याल होता, जिसका मेम्बरान अपोजीशन ने काफी फायदा उठाया और हंगामी बहस छेड़ दी कि वे आफिस आफ प्राफिट होल्ड (लाभ का पद धारण) करते हैं और इस वजह से उन्हें मेम्बरी से अल्हेदा होना चाहिये। अगर आप उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स को देखें जो १९४६ में हुई थी, और अगर आप उसको ग़ौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसमें इस किस्म का कोई सवाल तक नहीं उठाया गया कि उनको कोई पैसा मिलता है या नहीं मिलता। यह तो नीयत और मक़सद का सवाल है। देखा यह जाता है कि दोनों पार्टीज की इसमें नीयत क्या है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उस स्पीच में यह अल्फ़ाज़ मिलेंगे

All that is necessary is that there should be some material consideration as distinct from a purely spiritual consideration, some material advantage however small, and he accepts that as such and then it does not matter and it is quite irrelevant as to whether the recipient is out of pocket or loses money by it or not in the long run if he accepts it as such."

[जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि वहां शुद्ध आध्यात्मिक हित से पृथक कुछ भौतिक हित भी होना चाहिये, कुछ भौतिक लाभ चाहे वह जितना थोड़ा हो और उसको वह इस विचार से स्वीकार करता है और तब यह महत्वहीन हो जाता है और यह बिल्कुल असंगत है कि इस प्रकार अन्त में प्राप्तिकर्ता की जेब से धन जाता है अथवा उसे धन की हानि होती है अथवा नहीं, यदि वह इसको इस प्रकार स्वीकार करता है।]

आप ग़ौर करके देखेंगे तो असल चीज़ यह आती है कि ५ जगहें ऐसी हैं जो काबिल एतराज बताई गई हैं। हमारे इतने बड़े हाउस में जो कि २३२ का है यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने ५ मेम्बराने असेम्बली को फायदा

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

पहुंचाया है और इस वजह से उन्हें अलहदा करना चाहिये। अब हाउस को गौर करने की बात यह है कि जो ओहदा दिया गया है उसके मुताल्लिक़ उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं, और क्या उसके रहते हुए कोई ऐसी चीज हो जायगी जिसके मुताल्लिक़ यह समझा जाय कि उसमें गवर्नमेंट की यह नीयत थी कि उनको कुछ नाजायज फायदा पहुंचे, जिसकी वजह से वह मेम्बर असेम्बली न रहे। यह उस वक्त भी हो सकता है जब किसी मेम्बर ने इस नीयत से किया हो। हमने जो कुछ उनको दिया है उसके मुताल्लिक़ मेरे कलीग (सहयोगी) संपूर्णानन्द जी ने तफसील के साथ बयान कर दिया है कि उनको उन जगहों की वजह से क्या-क्या मुनाफे पहुंचते हैं।

आपने देखा कि जो श्री आचार्य जुगुल किशोर को मिलता है उसकी तफसील से बयान यह है कि उनको टोटल एमाउंट (पूर्णराशि) जो मिलता है वह सिर्फ ३०० रु० महीना है और उसके एवज में उनको इतना अहम काम करना पड़ता है। जो शख्स उनसे पहले उसी ओहदे पर था उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। ऐसी सूरत में किसी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत की नियत यह थी कि उन्हें यह ओहदा देकर उनके ऊपर कोई असर डाला जाय या वे इससे किसी किस्म का नाजायज फायदा उठावें। इस तरह के एप्वाइंमेंट (नियुक्त) को इंगलिस्तान में या कहीं पर भी आफिस आफ प्राफिट नहीं माना जाता है। इसी तरह से श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी का मामला है, जो चीफ आर्गनाइजर लेबर वेलफेयर सेंटर, यू० पी० हैं और जिनके मुताल्लिक़ एतराज किया गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि सिर्फ यह कि अपनी खिदमात का अंजाम वे अच्छी तरह से दे सकें, उनको चन्द फैसिलिटीज (सुविधाएं) बहम पहुंचायी गयी हैं और इससे यह मक़सद नहीं था कि उनको कोई नाजायज फायदा पहुंचाया जाय।

इसी तरह से श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी जी का मामला है जो जेड० ए० एफ० के सिलसिले में अपनी ड्यूटी का अंजाम देने के मुताल्लिक़ उनको सरकार की ओर से मुहय्या की गयी हैं। उनके सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि इस किस्म के फरायज का अंजाम कोई शख्स अपने घर से नहीं दे सकता और अगर वह मुनासिब समझती है कि इस काम के लिये उसकी सर्विसेज चाहिये तो अगर सरकार उस फरायज का अंजाम देने के लिये कोई ऐसी फैसिलिटीज (सुविधाएं) मुहय्या करे तो उसके लिये यह कहना कि यह आफिस आफ प्राफिट है, मेरे ख्याल से किसी तरह से उस माने में जो कि अल्फाज के माने यहां लगाए जाते हैं इंगलिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में नहीं लगाया जाता। चौथा मामला श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा का है। इसके मुताल्लिक़ भी आनरेबिल मिनिस्टर ने तफसील के साथ बयान किया था कि जिस तरह से फरायज एजूकेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक़ अंजाम देने के लिये उनको दिया गया है उसके लिये उन तारीखों में जब कि असेम्बली का सेशन (सत्र) नहीं होता और जब कि लखनऊ में रहना पड़ता है तो उस जमाने में उनको वही एलाउंस जो असेम्बली मेम्बरान को मिलता है यानी १० रु० रोज उनको दिया जाता है। और कोई एलाउंस नहीं दिया जाता है।

श्री खुशवक्त राय--उनको टेलीफोन मिला है कि नहीं ?

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है कि उनको टेलीफोन भी मिला हो और दूसरे मेम्बरान को भी मिला हो लेकिन वह महज इसी ख्याल से दिया गया है

कि अपने फरायज को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। इसका यह मंशा नहीं है कि वे अपने तौर पर कोई नाजायज फैसिलिटीज (सुविधायें) हासिल कर लें। अगर देखा गया कि नेशनल ड्यूटी, नेशनल फरायज का अंजाम देने के लिये उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहियें और जिसके न मिलने से अपने फरायज का अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे सकेंगे तो फिर उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह फैसिलिटी किसी बुरी नियत से दी गयी।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान् जी, आपको स्मरण होगा कि इधर से फोकस प्लेस [स्थान] पर है, प्राफिट [लाभ] पर नहीं है, प्राफिट क्या है, क्या नहीं है, इसमें यहां कोई बहस नहीं है। जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह जगह प्राफिट की है...

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मैं इसमें कोई फर्क नहीं समझता क्योंकि बाज जगह पहले थी और बाज जगह ऐसी थी जो पहले नहीं थी। जिस समय जरूरत हुई और यह समझा गया कि इस काम को अंजाम देना जरूरी है तो नयी जगह बना दी गयी। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि यह जगह पहले नहीं थी इसलिये महज किसी को मुआवजा देने के लिये ऐसा किया गया। मसलन श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी का ही मामला है। उन्नाव में जेड० ए० एक० के काम को अंजाम देने के लिये उनका तअय्युन किया गया और यह समझा गया कि इस जगह का होना जरूरी है और इसीलिये नेशनल खिदमात का अंजाम देने के लिये उनको फैसिलिटीज मुहय्या की गयीं। इसी तरह की फैसिलिटीज जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सब इसी किस्म की हैं जैसे, टेलीफोन, मोटरकार हैं। मोटरकार एलाउंस है, हाउस रेंट [घर का किराया] है। सब चीजें जिनका जिक्र कम्पेन्सेटरी एलाउंस (प्रतिकर भत्ता) में किया गया है। मैं इसलिये यह अर्ज करूंगा कि यह फैसिलिटीज जो उनको पहुंचाई गई हैं उनसे किसी तरह से यह नहीं समझा जा सकता कि फैसिलिटीज जो दी गई हैं इन हजरात को वह आफिस आफ प्राफिट के होल्ड करने पर यहां के मेम्बर बाकी नहीं रहेंगे। बहैसियत मेम्बर के उनको ये काम दिये गये और उसी तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया।

इसी तरह से श्री फूलसिंह का मामला है। उनके सामने ऐसी ड्यूटी थी कि जिसकी वजह से उनको दूर दूर का फासला तय करना पड़ा लेकिन उन्होंने कुछ पैसा भी गवर्नमेंट से नहीं लिया है। जिनको जरूरत नहीं होती है तो वह नहीं लेते हैं। तो क्या इसके माने यह नहीं हैं कि वह भी आफिस आफ प्राफिट में नहीं आता है? मगर वह भी इस कानून की जिद में आता है लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि बावजूद इसके उन्होंने उस आफिस को होल्ड (धारण) किया और उसके लिये कोई मुआविजा नहीं लिया। अपोजिशन (विरोधी दल) की तरफ से यह पांच मिसालें पेश की गई थीं जिनकी बाबत मैंने बतलाया कि महज इन लोगों के जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां की गई थी और उनसे कहा गया कि वह इसको अंजाम दें और इसी वजह से उनको यह फैसिलिटीज दी गई उस उसूल के मातहत जिसका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया...

श्री खानचन्द गौतम--माननीय मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि ५ मिसालें दी गई थीं। हम लोगों ने सिर्फ कैटेगरी (श्रेणी) बतलाई थी, गवर्नमेंट के नियुक्त किये गये स्पेशल आफिसर्स या किसी और पद पर नियुक्त हों या कोई जुडीशियल ड्यूटीज (न्यायिक कर्तव्य) हों। यह ५ नाम तो माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद पेश किये थे। बाकी फेहरिस्त को माननीय मंत्री को देना बाकी है उनको वह भी शामिल करें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—शायद आपको मालूम नहीं है कि आपकी ही तरफ से एक खत लिख कर आया था कि जिसमें ये पांच नाम बतलाये गये थे कि इन्होंने क्या क्या प्राफिट गवर्नमेंट से हासिल किया है। इसलिये मैं इसी बात पर अपने को कंसन्ट्रेट (ध्यान लगाना) कर रहा हूं। और नाम भी हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में ही सवाल किया गया था।

श्री खुशवक्त राय—मैंने जो फेहरिस्त मांगी थी उसमें इस सदन के सारे मेम्बरों के नाम दिये गये थे। हम तो यह चाहते थे कि हमको यह बतलाया जावे कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक डिस्क्वालिफाइड (अनर्ह) हो गये हैं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है हमको यह नहीं मालूम था कि आपको तरफ से क्या बहस होगी। अगर हम उस फेहरिस्त को काट डालते तो यह कहा जाता कि साहब देखिये यह नाम छिपा लिये गये हैं। लेकिन जहां तक कानून का ताल्लुक है हम सबको बराबर मानते हैं और एक निगाह से देखते हैं। अगर एक कोई आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) लेता है तो जितने हैं वह सब उसी इल्जाम में मुर्तकिब हो जाते हैं।

श्री खुशवक्त राय—उसके अन्दर श्री रामेश्वर सहाय का नाम नहीं है।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—जी हां, उनका नाम भी उसके अन्दर है। कोई नाम ऐसा नहीं है जो उसके अन्दर न हो और न जिक्र किया हो। मैं तो उनको ही बतला रहा हूं जो उस खत में थे और वे ही लोग हैं जिन्होंने कोई खास मुलाजमत को अंजाम दिया है। यह नाम उसी लिस्ट में थे। एक नाम उसके अन्दर नहीं था लेकिन उसके लिये जरूरत समझी गई तो मैं उसका भी जिक्र करता हूं। वह हैं अब्दुल गनी अन्सारी साहब जिनको बहैसियत काम करने के लेबर इन्क्वायरी कमेटी (श्रम परिप्रश्न समिति) में करीब १,५०० रुपया दिया गया है। अभी उनका २,००० ० और बाकी है। यह महज इस वजह से उनको दिया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट के काम को अंजाम दिया और उसी उसूल के मातहत जो कि मैंने आपके सामने रखा है। लिहाजा यह बहस करना कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को रुपया देकर अपने मुआफिक कर लिया है ग़लत साबित हो जाता है। बावजूद इसके कि उन्हें मुनाफा हो गया लेकिन अन्सारी साहब जो हैं वह आज उस पार्टी में हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है और अपोजीशन (विरोधी दल) में है और इसका कोई असर उन पर नहीं है और यकीन है कि उनमें से कोई भी ऐसी कमजोर कान्शेंस (अन्तः-करण) का नहीं है कि गवर्नमेंट अगर उनको ओहदा दे दे या चन्द फैसिलिटी (सुविधा) दे दे तो उसकी वजह से वह अपने कान्शेंस (अन्तःकरण) को बेंच कर गवर्नमेंट का साथ देगा।

इस गवर्नमेंट की बुनियाद चन्द वसूलों पर है और कांग्रेस पार्टी जो बनी है उसके पीछे भी एक ट्रेडीशन (परम्परा) है और वह एक दो दिन की नहीं बल्कि २५ साल और सालहासाल की ट्रेडीशन्स (परम्पराएं) उसकी हैं और महात्मा गांधी के जेरे सरपरस्ती वह डेवलप (विकसित) हुई है और सब जानते हैं कि उन उसूलों की वजह से ही एक नहीं लक्खा आदमी हर तरह की जानोमाल की कुर्बानी के लिये तैयार हो गए। आज से ५ साल पहले यह पार्टी बरसरे हक़तदार आई और यहां आज सन् ५१ में इसके ऐवान के २३२ मेम्बर हैं जिसमें से कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ (सदस्य संख्या) खुद की १६० के करीब है इस हाउस में। इसलिये यह कहना कि वह अपनी मेजारिटी (बहुमत) ५ या ६ आदमियों को फायदा पहुंचाकर बनाये रक्खेगी एक मजहकाखेज इल्जाम है जो क़तई मोहमिल व लगो है जिसके कोई मानी नहीं हैं और इस चीज को सब लोग समझ सकते हैं।

बहरहाल यह खास खास इल्जामात थे कि जो लगाये गये थे। मुझसे तफसीलात मांगी गई थीं वह भी जो मैं बहम पहुंचा सका वह मैंने पेश कर दीं।

पहली चीज गौतम जी ने अपने बयान में फरमाते हुए मुझसे यह मालूम की थी कि क्या आबजेक्ट (उद्देश्य) और क्या लीगल ओपीनियन (विधिक मत) की बुनियाद थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस तरह का कानून लाने की जरूरत हुई। इसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आर्टिकिल (लेख) अखबार में निकले जिनमें आफिस आफ प्राफिट की बात उठाई गई और इसी वजह से हमारे यहां इस चीज का ख्याल हुआ कि इस तरह का कानून बनाया जाना जरूरी है चुनांचे अनुच्छेद १९१ के खंड (२) के मातहत यह कानून बनाने का ख्याल पैदा हुआ और कोई वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं दिखला सकूं कि फलां बेसिस (आधार) पर यह इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद हमसे आफिस हेल्ड बाई मेम्बर्स (सदस्यों द्वारा धारण किये गये सदस्यों) की लिस्ट मांगी गई। उसकी तफसील की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने पूरी लिस्ट जिनको टी० ए० वगैरह मिलता रहा है जिसके मुताल्लिक कोई प्राविजन (उपबंध) पहले से नहीं था, हमने सबकी लिस्ट बनाकर दे दी। अगर किसी खास नाम के बारे में कोई जानना चाहे तो अपोजीशन का फर्ज है कि वह हमारी इत्तला में लावे और चूंकि ५ मेम्बर्स के बारे में मालूम किया गया था इसलिये उनके बारे में मेरे साथी श्री सम्पूर्णानन्द जी ने बयान कर दिया था। जो कमेटी हुई थी उनका हवाला भी दे दिया गया था और जितनी भी सब-कमेटी (उपसमिति) हैं उनका भी जिक्र कर दिया गया। यह भी हवाला देना चाहता हूं कि जहां तक कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का बिल है उसकी कापी भी हमारे मेम्बर आफ दि अपोजीशन के पास है और मेरे पास भी है। उसके देखने से मालूम होगा कि उसमें भी रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) की बात है और उसमें कोई गलती नहीं मालूम होती है। हमने जो मौजूदा बिल को तैयार किया है वह महज मौजूदा लेजिस्लेचर के लिये बनाया है और उसकी तफसील हमने सेक्शन ३ में इन अल्फाज में कर दी है—

"Whereas doubts have been expressed regarding offices hereinafter mentioned being offices of profit;

Now, therefore, for the removal of doubts it is hereby declared that the—

(*a*) honorary offices for advising the State Government,

(*b*) honorary officers for the performance of any Special Duty, or

(*c*) offices of the Chairman or Members of a Committee appointed by the State Government or Central Government,

shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being Members of the State Legislature constituted under Article 382 of the Constitution of India:

Provided that the holders of the offices aforesaid have been in receipt merely of compensatory allowance in accordance with any general or special order applicable thereto."

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

[इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रकट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं—

अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८२ के अधीन निर्मित्त विधान मंडल के सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे :

(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद,

(ख) किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिये अवैतनिक पद, या

(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद ।

किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस विषय में प्रवृत्त सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा केवल प्रतिकर भत्ता ही मिलता रहा हो।]

लिहाजा इस कानून का निफाज महज इस लेजिस्लेचर के मेम्बर्स पर ही होगा और उसके बाद लेजिस्लेचर कांस्टीटयूशन के मातहत मुन्तखिब होकर आवेगा उसके लिये दूसरा कानून बनेगा।

जहां तक कि बक़िया अमेंडमेंट्स का सवाल है उन सबके लिये यहां अलहदा अलहदा कहने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, अगर आप चाहेंगे तो उनके मुताल्लिक़ अलहदा अर्ज करूंगा। यह में जरूर कहूंगा कि जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी की तजवीज आई उसे हमने मंजूर किया। इसके मानी यह थे कि हम यह चाहते थे कि जो आपकी लेजीटिमेट (वैध) शिकायतें इस कानून के मुताल्लिक़ हों उनको आपस में बैठ कर ठंडे दिल से गौर करके रफा करने की कोशिश करें। लेकिन जब आपने खुद उस तजवीज को वापस ले लिया और यह तय किया कि उसे आप मूव (प्रस्तावित) नहीं करेंगे तो उसके बाद हम पर यह इलजाम लगाना कि हम आपके अमेंडमेंट नहीं मान रहे हैं मेरे ख्याल में यह बिल्कुल ग़लत और बेउसूली बात होगी। मेरे दोस्त मिस्टर गौतम ने एक मिसाल दी थी कि—

"The holders thereof for being Members of the State Legislature constituted under Article 382 of the Constitution of India:

If he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; he should be declared so by a competent court."

[उन पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८२ के अधीन निर्मित विधान मंडल के सदस्य होने के लिये :

यदि वह विकृत चित्त है और वह सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; उसको ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना चाहिए।]

अगर कोई आदमी पागल हो जाय तो वह उस तरीके से मेम्बर नहीं रहता। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह ख्याल उनका सही नहीं है क्योंकि बाज वक्त यह भी होता है कि कोई आदमी पागल है और उसे यह नहीं मालूम होता कि वह पागल है। इस बुनियाद पर इसमें कोर्ट की बात रखी गई है। दूसरे फिर वह गवर्नर साहेब के

पास भेजा जायगा। चुनांचे इस सिलसिले में जरूरत होगी कि उसके पहले तफतीश की जाय और तभी वह शख्स मेम्बर होने से अलहदा किया जा सकता है। इसी तरह से यह है कि—

"If he is not a citizen of India, or if he is disqualified by or under any law made by Parliament.

The seat becomes vacant and the man ceases to be a member of the Legislature."

[यदि वह भारत का नागरिक नहीं ह, अथवा यदि वह संसद् द्वारा निर्मित विधि के अधीन अथवा विधि के द्वारा अनर्ह हो।

स्थान रिक्त हो जाता है और विधान मंडल से उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जायगी।]

बहरहाल, जैसा मैंने पहले अर्ज किया मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। वह गालिबन इन सब एतराजात का जवाब ह। दो सूरतें हैं, एक तो यह है कि जिसमें फारन डिसक्वालिफाई (अनर्ह) होता है और दूसरी सूरत में यह है कि अगर गवर्नर साहेब के यहां जाता है तो वह उसका फैसला करते हैं इलेक्शन कमिश्नर से सलाह करने के बाद कि आया वह डिसक्वालिफाई होता है या नहीं। मैं इस वजह से यह अर्ज करूंगा कि बहुत सी और बहसें जो उठाई गई थीं वे कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती हैं और उनका जवाब करीब करीब इसमें आ गया है। मैं नहीं चाहता कि हाउस का ज्यादा वक्त लूं। मोटी मोटी बातें मैंने तफसील में अर्ज कर दी हैं। मेरे ख्याल में इस कानून में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से अल्ट्रावायर्स (अवैध) समझा जाय या करार दिया जाय या यह समझा जाय कि इसमें कोई बात खिलाफ कानून शामिल की गयी है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल का फर्स्ट रीडिंग (प्रथम पठन) पास की जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह—श्रीमान्, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनकर मेरे मन में कुछ शंका पैदा हुई और मैं उसका समाधान करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे संबंध में जो कुछ फरमाया है मैं उसकी सफाई भी देना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) का एक प्रस्ताव था वह वापस ले लिया गया और उसका वापस ले लेना एक बड़ी बेउसूल की बात है। मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं। मैं समझ नहीं सका कि सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव देकर उसको वापस ले लेने में कौन सी बेउसूलों का मैं मुजरिम हो गया। माननीय मंत्री जी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। श्रीमान, मैं समझता हूं कि मेरा यह हक है कि जब मैं कुछ निवेदन करूं तो मुतालिलका मंत्री साहब जो हों कम से कम वह मेरी बात गौर से सुनें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने मेरे संबंध में यह फरमाया कि सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव की सूचना मैंने दी थी संशोधन के रूप में। उसे वापस लेकर मैंने एक बेउसूल का काम किया। मैं नहीं समझ सका कि इसमें क्या बेउसूली इनवाल्व्ड (सम्मिलित) थी। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उसे साफ करने की कृपा करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जो बात मुझे खटकी वह यह है कि जो यह विधेयक हमारे सामने पेश है क्या इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार के लिये यह संभव नहीं होगा कि वह असेम्बली या कौंसिल के मेम्बरान को जुमला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के और जितने भी सरकारी ओहदेदार हैं बड़े-बड़े और छोटे-छोटे, उनके ऐडवाइजर बनाकर कुछ न कुछ रकमें उन्हें बतौर एलाउन्स के दे सकें? क्या इस बिल के पारित हो जाने के बाद सरकार के लिये यह मुमकिन हो सकेगा या नहीं कि वह एम० एल०

[श्री त्रिलोकी सिंह]

ए० को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऐडवाइजर बना दें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बना दें, रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज के ऐडवाइजर बना दें और जुमला जितने भी सरकारी ओहदेदार साहबान हैं उनके ऐडवाइजर बनाकर......

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य को भाषण देने का अवसर नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह--यह मेरा एक क्वेश्चन (प्रश्न) था, श्रीमान्। जो भाषा में बोला था शायद वह माननीय मंत्री जी पर पूरे तौर पर साफ नहीं हो पायी थी। इसलिये मैंने कुछ शब्द हिन्दी और हिन्दुस्तानी में दोहराये।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जहां तक कि पहले सवाल का ताल्लुक है, मुझे सिर्फ इतनी शिकायत है उसके मुताल्लिक कि जो अपोजीशन के बाज मेम्बरों ने तकरीरें कीं उनसे यह मालूम हुआ कि उनको उसूली तौर पर इस बिल से एतराज नहीं है। मसलन, श्री गौतम जी ने अपनी स्पीच में यह कहा था कि जहां तक उसूल का ताल्लुक है ऐसा कानून तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर (विधान मंडल) में ला सकती है, लेकिन जिस तरह से लाया गया है उसकी वजह से ऐसे लोग मुस्तसना हो जायेंगे जिनको नहीं होना चाहिये। मुझे शिकायत यह थी कि अगर उसके उसूल से कोई एतराज नहीं था तो उसके बाद यह कि इसके अल्फाज दुरुस्त हैं या नहीं, इन चीजों की बहस सेलेक्ट कमेटी में हो सकती थी। लेकिन सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और फिर इसकी शिकायत करना हाउस में यह गालिबन उसूल के खिलाफ है। यही मेरी मंशा थी और उसी पर अब भी कायम हूं और जबकि उन्हीं के खुद एक लीडिंग मेम्बर (प्रमुख सदस्य), डिप्टी लीडर आफ दि अपोजीशन (विरोधी दल के उपनेता) से यह कह दिया कि गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिये तैयार है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति जी, मुझसे सिर्फ उस पार्टी के चीफ ह्विप (मुख्य सचेतक) ने यह कहा था। मुझसे माननीय मुख्य मंत्री से कभी कोई बात किसी किस्म की नहीं हुई। सिर्फ मुझसे चीफ ह्विप साहब ने जरूर कहा था कि यह जो सात रोज का वक्त दिया गया है यह जुमे तक आ जाय तो कोई एतराज नहीं है। तो मैंने उस पर यह कहा कि अगर यही है कि शनिश्चर और इतवार को सदन की बैठक नहीं होगी, सोमवार तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। उस पर चीफ ह्विप साहब मान गये थे और मेरा ख्याल यह था कि जब इंचार्ज (प्रभारी) ने इसको मान लिया है तो गवर्नमेंट खुद इसका प्रस्ताव पेश करेगी। इसलिये हमारा वह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अब मालूम नहीं क्यों सरकार ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि वह सेलेक्ट कमेटी में भेजे। यह भी मैं नहीं जानता, यह न्याय मंत्री जानें या मुख्य मंत्री जानें या उनके चीफ ह्विप जानें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल, गवर्नमेंट इसको अपोजीशन की मंशा के खिलाफ सेलेक्ट कमेटी में भेजना नहीं चाहती थी। जिस वक्त उधर से यह तजवीज पेश की गयी थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये तो हमने यह इत्तिला कर दी थी कि हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन बाद को गोपाल नारायण जी ने कहा कि हम इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहते और हम इस रिजोल्यूशन (संकल्प) को मूव (प्रस्तावित) नहीं करेंगे। हम यह जरूरी नहीं समझते थे कि जब वह रेजोल्यूशन अपोजीशन की तरफ से आया और बिदड्रा (वापस) कर लिया गया तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से मूव हो। गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती यह मामला सेलेक्ट कमेटी में जाय। तो इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि अब इसके लिये वक्त नहीं है।

अधिष्ठाता--माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक पर विचार किया जाय,

एक संशोधन श्री अम्मार अहमद खां का है जो कि इस भवन के सम्मुख पेश हो चुका है और वह यह है कि विधेयक को ३० दिन के भीतर जनमत संग्रह के लिये गजट में प्रकाशित किया जाय। पहले मैं इस संशोधन पर भवन का मत जानना चाहूंगा।

प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक को ३० दिन के भीतर जनमत संग्रह के लिये सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--१९

अब्दुल बाकी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगाधर, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नारायण दास, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद याकूब, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सरवत हुसैन, श्री

विपक्ष में--५४

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कृपा शंकर, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम लाल वैद्य, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
भगवती प्रसाद दूब, श्री
भगवान सिंह, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मिजाजी लाल, श्री
महम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लोटन राम, श्री

वंशीधर मिश्र, श्री	सीताराम अष्ठाना, श्री
वीरबल सिंह, श्री	सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री	हुकुमसिंह, माननीय श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	होती लाल अग्रवाल, श्री

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषा

इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर "प्रतिकर भत्ता" (compensatory allowance) का तात्पर्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता या घर के किराया भत्ता से है।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की दूसरी पंक्ति में शब्द "यात्रा भत्ता" के बाद के अर्ध विराम के चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर "या" रख दिया जाय और एक संशोधन और है जो इसी से सम्बद्ध है और इसी के सिलसिले में है और जो गलती से आगे जा करके छप गया है कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में शब्द "वाहन-भत्ता या घर के किराया भत्ता" निकाल दिये जायं। आपको अनुमति हो तो दोनों प्रस्तुत कर दूं। तो उसके बाद इस संशोधन का रूप यह बनेगा "यात्रा भत्ता" के बाद अर्धविराम हटा दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय और "वाहन भत्ता" और "घर के किराया" यह शब्द निकाल दिये जायं। "यात्रा भत्ता" और "दैनिक भत्ता" यह रह जायंगे।

श्रीमन्, अभी अपनी दूसरी तक़रीर में माननीय न्याय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि जहां तक डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) का सम्बन्ध है उसमें आय या नुक़सान होता है या कितना होता है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है।

मेरा ख्याल है कि उन्होंने सेलेक्ट कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको ठीक समझ कर के ही यह स्वीकार किया है। फिर भी अगर कोई ऐसी कमेटी नियुक्त करनी पड़े जो इस क्वालिफिकेशन (अर्हता) के अन्तर्गत न आ सकें उनके लिए क्या खर्चा यहां मंजूर किया जाय इस के लिए हमारा यह संशोधन है।

साधारणतया, माननीय सदस्यों को, ऐडवाइजरी कमेटियों के सदस्य होने की हैसियत से जो भत्ता और आने जाने का मार्ग व्यय मिलता है, केवल वही इसमें शामिल किया जाय, जिसको मुस्तसना करना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इसमें कि माननीय न्याय मंत्री जी को कतई कोई आपत्ति नहीं होगी और दूसरे भत्ते जो दिये हुए हैं उनको निकालने में वह सहमत हो जायंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते और इसमें शामिल करते हैं, मकान का किराया और दूसरे खर्चे, जैसे कार का भत्ता, टेलीफोन का खर्चा तो वह तमाम मिल कर इतना खर्चा अलबत्ता होता है जो साधारणतया आपत्तिजनक समझा जाय। और फिर वह किसी सूरत से डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) की सीमा के बाहर नहीं बच पायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे और वे कमेटियां जिनको आवश्यक समझ कर उनमें माननीय सदस्यों की नियुक्ति की जाय उनको तो कम से कम इस डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) की परिधि से बाहर निकाल दगे।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री खानचन्द गौतम ने जो संशोधन इस भवन के सामने उपस्थित किया है उसके पीछे एक सिद्धांत की बात है। वह सिद्धांत यह है कि हम किसी को जो प्रतिकर भत्ता देते हैं उसके सिर्फ एक ही अर्थ होते हैं कि उस का जो खर्चा अपनी जेब से हो उसको पूरा कर दिया जाय। अंग्रेजी में जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किये गये हैं वह आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज (जेब से किये गये व्यय) हैं। आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज को पूरा करने के लिए जो प्रतिकर भत्ता दिया जाय तब तो ठीक है वरना यह बात नहीं होती है। प्रतिकर भत्ते में, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि माननीय न्याय मंत्री का ख्याल है कि वे बातें होनी चाहिए और जो शामिल की जाने वाली है और जो उन्होंने भाषण दिया उसमें इसकी चर्चा भी की है। वे बात उन्होंने इसलिए जोड़ी हैं कि बाद में कोई संशय न हो। यह बात उचित न होगी और इसलिए उचित नहीं होगी कि जितनी जगह इस तरह से प्रजातांत्रिक राज्य हैं उन सब जगह इसी तरह की बात है जसी संशोधन के द्वारा हम चाहते हैं। अगर आप मकान का किराया और मोटर वाहन ये सब रख देते हैं तो मानी हुई बात है कि वह बात नहीं रहेगी जो खाली दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के देने से रहती है। यात्रा भत्ता या किराया भत्ता इसलिए दिया जाता है कि वह किराया खर्च करके आता ही है। वह यहां आकर के रहता है उसमें उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। उसको रहने और खाने का खर्च देना पड़ता है, इसलिए अगर आप दैनिक भत्ता दें, तो यह भी ठीक है। परन्तु इससे अधिक देने से चाहे वह किराये के रूप में हो, चाहे टेलीफोन के रूप में हो या मोटर के रूप में हो, मुनासिब बात नहीं है। इसलिये श्री खानचंद गौतम जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, जो तजवीज अभी गौतम जी ने पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे वजीर साहब ने जो फेहरिस्त हम लोगों के सामने पेश की है उसको देखते हुये इतना ही जरूरी है जितनी कि गौतम जी की तजवीज है। इसी को इस बिल में रखा जाय। आगे कोई चीज नहीं बढ़ानी चाहिये। जो उसूल इसके अंदर है वह यह है कि जो मेम्बरान अपने निजी काम के अलावा सरकारी काम की गरज से यहां आये उनको मौका है कि वह तमाम इखराजात जो वह अपनी जेब से देते हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। उनके वास्ते एक उसूल बन चुका है। वह यह है कि जो असेम्बली के मेम्बरान है उनको डी० ए०, टी० ए० (दैनिक तथा यात्रिक भत्ता) लेने का अख्तियार है।

मैं समझता हूं कि इस फेहरिस्त में जो हम लोगों के सामने वजीर साहब ने दी है उसमें कोई भी इस क़िस्म का आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) नहीं रखता है और न देखा गया है जिसके अंदर किसी को ज्यादा अलाउंस देने की नौबत दरपेश आये। यह बात दूसरी है कि आप महज तीन-चार आदमियों की वजह से या किसी एक खास आदमी की वजह से कोई उसूल बना रहे हों। यह गलत चीज है कि एक आदमी की वजह से आप एक उसूल बना रहे हैं। एक आदमी पर दुनिया नहीं चला करती है और न कोई उसूल बना करता है। मुझे कोई इससे मतलब और वास्ता नहीं है कि आपने किस को क्या क्या दिया है और क्या क्या देने का आगे प्रोग्राम रखते हैं। मक़सद सिर्फ यह है कि इस चीज का प्राविजन (उपबंध) वाजे और साफ हो जाना चाहिये कि अगर इस असेम्बली के अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ के मेम्बरान से कोई काम लेगी या कोई आफिस आफ प्राफिट देगी तो वह किसी हुदूद तक महदूद होगा जिनका फायदा मेम्बरान असेम्बली उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर साहब इस तरमीम को जो नेकनियती के साथ पेश की गई है, जिसमें किसी क़िस्म की मुखालफत का जज्बा नहीं है, इसको वह मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाब सदर, जहां तक इस तजवीज का ताल्लुक है मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट मंजूर नहीं कर सकती है। इसकी वजह यह है कि बाज ऐसे

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

अप्वाइंटमेंट्स [नियुक्तियां] हुये हैं जिनमें हमें इस बात की जरूरत हुई है कि ऐसे मेम्बरान जो दूसरे शहर में रहते हैं और लखनऊ उनका वतन नहीं है और यहां पर बुलाकर रखे गये हैं ताकि जितने ऐसे काम जो लेजिस्लेचर के या नेशनल बिल्डिंग के हैं, उनको दिये जायं। इसलिये जब गवर्नमेंट बुलाती है तो लाजमी तौर पर हाउस एलाउंस, कन्वेयेन्स एलाउंस [यात्रा भत्ता] वगैरा, देना पड़ता है। हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि इखराजात बर्दाश्त कर सके। फरायज अच्छी तरह से वह अंजाम दे सके। इसलिये यह चीज देना पड़ती है। बहरहाल गवर्नमेंट लिहाज रखती है, रखेगी और रखती रही है कि ऐसे अलाउंसेज करीब २ वही हों जो एक्चुअल एक्सपेंसेज (वास्तविक व्यय) होते हैं। अब इस उसूल पर मेम्बर आफ दि अपोजीशन (विरोधी दल के सदस्य) की तरफ से कहा गया है कि पाकेट एक्सपेंसेज (जेब खर्च) से ज्यादा न हों। यह दूसरी बात है कि असेम्बली के मेम्बरान को फर्स्ट क्लास मिलता है और वह सेकेंड क्लास में सफर करते हों। गवर्नमेंट उनको वही देती है जो रीजनेबिल (उचित) और लोएस्ट (निम्नतम) होता है, जो फरायज अदा करने के लिये जरूरी होता है। कोई नाजायज फायदा देने की गवर्नमेंट की नियत नहीं होती है और न मेम्बरान ही यह समझकर लेते हैं कि उनके ऊपर कोई आब्लीगेशन (दायित्व) रखा जा रहा है। बल्कि वह जो नेशनल काम करते हैं जो जरूरियात की जरूरत होती है वह पूरी की जाती है।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान्, मुझे बड़ा ताज्जुब है माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया जिसमें मैंने यह प्रस्ताव किया कि जो कम्पेंसेटरी एलाउंस (प्रतिकर भत्ता) है, दैनिक भत्ता और मार्ग व्यय जो साधारणतया हम लोगों को मिलता है उसी पर सीमित कर दिया जाय और मेरी निगाह में वह चीज भी थी, वह बहस में भी थी, वे सारी बातचीतें थीं जो लेजिस्लेचर मेम्बर्स एमालुमेंट ऐक्ट के समय यहां कही गई थीं। हम लोगों को २०० रुपये महीना एक एलाउंस मिलता है। जिस समय लेजिस्लेचर में आते हैं या किसी और काम पर किसी कमेटी में आते हैं जैसी कमेटी से सम्बन्ध इस संशोधन से है उनमें १० रुपये रोज अलग मिलेगा और ड्योढ़ा फर्स्ट क्लास किराया मिलेगा। जो परिस्थिति प्रदेश में है उसके ख्याल से यह खर्चा ऐसी किसी सूरत में यह नहीं समझा जा सकता कि दिन प्रतिदिन का खर्चा शहर में बाहर रहने के बाद भी कोई माननीय सदस्य न निकाल सकते हों। इसी ख्याल से मैंने यह संशोधन पेश किया कि अगर कोई माननीय सदस्य ऐसे किसी काम से अपने शहर से बाहर जाते हों तो उनका काम चल सकेगा। इसमें बचत का तो कोई सवाल सामने रख कर न मैंने यह संशोधन पेश किया और न इसके संबंध में कोई आपत्ति आने की बात है।

हम अपने घरों से इस विधान सभा के अधिवेशन के लिये आते हैं, दो-दो महीने हमको लखनऊ में रहना पड़ता है और अगर हमारे लिये यह संभव होता है कि दो दो महीने हम लखनऊ में रहें और रोज १४ रुपये प्रति दिन डेली एलाउंस (दैनिक भत्ता) पर हम काम कर सकें तो मैं नहीं समझता कि यह क्यों सम्भव नहीं होगा कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी कमेटी में नियुक्त हों और उसके लिये बाहर जायं तो वह १० रुपये प्रति दिन पर काम क्यों नहीं चला सकते। अगर कुछ अधिक समय के लिये यह सवाल हो तो तीन-तीन महीने का अस्थायी निवास तो हम लोगों का भी लखनऊ में हो जाता है। अगर हम लोगों का इतने समय तक यहां रहना १० रुपये के एलाउंस में सम्भव है तो मैं नहीं समझता कि किसी कमेटी में रहने वाले कोई सज्जन अपने कार्य काल में क्यों नहीं काम चला सकेंगे। हां एक बात जरूर है। इस तरह से संतोष अवश्य उन लोगों को नहीं होगा जो घरबार बना कर और बड़े आराम के साथ उस काम को करने में लगेंगे जो सरकार उनके सुपुर्द करेगी। मगर हम यहां पर विधान सभा के सदस्य हैं, अपने काम को हम जानते हैं, हुकूमत के इशारे से या हुकूमत के हुक्म से या हुकूमत से नियुक्ति पाकर महीने, दो महीने या साल भर काम करने के लिये यहां नहीं

आये हैं। इस वजह से कोई ऐसा पद मेरी निगाह में यह संशोधन पेश करते वक्त नहीं था जिसके लिये अलग से व्यवस्था करने की जरूरत हो। मैं फिर भी यह समझता हूं कि जो संशोधन मैंने रखा है वह हर काम के लिये, जो कम्पेन्सेटरी एलाउंस दिया जाता है, काफ़ी है जो न्यायपूर्वक ढंग से मेम्बरों से लिया जा सकता हो। इसलिये मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--श्रीमान्, मुझे कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना है। सिर्फ यह कहना है कि जहां तक इन एलाउंसेज का ताल्लुक़ है यह सही है कि एक वक्त में सिवा इसके कि कोई खास सूरत हो, किसी आदमी को एक से ज्यादा एलाउन्स नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स बाहर जाता है तो उसको टी० ए० मिलेगा। उस दिन का डी० ए० नहीं मिलेगा। इसी तौर से डी० ए० मिलेगा और उस दिन ट्रवेल करेगा तो डिपेंड (निर्भर) करेगा मोड आफ ट्रवेलिंग (यात्रा की विधि) पर कि आया उसने स्टाफ कार से ट्रैवल किया है। बहरहाल यह चीजें गवर्न (शासित) होंगी रूल्स से जो बने हुए हैं। उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने न कुछ मुक़र्रर किया है न इरादा है मुक़र्रर करने का। उसी के मुताबिक यह चीजें दी जाती हैं। हम हमेशा रूल्स से गवर्न (शासित) होते हैं और होंगे। यह शकूक बिला वजह है कि कोई नाजायज फायदा उठाने के लिये यह क़ानून बनाया गया है। मक़सद उसका यही है कि अल्टीमेटली (अन्ततः) ऐसी फसीलिटीज (सुविधाएं) मुहैया की जायं, बगैर इसके कि वह कोई फायदा उठा सकें, वह अपने फरायज अदा कर सकें। जब कोई शख्स बाहर से यहां आकर रहता है तो अगर उसको ऐसी सहूलियतें न दी जायं तो जाहिर है कि वह अपने फरायज को अंजाम नहीं दे सकता। यह भी जाहिर है कि उनको सिर्फ कनवेयंस अलाउन्स (वाहन भत्ता) या हाउस अलाउन्स ही मिलता है इसलिये इसका मक़सद यह नहीं है कि वह फायदा उठाते हैं इसलिये मैं समझता हूं। कि यह शकूक ग़लत है और जिस तरीक़े से यह खंड गवर्नमेंट ने पेश किया है, उसे मंजूर किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ की दूसरी पंक्ति में शब्द "यात्रा भत्ता" के बाद अर्धविराम का चिन्ह हटा कर उसके स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ से शब्द "वाहन भत्ता या घर का किराया भत्ता" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--१७

अब्दुल बाक़ी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगाधर, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
रामकुमार शास्त्री, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सरवत हुसैन, श्री

विपक्ष में--४७

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री

कृपा शंकर, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
दयालदास भगत, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमलाल वैद्य, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लीलाधर अष्ठाना, श्री
बीरबल सिंह, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री राम शंकर लाल--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "वाहन भत्ता या घर का किराया" के स्थान पर शब्द "घर के किराया भत्ता या वाहन भत्ता, जिसके अन्तर्गत राज्य के व्यय पर दिया और रखा गया वाहन है" रख जायं।

यह जो धारा २ है उसमें जो परिभाषा दी गयी है उसमें जो शब्द पहले रखे गये थे उनको और साफ करने की दृष्टि से यह संशोधन पेश किया गया है और आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मुझे यह मंजूर है क्योंकि इससे जो कमी रह गई थी वह पूरी हो जाती है और मतलब साफ हो जायगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "वाहन भत्ता या घर के किराया भत्ता" के स्थान पर शब्द "घर के किराया भत्ता या वाहन भत्ता, जिसके अन्तर्गत राज्य के व्यय पर दिया और रखा गया वाहन है" रखे जायं।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति) पेश करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--अब कोई प्वाइंट आफ आर्डर पेश नहीं हो सकता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय --

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता किसी भी अवस्था में उससे अधिक न होगा जो सदस्यों को यू०पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स एमाल्यूमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मिलता है।"

अपने पहले संशोधन के कारण और हमारे संशोधन को प्रेरित करने वाली भावना के संबंध में जिक्र करते हुए मैं बता चुका हूं कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं। मुझे कोई नई बात नहीं कहना है केवल इतनी बात फिर से कहूंगा कि इस समय जैसी स्थिति इस प्रदेश में

है कि लोगों की आय इतनी है कि लोगों का खर्च नहीं चलता और यहां कर्मचारियों के वेतन जिस रफ्तार से बढ़े हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर कोई मेम्बर यह चाहें कि उनकी गुजर ५०० रुपये से कम में न होगी और डचोढ़े फर्स्ट क्लास के किराये के अतिरिक्त उनको व्यय करना चाहिए तो मैं उनकी इस बात को उचित नहीं समझता हूं। साधारणतः इन नियमों के अनुसार ५०० रुपया मासिक का खर्च उन माननीय सदस्यों का खर्च पड़ेगा जो कम्पेनसेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) का बिल बनावेंगे और इससे अधिक किन्हीं माननीय सदस्यों को किसी खास सेवा के लिए कानूनी ग्रांट (अनुदान) देना न सिर्फ हुकूमत के लिए नामुनासिब है बल्कि मैं समझता हूं कि अभी कुछ समय तक माननीय सदस्यों को इस तरह से अपने लिए खर्च लेने के कारण उनकी स्थिति सार्वजनिक जीवन में अप्रिय होगी और उनको सफाई देते नहीं बनेगी। केवल इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति जी, जो संशोधन अभी मेरे मित्र खान चन्द गौतम जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन में कोई नई बात नहीं बल्कि इस संशोधन का यह मकसद है कि किसी तरीके से किसी चीज का तअय्युन हो जाना चाहिए और फिक्सेशन (स्थिरीकरण) हो जाना चाहिए और यह न हो कि सरकार मनमाना जिस मेम्बर को चाहे जहां दे सके। हमने जब इस बिल की मुखालिफत की थी तो उस वक्त भी हमने यही इजहारे ख्याल किया कि सरकार के हाथ में इस तरह से मनमाना पेट्रोनेज (संरक्षण) बांटना और उसका प्रोविजन (उपबंध) रखना यह सही चीज नहीं है। मुझे खेद है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। मेरा तो खयाल था कि जब इस तरह के बिल लाये हैं तो इस बिल में कोई यह नहीं कहता था कि आप डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) का रिमूवल (निवारण) न करें। जैसा कि माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लाने के तो यह विरोधी दल जरूर माफिक है लेकिन इस बात की मुखालिफत कर रहा है। वाकया यह है कि हम जो मुखालिफत कर रहे हैं वह इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं कि यह मनमाना न रखा जाय। इस संशोधन के जरिये से भी हम सरकार को यही बतला देना चाहते हैं कि १० रु० रोज और १ १/२ ई० फर्स्ट क्लास से ज्यादा सरकार किसी को न दे सके। मेरी समझ में तो आता नहीं कि अगर सरकार की मंशा यह है कि वह ज्यादा नहीं देना चाहती है जैसा कि सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि हमने कानून में तो इस चीज को रख दिया है लेकिन इससे ज्यादा किसी को न देंगे। अगर सरकार की मंशा यही है कि किसी को ज्यादा नहीं देंगे तो फिर इस चीज को मान लेने में हर्ज ही क्या है कि १० रुपया रोज हो और रेल का किराया १ १/२ रु० फर्स्ट क्लास का हो। हमारा संशोधन भी यही कहता है। फिर इसको मान लेने में सरकार को क्या दुश्वारी होती है मेरी समझ म नहीं आता। शायद माननीय न्याय मंत्री जी जब इसके ऊपर रोशनी डालें तो इसको मान लेने में जो उनकी मुश्किलात हैं उनको भी बतलाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह एक छोटा और आसान संशोधन श्री गौतम जी ने पेश किया है कि उसे माननीय न्याय मंत्री जी जरूर मान लेंगे।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस संशोधन के संबंध में सभी बातें कह दी गई हैं परन्तु एक बात जो नहीं कही गयी है उसके संबंध में मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह कांस्टिट्यूशन का अनुच्छेद १९५ है। यह जो १९५ अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि अनुच्छेद ३८२ के अनुसार जो भी असेम्बली बने उसके जो सदस्य हैं उनको ट्रैवलिंग एलाउन्स, डेली एलाउन्स, वही दिया जायगा जो कि इसमें दिया हुआ है। मैं अनुच्छेद १९५ पढ़ देता हूं--

[श्री खुशवक्त राय]

"Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

[राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक़ होगा।]

तो मेरा यह कहना है कि मेरे यहां एक कानून है जिस कानून के जरिये हम सदस्य को किराया भत्ता और दैनिक भत्ता मिलता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो आपके कंस्टीट्यूशन में, जो आपके यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स एमाल्यूमेंट्स ऐक्ट के मातहत जो मिलता है उसे आप खोल दें और आपका कंस्टीट्यूशन भी यही चाहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे न्याय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य ही मंजूर करेंगे।

श्री नवाजिश अली खां—सभापति महोदय, यह एक बहुत मामूली सा संशोधन है। और इसके लिए मेरे माननीय सदस्य ने कंस्टीट्यूशन आफ इंडिया के अनुच्छेद १९५ को पेश किया। लेकिन मुश्किल यह है कि सेक्शन का जो इंटरप्रीटेशन (निर्वाचन) इधर से किया जाता है उसके बरअक्स इंटरप्रीटेशन उधर से पेश कर दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर १० रुपया रोज और १ १।२ फर्स्ट क्लास किराया जो मिलेगा क्या वह काफी नहीं होगा उन माननीय सदस्यों के लिए जो कि स्पेशल अफसर या इस किस्म के और आफिस आफ प्रोफिट (लाभ का पद) होल्ड करते हैं और जिनको आप इस बिल की रू से एक्जेम्पट् (मुक्त) कर रहे हैं? जब कि खुद माननीय न्याय मन्त्री जी यह फरमाते हैं कि यह तो एक फैसिलिटी (सुविधा) है कि हम मोटर दे देंगे या उनके खाने का खर्चा दे देंगे या पेट्रोल का खर्चा दे देंगे, तो क्या ये १० रुपये काफी नहीं हैं कि उनका काम इसमें चल सके? आप यह भी फरमाते हैं कि ऐसा मेम्बर नहीं है जो १० रुपये के अलावा, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, बेईमानी किसी चीज के लिये करे या उसे ऐसी जरूरत हो। मैं तो समझता हूं कि जो चीज हमको दी जाती है वह इमाल्यूमेन्ट्स ऐक्ट, सन् १९४६ की बिना पर है जिसके तहत हमको यह सब मिल रहा है। जितनी चीजें उसके अन्दर रायज हैं अब तक उन्हीं को रखना चाहिये। मुल्क की हालत बद से बदत्तर होती जा रही है तो काहे को दस की जगह पर सौ, या पचास पचास लेना चाहते हैं? यह तो वही चीज हुई जिसको माननीय मन्त्री बचाना चाहते हैं। वह खुद फरमाते हैं कि कोई मेम्बर नहीं है जो १० रुपये के अलावा किसी और चीज या लालच के वास्ते अपने आपको गवर्नमेन्ट को बेच देगा। तब ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कुछ ज्यादा दिया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस अमेन्डमेंट की ताईद करता हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—जनाबवाला, जो मेरे दोस्त बहस कर रहे हैं वह गालिबन यह ख्याल नहीं रखते हैं कि यह बिल महज आइन्दा के लिये नहीं है। आइन्दा के लिये तो इसकी लाईफ ४/५ महीने हैं जो जनरल इलेक्शन के बाक़ी रहते हैं। इस वक्त तो इसका ज्यादा असर पड़ना है उस एलाउन्सेज पर जो अब तक मेम्बरान को मिल चुके हैं जनवरी सन् १९५० से लेकर गुजिश्ता अगस्त, १९५१ ई० तक। उन्हीं को हमें लीगलाईज करना है। जो अला-

उन्सेज हमने मुकर्रर किये हैं वे लगभग वहीं हैं जो मेम्बराने असेम्बली चाहते हैं हालांकि उनकी शक्ल दूसरी है। उनकी शक्ल मुख्तलिफ है। कहीं पर हमने उन्हें १५० रुपया अलाउन्स हाउस के रूप में और डी० ए० की जगह १५० रुपया कन्वेयेंस अलाउन्स (वाहन-भत्ता) के शक्ल में दिया है। इसी हिसाब से वह दस रुपये रोज होता है। लेकिन उसकी शक्ल दूसरी है। हमको गुजिश्ता के लिये एक जनरल रूल बनाना है। हमारी यह नीयत नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा डिपार्चर हो या इसे हमेशा के लिये इस्तेमाल किया जाय। न हमारी यह नीयत है कि हम लोगों को कोई नाजायज तौर से या बेजा तरीके से लालच या कोई चीज देकर फायदा पहुंचावें जो कि हाउस के सामने डिफेंड (रक्षित) नहीं हो सकता हो। मैं यह यक़ीन दिलाता हूं कि अगर किसी का अब यह ख्याल है तो वह गलत है। मैं इस वजह से इस तरमीम को मन्जूर करने से मजबूर हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह—सभापति जी, जो संशोधन इस समय आदरणीय सदन के सामने पेश है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। माननीय मन्त्री जी का भाषण सुनकर मुझे कुछ अचम्भा सा हुआ उन्होंने यह फरमाया कि यह आइन्दा के लिये नहीं बल्कि, २६ जनवरी सन् १९५० ई० के बाद आज के दिन तक या जिस समय तक यह विधेयक पारित न हो जाय, जिन माननीय सदस्यों ने जो साधारण तौर पर विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य को भत्ता या सहूलियतें होती हैं उससे ज्यादा हासिल कर लिया है उन पर भी यह लागू होगा। यह उनके बीच में कठिनाई है जिसके साफ माने यह होते हैं कि कुछ ऐसे केसेज मामले जरूर हैं उनके इल्म में कि जहां जो साधारणतौर पर किसी विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य को भत्ता या सहूलियत हासिल होती है उससे ज्यादा कुछ माननीय सदस्यों को जरूर दी गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो गालिबन उनको संशोधन को स्वीकार करने के लिये कोई रुकावट नहीं होती। श्रीमान् यह तो जिश्ता की बात रही, लेकिन आगे अब चुनाव आने वाले हैं। यह भी कहा गया कि इस विधेयक की जिन्दगी ३,४,५ महीने की है और इस वजह से इस पर कोई विशेष ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन जब स्वयं माननीय मन्त्री जी के बयान के बमूजिब ऐसी मिसालें हैं, चाहे एक हों, चाहे दो हों, चाहे दस हों, चाहे बीस हों, तो जो भत्ता इस विधान सभा के सदस्य को साधारणतौर पर दिया जाता है उससे ज्यादा दिया गया तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि अब जब ४,५, महीने बाक़ी हैं इस विधान सभा के जिन्दगी के और खासतौर पर जब अगले चुनाव आने वाले हैं तो वहां ऐसी सहूलियतें नहीं दी जायेंगी और इन सहूलियतों को देकर के नाजायज तौर पर दबाव नहीं छोड़ा जायगा। किसी के ऊपर अभी कहा गया था कि यह कोई नाजायज फायदे का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं कि वह फायदा जो कानून के अनुसार हो वह नाजायज नहीं हुआ करता और आज ऐसे विधेयक के जरिये से तो कितने नाजायज काम २६ जनवरी सन् १९५० ई० से हुए हैं उनको भी वह जायज क़रार देने जा रहे हैं। तो नाजायज का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस आदरणीय सदन के बाहर लोगों के दिमाग पर यह असर पैदा होने चाहिए कि इस सदन के वे सदस्य जो किसी भी सदन के काम के अलावा और भी सरकारी काम में सहायता देने के लिये प्रस्तुत होते हैं वे भी भत्ता जो साधारणतौर पर सदन का काम करने के लिये उनको मिलता है उससे अधिक वहां लेते हैं या नहीं।

श्रीमान्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वह इस आदरणीय सदन के शान के मुताबिक़ बात होगी यदि यहां के बाहर एक आम असर यह होगा कि इस सदन के जितने भी सदस्य हैं या विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं वे कोई भी जो सरकारी काम करते हैं इस सदन के काम के अलावा वही भत्ता लेते हैं जो भत्ता इस सदन के काम करने से उन्हें मिलता है। श्रीमान् मुझे जो अन्देशा होता है यह वह होता है कि यदि एक बार यह हवा फैल गयी कि इस आदरणीय सदन के सदस्य इस तरह के अलावा जो यहां काम करने के सिलसिले में आते हैं, मनमाने ढंग पर सरकार के हाथ में यह बात है कि जो वह चाहे दे दें और उसको पाने के वे अधिकारी होते हैं तो मुझे इसमें बड़ा

[श्री त्रिलोकी सिंह]

भय लगता है कि इस आदरणीय सदन के प्रति जो जनता का विश्वास है उसमें कुछ भी कमी वाक़े हो जायगी। मैं नहीं चाहता कि इस सदन के बाहर, इस प्रदेश के अन्दर, या इस प्रदेश के बाहर किसी के दिमाग में या दिल में एक सेकेंड के लिये भी यह ख्याल उत्पन्न हो कि इस आदरणीय सदन का कोई भी सदस्य या इस प्रदेश की सरकार के लिये यह मुमकिन होगा कि वह इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य को कोई ऐसा फायदा पहुंचा सके जिसका वह अधिकारी नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि भलमनसाहत के नाते, व्यवहारिक दृष्टि से असली शक्ल देखिये और यह देखिये कि आपके इस कहने का असर क्या पड़ता है। थोड़ी देर हुई मैंने सुना और वह बात मेरे कानों में खटकी और धक्का सा लगा, यह कहा गया कि १५० रुपया ले लिया, मोटर ले ली, मकान ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। एक अफसर जो दो हजार रुपया कमाता था उसका काम तीन सौ रुपये में चला। यहां यह सवाल नहीं है कि काम एक पये में चला, १५० रुपये में चला या एक हजार पये में चला। विलायत का भी जिक्र किया गया। दरहक़ीकत जिसका हवाला दिया गया, स्टुआर्डशिप आफ दि चिलटर्न हंडरेड्स का, उसमें तो एक कौड़ी का भी मुनाफा नहीं होता लेकिन चूंकि उसने स्टूअर्डशिप एकसेप्ट (स्वीकार) की, फिक्शनली या नोशनली, इसलिये वह हैसियत क़बूल कर के वह मेम्बर ख़त्म होता है।

श्रीमन्, आपके द्वारा बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने से सरकार का जो स्टैंड (आधार) । उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, कांग्रेस के स्थान का हवाला, श्रीमन, दिया गया, कांग्रेस के पिछले ६०-७० साल के रवायात का जिक्र किया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया गया तो उन बातों का लिहाज कर के, उन तमाम प्रथाओं का ख्याल करके, बहुत नम्रता-पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि स सं ोधन को स ीकार करने से सरकार वाक़ई उस रास्ते पर जाय ी और बाहर यह कहा जायगा कि कुछ मामलों के ऊपर जरूर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदेशों पर काम किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब संविधान में एक धारा रखी गई है कि इस आदरणीय सदन का कोई सदस्य आफिस आफ ॉफिट न मंजूर करे तो इसकी ी कोई मंशा थी। मैंने एक सवाल किया था कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार के लिये क्या यह संभव ोगा कि जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे स हैं उनके आनरेरी एडवाइजर्स, सलाहकार तमाम एम० एल० एज० को बना दें, ताकि उनको कोई फायदे की सलाह दे सकें। मुझे दुख है कि उसका जवाब उस समय मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को पास करने में इस बात को अपनी निगाह के सामने न रखें कि मुखालिफ ों को एक मौक़ा मिल गया है और वह फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके द्वारा सरकार से निवेदन कि स विधान सभा द्वारा पारित कोई भी ऐसा क़ानून नहीं होना चाहिये जिसमें कोई हरूफ़ या अंगुली लगा सके और यह कहा जा सके कि स आदरणीय सदन के सदस्यों के लिये यह रास्ता खुला हुआ है कि वह कोई फायदा सरकार के द्वारा उठा सकें। इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश हुआ है उसका अनुमोदन करता हूं।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री ने इस संशोधन को नहीं माना। इसमें तकलीफ हो सकती है, ताज्जुब की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय न्याय मंत्री का ऐसा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी स लियत दी जाती है तो उनका कभी कोई दुरुपयोग नहीं होता, बेयरेस्ट मिनिमम, कम से कम आवश्यक सहूलियतें जो भी सदस्य नियुक्त हुये उनको ी जाती है। मेरा अपना ख्याल था कि जो सहूलियत आवश्यक है वह केवल तनी है जितनी सारे सदस ों को मिल ी है, दस रुपया ोज एला स और दो सौ रुपया म ीना,

यानी पांच सौ पया महीना। कोई वजह नहीं कि कोई माननीय सदस्य इतने में उस सेवा का भार वहन न कर सके जो कि उसने अपने जिम्मे लिया हो।

रह गयी स बात की बात कि जो आवश्यक सहूलियतें हुकूमत देती हैं, उनके दुरुपयोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वह कम से कम सहूलियतें होती हैं। माननीय न्याय मंत्री तो अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुये तशरीफ लाये हैं। यहां के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं और किस्से जनाब ऐसे ऐसे हैं कि माननीय न्याय मंत्री अगर सुनें तो या तो उनको यह सोचना पड़े कि मैं यहां रहूं या न रहूं और यहां रहना तय करें, तो उनको अपना पूरा कायाकल्प करना पड़े। यहां, हुजूरवाला, जेड० ए० एफ़० (जमींदारी अबालिशन फंड) के नाम पर पेट्रोल ईशू हो और एलेक्शन में इस्तेमाल हो। हुजूरवाला, इन मोटरों के साथ जायं जेड० ए० एफ० के कलेक्शन में खीच देने के लिए और वहां एलेक्शन प्रोपेगैंडा करें। कौन सी चीजें हैं जो यहां उत्तर प्रदेश में नहीं होती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय न्याय मंत्री जी जरा पता लगा कर और समझ कर कि किस परिस्थिति में वह काम कर रहे हैं, ऐसा खतरनाक क़दम न उठावें। यह नियुक्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं। माननीय न्याय मंत्री जी ने अभी सका ख्याल नहीं किया है। बिल उनका अवश्य है मगर नियुक्तियां वह करने नहीं पायेंगे बल्कि उनसे कराई जायंगी। जैसा कि हमारे माननीय नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि एक सिरे से कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिसकी नियुक्ति के लिए इस बिल में गुंजायश नहीं है और धीरे-धीरे एक ऐडवाइजर्स रेजीम (कार्यकाल) नये क़िस्म का यहां क़ायम हो जायगा। अंग्रेजों ने यहां एक ऐडवाइजर्स रेजीम क़ायम किया था, तो उसमें चार या पांच ऐडवाइजर्स रखे गये थे लेकिन अब यहां अगर वही रवैया चला तो हमारा ख्याल है कि ४३० ऐडवाइजर्स मुक़र्रर करने की सहूलियत माननीय न्याय मंत्री अपने भावी साथियों के लिए यहां पैदा कर रहे हैं।

ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जरा सचेत होकर इस चीज पर विचार करेंगे क्योंकि यह बहुत मामूली मसला नहीं है। आज यहां इस स्प्रिट (भावना) में बैठ कर कि यहां एक छोटा सा अपोजीशन (विरोध पक्ष) है और एक बड़ी सी मेजारिटी (बहुमत) उधर है, एक मामूली बहस हो रही है, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया जवाब दे दिया, इस संशोधन को ठुकराया जा सकता है। मगर माननीय न्याय मंत्री याद रक्खें, उनके साथी याद रक्खें कि दो दिन के बाद उनको पब्लिक के सामने जाकर एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। हमें शौक नहीं है कि हम यहां से वहां और वहां से यहां चहेलक़दमी करके वक्त खराब करें। माननीय सभापति जी, इस सदन का एक-एक वोट जो हम रिकार्ड करा रहे हैं, जानबूझकर करा रहे हैं। हम इस चीज को पब्लिक के सामने रक्खेंगे कि इन विषयों पर हुकूमत और हुकूमत के समर्थकों की यह राय है और हमारी यह राय है और आप को जवाब देना पड़ेगा कि हिन्दोस्तान में कम से कम खर्चा कितना समझा जाता है और कम से कम सहूलियत कितनी समझी जाती है। जब आप किसी साधारण कर्मचारी को किसी काम पर नियुक्त करके भेजते हैं, तो तीन आने पैसे तक, हुजूरवाला, अता फरमाते हैं दिन भर खाने के लिए और यहां दस पया काफ़ी नहीं होंगे एक माननीय सदस्य के लिए और इसके अलावा मकान का किराया, मोटर का किराया, टेलीफोन का किराया और दुनिया भर का न जाने कितना खर्चा उसमें शामिल होगा। कोई वजह नहीं है कि इससे ज्यादा यहां से मंजूर किया जाय और अगर किया जाता है तो लत है और मेरा ख्याल है कि हमारे सार्वजनिक कोष के साथ बेइंसाफी है, और सूबे में इस समय जो रीबी चल रही है उसका अपमान है। मैं फिर अपने संशोधन को प्रेस करता (जोर देता) हूं।

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर--जनाब सदर, मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस वक्त मुखालिफत जो की जा रही है, जैसा कि तस्लीम भी किया गया वह इस ग़रज से

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

नहीं कि इस बिल से कोई उसूली मुखालिफत है लेकिन इस ख्याल से कि आयन्दा इलेक्शन में हमको क्या करना है उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है और यह जाहिर है कि जब यह ख्याल रक्खा जायगा दिमाग में तो यह उम्मीद करना कि कोई ऐसी चीज कि जो महज उसूल और क़ायदे पर और किसी सच्चाई पर या दुरुस्ती पर मब्नी हो वह यहां पेश की जायगी, बेकार मालूम होता है। बहरहाल हमारे मेम्बरान का उधर से यह मतलब है, कम से कम यह गुमान है कि जो बात कांग्रेस गवर्नमेंट ने १ साल ८ महीने में की है वह मिसाल बनाने के लिये और इस बात को जाहिर करने के लिये की है कि उनके उसूल इस मामलात में क्या हैं, वह काफ़ी नहीं हैं। बल्कि वह यह समझते हैं कि यह क़ानून पास हो जायगा तो महज ४३० आनरेरी आफिसर बन जायेंगे बल्कि हर एक कलेक्टर, हर एक कमिश्नर, हर एक आफिसर के साथ एक ऐडवाइज़र मुक़र्रर कर दिया जायगा और उसकी तनख्वाह इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट मुक़र्रर कर देगी। अगर इस क़िस्म की बदगुमानियां और शकूक हैं, तो इसका जवाब सिवाय इसके कि वक्त दे, मैं जितना भी इन्कार करूंगा उसका जवाब इन्कार होगा और कोई नतीजा नहीं है। बहरहाल, मैं सिर्फ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस बिल का ताल्लुक़ किस क़िस्म की जगहों से है। "Honorary offices for advising the State Government," [राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद]

गवर्नमेंट को ऐडवाइज करने के लिये आफिसेज होंगे, यह नहीं कि आफिसर्स आफ दि गवर्नमेंट के लिये कोई प्रावीजन (व्यवस्था) किया जा रहा है। "Honorary officers for the performance of any special duty," [किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिये अवैतनिक पद]

इस स्पेशल ड्यूटी पर जो किसी को मुक़र्रर किया जायगा वह गवर्नमेंट की तरफ से होगा जिसकी जरूरत गवर्नमेंट या स्टेट को होगी। आप देख चुके हैं कि आपको सिर्फ ५ जगहें ऐसी मिली जिनमें आनरेरी आफिसर्स मुक़र्रर किये गये और जिनको आनरेरी एलाउंस दिया गया। अब यह पब्लिक को तय करना है कि आपकी बदगुमानी किस चीज के ऊपर है। यह कहना कि फलां वजीर की सूरत नापसन्द है।

श्री खानचन्द गौतम--हुजूर, गलत बयानी है। सूरत बहुत पसन्द है।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--या उन वज़रा की चाल-ढाल से नफरत है, यह महज ख्याली शुकूक हमारे दिल में पैदा हो गये हैं, इसी वजह से कहा जाता है और मुखालिफत है। यह तो जनता तय करेगी और उसी को तय करना है। मगर जहां तक क़ायदों का ताल्लुक़ है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं आती जिसमें गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात दिये जायं जो क़ानूनन जायज न समझे जायं।

तीसरी चीज है--"Offices of the Chairman or members of a Committee appointed by the State Government or Central Government."[राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद]।

यह चीजें हैं, महज ये क्लासिफिकेशंस (वर्गीकरण) हैं। इसमें शक की गुंजायश नहीं है कि कोई नाजायज फायदा उठाया जायगा।

जैसा कि मेरे दोस्त श्री त्रिलोकी सिंह बयान करते हैं कि आप तो ४३० अफ़सरान इसमें मुख्तलिफ हुक्काम की सलाह के लिये बना सकते हैं और इस क़िस्म का गलत इस्तैमाल इस ऐक्ट में कर सकते हैं। इसके साथ में अर्ज करूंगा कि जहां तक कम्पेंसेटरी एलाउंस (प्रतिकर

भत्ता) की डेफिनेशन (परिभाषा) का ताल्लुक़ है उसमें ४ किस्म की डेफिनीशंस (परिभाषायें) हैं। ट्रैवलिंग (यात्रा) और डेली अलाउंस (दैनिक भत्ता) कन्वेयंस और हाउस रेंट एलाऊंस (वाहन और घर के किराये का भत्ता)। कन्वेयंस अलाउंस और डेली अलाउंस को आप देखते हैं कि पाबन्द कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारा अमलदरामद यही रहा है कि किसी शख्स को हमने उससे ज्यादा नहीं दिया जो हमारे मेम्बरान लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिये ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस मुक़र्रर किया गया है, लेकिन मुमकिन है कि उसका फार्म मुख्तलिफ रहा हो। इसलिये उसकी पाबन्दी यहां करने से हमको क़ानूनी दिक्क़त पड़ेगी। अगर आपको कोई मिसालें मिल सकतीं जिनमें गलत इस्तेमाल किया गया है तो आप पेश करते, क्योंकि इस क़िस्म की कोई चीज छिपी नहीं रह सकती। आप मेम्बर हैं, इसी हाउस से लोग मुक़र्रर हुए हैं और बाहर से नहीं आये हैं। यह कह देना कि गवर्नमेंट के इल्म में कोई खास इत्तिला है या गवर्नमेंट ने किसी को कोई खास नफ़ा पहुंचाया है जिसकी इत्तिला आपको नहीं है और नहीं हो सकती है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आपने सिर्फ ५ मिसालें दीं और एक का हमने अपनी तरफ से जिक्र किया और कोई केस ऐसा नहीं है अलावा उनके जो कमेटी के मेम्बरान हैं जो यहां से मुकर्रर की जाती हैं और अगर इसके अलावा हैं तो आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम करने में कोई जहमत नहीं हो सकती थी।

इसके बाद इन बातों पर इसरार करना, या मैं कहूं कि हठधर्मी है इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज सही नहीं मिलता। बहरहाल कोई जिद के सिवा बात नहीं है और जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है हमने इसको निहायत नेकनियती से और एक खास सूरत को लीगलाइज (वैध) करने के लिए जिसका प्राविजन खुद कांस्टीटयूशन आफ इंडिया में मौजूद है इस बिल को पेश किया है न हमारी पहले कोई बुरी नीयत थी और न आइंदा कोई बुरी नीयत है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता किसी भी अवस्था में उससे अधिक न होगा जो सदस्यों को यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स अमाल्युमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मिलता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री खुशवक्त राय--माननीय सभापति महोदय, इस समय जो मैं खड़ा हुआ हूं उसका उद्देश्य केवल यह है कि धारा २ का मैं विरोध करना चाहता हूं और इसलिये करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कई एक संशोधन यहां रखे गये और वह ऐसे थे जिनको अगर माननीय मंत्री जी मान लेते तो हम समझते हैं कि इस विधेयक की जो खराबियां हैं वह काफ़ी निकल जातीं। परन्तु माननीय मंत्री जी का यह ख्याल है कि हठधर्मी इधर है और मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने हठधर्मी के माने ठीक नहीं समझे हैं। अगर समझते होते तो वह ऐसी बात नहीं कहते। सच पूछिये तो माननीय सभापति जी हठधर्मी तो उधर ही है। हठधर्मी तो उधर हुआ करती है जिधर मैजारिटी (बहुमत) और एब्सोल्यूट मैजोरिटी (निरपेक्ष बहुमत) हुआ करती है। जहां मैजोरिटी होती है वहां हठधर्मी आ जाया करती है। लेकिन कहा यह जाता है कि हम हठधर्मी करते हैं। हम किस बिरते पर हठधर्मी करेंगे। हम तो तब हठधर्मी कर सकते जब कि हमारे साथ भी उतना ही बल होता जितना माननीय न्याय मंत्री के साथ है।

इसके अलावा एक बात उन्होंने यह कहा कि हम तो चालढाल पर जाते हैं। मैं निहायत अदब के साथ यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक उनके चाल-ढाल का सवाल है हम पसन्द

[श्री खुशवक्त राय]

करते हैं। उधर भले ही उनके चाल-ढाल ठीक न रहे हों, हमारे साथियों ने उसे पसन्द न किया हो लेकिन जो आज का अवसर है हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हम किसी मामले को पर्सनल (वैयक्तिक) तरीके पर नहीं देखा करते हैं। हम हर बात इम्पर्सनल (अवैयक्तिक) तरीके से देखना चाहते हैं। हमने यह बात थोड़े दिनों से सीखी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है बल्कि उनकी है जिन्होंने परदा छोड़ रखा है। हम चाहते हैं कि आप भी इस बिल पर इम्पर्सनल तरीके से बहस करें।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय न्याय मंत्री ने यह कहा कि भत्ते के सम्बन्ध में हम कैसे मान सकते हैं क्योंकि पहले कुछ लोगों को ज्यादा दिया जा चुका है। मैं नहीं समझ पाता। माननीय मंत्री यदि यह कहें कि ५ आदमियों के लिये यह दिया जा चुका है, उनके लिये यह कर दें और बाकी के लिये वह तैयार हैं तो बात समझ में आती। अब देखिये कि हठधर्मी की बात किधर है। उसके साथ साथ यह कहना कहां तक ठीक है कि सूचना हमारे पास है। हमारे पास आफिस नहीं है और न वह सुविधायें हैं जो माननीय न्याय मंत्री को प्राप्त हैं। वह चाहें तो हर बात जान सकते हैं। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि सूचना हमारे पास है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सूचना हमारे पास नहीं है। मैं यह समझता हूं कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस यह रही है कि यदि एक सदस्य यह कहता है कि मेरे पास सूचना नहीं है तो दूसरा सदस्य उसको क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन माननीय न्याय मंत्री ने किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पत्र भेजा था और सूचना चाही थी और यह लिखा था कि यह भी प्रार्थना है कि हमें यह भी सूचना दे दी जाय कि इसके बिरते पर कितने सदस्यों की अनर्हता निवारण होगी। अगर हमें यह मालूम होता कि इतने सदस्य हैं जिनकी अनर्हता निवारण होने की जरूरत है तो हम यह पूछते ही नहीं। लेकिन यहां जो माननीय न्याय मंत्री जी ने बताया उससे जरूर मालूम हुआ।

यह जो कहा जाता है कि हमको संदेह था कि यह ५ आदमी ऐसे हो सकते हैं लेकिन यह नहीं कहा था कि उन्हीं पर हमारा संदेह कंफाइंड (सीमित) है। औरों पर भी हमारा सन्देह है। पर यह कहना कि यदि हमारा सन्देह औरों पर भी होता तो वह भी हमारी सूचना में होता यह तो माननीय मंत्री जी खुद स्वीकार करेंगे कि यह बात ज्यादती की होगी। मैं फिर एक दफा निवेदन करना चाहता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन के पश्चात् माननीय न्याय मंत्री जी को मान लेना चाहिये कि वह इस धारा को इसमें से निकाल दें। एक बात यह भी कही गई थी, वह इस बात पर तैयार थे कि सिलेक्ट कमेटी का प्रोपोजल हमारी तरफ से आये तो वह उसे मान लेंगे। मेरी समझ में बात आई नहीं। सिलेक्ट कमेटी का प्रोपोजल इधर से आये या उधर से आये तो फर्क क्या पड़ता है? जाहिर सी बात है कि सिलेक्ट कमेटी आप चाहते थे तो किसी सदस्य से भी संशोधन दिला सकते थे। हमने ठीक किया क्योंकि आन प्रिन्सिपल (सिद्धान्तः) हम इस विधेयक के अपोज्ड (विरुद्ध) हैं। हम समझते हैं कि यह विधेयक न्याय मंत्री जी को न लाना चाहिये था। एक बात मुझे यह मालूम है, वह भी कह देना चाहता हूं कि यह जो सिलेक्ट कमेटी का प्रोपोजल हमारी तरफ से वापस ले लिया गया अच्छा ही हुआ। मैं देख रहा हूं कि हमारा चाहे अच्छे से अच्छा संशोधन हो आप उसे मानने को तैयार नहीं हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजते तो इधर के दो चार सदस्य जो होते वे वोट करते लेकिन जब आपने तै कर लिया कि चाहे अच्छा हो या बुरा, गलत हो या सही, न्याय हो या अन्याय चाहे विधान के खिलाफ हो, चाहे आपके बने हुए क़ानूनों के ही खिलाफ हो, तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने से ही क्या फायदा होता। इन बातों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाब वाला, इस बिल को पेश करने के साथ जो न्याय मंत्री जी ने तकरार की उसी से अन्दाज़ा होता है कि इस बिल में ज़रूर कुछ खामियां रह गई हैं जिन पर गौर करने के लिए वह इस मसले को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजना चाहते थे। लेकिन चूंकि अपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया गया इसलिए उन्होंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं भेजा तो यह ताज्जुब है कि उन्होंने एक ऐसी बात क्योंकर कही। मेरा खयाल है कि खुद अपनी तकरीर में यह बात कही थी और जब उधर श्री रघुबीर सहाय बहस कर रहे थे कि इस तरफ के बैठने वाले अगर इस मामले को सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखना चाहते तो गवर्नमेंट को किसी मेम्बर के ज़रिये जैसा पहले हो चुका है इस मसले को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजना चाहिए। इस वक्त जो अमेंडमेंट पेश है, मैं नहीं समझता इसमें गवर्नमेंट को क्या अड़चन मंजूर करने में है। कोई प्राफिट [लाभ] की जगह और इस भवन की मेम्बरी दोनों अपनी जगह पर एक खास अहमियत रखते हैं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--हम लोग इस वक्त डिसकस (विवाद) नहीं कर रहे हैं कि अमेंडमेंट (संशोधन) क्या है। डिसकशन (विवाद) यह है कि आया दफा २ इस बिल का जुज़ रहे या न रहे।

माननीय अध्यक्ष--ठीक है। इसी पर आप महदूद रहें।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाब वाला, जिस तरह से यह क्लाज़ मौजूद है वह बदस्तूर कायम रहेगा और जो तरमीमें पेश हैं वह मंजूर न हों............।

माननीय अध्यक्ष--वह तो नहीं हुईं। वे सब खत्म हो गईं।

श्री फखरुल इस्लाम--इसी वजह से जो चीज जनाब वाला पैदा होती है मैं यह कहना चाहता हूं इसलिए ज़रूरी है कि यह दफा निकाल दी जाय और इस ऐक्ट (अधिनियम) का जुज़ न बने। इसकी वजह यह है कि इस भवन के सदस्य आते हैं तो लाखों वोटर्स के प्रतिनिधि बन कर आते हैं। उसके दिल में किसी किस्म का खौफ, लालच, तमन्ना या लाभ की बात उसके दिल व दिमाग में नहीं आनी चाहिए ताकि वह जो ईमानदारी के साथ महसूस करे और समझे है उसे भवन के सामने रख सके। भवन उसे मंजूर करे या न करे यह अलग सवाल है। लेकिन उसकी राय किसी तौर से इस तरह पर न हो जिस पर वह किसी आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) को हासिल कर सके। इसलिए जनाबवाला, मैं समझता हूं कि जिस हालत में यह क्लाज़ है अगर वैसे ही रहा तो दूसरी बड़ी-बड़ी ज़हमतें और दुश्वारियां पैदा होने का इमकान है। जो शुबहात ज़ाहिर किये गये हैं वह ज़रा सी बात नहीं है क्योंकि जो यहां आता है वह जनता की खिदमत करने के जज़्बे के मातहत आता है। रुपया उसकी जिन्दगी का खास मक़सद नहीं होता वह तो जनता का खादिम होकर आता है। वह जो खिदमात करता है उसको रुपये के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर यह क्लाज़ (खंड) मंजूर हुआ तो गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसा हरबा आ जायगा जिसको यह सरकार और आने वाली सरकारें गलत और नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करेंगी अगर किसी गवर्नमेंट का मक़सद मिनिस्टरियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और स्पेशल आफिसर्स से पूरा नहीं होता है तो वह इन कमजोरियों से अपनी हुकूमत चलाने के लिए फायदा उठा सकती है। इसी सूबे में, पंजाब और दूसरे सूबों में मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटीज की जगहें बांट बांट कर गवर्नमेंट बनाई गई। इसी हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा हरबा इस्तेमाल हुआ है, इसके वास्ते जनता का रुपया नाश (नष्ट) किया गया है इसलिये क्लाज़ नाजायज़ है। इसलिए मेरे ख्याल से इस सरकार के पास या जो भी सरकार आये उसके हाथ में ऐसा हरबा नहीं होना चाहिए जिसका यह नाजायज़ तौर से इस्तेमाल कर सके। ....

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य देखेंगे कि इस खंड में केवल कंपेंसेटरी अलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) के मानी बताये गये हैं। उसकी मुखालिफत के मानी सिर्फ यही

[माननीय अध्यक्ष]

हो सकते हैं कि उसकी परिभाषा न हो । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह पूरे बिल की मुखालिफत है । इस वक्त तो सवाल सिर्फ इतना है कि इसकी तारीफ रहे या न रहे।

श्री फखरुल इस्लाम-- जनाबवाला, इन अल्फाज के साथ मैं इस क्लाज की मुखालिफत करता हूं ।

श्री गंगा सहाय चौबे--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं क्लाज २ की मुखालिफत कर रहा हूं वह इसलिए कि इसमें जो परिभाषा की गई है, उसमें जो जो बातें कही गई हैं वे सब ऐसी हैं कि जिससे इस सदन के मेम्बर होने की हैसियत से जो जो मिलता है उससे आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ जाना चाहती हैं तो फिर स्पेशल प्रिविलेज (विशेष सुविधा) हो जाती है। ऐसा होने से यह असर होता है कि किसी न किसी तौर से वह सदस्य गवर्नमेंट के दबाव में आ जाता है। मेरी मंशा यह है कि जब ऐसी दशा हो जाती है तो प्रजातंत्र बुनियादी उसूलों से निकल जाती है। यदि इस तरह की दशा हो जायगी तो हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। मैं यह चाहता हूं कि यह शब्द उसमें से हटा दिये जायं। इसलिए मैं उसकी मुखालिफत करता हूं । यह जो हाउस रेंट (घर का किराया) और दूसरी दूसरी तरह की डेफीनीशन (परिभाषा) आ गई हैं उन चीजों के मिल जाने से स्पेशल प्रिविलेज हो जाता है और स्पेशल प्रिविलेज हो जाने की वजह से उसका दुरुपयोग होने लगता है ।

अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे यहां और दूसरे यहां भी शायद ज्यादा मिनिस्टर बढ़ाये जाते हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बढ़ाये जाते हैं और इस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाता है । लेकिन अगर उसमें इजाफा हो जायगा दूसरी चीजों का जो इसमें और बढ़ाया गया है तो वह भी इस जरिये से जो मेजारिटी (बहुमत) बनेगी वह इस मेजारिटी प्रजातंत्र के उसूल पर कायम हो कर नहीं बनेगी और यहां पर जिस तरह से हम लोग प्रजा की तरफ से चुन कर आते हैं तो उनकी नुमाइन्दे के लिए आते हैं और हमारा यह भी अधिकार है कि हम बिना किसी दूसरी राय के प्रभावित हुए अपनी ठीक राय दें । लेकिन अगर हम यह सब चीजें मान लेते हैं जो कि नहीं मानना चाहिए तो हम अपने उस अधिकार को खोने लगेंगे और खो बैठेंगे । अबकी दफा एक खास बात हमें देखने में आयी और वह यह कि माननीय न्याय मंत्री जी से जो इन्फारमेशन (सूचना) मांगी गई थी वह हमको मिली । यह एक अजीब बात नजर आयी जो कि पहले नजर नहीं आती थी । पहले जब इस तरह की इन्फारमेशन मांगी जाती थी तो जो इन्फारमेशन भी हमें मिलती थी वह नहीं के बराबर होती थी, लेकिन यह तो एक ऐसी डरावनी तसूर है जिसकी वजह से ......

माननीय अध्यक्ष--बहुत से माननीय सदस्य इन बातों को कह चुके हैं । इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गंगा सहाय चौबे--मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैंने यह बात कही । दूसरी चीज यह है कि इस बिल के पेश होने के साथ इस भवन के हर सदस्य को जो इत्तिला मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली । जो सुविधायें आमतौर से इस तरह की इत्तिला मिलने के लिए सदस्यों को मिलनी चाहिए वह नहीं हो सकीं । इससे मुश्किल यह बढ़ गयी कि कोई इत्तिला नहीं मिली और उस इत्तिला के न मिलने की वजह से हम कोई आइडिया (विचार) नहीं बना पाते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या सुविधायें मिली हैं और आगे कितने लोगों को क्या क्या सुविधायें मिल जायंगी । मतलब जो असल है वही सबूत है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी मुखालिफत की जाय और इस धारा को इस बिल में से रद्द कर दिया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा २ की मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । धारा २ में विरोधी दल की तरफ से ५ संशोधन रखे गये और एक शाब्दिक संशोधन गवर्नमेंट बेंचेज (सरकारी पक्ष) की तरफ से रखा गया जो सिर्फ शाब्दिक संशोधन था उसे तो न्याय मंत्री जी ने माना और ५ संशोधन चाहे

जितने हो मुनासिब थे उन सबको उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम इस पूरी धारा २ की मुखालिफत करें। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कि संशोधनों की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा उसमें खासतौर से यह जोर दिया कि विरोधी दल वाले कुल ५ आदमियों के नाम निकाल सकें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमने अगर ५ भी निकाले तो यह कमाल की बात है कि जो इन्फारमेशन (सूचना) हमने आप से मांगी वह तो आपने हमें दी नहीं। उसके बाद भी हमने ५ नाम निकाले और इस तरह से दो रोज़ से जब कि बहस हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि मैंने पूछ-पाछ कर ५ नाम और भी निकाले हैं, पर मालूम नहीं वे सही हैं या गलत। जेड० ए० एफ० के सिलसिले में कितने आदमियों की नियुक्ति की गयी। श्री बेनी सिंह की नियुक्ति की गयी, श्री चतुर्भुज शर्मा की नियुक्ति की गई, श्री फूल सिंह की भी नियुक्ति की गयी और डिवीजनल इंचार्ज मुकर्रर किय गए। ये सब फीगर्स (आंकड़े) हमने माननीय मंत्री जी से मांगे थे, लेकिन वे नहीं मिल सके। जो ५ नाम हमने पढ़े हैं हमारे माननीय न्याय मंत्री जी जब जवाब दें तो उनके मुताल्लिक़ भी बतलावेंगे कि उनको किस तरीक़े से एलाउन्स (भत्ता) दिया जाता है। एक सज्जन को १५० रु० कार एलाउंस (मोटर गाड़ी भत्ता) दिया जाता है और १५० रु० हाउस रेंट एलाउंस (घर का किराया भत्ता) दिया जाता है और टेलीफोन भी दिया गया है। मालूम नहीं कि जिन लोगों का नाम मैंने बतलाया है उनको इसके अलावा और क्या-क्या सुविधायें दी गयीं हैं। हमने एक और भी इन्फारमेशन आप से मांगी थी और वह वह कि जो डिस्क्वालिफाइड (अनर्ह) हुये हैं.......

माननीय श्री सैयद अली जहीर--अगर आप वे नाम फिर से बतला दें तो मैं तफसील से उनका जवाब अपनी स्पीच में दे दूंगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जेड० ए० एफ० के सिलसिले में जितने डिविजनल इंचार्ज मुकर्रर किये गये थे उनमें कुछ नाम मैं आपको बतलाता हूं। उनमें श्री बेणी सिंह, कानपुर के, श्री चतुर्भुज और श्री फूल सिंह थे। इसके अलावा और भी होंगे क्योंकि ९ डिवीजन हैं लिहाजा ९ आदमी ही रखे गये होंगे जिनको इस क़दर सुविधा दी गयी। उन सब का नाम आना चाहिए। कुछ रिहैबिलिटेशन (पुनर्वासन) के सिलसिले में लोगों को रखा गया है। औरतों के उत्थान के लिए भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं। आप यह सब अपने दफ्तर से मालूम कर सकते हैं और मालूम करके हम लोगों को बतलाते तो हम सब इस नतीजे पर पहुंचते कि सरकार कितना रुपया इन लोगों को देती है। मुमकिन है कि मेरी इन्फारमेशन गलत हो। लेकिन आप के पास इस क़िस्म की इत्तिला सेक्रेटेरियट में होगी। मगर हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि कितना पैसा कितने आदमियों पर खर्च होता है। हमको वह भी इन्फारमेशन मिलनी चाहिए थी कि कितनी रकम सरकार ने इन ओहदों पर खर्च की है। हमारे सामने पूरी तस्वीर आती तो हम भी जानते कि सही वाक़यात क्या हैं। हम किस तरह से जान सकते हैं कि यह पेट्रोनेज इस तरीके से बांटा जाता है। अभी तो इस असेम्बली के भी ५ महीने बाक़ी हैं तो इस किस्म की नियुक्तियां हो सकती हैं।

माननीय न्याय मंत्री ने बतलाया कि हम लोग की यह बदगुमानी है। जब हम आप के सामने मिसाल रख रहे हैं कि बिल में यह है कि honorary offices for advising the State Government, (राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए अवैतनिक पद) और honorary officers for the performance of any Special Duty, (किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिए अवैतनिक पद) तो जो यह ५ महीने बाकी हैं इनमें क्या सरकार कोई आदमी मुकर्रर नहीं कर सकती है। तो फिर हमारी बदगुमानी कैसे हो सकती है। आज तक हम नहीं जान सके कि पेट्रोनेज बांटने का क्या तरीका है और

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

सरकार का क्या मंशा है इस तरह से पैट्रोनेज बांटने का। मैं न्याय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह सारे फिगर्स पहले मंगालें और क़ब्ल इसके कि इस धारा को पास होने दें यह इन्फारमेशन दे दें। तब न्याय मंत्री जी को भी पूरी तस्वीर मालूम हो जायगी। मुझे उनके ऊपर रहम आता है। अभी वह वहां पर नये आदमी हैं उनको पूरी तस्वीर मालूम भी नहीं है। इस वजह से उनकी पूरी वाकफियत भी नहीं है। माननीय मंत्री जी से मुझे उम्मीद थी कि वह इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि इस बिल को पास होने दें। उनको चाहिए था कि कह देते कि जिसने यह बनाया है उसको इसे पेश करने का काम दिया जाता क्योंकि आपकी वाकफियत अभी कम है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि पहले आप सारी इन्फार्मेशन मंगा लें और इधर के बैठने वाले को वह सब इत्तिला आप देवें। तब उसके बाद इस धारा पर वोटिंग करायें।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मेरे २ संशोधनों के अस्वीकृत होने के बाद मैं इस पूरी धारा का विरोध करता हूं। इसका मतलब यह है कि यह परिभाषा जो कि एक ही क्लाज की है वह निकल जाय और कि इसी मंशा से मैं इसका विरोध करता हूं कि परिभाषा वाली धारा निकल जाय और अगर यह निकल जायगी तो बिल की शक्ल यह होगी कि कम्पेन्सेटरी एलाउन्स जो कि अगले खंड में आता है उसके इन्टरप्रिटेशन (व्याख्या) का सवाल आयेगा तो उसका इन्टरप्रिटेशन यह होगा कि फाइनेन्शियल हैन्ड बुक के आधार पर वह दूसरे कानून जिनके हिसाब से उजरत, टी० ए० वगैरह दिया जाता है सब लोगों को उसी हिसाब से ऐसे माननीय सदस्यों को भी दिया जाय और चूंकि यह अर्थ बाकी रह जायगा इसी वजह से मैं कोई हर्ज इस धारा का विरोध करने में नहीं समझता हूं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने संशोधनों का विरोध करते समय बड़ी भारी दलील उपस्थित की और यह वह कि अगर आगे का भी सवाल होता तो थोड़े से दिन की बात थी, हम आपकी यह बात मान लेते कि कम्पेन्सेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ते) को डेली एलाउन्स या ट्रैवलिंग एलाउन्स ही समझ लिया जाय, लेकिन उनकी परेशानी यह है कि पिछले दिनों में जो उन्होंने आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्याधिकारी) और दूसरी तरह से लोगों को रखा है और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और जिनका खर्च भी खजाने से हो चुका है वह सब अब कैसे वैध हो सकेगा। माननीय न्याय मंत्री जी को आगे की चिन्ता इतनी नहीं है जितनी पीछे की चिन्ता है कि जितना खर्च हो चुका है वह उसकी मंजूरी लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं बमुकाबले आगे की व्यवस्था के। मैं उनकी परेशानी को समझता हूं और उनके साथ मेरी हमदर्दी भी है। लेकिन मैं उनको एक सलाह देने की बात सोच रहा था और मेरी उनसे सलाह है जो उनके काम आ सकती है, अगर वह मेरी बात सुन लें। वह सलाह यह है कि श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों में इस तरह का खर्च कुछ सदस्य लोग कभी-कभी कर बैठते हैं या चेयरमैन करा बैठते हैं जो कानूनन अवैध और ग़लत होते हैं और वहां वह खर्च उन मेम्बरान की जेब से और उनके घर से पूरा किया जाता है। तो अगर यहां भी ऐसी बात हो गई है तो यहां भी आगे के लिये ग़लत व्यवस्था कायम करने के मुक़ाबले में यह ज्यादा मुनासिब होगा कि जिन सदस्यों ने कुछ खर्च ऐसा कर दिया है वह उनसे काट लिया जाय, वर्ना जो मंत्री लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनकी जेब से उसे काटा जाय। अगर यह भी न करना चाहें तो चीनी वाला जो फंड पार्टी को आ रहा है उसी से इस खर्च को पूरा कर दिया जाय, बजाय इसके कि इस तरह से सार्वजनिक कोष पर यह अजाब डाला जा रहा है। मैं हरगिज इसको उचित नहीं समझता कि इस तरह से यह खर्च इस प्रदेश के सार्वजनिक कोष पर डाला जाय।

माननीय न्याय मंत्री जी ने इन दोनों संशोधनों के विरोध में सफाई देते हुये जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में अधिक कहना मुनासिब नहीं है लेकिन अपने जवाब में सेलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को नहीं भेजा गया। हमने कभी नहीं समझा कि हुकूमत बिल को सेलेक्ट कमेटी में इस लिये भेजती है कि वाद-विवाद वहां कम हो और वहां कमरे में बैठ कर निबट लिया जाय। इस नियत से बिल वहां जाता है यह हम कभी नहीं समझते हैं। माननीय मंत्री जी के कथन से मालूम हुआ कि वह तो बहुत चाहते थे कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में चला जाय और यहां पर इस तरह का लम्बा विवाद होने से बच जाय। वहां डिसकशन (वादविवाद) होकर, दो एक नोट आफ डिसेंट (विरोध टिप्पणी) के साथ यहां आ जाय। उसके बाद आप तो, श्रीमन्, यह व्यवस्था देते नहीं कि वह सैद्धान्तिक बहस यहां फिर शुरू हो जाय मगर यह हमको आज ही मालूम हुआ है कि डिसक्शन को कटशार्ट (कम) करने के लिये सेलेक्ट कमेटीज में बिल जाते हैं। अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ कि हमने अपनी तजवीज वापस ले ली। इन शब्दों के साथ में कहता हूँ कि यह धारा इस बिल में से निकाल दी जाय।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाबवाला, जो दलीलें दी गई हैं, उनका जवाब में कई दफा अपनी तक़रीरों में दे चुका हूं। उधर यह भी शिकायत है कि यह एक स्पेशलाइजेशन (विशिष्टीकरण) किया गया है। मालूम नहीं कैसे उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ। मगर जहां तक सेलेक्ट कमेटी का ताल्लुक़ है, उसमें गरज यह थी कि जो आपने ये दर्जनों तरमीमात यहां भेजी हैं अगर इन पर वहीं डिस्कशन हो जाता तो बेहतर होता क्योंकि यह देखे लिया जाता कि कौन तरमीमात ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट मंजूर कर सकती थी। जहां तक कि उसूल का सवाल है, मैं फिर दोहराऊंगा कि न तो उसकी मुखालिफत आपने की है और न वह किसी जायज तरीक़े से की हो जा सकती है। वहीं इंगलिस्तान के उसूल जिनका आपकी तरफ से हवाला दिया गया है हमने पेश किये हैं। रह गया यह कि इस बिल में क्या है और उस पर क्या जायज तौर से एतराज हो सकता था यह चीज ऐसी थी कि जो आसानी से सेलेक्ट कमेटी में तय हो जाती। बहरहाल, आपने उसे मंजूर नहीं किया। कंपेंसेटरी अलाउंस (प्रतिकर भत्ते) के बारे में जो तरमीमात आपने पेश कीं उन पर अलग अलग वोटिंग हुआ और वे नामंजूर हुई। इस लफ्ज का इस्तेमाल दफा ३ में किया गया है जो इस बिल का जुज है। मेरे ख्याल में किसी उसूल से इसकी मुखालिफत नहीं की जा सकती है। हां, अगर बिल की मुखालिफत करनी है तो उसके लिये थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) बाकी है उस वक्त वह हो सकती है।

जहां तक डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन का यह कहना है कि बहुत से और नाम हो सकते हैं तो यह कोई राज की बात नहीं है। हमने फेहरिस्त बना कर दे दी है। अगर उसके अलावा कोई और नाम हैं तो वे हमें बतावें। सब मेम्बराने असेम्बली को मालूम है कि किन मेम्बरान को क्या क्या फरायज दिये गये हैं और उन्होंने क्या क्या फरायज अन्जाम दिये हैं। जिस जिस जिले में जो जो काम हुआ है वह छिपा नहीं है। वह अलानिया हुआ है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी खबर महज गवर्नमेंट को ही हो सकती है और दूसरों के पास नहीं हो सकती? हो सकता है, जैसा आपने फरमाया, कि दो चार या दस बीस ऐसे नाम रह गये हों। लेकिन उनके अलाउंसेज ऐसे नहीं हैं जो उससे ज्यादा हों जो इस असेम्बली के मेम्बरान बहैसियत मेम्बर के पाते हैं। सारा प्वाइंट यह है कि जो आप खुद तसलीम करते हैं कि जो बहैसियत मेम्बर इस असेम्बली के किसी को मिल सकता है उससे ज्यादा न दिया जाय।

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

उन लोगों में भी जिन लोगों ने एलाउन्स लिया है वह उसी क़दर है जिसका असेम्बली का मेम्बर होने की हैसियत से वे मुस्तहक़ थे। बहुत से मेम्बरान से इत्तिला यह मिली है कि उन्होंने कोई एलाउन्स किसी क़िस्म का इस सिलसिले में लिया ही नहीं।

लिहाज़ा इसको कोई अहमियत अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अहमियत नहीं होती है और उसकी अहमियत सिर्फ उस क़दर होती है कि वह टेक्निकल आफेन्स आफिस आफ प्राफ़िट (प्राविधिक अपराध लाभ के पद) का होता है। लेकिन उस वक्त तक है जब तक उसके प्राविज़न (प्रबन्ध) के लिये कोई ऐक्ट या लेजिस्लेशन (अधिनियम या विधान) पास नहीं होता है। जैसे ही आप यह लेजिस्लेशन पास कर देंगे वे तमाम मेम्बरान उससे मुस्तसना हो जाते हैं और उन्हीं को मुस्तसना करना हमारा मक़सद है। हमारा यह मक़सद नहीं है कि जिस किसी को बहुत ज्यादा रक़म मिल गयी हो हम उसको प्रोटेक्ट (रक्षित) करना चाहते हैं या हमारी ऐसी नीति रही, या हमने कभी ऐसा किया है या आइन्दा करने वाले हैं। जिनको एलाउंस मिला है वह ज्यादातर वही है जितना कि एलाउंस बहैसियत इस हाउस के मेम्बर होने के वे मुस्तहक़ हैं। बहुत से मेम्बरान ऐसे भी हैं, जैसे श्री फूल सिंह जी, जिन्होंने कोई एलाउन्स नहीं लिया, अपने पास से खर्च किया है। जिन लोगों को एलाउंस दिया गया है वह मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि उनको एलाउंस सिर्फ उतना ही मिला है जितना कि गवर्नमेंट के नजदीक़, हर रीज़नएबुल परसन (ठीक व्यक्ति) के नजदीक़ आउट आफ पाकेट एक्सपेंडीचर है। मसलन् कोई लखनऊ में रहने के लिये मजबूर हुआ तो उसको मकान का किराया दिया गया या उसकी कोई ऐसी ड्यूटी (कार्य) हुई जिसमें मोटर पर सफर करना पड़ा हो या मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ा हो तो या तो उसको मोटर एलाउंस दिया गया या उसके डिस्पोज़ल पर एक कार रख दी गयी जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किया। इस क़िस्म के अख़राजात हुये हैं और वे इस ग़रज़ से हुये हैं कि वह बहैसियत मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली के नेशनल वर्क में, क़ौम के काम में, मुल्क के काम में हाथ बटा सकें। यही उसका पहले भी मक़सद था और आयन्दा भी रहेगा। मैं इतना ही इत्मीनान दिला सकता हूं। रह गये आपके शकूक। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी जात कि जिसमें कोई खुदाई ताक़त हो वह तो शायद रफ़ा कर सके वरना इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसको रफ़ा कर सके।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--५७

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवप्रसाद, श्री

बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भीमसेन, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लालबिहारी टण्डन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में--१६

अब्दुल बाक़ी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नारायणदास, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
साजिद हुसैन, श्री

खण्ड ३

कुछ दशा में राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण

३--इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं।

अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८२ के अधीन निर्मित विधान मंडल के सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे :--

(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद।

(ख) किसी विशेष कर्त्तव्य पालन के लिए (for the performance of any special duty) अवैतनिक पद या

(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद,

किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस विषय में प्रवृत्त सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा केवल प्रतिकर भत्ता (compensatory allowance) ही मिलता रहा हो।

श्री अब्दुल बाकी——जनाब वाला, मैं यह तरमीम पेश करता हूं कि खंड ३ की पंक्ति ५ में शब्द "सदस्य" के बाद शब्द "चुने जाने या सदस्य" बढ़ा दिये जायं।

जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस ने शुरू में भी बताया और आज भी अपनी तक़रीर में वज़ाहत करते हुए आगाह किया है कि यह ऐक्ट उसी वक्त तक रहेगा जब तक कि यह सेशन (सत्र) है यानी ग़ालिबन जनवरी तक और उसके बाद इस ऐक्ट का हश्र क्या होगा, अज़खुद इसकी मौत आ जायगी या शायद अमेंडमेंट आये, यह पता नहीं है, या बकौल मेरे दोस्त के इसका हार्ट फेल हो जायगा। दोनों तरफ से जो तक़रीरें हुई हैं उन तमाम का माहसल यह है कि ऐसी चीजें हुई हैं जिनको अगर सामने रखा जाय तो जो भत्ता मेम्बरों को मिला है, उन भत्तों की बिना पर वह डिसक्वालिफाइड (अनर्ह) हो जायंगे। इसलिए यह बिल लाया जा रहा है कि जो डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) पैदा हो रही है कम से कम उसे रिमूव (दूर) कर दिया जाय।

इस बिल में हवाला दिया गया है आर्टिकिल १९१ का। आर्टिकिल १९१ में दो चीजों का प्राविज़न है, एक तो उन मेम्बरों के मुताल्लिक़ है कि जो पहले से किसी हाउस के मेम्बर हैं। दूसरा प्राविज़न उनके मुताल्लिक़ है कि जो किसी हाउस के मेम्बर मुन्तखिब किये जायंगे। यह बिल जो आया है इसमें सिर्फ एक चीज रखी गयी है यानी इस चीज का ताल्लुक सिर्फ उन मेम्बरान से है जो मेम्बरान कि पहले से इस हाउस के मेम्बर हैं। उन मेम्बरों के मुताल्लिक़, जहां तक मैं समझ सका हूं, कोई प्राविज़न नहीं है जिनका इंतख़ाब आइन्दा होने वाला है। इस तरीक़े से इस बिल की दफ़ा ३ में जो प्राविज़न है उसके माने यह हो जाते हैं कि जिन मेम्बरान ने भत्ता वसूल पाया है मगर वह भत्ता पाया है जिसका पहले से कोई प्राविज़न नहीं था, तो उनको तो हम इस ऐक्ट के ज़रिए से प्रोटेक्ट (रक्षित) कर लेंगे और वह डिसक्वालिफाइड (अनर्ह) नहीं होंगे। मगर आइन्दा एलेक्शन जो होगा तो एलेक्शन होने के वक्त यह जितने मेम्बरान हैं सब उस वक्त तक मेम्बर रहेंगे जब तक कि गज़ट में आइन्दा आने वाले मेम्बरान की इशाअत न हो जाय। तो जिस ज़हमत से आनरेबिल मिनिस्टर भागना चाहते थे, उनके सामने वही ज़हमत आ जायगी और वह यह है कि जिन जिनके पर्चे दाखिल होंगे उनपर यह आब्जेक्शन (आपत्ति) होगा कि फलां मेम्बर साहब फलां कमेटी के मेम्बर थे, या फलां पोस्ट को होल्ड करते थे और उन्होंने फलां क़िस्म के भत्ते पाये हैं। इसलिए अंडर दि कांस्टिटयूशन वह एंटाइटिल नहीं हैं टु बि चोज़न (संविधान के अधीन उन्हें चुने जाने का अधिकार नहीं है)। मैं नहीं समझ सका कि उस वक्त आनरेबिल मिनिस्टर साहब क्या जवाब देंगे। ग़ालिबन आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने तो यह समझ लिया था कि हमने उन मेम्बरों को, जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हर तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है और उनके लिए हमने मैदान खड़े होने का भी साफ कर दिया है और गालिबन वह इस बात पर गौर नहीं कर सके और मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूं कि हमने बार बार ऐसी गलतियां की हैं कि एक चीज पर मुताद्दिद बिल लाया करते थे। सन् १९५० में कांस्टिटयूशन का नफ़ाज होने के बाद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के मुताल्लिक एक बिल लाये कि वह डिबार्ड न हो सकें। उसी वक्त गवर्नमेंट को सोचना चाहिये था कि कुछ और लोग होंगे, क्योंकि जितने मेम्बरान थे वह तो पहले से ही काम कर रहे थे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पहले से ही हुए थे।

माननीय अध्यक्ष——माननीय सदस्य तरमीम से अलाहदा जा रहे हैं। आपकी तरमीम इतनी है कि चुने जाने चाहिये। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मुक़र्रर करते वक्त क्यों नहीं इस विधेयक को लाये, इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी——मैं तो यह बतौर एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) के अर्ज कर रहा था कि यह चीज भी सामने रखनी चाहिये थी कि जो मेम्बरान इस वक्त हैं उनकी तो डिस्क्वालि-

फिकेशन (अनर्हता) की वजह से आप यह ला रहे हैं। बहुत मुमकिन है इलेक्शन के बाद भी यह मेम्बरान रहेंगे और जो आफिस होल्ड (पद धारण) करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जबतक इलेक्शन कम्प्लीट (पूर्ण) न हो जाय और इलेक्शन के जमाने तक यह मेम्बरान आफिस होल्ड करेंगे। तो फिर ऐसी सूरत पैदा होगी कि ऐसे मेम्बरान जो आफिस होल्ड करते हैं वह चुनाव के लिये खड़े हो सकते हैं या नहीं। इसलिये बड़ी सीधी सी तरमीम है और यह तरमीम अन-क़रीब आनरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने आने वाली है और गालिबन जब वह खड़ा करेंगे लोगों को नशिस्तों पर तो उस वक्त उनके सामने यह चीज आ जायगी। तो दरहक़ीक़त यह मेरी जहमत नहीं है, बल्कि पढ़ने के बाद मैंने यह महसूस किया कि जहां आप उन मेम्बरान की डिस्क्वालिफिकेशन को हटा देते हैं जो पहले से किसी आफिस को होल्ड करते हैं, उनके लिये यह बन्दिश की जा रही है कि वह अगले चुनाव में खड़े न हो सकें, जो जनवरी में होने वाले हैं। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जो तक़रीर की है उसका तो मतलब यह है कि जब कांस्टिटयूशन के मुताबिक फिर नया इलेक्शन होगा, हाउस फिर तलब होगा उस वक्त जो हाउस की राय होगी वह बनी रहेगी। वह तो दूसरी चीज है, उस वक्त कोई क्या बनेगा या नहीं बनेगा यह दूसरी चीज है। मेरी तजवीज यह है कि मौजूदा मेम्बरान जो खड़े होंगे दूसरी नशिस्तों से तो क्या उस वक्त यह मसला पेश न होगा कि जो आफिस होल्ड करते हैं उनका क्या होगा। उनके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है जो आलरेडी मेम्बरान हैं और जो रहना चाहते हैं या चुने जायंगे। इसलिये यह १९१ का जो प्राविजन न था उसका नफ़ाज जो ऐक्ट में किया है और उसमें से जो हिस्सा रह गया है वह या तो मिस्टेक (त्रुटि) है या बड़ा सख्त ब्लंडर (भयंकर दोष) है। उसमें कहा गया है कि--

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा]

तो जहां तक कि दूसरे फिकरे का ताल्लुक़ है यानी --

"For being a member of the Legislative Assembly of a State."

[किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य होने के लिये]।

यह तो दूसरा फिक़रा है, लेकिन जहां तक इसके पहले अल्फाज़ हैं "फार बीइंग चोजेन" मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा ओमिशन (भूल) है जिसकी वजह से फिर वही जहमत पेश होगी और ऐसा मालूम होता है कि ज्योंही हम हाउस (सदन) से उठेंगे तो गवर्नमेंट तजवीज लायेगी कि एक बिल की जरूरत है। वह मेम्बर आइंदा आखिर खड़े कैसे होंगे क्योंकि वह क्वालिफाइड (अर्ह) नहीं हैं, वह टी० ए० और डी० ए० ड्रा करते हैं। इसलिये मेरी सीधी सी तरमीम है और आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और समझेंगे कि यह उनका ओमिशन है और इस तरमीम को मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाबे सदर, मेरे ख्याल में तो मेम्बरान अपोजीशन (विरोधी दल के सदस्य) को खुश होना चाहिये कि कम से कम गवर्नमेंट यह नहीं समझती है कि कन्डेम्ड (दण्डित) मेम्बर, मैं कह सकूं जिनको कि गवर्नमेंट का जिन पर असर है, कम से कम उनके मुताल्लिक यह है कि वह इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकेंगे। तो यह आपके लिए कोई शिकायत की जगह नहीं है, खुश होने की जगह है कि जो मेम्बर गवर्नमेंट से रुपया पाते हैं वह महज उसी वक्त तक मेम्बर रहें जब तक यह असेम्बली रहे और अगर आपका इंटरप्रिटेशन (निर्वचन) सही है कि वह आइंदा की असेम्बली में खड़े भी न हो सकेंगे तो आप को कम से कम शिकायत न होनी चाहिए। बहरहाल, जहां तक गवर्नमेंट की पालिसी का ताल्लुक़ है मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारा खयाल यह है कि कोई ऐसा मेम्बर जो

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

कि इस वक्त मेम्बर है, अगर किसी वजह से डिस्क्वालीफाइड (अनर्ह) है तो नामिनेशन (निर्देशन) के वक्त तक वह सुबुकदोश हो चुका होगा और नामिनेशन के वक्त इसके लायबिल (उत्तरदायी) नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी जरूरत नहीं समझी कि आइन्दा के लिए भी यह बिल लाये ताकि आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा इल्जाम लगा सकें और यह कह सकें कि महज इस असेम्बली तक इक्जेम्शन (मुक्ति) नहीं रखा गया है बल्कि आइन्दा के एलेक्शन के लिए भी चाहती है कि जिन के ऊपर यह डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) है वह आइन्दा असेम्बली में भी मुन्तखिब होकर आ जायं। लिहाजा मेरा ख्याल यह है कि इस तरमीम की कोई जरूरत नहीं है। मेम्बरान खुद इस्तीफा दे देंगे और नामिनेशन के वक्त तक कोई इस क़िस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी।

श्री अब्दुल बाकी--जनाब वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस की तक़रीर सुन ली। मुझे बड़ा अफसोस है कि इसको वह एप्रीशिएट नहीं कर (समझ नहीं) सके। शायद उन्होंने जहमत नहीं गवारा की अनुच्छेद १९१ समझने की। शायद यह उनकी खुशवहमी है, जैसा कि जाहिर किया है कि वह मुन्तखिब हो सकेंगे। अगर यह खुशवहमी हैं तो वह इसमें रहें। गालिबन वह यह समझे नहीं।

लिहाजा मैं तो फिर अपने प्वाइंट को प्रेस करता (जोर देता) हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ५ में शब्द 'सदस्य' के बाद शब्द "चुने जाने या सदस्य" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ज्ञानचन्द गौतम--श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ की पंक्ति ५ और ६ से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं --

"और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे।"

जिस समय से यह बिल विचाराधीन पेश हुआ इस प्रसंग में काफी बातचीत हो चुकी है। मुझे सिर्फ इतना ही जोड़ना बाकी है कि वास्तव में अगर इस तरह के किसी प्राविजन की जरूरत थी और इस तरह का कोई संरक्षण जरूरी था तो इसका अवसर अब से बहुत पहले आया है। हुकूमत ने पार्लियामेंटरी सेक्रटरी के संबंध में इस तरह का एक कानून पेश किया था। वह यह देख करके पेश किया था कि संविधान में जो प्राविजंस हैं उनकी रू से उनके लिए यह लाजिम है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के आफिस की इस तरह से संरक्षता करें। उस समय अगर उन्होंने संविधान को पढ़ा था तो उनके सामने यह भी प्रकट हो गया होगा कि जो नियुक्तियां पदों पर कर रहे हैं जो संविधान की इन अनुच्छेदों की रू से, १९१,१९२,१९३ और १९४ की रू से यह अनर्ह होते हैं तो इनके संबंध में भी इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह व्यवस्था उस समय नहीं की। उसके लिए माननीय न्याय मंत्री जी का रुख तो यह है कि अगर अभी हमने नहीं किया और अपने मन से नहीं किया तो अपने पक्ष के लोगों को और प्रिय पात्रों को जिनको हमने नियुक्त किया है उनको नुक्सान उठाने दीजिये। आप को क्या फिक्र है। आपका तो फायदा ही फायदा है।

असल में इस माननीय सदन में बैठने के बाद हम यह भूलकर चलते हैं कि कौन लोग न्याय मंत्री के पक्ष में एक तरह से बचन बद्ध हैं और कौन लोग यहां बचनबद्ध हैं उनकी हर बात की मुखालिफत करना यह रास्ता हम लोगों का है ही नहीं। जो प्रसंग यहां उपस्थित होता है हम यही उम्मीद करते हैं कि इधर के बैठने वाले उचित समीक्षा और

उचित सलाह देगें। ठीक उसी प्रकार हम न्याय मंत्री के पीछे बैठने वाले सदस्यों से करते हैं। इस वजह से उनका यह रुख मुनासिब नहीं है। इसलिए अगर ऐसी अनर्हता उनके पीछे बैठने वाले सदस्यों पर लागू होती ह तो मैं खुश नहीं हूं। ऐसा हुआ है तो हुकूमत की गफलत से हुआ है और हुकूमत की लापरवाही से हुआ है जिसकी वजह से बहुत से माननीय सदस्य नुक्सान उठा सकते हैं। ऐसी सूरत में कोई चारा नजर नहीं आता है कि इससे कोई बचाव हो सकता हो जो रिट्रोस्पैक्टिव अफेक्ट (. नुत्र्शी प्रभाव) माननीय न्याय मंत्री जी देना चाहते हैं जैसा कि प्रथम वाचन में कहा जा चुका है कि वह असंभव है, चाहे किसी दूसरे कानून को दे चुके हों। मगर इसमें अगर एक बार डिस्क्वालीफिकेशन (अनर्हता) लागू हो गई है तो उसकी रू से अगर वह डिस्क्वालीफाइड (अनर्ह) हो जाता है तो उसकी सीट वेकेंट हो जाती है और अगर वह बैठता है तो दंड का भागी है। इससे माननीय मंत्री जी कानून के दो फिकरे जोड़कर बचाव नहीं कर सकते हैं। अगर वह ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि उनके इस बिल के पास हो जाने के बाद अगर कोई एतराज कर दे और एतराज करने का इस सूबे के हर नागरिक को हक़ होगा क्योंकि उसके सार्वजनिक कोष से वह अदायगी होने वाली है या हुई है, जिसको आप वैध घोषित करेंगे। हर नागरिक को अधिकार होगा कि वह किसी भी काम्पीटेंट कोर्ट यानी समर्थ अदालत के सामने इस प्रश्न को उठा दे और इस लिहाज से मुझे मुकम्मिल भरोसा है कि अगर यह इसी शक्ल में कानून पास होता है तो कोई हाईकोर्ट इसको वैध घोषित नहीं कर सकता। केवल इतना कहकर मैं माननीय मंत्री जी से बहुत विनय-पूर्वक इस पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन मान लें और इन धाराओं को वह ऐक्ट में से निकाल दें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--माननीय अध्यक्ष, मुझे इसके जवाब में ज्यादा अल्फाज नहीं कहने हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपनी इब्तदाई स्पीच में तफसील बयान कर दूं कि यह वाकया नहीं है कि इस किस्म के ओहदे या जिम्मेदारी लेने में कोई शख्स आटोमेटिकली या खुद ब खुद लेजिस्लेचर के मेम्बर नहीं रहते हैं जब तक अनुच्छेद १९२ के अन्दर मामला गवर्नर के सामने न जाय वह फैसला न दे। वह सिर्फ उन्हीं हालतों में होता है जब कि लीडर आफ दी पार्टी या लेने वाला अपनी जगह पर समझे कि इसकी वजह से वह डिस्क्वालीफाइड (अनर्ह) हो गया है और वह शख्स मेम्बर असेम्बली का नहीं रहा जिसका प्राविजन अनुच्छेद १९० (३) में किया गया है। अनुच्छेद १९० (३) में दिया है --

"If a member of a House of the Legislature of a State.—

becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191,

his seat shall thereupon become vacant."

[यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य --

अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायगा।]

लेकिन अगर वह सीट (स्थान) इस नियत से नहीं दी गई हो और न ली गई हो कि सीट वेकेन्ट (रिक्त) हो जायगी, जब तक १९२ की कार्यवाही न हो उस वक्त तक कोई सीट वेकेंट नहीं होती। लिहाजा ऐसी सूरत में यह कहना कि अगर ऐसी नियत

[माननीय श्री सयद अली जहीर]

हैं इस ऐक्ट की वजह से जो मेम्बर नहीं रहे हैं इस वक्त उनको हम मेम्बर बना दें यह बिलकुल गलत इंटरप्रीटेशन (निर्वचन) है। हमारी यह मंशा है कि जिस वक्त यह फैसला हो उस वक्त एक डायरेक्टिव (आदेश) इस हाउस का मंजूर हो और यह खयाल उनका गलत है कि किसी ने आफिस आफ प्राफिट होल्ड (लाभ का पद धारण) किया और वह आफिस आफ प्राफिट न समझा जायगा। इसका मतलब यह है जैसा कि इसमें साफ दिया हुआ है।

मैं याद दिलाऊंगा अपने दोस्त को कि उन्होंने हवाला दिया था गवर्नमेंट आफ इंडिया के बिल का जिसकी नकल उनके पास मौजूद है जो बिल की सूरत में ही मौजूद है, ऐक्ट नहीं बना। कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया जनवरी, १९५० ई० से नाफिज हुआ। उनको इसे कबूल करना चाहिए कि हम बहुत सी स्टेट्स से ज्यादा जल्दी और सब से पहले यह काम कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया में यह काम नहीं हुआ है। क्या वजह है यह हम नहीं जानते। बिल पर अगर आप निगाह डालेंगे तो मालूम होगा कि बिल में प्राविजन है कि यह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) से नाफिज होगा। बहर हाल यह मेरा मतलब नहीं है कि वहां किस फार्म (प्रकार) का बिल अल्टीमेट्ली (अन्त में) पास होगा। अपनी जरूरियात का हमने लिहाज रखते हुए, इस सूबे के हालात को देखते हुए और कानून के तामील की गरज से इस बिल को यहां पेश किया है। मेरी समझ में कोई गलती इसमें नहीं है। न हम यह चाहते हैं कि ऐसी बात को हम ओमिट कर (छोड़) दें कि इस वजह से यह लोग पहले से अलग हो चुके हैं, गोया हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए फिर मेम्बर हो जायं। अदालत क्या करेगी, न वह कह सकते हैं, न हम कह सकते हैं। अपनी समझ से सही बिल, जो कायदे-कानून के मुताबिक है, जो बिलकुल इंसाफ पर मबनी है, उसको हमने यहां पेश किया है और अदालत क्या करेगी इसका स्पेकुलेशन करना (अनुमान) बेकार है।

कार्य के क्रम में परिवर्तन

माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले मुझे यह सूचना देनी है कि सरकार की तरफ से मेरे पास एक चिट्ठी आयी है जिसमें यह कहा गया है कि जो क्रम विधेयकों का था उसमें वह कुछ तरमीम करना चाहते हैं। इसकी प्रति माननीय सदस्यों की मेज पर कल रखवा दी जायगी। मगर चूंकि मुमकिन है यह विधेयक कल खत्म हो जाय तो उसके बाद वह क्या चाहते हैं, उन दो तीन विधेयक का नाम, जो पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर आते हैं, बतला देना चाहता हूं।

१--उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कान्टीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक।

२--उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन और प्रकीर्ण निदेश) विधेयक।

३--उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्पादन विधेयक।

इसके बाद और हैं। कल माननीय सदस्यों की मेज पर उस चिट्ठी की प्रति मैं रखवा दूंगा। इस विधेयक के बाद पहले जो तीन विधेयक गवर्नमेंट चाहती है उनके नाम मैंने बतला दिये हैं।

श्री खुशवक्त राय--इसके बाद यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजिशन विधेयक ही तो है।

माननीय अध्यक्ष--दूसरे और तीसरे नम्बर पर फर्क है। माननीय सदस्य उसी के अनुसार तैयार रहें इसलिए मैंने इस वक्त ये तीन नाम बतला दिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

पी० एस० यू० पी०--५१ एल० ए०--१९५१--६१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा ख़ां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथदास, श्री
जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मसुरिया दीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजीलाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुजफ्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवंशनारायण सिंह, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
राघवदास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री

सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद आकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पान पर बिक्री-कर

*१--**श्री त्रिलोकी सिंह**--क्या माननीय अर्थ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पान की बिक्री पर कितना कर लगता है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ३ के अधीन पान की बिक्री पर बिक्री के क्रम में हर बार तीन पाई प्रति रुपया के हिसाब से कर (टैक्स) लगता है।

*२--**श्री त्रिलोकी सिंह**--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कर के सिलसिले में पान के व्यापारियों ने कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास भेजा है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*३--**श्री त्रिलोकी सिंह**--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रार्थना-पत्रों पर अच्छी तरह से विचार किया गया, किन्तु वे नामंजूर कर दिये गये।

एडेड स्कूलों के प्रबन्ध के लिये समितियां

*४--**श्री सुलतान आलम खां**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेटर मैनेजमेंट फार एडेड स्कूल्स समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दिसम्बर, १९४७ ई०।

*५--**श्री सुलतान आलम खां**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समिति ने एडेड स्कूलों के प्रबन्ध के लिए जिस समिति के निर्माण की सिफारिश की थी उसमें कितने सरकारी तथा कितने असरकारी सदस्य थे?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नई प्रबन्ध समितियों में १५ से अधिक सदस्य रखने की सिफारिश की थी। उन १५ सदस्यों में तीन सरकार द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था थी। मनोनीत सदस्य बिना किसी भेद के हो सकते हैं।

*६--**श्री सुलतान आलम खां**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेटर मैनेजमेंट फार एडेड स्कूल्स समिति ने एडेड स्कूलों के लिए जिन समितियों की सिफारिश की थी, वे अब तक क्यों नहीं बन सकीं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्राप्त हुई सूचना से ज्ञात होता है कि कई स्कूलों में तो सरकारी आदेशानुसार नई समितियां बन गई हैं परन्तु बहुत से स्कूलों ने विरोध प्रकट किया है। वैधानिक और शासकीय दृष्टि से अड़चन पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार के पास ऐसी कोई फेहरिस्त है जिससे यह मालूम हो सके कि कितने स्कूलों में यह कमेटियां बन गई हैं और कितनों में बनना बाकी हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२२५ के क़रीब स्कूलों में बन गई हैं।

*७--**श्री सुलतान आलम खां**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एडेड स्कूलों के लिए उपर्युक्त समितियों का निर्माण कब होने जा रहा है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जितने स्कूलों में ये कमेटियां नहीं बनी हैं और जिनके बारे में वैधानिक अड़चन हैं उनके लिये सरकार क्या कर रही है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि प्रश्न संख्या ७ में बताया गया है उस पर, गौर हो रहा है। लोगों ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा, उन्होंने हमारे पास भेज दिया है कि इस पर गौर किया जाय। उन्होंने यह लिखा था कि कांस्टीटचूशन के मुताबिक सबको स्कूल खोलने का अधिकार है और इस क़ायदे से उस अधिकार में दखल होता है। इस कान्स्टीटचूशन के सवाल पर गौर हो रहा है।

श्री सुलतान आलम खां-----क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि उसने कोई ऐसा हुक्म निकाला है जिससे एडेड स्कूल्स मजबूरन ऐसी कमेटी बनायें?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मजबूर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि कान्स्टीटचूशनल (वैधानिक) सवाल तय न हो जाय।

यू० पी० आयल मिलर्स एसोसियेशन की मुरादाबाद के सेल्स टैक्स आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*८--**श्री श्रीचन्द सिंघल** (अनुपस्थित)--क्या माननीय अर्थ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० आयल मिलर्स एसोसिएशन के सभापति ने मुरादाबाद के एक सेल्स टैक्स आफिसर के बुरे बरताव की शिकायत सेल्स टैक्स कमिश्नर, यू० पी०, को तारीख १३ जुलाई, सन् १९५१ ई० को लिखी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*९--**श्री श्रीचन्द सिंघल** (अनुपस्थित)--यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में है, तो माननीय मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि वह क्या शिकायत है, किस हाकिम के विरुद्ध है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आरोप यह था कि यू० पी० आयल मिलर्स एसोसियेशन के प्रेसीडेंट जिस मिल के हिस्सेदार हैं उसको रुपया लौटाने के एक मामले में कार्यवाही करते समय संबंधित अफसर ने बड़ा बुरा बर्ताव किया। शिकायत मुरादाबाद हल्के के सेक्टर २ के सेल्स टैक्स अफसर (श्री एम० डी० चौहान) के खिलाफ थी। सेल्स टैक्स कमिश्नर ने स्वयं ही इस शिकायत की जांच की है और मामला आपस के समझौते से तय हो गया है।

अलमोड़ा जिले में ऊन का व्यवसाय

*१०--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा जिले में ऊन का कारोबार कहां कहां चला हुआ है और उस की क्या प्रगति है?

नोट--तारांकित प्रश्न ८--९ श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने तथा १०--१३ श्री ई० एम० फिलिप्स ने पूछे।

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह (उद्योग मन्त्री)--इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नत्थी की हुई सूची 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२८ पर)

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वहां पर घरेलू ऊन का धंधा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कम होता जा रहा है या तरक्की पर है ?

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं, तरक्की पर है। कम नहीं होता जा रहा है, सिर्फ योजना का रूप बदल दिया गया है।

*११--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि इस साल वहां उद्योग विभाग के सुपरिन्टेंडेंट ने ३०० मन ऊन ७५ या ८० रुपया मन की दर से सट्टे में खरीदा और फिर आधा ऊन लगभग २२५ रुपया मन की दर से बेच दिया ? यदि हां, तो विभाग को इस व्यवसाय से कितना लाभ हुआ ?

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--इस साल के लिए १९५०-५१ में क़रीब १६० मन ऊन अल्मोड़ा-नैनीताल योजना द्वारा क्रय की गई जिसका भाव ९० रुपया प्रति मन से ११५ रुपया प्रति मन था। विभाग द्वारा इस योजना के लिये ३०० मन ऊन क्रय करना निश्चित हुआ था, परन्तु ऊन का भाव तेज हो जाने के कारण कुल ऊन न क्रय की जा सकी। इस ऊन की बिक्री का भाव ११० रुपया प्रति मन निश्चित किया गया है। सन् १९५१-५२ में अब तक ऊन का क्रय बिलकुल नहीं हुआ है। परन्तु आगामी वर्ष के लिये क्रय करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सरकार को इस व्यवसाय से लाभ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऊन किसी बिक्री के मूल्य के आधार पर ही भेजी जाती है।

*१२--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या डायरेक्टर तथा सरकार के पास वहां की जनता की यह शिकायत आयी है कि वर्तमान सुपरिन्टेंडेंट को वहां के ऊन के व्यवसाय का अनुभव कम है, और वहां घरेलू ऊन के धन्धे का ह्रास होता जा रहा है ?

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--इस विभाग द्वारा डिवीज़नल सुपरिण्टेंडेंट, अल्मोड़ा के ऊन के व्यवसाय की अनुभवहीनता के सम्बन्ध में कोई शिकायत व्यक्तिगत रूप से नहीं आई। एक दो बार 'शक्ति' अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा ऊन योजना के कार्य की आलोचना प्रकाशित की गई थी। चूंकि इस योजना के भविष्य की कार्यप्रणाली का सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक कमेटी द्वारा निश्चित किया जा रहा था, इसलिये इस संबंध में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है।

*१३--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान सुपरिण्टेंडेंट वहां कब से हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--वर्तमान डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट, अल्मोड़ा, की नियुक्ति इस पद पर दिनांक ११ मार्च, १९४८ ई०, से की गई थी। उनकी योग्यता निम्न प्रकार है--

(१) गवर्नमेंट टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, की केमीकल टेक्नालाजी का डिप्लोमा	..	२ श्रेणी।
(२) कलर कैमिस्ट्री में योग्यता	..	३ श्रेणी।

वे इस पद के लिये प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी स्वीकृत हैं।

*१४-१५--**श्री खुशवक्त राय**--[स्थगित किये गये।]

लोकल फंड आडीटर की सहायक कमिश्नर बिक्री कर के पद पर नियुक्ति

*१६--**श्री खुशीराम**--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री कर विभाग में क्या एक लोकल फण्ड आडीटर की नियुक्ति सहायक कमिश्नर बिक्री कर के पद पर की गयी है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री खुशी राम--क्या सहायक कमिश्नर बिक्री-कर के पद के लिये उस विभाग में कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जिसकी पदोन्नति हो सकती थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं समझता कि यह सवाल कैसे पैदा हो गया। गवर्नमेंट ने जिसको उपयुक्त समझा उसको पब्लिक सर्विस कमीशन से सन् ४८ में जो सलाह आयी थी, उसके अनुसार नियुक्त किया।

*१७--**श्री खुशीराम**--क्या यह नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लोकल फंड एकाउन्ट्स विभाग के सीनियर आडीटर को उस परामर्श के आधार पर सहायक बिक्रीकर कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने सहायक बिक्रीकर कमिश्नरों के पद पर नियुक्त करने के लिये अफ़सरों के चुनाव के सम्बन्ध में दिया था; और पब्लिक सर्विस कमीशन को इस नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचना दे दी गई थी।

*१८--**श्री खुशीराम**--इस नियुक्ति के लिए सरकार ने क्या योग्यता निर्धारित की है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तक सहायक बिक्रीकर कमिश्नरों के पदों के लिए कोई विशेष योग्यतायें नहीं निर्धारित की गई हैं, परन्तु एकाउन्ट्स में अच्छा ज्ञान होना तथा व्यक्तिगत ईमानदारी का होना आवश्यक है।

*१९--**श्री खुशी राम**--सहायक कमिश्नर बिक्री कर के पद पर नियुक्ति होने पर उनको अपने पूर्व पद से कितना अधिक वेतन व भत्ता मिलने लगा है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लोकल फंड एकाउन्ट्स विभाग के सीनियर आडीटर को, जिन्हें सहायक बिक्रीकर कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है, इस समय उस वेतन से, जो उन्हें लोकल फंड एकाउन्ट्स विभाग में मिलता था, २१० ० प्रति महीने अधिक मिल रहा है।

*२०--**श्री खुशीराम**--क्या यह नियुक्ति स्थायी है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*२१-२५--**राजा वीरेन्द्र शाह**--[स्थगित किये गये।]

गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल, आगरा के हेडमास्टर की अपील का आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा बहाल किया जाना

*२६--**श्री ई० एम० फिलिप्स**--क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सहायता-प्राप्त स्कूलों का कोई भी झगड़ा आरबीट्रेशन बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और उसका निर्णय अन्तिम है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। यू० पी० एजुकेशन कोड के परिशिष्ट १० में दिये हुए समझौते के अनुच्छेद १५ के अनुसार केवल वह झगड़ा जो पदच्युति, अपदस्थता, या वेतन के कम किये जाने या रोक लेने से सम्बन्धित हो मध्यस्थ परिषद् (Arbitration Board) द्वारा निर्णीत हो सकता है और परिषद् का निर्णय अन्तिम होता है।

*२७--**श्री ई० एम० फिलिप्स**--क्या यह सच है कि गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल, आगरा के हेड मास्टर को, जो बरखास्त कर दिया गया था, अपील बोर्ड द्वारा बहाल की गयी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री ई० एम० फिलिप्स--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि यह झगड़ा जो गान्धीहायर सेकेण्डरी स्कूल के हेड मास्टर का है वह एजुकेशन कोड के नियम के मुताबिक तय हो सकता है या नहीं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारे खयाल में हो सकता है, इसीलिये इस मामले को आर्बिट्रेशन बोर्ड (मध्यस्थ परिषद) में भेजा गया था।

श्री ई० एम० फिलिप्स--क्या इस झगड़े के मुताल्लिक़ आपके पास काग़ज़ात इरसाल किये गये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जरूर इरसाल किये गये तभी तो मामला आर्बिट्रेशन (मध्यस्थ) के सामने गया।

श्री ई० एम० फिलिप्स--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि वह कब तक तय होगा ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसकी बाबत यों मुश्किल हो गई कि दोनों में से एक पार्टी ने दीवानी में दावा दायर कर दिया है। जो फैसला हम करें भी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि दीवानी से कोई फैसला न हो जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स--क्या यह सही है कि वह दीवानी में दावा सिर्फ उसी झगड़े की वजह से है कि आर्बिट्रेशन बोर्ड ने जो तय किया है उस पर डिग्री हासिल कर ली जाय ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*२८--श्री ई० एम० फिलिप्स--यदि हां, तो क्या बोर्ड का निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, क्योंकि स्कूल की प्रबन्ध समिति ने परिषद् के निर्णय की सार्थकता का वैधानिक और कार्यविधि के नियमों के आधार पर विरोध प्रकट किया है। और यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, जौनपुर को सरकारी सहायता

*२९--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, जौनपुर, को इस वर्ष सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गयी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१,१०४ रुपया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर महोदय ने इस पाठशाला के इन्तजाम के बारे में कोई किसी प्रकार की शिकायत की थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल उनको ग्रान्ट दी जाती है और इससे किसी शिकायत का संबंध नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या यह पाठशाला कर्म कांड पढ़ाना चाहती है और इन्सपेक्टर महोदय ने गवर्नमेंट से सिफारिश की थी कि वहां आयुर्वेद पढ़ाया जाय ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त तो ग्राण्ट की बाबत सवाल किया गया था। वहां पर क्या पढ़ाना चाहते हैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसके लिये तैयार होकर नहीं आया था। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

सन् १९५१ ई० का इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह (मालमंत्री)--मैं इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक, १९५१ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३२ पर।)

सन् १९५१ ई० का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)--मैं कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक, १९५१ ई०, को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३४ पर।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का अनर्हता निवारण विधेयक (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५१ ई०, पर विचार जारी रहेगा। कल उठते समय श्री खानचन्द गौतम के संशोधन पर विचार हो रहा था।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब यह सदन उठने वाला था उस वक्त श्री खान चन्द गौतम के संशोधन पर बहस हो रही थी और मैं उसी के बारे में कुछ कहने के लिये इस वक्त खड़ा हुआ हूं। माननीय न्याय मंत्री जी ने कल इसी संशोधन पर जवाब देते हुये यह कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि जिस वक्त डिसक्वालीफिकेशन (अनर्हता) कोई सदस्य हासिल कर ले तो उसी वक्त वह अपनी सीट वेकेट (स्थान रिक्त) कर देता है और इस संबंध में उन्होंने कहा था कि इसके लिये यह लाजमी है कि वह मामला गवर्नर महोदय के पास जाय। अगर कोई शुभा करे और क्वेश्चन करे तब तो गवर्नर महोदय के पास भेजा जा सकता है और वह एलेक्शन कमिश्नर से पूछ सकते हैं और उनकी राय लेकर उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एराइज नहीं होता (प्रश्न नहीं उठता) तो सीट वेकेट हो ही जाती है। मुझे यह देखकर बड़ा खेद होता है कि माननीय न्याय मंत्री जी जो हाई कोर्ट के बड़े वकील रह चुके हैं वह इस तरह की बात कहते हैं शायद वह भी समझते हों कि यह एक वीक केस है। गवर्नर साहब के पास मामला भेजा जा सकता है; लेकिन तभी जब कि कोई क्वेश्चन एराइज होता (प्रश्न उठता) हो। इन्हीं बातों को लेकर यह संशोधन पेश किया गया है कि जिन साहब के डिसक्वालीफिकेशन (अनर्हता) को इनकर करने की वजह से सीट वेकेट हो गई है उनको आप लैजिस्लैशन से वैलीडेट (वैध) न करावें। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाय तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिये मैं न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी जिद्द इस मामले में छोड़ दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान्, मेरे संशोधन के जवाब में माननीय न्याय मंत्री जी ने जो कुछ कहा मुझे उस से बिलकुल तसफ्फी नहीं हुई। उन्होंने बार-बार जो कुछ प्रथम वाचन और दूसरे संशोधनों के ऊपर बोलते हुये कहा, उन्होंने ठीक उसी बात को दोहराया है और कोई भी दलील ऐसी संतोषजनक वह नहीं दे सके जिस से इत्मीनान हो सके कि इस प्रकार का कानून पास कर देना सदन के अधिकार में है और वह वैध होगा।

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अनुच्छेद १९१ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप अनुच्छेद १९० के भाग ३ को देखें कि--

"If a member of a House of the Legislature of a State becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, or resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be, his seat shall thereupon become vacant."

[यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा

यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है ? तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा ।]

मैं शब्द "देयरअपान" (ऐसा होने पर) की तरफ आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाय कि कोई माननीय सदस्य अपने हस्ताक्षर से चिटठी लिखकर इस्तीफा भेज दें या वह किसी डिसक्वालिफिकेशन के पात्र हो जायें, यह दोनों परिस्थितियां एक कैटेगरी (वर्ग) में रखी गई हैं। तो फौरन ही उनकी सीट खाली हो जायेगी । "देयर अपान" का अर्थ मैं "फोर्थविद" (तुरन्त) लगाता हूं । उस समय अगर उनकी सीट खाली समझी जाय तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या माननीय न्याय मंत्री कानून के द्वारा उस सीट को भर सकते हैं। जहां तक मैं संविधान और इसकी आर्टिकिल्स (अनुच्छेदों) को समझा हूं तो किसी जगह पर कोई आर्टिकिल ऐसा नहीं है जहां पर यह लिखा हुआ हो कि किसी सदन को, चाहे वह पालियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर (राज्य का विधान मंडल) हो, ऐसा अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में कानून के द्वारा, कोई कानून पास करके, वह किसी खाली सीट को भर सके और चुनाव से छुटकारा पा सके। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी मोटी बात माननीय न्याय मंत्री के ध्यान में नहीं बैठ रही है और वह बार बार इस पर आग्रह किये हुये हैं कि जो सीटें खाली हो गई हैं उन्हें इस बिल के जरिये सुरक्षित रख सकें और उनको खाली होने से बचा लें। कानून की ऐसी भूल होना न केवल इस माननीय सदन से गैरमुनासिब है बल्कि माननीय न्याय मंत्री, जो एक वकील और क़ानूनदां आदमी हैं, उनसे होना तो और भी ज्यादा गैरमुनासिब है। मैं इस विषय पर इससे अधिक नहीं कहना चाहता। बार-बार कहा जा चुका है और मैं समझता हूं कि हुकूमत को ऐसा क़दम नहीं उठाना चाहिये। यह क्लाज़ इस शकल में हरगिज पास नहीं करना चाहिये जिससे आगे चलकर यह पास किया हुआ भी बेकार हो जाय और उससे इस हुकूमत के सदस्यों की समझ पर और जानकारी और नीयत पर सर्वप्रकार से एक सार्वजनिक असन्तोष उत्पन्न हो और शक पैदा हो । मैं इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को फिर प्रेस करता (जोर देता) हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाबवाला, अपनी मैंने स्पीच (भाषण) जो शुरू में दी थी उसके बाद कल भी दोबारा यह अर्ज किया था कि जहां तक अनुच्छेद १९१ और १९२ का तअल्लुक़ है हमें उनके कोई ऐसे मानी लगाने हों कि जिससे यह जरूर हो जाय कि इसमें कोई कनफ्लिक्ट नहीं है। इंटरप्रेटेशन (निर्वाचन) का पहला उसूल है कि जिसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि इस कानून के कोई ऐसे मानी नहीं लगाने चाहिये जिसकी वजह से बिला वजह कनफ्लिक्ट हो और इसको हल करने के लिये मैंने हवाला दिया उस स्पीच का जिसका जिक्र मेरे दोस्त श्री खुशवक्त राय ने अपनी इब्तदाई स्पीच में किया था, यानी सन् ४६ में जो सेलेक्ट कमेटी इंग्लैंड में बैठी थी उसने इस मसले पर गौर किया था और उसमें अल्फाज ये हैं :--

"And that even if in fact it dose not so ensure, it is still something which, within the meaning of the Act of 1707 is profit if it is intended by both parties that it should be so."

[और यद्यपि इस से वास्तव में इस बात का सुनिश्चय न हो, फिर भी यह एक ऐसी चीज है जिसका १७०७ के अधिनियम के अन्तर्गत लाभ कहा जा सकता है यदि दोनों पक्षों का यह इरादा रहा हो कि इसे ऐसा ही कहना चाहिये ।]

यानी दोनों पार्टीज यह समझ कर एक प्राफिट (लाभ) कनफर कर (दे) रही हैं और दूसरी उसे हासिल कर रही है, एक ओहदे को मंजूर कर रही है तो ऐसी हालत में सीट फौरन वेकेंट (रिक्त) हो जायगी।

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

उससे मैं यह माने लगाता हूं कि :

"If a member of the House of the Legislature of a State becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, then his seat shall thereupon become vacant,"

[यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्यः अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायगा।]

और इसको उन्होंने उसी कैटेगरी में रख दिया है कि जैसे क्लाज (बी) है जिसमें यह कहा गया है कि—

"Resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or Chairman as the case may be..."

[यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, ...]

तो रेजिगनेशन और सब्जेक्ट टु डिस्क्वालिफिकेशन अन्डर क्लाज (ए) [त्यागपत्र तथा खंड (क) में वर्णित अनर्हताओं का भागी होना] और १९१ दोनों को एक दर्जे में पेश कर दिया है। इसके माने यह हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि एक नहीं बहुत होते हैं जिसमें किसी मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली की कोई ऐसी जगह दे दी जाती हो जो आफिस आफ प्राफिट हो और वह जगह आटोमेटिकली (स्वतः) खाली हो जाती है, जैसे कोई रिजाइन करदे (त्यागपत्र दे दे) तो उसके बाद न तो गवर्नर के यहां जाना है न कमिश्नर के यहां जाना है। बरखिलाफ इसके अनुच्छेद १९१ में उसको कहा गया है कि आफिस आफ प्राफिट होगा जब तक उसके मुताल्लिक कोई ला (विधि) न हो। उसमें अल्फाज यह हैं कि—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

if he holds any office of profit...... other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder,

"If a question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

यदि वह ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है,

यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।]

मैंने यह अर्ज किया था कि यह दूसरा क्लाज जो है वह उस वक्त इन प्ले (लागू) होता है जिस वक्त उसके मुताल्लिक कोई शुबहा हो। एक मेम्बर यह समझ कर कि वह मेम्बर रहेगा, कोई ओहदा एक्सेप्ट (स्वीकार) करता है, कोई फरायज

कबूल करता है और उन फरायज को अंजाम देता है तो इसमें यह मिसाल दी गयी कि आया ऐसी सूरत में वह शख्स डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) होगा या नहीं। उस वक्त तक वह डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) आयद नहीं होती है जब तक कि यह फैसला गवर्नर अपना न दे दे। इसके मुताल्लिक ये अल्फाज हैं--

"The question shall be referred to the decision of the Governor and his decision shall be final."

[प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।]

तो यह फाइनल डेसीशन [अन्तिम विनिश्चय] उस वक्त होगा जिस वक्त कि गवर्नर अपना फैसला दे देगा और कह देगा कि यह भी आफिस आफ प्राफिट [लाभ का पद] है और इस वजह से यह मेम्बर नहीं रहा। उस वक्त तक कोई मेम्बर चाहे यह आफिस होल्ड [पद धारण] करता हो या न करता हो वह डिस्क्वालिफाई नहीं होता है और इसी वजह से ये अल्फाज रखे गये हैं जिनके ऊपर मेरे दोस्त श्री गौतम को एतराज है कि ये न रखे जायं--

and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof.

[यह भी समझा जायगा कि उनपर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे।]

मैं यह अर्ज करूंगा कि प्रेजेंट सरकमस्टांसेज (वर्तमान परिस्थिति) में जो केसेज (मामले) हैं उनको कवर करने के लिये इन अल्फाज का रहना जरूरी है मैं और ये रखे जायं।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक क्लैरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--सवाल पूछ सकते हैं मगर बहस का मौका नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--जी नहीं, केवल एक प्रश्न है। यह जो अनुच्छेद १९१ में लिखा है--

"If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first Schedule other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;"

[यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है]

तो क्या माननीय, मंत्री इस पर ऐग्री करते (सहमत) हैं कि जिसमें 'इफ ही होल्ड्स ऐन आफिस [यदि वह कोई पद धारण करता हो] के समय अगर कोई कानून ऐसा नहीं था कि जो उस आफिस के (पद) होल्ड (धारण) करने वाले को डिस्क्वालीफाई (अनर्ह) होने से बचा सके तो क्या होल्ड करते वक्त :

"Does the member become subject to disqualification ?"

[क्या सदस्य अनर्हताओं का भागी हो जाता है ?]

माननीय श्री सैयद अली जहीर--इम्पार्टेंट प्वाइंट आफ टाइम (महत्वपूर्ण समय) जो है वह उस वक्त होगा जब गवर्नर फैसला करे। उस वक्त अगर कोई कानून नहीं है उस डाउट (संशय) को रफा करने के लिये वह मामला साफ नहीं है, इन्टेन्शन

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

(आशय) न तो गवर्नमेंट का था और न मेम्बर का था कि वह डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) होगा। लिहाजा यह तो महज एक ऐक्सीडेंट (दैवयोग) है कि यह आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) है या नहीं और उसका फैसला करने के लिये अगर गवर्नर मौजूद है तो उसे सामने रखकर फैसला देगा और उस वक्त कोई डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल पैदा नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ५ तथा ६ से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं --

"और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)।

पक्ष में--२८

अब्दुल बाकी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
गंगाधर, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
बीरेन्द्रशाह, राजा
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

विपक्ष में--४

आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
खुशीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
मिजाजीलाल, श्री

मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंशनारायण सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से खंड ३ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय। खंड ३ का उपखंड (क) यह है कि "राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद।"

इस कानून के जरिये और इस खंड के जरिये हुकूमत की मंशा ऐसे परामर्श देने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना है कि जो सरकार को सलाह दें। अर्से से हम इस बात को देखते आये हैं कि साधारण तौर से जिस समय किसी प्रदेश में गवर्नर का शासन हो तो साधारण समय में तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स (मंत्रि-परिषद्) उनकी रहती है और असाधारण काल में हमको यह देखने को मिला है कि ऐडवाइजर्स (परामर्शदाताओं) प्रतिनिधि बन कर के गवर्नर के साथ काम करते हैं। जो साधारणतया हुकूमत के हुक्म निकलते हैं चाहे वह सरकार की डेस्क से जाते हों, मैंने बहुधा पढ़ा है कि हिज एक्सिलेंसी इज प्लीज्ड तो डु दिस ऐंड दिस (महामान्य यह करते हैं वह करते हैं)। गवर्नर के नाम में वह हुक्म जाता है और कोई विभाग उसको भेज दिया करती है। तो मैं यह समझता हूं कि शासन के सर्वोच्च अधिकारी इस प्रदेश में महामान्य राज्यपाल हैं और उनकी ओर से उनके सलाहकार और उनके नाम में काम करने के लिये नियुक्त, उनका नियुक्त किया हुआ यह मंत्रिमंडल है। अगर इस मंत्रिमंडल की यह हैसियत है कि ये गवर्नर के सलाहकार और उनकी सलाह पर चलने वाले लोग हैं तो यह विचारणीय है कि इनके और जो ऐडवाइजर्स गवर्नर ने संकटकाल में नियुक्त किये थे उनके दोनों के भत्तों में कितना अन्तर है। मुझे अन्तर केवल एक मालूम होता है कि ये माननीय सदस्य जिनको महामान्य राज्यपाल ने अपने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स (मंत्रि-परिषद्) की शक्ल में यहां नियुक्त किया है ये एक प्रकार से इस माननीय सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। निर्वाचित सदस्यों में से जो सब से बड़ा दल है उसके नेता की ओर से नियुक्त हैं और समझा जाता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और कानूनी तौर पर उनकी सलाहकार की हैसियत है। हमने वह जमाना भी इस प्रदेश में देखा है कि जब हुकूमत का सारा भार गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्ट सेक्शन ९३ के अन्तर्गत गवर्नर ने अपने हाथ में ले लिया था और गवर्नर ने अपनी सलाह के लिये, परामर्श के लिये, अपनी मदद के लिये, कुछ ऐडवाइजर्स की नियुक्ति की थी। उन ऐडवाइजर्स का काम था महामान्य राज्यपाल, उस समय के हिज एक्सिलेंसी, को सलाह देना कि किस तरह से वह सारे प्रदेश पर शासन करें। कौन नहीं जानता कि गवर्नर कभी भी तस्वीर में नहीं आते थे, गवर्नर को बहुत कम लोग देख पाते थे। गवर्नर की जानकारी में बहुत कम चीजें पहुंच पाती थीं और सारा शासन इन ऐडवाइजर्स के हाथ में था। इस तरह से ऐडवाइजर्स के पद पर जो गवर्नमेंट को ऐडवाइज करें एक असीम संख्या में नियुक्त करने के सिलसिले में हमेशा इजाजत दी जाती है। हम लोगों के लिये विचार करने का यह अवसर है कि क्या गवर्नमेंट को साधारणतया भी

[श्री ज्ञानचन्द गौतम]

इस तरह के बहुत से ऐडवाइजर्स नियुक्त करने की हम इजाजत दें। कितनी ही बार श्रीमन्, इस सदन में इस बात पर विचार हुआ है कि शासन की मशीन बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। साधारणतया एक काम को जितने आदमी कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा संख्या में नियुक्ति हो जाने के कारण यहां काम बिगड़ा है।

मुझे स्मरण होता है लार्ड कार्नवालिस के जमाने में यह नौकरशाही कुछ मंजकर के दुरुस्त की गयी थी। लार्ड कार्नवालिस ने यहां की ब्यूरोक्रैसी (नौकरशाही) को दुरुस्त करने के लिये एक खास सिद्धान्त रखा और कहा कि कम से कम आदमियों को नियुक्त करना और ज्यादा से ज्यादा उनको जिम्मेदारी देना तथा उनको तनख्वाह और दूसरी ओर से सुरक्षित करना और निश्चित करना, शासन की मशीनरी को सफलरूप से चलाने का एक खास उपाय है और उस जमाने में वाक़ई ब्यूरोक्रैसी या शासन की मशीनरी खासी अच्छी चली। उस सिद्धान्त पर चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने इससे बहुत लाभ उठाया और कुछ दिनों पहले तक जब तक कि ब्रिटिश शासक नियुक्त थे उनके जमाने में जहां तक इस ब्यूरोक्रैसी का ताल्लुक़ है खासा अच्छा काम करती आती थी। आज हम उससे असंतुष्ट हैं, वह काम क्या होता था और कैसे होता था। लेकिन हाकिमों के इच्छानुसार जो जहां कराया जाना चाहिये उस काम को वह उस मशीनरी से ले लेते थे और बड़ी सफलता से ले लेते थे। इधर आकर जो लोकप्रिय शासन इस प्रदेश में स्थापित हुआ है तो बिला तादाद इजाफा किया गया है अफसरों में, दफ़तरों में और कारकुनों में जिसकी वजह से मेरी विनीत राय यह है कि शासन का काम बिगड़ा है, सम्हला नहीं है। जितनी नियुक्तियां थीं और जिस तरह से काम उलझा हुआ था उतना ही खासा खराब है। गवर्नमेंट इसमें और इजाफा करना चाहती है।

मैं अव्वल तो यही एतराज करता हूं। लेकिन उससे बड़ा एतराज मेरा यह है कि अगर गवर्नमेंट को सलाहकारों की जरूरत है तो सलाहकारों की कमी नहीं जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हुकूमत को ढोल पीटने के लिए उनको अपने सदस्यों में से आवश्यकता नहीं। तो जैसे उनको अपनी पब्लिसिटी (प्रकाशन) और प्रोपेगैंडा (प्रचार) के लिए आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है उन माननीय सदस्यों के जो उनके पीछे बैठे हुए हैं और उनके लिये उनकी राय में बहुत से लोग बाहर से अच्छे मिल सकते हैं तो हुजूरवाला, कौन सी ऐसी कमी है बाहर इस हुकूमत को कि ऐसे आदमी नहीं मिल सकते जिनको यह काम सुपुर्द करके काम लें और जिस किस्म की मदद शासन से लेना चाहें वह लें। क्या वजह है कि केवल माननीय सदस्यों में से ही उनको चुनना चाहते हैं? हो सकता है कि माननीय न्याय मंत्री और उनके दूसरे साथी यह समझते हों कि दूसरी जगह के मुकाबिले में हमको यहां ज्यादा योग्य, ज्यादा कुशल ज्यादा नेकनीयत और लोकसेवा की भावनाओं से प्रेरित लोग मिल सकते हैं चुनांचे, हम यहां से लेना चाहते हैं, यह हो सकता है। लेकिन इसमें एतराज किसको है कि उन्हें मिनिस्टर नियुक्त करने वाले, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त करने वाले और अगर इस किस्म का कोई पद उनकी निगाह में हो जो हुकूमत के साथ संबद्ध रखना चाहते हों और अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हों तो एक बिल लाएं हम उस पर विचार कर लेंगे और ऐसी किसी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है जो हुकूमत से सीधा संबंध रखने वाले हों। मगर हुकूमत की जिम्मेदारी भी कोई व्यक्ति न महसूस करे, हुकूमत भी करे और साथ ही साथ जो मान्यता, निष्पक्षता, असंलग्नता, इंडेपेंडेंस (स्वातन्त्र्य) इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य को हासिल है और यह उसका कर्तव्य है उसको ऐसा समझा जाय कि उसको संचित करना और थोड़ी सी सहूलियतों के लिए, उनको

मकान दे देना, टेलीफोन दे देना, कुछ और सहूलियतें दे देना, इतनी सी कीमत पर किसी सदस्य को अपने बंधन में फांस लेना न हुकूमत के लिए मैं मुनासिब समझता हूं और न किसी ऐसे सदस्य के लिये मुनासिब समझता हूं जिनको ऐसा स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाय। स्पष्ट है श्रीमन्, कि अगर आप इस सदन के बाहर पढ़े लिखे आदमी के पास जायं और उससे यह कहें कि तुम्हें रहने के लिये मकान दे देंगे और एक टेलीफोन लगवा देंगे और जहां जहां काम के लिये जाना पड़ेगा सवारी का इन्तजाम कर देंगे और बहुत होगा तो तुम्हें हम जो साधारण खर्च दफ्तर वग़ैरह के हैं वह भी दे देंगे और आप चलिये हमारे साथ काम करने के लिये। मेरा ख्याल है कि आपको आदमी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सस्ते आदमी अगर यह खोज सकते हैं तो माननीय सदस्यों में से जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति दी है, जो अनुयायी बनने की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और जिन्होंने यह आजादी दी है कि उनका पद, उनका गौरव और उनका सम्मान उनका अगुआ जैसे चाहे इस्तेमाल करे। फिर श्रीमन्, क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण कोई माननीय सदस्य इस कीमत पर काम करने के लिये तैयार हो जायं जिस कीमत पर न्याय मंत्री को आदमी नहीं मिलेंगे। एक चीज है जिसका मुझे भय है कि उस पद पर पहुंचने के बाद चाहे माली तौर पर फायदा न होता हो मगर उसके साथ संबंध हो गौरव का, उसके साथ संबंध हो इन्फलुयेंस (प्रभाव) का और प्रिवलेजेज (अधिकार) का और ऐसे आदमी के हाथ में कुछ अधिकार आते हों, चाहे वह उनका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, हां अधिकार के लिये यह हो सकता है कि कोई माननीय सदस्य किसी स्थिति में पड़ने को तैयार हो जायं जिसमें न्याय मंत्री डालना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो विचारणीय है कि क्या यह सदन अनुमति दे इस बिल की जिसको कि और खास करके इस खंड को पास करने की और वह इस प्रकार की नियुक्ति कर सकते हैं?

मैं माननीय न्याय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में ऐसे प्रश्न उठे तो उन्होंने ध्यान रखा कि चाहे फायदा हो चाहे न हो, आर्थिक फायदे का इससे वास्ता नहीं है। देखना यह होगा कि इसके साथ संबंधित अगर कोई गौरव, इंफ्लुएंस या प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) है, तब भी इसको आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) करार दे दिया। वहां सावधानी बरतना चाहते हैं क्योंकि वह जीना चाहते हैं। वह छोटा सा देश है, एक आइलैंड (द्वीप) है....

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य ग़ौर करेंगे कि यह कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) है। यह बात जो आप कह रहे हैं करीब-करीब सब कही जा चुकी हैं। मेहरबानी करके उन्हें न दोहरायें।

श्री खानचन्द गौतम---मैं केवल यह कहना चाहता था कि उन्होंने इसको बड़ा महत्व दिया और इसकी नितांत आवश्यकता थी। हमारे लिये भी जरूरी है कि हम इस चीज को महत्व दें। अगर ऐसे पद बन जाते हैं जिनमें चाहे मुनाफा कुछ भी न हो मगर बड़ा भारी इंफ्लुएंस और प्रेस्टिज से संबंधित हो और हुकूमत देने वाली हो तो हमें उसी कैटेगरी (वर्ग) में गिनना चाहिये जिसमें हाउस आफ कामन्स के सदस्यों ने गिना है। जो हुकूमत को सलाह देने वाले पद हों वह किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि कल माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि जिले के शासन में मदाखलत करने वाले पद ऐसे नहीं हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हों। यह तो हुकूमत में मदाखलत करने वाले हैं और प्रान्तीय हुकूमत के मामलों में सलाह दी जा सकती है और मिनिस्टीरियल लेविल पर सलाह दी जा सकती है। इसके लिये माननीय मंत्री कहेंगे कि यह पद हैं। जो पद मैं जानता हूं वह है आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (एजूकेशन) [विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा)]। दूसरा हमको कोई पद बतलाया नहीं

[श्री खानचन्द गौतम]

गया है जिससे मैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर सकूं। आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (एजूकेशन)- हमारे लिये बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के पदों की नियुक्ति के लिये हम आजादी देना चाहते हैं हुकूमत को, तो हमें अब तक के अनुभव पर प्रकाश डाल लेना चाहिये कि इस तरह के पदों की नियुक्ति का क्या नतीजा निकलता है। यह कतई अप्रासंगिक नहीं होगा अगर मैं आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (एजूकेशन) के पद और उनके काम पर यहां जरा सी रोशनी डालूं। एक पद हुकूमत ने बनाया आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (एजूकेशन) और उनको काम सुपुर्द किया छोटे बच्चों की प्राइमरीज के संबंध में, टैक्स्ट बुक्स (पाठ्य पुस्तकों) के सम्बन्ध में यह काम करेंगे। टैक्स्ट बुक्स के संबंध में यहां इस प्रदेश में ऐसा होता रहा है कि टैक्स्ट बुक्स यहां दी जाती थीं, उनका संकलन होता था, उनका रेव्यु (समीक्षा) होता था, उसमें से पसन्द की जाती थीं और फिर प्रेस्क्राइब (निर्धारित) की जाती थीं। कौन नहीं जानता कि इस सिलसिले में न जाने कितनी घूस पब्लिशर्स (प्रकाशक) देते थे हुक्काम को, न जाने कितनी एलबोइंग (ढकेलेबाजी) चलती थी, कितनों की टीका-टिप्पणी होती थी और वैमनस्य बढ़ता था। बहुत से अफसरान इसमें बदनाम हुए, झूठे हुए, सच्चे हुए यह तो तब तक निश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि हर मामले में तहकीकात न हो। लेकिन इसमें शक नहीं है कि सार्वजनिक सभाओं में, अखबारों में, आपस में, स्कूल और कालेजों में, समझदार लोगों में इस बात पर बहुत चर्चा रहती थी और बहुत से लोगों की कटु आलोचना इस पर हुई। ऐसा यह प्रसंग है। इस प्रसंग में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक नियुक्ति की आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की। मेरा ख्याल है कि खासी छानबीन करके ऐसी नियुक्ति की है क्योंकि बड़े जिम्मेदारी का यह पद है और यह मुनासिब ही था कि माननीय शिक्षा मंत्री अपने निकटतम मित्रों में जिनको वह खूब अच्छी तरह से जानते हों, उनकी नियुक्ति करते। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में शायद सबसे ज्यादा जानकारी हो सकती है। यह ऐसा प्रसंग था जहां न केवल योग्यता का बल्कि नेकनीयती और निष्पक्षता का निरन्तर काम है। इस वजह से माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने मित्र की नियुक्ति की। इसमें यहां तक मुझे कोई शक का मौका नहीं है। लेकिन क्या इस प्रकार का पद बनाने के बाद, किसी को उस पर नियुक्त करने के बाद हुकूमत के काम में कोई सहूलियत हुई, क्या वह काम अच्छा चला? मेरा ख्याल है--नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले रोज इसका जिक्र करते हुए यह कहा कि हमने एक नियुक्ति इस तरह की और आप साहबान को एतराज भले ही हो हमने बहुत ठीक किया और सदस्यों में से ऐसी नियुक्ति की। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसके ऊपर एतराज न होना चाहिये। उसने ७-८ हजार का फायदा सरकार को दिया। मेरा एतराज यह था कि माननीय सदस्यों में से ऐसी नियुक्ति नहीं होनी चाहिये थी जिसका सीधा संबंध डिपार्टमेंट से न हो, खुदमुख्तारी दे दी गई हो, उसके जो बेजा नतीजे निकलते हैं वह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी के सिलसिले में निकले हैं। माननीय शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है कि आज वह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी लोगों की निगाह में जो लेखक हैं, प्रकाशक हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, क्या हैं ?

माननीय अध्यक्ष--कल बहुत काफी आप कह चुके हैं। इसको दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--हुजूरवाला, मसला ऐसा है कि इस पर जितना भी कहा जाय कम है।

माननीय अध्यक्ष--उसूली बहस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खान चन्द गौतम---जाने दीजिये। मेरा ख्याल है इसमें काफी कहा नहीं जा सकता। मैं ज्यादा इस विषय में हरगिज नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है मगर इतना कहे बिना इस बात को छोड़ देना मुनासिब न होगा कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्याधिकारी) की पसन्द की हुई किताबें ऐसी हैं जिनमें १००-१०० गलतियां स्वीकार की जा चुकी हैं योग्य आदमियों की ओर से जिनको सरकार ने नियुक्त किया है। किताबों में १००-१०० गलतियां हों और उनको हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसकी जानकारी मुझे है सैंतीस, साढ़े सैंतीस हजार किताबें एक प्राइमर की अशुद्ध छपी हैं और बाद में शुद्ध की गई, फिर से प्रिंट कराई गई और उसकी अशुद्ध प्रतियां बाजार में बिकने दी गईं।

श्री बनारसी दास---श्रीमान्, मैं आपका ध्यान रूल १९ इर्रेलेवेंट (अप्रासंगिक) और रिपीटीशन (पुनरावृत्ति) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है और जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उसका इस संशोधन से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह बहस इर्रेलेवेंट (अप्रासंगिक) है।

माननीय अध्यक्ष---उनका संशोधन अवैतनिक पद को पाने के बारे में है और मैं समझता हूं कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी एक अवैतनिक पद है। लेकिन मैंने माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जो बात वे कह चुके हैं उसे न कहें।

श्री कृष्णचन्द्र---मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह सही है जैसा कि श्रीमान् जी ने फरमाया कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी को हटाने के बारे में माननीय सदस्य का प्रस्ताव है, लेकिन आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी का पद हटाना एक बात है और किसी एक पदाधिकारी के विशेष कार्यों की चर्चा करना दूसरी बात है। यहां किसी विशेष पदाधिकारी के कार्यों की चर्चा का उद्देश्य नहीं है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी शख्स आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर न किया जाय। जो वैतनिक गवर्नमेंट सरवेंट्स (नौकर) हैं उनके बारे में भी यह बात कही जा सकती है।

श्री खानचन्द गौतम---मैंने शुरू में ही इस बात को साफ कर दिया था कि इस मसले पर विचार करने के लिये हमें किस प्रकार पुराने अनुभव पर विचार करना होगा। अगर माननीय कृष्णचन्द्र जी ने यह देखा होता कि जो लोग आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हमारा तजुर्बा क्या रहा और उनके बारे में जो हमारे पुराने अनुभव हैं वह इसमें भी लागू होंगे इस विचार से अगर हम इसको सोचें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें ऐसी नियुक्तियां नहीं करनी चाहियें। मुझे अब अपने संशोधन के पक्ष में केवल इतना और कहना है कि प्रान्तीय सरकार या प्रादेशिक सरकार अगर इस तरीके के पदों के लिये हम से यह आजादी चाहे और इस बिल को पास कराये तो क्या हम ऐसी इजाजत दें। एक पद तो हमने दे दिया और उसका नतीजा भी देख लिया और हमारा ख्याल है कि कोई माननीय सदस्य दूसरा स्पेशल आफिसर नियुक्त करने की सलाह और आजादी इस हुकूमत को नहीं देंगे। मान लीजिये माननीय न्याय मंत्री ने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया और उसके काम सुपुर्द किया कि जनाब आप आनरेरी (अवैतनिक) मैजिस्ट्रेट और स्पेशल (विशेष) मैजिस्ट्रेट की नियुक्तियां करें और आप ही उसका काम भी देखेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसी नियुक्ति माननीय सदस्यों में से किसी की कर दी, अपनी पार्टी के सदस्यों में से किसी की कर दी तो क्या पोजीशन (स्थिति) हो जाती है? आपके सामने इसके मुताल्लिक एक बड़ा भारी तजुर्बा है जिससे

[श्री खानचन्द गौतम]

हमें सबक लेना चाहिये। पिछले चन्द वर्षों में हमने यह देखा है कि न्याय विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जगह-जगह पर दखलंदाजी की है जो हुकूमत की निगाह में भी आई और हाई कोर्ट्स ने भी स्ट्रिक्चर्स (निन्दा) पास किये हैं। हमने यह भी देखा कि हुकूमत के जिम्मेदार आदमियों ने सिर्फ पार्टी के खिलाफ होने से, राजनीतिक कारणों से बेजा दखलंदाजी की, ईमानदार स्पेशल मैजिस्ट्रेट को हटाया और इस कारण से हटाया कि मामूली इंडिविजुअल केस (वैयक्तिक मुकद्दमों) में उन्होंने वैसा फैसला नहीं किया जैसा कि वे चाहते थे और अपने मनमाने अयोग्य और निकम्मे आदमियों की नियुक्तियां कीं। अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या हमको इजाजत देनी चाहिये कि पार्टी के किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार दें कि जो हुकूमत की ओर से उस तरह का काम कर सकें और ऐसी व्यवस्था कर सकें? मेरा ख्याल है कि यह गलत है। मान लीजिये कि माननीय पुलिस मंत्री जी ने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर कर दिया और एक सुपर आई० जी० है जो तमाम सूबे में न्याय, शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिये है। अब आप उसकी पोजीशन (स्थिति) को देखें कि आई० जी० आफ पुलिस....

माननीय श्री सैयद अली जहीर--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) बहस इस वक्त यह है कि आया गवर्नमेंट मेम्बरान लेजिस्लेटिव असेम्बली में से किसी आदमी को मुकर्रर कर सकती है या नहीं। उनके क्या अख्तियारात होंगे, सुपर आई० जी० होगा, या कोई ऐसे अख्तियारात होंगे जो बेजा हैं या जिसको गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिये। इसकी न तो कोई बहस है, न सवाल है और न इस वक्त यही बहस है कि गुजिश्ता जमाने में किसने क्या काम किया है। उसके ऊपर एतराज करने का अलग से मौका है। यहां तो सिर्फ उसूल की एक बात इस वक्त दरपेश है कि गवर्नमेंट को ऐडवाइज करने (परामर्श देने) के लिये, या स्पेशल ड्यूटी के लिये या चेयरमैन आफ कमेटी वगैरह के लिये ए० बी० सी०, इस किस्म के अफसरान मेम्बरान असेम्बली में से जिनको आर्डिनरी एलाउन्सेज (साधारण भत्ता) दिया जाता है जैसा कि ५, ६ केसेज में हुआ है गवर्नमेंट मुकर्रर कर सकती है या नहीं। सिर्फ इतनी सी बहस है। हुकूमत ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर पूरे गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को जेरे बहस लाया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह बहस महीनों चलेगी और उसकी कोई हद इंतिहा हो ही नहीं सकती है।

श्री खान चन्द गौतम--मुझे इजाजत है अपनी सफाई देने की।

माननीय अध्यक्ष--हां, इजाजत है, लेकिन माननीय सदस्य की तवज्जह में इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) है। बिल के उसूल पर तो काफी बहस कर ली गयी थी। कमेटी स्टेज में माननीय सदस्य ने जितना वक्त लिया है वह बहुत काफी हो चुका है। माननीय सदस्य ने हाउस आफ कामंस की बहुत सी प्रोसीडिंग्स (कार्यवाहियां) देखी होंगी। अगर वे गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि कमेटी स्टेज में और आम बहस के जो रूल्स हैं दोनों में फर्क करना होगा और जो बात वे ज्यादा वक्त लेकर कहना चाहते हैं मैं समझता हूं कि उनमें काफी काबलियत है कि वे उन बातों को कम वक्त में भी कह सकते हैं।

श्री खान चन्द गौतम--श्रीमान, अध्यक्ष पीठ से हमें जो आदेश मिले और जो निर्णय मिले, उनमें से हर एक के लिये हम सर झुकाते हैं। मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि मुझे समझ लिया जाय कि मेरा मंशा क्या रहा है। यहां माननीय सदस्यों में से किसी भी सरकारी पद पर यदि किसी की नियुक्ति की जाती है तो ऐसे माननीय सदस्य जिस समय यहां सदन में बैठे रहते हैं तो वे अपने किए हुए काम के लिये किसी

हद तक जिम्मेदार हो कर हमारे सामने नहीं बैठते कि हम उनसे जवाब तलब कर सकें या वे हमारे सामने जवाब दें। कोई भी आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी जो नियुक्त होकर यहां बैठता है तो वह हर्गिज अपने किये हुए कामों का जवाब देने के लिये नहीं आया करता है। उनका जवाब देते हैं मिनिस्टर साहब। मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा पद स्वीकार करना निहायत गलत होगा और हमारे लिए इस तरह के कानून को पास करने की इजाजत देना गलत होगा। ऐसे पदों पर नियुक्त करने की आजादी दे देने से उस पद पर नियुक्त किए गये माननीय सदस्य कोई भी काम करें गलत करें या सही करें, न तो वे गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल (सरकारी नौकरों के नियम) में बंधे होते हैं जैसे कि और गवर्नमेंट सर्वेन्टस् बंधे होते हैं और न वे किसी और नियम से बंधे होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का कतई अप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) न किया जाय।

श्रीमन्, मैं बहुत धैर्य से काम लूंगा। तबीयत भरी हुई है। उसके बड़े-बड़े कारण हैं। मुझे अपने माननीय न्याय मंत्री के, जो इस भवन में नये नये तशरीफ लाये हैं, पेशेन्स (धैर्य) से बड़ी हमदर्दी है। उन मित्रों के साथ भी हमदर्दी है जो जरा जरा सी बात पर प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) उठाये हैं क्योंकि उनको वे बातें चुभती हैं और ज्यादा चुभती हैं। वह सुनना भी पसन्द नहीं करते। इंसाफ का तकाजा है कि हम अपनी ईमानदारी से राय दें और अपना यह कर्त्तव्य समझते हैं कि अपनी नेक सलाह आपके सामने पेश कर दें। उसी तरीके से एक-एक माननीय मंत्री के आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी के संबंध में कहा जा सकता है और उनके अनुभव और उनकी जानकारी से लाभ उठाया जा सकता है। शिक्षा के संबंध में, न्याय के संबंध में हमको कोई जानकारी मिले तो मैं बड़ा मशकूर हूंगा। अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (स्थानीय स्वशासन) के बारे में बतलायें कि वहां तो कोई नुकसान नहीं है, मशकूर हूंगा। मगर आप तो इसको सुनना भी पसन्द नहीं करते हैं। यदि कहीं पर गलती हो सकती है और उसके बारे में आपको कोई सलाह दी जाती है तो आप इसके लिये तैयार नहीं हैं और आप सलाहकारों को नियुक्त करते हैं। बिना पैसे की सलाह, बगैर टेलिफोन की सलाह, और बगैर अलाउन्स (भत्ते) की सलाह अगर आपको दी जाती है तो आपका यह ख्याल है कि वह सलाह नेकनीयती की सलाह नहीं है, माकूल सलाह नहीं है। आपको तो वही सलाह माकूल लगती है जहां पर टेलीफोन लगा होता है और जहां आप रुपया सर्फ करते हैं। वहीं आप समझते हैं कि अच्छी सलाह है। मगर मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आपके वे सलाहकार गलत साबित होंगे। एक तो कारण यह है कि वह इस सारे राज्य की लोक सेवा की सीमा के बाहर जाते हैं और दूसरे हुकूमत की जो जिम्मेदारी है इस सदन के सामने उससे वह मुक्त रहते हैं और पार्टी के वह सदस्य हैं, राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। इस वजह से ऐसी नियुक्तियां हमेशा गलत साबित होंगी। आज जो माननीय सदस्य उधर ट्रेजरी बेंचेज (सरकारी पक्ष की कुर्सियों) पर बैठे हुए हैं उनको वह नुकसान आज नजर नहीं आता है। वह यह समझते हैं कि ऐसी नियुक्तियों से गवर्नमेंट का लाभ हो सकता है और गवर्नमेंट का स्तर ऊंचे उठ सकता है। उनको इसका नुकसान मालूम नहीं होता है कि कैसे इससे नुकसान होगा। इसका नुकसान आपकी इजाजत से मैं दो शब्दों में माननीय मंत्री जी को बतला दूं। उनके गवर्नमेंट सर्वेंट की जितनी मशीनरी है उसके अन्दर वाकई में राज्यभक्ति टिक नहीं सकती है जब आप उनको विभागानुसार काम नहीं करने देंगे। जो जिस तरह से नियम बने हुए हैं उस तरह से आप काम चलने नहीं देंगे तो ऐसी नियुक्तियां उन तमाम अफसरों की जो कि उस विभाग के जिम्मेदार हैं उनको राज्य भक्ति से खोखला कर देंगी। आपके प्रति और पार्टी के प्रति भविष्य में लोग आपको शंका की दृष्टि से देखने लगेंगे। हर उस हुकूमत के जो आपकी जगह आ सकती है या आप भी अगर

[श्री खानचन्द गौतम]

लौट कर आयेंगे तो आपको भी इसका नुकसान भुगतना पड़े। अगर तब इतना नुकसान हो चुकेगा कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी और आपकी जन साधारण में सच्चाई और नेकनीयती पर संदेह होने लगेगा। तब जाकर अगर आपको अनुभव हुआ तो क्या फायदा ? इसलिये मेरी नेक सलाह यह है कि यह परामर्श देने वाले लोगों को जो अवैतनिक रूप से इसमें शामिल करना चाहते हैं वह इसमें से निकाल दें।

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सुयोग्य मित्र श्री खानचन्द गौतम ने जो संशोधन इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किया है वह यह है कि खंड १ के उपखंड (क) अर्थात् दी आनरेरी आफिसेज फार एडवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट [राज्य की सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद] हैं, उसको निकाल दिया जाय यानी कोई आनरेरी आफिसेज स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिये न रहे। जैसा कि श्री खानचन्द गौतम ने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया है जैसा कि उनको गवर्नमेंट ने खुद बतलाया है कि एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी शिक्षा के महकमे में पहले से नियुक्त किये हुए हैं और कोई आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी न गवर्नमेंट ने अब मुकर्रर किया है और न आगे मुकर्रर करने का विचार है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर [मैं एक विधान का प्रश्न उठाता हूं]। श्री खानचन्द गौतम के जिस संशोधन पर बहस हो रही है वह स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजिंग आफिसर्स के बारे में है और यह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी वाला दूसरा संशोधन है और हमारे प्रोफेसर साहब अभी से उसका जिक्र कर रहे हैं। वह तो दूसरा संशोधन है और उन्होंने इस संशोधन पर यह बहस कैसे छेड़ दी ?

श्री कृष्णचन्द्र--श्रीमान्, मैं समझता हूं कि वही गलत समझे हैं। उन का संशोधन (क) उपखंड पर है। मैं खुद यह कह रहा था कि श्री खानचन्द गौतम जी ने जो भाषण दिया है वह अगर अगले संशोधन पर दिया जाता तो शायद कुछ मुनासिब हो सकता था लेकिन जैसा कि श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने खुद इस भवन के सामने कहा कि यह भाषण नहीं होना चाहिये था। श्रीमन, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार की ओर से साफ तौर पर यह बात कह दिया गया है और जैसा कि इस सदन के सब सदस्यों को मालूम है कि यह विधेयक किसी आगे की कार्यवाही करने का गवर्नमेंट को अधिकार देने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है बल्कि जो कार्यवाही किसी सन्देह की अवस्था में अब तक सरकार कर चुकी है उसको सिर्फ जायज करार देने के लिये और उसके अन्दर अगर कोई माननीय सदस्य अनर्ह होते हैं तो उनकी उस अनर्हता को दूर करने के लिये यह विधेयक भवन के सामने लाया गया है। अगर श्री खानचन्द जी गौतम का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जैसा कि उन्होंने खुद बताया गवर्नमेंट ने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर किया हुआ है और उनके खिलाफ जो अनर्हता आ गयी है वह दूर नहीं जा सकती। अगर उनका संशोधन यह होता कि अब तक अनर्हता नासमझी में, संदिग्ध हालत में हो चुकी है वह जायज करार दी जाती है, लेकिन आगे के लिये गवर्नमेंट इस तरह के आनरेरी आफिसर मुकर्रर न करेगी तब तो श्रीमान्, इस संशोधन के समर्थन में, पक्ष में, उचित रूप से कुछ कहा जा सकता था। लेकिन उनका संशोधन यह है कि इसको बिलकुल निकाल दिया जाय। जो रूलिंग हुजूरवाला ने दी वह उनके लिये माननीय नहीं है। आपके बार बार रोकने और मना करने पर भी श्री खानचन्द गौतम ने अपने भाषण में वे बातें कहीं, और इन पर मैंने प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया था कि इनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य रेकार्ड (अभिलेख) पर यह लाना चाहते हैं कि मैं आपके टोकने पर और मना करने

पर भी निरन्तर आपत्तिजनक बातें करता रहा और आप बराबर मेरे कान खींच रहे थे। बल्कि जो मैं कह रहा था, कुछ में आपने आपत्ति की और कुछ में आपने सलाह दी कि ज्यादा डिटेल (विस्तार) में न जाऊं और सदन का समय बचाऊं।

श्री कृष्णचन्द्र--मैं समझता हूं कि अगर श्री खानचन्द गौतम सब के साथ मुझको भाषण करने का मौका दें तो अन्त में जाकर, मैं आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं, उनको इस किस्म की शिकायत नहीं होगी कि मैं उन पर आक्षेप करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं चाहे उन्होंने भले ही मेरे ऊपर आक्षेप किये हों। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाकर और उसका प्रतिवाद करके इस सदन के सामने अवश्य बात को रखूंगा। उन्होंने यह जनरैलाइज किया (सामान्य निष्कर्ष निकाला) पार्टी के सदस्यों की बाबत कि वे न्याय के महकमे में हस्तक्षेप करते हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ खराबी शासन में आ रही है और उसकी वजह से यह पार्टी, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) बदनाम है। इस तरह का आक्षेप इस आदरणीय सदन के सदस्यों पर करना, मैं समझता हूं, इस सदन के अधिकारों का उचित उपयोग नहीं है। किसी माननीय सदस्य को यहां पर यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरह से जनरल वे (सामान्य रीति से) में सदन के सदस्यों पर या किसी एक पार्टी पर आक्षेप करे और कोई भी उदाहरण न दे कि फलां शख्स ने इन कामों में हस्तक्षेप किया है या न्याय के अन्दर हस्तक्षेप किया है और उससे इस सूबे की गवर्नमेंट बदनाम हुई और कांग्रेस पार्टी बदनाम हुई। जैसा कि वह कहते हैं, मैं भी अगर चाहूं तो, कह सकता हूं कि उन्होंने भी खुद इसका नाजायज फायदा उठाया है। गो अपोजीशन (विरोधी दल) में रहते हुए यह सवाल आता है कि खुद श्री खानचन्द गौतम ने, जिन्होंने यह भाषण दिया है, वह खुद ही अगर देखेंगे अपना मन टटोलेंगे तो देखेंगे कि क्या उन्होंने कोई नाजायज कार्यवाही इस सदन का मेम्बर रहते हुए न्याय के साथ नहीं की है। अगर यहां यही चर्चा होने लगे कि हर मेम्बर के कारनामे बयान किये जावें तो मैं इसके लिये तैयार हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष--नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र--मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इस तरह का बुजदिली हमला करना और एक पार्टी के सब मेम्बरों को जनरैलाइज करके कहना, यह बिल्कुल नामुनासिब है, अनुचित है और इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन के अन्दर नहीं होनी चाहिये। श्रीमन् जहां तक कि उनका सवाल आनरेरी आफिसेज (अवैतनिक पदों) के लिए है और जो कुछ उन्होंने शिक्षा संबंधी आनरेरी आफिसर के संबंध में कहा है, मैं समझता हूं कि आप इसकी इजाजत नहीं देंगे और मैं समझता हूं कि हम लोगों का भी कानशन्स (अन्तःकरण) इस बात की गवाही नहीं देगा कि जो जो बातें उन्होंने कही हैं उनका जवाब यहां दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से डिबेट (विवाद) पर इंटरवीन (हस्तक्षेप) करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--कहिये।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या यह संभव नहीं कि इस विधेयक पर बिना किसी व्यक्ति विशेष को लाये हुए महज उसकी कानूनी मेरिट्स (गुणों) और डिमेरिट्स (अवगुणों) पर बहस की जाय बजाय इसके कि इधर से और उधर से किसी व्यक्ति विशेष को लाया जाय कि उसने यह गलत काम किया और उसने यह गलत काम किया? मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि आप उचित समझें तो यह हिदायत दे दें कि जितनी भी बहस हो वह इसकी मेरिट्स पर हो और किसी व्यक्ति विशेष का, चाहे वह कोई आफिसर हो या मेम्बर हो, नाम न लिया जाय, तो मेरी समझ में ज्यादा आसानी होगी।

[श्री खानचन्द गौतम]

लौट कर आयेंगे तो आपको भी इसका नुकसान भुगतना पड़े। मगर तब इतना नुकसान हो चुकेगा कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी और आपकी जन साधारण में सच्चाई और नेकनीयती पर संदेह होने लगेगा। तब जाकर अगर आपको अनुभव हुआ तो क्या फायदा ? इसलिये मेरी नेक सलाह यह है कि यह परामर्श देने वाले लोगों को जो अवैतनिक रूप से इसमें शामिल करना चाहते हैं वह इसमें से निकाल दें।

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सुयोग्य मित्र श्री खानचन्द गौतम ने जो संशोधन इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किया है वह यह है कि खंड १ के उपखंड (क) अर्थात् दी आनरेरी आफिसेज फार एडवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट [राज्य को सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद] हैं, उसको निकाल दिया जाय यानी कोई आनरेरी आफिसेज स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिये न रहे। जैसा कि श्री खानचन्द गौतम ने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया है जैसा कि उनको गवर्नमेंट ने खुद बतलाया है कि एक आफिसर आन स्पेशल डयूटी शिक्षा के महकमे में पहले से नियुक्त किये हुए हैं और कोई आफिसर आन स्पेशल डयूटी न गवर्नमेंट ने अब मुकर्रर किया है और न आगे मुकर्रर करने का विचार है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर [मैं एक विधान का प्रश्न उठाता हूं]। श्री खानचन्द गौतम के जिस संशोधन पर बहस हो रही है वह स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजिंग आफिसर्स के बारे में है और यह आफिसर आन स्पेशल डयूटी वाला दूसरा संशोधन है और हमारे प्रोफेसर साहब अभी से उसका जिक्र कर रहे हैं। वह तो दूसरा संशोधन है और उन्होंने इस संशोधन पर यह बहस कैसे छेड़ दी?

श्री कृष्णचन्द्र--श्रीमान्, मैं समझता हूं कि वही गलत समझे हैं। उन का संशोधन (क) उपखंड पर है। मैं खुद यह कह रहा था कि श्री खानचन्द गौतम जी ने जो भाषण दिया है वह अगर अगले संशोधन पर दिया जाता तो शायद कुछ मुनासिब हो सकता था लेकिन जैसा कि श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने खुद इस भवन के सामने कहा कि यह भाषण नहीं होना चाहिये था। श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार की ओर से साफ तौर पर यह बात कह दिया गया है और जैसा कि इस सदन के सब सदस्यों को मालूम है कि यह विधेयक किसी आगे की कार्यवाही करने का गवर्नमेंट को अधिकार देने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है बल्कि जो कार्यवाही किसी सन्देह की अवस्था में अब तक सरकार कर चुकी है उसको सिर्फ जायज करार देने के लिये और उसके अन्दर अगर कोई माननीय सदस्य अनर्ह होते हैं तो उनकी उस अनर्हता को दूर करने के लिये यह विधेयक भवन के सामने लाया गया है। अगर श्री खानचन्द जी गौतम का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जैसा कि उन्होंने खुद बताया गवर्नमेंट ने एक आफिसर आन स्पेशल डयूटी मुकर्रर किया हुआ है और उनके खिलाफ जो अनर्हता आ गयी है वह दूर नहीं जा सकती। अगर उनका संशोधन यह होता कि अब तक अनर्हता नासमझी में, संदिग्ध हालत में हो चुकी है वह जायज करार दी जाती है, लेकिन आगे के लिये गवर्नमेंट इस तरह के आनरेरी आफिसर मुकर्रर न करेगी तब तो श्रीमान्, इस संशोधन के समर्थन में, पक्ष में, उचित रूप से कुछ कहा जा सकता था। लेकिन उनका संशोधन यह है कि इसको बिल्कुल निकाल दिया जाय। जो रूलिंग हुजूरवाला ने दी वह उनके लिये माननीय नहीं है। आपके बार बार रोकने और मना करने पर भी श्री खानचन्द गौतम ने अपने भाषण में वे बातें कहीं, और इन पर मैंने प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया था कि इनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य रेकार्ड (अभिलेख) पर यह लाना चाहते हैं कि मैं आपके टोकने पर और मना करने

पर भी निरन्तर आपत्तिजनक बातें करता रहा और आप बराबर मेरे कान खींच रहे थे। बल्कि जो मैं कह रहा था, कुछ में आपने आपत्ति की और कुछ में आपने सलाह दी कि ज्यादा डिटेल (विस्तार) में न जाऊं और सदन का समय बचाऊं।

श्री कृष्णचन्द्र--मैं समझता हूं कि अगर श्री खानचन्द गौतम सब के साथ मुझको भाषण करने का मौका दें तो अन्त में जाकर, मैं आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं, उनको इस किस्म की शिकायत नहीं होगी कि मैं उन पर आक्षेप करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं चाहे उन्होंने भले ही मेरे ऊपर आक्षेप किये हों। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाकर और उसका प्रतिवाद करके इस सदन के सामने अवश्य बात को रखूंगा। उन्होंने यह जनरैलाइज किया (सामान्य निष्कर्ष निकाला) पार्टी के सदस्यों की बाबत कि वे न्याय के महकमे में हस्तक्षेप करते हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ खराबी शासन में आ रही है और उसकी वजह से यह पार्टी, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) बदनाम है। इस तरह का आक्षेप इस आदरणीय सदन के सदस्यों पर करना, मैं समझता हूं, इस सदन के अधिकारों का उचित उपयोग नहीं है। किसी माननीय सदस्य को यहां पर यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरह से जनरल वे (सामान्य रीति से) में सदन के सदस्यों पर या किसी एक पार्टी पर आक्षेप करे और कोई भी उदाहरण न दे कि फलां शख्स ने इन कामों में हस्तक्षेप किया है या न्याय के अन्दर हस्तक्षेप किया है और उससे इस सूबे की गवर्नमेंट बदनाम हुई और कांग्रेस पार्टी बदनाम हुई। जैसा कि वह कहते हैं, मैं भी अगर चाहूं तो, कह सकता हूं कि उन्होंने भी खुद इसका नाजायज फायदा उठाया है। गो अपोजीशन (विरोधी दल) में रहते हुए यह सवाल आता है कि खुद श्री खानचन्द गौतम ने, जिन्होंने यह भाषण दिया है, वह खुद ही अगर देखेंगे अपना मन टटोलेंगे तो देखेंगे कि क्या उन्होंने कोई नाजायज कार्यवाही इस सदन का मेम्बर रहते हुए न्याय के साथ नहीं की है। अगर यहां यही चर्चा होने लगे कि हर मेम्बर के कारनामे बयान किये जावें तो मैं इसके लिये तैयार हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष--नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र--मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इस तरह का बुजदिली हमला करना और एक पार्टी के सब मेम्बरों को जनरैलाइज करके कहना, यह बिल्कुल नामुनासिब है, अनुचित है और इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन के अन्दर नहीं होनी चाहिये। श्रीमन् जहां तक कि उनका सवाल आनरेरी आफिसेज (अवैतनिक पदों) के लिए है और जो कुछ उन्होंने शिक्षा संबंधी आनरेरी आफिसर के संबंध में कहा है, मैं समझता हूं कि आप इसको इजाजत नहीं देंगे और मैं समझता हूं कि हम लोगों का भी कानशन्स (अन्तकरण) इस बात की गवाही नहीं देगा कि जो जो बातें उन्होंने कही हैं उनका जवाब यहां दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से डिबेट (विवाद) पर इंटरवीन (हस्तक्षेप) करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--कहिये।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या यह संभव नहीं कि इस विधेयक पर बिना किसी व्यक्ति विशेष को लाये हुए महज उसकी कानूनी मेरिट्स (गुणों) और डिमेरिट्स (अवगुणों) पर बहस की जाय बजाय इसके कि इधर से और उधर से किसी व्यक्ति विशेष को लाया जाय कि उसने यह गलत काम किया और उसने यह गलत काम किया? मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि आप उचित समझें तो यह हिदायत दे दें कि जितनी भी बहस हो वह इसकी मेरिट्स पर हो और किसी व्यक्ति विशेष का, चाहे वह कोई आफिसर हो या मेम्बर हो, नाम न लिया जाय, तो मेरी समझ में ज्यादा आसानी होगी।

माननीय अध्यक्ष--मैंने शुरु ही में श्री खानचन्द गौतम जी जब तकरीर कर रहे थे उनसे यह निवेदन किया था कि जहां तक हो सके इस विधेयक के उसूलों पर ही बहस करनी चाहिये। किसी विशेष आफिसर के मुतालिक कहना कुछ ज्यादा उचित नहीं मालूम होता जबकि उनके मुतालिक काफी कहा जा चुका है। बहरहाल मैं अब फिर माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि ये व्यक्तिगत बातें जो हैं उनसे परहेज करने की कोशिश करें। किसी आफिसर के काम के मुतालिक मैं समझता हूं कि इस सदन को चर्चा करने का पूरा हक है, मगर एक ही पद पर एक विशेष सज्जन की नियुक्ति हुई है और उसके मुतालिक बहुत काफी चर्चा हो ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब उस चर्चा को बन्द किया जायगा।

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन उस सूरत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो उस व्यक्ति विशेष के संबंध में चर्चा की गयी है उसको कृपा कर आप आज की प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज (निष्कासित) कर दें क्योंकि उसमें एक ही तरह से बात कही गयी है। तो या तो आप इजाजत दें कि दूसरी तरफ से भी कुछ बातें कही जायं कि जो बातें कही गयी हैं वे गलत हैं और जैसा उन्होंने बताया है वैसा नहीं है, या आप उसको भी एक्सपंज कर दें।

माननीय अध्यक्ष--अब उसकी कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है और खासतौर से इस वजह से कि माननीय नेता विरोधी दल ने खुद इस बात की ख्वाहिश की है। मैं यह समझता हूं कि अब इसकी कोई चर्चा उनकी तरफ से नहीं होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र--श्रीमन्, मैं अब इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। आपने माननीय नेता विरोधी दल का हवाला दिया और उन्होंने बहुत उचित बात कही। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि यदि उनको यह बात पहले से सूझ जाती जब उन्हीं के दल के एक प्रतिष्ठित सदस्य श्री खानचन्द गौतम भाषण दे रहे थे तो ज्यादा उचित होता। फिर भी अगर कोई चीज बाद में सूझे और उचित सूझे तो हम सबको मानना चाहिये। मैं अब सिर्फ इस संशोधन पर ही अपने भाषण को सीमित रखूंगा।

संशोधन, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अव्वल तो जैसा कि मेरे मित्र श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने खुद कहा था कि श्री खानचन्द गौतम का भाषण सुन कर उनको तो यह ख्याल पैदा हुआ कि the performance of special duty (विशेषाधिकार के सम्बद्ध कर्त्तव्य का पालन) जो दूसरा है उस पर बहस चल रही है। तो मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि वाकई में यह जो कहा गया है अगर उपखंड (ख) में कहा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस उपखंड (क) के अन्तर्गत एक भी अफसर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं मुकर्रर किया है, एडवाइज करने (परामर्श देने) के लिये गवर्नमेंट ने कोई अफसर मुकर्रर नहीं किया। आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, जो शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है वह परफार्मेंस (कार्य करने) के लिये, किसी काम के लिये है, एडवाइज करने के लिये गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल आफिसर आन ड्यूटी मुकर्रर ही नहीं किया है। जहां तक खानचन्द गौतम जी के भाषण का सम्बन्ध है उससे ऐसा मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने सलाह देने के लिये आफिसर मुकर्रर कर के कोई बड़ा अनुचित काम किया है। लेकिन श्रीमान्, यहां इसका कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एडवाइजर किसी महकमे में किसी प्रकार का मुकर्रर नहीं किया है और जैसा कि खानचन्द साहब ने अपने इस भाषण में गवर्नर्स रिजीम के एडवाइजर्स (गवर्नर के शासनकाल के परामर्शदाताओं) का हवाला दिया तो एडवाइजर या उसी किस्म का एक भी अफसर गवर्नमेंट ने मुकर्रर नहीं किया है। जब कोई चीज वजूद के अन्दर नहीं है और जब गवर्नमेंट का कहना है कि आगे कोई इरादा नहीं है तब मैं समझता हूं कि श्री खानचन्द गौतम का इस संशोधन को पेश करना और इसके पक्ष में इतना लम्बा भाषण करना

इसमें सिवाय इसके और कोई मकसद उनका नहीं था कि वह आक्षेपपूर्ण बातें इस सदन के अन्दर कहें। श्रीमान्, इन शब्दों के साथ जो संशोधन श्री खानचन्द गौतम जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, इस हाउस के सामने जो तरमीम है मैं उस तरमीम की ताईद करने खड़ा हुआ हूं और क़ब्ल इसके कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार इस तरमीम के मुताल्लिक करूं, मैं इस बिल के टुकड़े टुकड़े पढ़ कर रिफ़र करना चाहूंगा ताकि जो चीज़ कही गई है वह वाजे हो सके। कांस्टीट्यूशन (संविधान) का जो आर्टिकल (अनुच्छेद) १९४ है उसके पढ़ने के बाद जो अव्वलीन असर दिमाग पर पड़ता है वह यह है कि हर मेम्बर के कुछ हकूक, कुछ पावर्स (शक्तियां) कुछ प्रिवलेजेज (अधिकार) हैं और इसी में मिनिस्टर्स के हकूक को भी डिफ़ाइन कर दिया गया है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पावर्स और प्रिवलेजेज को भी डिफाइन (पारिभाषित) कर दिया गया है। जो आनरेबिल मेम्बर मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री नहीं हैं, महज़ मेम्बर हैं, उनको क्या अख्तियारात हैं और कांस्टीट्यूशन के जरिये से उनको क्या अख्तियारात दिये गये हैं उसी पर हमें गौर करना है। इस वक्त तो सिर्फ आनरेरी आफिस (अवैतनिक पद) का सवाल है इसलिये मैं अपनी तक़रीर को मुनहसिर करूंगा और महदूद करूंगा इसी पर कि "आनरेरी आफिस टु एडवाइज़ दि गवर्नमेंट" (सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद) का इस बिल में इजाफा मुमकिन है या नहीं। इस बिल की जो दफ़ा ३ है उसके इब्तदाई अल्फ़ाज़ ये हैं:--

"Whereas doubts have been expressed regarding offices hereinafter mentioned being offices of profit."

[इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के संबंध में संशय प्रगट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं।]

इसके माने यह होते हैं कि इस बिल के लाने के पहले ख्यालात का इज़हार किया गया है कि "आफिस आफ प्राफिट" में वह "आनरेरी आफिस टु एडवाइज़ दि गवर्नमेंट" है। अभी मेरे लायक दोस्त प्रोफेसर साहब ने यह बताया कि इस किस्म का तो कोई आफिस है ही नहीं। तो अगर इस किस्म के आफिस का वजूद ही नहीं है तो क्या गवर्नमेंट ने ख्वाब देखा था कि इस किस्म के आफिसेज़ पर डाउट एराइज़ (सन्देह उत्पन्न) हो सकता है। अगर यह ख्याल है तो मेरे ख्याल में हम इस वास्ते नहीं आये हैं कि जो ख्वाब हमने देखा है उसके लिये हम यहां पर एक कोई ऐक्ट बना दें या एक बिल ला दें। जो आनरेबिल मेम्बर ओहदा वज़ारत से फैज़याब न हो या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी न हो, जहां तक मैं आर्टिकिल १९१ को पढ़ सका हूं उसमें सिर्फ यह है कि उसकी ऐक्टिविटीज़ की एक हद है और वह यह है कि हाउस के अन्दर जो डिबेट होगा और यह हाउस जो कमेटियां मुक़र्रर करेगा, उनमें उसकी ऐक्टिविटीज़ महदूद होंगे और उसके बाहर वह नहीं जा सकता है। अब इस बिल ने क्या तमाशा किया है। एक अजीब चीज़ इसने पैदा कर दी है। कांस्टीट्यूशन में जो चीजें रखी गयी हैं, उनके अलावा इस ऐक्ट के जरिये और अख्तियारात बख्शे जाने वाले हैं। ऐसी चीजें कि जिन का कांस्टीट्यूशन के जरिये से किसी मेम्बर को हक़ हासिल नहीं है, वह अता की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य गालिबन पूरे विधेयक को मुख़ालिफ़त नहीं कर रहे हैं।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, मैं तो इसी वास्ते अपने को ... कर रहा हूं (क) पर।

माननीय अध्यक्ष--लेकिन जो बहस माननीय सदस्य कर ... ऊपर नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, इसी को तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर (ए) में है "आनरेरी आफिसेज फार ऐडवाइजिंग दि स्टेट गवर्नमेंट" [राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद] इसको निकल जाना चाहिये, इसलिये कि कांस्टिट्यूशन में कोई प्राविजन (उपबन्ध) यह नहीं है कि किसी ऐक्ट के जरिये से किसी ऐसे मेम्बर को जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के आफिस को या मिनिस्टर के आफिस को होल्ड (धारण) न करता हो हम यह अख्तियार भी दे सकते हैं कि वह गवर्नमेंट को एडवाइज करने (परामर्श देने) के लिये कोई आफिस आनरेरी (अवैतनिक) या गैर आनरेरी तरीके से होल्ड करे। यह चीज कांस्टिट्यूशन में नहीं है। इसलिये डाउट एराइज होने का या डाउट एक्सप्रेस (व्यक्त) किये जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस बिल के जरिये से एक अलग, जुदागाना और नया ओहदा क्रिएट (उत्पन्न) किया जा रहा है जिस का किसी तरीके से अख्तियार कांस्टिट्यूशन के अन्दर हमको नहीं दिया गया है। इस लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो तरमीम हाउस के सामने है वह इस बिना पर सही है कि इसका तीसरा हिस्सा जो (सी) वाला है वह अपनी जगह पर सही है मगर इसके (ए) (बी) वाले हिस्से इस वजह से सही नहीं है कि हमको यहां पर यह अख्तियार हासिल ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिये किसी मेम्बर के वास्ते कोई ओहदा पैदा करें। इसलिये मैं हुजूरवाला से अर्ज करना चाहता हूं और ऐवान के सामने रखना चाहता हूं कि यहां पर डाउट (सन्देह) के एक्सप्रेस (व्यक्त) किये जाने का सवाल ही नहीं है, बल्कि हमको अख्तियार ही नहीं है कि हम कोई ऐसा आफिस क्रियेट करें जिसके जरिये से हम गवर्नमेंट को किसी मसले पर एडवाइज कर सकें। मैं इस मामले को और तूल नहीं देना चाहता गोकि इसमें गुंजाइश बहुत है। मैं फिर यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कांस्टिट्यूशन के लिहाज से बिलकुल वायड (अवैध) है कि हम इस किस्म का कोई आफिस क्रियेट करना चाहें। दरहक़ीक़त हम ऐसा आफिस क्रियेट करने जा रहे हैं। किसी आफिस के मुताल्लिक़ किसी डाउट को रिमूव (निरस्त) करने नहीं जा रहे हैं। इसका सेंस (अर्थ) परपज (प्रयोजन) माने और मफहूम यही हो सकता है। जो तरमीम इस हाउस के सामने है मैं उसकी इन अल्फाज के साथ ताईद करता हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मैं समझता हूं बहस इस उसूल पर नहीं हुई है जिसका जिक्र इस बिल में है या जिस उसूल पर यह बिल बनाया गया है। आफिसेज (पद) जितने हैं उनके मुताल्लिक़ इस बिल में रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) दिया जा रहा है उसका तजकिरा लिस्ट (सूची) में कर दिया है जो अपोजीशन (विरोधी दल) को दे दी गयी है। आफिसेज के तय करने में जहमत थी कि कौनसा आफिस किस नाम से कहा जाय। ये जो अप्वाइंटमेंट्स (नियुक्तियां) हुईं जैसा मैंने अपनी इब्तदाई तक़रीर में जिक्र किया था वह असेम्बली के मेम्बरान थे। नेशनल (राष्ट्रीय) काम में उनकी मदद ली गयी। किसी आफिस के अप्वाइंटमेंट का सवाल नहीं था और इसलिये कि वे अपने फरायज को सही तौर पर अंजाम दे सकें और उनको फैसिलिटीज (सुविधायें) दी गयीं। उनका तजकिरा ३ कटेगरीज (वर्गों) में किया गया है। बहुत मुमकिन है, ऐक्चुअल अनैलेसिस (वास्तविक विश्लेषण) में कोई भी कैटेगरी अप्लाई (लागू) हो या न हो। इसपर कोई चीज टर्न नहीं होती है। इसमें जो बहस की गयी है उसमें उसूलों के मुताल्लिक़ कोई एतराज नहीं किया गया है। जो कहा गया है वह एक इमेजिनरी टेंडेंसी (काल्पनिक प्रवृत्ति) समझ कर के कि यह गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट किसी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर सकती है, इस वजह से इसके ऊपर अटैक (आक्रमण) किया गया है। मेरा ख्याल है कि मेम्बरान अपोजीशन को जिस वक्त वह बहस फरमाते हों, इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि आर्डिनरी डेमोक्रैसी (साधारण लोकतंत्र) के क्या उसूल हैं। लीडर आफ अपोजीशन को यह समझना चाहिये कि एक महीने के अन्दर मुमकिन है जो गवर्नमेंट इन पावर

(नासनाइड्) है, उनके बजाय उन्हें खुद गवर्नमेंट संभालनी पड़े। मैं मिसाल दूंगा, जैसे इस वक्त इंगलिस्तान की पालियामेंट है। वहां पर जो बहसें की जाती हैं तो यह समझकर न ीं की जाती ैं कि हर चीज को जो गवर्नमेंट कर रही है, वह गलत हो या सही हो, हमको तो एतराज करना है, बल्कि यह समझ करके की जाती हैं कि अगर जनरल इलेक्शन की जाय तो मुमकिन है लेबर पारटी शिकस्त हो जाय, और कंसरवेटिव पारटी पावर (शक्ति) में आ जाय।

एक सदस्य--हम कांशस (परिचित) हैं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--अगर आप कांशस हैं तो बदकिस्मती से आप तैयार नहीं हैं कि पावर में आने के बाद आप मेम्बरान को इस काबिल समझें कि उनको किसी किस्म के जिम्मेदारी के काम एंट्रस्ट किये (सौंपे) जा सकें। यह मैंने माना कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट गल्ती करे, उस पर आप एतराज करें, लेकिन जब वह एक उसूली बिल लाती है और ऐसे केसेज में जबकि मेम्बरान को सिवाय कम्पेंसेटरी अलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) के और कोई अलाउन्स बहैसियत तनख्वाह या मुआविजे के नहीं दिया जायगा, कोई बिल लाये तो इसमें एतराज नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल में मेम्बरान अपोजीशन का ख्याल यह है कि वह अपने किसी मेम्बर को हरगिज ट्रस्ट (विश्वास) नहीं कर सकते। आइन्दा चल कर के अगर वह ऐडवाइजर, स्पेशल ड्यूटी पर या कमेटी के चेयरमैन हों, उन पर उनको एतबार न होगा।

यह कहा गया है कि इसका असर मुलाजमीन पर पड़ेगा। मे ी समझ में नहीं आया कि अगर मेम्बरान असेम्बली को कोई खास ड्यूटी एंट्रस्ट की जाती है तो इससे उनमें और परमानेंट गवर्नमेंट सरवेंट (स्थायी सरकारी नौकर) में कैसे कनफ्लिक्ट (संघर्ष) होगा। जितने मैटर्स (विषय) उसूल के हैं उनको मेम्बरान तय कर सकते हैं और जितनी रूटीन (दैनिक कार्य) की चीजें हैं वह पेड (वैतनिक) और परमानेंट आफिसर्स अंजाम देते हैं। तो जहां तक आम गवर्नमेंट को रन करने (चलाने) का यह तरीका है उसको अगर अच्छी तरह से वर्क (कार्यान्वित) किया जाय तो कनफ्लिक्ट होने की कोई वजह नहीं है। मेरी समझ में कोई उसूली एतराज तो किया नहीं गया। और जो तफसीलात की गयी हैं जैसा कि हाउस में जिक्र किया गया और खुद लीडर आफ अपोजीशन ने कहा जहां तक इंडिविजुअल केसेज (व्यक्तिगत प्रकरण) हैं उन का जिक्र करना ना मुनासिब है और न इससे मुताल्लिक है। लिहाजा मैं उस का कोई जवाब नहीं देना चाहता और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरी चीज इस बिल के मुताल्लिक और खुसूसन इस दफा के मुताल्लिक कोई ऐसी नहीं है जो काबिले गौर व खौज हो।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन पर जो वादविवाद हुआ इसके पूरे समय तक मौजूद नहीं था। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया उसे मैंने बहुत गौर से सुना। मेरी यह धारणा पहले थी और अब भी है कि इस विधेयक पर और दूसरे विधेयकों पर भी बिना किसी व्यक्ति विशेष को लाये हुये बहस की जा सकती है कोई कानून हम बनाते हैं तो वह कानून पुराने तजुरबे पर बनता है और उसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष की कारगुजारियां अच्छी या बुरी मालूम होती हैं तो कानून में उसकी बंदिश जरूर रखी जाती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष को उस बहस मुबाहिसे में लाया जाय। व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त मैं यह भी समझता हूं कि जिसके बारे में कोई बात कही जाय उसको इसका मौका न हो कि अपनी सफाई दे सके तो मैं इसको भी मुनासिब नहीं समझता। वादविवाद का साधारण नियम है कि जिस के संबंध में हम कुछ कहें, तो दूसरी तरफ से ऐसा आदमी होना चाहिये जो पूरी जानकारी रखता हो और उसको मौका भी हो कि वह इस संबंध में उस का कुछ जवाब दे सके। इसलिये जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया और मैं श्रीमान् का बहुत मशकूर हूं कि आपने भी यही आज्ञा दी कि इस संबंध में जितना वादविवाद हो किसी व्यक्ति विशेष

[श्री त्रिलोकी सिंह]
से उसका संबंध न हो। मैंने जो संशोधन पढ़ा उसमें सिर्फ इतना ही है कि सरकार की तरफ से अगर कोई जांच कमेटी नियुक्त की जाय किसी मामले की जांच करने के लिये उस जांच कमेटी के बाद उससे सलाह भी ली जाय तो उसका सभापति या सदस्य बनने में कोई आपत्ति न हो। उसकी इजाजत रखी जाय।

वादविवाद में एक प्रश्न लाया गया कि जो परमानेंट सर्विसेज (स्थायी सेवायें) हैं अगर असेम्बली और कौंसिल के सदस्यों को ऐसा काम सुपुर्द किया जाता है तो परमानेंट सर्विसेज को उनसे कुछ क्लैश (विरोध) होगा। क्लेश का प्रश्न मेरे विचार से नहीं पैदा होता। लेकिन एक बात का ध्यान और लिहाज हम को रखना चाहिये वह यह कि लोकतंत्र की सफलता असेम्बली और पार्लियामेंट के साथ साथ परमानेंट सर्विसेज की आनेस्टी (ईमानदारी) और एफीशेंसी (दक्षता) पर है और कहीं भी लोकतंत्र जहां पर सफलतापूर्वक चला है वहां पर सर्विसेज का इसमें बहुत कुछ हिस्सा रहा है। तो क्लैश का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यह आशा की जाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उसके कर्मचारी इतने काफी होशियार और समझदार होंगे, तजुरबेकार होंगे कि जो भी जरूरत पेश आयेगी और जो भी काम उन को सुपुर्द किया जायगा उस काम को वह सफलतापूर्वक कर सकेंगे। सवाल किया जायगा कर सकेंगे। सवाल दरअसल सिर्फ इतना है कि क्या इस आदरणीय सदन या विधान परिषद् के सदस्यों के लिये यह मुनासिब है या नहीं कि वह कोई ऐसा सरकारी काम करें जिसके जरिये से कभी यह ख्याल हो कि कुछ फायदा उन्होंने उठा लिया है ?

हमारे देश में ऐसा रहा है कि असेम्बली और लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स मुख्तलिफ कमेटियों के सदस्य रहे हैं और चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और बहुत उपयोगी काम किया है। दूसरे देशों में भी ऐसे प्रश्न अनेक बार उठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह जो विधेयक दरपेश है इसे पारित करेंगे। इस सभा की चन्द दिनों की जिन्दगी है, जब तक यह डिजाल्व (विघटन) नहीं हो जाती है उस समय तक इसकी जिन्दगी है। अगर यह कहा जाय कि ऐसे अप्वाइंटमेंट्स (नियुक्तियां) नहीं हुये हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि दो तीन महीनों में आशंका हो कि ऐसी चीज आयगी। दूसरी चीज यह है कि यह जो संशोधन है इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई जांच या परामर्श करने को मुमानियत नहीं होनी चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इस सिलसिले में है उसे स्वीकार करने की कृपा करें और ऐसा करने से जो इस विधेयक के पीछे धारायें हैं उनमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं आयगी।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री खानचन्द गौतम ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल यह है कि इस पर जो बहस चली वह थोड़ी सी गलत चली। मेरे मित्र माननीय श्री कृष्णचन्द्र जी ने यह कहा कि हमने प्वाइन्ट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) नहीं उठाया। इसे तो वह उठाया करते हैं जिनको एतराज होता है। जिसको एतराज नहीं है वह क्या उठाये। लेकिन जहां तक इस संशोधन की बात है मैं यह कहना चाहता हूं और इसलिये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने कहा कि यह नहीं बतलाया गया कि इसके पीछे कौन सी गलती उसूल की है। यह विधेयक जो सदन के सामने उपस्थित है और उसका जो विरोध किया है उसके पीछे तीन मौलिक सिद्धान्त हैं। उनमें एक यह भी है कि इस तरह के जो पदाधिकारी हैं उनको इस बिल द्वारा अनर्हता प्राप्त न हो और वह सवाल यह है कि सरकार को यह अधिकार न दिये जायं कि वह किसी माननीय सदस्य को कोई अवैतनिक पद देकर उससे कोई ऐसा काम ले सके जिसको उसे नहीं करना चाहिये। अभी जो बहस हो रही थी उसमें यह बात बतलाई गई कि कोई भी माननीय सदस्य जो एडवाइजर (परामर्शदाता) की हैसियत से काम करता है और सवाल पैदा होता है

तो जवाब देने का हक़ नहीं होता है। यह सवाल है कि इस भवन में कोई सरकारी आदमी नहीं होता है। पहले जो प्रिंसिपिल (सिद्धान्त) नामीनेशन (नामनिर्देशन) का था उसको मिटाया गया है। पहले जो सरकार के पेड (वतनिक) सेक्रेटरीज थे वह बैठा करते थे परन्तु वह हटाये गये। वह किस लिये हटाये गये। इसीलिये कि हम धीरे धीरे प्रजातंत्रवाद की तरफ बढ़ते रहे हैं और इसीलिये इसके पीछे वह सिद्धान्त है। लेकिन माननीय न्यायमंत्री जी यह चाहते हैं कि इंग्लैन्ड की जो अवस्था १७०७ के पहले थी उसी हालत में हम चले जांय। माननीय न्याय मंत्री जी ने कल कहा कि पार्लियामेंट के कुछ केसेज को हम पढ़ लें लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउन्ड (पृष्ठ भूमि) है उसको उन्होंने नजरंदाज कर दिया। वह भावना क्या है उसे मैं बतलाना चाहता हूं। वह यह है कि सरकारी पद पर रहने वाले जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ असर अवश्य रहता है। मान लीजिये माननीय न्याय मंत्री ने अपने कुछ काम के लिये मुझे, मैं हालांकि इधर बैठने वाला हूं, अप्वाइंट (नियुक्त) कर दिया, मुझे वेतन नहीं दिया जायगा लेकिन वह एलाउन्स (भत्ता) मुझे मिलेगा। मैं यह कहता हूं कि मुझे फर्स्ट क्लास ६०० रुपये का बंगला मिल जायगा, एक टेलीफोन लग जायगा और मोटर सरकारी खर्चे पर मिल जायगी और १० रुपये रोज भत्ता तो है ही। वह अगर मेरे साथ यह रियायत करें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत से प्रलोभनों को ठुकराता रहता हूं। लेकिन यह प्रलोभन जो मुझे दिया जायगा उसके लिये मुझे सोचना पड़ेगा कि सरकार की मुखालिफत करूं या न करूं। आधारभूत सिद्धान्त यह है कि किसी भी माननीय सदस्य को जो यहां है, उसे कोई आफिस न दिया जाय और आफिस की बात यह कि उसको वेतन मिलता नहीं लेकिन वह प्रतिकर जो चीज़ है वह रामायण जैसा सुरसा का जिक्र आया है सुरसा की तरह से उसका शरीर बढ़ता जाता है। सरकार भत्ता जितना चाहे बढ़ा दे, कोई मियाद नहीं, चाहे मकान दे दीजिये, चाहे फर्नीचर दीजिये, चाहे पर्शियन कार्पेट (ईरानी गलीचे) दीजिये, फर्स्ट क्लास मोटर्स एक नहीं चार दीजिये, वह सब इसमें आ जाता है। वह सब प्राफिट (लाभ) हो जाता है। इसलिये जो सिद्धान्त है जिसकी वजह से हम इसकी मुखालिफत करते हैं कि जो भी इस भवन के माननीय सदस्य हों उनको ऐसा पद न दिया जाय जिसके साथ उनको प्रलोभन दे कर आप उनसे अनुचित कार्य करा सकें। इस संबंध में एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। यह सन् ४६ की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें २८ जनवरी, सन् १९४६ को सर परवस सालिस्टर जनरल की शहादत हुई उनसे एक सवाल पूछा गया--

Q. "Is the disqualification applicable to cases where the dependence on the Crown against which the statute was framed is so framed as to be fictional?"

A. "My answer is, if the appointment is made under the Crown, for example, by the Minister having authority to make the appointment for purposes connected with the public service, even though the practical dependence of the holder of the office under the Crown is more than fictional........"

[प्रश्न--"क्या अनर्हता ऐसे प्रकरणों पर भी लागू है जहां क्राउन के ऊपर निर्भरता जिसके विरुद्ध कानून बना था, इस प्रकार बनी हुई हो कि उसे काल्पनिक कहा जा सके?"

उत्तर--"मेरा उत्तर यह है--उदाहरणार्थ यदि उस सार्वजनिक सेवा से सम्बद्ध उद्देश्य के लिये नियुक्ति करने का अधिकार रखने वाले मंत्री के द्वारा (क्राउन के अन्तर्गत) नियुक्ति हुई है, तो क्राउन के अन्तर्गत पद को धारण करने वाले व्यावहारिक निर्भरता काल्पनिक से कहीं अधिक है।"]

[श्री खुशवक्त राय]

यह भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ करती है। यह कि कोई भी एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) जो आप कर देंगे किसी आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) पर किसी माननीय सदस्य का वह डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) होगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि हमारे नेता जो इधर बैठे हुए हैं वह आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकते है। मैं इसे मानता हूं कि माननीय न्याय मंत्री ने आकर अपनी कैबिनेट को सुझाया कि हम लोग जो इधर बैठे हैं आल्टरनेटिव गवर्नमेंट हैं। अब देखना यह है कि उन्होंने हमको आल्टरनेटिव गवर्नमेंट कहा और कहा कि अगर आप गवर्नमेंट हो जायं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूं, इस बात को कहने के लिये कि हम कभी गवर्नमेंट हो जायेंगे तो ऐसे अज्ञान से हम काम करने वाले नहीं हैं।

अज्ञान की भी हद होती है। एक कांस्टीट्यूशन (संविधान) पास होता है, उसमें एक धारा होती है, आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर डेढ़ साल बाद कहते हैं कि यह डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) हटा दी जाय। हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वह सही है कि हम लोग फ्यूचर (भविष्य) की गवर्नमेंट हो सकते हैं। परन्तु हम नहीं जानते कि यह बात कब सही होगी। लेकिन मैं माननीय न्याय मंत्री को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब ऐसा अवसर आयेगा तब हम इस अज्ञान से काम नहीं कर सकते कि जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं उनके विरुद्ध जाय। अगर हमें कोई चीज नेशनल इंटरेस्ट में करनी ही पड़े, मैं नहीं समझ सका कि ये नियुक्तियां जो की गई वे नेशनल इंटरेस्ट में की गयी या पार्टी इंटरेस्ट में। फिर भी मान लीजिये कि हमें नेशनल इंटरेस्ट (राष्ट्रीय हित) में कोई नियुक्ति करना पड़े और माननीय सदस्य श्री कृष्णचन्द्र जी को एक आनररी आफिस (अवैतनिक पद) पर नियुक्त कर देना पड़े तो हम यह देख लेंगे कि किसी विधेयक द्वारा हमने उस डिस्क्वालीफिकेशन को हटा दिया है कि नहीं और अगर इस केस में भी प्रीवियसली डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव (पूर्व ही अनर्हता निरस्त) कर दी जाती तो कोई शिकायत ही न होती।

मैं एक बात और कहना चाहता था अगर मैं किसी आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) की वजह से डिस्क्वालिफाई हो गया हूं, जैसा कि कहा गया है गो कि मेरा ऐसा विश्वास नहीं है फिर भी अगर गवर्नमेंट इसको समझती है तो एक हैल्दी प्रिंसिपिल (सुष्ठ सिद्धांत) के लिये यह जरूरी मैं समझता हूं कि मुझको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री खानचन्द गौतम के संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता मंडल के सदस्य, श्री कृपा शंकर, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री खान चन्द गौतम--श्रीमान्, मेरे संशोधन के संबंध में विचार करते समय कुछ बातें कहीं गयीं। कुछ तो अध्यक्षपीठ से पहिले सलाह दी गयी उनको ख्याल में रख कर और मेरे दल के नेता ने बहस के संबंध में जिस शैली और जिस ख्याल को रखने के लिये कहा उसको ख्याल में रख कर मैं उन पर विचार करना नहीं चाहता हूं और न उस संबंध में जवाब देने की ही कोई जरूरत महसूस करता हूं। मगर दो एक बातें हैं जिनका जवाब मुझे देना है। माननीय श्री कृष्णचन्द्र जी ने एक तो यह कहा कि अगर मेरा सुझाव या मेरा संशोधन इसलिये होता कि भाई, अब तक जो कुछ हुआ, जो गल्ती हुकूमत से हुई या संविधान के प्रतिकूल अगर कोई चीज हो गयी तो उसको दरगुजर किया जाय और आइन्दा के लिये सदस्यों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से मान्य होता। हुजूरवाला, मेरी बड़ी मजबूरी है कि हुकूमत की कुर्सी में बैठ कर अगर आदमी कोई जानबूझ कर कोई गल्ती करे, गैरकानूनी हरकत करे तो उस पर दरगुजर करने के लिये मैं तैयार हूं, न सिफारिश करने क

लिये किसी माननीय सदस्य की, न किसी नागरिक की। हुकूमत की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यह एक साधारण बहस की तरह नहीं होती है। इस परिवार में ५, ७ सदस्य किसी गफलत में पड़ कर कोई भूल कर बैठें तो जैसे उसके बच्चे और उसके पड़ोसी दरगुजर करेंगे उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखने वाली यह जगह होती है। हुकूमत तो इस दावे के साथ इस कुर्सी पर आती है कि उसे साढ़े ६ करोड़ जनता के संरक्षक होने का अधिकार है और वह उसकी काबलियत रखती है और वह अपने को इस योग्य समझती है कि इस हैसियत से वह इतने बड़े जनसमूह का लालन पालन करे और इन्तजाम करे। यह हैसियत हुकूमत की होती है और हुकूमत उसका मेंनडेट (आदेश) क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है इसका पूरा पूरा इन्तजाम करके आती है और उसकी हुकूमत निरन्तर लोकमत की निगाह से होती है। हुकूमत के लिये एक सहूलियत हासिल है। यह माननीय सदन जिसके इतने मेम्बरान लोकमत से, यहां की जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से आये हैं, वे लोग इसीलिये आये हैं कि कदम-कदम पर हुकूमत को सलाह देते चलें, हुकूमत को यह बतलाते चलें कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया है तो वह कैसा है, किस रास्ते पर गलत कदम है और हुकूमत अपने पीछे बैठने वालों से और सामने बैठने वालों से बराबर सलाह ले करके चलती रहे। अगर इस माननीय सदन ने इसके अस्तित्व को, इस उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया तो फिर यह सदन गलत रास्ता अख्तियार करेगा। इस वजह से भी हुकूमत को जिसके पास उसकी मदद के लिये, उसको सलाह मशविरा देने के लिये, और उसके गाइडेंस (पथप्रदर्शन) के लिये माननीय सदस्य मौजूद हैं, ऐसे ऐसे योग्य व्यक्ति उनके पीछे मौजूद हैं, तो फिर उनसे सलाह न लेकर खुदमुख्तार अगर हुकूमत कोई काम करती है तो फिर उसे दरगुजर करना, सिफारिश करना किन्हीं माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता। फिर साधारण गलती भी नहीं है। यह संविधान जिसको हाथ में लेकर हमने आपके पद के सामने कसम खायी है इसमें से हर एक सदस्य ने कसम खाई है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, हुकूमत के हर एक मेम्बर ने कसम खाई है कि हम संविधान की रक्षा में अपना सब कुछ लगा देंगे। जिस संविधान पर हमारा तमाम लोकजीवन निर्भर करता है हमारे आगे की प्रगति निर्भर करती है, अगर उसकी अवहेलना करके जानबूझ कर ठुकराकर कोई गलती की गयी हो तो वह ऐसा अपराध है कि जिसके लिये दरगुजर करने की सिफारिश श्री कृष्ण चन्द्र जी को नहीं करनी चाहिये।

कृष्ण चन्द्र जी ने एक बात और कही कि जितनी बहस मैं कर गया वह गलत थी। श्रीमान, मैं यह मानता कि जो दो खंड यहां पर हैं (क) और (ख) उनमें से कितने ही पद ऐसे हैं कि जो (क) में आ सकते हैं और (ख) में भी आ सकते हैं। माननीय न्याय मंत्री ने स्वयं कहा था कि वह कह नहीं सकते कि कौन कौन पद किस किस श्रेणी में आकर पड़ेगा। इस वजह से कितने ही पद ऐसे हैं जो (क) में आ सकते हैं और (ख) में भी आ सकते हैं। हम नहीं जानते कि किस श्रेणी में हुकूमत उनका वर्गीकरण करेगी। यह हुआ है कि (ख) में आने वाले किसी पद विशेष के संबंध में जो (क) में आ सकता हो और कुछ ज्यादा विस्तार से मैं कह गया तो एक ही चीज है कि जब पद श्रेणी पर कहना होगा तो उस वक्त नहीं कहा जायगा जो कि इस वक्त कहा जा चुका है।

कृष्ण चन्द्र जी ने एक बात और कही कि यहां पर हम हुकूमत की पार्टी के सदस्य कोई आक्षेप करते हैं या आलोचना करते हैं तो इस सदन के सदस्यों को जो अधिकार है प्राप्त है उसके हम बाहर जाते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय कृष्णचन्द्र जी इस बात को समझ लें और यकीन कर लें कि जहां तक इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य की ऐसी बातों में जाकर समझाने का ताल्लुक है इसमें से प्रत्येक सदस्य को इस बात का हक है कि ऐसे सवालों में जा कर कमेटी बिठाकर जांच कराने का अधिकार है और इसके बारे में प्रत्येक सदस्य को यह कानूनी और नैतिक अधिकार प्राप्त है। अगर हम किसी वक्त न्याय के हित में और जनहित में यह

[श्री खानचन्द गौतम]

समझें तो इस हुकूमत पर इम्पीचमेंट करें और एक पार्टी का सदस्य खड़े हो कर शासन के संबंध में जितने दोष हैं यहां पर उसके संबंध में जवाब तलब करें और अगर मुनासिब समझा जाय तो इस माननीय सदन से उस मंत्री को या उस सदस्य को बाहर कर दें। ऐसा अधिकार इस सदन को प्राप्त है। इसलिये यह सदन के बाहर की बात नहीं है कि हुकूमत के कामों की आलोचना इस तरीके से की जाय। इसीलिये हम यहां पर हैं और इसी लिये हम जन कोष से मजदूरों और किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा लेते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके हितों की रक्षा करें और सचेत रहें। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं अगर यहां पर हम हुकूमत की आलोचना करते हैं।

माननीय कृष्ण चन्द्र जी ने एक यह बात कही कि मैंने कायरता का इस्तेमाल किया। अगर हुकूमत के संबंध में खड़े हो कर सफाई की बात कहना और उनका दोष दिखाना कायरता है तो फिर मैं समझ नहीं पाया कि फिर शौर्यता किस बात में होगी। उनके कानों में कहना, या उनके चैम्बर में कहना या अरजी लेकर दस्तबस्ता खड़े रहना शौर्य है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पहले यहां पर नहीं कही गयी हो। मुझे बड़ा दुःख है कि इस समय जब कि इतना अहम सवाल हमारे सामने मौजूद है, पुरानी गैरकानूनी की हुई चीजों को डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) को हटाने का सवाल हमारे सामने मौजूद है जिसके बारे में एक शंका प्रकट की जा चुकी है कि उनको कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे अहम मसले के यहां रहते हुए भी आप निगाह करें कि हुकूमत की पार्टी के कितने सदस्य इस बात में रुचि रखते हैं और मंत्रिमंडल में से कितने लोग यहां मौजूद हैं जो इस बात में रुचि रखते हैं कि सदन के सदस्य क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। हम जानते हैं कि हुकूमत के सदस्य हम लोगों की राय की कितनी परवाह करते हैं और इस सदन की राय की कितनी परवाह करते हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट के दौरान में जब माननीय मुख्य मंत्री जी इसी जगह पर यहां जहां माननीय न्याय मंत्री जी तशरीफ रखते हैं, वहीं तशरीफ फर्मा थे तो मैंने प्रसंगवश उनकी सेवा में अर्ज किया था जब कि उनके पोर्टफोलियो (विभाग) के बारे में सवाल पेश था। उस वक्त मैंने उनको याद दिलाई थी कि इस तरह की बेजा हरकतें हुई हैं और अदालतों तक के कामों में लोगों ने दखलन्दाजी की है।

श्री बनारसी दास--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुबह अध्यक्ष महोदय ने इस बात का आदेश किया था कि सिवा जवाबी दलीलों के किसी सदस्य पर कोई जनरल (सामान्य) आक्षेप नहीं किया जायगा। सुबह भी इसी तरह का जनरल आक्षेप किया गया था कि न्याय शासन विभाग के अन्दर हस्तक्षेप किया गया है। इस तरह का आक्षेप मैं समझता हूं कि किसी खास सदस्य पर करना मुनासिब नहीं है और माननीय सदस्य जो जनरल आक्षेप कर रहे हैं वह मुनासिब नहीं है और बिलकुल गलत है।

श्री खान चन्द गौतम--हमारे माननीय मित्र धीरज से सुनने के आदी नहीं हैं और समझने के तो बिलकुल ही आदी नहीं हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि बजट के वक्त माननीय मुख्य मंत्री के सम्मुख इस संबंध में यह कहा जा चुका था कि इस प्रकार न्याय विभाग में हस्तक्षेप हुआ है और उस पर उन्होंने वादा किया था कि अगर गैरमुनासिब चीजें हुई हैं तो मैं इस तरह की चीजों की जांच कराऊंगा। बजट के बाद आज का दिन देख लीजिये मुझको नहीं मालूम कि कोई जांच कराई गयी या नहीं और न मुझे यही बताया गया कि मेरा कथन सही था या गलत और उसके बाद क्या हस्र हुआ। मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी हुकूमत की है। जहां तक इस बात का ताल्लुक था मैंने उस दिन भी चैलेंज (चुनौती) किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी एक मर्तबा कह दें कि मेरा कथन गलत है और मेरे स्टेटमेंट (कथन) को वह चैलेंज कर दें और मैं कहता हूं कि मिनिस्टर से लेकर सदस्यों तक ने

जो इधर बैठे हैं इस प्रकार की कोशिशें की हैं और मैं इस चीज के लिये चाहे जब चैलेंज करने के लिये तैयार हूं और अगर मौका आवे तो मैं प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) के सामने भी पेश हो सकता हूं कि किस तरह से इस हुकूमत के एक एक मिनिस्टर ने दखलन्दाजी की है। लेकिन उन्होंने मुझे चैलेंज नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि इसमें उनके लिये जरा मुश्किल का सामना करना होगा।

कायरता की बात कही गयी। मैं कायरता दिखलाना अपनी और पार्टी की शान के खिलाफ समझता हूं और इस सदन के शान के खिलाफ समझता हूं। हम और हमारी पार्टी के सदस्य इस सदन की शान का गर्व रखते हैं। माननीय सभापति जी, श्री कृष्ण चन्द्र जी ने बड़ी हिम्मत के बाद एक बात यह कही कि मैं जो आलोचना कर रहा हूं और जो संशोधन में पेश कर रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिये कि कोई एडवाइजर (परामर्शदाता) नियुक्त नहीं किया गया और उनका ऐसा ख्याल था कि नियुक्त होने वाला भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस हद तक श्री कृष्ण चन्द्र इस गवर्नमेंट के कांशेन्स कीपर (अन्तःकरण रक्षक) हैं और क्या उनको जानकारी है कि आगे गवर्नमेंट क्या करने वाली है। मेरा ख्याल तो यह है कि इस गवर्नमेंट को खुद नहीं मालूम कि वह क्या करने वाली है, एक काम उठाते हैं और दूसरा काम मजबूरन कर बैठते हैं। एक आटोमैटन की तरह काम होता है पता नहीं कि आज क्या हो रहा है कल क्या होना है। न ५ साल पहले उनका कोई प्लान था कि उनको क्या करना होगा। न आज तक कोई प्लान बना और न आगे के लिये अब कोई प्लान बन कर तैयार हो रहा है। किसी बात का कोई अन्दाज किसी को नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर कृष्ण चन्द्र जी ऐसा दावा करते हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा नम्र निवेदन है कि वह बड़ा बेजा दावा करते हैं।

अगर मैं उनकी वह बात मान लूं और माननीय न्याय मंत्री की यह बात भी मान लूं कि इस खंड (क) के अन्तर्गत उन्होंने कोई एडवाइजर्स नहीं नियत किये हैं और यह भी मान लूं कि आगे भी ६ महीने तक उनका इरादा कोई नियुक्त करने का नहीं है तो, हुजूरेवाला, मैं आपकी इजाजत से फिर इतना जानना चाहता हूं कि यह खंड (क) इस कानून में क्यों रखा जा रहा है। जिस कानून पर अमल करने का हुकूमत का कोई इरादा ही नहीं है तो इस धारा के रखने से फायदा क्या? फिर माननीय न्याय मंत्री जी ने फरमाया कि उन्हें ठीक अन्दाजा इस बात का नहीं है कि कौन आफिस किस कैटेगिरी (वर्ग) में आवेगा। हमारी मजबूरी है कि हम इसमें माननीय न्याय मंत्री की सहायता नहीं कर पाते कि उनके नियुक्त किये हुए लोग कौन कौन लोग इस कानून की किस श्रेणी में आवेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वह सूचना उस शक्ल में हमको नहीं दी है जिसमें कि हम चाहते थे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है माननीय न्याय मंत्री के मुख से यह सुन कर कि हम लोग यह बतावें कि कौन कौन शख्स किस डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) के अन्तर्गत आता है। अदालत में बहुत दिन वकालत करने के बाद मेरे मित्र इस बात के आदी हो गये हैं कि मुखालिफ की तरफ से जो बात कही जाय और वह खास तौर से अगर अपोजीशन की बात हो तो अपोजीशन प्रासीक्यूशन (वादी) की हैसियत अख्तियार कर ले जैसे कि प्रासीक्यूशन के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि सारे सबूत उसके ऊपर हैं। हर इनफार्मेशन (सूचना) और सारा सबूत वह देगा और डिफेंस (प्रतिवादी) सुरक्षित है। डिफेंस कौंसिल (प्रतिवादी का वकील) उसके बाद खड़ा होता है और कहता है कि यह कमी रह गयी वह कमी रह गयी, चुनांचे बेनीफिट आफ डाउट (संदेह लाभ) एक्यूज्ड (अभियुक्त) को मिलना चाहिये। मेरे माननीय दोस्त उस हैसियत में यहां नहीं हैं। यह प्रासीक्यूशन नहीं है। यह अपोजीशन है और पैरेलल (समानान्तर) गवर्नमेंट रखने वाली यह पार्टी है। इसके साथ उस तरीके से डील (व्यवहार) नहीं किया जा सकता जैसे अदालत में प्रासीक्यूशन के साथ डील किया जाता है। इसलिये मेरा फिर यह नम्र निवेदन

[श्री खानचन्द गौतम]

है कि इस रुख को छोड़ कर वह हमारी मदद करें कि जिन कैटेगिरीज में जिस सिलसिले में और जिन हैड्स (शीर्षकों) के अन्दर हमने सूचना मांगी है वह वैसी हमको दें और हम फिर उस पर बतावें और तब विचार हो। इन शब्दों के साथ मुझे यह निवेदन करना है कि जितनी बहस मेरे संशोधन पर हुई है उससे न यह सिद्ध हुआ कि मेरा संशोधन गैरजरूरी है बल्कि यह सिद्ध हुआ कि यह दफा गैरजरूरी है। अगर कोई मजबूरी उन पर पार्टी ह्विप (वोट संचालक) की न होती तो जिस समय वह वोट पर रखा जायगा तो जितना विचार हुआ है उसकी रोशनी में अगर मेरा संशोधन देखा जायगा तो वह पास हो जायगा और यह दफा इस बिल से निकाल दी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता (जोर देता) हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर---श्रीमान्, जहां तक गौतम साहब की बहस का ताल्लुक है, मुझ सिर्फ यह कहना है कि इस दफा के मुताल्लिक कोई नयी बहस उन्होंने नहीं की। हमने कई दफा यह अर्ज कर दिया कि जहां तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट यह समझती है कि जितने लोग हैं कोई भी उनमें से डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) नहीं होते हैं; लेकिन उसके साथ चूंकि ये सब ऐसे हैं कि जिनको किसी न किसी किस्म का फायदा बहैसियत मेम्बर होने के कमेटी के या किसी और काम के मुताल्लिक जो उन्होंने किया है, पहुंचा है लिहाजा यह मुमकिन है कि इसके मुताल्लिक शक किया जा सके। इस उसूल को पेशेनजर रख कर हमने उन तमाम अफसरों को जो ऐसे हैं तीन कैटेगरीज (वर्गों) में तकसीम किया है। लेकिन हमारे लिये यह जरूरी नहीं है कि हम यह बतलायें कि कौन मखसूस शख्स किसी कैटेगरी में आता है यह पेशेनजर रख कर हमने इसकी तारीफ की है और कहा है कि अगर इन लोगों को महज कम्पेनसेटरी एलाउंस (प्रतिकर भत्ता) मिलता रहा है तो ऐसी हालत में ये डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे। यह एक निहायत सादा ऐक्ट है, न इसमें किसी किस्म का धोखा है और न कोई नाजायज फायदा उठाने का गवर्नमेंट का इरादा है। बहरहाल, शकूक मेरे मेहरबान दोस्त के दिल में हैं और उनके रफा करने की इमकानी कोशिश मैंने की। अगर वे नहीं रफा हुये तो शायद मेरी जबान में इतनी ताक़त नहीं थी कि अपने दोस्त को मैं समझा सकता या वह किसी मसलहत की वजह से समझने के लिये तैयार नहीं हैं। बहरहाल, मसलहत उनकी यही है कि वह मुखालिफत करें। अब असलियत क्या है, यह मेरे ख्याल में परमेश्वर को ही मालूम है या वह जानते होंगे। मैं सिर्फ यह अर्ज करता हूं कि इसमें गवर्नमेंट को किसी किस्म की बुरी नियत नहीं है और न इरादा है कि किसी किस्म का नाजायज फायदा उठाये। जो इत्तलाआत उन्होंने मांगी थीं वे सब हमने उनको पहुंचा दी हैं। इसके अलावा कोई मखसूस इत्तला गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो मखसूस इत्तला उन्होंने मांगी थी वह जहां तक मुझसे हो सका उनके पास पहुंचा दी। अगर और भी कोई मखसूस इत्तला मुझसे मांगें तो मैं उसको देने के लिये तैयार हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी इत्तला हो जिसको मैं नहीं समझ सकता या मेरा दफ्तर नहीं समझ सकता तो जाहिर है कि हम उसको मुहय्या नहीं कर सकते। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यह तरमीम एक ग़लतफहमी पर मबनी है और कोई वजह नहीं है कि अमोज (विरोध) न की जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय।

श्री खानचन्द गौतम---श्रीमान्, पेश्तर इसके कि इस प्रश्न पर आप इस माननीय सदन का मत लें, एक बात मैं आपकी रोशनी में लाना चाहता हूं। अभी अभी जब आपने मत लिया था तो माननीय न्याय मंत्री जी ने अपना मत दिया। उन्होंने मेरे संशोधन के खिलाफ "नहीं" कहा यानी अपना मत प्रकट किया। माननीय

न्याय मंत्री इस सदन के सदस्य नहीं हैं और कानून की रू से उनको कोई अख्तियार नहीं है इस सदन के सामने उपस्थित हुये प्रश्नों पर मत देने का। आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें। अगर आपकी व्यवस्था यह हो कि उनको मत देने का अधिकार नहीं है तो उनको आदेश दें कि इसके आगे वह इस सदन में अपना मत न दें।

अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा मत दिया तो भूल से कहा होगा और मेरा एसा ख्याल है कि वह आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह इस हाउस के सदस्य नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो भूल से किया होगा और आपकी याददिहानी के बाद, मेरा ऐसा ख्याल है, यह बात फिर नहीं होगी।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--१५

अब्दुल बाक़ी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगाधर, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नारायण दास, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
रामकुमार शास्त्री, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सलीम हामिद खां, श्री

विपक्ष में--२९

अक्षयवर सिंह, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
प्रमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बनारसी दास, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

श्री खानचन्द्र गौतम--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं १३ नम्बर पर जो मेरा संशोधन उल्लिखित है वह मैं उपस्थित करना चाहता हूं और वह इस प्रकार है--

"खंड ३ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (ख) रख दिया जाय--

'राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी किसी भी समिति के सभापति या सदस्य के पद जिसे कोई जांच करके परामर्श देने का अधिकार दिया गया हो।'

श्रीमन्, उपखंड (ख) जो मौजूदा बिल में है वह दूसरे शब्दों में विशेष नियुक्तियों के लिए है। हम लोग इस आशय के हैं कि अगर उपखंड (क) रख लिया गया है और उसके बाद अगला उपखंड रखना है तो वह उपखंड यह हो कि जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है।

इस उपखंड के द्वारा हम ऐसी नियुक्तियों का अधिकार सरकार को देते हैं कि जो वह नियुक्तियां समितियों के रूप में, समितियों के चेयरमैन के रूप में, सलाह के लिये तहकीकात के लिये और अपने मशविरे के लिये यहां नियुक्त करें। बीच में कभी-कभी हुकूमत को जरूरत होती है कि वह किसी विशेष प्रसंग में कोई इंक्वायरी कमेटी नियुक्त करे। ये इंक्वायरी कमेटीज इसलिये भी बड़े महत्व की इस समय हैं कि हमारे यहां का शासन कार्य जहां तक चल रहा है वह केवल नित्यप्रति के ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के काम भर के लिये है। अभी अगर वास्तव में हमें अपने प्रदेश में सही प्रकार की हुकूमत चलाना है तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्क्वायरी कमेटीज, सर्वे कमेटीज (परिवीक्षण समितियां) और इसी प्रकार की दूसरी कमेटीज नियुक्त करनी पड़ेंगी। बिना जानकारी और सलाह के इस हुकूमत का कोई काम सही तरीके से नहीं चल सकता। जहां तक मैं समझता हूं, हुकूमत के पास किसी भी दशा में अपने डेवलपमेंट या विकास का कार्य चलाने के लिये या कोई योजना बनाने के लिये उचित सामग्री नहीं है। वह सब सामग्री मुहय्या करने के लिये भी हुकूमत को यह जरूरी होगा कि बहुत सी इन्क्वायरी कमेटीज उसको बनानी पड़ें। ऐसी इन्क्वायरी कमेटीज हुकूमत बना सके, उनकी रिपोर्ट्स पर गौर करके अपने लिये आगे का रास्ता तय कर सके, इसके लिये हमको इन्क्वायरी कमेटीज को इस बिल के अन्दर जगह देना चाहिये और यह हुकूमत के लिये मुमकिन बनाना चाहिये कि वह ऐसी कमेटियां नियुक्त कर सके। इस प्रदेश में सुचारुशासन के लिये, अच्छी हुकूमत चलाने के लिये नितान्त रूप से आवश्यक है कि ऐसी कमेटियों की नियुक्ति वैध करार दी जाय। मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपने इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--श्रीमान्, जहां तक इस दफा के एम्स (उद्देश्य) का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि जो तरमीम पेश की गयी है उससे वह मक़सद पूरा नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट का है। "आनरेरी आफिसेज फार दि परफारमेंस आफ एनी स्पेशल ड्यूटी" (किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिये अवैतनिक पद) ऐसे अफसरान गुजिश्ता में भी मुक़र्रर हो चुके हैं और मुमकिन है आइंदा भी इसकी जरूरत पड़े। मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा, जैसा कि बयान में कल कहा जा चुका है, कि श्री अवस्थी जो आनरेरी चीफ आर्गेनाइजर (अवैतनिक मुख्य संगठक) वेलफेयर सेंटर (कल्याण केन्द्र) के थे यह स्पेशल ड्यूटी उनको दी गयी थी और कम्पेन्सेटरी अलाउंस (प्रतिकारी भत्ता) उनको मिला, उसका तजकिरा आ चुका है। लेकिन जो अल्फाज कि कहे जाते हैं अगर उनको शामिल कर दिया जाय तो वह मक़सद पूरा नहीं होगा कि--

"Honorary Officers for the performance of any Special Duty....
Honorary Chief Organizer, Labour Welfare Centre

Offices of Chairman or Members of a Committee appointed by the Government of India or by the State Government to advise them after holding any enquiry."

[किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिये अवैतनिक अधिकारी,
श्रमिक कल्याण केन्द्र के अवैतनिक प्रमुख संगठक,

[राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी किसी भी समिति के सभापति या सदस्य के पद जिसे कोई जांच करके परामर्श देने का अधिकार दिया गया हो।]

इससे स्पेशल आफिसर अप्वाइंट (नियुक्त) नहीं हो सकेंगे। इसलिये मुझे अफसोस के साथ इसकी मुखाफिलत करनी पड़ती है। मैं अर्ज करूंगा कि यह सब-क्लाज (उपखंड) (ख) रहना चाहिये।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि जिस क्रम में यह संशोधन दिये गये हैं वह ऐसे हैं कि उपखंड (क) रहने के बाद अगर (ख) उपखंड रहता है तो वह जो मैंने अभी सदन के संमुख निवेदन किया और इसके साथ ही साथ यह भी उम्मीद हो कि जो उपखंड (ख) बिल में मौजूद है वह वहीं रहे तो मेरा दिया हुआ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह भी है कि वह उपखंड निकाल दिया जाय जो बिल में है। ज्यादा मुनासिब होता कि मुझे इजाजत रही होती दोनों संशोधनों को एक साथ उपस्थित करने की। एक से जो मौजूदा उपखंड (ख) है उसको निकाल देने की और दूसरे से उसके स्थान पर उन शब्दों को रख देने की जो मैंने अभी आपके सम्मुख निवेदन किया था। मगर चूंकि मेरा यह संशोधन इस उपखंड (ख) को निकाल देने के लिये आगे लाया जाने वाला है इसलिये उस संबंध में मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा। मेरा यहां निवेदन करने का केवल यही मतलब है कि हुकूमत ने खुद इस बात को जरूरी समझा है कि इस प्रकार का प्राविजन (उपबन्ध) इस बिल में रखें। आपके उपखंड (ग) में कुछ इसी तरह की व्यवस्था रखी गयी है जैसा कि मैंने अपने शब्दों में बताया। मैं तो यह सोचता था कि माननीय न्याय मंत्री मुझसे यही कहेंगे कि चूंकि मेरा दिया हुआ सुझाव आगे तीसरे उपखंड में आयेगा इसलिये इसको उपस्थित करने की इस जगह आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा जो दूसरा संशोधन है वह ले लिया जाय। इसके बदले खाली उन्होंने यही बतलाया कि वह कोई आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेषाधिकारी) रखना मुनासिब समझते हैं। इसलिये मेरा संशोधन यहां मानना जरूरी नहीं। मुझे केवल इतना ही अर्ज करना है कि जहां तक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी को मुकर्रर करने का प्रश्न है वह अभी हमारे अगले संशोधन के अन्तर्गत विचाराधीन आयेगा। यहां पर इस संशोधन के संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री भी इसको मुनासिब समझते हैं तभी उन्होंने तीसरी जगह उसको शामिल भी कर लिया है। अगर माननीय न्याय मंत्री यह चाहते हैं कि यह संशोधन तीसरी जगह लाया जाने वाला है इस वजह से उस पर उस समय विचार हो जाय तो मैं उसे वापस ले लूं। उनकी क्या सलाह है।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--श्रीमन्, जहां तक इसके बाद वाला संशोधन है मालूम य होता है कि तजवीज यह है कि पूरे क्लाज को ओमिट (निकालना) करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई तरमीम न हुई और सब-क्लाज (ए) ओमिट हो गया तो इससे फायदा हासिल नहीं होता उससे मकसद फौत हो जाता है। जहां तक सब-क्लाज (सी) है मुझे कोई तरमीम नहीं मालूम होती जो मेरे दोस्तों की तरफ से पेश की गयी हो। इसलिये मुझे अफसोस के साथ इस की मुखालिफत करनी पड़ती है और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से बिल में है उसी तरह से रहना चाहिये।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, एक गलतफहमी मालूम होती है, वह मैं न्याय मंत्री से अर्ज कर दूं। अगर उन्होंने मेरे संशोधन पर गौर किया है और अगर उनकी राय यह है कि जो आगे आने वाला उपखंड (ग) है, उसमें जो शब्द हैं उनके बदले

[श्री खानचन्द गौतम]

ये शब्द रहें और उनका परपज सर्व (उद्देश्य सिद्ध) होता हो तो मैं इसको इस जगह वापस ले लूं और वह वहां शामिल हो जायगा।

माननीय न्याय मंत्री जो मेरे बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ पाये। लेकिन मैं समझता हूं कि जो संशोधन जिस तरह से यह अजेंडा में छापा गया है अगर मैं ऐसा करूं कि यह जो संशोधन है और इसमें जो सुझाव है यह सुझाव जब उपखंड (ग) आये उसमें हो जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये इस स्टेज (प्रक्रम) पर मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

खंड ३ के उपखंड (ख) का संबंध उन पदों से है जो किसी विशेष कर्त्तव्य को पालन करने के लिये "for the performance of any special duty" अवैतनिक पदों को हुकूमत मुकर्रर करे। इस संबंध में मैं पहले कुछ अर्ज कर चुका हूं और मुझे जो कुछ अर्ज करना होगा वह मैं माननीय मंत्री जी और दूसरे सदस्यों की राय जानने के बाद अर्ज करना पसन्द करूंगा। इसलिये इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति जी, जो संशोधन अभी हमारे मित्र खान चन्द जी गौतम ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन जो अभी भवन के सामने उपस्थित है और इसके पहले भी जो संशोधन पेश किया गया था, उनका एक ही मकसद था। हमने यानी इस तरफ के बैठने वालों ने शुरू ही से इस बिल की, इस विधेयक की मुखालफत दो-तीन वजूहात के ऊपर की थी। एक तो यह थी कि इस बिल में जो रिट्रोस्पैक्टिव अफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) दिया जा रहा है, वह न दिया जाय और दूसरे आइन्दा भी यह लागू न रह सके, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके जरिये वसीअ अख्तियारात मिलते हैं।

माननीय मंत्री ने इस बात को कबूल नहीं किया कि वह इस बिल को वापस लेकर सिर्फ इतना ही हिस्सा रखें जो उपखंड (ग) में है। जो गवर्नमेंट कमेटीज या स्टैंडिंग (स्थायी) कमेटीज या जैसा कि संशोधन हमारे मित्र ने वापस लिया है, उसी तरह की बात रखते तो मुनासिब होता। जब माननीय मंत्री ने इसको मंजूर नहीं किया तो इस तरफ के बैठने वालों के लिये एक ही तरीका था कि वह उपखंड (क) और (ख) के निकालने के लिये ताईद करते, क्योंकि जब (क) और (ख) निकल जायगा तो वह स्थिति आ जायगी जो इस तरफ के बैठने वाले चाहते थे। मैं समझता हूं कि इसमें खामख्वाह की जो गरमी आई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि जो लोग मुकर्रर किये गये हैं, उन्होंने क्या-क्या किया और क्या नहीं किया। वह तो तजुरबा बयान करने के लिये, दलील की पुष्टि देने के लिये कहा था और उस तरफ के सदस्यों को भी इस बात को समझ लेना चाहिये कि जो इस तरीके की बात कही जाती है वह दलील की पुष्टि के लिये कही जाती है कि आइन्दा ऐसी बात न हो सके।

मैं तो सीधा सादा एक सवाल माननीय न्याय मंत्री से पूछता हूं और मुझे यकीन है कि उसका वह जवाब देंगे कि इस विधेयक में उपखंड (क) और (ख) रखने से क्या यह गुंजाइश नहीं है कि आइन्दा यह जो ५ महीने बाकी हैं, उनमें सरकार इस तरीके के आफिसर्स नियुक्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ यही पूछता हूं कि आया इस बिल के पास हो जाने के बाद इसमें यह गुंजाइश होती है या नहीं होती है, यही बहस है। यह कह देना कि

सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार की नियत ऐसी नहीं है, यह तो कोई दलील नहीं है। मैं तो साफ तरीके से इस बात का जवाब चाहूंगा कि आया इसमें यह गुंजाइश है या नहीं है। अगरचे गुंजाइश है तो माननीय मंत्री से बड़े अदब से पूछूंगा कि ऐसी गुंजाइश आप ऐसे वक्त में क्यों रख रहे हैं। अगरचे आपकी मंशा सिर्फ यह है कि जिन लोगों ने अब तक काम किया है उनको इनडेम्निफाई (क्षतिपूर्ति) कर दें, वे किसी तरह से डिसक्वालिफाई (अनर्ह) न हों, तो आपको इस विधेयक में यह कहना चाहिये था कि जिन लोगों ने अब तक यह काम किया है उनको तो हम इनडेम्निफाई करते हैं, लेकिन हम इस बात का वायदा कर रहे हैं कि आइन्दा से ऐसी बात नहीं होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये अख्तियारात इन ४–५ महीनों के लिये क्यों लिये जा रहे हैं, इसका जवाब मैं बहुत साफ तरीके से जानना चाहूंगा। किसी कानून के बनाते वक्त यह ख्याल रखना चाहिये कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, यह कानून बनाने का सही मियार नहीं है। सरकार क्या करेगी क्या न करेगी, क्योंकि इतिहास ने हमें दिखलाया है कि एक प्रस्ताव के पास हो जाने की वजह से हिटलर ने सारी ताकतें अपने हाथ में ले लीं। अगर न्याय मंत्री यह कह दें कि इस (क) और (ख) उपखंड रखने के बाद यह गुंजाइश नहीं रहती है कि सरकार कोई नियुक्ति कर सके तो मुझे जरा एतराज नहीं है। अगर गुंजाइश है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों रखी जाती है, जब सरकार को इस ऐक्ट को बेजा इस्तेमाल करने की नियत नहीं है। मेरा सिर्फ यही एक सवाल है और मैं समझता हूं कि इसी नुक्तेनजर से देखना चाहिये। मैं तो इस बात को भी छोड़ देता हूं कि पिछले जमाने में आपने जो गलती की, जैसा कि हमारे मित्र खुशवक्त राय जी ने कहा था कि वाकई जिस वक्त कानून बना था, उसी वक्त मालूम हो जाना चाहिये था। अब तो जरा सोचिये कि इस बिल के पास होने के बाद जो शक था वह बिलकुल दूर हो जायगा। अभी तक तो सरकार को डर था कि हम इस तरह का कोई काम करेंगे तो मेम्बरान डिस्क्वालिफाई न हो जायं। लेकिन बिल पास होने के बाद तो खुली छूट सरकार को होगी। सरकार के पास किसी किस्म की रोक नहीं रहती है, बल्कि भवन की इस तरफ से मोहर लग जाती है कि जो तबियत में आये वह करो और चाहे एक एक डिप्टी कमिश्नर के साथ एक एक एडवाइजर मुकर्रर कर दो और चाहे जितने आफिसर्स आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर कर दो, यह गुंजाइश है या नहीं है, मैं इसका जवाब चाहता हूं। अगरचे गुंजाइश है, पर मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री हरगिज इस बात को कभी गवारा नहीं करेंगे बल्कि अपनी तरफ से कोई ऐसा संशोधन ले आयेंगे ताकि आइन्दा उसका नफाज न हो।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, जो तरमीम पेश हुई है उसके मुताल्लिक और उसकी ताईद में मैं अपने चन्द ख्यालात जाहिर कर देना चाहता हूं। इलेक्शन बिलकुल सर पर है और हमारे सामने एक बिल आया है जिसमें चन्द अहम और नई बातें की जा रही हैं। हमारे मेहरबान लोगों का यह कहना कि वह आनरेबिल मिनिस्टर न्याय से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वे ऐसा नहीं करेंगे ? उसके पूछने की गुंजाइश है ही नहीं। वह तो इस ख्याल से किया ही जा रहा है। जब इलेक्शन करीब आ रहा है और आप देखते हैं कि लोग न मालूम किस तरीके से पिंड छुड़ा कर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं और उनको फंसाने की यह तरकीब है। इस मंजिल पर ऐसी बातें करना कोई मानी नहीं रखता। आज भी बहुत से लोगों को कांग्रेस से बदगुमानी हो रही है और ख्याल है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, वे छोड़ कर चले जायेंगे, तलाक़ दे जायेंगे। वे कहते हैं कि कहां जाते हो, भत्ता दिये देते हैं। यह खुश करने की तरकीब है। अगर अपोजीशन के लोग यह समझते हैं कि गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात नहीं है तो वे गलत समझते हैं। अगर यह मकसद न होता तो प्राविजन (उपबन्ध) ३ पर ही कनात करते। लेकिन इन खास खास ओहदों का लाना इस वक्त जबकि इलेक्शन का भूत लोगों पर सवार हो रहा है, कुछ मानी रखता है और सही माने रखता है।

[श्री अब्दुल बाकी]

इसलिये मिनिस्टर आफ जस्टिस से पूछने की जरूरत नहीं है ताकि मुन्तशिर होने वाले अजजा को जमा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस के लिये हासिल किये जा सकें। बाहर नहीं तो अन्दर से हासिल किये जा सकें। इन अल्फाज के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

श्री खुशवक्त राय--माननीय सभापति महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा ईविल (दोष) है जिसको रखने के लिये खंड ३ (ख) पर कई दिन से इस भवन में बहस हो रही है। इस बहस में मैंने भी हिस्सा लिया और अपने भाषण के द्वारा मैंने यह बताने की कोशिश की कि आफिस के क्या माने हैं, आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) के क्या माने हैं, और आफिस आफ प्राफिट अन्डर गवर्नमेंट (सरकार के अन्तर्गत) के क्या माने हैं। मुझे यह मालूम होता है कि माननीय न्याय मंत्री को जो आज्ञा मिली है उसके खिलाफ उनको जाने का अधिकार नहीं है। आमतौर पर तो यह होता है कि जब कोई आदमी किसी का एजेंट होता है, जैसे कि माननीय मंत्री कैबीनेट के एजेंट हैं, तो उसको यह अधिकार होता है कि वह उसमें कमी बेशी कर सके, मगर माननीय न्यायमंत्री को मालूम होता है कि एक मैंडेटरी अधिकार दिया गया है कि वे उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते चाहे कितनी ही अच्छी उसूली बात हो, ऐतिहासिक या प्रजातंत्र राज्य से संबंध रखने वाली बातें हो, मगर उनको नहीं मानना, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। परन्तु यहां बैठकर और खासकर कुछ जानते हुये और उस इतिहास को जानते हुये, जिस इतिहास के द्वारा हाउस आफ कामंस में आज के दिन जो स्वतंत्रता प्राप्त है, जिन साधनों के द्वारा उन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया उस इतिहास को जानते हुये, मैं यहां बैठकर इसे मंजूर नहीं कर सकता कि ऐसी बात इस विधेयक में रहे। देखने की बात यह है कि आफिस क्या चीज है? आफिस वह चीज है जिसमें कि आप उसको कोई एक्जीक्यूटिव (कार्यात्मिक) ड्यूटी दें, उसे कोई ऐसा अधिकार दें कि वह कैसे कार्य को करा सके। बिना एक्जीक्युटिव ड्यूटी के कोई आफिस हुआ नहीं करता है। अब यह कि यह जो अफसर यहां ऐप्वाइंट (नियुक्त) किया गया है वह पहले का है या आपने बाद में एप्वाइन्ट किया है उसके पास एक्जीक्यूटिव वर्क रहेगा कि नहीं। अगर उसके पास एक्जीक्यूटिव वर्क है तो फिर आप उसको इस भवन के सदस्यों से अलग कैसे करना चाहते हैं, कैसे डिफरेंशिएट (अन्तर) करना चाहते हैं। सीधी सी सिद्धान्त की बात है कि हर एक्जीक्यूटिव वर्क जो उसने प्रतिपादन किया है वह इस भवन के सामने आलोचना के रूप में आ सकता है और वह भवन का सदस्य जिस समय यहां बैठा हो, उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा सकता है। अगर यहां पर उसकी आलोचना होती है तो एक गलत चीज है जो आप इसके द्वारा ले रहे हैं और मेरी समझ में वह मुनासिब नहीं है।

इस संबंध में मैंने कई बार यह बात कही कि १७०७ से लेकर आज तक न मालूम कितने लेजिस्लेशन हाउस आफ कामंस में हुये जिनमें हमेशा यह आता रहा कि कौन आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) में रहे और आज यह स्थिति है कि वहां हाउस आफ कामंस में ९२ आफिस आफ प्राफिट हैं और वे होल्ड (ग्रहण) करते हैं, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आफ स्टेट, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज या प्राइवेट पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज। वहां पर जब कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो उसकी सीट वैकेंट (स्थान रिक्त) हो जाती है और उसके लिये नया चुनाव होता है। तो हम कहते तो यह हैं कि हमारे संविधान की आधारभूत भावना यह है कि जो हमने हाउस आफ कामंस से सीखी हैं उनके ऊपर अमल करें और इसलिये अमल करें कि हमारा जो प्रजातंत्र है वह एक नयी चीज है। साथ ही साथ हमने इस आजादी को हासिल करने के लिये वह लड़ाई नहीं लड़ी है जो और मुल्कों ने लड़ी है। आजादी के लिये जो कुरबानियां उन्होंने की हैं वैसी हमने नहीं की हैं। हमें तो महात्मा गांधी जी के पुण्य प्रताप से यह आजादी बड़ी

आसानी से मिली है। यह आसानी से मिली हुई आजादी आसानी से छिन भी सकती है और माननीय सभापति जी, मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी हैं तो न्याय मंत्री, मगर यहां वे प्रजातंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस विधेयक को लाकर और उसमें इस धारा को रख कर वे प्रजातंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज का जो प्रजातंत्र है वह एक बड़ी हैसियत रखने वाला प्रजातंत्र है। उसके साथ हमेशा ऐसी बात करनी चाहिये, ऐसा काम करना चाहिये जिससे उसको उन्नति मिलती रहे और वह इतना आगे बढ़ जाय कि लोग देखें कि साहब हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी आयी, उसके बाद उन्होंने वहां डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) किस तरह से चलायी। मगर आप डेमोक्रेसी को नहीं चलाना चाहते हैं। आप तो पार्टी इंटेरेस्ट में हुकूमत करना चाहते हैं। आप सिर्फ यह चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो चाहे, चाहे वह गलत हो या सही हो, वह वेलिडेट (वैध) हो जाय। और वह हो भी जायगा चूंकि आपकी मेजारिटी है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप ह्विप को हटा लें तो यह बिल इस हाउस में नहीं पास हो सकता है, क्योंकि हमारे जो साथी यहां बैठे हुये हैं वे भी हमारे साथ ही जेलखानों में गये तथा वहां की तकलीफें उठायीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उन्हें विचार स्वातंत्र्य मिल जाय तो वे इस विधेयक को फेंक देंगे और इस पर विचार नहीं करेंगे।

मैं यह कह रहा था कि यह सिद्धान्त की बात है और सिद्धान्त के मामले में कम्प्रोमाइज (समझौते) नहीं हुआ करते हैं। यह बात मैं मान सकता था कि आप यह लाते कि २६ जनवरी सन् १९५० ई० से पहले जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी रहे हों उनको इन्डेम्निफाई (क्षतिपूर्ति) कर देते। परन्तु यहां तो जो पूरा सिद्धान्त है उस सिद्धान्त की ही हत्या की जा रही है। आप उस गलती को ठीक कर लेते परन्तु इस सदन के जो ४–५ महीने बाकी हैं उन दिनों में जो यह कानून स्टेट्यूटबुक (कानूनों की किताब) पर रहेगा तो उतने दिन तक भी प्रजातन्त्र की आप हत्या कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप किसी एम० एल० ए० को आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी बना देते हैं और उसको डिप्टी कमिश्नर से अटैच (सम्बद्ध) कर देते हैं और फिर आप एक सर्कुलर (परिपत्र) निकाल देते हैं कि जो यह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी है यह जो कहें उसको माना जाय। तो इससे यह भी हो सकता है कि एलेक्शन फेयर (न्यायानुसार) न हों। अगर किसी एक आदमी के लिये या कुछ अरसे के लिये आप इस अधिकार को लेते तो कुछ माना भी जा सकता था लेकिन आप तो इसको हमेशा के लिये अपने हाथ में ले रहे हैं यह मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं न्याय मंत्री जी से एक बार फिर कहना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपने न्याय मंत्री का पद लिया है, कम से कम अन्याय का ख्याल रखें कि कहीं अन्याय न हो जाय। आप हमेशा हाईकोर्ट में जस्टिस (न्याय) की दुहाई दिया करते थे। आज भी उसी दुहाई को लेकर उनके पास पहुंचता हूं और उनसे न्याय के नाम पर और न्याय मंत्री के नाम पर अपील करता हूं कि इन्साफ कीजिये और इस धारा को वापस ले लीजिये।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—जनाबवाला, जहां तक कि आखिरी तक़रीर का ताल्लुक़ है मेरे ख्याल में अगर थोड़ी देर वह और ठहर जाते और यह तीसरी रीडिंग (वाचन) के सिलसिले में करते तो मैं उसी वक्त इसका जवाब देता। यह तक़रीर तीन दफा वह कर चुके हैं और चौथी बार अब की है और पांचवीं बार थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) के मौक़े पर होगी. . .

श्री खुशवक्त राय—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं), कोई भी तक़रीर भवन में होती है तो उसके ठीक या बेठीक होने

[श्री खुशवक्त राय]
के लिये निर्णय देने का अधिकार आपको है। किसी सदस्य को उसके ऊपर कुछ फैसला देने का अधिकार नहीं है।

अधिष्ठाता--वह कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल मैंने जैसा अर्ज किया कि इसके मुताल्लिक मैं कई दफा जो मेरे खुद के विचार थे इस हाउस के सामने जाहिर कर चुका हूं। उनको फिर दुहराना बेकार होगा। सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहता हूं वह यह है कि जो सवाल मेरे दोस्त सक्सेना साहब ने उधर से रेज किया (उठाया) है, वह फरमाते हैं कि आया मैं उनको इतमिनान दिला सकता हूं कि इस कानून के बनने से गवर्नमेंट की पावर (शक्ति) बढ़ नहीं जायगी। मैं उनसे सिर्फ इसके जवाब में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वह कानूनों की फेहरिस्त देखें जो इस सभा से बनते रहे हैं तो गालिबन बहुत से ऐसे कानून मिलेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसे अख्तियार अपने हाथ में लिये हैं। इसके मायने यह हैं कि कानून बना कर गवर्नमेंट ने इन अख्तियारात को अपने हाथ में लिया है और उन अख्तियारात पर अमलदरामद करना यह दो चीजें अलग-अलग हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिस वक्त कि कोई गवर्नमेंट कानून बनाती है या कोई अख्तियार लेती है तो इसके मानी यह नहीं होते कि वह गवर्नमेंट उस इलजाम से बरी हो सकती है कि वह उन अख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करती है। वह जिम्मेदारी तो सरकार की रहती ही है और रहेगी। इसमें भी शक नहीं है कि इस कानून से भी ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा आइन्दा तीन-चार महीने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात हासिल हो जायंगे। अगर गवर्नमेंट की यह नियत हो कि हम उनको गलत तौर से इस्तेमाल करें तो वह कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट आप जानते हैं पब्लिक के सामने, जनता के सामने जिम्मेदार है और अपने एक-एक फेल को जनता के सामने बतलाना पड़ेगा कि उसके काम कहां तक दुरुस्त या गलत रहते हैं। मुझे यकीन है और अपनी जगह पर पूरा विश्वास है कि यह पावर तो बहुत छोटी है और बहुत बड़ी-बड़ी पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं और जिस तरह से वह उन पावर्स के लिए जिम्मेदार है और गलत तौर से इस्तेमाल करने में हुकूमत की उसके लिये पूरी जिम्मेदारी होगी। यह चीज तो बिल्कुल खुली हुई है और इसके लिये कोई जवाब की जरूरत नहीं है।

एक मेम्बर साहब ने कहा कि मुझको अख्तियार ही नहीं है कि मैं कोई तरमीम मंजूर कर सकूं। बहरहाल अगर कोई तरमीम ऐसी होती कि जो इस कानून के मकसद पर असर न डालती या कोई ऐसी तरमीम होती जिसमें कोई फन्डामेंटल (आधारभूत) या प्रिंसिपिल का (सैद्धान्तिक) फर्क न होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता। उसमें कोई खामी हो उसको दुरुस्त करने के लिए अगर तरमीम आवेगी तो जाहिर है कि मैं उसको मंजूर कर लूंगा। इस तरह की तरमीम को कोई भी गवर्नमेंट का मेम्बर नहीं मान सकता है। लिहाजा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तरमीम जो पेश की गई है कि दफा (ख) हस्व कर दी जाय इसको मैं तसलीम नहीं कर सकता।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मुझे भी ज्यादा अर्ज करना नहीं है। मगर मैं माननीय न्याय मंत्री जी के सामने खाली एक आईना पेश करना चाहता हूं। माननीय न्याय मंत्री रोज सुबह उठने के बाद इस बात का अहसास करते हुए भी कि उनके धड़ पर वही सिर मौजूद है वही चेहरा उनका है जो पहले था फिर भी वह रोज यह जरूरत महसूस करते हैं कि वह रोजाना आईने में अपनी शक्ल देखें ताकि उनकी आंखों को इतमीनान हो जाय कि वही शक्ल है। मैं भी ठीक उसी तरह से एक आईना लेकर खड़ा हुआ हूं और वह जरा गौर कर लें . . .

माननीय श्री हुकुम सिंह--आईना लेकर खड़े हुये हैं तो इनाम जरूर मिलेगा।

श्री खानचन्द गौतम--अगर हजामत बनाने वाला होता है तो उसके लिये इनाम भी होता है।

जनाबवाला, माननीय न्याय मंत्री जी ने दो-तीन बातें फरमाईं। आप फरमाते हैं कि अगले तीन-चार महीने के लिए ऐसे अख्तियार की जरूरत हो सकती है इसलिये ऐसे कानून की जरूरत है। उनके साथ के दूसरे लोग ऐसी जरूरत नहीं समझते और उनका ऐसा ख्याल था कि हुकूमत इन अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करेगी। वह गलत समझे हुये हैं। माननीय न्याय मंत्री के ख्याल में ऐसे हालात हैं और ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब हुकूमत को ऐसे अख्तियारात इस्तेमाल करना पड़े और इसीलिये वह अख्तियार रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि वह फरमाते हैं कि हुकूमत इन अख्तियारात को लेने के बाद भी आजाद है कि वह इनको इस्तेमाल करे या न करे और बेजा इस्तेमाल के खिलाफ हमारे पास संरक्षण क्या है? उनका कहना है कि लोकतंत्र की हुकूमत जनता के सामने देखभाल का काम करती है। श्रीमान्, जब यह सेशन या सत्र शुरू हुआ था तो माननीय राज्यपाल ने इसी आसन से खड़े होकर कहा था कि यह हमारी इस असेम्बली के जीवन का आखिरी सत्र है। माननीय न्याय मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि इस सत्र के खत्म होने के बाद वह जो भी बात करेंगे उसकी आलोचना होने की, उसकी समीक्षा होने की, और उसके ऊपर यहां राय जाहिर होने की कभी नौबत नहीं आवेगी। हम लोगों को कभी अवसर नहीं मिलेगा कि अगर वह इस कानून को यहां से पास कराने के बाद ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उसे रद्द कर सकें। ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। इस वजह से माननीय न्याय मंत्री का हमें यह बहलावा देना कि उनकी हुकूमत जनता के सामने होती है और हमें हर वक्त रोकथाम करने का दरवाजा खुला हुआ है, यह बात ठीक नहीं है।

श्रीमन्, मेरे माननीय मित्रों ने इस सम्बन्ध में जो खतरा गवर्नमेंट के सामने हो सकता है उस पर प्रकाश डाला है। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता मगर एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। इस सदन का प्रत्येक सदस्य जनता का प्रतिनिधि है और जब तक यह कांस्टीटयूशन (संविधान) है तब तक उसकी यह हैसियत कभी नहीं हो सकती कि नई हुकूमत उससे अपने नौकर का काम ले। कोई हुकूमत, चाहे वह कितनी ही श्रेष्ठ हो और कितने ही विद्वानों की हुकूमत हो, कभी यह हैसियत नहीं पावेगी कि इस माननीय सदन के सदस्यों को नौकरी पर रख सके। यह वह बिल है जिसके जरिये से इस सदन के सदस्यों को मामूली बरायेनाम तनख्वाह पर नौकर रखने की जुर्रत यह हुकूमत करने वाली है। अगर किसी ऐसे माननीय सदस्य को यह बात उसकी शान के अन्दर बट्टा लगाने वाली नहीं लगती तो मुझे उसके लिये कुछ नहीं कहना है। मगर इस हुकूमत को यह अख्तियार देना कि यह किन्हीं माननीय सदस्य को यह कह कर कि देखो तुम्हें हम फलां जगह पर नियुक्त करते हैं, आप इस काम को कीजिये और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिये, हमसे हुकुम लीजिये और हमारे अधिकारियों के नीचे काम कीजिये, उससे नौकरी ले, ऐसा अख्तियार देना उचित नहीं होगा। ऐसा काम लेने के लिये इस माननीय सदन के किसी माननीय सदस्य को नौकर रखना, उसे नियुक्ति देना, मेरा ख्याल है कि न केवल उस सदस्य का, बल्कि हम तमाम लोगों और इस लोकतंत्र का अपमान है। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य किस तरह से इस खंड का समर्थन करेंगे और मेरा प्रत्येक सदस्य से नम्र निवेदन है कि किसी सूरत में भी इस खंड के रहने की राय न दें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--सभापति जी, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। जो आखिरी बात श्री गौतम जी ने कही उसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि इस बिल का कोई यह मंशा नहीं है कि सदस्यों को किसी किस्म से जलील किया जाय। जाहिर है कि यह महज उनका ख्याल है और बुलन्द परवाजी है। उनके इस ख्याल में कोई किसी किस्म की असलियत हो ही नहीं सकती। यह तो एक क़ौम और मुल्क की खिदमत के वास्ते प्रावीजन है और जब तक कि दोनों फरीक़ राजी न हों, लेने वाला और देने वाला भी, तब तक यह सवाल पैदा नहीं होता। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जिन माननीय सदस्यों को ऐसी खिदमत अन्जाम देने के लिये दी गई उनको यह अख्तियार था कि वे अपने टी० ए० (यात्रा भत्ता) डी० ए० (दैनिक भत्ता) लें। लेकिन खुशी से उन्होंने उसे लेना मंजूर नहीं किया और जनता की और मुल्क की खिदमत समझ कर उसे अन्जाम दिया। जो कि मक़सद हर शख्स का होता है जब उसके मुताल्लिक़ बहैसियत मेम्बर के कोई फरायज किये जाते हैं तो उसमें कोई गरज नफा उठाने का न तो देने वाले का होता है और न लेने वाले का होता है।

श्री खानचन्द गौतम--आपकी इजाजत से एक क्लैरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) मैं चाहता हूं।

अधिष्ठाता--पूछिये।

श्री खानचन्द गौतम--मैं माफी चाहता हूं कि मैंने न्याय मंत्री को बीच में टोका। मैं क्लेरिफिकेशन के लिये एक बात पूछता हूं कि उपखंड (ख) अगर पास हो जाता है और अगर कोई मेम्बर नियुक्त हो जाता है तो उस अफसर के ऊपर जो इस तरह से नियुक्त किया जायगा, हुकूमत का अधिकार होगा कि नहीं?

माननीय श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल, जहां तक अधिकार का ताल्लुक है, उसके ऊपर उसी क़दर उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार गवर्नमेंट का उन मेम्बरान कमेटी के ऊपर होता है जो किसी मखसूस काम करने के लिये मुक़र्रर की जाती है। उनसे भी गवर्नमेंट समझती है कि वे अपने फ़रायज को अंजाम देंगे, इन्क्वायरी (जांच) करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार कायदे के अन्दर उन अफसरों पर भी होता है जो इस तौर से कोई मखसूस फरायज अन्जाम देने के लिये मुक़र्रर किये जाते हैं और जाहिर है कि जब वह शख्स किसी हाउस का मेम्बर हो तो उसके ऊपर इस किस्म का अधिकार नहीं होता जैसा कि किसी होल टाइम (पूरे समय के) मुलाजिम के ऊपर होता है। इस किस्म के शकूक पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक दफा (ख) का ताल्लुक़ है उसके मुताल्लिक़ कोई खास बात नहीं कही गयी। लिहाजा मुझे मजीद जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरमीम को अपोज (विरोध) करता हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--१३

अब्दुल बाक़ी, श्री	मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
खानचन्द गौतम, श्री	मुहम्मद इस्माईल, श्री
खुशवक्त राय, श्री	रामकुमार शास्त्री, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री	शिवकुमार मिश्र, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री	श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
नवाजिश अली खां, श्री	साजिद हुसैन, श्री
नारायण दास, श्री	

विपक्ष में--५१

अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
गणपति सहाय, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रखा जाय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों पर आसीन व्यक्ति इस विषय से संबंधित किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन प्रतिकर भत्ता (compensation allowance) ही पाते रहे हों।"

श्रीमान्, इस संशोधन से प्रतिबन्ध के अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, केवल शब्दों का हेर फेर किया गया है जिससे शब्द योजना सुधर गयी है और अर्थ अधिक स्पष्ट हो गया है। मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में यह जो तजवीज पेश की गयी है इसमें खाली लफ्जी कुछ तब्दीलियां हैं। इसको बहैसियत तरमीम हाउस के सामने आने की जरूरत नहीं है, यह तब्दीली दफ्तर में ही हो जायगी। इसीलिये मैं समझता हूं कि आप इस पर इसरार नहीं करेंगे और इसे वापस ले लेंगे।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, यह संशोधन जो मैंने उपस्थित किया है उस तरह का संशोधन बिलकुल नहीं है जो दफ्तर से ठीक हो जाय क्योंकि इसमें कुछ शब्द भी बदले गये हैं जो कि मेरे ख्याल में यहां पर ठीक प्रयुक्त नहीं हुए हैं। मेरा तो ख्याल था कि अगर यह मान लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर न्याय मंत्री जी यह समझते हैं कि उनके दफ्तर से यह सुधार हो जायगा, तो मैं वापस लेने को तैयार हूं।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान, यह एक नयी चीज हम लोगों के सामने आ रही है। इस सदन में अब से पहले बहुत से बिल पास हुए हैं, उनमें जहां कहीं भी शाब्दिक परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई, या माननीय सदस्यों ने कोई संशोधन उपस्थित किये हैं, तो उनपर यहां विचार भी हुआ है वे मंजूर भी हुए हैं और नामंजूर भी हुए हैं। यह है कानून का मसला, एक एक कामा, एक एक फुलस्टाप (विराम) और एक एक शब्द को लेकर अदालतों में बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं। हम अपने यहां के बनाये हुए कानून को इस लापरवाही से नहीं देख सकते हैं और न हम यह अधिकार माननीय न्याय मंत्री को देने को तैयार हैं कि ऐसे शाब्दिक संशोधन को जिसमें इतना परिवर्तन हो वह अपने दफ्तर से ठीक करा लें। मैं समझता हूं यह बहुत बेजा तकाजा है। माननीय मंत्री को अपने दफ्तर की और अपनी सीमायें नहीं मालूम हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा तकाजा गलत है। इस तरह का संशोधन न उनके दफ्तर में किया जा सकता है और न ऐसी सूरत में हमारे माननीय मित्र जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है इस अश्योरेंस (आश्वासन) के बाद इसे वापस लें।

अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव उपस्थित किया और उन्होंने वापस भी ले लिया। अब यह हाउस का काम है कि उनको वापस करने की अनुमति दे या न दे। अब इस विषय पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिये मैं इस सदन का मत जानना चाहता हूं। क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ?

विरोधी पक्ष के सदस्य--नहीं, नहीं।

अधिष्ठाता--श्री जयराम वर्मा का संशोधन इस प्रकार है --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों पर आसीन व्यक्ति इस विषय से संबंधित किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन प्रतिकर भत्ता (compensation allowance) ही पाते रहे हों।"

यह संशोधन श्री जयराम वर्मा वापस लेना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि भवन उन्हें यह संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--५३

विपक्ष में--१८

श्री सुलतान आलम खां--जनाब चेयरमैन साहब, इस बिल पर आज कई रोज से बहस हो रही है और मुझे अफसोस है कि जिस दिन यह बिल पेश हुआ और माननीय मंत्री ने अपनी मेडेन स्पीच (प्रथम भाषण) इस बिल के मुताल्लिक इस भवन में दी मुझे वह स्पीच सुनने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन आज इस बिल की दफा ३ पर जो बहस हुई मैं समझता हूं कि उसको सुनने के बाद मुझे इस बात के जानने का काफी मौका मिला कि इस बिल के मुताल्लिक और खास तौर पर इस दफा ३ के मुताल्लिक गवर्नमेंट का नजरिया क्या है और अपोजीशन का नजरिया क्या है। यह तमाम तकरीरें सुनने के बाद अपनी जगह पर मेरी मायूसी कुछ कम हो गयी। मैंने माननीय मंत्री की मेडेन स्पीच इस बिल पर नहीं सुनी फिर भी जो इस बिल के सिलसिले में माननीय मंत्री को बहुत सी तकरीरें करनी पड़ीं और अपोजीशन की तरफ से बहुत सी तकरीरें हुईं, इस बिल पर और इस दफा पर हर तरफ से काफी रोशनी डाली गयी।

जनाब चेयरमैन साहब, इस बिल को और खासतौर से इस दफा को पढ़ने के बाद सब से पहले मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन (प्रभाव) पड़ा कि वाकई यह कानून और उसके साथ-साथ यह दफा इस भवन के सामने बहुत देर में पेश हुई। हम जानते हैं कि अगर २६

जनवरी, सन् १९५० ई० को जबकि हमारा संविधान लागू हुआ अगर उसके फौरन् बाद ही इस किस्म का कानून बना कर इस भवन में आता और सूबे में लागू हो जाता तो यह दुश्वारियां और यह दिक्कतें और यह बहुत से गरम-गरम मुबाहिसे जो इस बिल के सिलसिले में हुए हैं बच जाते। बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आयद। इट इज नेवर टू लेट (कभी भी यह न समझना चाहिये कि बहुत अधिक देर हो चुकी है।) आखिर यह बिल हमारे सामने आया और हमें इस पर गौर करने का मौका मिला।

जनाबवाला, हमें यह भी मालूम हुआ कि मरकजी हुकूमत ने भी एक इसी किस्म का बिल हाल में पार्लियामेंट में पेश किया और वह मंजूर हो गया। जब हम अपने बिल का और खास तौर से दफा ३ का मरकज के ऐक्ट की दफा ३ से मुकाबिला करते हैं तो हमें एक खास और नुमायां फर्क महसूस होता है। मैं आपकी इजाजत से मरकज की जो दफा है उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मरकज में जिन ओहदों को मुस्तसना करने की कोशिश की गयी है वे ये हैं —

(a) Offices of Chairman and members of the Fiscal Commission, which was appointed by the Government of India in the month of April, 1949 and which ceased to function in the month of June 1950,

(b) The offices of Chairman and members of the Film Enquiry Committee appointed by the Government of India in the month of August, 1949,

(c) The Chairman and Working Committee of the Coal Industry appointed by the Government of India in the month of March, 1950,

(d) The offices of members of the Local Welfare Advisory Committee appointed by the Government of India for the year ending 31st March, 1950 or for the year ending 31st March, 1950,

and the office of the Assistant Government Pleader held under the Government of Assam.

[(क) उस फिजिकल कमीशन के सभापति तथा सदस्यों के पद जो आयोग भारत-सरकार ने अप्रैल, सन् १९४९ में नियुक्त किया था और जिसने जून, १९५० से कार्य करना बन्द कर दिया,

(ख) भारत-सरकार द्वारा अगस्त, सन् १९४९ में नियुक्त फिल्म जांच समिति के सभापति तथा सदस्यों के पद,

(ग) भारत-सरकार द्वारा मार्च, सन् १९५० में नियुक्त कोयला-उद्योग के सभापति तथा कार्यकारिणी समिति के पद,

(घ) ३१ मार्च, सन् १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये १९५१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत-सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय कल्याण परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के पद,

तथा आसाम सरकार के अन्तर्गत धारण किया जाने वाला सहायक सरकारी वकील का पद।]

उसके देखने के बाद यह ख्याल पैदा होता है कि मरकज ने इस बात की कोशिश की है कि इस बिल में जिन जिन ओहदों को और पदों को मुस्तसना करना है उनको स्पेसिफिक (विशेष) तरीके से बयान कर दिया है। लेकिन हमारे बिल में दफा ३ है और यहां पर ओहदों और पदों को जो मुस्तसना करने की कोशिश की है वह मैं जनाबवाला की

[श्री सुल्तान आलम खां]

इजाजत से एक मरतबा हाउस की मजीद याद्दाश्त के लिये पेश करना चाहता हूं, वह यह है कि--

"Honorary offices for advising the State Government,

Honorary Officers for the performance of any Special Duty, or

Offices of Chairman or Members of Committees appointed by the State Government or Central Government."

[राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद,

किसी विशेष कर्त्तव्य पालन के लिये अवैतनिक पद, या

राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद ।]

हुजूरवाला, इन दोनों को पढ़ने और मुकाबला करने के बाद एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि जहां तक सेंट्रल का ऐक्ट है वह स्पेसीफिक और डेफीनिट (निश्चित) है और स्टेट (राज्य) की तरफ से जो बिल लाया गया है वह एक जनरल (सामान्य) किस्म का बिल है। इस पर मैंने अपोजीशन में कुछ दोस्तों की तकरीरें सुनीं और माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उसको भी सुना। इन तकरीरों से ऐसा मालूम होता है कि जो ज्यादातर एतराज आते हैं वह एक हद तक शक और शुबह पर मबनी हैं। गलतफहमी भी दिखलाते हैं लेकिन हुजूरवाला में अर्ज करूंगा कि शक पर ज्यादा दिखाई देते हैं। जो कुछ शक कायम किये गये हैं वह ऐसे नहीं हैं जो बेजा हों, उसकी कुछ वजह हो सकती है और वह काबिले गौर है ऐसा मेरा ख्याल है।

हुजूरवाला, इस दलील को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं कि अगर मेम्बर से कोई काम एडवाइजर (परामर्शदाता) की हैसियत में लिया जाय या उससे कोई स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्य) लिया जाय तो वह करप्ट (भ्रष्ट) हो सकता है और इसके न मानने की एक वजह यह है। मैं महसूस करता हूं कि मेम्बरान में सब या तो गवर्नमेंट के होंगे या अपोजीशन के होंगे। गवर्नमेंट के जो मेम्बर्स हैं वह उन पार्टी के मेम्बर्स हैं जो गवर्नमेंट के जेर असर हैं। उनकी पार्टी एक आर्गेनाइजेशन (संगठन) में है। इसलिये उनके मामले में ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जहां तक अपोजीशन के लोगों का ताल्लुक है उसमें से हर मेम्बर किसी न किसी पार्टी में है। इससे जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट उनसे कोई खिदमत हासिल करना चाहती है, किसी काम पर लेना चाहती है तो वह इंकार कर सकता है। जब किसी कमेटी में किसी के लिये जाने का मसला उठेगा तो मुझ जैसे एक-दो आदमी को छोड़ कर हर शख्स इस बात को पार्टी के सामने रक्खेगा। इसलिये जब यह मामला पार्टी में जायगा तो उस पर गौर होगा कि इसको कबूल किया जाय या नहीं। हो सकता है, अगर पार्टी समझती है कि यह पार्टी के लिये ठीक नहीं होगा तो वह उसको रिजेक्ट कर सकती है। मेरा मकसद यह है कि गवर्नमेंट के मेम्बर्स के लिये इसलिये सवाल पैदा नहीं होता है वह उसी पार्टी के मेम्बर्स हैं जिसकी कि हुकूमत है। लेकिन जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है यह बात खुली हुई है कि गवर्नमेंट से जो आफर किया जाय ख्वाह वह मंजूर करे या न करे, उनकी पार्टी गौर करने के बाद इस मसले को तै कर सकती है। इस वजह से मेरी समझ में यह दलील तो नहीं आ सकी कि ऐसा करने से हम अंदेशा करते हैं कि मेम्बर करप्ट [भ्रष्ट] हो जायेंगे।

एक बात जरूर है और वह यह है कि उसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। उसूली बात यह है कि कुछ अर्से से हमारा यह ट्रेन्ड (प्रवृत्ति) हो गया है कि जब कोई कानून आता है तो उसमें यह पुछल्ला होता है कि "इसे रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट" [अनुदर्शी प्रभाव] देना चाहिये। "मैं एक लेमैन (अनभिज्ञ व्यक्ति) हूं, मैं ......"। मैं कानून को उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना हमारे दोस्त माननीय मंत्री या हमारे अपोजीशन के काबिल मेम्बरान समझते हैं। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि कानून की उसूली

और बुनियादी हैसियत से ऐसा न होना चाहिये कि उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय। इस कानून के अन्दर जो लोगों के अन्दर कांफिडेंस (विश्वास) होता है, कानून के जरिये से जो लोगों को इत्मीनान और सकून पैदा होता है उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन हमने यह महसूस किया कि काफी अर्से से हमारा ट्रेन्ड कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हम जो कानून भी बनाते हैं हम उस कानून को विथ रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई (लागू) करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे कानूनों को इस वक्त गिनाने को तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे कानून हैं और मेरे दोस्त माननीय माल मंत्री तो इससे शायद ज्यादा वाकिफ होंगे, उनके हाथ से ऐसे कानून निकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा कानून यहां जमींदारी रिफार्म (सुधार) के सिलसिले में आया था। उससे पहले कुछ लोगों की बेदखलियां रोकी गयी थीं लेकिन एग्जि-क्यूटिव आर्डर्स उसके लिये पास किये गये और उसके बाद उस एग्जिक्यूटिव आर्डर को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर ढूंढा जाय तो ऐसे कानूनों की तादाद बहुत कम न होगी, बहुत काफी होगी जिनके जरिये से विथ रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट उस मकसद को, उस स्कीम को असली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है जो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन, जनाब-वाला, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह चीज किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० में इस तरह का प्राविजन था। लेकिन हमने देखा कि फारेन (विदेशी) हुकूमत के होने की वजह से इस सिलसिले में कोई कदम पहले नहीं उठाया गया। लेकिन जिस वक्त हमारा नया कांस्टिट्यूशन बना और उस कांस्टी-ट्यूशन में आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) का प्राविजन रखा गया, अनुच्छेद १९१ और १९२ को इसमें प्रोवाइड किया गया। हम सब लोग इसे जानते थे हमारी कैबिनेट के मेम्बर जानते थे, हमारे वे दोस्त जिनके हाथ में हुकूमत थी वे जानते थे और उस वक्त से लेकर अब तक गंगा के पुल के नीचे से न जाने कितना पानी बह गया। २६ जनवरी से लेकर अब तक डेढ़ साल गुजर गया लेकिन इस तरफ तवज्जह नहीं की गयी कि इस कानून को इससे पहले लाया जाय। मैं यह कहता हूं और यह मैंने पहले ही अर्ज किया है "इट इज नेवर टू लेट बेटर लेट देन नेवर" (कभी यह न समझना चाहिये कि बहुत अधिक विलम्ब हो चुका है, किसी कार्य को बिल्कुल न करने की उपेक्षा अच्छा है कि उसे देर से कर लिया जाय।)

इस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को मैं अब बधाई देता हूं कि इस स्टेज (प्रक्रय) पर वह यह कानून लाई है। फिर भी यह ओमिशन (भूल) दूर नहीं हो सकता कि इस कानून को लाने में बहुत देर की गयी। इसकी क्या वजह है। आखिर जब असेम्बली ८ महीने सेशन में रही, हम लोग आते रहे, कानून बनाते रहे और बाज लोग तो यहां तक कहते हैं कि असेम्बली मिन्ट (टकसाल) बन गयी है कानून बनाने की, लेकिन यह फैक्ट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि असेम्बली महीनों सेशन में रही लेकिन यह नौबत न आई कि यह कानून पहले से बन जाता। मैं नहीं समझता कि किसका यह बिल है, कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से कानून नहीं बन पाया। लेकिन इतनी बड़ी फरोगुजाश्त, गलती है जो कभी न होनी चाहिये थी।

हुजूरवाला, इस दफा ३ पर जब मैं नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि दफा ३ के अन्दर (ए,) (बी,) (सी) जो तीन सब-क्लाज दिये गये हैं उसमें बहुत कुछ आ सकता है और जरूरत के वक्त हर किस्म का अप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) किया जा सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में उसका मंजूर होना गलत होगा। एक चीज जिस पर अर्से से गौर किया जा रहा है उस पर अभी तक गौर नहीं हुआ है, न उसका जवाब दिया गया। वह सवाल स्टैंडिंग कमेटीज का है। उस पर अजीबोगरीब भाषण हुए। यह तय नहीं हो पाया कि वह गवर्नमेंट कमेटीज हैं या हाउस की कमेटीज। उनका जो प्रोसीजर (प्रक्रिया) है वह इलेक्शन का है। इन कमेटीज को गवर्नमेंट अप्वाइंट नहीं

[श्री सुल्तान आलम खां]

करती है बल्कि हाउस इलेक्ट करती है। मैं नहीं समझ सका कि इस बारे में कोई कानूनी राय भी ली गयी। अगर कानूनी नुक्तेनजर से यह साबित होता है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ गवर्नमेंट कमेटीज हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि उनका इलेक्शन हाउस को करना चाहिये या गवर्नमेंट उसके मेम्बरान को नामिनेट (नामांकित) करे। बहरहाल जिस सूरत में इस कमेटी को बनाया जाय वह एक कमेटी है और अगर वह हाउस की कमेटी नहीं है तो जब यह हाउस की कमेटी नहीं है और उसके सिलसिले में मेम्बरान को किसी किस्म का कम्पेंसेशन (प्रतिकर भत्ता) या मुआविजा दिया जाता है तो वह कमेटी जरूर ऐसी है जिसके मुताल्लिक गवर्नमेंट को जरूर सफाई देना चाहिये और जिसको सरकार के बिल के अन्दर ले आना चाहिये था।

हुजूरवाला, यह दफा ३ पूरे बिल और पूरे बिल के साथ यह दफा ३ इस बात की मुस्तहक थी कि इस पर एक ठंडी फिजा में सेलेक्ट कमेटी को बैठा कर गौर करना चाहिये था। मेरे दोस्त श्री अम्मार अहमद साहब ने एक अमेंडमेंट (संशोधन) दिया था और उस अमेंडमेंट का मकसद यह था कि इस बिल की राय आम्मा मालूम करने के लिये मुश्तहर किया जाय। मैं उनके इस अमेंडमेंट से काफी हमदर्दी रखता था लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि उसके लिये अब वक्त नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--अभी तो इस बिल की तीसरी धारा पर ही बहस हो रही है, शायद सुल्तान आलम खां साहब इसे थर्ड रीडिंग समझ रहे हैं।

अधिष्ठाता--खंड ३ के मुताल्लिक ही कहिये।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं हुजूरवाला से यह अर्ज कर रहा था कि अगर सेलेक्ट कमेटी में यह बिल और उसके साथ ही साथ यह दफा ३ जाती तो सेलेक्ट कमेटी में पूरे बिल और दफा ३ पर ठंडी फिजा में ग़ौर होता। सेलेक्ट कमेटी में जाने के मुताल्लिक़ माननीय मंत्री तो कहते हैं कि अपोजीशन के नेता ने अपने संशोधन को प्रेस नहीं किया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और अपोजीशन के लीडर यह कहते हैं कि माननीय मंत्री ने इसे ऐक्सेप्ट (स्वीका) नहीं किया। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री और अपोजीशन के नेता, दोनों ने मिल कर किसी सहूलियत से यह सोचा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में न भेजना चाहिये बल्कि वहां भेजने के बजाय यहां इस ऐवान में बैठ कर ही इस पर ग़ौर करना चाहिये। जाहिर है कि उन्होंने जो कुछ भी फैसला किया हो लेकिन मेरा यह ख्याल ह कि गवर्नमेंट की और माननीय मंत्री जी की बावजूद इस राय के इस सिलसिले में कुछ कम जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। इसलिये कि मैं भी देखता हूं कि इस बिल को और साथ साथ इस धारा को भी वे अपने इनिशिएटिव पर सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे और वहां पर ग़ौर होता तो मुमकिन है कि वहां कुछ ऐसी तरमीमें आतीं जिन पर माननीय मंत्री जी भी रजामन्द हो जाते और अपोजीशन भी रजामन्द हो जाता और कुछ ऐसा साल्यूशन (हल) निकल सकता जिससे इस बिल पर हम बेहतर तरीक़े से ग़ौर कर सकते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बिल को किसी सूरत से भी सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा। हुकूमत भी इसको अच्छी तरह से समझ सकती है कि अगर इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया होता तो इस तरह से कोई एतराज नहीं होता। खैर, मैं कह नहीं सकता कि यह कैसे ओमिशन हुआ। लेकिन जो कमी इसके अन्दर है अगर वह कमी पूरी हो जाती तो इस बिल पर जिस तरह से आज यहां ग़ौर हो रहा है मेरे ख्याल में हम इससे ज्यादा ठंडे फिजा में ग़ौर कर सकते। बहरहाल, अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता और शायद यह बिल अनकरीब अपनी सेकेंड रीडिंग (द्वितीय वाचन) से गुजर

कर थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) में आयेगा। इसी वजह से हुजूरवाला मैं यह समझता हूं कि दफा ३ जो इस बिल की रूह और जान कही जा सकती है और जिस पर उस बिल की तमाम स्कीम मुनहसर है उस पर बेशक ग़ौर करने की जरूरत है।

जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इस दफा में दो ही बातें नजर आती हैं। एक तो यह कि सेंटर के ऐक्ट से यह बहुत ज्यादा जेनरल है और इससे इस बात का इमकान है, मैं कोई गवर्नमेंट की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने इस बिल को पाइलट (संचालित) किया है, बड़ी काबिलियत के साथ पाइलट किया है। मगर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इंसानी फितरत आखिर इंसानी फितरत है और इसलिये जो भी कानून बनाना चाहिये वह ऐसा बनाना चाहिये जो पक्का हो और उसमें ऐसी गुंजायश न हो जिससे किसी ग़लतफहमी का इमकान हो। इसको ज्यादा जेनरेलाइज करने के बजाय अगर कुछ महदूद रखा जाता है तो अच्छा होता।

हुजूरवाला, मैं इस मौक़े पर यह भी कह देना चाहता हूं कि चाहे यह कानून स्टेटचूट बुक (कानूनी किताब) पर आये या न आये लेकिन फिर भी अपोजीशन का एक बेस [आधार] होना चाहिये "ह्वेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए वे" [जहां काम करने की अभिलाषा होती है, कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।] बावजूद इसके कि यह कानून बनाया जाय, कानून बनने के बाद भी गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि वह दफा ३ के लिये एक कन्वेंशन (परम्परा) बनाने की कोशिश करे। और यह कांग्रेस गवर्नमेंट जो बरसरे इक्तदार है और जो पापुलर गवर्नमेंट कही जाती है उससे बहुत तवक्कोआत हो सकती हैं, बहुतों की निगाहें लगी हुई हैं इसलिये कि यह पहली हुकूमत है जो पापुलर (लोकप्रिय) गवर्नमेंट है और जिसने पहले पहल इस सूबे का शासन संभाला है। हो सकता है कि बाद में कोई दूसरी गवर्नमेंट आवे जो इस मसले पर दूसरी नजर से देखने की कोशिश करे। इसलिये अगर आप एक कंवेंशन कायम कर देंगे तो दूसरी हुकूमत के लिये वह एक ऐसी चीज होगी जिस पर अमल करना उसके लिये जरूरी मालूम होगा। हुजूरवाला, यू० के० में तो तमाम कंस्टीटचूशन ही कन्वेंशन पर बेस करता है और यह वाक़या है कि हमारा अपना कांस्टीटचूशन उस कांस्टीटचूशन पर बेस्ड है। लिहाजा बावजूद इसके कि हर चीज को हम कानून के जरिये करावें बहुत सी चीजें हमको कन्वेंशन से भी करानी चाहिये और इससे इस सूबे का भला भी हो सकता है। हुजूरवाला, कन्वेंशन इस मुल्क में इस तरह का कायम किया जाय कि जहां तक मुमकिन हो वहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरह से यहां कमेटियां बनायी जायं तो बहुत अच्छा है। अब तो गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं।

दफा ३ यह पास हो रही है। थोड़ी देर में यह बिल भी पास हो जायगा। मुझे यकीन है कि यह जरूर पास हो जायगा और गवर्नमेंट इसको पास करा लेगी। तो जब यह पास हो जायगा तो बेशक उनके पास अख्तियारात होंगे और इस दफा ३ के मातहत (ए०) (बी०) (सी०) के अन्दर लोगों को अप्वाइन्टमेंट (नियुक्ति) देकर उनसे काम लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस असेम्बली में बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं मुझे उन पर विश्वास है कि वह बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और वह अपनी पोजीशन (स्थिति) को अब्यूज (दुरुपयोग) नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी समझना कि जितनी विजडम (बुद्धि) है वह सब यहां असेम्बली के अन्दर ही है ठीक नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूं कि हमारे असेम्बली के बाहर काबिल लोग नहीं हैं। काश हम कोई कन्वेन्शन कायम करें और हिन्दुस्तान को लीड (नेतृत्व) करने की कोशिश करें। हाउस के बाहर जितने लोग हैं उनसे काम लिया जा सकता है। इस दफा के अन्दर जो मकसद रखा गया है वह है एडवाइजरी कैपेसिटी में या आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का काम,

[श्री सुल्तान आलम खां]
वह हम बाहर के लोगों से ले सकते हैं। हम एक ऐसा कोई कन्वेन्शन कायम कर सकें तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को इतिमनान होगा और हाउस के अन्दर रहने वालों के अलावा बाहर के जो लोग होंगे हम उनकी विजडम को भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

हुजूरवाला, मैं यह महसूस करता था कि वाक़ई अब हमारे ऐवान का इतना काम बढ़ गया है कि अगर कोई मेम्बर कांशसली (शुद्ध अन्तःकरण) से अपने काम को अंजाम देता है तो दूसरे कामों के लिये उसको वक्त नहीं मिल सकता है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम इस मसले पर भी गौर करें और इस सिलसिले में एक कन्वेन्शन कायम करें। जहां तक मुमकिन हो हाउस के बाहर के लोगों को एडवाइजरी तरीक़े पर या आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी देने के लिये उनकी खिदमात को हासिल किया जा सकता है और उनसे हम काम ले सकते हैं। हुजूरवाला, लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि जब तक कानून पास न हो वह ऐसा नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और मैं भी यह समझता हूं कि इस तरह का कन्वेन्शन कायम हो जाने के बाद हमारी असेम्बली के अन्दर कुछ टेक्नीकल लोग हैं जिनकी खिदमात को हासिल करके काम चलाया जा सकता है और आर्डिनरी (साधारण) काम ऐडवाइजरी कैपेसिटी से या आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी देकर बाहर के आदमियों से काम लिया जा सकता है और अपना काम चलाया जा सकता है। मैं गवर्नमेंट को यह मशविरा दूंगा कि वह इस बात की कोशिश करे कि ज्यादातर काम बाहर के लोगों से लिया जाय। इस-लिये कि हाउस के अन्दर जो सेलेक्ट कमेटीज बनती हैं या हाउस की कमेटीज बनती हैं उनकी तादाद इस कदर बढ़ गई है कि उनका काम बहुत मुश्किल बन गया है और लोगों को काफी वक्त देना पड़ता है। हुजूरवाला, यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि एलेक्शन के ४ महीने बाकी हैं तब इस ऐवान की तादाद करीब-करीब दुगनी से जायगी। अब यहां मेम्बरों की तादाद २३२ है और उसके बाद ४३० हो जायगी। उस वक्त यहां का काम बढ़ जायगा और लोगों को ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। इस वजह से और भी ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि मेम्बर्स को कुल टाइम मिलना चाहिये ताकि वह अपनी तमाम इन्टेलिजेन्स (बुद्धि) को असेम्बली के काम में लगाकर असेम्बली के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

हुजूरवाला, अब मैं इस ऐवान का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और यह भी जाहिर है कि दफा ३ अब अपनी आखिरी मंजिल से गुजर रही है इस पर बहुत सी तरमीमें आईं जिनके बारे में काफी गौर और बहस मुबाहसा हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया और पब्लिक ओपीनियन (जनमत) के लिये भी जाना मुश्किल था और सेलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर ग़ौर नहीं हो सका तो जितनी तरमीमें इसके ऊपर आयें उनके ऊपर ग़ौर किया जाय और मैं तो इस बात की भी दरख्वास्त करूंगा कि शायद अगर यह बिल इस मौक़े पर खत्म न हो सके तो इसको सप्लीमेंटरी (अनुपूरक) बजट के मौक़े पर लेने की कोशिश की जाय और मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपोजीशन के दो-चार आदमियों को बुलाकर इस चीज के बारे में आउट आफ दि हाउस (सदन के बाहर) भी मशविरा करें और ग़ौर करें और अगर उस वक्त तक एक दूसरे को एकामोडेट किया जा सकता है तो जरूर करें। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर खत्म करता हूं।

श्री साजिद हुसैन—माननीय सभापति जी, अगर कभी कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) में तीसरी या फर्स्ट रीडिंग (प्रथम वाचन) का सवाल उठ सकता है तो इसी किस्म के सेक्शन्स या दफाओं के सिलसिले में यानी एक दफा किसी कानून की

अगर ऐसी है कि जिससे एक कानून का जो नफस है और जो कि एक कानून की रू है, जब उसी के हटाने का सवाल होगा तो वह फर्स्ट या थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) का क़रीब क़रीब मतलब पैदा कर देगा।

(इस समय ४ बज कर १७ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

रहेगा वह कमेटी स्टेज ही। लेकिन अगर वह दफा ऐसी है कि जिस पर एक कानून बेस्ड (आधारित) है और वह उस कानून की रू है अगर उसको रखने या न रखने का सवाल आयेगा तो वह करीब करीब वही बात हो जायगी। इस तीसरी दफा के सिलसिले में हमारे सामने दूसरा यही नक़शा आ जाता है। तीसरी दफा को हटाने का सवाल है और अगर वह बाकी नहीं रहती है तो इस कानून के कोई मानी नहीं रहते हैं। इस क़ानून के हटाने का सवाल रह जाता है यानी कानून आटोमेटिकली (स्वतः) हट गया। इसमें जितने उसूल इस बिल के सिलसिले में डिसकस (चर्चा) किये गये हैं उनमें एक आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) का हवाला है। आफिस आफ प्राफिट के मुताल्लिक़ में उस उसूल से सहमत हूं कि जो इंगलिस्तान में उन्होंने समझ-बूझ कर बरसों के तजुर्बे के बाद इनशियेट (बनाया) किया यानी यह कि जो मेम्बर आवेंगे उनका काम खास कर यह होगा कि वह अपनी वेल्यूड राय, सिनसियर (ईमानदारी की) राय दें और किसी लालच या दबाव से वह राय न दें और मेरी राय में सदस्यों से यही एक्सपेक्ट (आशा) किया जाता है और जनता यही चाहती है कि वह जो कुछ बिलीव (विश्वास) करते हैं उसी के मुताबिक़ सचाई के साथ अपनी राय का इजहार कर दें और किसी दबाव में न आवें। इसको जानकर मंत्री जी ने कहा कि वह एक लड़ाई थी क्राउन की और पालियामेंट की। वह चीज तो अब खत्म हो चुकी। लेकिन गवर्नमेंट के अन्दर जो कैबिनेट होती है और कैबिनेट के अन्दर जो इनर (आन्तरिक) कैबिनेट होती है तो वह इनर कैबिनेट दूसरे मेम्बर्स पर अपनी विशेज (इच्छाओं) को इस तरह से एसर्ट जोर देना कर सकती है अपने बेकाबू साथियों को काबू में लाने के लिये या अपोजीशन के मेम्बरों को काबू में लाने के लिए ताकि उनकी किसी तरह से अपोजीशन भी काबू में आ जाय और यह हो सकता है। ऐसी सूरत में इस उसूल को चन्द महीनों के लिये ठुकरा देना कहां तक मुनासिब है, यह आप देखें कि कोई ठीक बात नहीं मालूम होती है। अभी तक यह गवर्नमेंट उसे ठीक समझती रही लेकिन अब यह अपने मुंह पर स्याही लगाना उसके लिये जेबा नहीं है। यहां तो सवाल यह है कि आया उस उसूल को हम रखें या न रखें। अगर यह दफा नहीं कायम रहती तो सरकार क़ानून ही नहीं बनाती और मेम्बरों की जगह जाती रहती तो कोई परवाह की बात नहीं है। मुल्क का सवाल है, डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का सवाल है। वहां तो एक ऊंचा प्रिंसिपिल (सिद्धान्त) क़ायम रहता। चन्द ग़लतियों को चन्द महीनों के लिये दुरुस्त करने में कितने बड़े सिद्धान्त का नुक़सान हो रहा है उसे हमको देखना है और इसे हमें बचाने की जरूरत है। अगर उन मेम्बरान के दिल में यह आ जाय कि हम सेक्रिफाइस (त्याग) करने को तैयार हैं तो फिर इसकी जरूरत ही न रहे। ज्यादा से ज्यादा ४-५ महीने का सवाल है। डिसक्वालीफिकेशन (अनर्हता) हो चुकी है और अब उसे रोकने का सवाल है। जब कमीशन हो चुका तो प्रिवेन्शन (बचाव) का सवाल कैसे पैदा होता है?

माननीय अध्यक्ष--अगर माननीय सदस्य ग़ौर करेंगे तो यह बहस इससे पहले पहली रीडिंग (वाचन) में हो चुकी है और इस उसूल को माननीय सदन ने मान लिया है। तीसरी रीडिंग में तो यह कुछ जायज हो सकती थी मगर इस वक्त यह जायज नहीं है।

श्री साजिद हुसैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तसलीम करता हूं। मगर हमारे सामने यह सवाल है कि यह धारा रखी जाय या नहीं। इस चीज पर गौर किया जाय तो मैं कहता हूं कि इसे नहीं रखना चाहिये। तो क्या कानून मौअल्लक़ इस तरह से रह जायगा ? इसके इम्प्लाइड मानी यह हैं कि हम पूरे कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। जैसा सुल्तान आलम साहब ने कहा, यह दफा इस क़ानून की रूह है। मैं उस कुर्सी पर बैठ कर यह गौरखौज करता रहा कि आया यह बात फर्स्ट रीडिंग में आती है या कहां आती है या थर्ड रीडिंग में आती है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर यह क्या सवाल है। आप देखें कि इस बिल से हमारी सरकार एक गलती करने जा रही है और हमारा फर्ज है कि उसे ऐसा करने से आगाह करें और रोकें। उन्हें समझाना-बुझाना हमारा काम है। एक शेर है कि--

मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है,
हम नेको बद हुजूर को समझाये जायेंगे।

हमारा यह फर्ज है कि आपके जरिये से हम अपनी बात पेश करें और सरकार के सामने यह रखें कि वह हमारी बातों पर इस स्टेज पर भी गौर करके उन्हें मान सकती है। एक मसल है इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड [यह कभी न समझना चाहिये कि उपाय करने का समय निकल चुका।] इसलिये जहां से हम पलट जावें वहीं से ग़नीमत समझना चाहिये।

अब इस सिलसिले में मैं आपको याद दिलाऊं कि रावण का कौल है कि नेक काम में देर न करो और गलत काम के लिये जितनी देर कर सकें करना चाहिये। तो यह जो देर लगाने का काम है यह तो अपोजीशन ने सही तरीके से किया। अब यह सरकार का काम था कि दस मर्तबा गौर करती कि यह एक उसूल का सवाल है। चन्द मेम्बरों की सीटें (स्थान) बचाने का सवाल नहीं है, चन्द मेम्बरों को आयन्दा इलेक्शन में बिठाने का सवाल नहीं है। अरे, ये सीटें तो क्या, अगर किसी उसूल के लिये उनकी जानें भी काम में आ जायें तो हमको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये, बल्कि उन मेम्बरों को खुद सेक्रेफाइज (त्याग) करना चाहिये और अपनी पैट्रियाटिक स्प्रिट (देशभक्ति की भावना) का सुबूत देना चाहिये। चन्द सीटों के लिये, थोड़े से रुपयों के लिये ऐसी गलत चीजें, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने पेश हो जाती हैं, यह बड़े दुख की बात है। मुझे उम्मीद है कि सरकार फिर गौर करेगी। इस उसूल का पहलू एक यह है कि कल को जो दूसरी गवर्नमेंट आयेगी वह फिर यह कहेगी कि ऐसा तो हो चुका है या यों कहिये कि मौरूसी तरका हमारे हाथ आया या अंग्रेजों से हमको यह चीज मिली। मगर यह भी तो देखिए कि अंग्रेज अपने मुल्क में क्या करता है और फिर अगर हमने उनके अमलदरामद में गलती की तो क्या इसके माने हैं कि दो गलतियां एक सेहत को तैयार करती हैं ? दो गलतियां एक सही चीज को नहीं करतीं। मैं आपके जरिये से सरकार से कहूंगा कि एक बार फिर इस पर वह गौर करे और यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यह इत्मनान दिला देंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं उन मेम्बरों के ऊपर कोई मुकद्दमा नहीं चलाऊंगा। मगर हम एक गलत उसूल को इस सदन के जरिये से करने की कोशिश न करें। वे चाहें हमारी सीट भी लें लें, दो सीटों पर बैठें, मगर एक गलत तरीका यहां न अख्तियार करें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस दफा की मुखालिफत करता हूं इस ख्याल से कि इसको हटा दिया जाय।

श्री ग़म्मार अहमद खां--जनाबवाला, दफा ३ इस बिल की जो हमारे सामने इस वक्त पेश है, मैं यह समझता हूं कि वह इस पूरे बिल की जान है और इस सारे बिल का दारोमदार इसी दफा के ऊपर है। इस दफा से ही तमाम वे अन्देशे जो अब तक अपो-

कमीशन की जानिब से जाहिर किये गये और बताये गये दूर हो सकते हैं और इसी के साथ तमाम वे खूबियां और वे बुराइयां जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बयान की गयी हैं उनका भी इजहार इस दफा के जरिये से होता है। लेकिन अब तक जो बहस इस भवन में इस दफा के ऊपर और इसकी तरमीमों पर होती रही है, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि यह बहस उसूल के दायरे से हट कर बहुत हद तक जातियात के पहलू से की गयी। मैं जहां तक समझता हूं हमारा एक फर्ज है कि हम एक उसूल को लें। हम किसी चीज को जातियात का पहलू दे देंगे तो बजाय किसी खूबी के मुझे यह यकीन है कि उससे बुराइयां पैदा होने लगेंगी।

मैं इन तमाम वजूहात के बाद यह अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो कुछ मैं कहना चाहूंगा उसमें मेरा मकसद किसी की जात पर कोई हमला करना बिलकुल नहीं है बल्कि सिर्फ एक उसूल की बात कहने का है।

जनाबवाला, जैसा कि बहुत सी दफात बाज बाज क़वानीन के अन्दर आयी हैं उसी तरह से इस दफा के अन्दर भी रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) रखा गया है। मुझे इससे बिलकुल इख्तलाफ है कि शुबहात के दूर करने के लिये या किसी और किस्म का रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने के लिये वह दफा कानून का जुज उस सूरत में बनायी जा सकती है जब हम उस शक को जो हमारे अन्दर पैदा हो गया है किसी और दूसरे तरीके से साफ न कर सकें। हमारे वास्ते अगर उसके लिये कोई और पहलू मौजूद हो तो मैं समझता हूं कि इस पहलू से इस दफा को इस कानून के अन्दर लाकर उसको बिगाड़ना कानून का खून ही करना नहीं है बल्कि एक ऐसे बड़े उसूल को खत्म करना है जिस उसूल को बनाने के वास्ते आज हम यहां पर बैठे हैं और हमारा सब का फर्ज है कि आज हम सब आइंदा आने वाली नस्लों के वास्ते ऐसे उसूल बना कर छोड़ जायं जिससे हमारी नई आजादी सही तरीके से आसानी के साथ चल सके।

जनाबवाला, आपका कांस्टीट्यूशन (संविधान) इस बात की बिलकुल बजाहत करता है और कांस्टीट्यूशन के अन्दर यह चीज बिलकुल साफ साफ मौजूद है कि अगर कहीं इस किस्म के शुबहात पैदा हों, कहीं इस किस्म की शिकायत पैदा हो तो गवर्नर को रेफर किया जा सकता है। गवर्नर को रिफर किये जाने के साथ ही एलेक्शन कमिश्नर के मशविरे से उसको बाबत तसफिया हो सकता है। मैं कांस्टीट्यूशन के उन दफात को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वह इतनी दफा पढ़ी जा चुकी हैं और मैं उसको दुबारा या तिबारा पढ़ कर भवन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब एक चीज कानून में मौजूद है तो बजाय इसके कि हम उसका फायदा उठायें, बजाय इसके कि जो उसूल हमारे वास्ते उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है उस उसूल को पूरा करते हुए कोई नफा उससे हासिल करें, हम इस कानून के अन्दर यह दफा रखने जा रहे हैं। यह दफा बजाहिर बहुत मामूली सी दफा मालूम होती है। मगर मैं समझता हूं कि यह दफा कानून का ही नहीं बल्कि दस्तूर और उस उसूल का, जिसके वास्ते हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस आजादी के लिये इतनी जद्दोजहद की सब का खून करती है। मैं समझता हूं कि अगर हम इस किस्म की छोटी छोटी बातों के अन्दर पड़ कर कांस्टीट्यूशन की हर दफात को इस तरीके से एतराज करना खत्म कर देते हैं, उसको कुचलना शुरू कर देते हैं, उसको तोड़ते रहे, तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिये, हुकूमतों के लिये यह एक ऐसा रास्ता हो जायगा कि जो भी हुकूमत जिस भी पार्टी की बरसरेइक्तदार होगी वह जिस तरीके से जिस वक्त अपनी मंशा को पूरा करना चाहेगी, कांस्टीट्यूशन को अलग करके, तमाम कायदे व कवानीन को बालाये ताक पर रख कर अपनी मंशा को हासिल करेगी।

जनाबवाला, इसके अन्दर सवाल इसका नहीं है कि इस वक्त आपने कितने मेम्बरान को फायदा पहुंचाया है और कितने मेम्बरान को फायदा

[श्री अम्मार अहमद खां]

नहीं पहुंचाया है बल्कि सवाल यह है कि जो कुछ भी आप इस दफा के जरिये से करने जा रहे हैं वह आपके लिये किस हद तक जेबा है। अभी अभी मेरे लायक दोस्त साजिद हुसेन साहब ने फरमाया कि क़वानीन अफराद के लिये नहीं होते बल्कि कौमों के लिये होते हैं। लेकिन यहां उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है। यहां चन्द अफराद के वास्ते कानून बन रहा है। मैं नहीं समझता कि वह किसी तरह से जायज और मुनासिब कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी गौर करना है कि इस कानून और दूसरे क्वानीन के अलावा जो भी हुकूमत और हुकूमत के जिम्मेदार लोग और ओहदेदार बनायें, इस भवन के अन्दर और इस भवन के बाहर, उनका फर्ज है, उनके लिये लाज़िमी और जरूरी हो जाता है कि वह उन तमाम चीजों का ऐतराफ करें और इस बात को न भूल जायें कि कल उन्होंने क्या कहा था और आज क्या कहा है। मैं आपकी इजाजत से अर्ज करूंगा कि अभी पिछले बजट के मौके पर या इससे पेश्तर जब कभी इस किस्म का सवाल इस भवन के अन्दर आया तो हमारे वजीर आजम ने यह फरमाया कि वह इंडियन पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट (केंद्रीय सरकार) का इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ उनकी पालिसी होगी, जिस तरह का वह कानून लायेंगे उसी किस्म का और उसका लिहाज रखते हुए यहां लाया जायगा। मैं समझता हूं कि अब हमको यह देखना है कि आया ये दफात जो इस वक्त हमारे सामने पेश हैं वे किसी हद तक उस कानून के मुताबिकत करती है जो कानून कि सेंट्रल पार्लियामेंट के अन्दर आया है और इस कानून के स्कोप (कार्यक्षेत्र) में और उस कानून के स्कोप में, दोनों में कितना फर्क वाकय होता है। आपकी इजाजत से सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इंडियन पार्लियामेंट के अन्दर जो कानून आया है उसके अन्दर उन तमाम ओहदों की वजूहात कर दी गयी कि फलां फलां ओहदे, फलां फलां तरीके से जो फलां फलां तारीख से रहे उनके वास्ते इस कानून का एतराफ होगा लेकिन हमारा कानून इतना गोल है, हमारा कानून इस मामले में इतना वसीह है कि जिससे यह हमको अंदेशा पैदा होता है कि इसका गलत इस्तेमाल न हो। यहां जाती तौर पर किसी की नीयत के ऊपर अंदेशा करने का सवाल नहीं है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि गल्ती से ऐसा हो सकता है। जहां तक गल्तियों का सवाल है, अब तक जितनी गल्तियां हुकूमत से दीदोदानिस्ता या और किसी तरह से हुई हैं उनकी फेहरिस्त बनाने की कोशिश की जाय तो उनका शुमार नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में अगर इस किस्म के शुबहात हम लोग करें या अगर हम अपोजीशन की जानिब से हुकूमत को वह बतलावें और यह चीजें दिखायें कि इस किस्म के कवानीन और इस किस्म की दफात रखने के यह नतायज हो सकते हैं तो उससे हुकूमत को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि किसी बिल की, कानून की या इस दफा की मुखालिफत सिर्फ किसी जिद की वजह से की जा रही है या किसी जाती मुखालिफत की वजह से की जा रही है।

जनाबवाला, मुझे सब से बड़ा ताज्जुब जो इसमें होता है वह इसको देख कर होता है कि जनाब वजीर साहब से जो इत्तिलाअत हम लोगों ने चाही थी और जो इत्तिलाआत कि जनाब वजीर साहब ने बहम पहुंचायी हैं, उससे यह साबित होता है कि इतने मेम्बरान हैं जो इसके अन्दर फायदा हासिल करते रहे हैं और अगर उस लिस्ट को देखा जाय तो यह मालूम होता है कि इतने ही मेम्बरान के फायदा के वास्ते यह बिल लाया गया है और इसके अन्दर इस दफा का प्राविजन (उपबन्ध) रखा गया है। इस दफा के अन्दर इस किस्म के अल्फाज हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी तौर से उस लिस्ट से नहीं है जो हम लोगों को सप्लाई की गई है। उस लिस्ट के अन्दर सिर्फ स्टैंडिंग (स्थायी) कमेटीज के मेम्बरान के नाम हैं और उन चन्द कमेटियों के नाम हैं जिनको गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन बाज बाज चीजों के लिये मुकर्रर किया था।

आपकी इजाजत से मैं इस दफा की दफा (ए), (बी) और (सी) का अंग्रेजी तर्जुमा

पढ़ना चाहूंगा। आपको यह देखना होगा कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अन्दर हैं और जिनके बारे में मालूमात बावजूद इस्तेदुआ करने के हमको नहीं दी गयीं। अगर वाकई में गवर्नमेंट के पास इस किस्म की इत्तिलाआत नहीं है और इस किस्म का आफिस किसी शख्स ने होल्ड (धारण) नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि इस दफा के अन्दर जो प्राविजन्स रखे गये हैं वह अपनी जगह पर बिलकुल गलत और बेमानी हैं और अगर इस किस्म की चीजें हैं तो गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि वह उनको यह इत्तिलाआत सप्लाई करे। दफा ३ का अंग्रेजी तरजुमा यह है—

Honorary offices for advising the State Government;

Honorary officers for the performauce of any special duty; or

Offices of the Chairman or Members of a Committee appointed by the State Government or Central Government.

[राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद,

किसी विशेष कर्त्तव्य पालन करने के लिये अवैतनिक पद, या

राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद।]

जनाबवाला, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वह जब खुद अपनी तरफ से कानून बना रही है तो आप उसके हक के ऊपर क्यों हावी होने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जहां तक चेयरमैन और आनरेरी आफिसेज का सवाल है उसके बारे में हमारे सामने कोई लिस्ट इस किस्म की नहीं पेश की गयी है जिससे कि हम यह समझ सकें कि किसी जगह कोई खास किस्म के ऐडवाइजर्स मुकर्रर किये गये हैं। अगर वाकई में एडवाइजर्स (परामर्शदाता) मुकर्रर नहीं किये गये हैं, जैसा कि मैं खुद समझता हूं और जैसा कि वजीर साहब ने कहा कि इसके अलावा उनके पास और कोई मालूमात नहीं हैं, तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो इस बिल में रखा गया है वह बिलकुल गलत और बेमानी हो जाता है। इसके साथ साथ इसी जगह पर हमको अगर आप रखते हैं तो इससे तमाम शुबहात पैदा हो जाते हैं और बिलकुल सही और बजा शुबहात पैदा होते हैं। उन शुबहात की बिना पर अगर हम लोग यहां इसकी मुखालिफत करें तो वह भी अपनी जगह पर बिलकुल सही और दुरुस्त है।

इसके बाद मैं इसके रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) की बाबत अर्ज करना चाहता हूं। जनाबवाला, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके अन्दर फरोगुजाश्त हो जाती है और उसकी इसलाह दुबारा ऐसा कानून ला करके हो जाती है जिसमें रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे दिया जाता है लेकिन इस वक्त तो हमको यह देखना है कि आया इस रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से हम क्या चीज करने जा रहे हैं और अगर इस किस्म की एक गलत मिसाल सिर्फ चन्द अफराद का सवाल हो या एक बड़ी तादाद का ख्याल हो जो हमने कायम कर दिया तो उसका डिमोक्रेसी के फंक्शन (कार्य) पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसको ठीक तरह से चलाना हमारे वास्ते फर्ज है, जरूरी है और लाजिमी है। जहां तक कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (संसदीय कार्य प्रणाली) का सवाल है, जहां तक कि उसूल का सवाल है और जहां तक कि इस भवन के अन्दर कवायद और क़वानीन का सवाल है, हमने ज्यादातर इंगलिश पार्लियामेंट को मद्देनजर रख कर अमल किया है और उसी के कदम बकदम चलते रहे हैं। यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ ई० में भी इस किस्म के प्राविजन्स (उपबन्ध) मौजूद थे, लेकिन जैसा कि अभी बाज बाज लोग कह चुके हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० को देखा जाता है लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीजर (प्रक्रिया) को और हाउस आफ कामन्स के प्रोसीजर को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। यह चीज तो उस वक्त सही होती जब हाउस

[श्री अम्मार अहमद खां]

आफ कामन्स के अन्दर इस किस्म का कोई प्राविजन न होता या हाउस आफ कामन्स में इस किस्म की चीज न जाती जैसा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में है।

दूसरे गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट का हवाला देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट विदेशी हुकूमत का, एक दुश्मन हुकूमत का बनाया हुआ था और उसका मकसद यह नहीं था कि वह हिन्दुस्तान के लोगों को आजादी से रहने का मौका दें। मैं तो कहता हूं कि सख्त तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता था और जो नतीजे कि एग्जिक्यूटिव के नाजायज असर के लेजिस्लेटिव पर पैदा होते हैं वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के जमाने में ही मिल सकते हैं, जबकि अंग्रेजी हुकूमत थी, उस जमाने में हर जायज और नाजायज तरीके से हर उसूली और बे उसूली से इसकी कोशिश की जाती थी कि अपोजीशन की आवाज को या देश के भक्तों की आवाज को जिस तरीके से भी हो सके, दबाया जाय। जनाबवाला, आया कि इस तरीके से रेट्रास्पेक्टिव एफ़ेक्ट देना हमारे वास्ते कहां तक सही होगा, मैं आपकी इजाजत से हाउस आफ कामन्स के अन्दर जो प्रैक्टिस (कार्य प्रणाली) रही है उस पर एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा। उसके अन्दर इतना ही है कि--

"The compatibility of office-holding, especially office-holding from or under the Crown with membership of the House of Commons is a subject of great importance involving in particular the question of relation between the Commons and the Crown. The matter is one which has been an important parliamentary issue during past 400 years . . . . ."

[हाउस आफ कामन्स की सदस्यता के साथ साथ पद धारण करने की, विशेषतया क्राउन की ओर से या उसके अन्तर्गत पद धारण करने की अविरुद्धता एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कामन्स तथा क्राउन के पारस्परिक संबंध का प्रश्न विशेष रूप से संनिहित है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर पिछले ४०० वर्षों से पार्लियामेंट में विवाद होता रहा है।]

इस बारे में जबकि विलायत की डेमाक्रेसी के अन्दर ४०० साल की मुतवातिर जद्दोजहद के बावजूद कोई नतीजा हासिल नहीं हो सका और उसके बाद भी उन लोगों ने इतनी अहतियात की, तो हमारा उस अहतियात को पसेपुश्त डालकर डेमाक्रेसी का इब्तदाई मंजिल में इस तरह का कानून बनाना डेमाक्रेसी का खून करना है। इसलिये हमें यह समझना चाहिये कि इस कानून में जो यह दफा इस जगह पर खाली रखी गयी है वह गलत रखी गयी है। इसके मानी यह हैं कि एग्जिक्युटिव का नाजायज तौर पर लेजिस्लेचर पर असर अन्दाज हो और उस असर को वह अपने मंशा और अगराज के वास्ते जिस तरह से वह चाहे इस्तेमाल कर सके। अगर वाकई में यह मकसद नहीं था, इस्लाह मकसद था तो कोई वजह नहीं हो सकती कि जिस वक्त गवर्नमेंट के पास इस किस्म की इत्तिलाआत नहीं हैं जहां कि दफा ३ का इतलाक हो सके तो दफा ३ के अन्दर जरूर तब्दीली हो जानी चाहिये थी। वजीर साहब इंसाफ से काम लें। अगर वह तब्दीली हो जाय तो वह शुबहात जो अपोजीशन की तरफ से पेश किये गये हैं वह रफा हो जाते हैं। जनाबवाला, इसके अन्दर न किसी उसूल परवरी का सवाल है, न जिद का दखल है, बल्कि हमारा यह फर्ज है कि हम इस मौके पर यह बतायें कि कौन सी दफा में उसूल के खिलाफ अमल किया जा रहा है।

इसी सिलसिले में मैं यह और अर्ज करना चाहूंगा कि अब तक जो कुछ भी तकरीरें हुई हैं उनके अन्दर जहां तक इस बात का सवाल किया गया है कि इस दफा के अन्दर किस मेम्बर ने फायदा उठाया

और किसको नुक्सान होगा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इसका कोई मौका पैदा नहीं होगा। आज मुझे इसी सिलसिले में एक चीज और अर्ज करनी है कि अभी एक बहुत नया और अजीबोगरीब इनसाफ हुआ। इसी दफा ३ के सिलसिले में ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से एक अमेंडमेंट (संशोधन) पेश हुआ, उसके जवाब में जनाब वजीर साहब ने यह फरमाया कि उनके नजदीक इस अमेंडमेंट को मंजूर करने की कोई ज्यादा जरूरत या मजबूरी लाहक नहीं है, बल्कि उनका दफ्तर जो मुनासिब तरमीम चाहेगा वह इस बिल के यहां से पास होने के बाद कर लेगा। जनाबवाला, मैं अपनी निहायत महदूद मालूमात की बिना पर अर्ज करूंगा कि डेमाक्रेसी के अन्दर, किसी कानून के अन्दर इस किस्म का कोई प्रावीजन नहीं है कि जनाब वजीर साहब या उनका दफ्तर किसी सूरत में एक नुक्ता भी एक बिल के अन्दर जो पास होकर ऐक्ट बन जाय तरमीम कर सके। सिर्फ अब तक जो उसूल इस भवन का रहा है वह यह रहा है कि सिर्फ ग्रैमेटिकल (व्याकरण संबंधी) या शाब्दिक जो थोड़ी सी तरमीमें होती हैं वह स्पीकर साहब की इजाजत से सेक्रेटरी साहब कर देते हैं और उसकी इत्तिला भवन के अन्दर रखा करते हैं। वरना अगर इस किस्म के कवानीन हुकूमत अपने ही दफ्तर में बनवा लिया करेगी तो यहां हम लोगों का बैठना और क्रिटिसाइज (आलोचना) व जद्दोजहद करना कोई मतलब और मानी न रखेगा।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मेरा मंशा उसी किस्म की तरमीम की थी जो शाब्दिक है। वह आपकी इजाजत से दफ्तर में हो जायगी।

श्री अम्मार अहमद खां--मैं जनाब वजीर साहब का मशकूर हूं कि इसकी वजाहत थोड़ी बहुत फरमा दी। लेकिन मैं उनकी इत्तिला के लिये इतना और अर्ज कर दूं कि वह भी तरमीम जनाब स्पीकर साहब के दफ्तर में होगी और दूसरे दफ्तर में नहीं हो सकती।

इसमें हमें यह भी देखना है कि इस दफा तीन से वाकई में जो हमारा मकसद है और जो नतीजा हम इस दफा ३ के पास करने के बाद हासिल करना चाहते हैं वह आया हासिल भी हो जाता है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि दफा ३ के पास हो जाने के बाद भी वह नतीजा हमें हासिल नहीं होता। वह चीज अपनी जगह पर बदस्तूर गलत बाकी रहती है अगर इसकी इस्लाह न की गयी और यह दफा इसी तरह पास कर ली गयी तो यह भी ऐसी ही गलती होगी जैसे इस दफा ३ पर कांस्टिट्यूशन बनने के और हमारी रिपब्लिक (प्रजातंत्र राज्य) होने के एक साल नौ महीने के बाद इस भवन के अन्दर बहस कर रहे हैं। जो दफा १०४ कांस्टीट्यूशन की है उसके बाद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट रखने के बाद भी इसकी बचत नहीं होती। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दफा १०४ के बाद बिल्कुल बेमानी और गलत चीज हो जाती है। मैं आपकी इजाजत से दफा १०४ का वह हिस्सा अर्ज करूंगा जहां पर किसी मेम्बर ने अगर कोई आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) होल्ड (धारण) कर लिया तो उसके लिये इसका सवाल ही नहीं रह जाता कि वह किसी भी इस किस्म के कानून के जरिये से जो किसी बाद के स्टेज के ऊपर हो, कुछ किया जा सके। जनाबवाला, मैंने गलत अर्ज किया। दफा १०४ पेनालिटी (दंड) से ताल्लुक रखती है। दफा १९१ सिर्फ इस चीज से ताल्लुक रखती है जहां मेम्बर बिल्कुल डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) हो जाता है, अगर वह किसी आफिस आफ प्राफिट को मंजूर करता है। अब सवाल यह है कि कांस्टीट्यूशन की दफात के बावजूद भी हमारे लिये यह कहां तक मुनासिब है कि सिर्फ दफा ३ से जो कांस्टीट्यूशन की स्प्रिट (भावना) है उसको खत्म कर दें। तो वह गलती इस कानून के बनाने के बाद या मुमकिन है कि आरजी तौर से इससे फायदा उठाने के बाद मालूम हो सकेगी। लेकिन आखिर में यह हमारे वास्ते, हमारे मुल्क के वास्ते और उन उसूलों के वास्ते जिनके लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं बेहद नुक्सानदेह साबित होगा।

[श्री अम्मार अहमद खां]

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि इस किस्म की चीजों के मुताल्लिक़ आज ही नहीं इससे पहले भी बहुत काफी इज़हार राय हो चुका है और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट जहां तक देने का सवाल है वह हमारी हुकूमत की इस किस्म की कुछ आदत हो गयी है कि हर चीज के ऊपर ख्वाह वह कानून की जरूरतों को पूरा करता हो या न करता हो, ख्वाह इंसाफ और उसूल मयार पर पूरा उतरता हो या न उतरता हो लेकिन रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना जरूरी है और लाजमी हो गया है। अगर इस किस्म का प्राविजन (उपबन्ध) हर कानून में किया गया तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि अगले इलेक्शन के बाद जो मेम्बरान जिनको हुकूमत चुनाव में रिटर्न करवाना चाहती है और वह रिटर्न न हो सकें तो उनके लिए भी रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट कर दिया जाय कि वह भी फलां तारीख से मेम्बर समझे जायंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती होगी कि महज रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देकर चन्द मेम्बरान को या चन्द लोगों को फायदा पहुंचाया जाय।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस दफा ३ की मुखालिफत करता हूं और जनाब वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि वह इस पर गौर करें और अगर वाकई में किसी तरीके से जो भवन ने अंदेशा जाहिर किया है उसका इलाज हो सकता है तो उसका इलाज किया जाय।

माननीय सैयद अली जहीर--जनाब सदर, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं किस खास बहस का जवाब दूं क्योंकि जितनी बहस हुई है दफा ३ पर गालिबन उसका बहुत सा हिस्सा वही है जो दफा १ के ऊपर या जब बिल इंट्रोड्यूस (पुरःस्थापित) हुआ था उस वक्त हो चुकी थी। बाकी जो बहस है वह बहस जिस वक्त थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) होती, उस वक्त होनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक इस बिल की दफा ३ का ताल्लुक़ है उसमें बहुत से अमेंडमेंट्स (संशोधन) लाये गये थे उनको गवर्नमेंट ने नहीं माना और वह नामंजूर हो गये और दफा ३ के लिए कोई वजह नहीं है कि वह मंजूर न हो। सिर्फ एक बात यह है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कई मेम्बरान ने फरमाया है कि उसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट न दिया जाय। मैंने तशरीह के साथ इज़हार कर दिया था कि इसकी हमें जरूरत है कि हम इस ऐक्ट को २६ जनवरी सन् १९५० ई० से नाफिज करें इसलिए जरूरत है कि यह शकूक रफा हो जायं। इसलिए इसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देने की जरूरत है। अगर नहीं दिया जाता है तो इस ऐक्ट का मकसद और गवर्नमेंट का मकसद पूरा नहीं होगा और यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट जो है उसमें भी इस ऐक्ट को रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दिया गया है। लिहाजा यह कहना कि इसका रिट्रास्पेक्टिव न दिया जाय, मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या वजूह हैं। उसूल का सवाल है दूसरा उन बातों को दुहराना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं अर्ज करूंगा कि दफा ३ मंजूर की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--६२

अक्षयबर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
ईतिजा हुसन, श्री
कृपा शंकर, श्री
खुशीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री

जफर अहमद, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम लाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदनसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में--११

अम्मार अहमद खां, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री,

प्रस्तावना व खंड १

यह आवश्यक है कि कुछ पदों के विषय में उनके लाभ का पद होने के संशय को दूर करने के लिए एवं तत्सम्बन्धी पारिणामिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय।

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५१ ई०" होगा। सं आर।

(२) यह अधिनियम २६ जनवरी, १९५० से प्रचलित हो गया समझा जायगा।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान्, मैं आपकी इजाजत से खंड १ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-खंड (२) रख दिया जाय--

[श्री खानचन्द्र गौतम]

इस संशोधन को उपस्थित करने का केवल एक ही मकसद है और वह यह कि इस बिल में जो मूल उप-खंड है उसकी मंशा एक बहुत बड़ा रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देने का है। वह हम सब लोगों की राय में बहुत गलत चीज मालूम होती है और इसलिए यह उपखंड इसमें रखा गया है। हम लोगों को शुरू में यह उम्मीद थी कि शुरू में ही गवर्नमेंट हमारे संशोधनों पर विचार करेगी और उन एतराजात पर विचार करेगी जो गवर्नमेंट के सामने रखे जायंगे। जहां तक हमसे हो सका इस बिल के संबंध में अपनी राय और एतराजात कानूनी तौर पर हो सकते थे, वह हुकूमत के सामने रखे। हम शुरू में यह जरूर उम्मीद रखते थे कि आगे जो धारायें इसमें आयेंगी या इस बिल में जो ऐसे प्राविजन्स हैं जो मौलिक रूप से कांस्टीट्यूशन के खिलाफ या लोकतंत्र की स्प्रिट के ही खिलाफ हैं वह निकल जायेंगे और सिर्फ इतनी सी बात रह जायगी कि इस अधिनियम को रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दिया जाय या नहीं। इसी वजह से हमने यह संशोधन रखा था। वास्तव में जिस तरह से यह बिल अब मंजूर होकर जा रहा है और हमारी हुकूमत ने अपने बहुमत के जोम पर जिस शक्ल में यह बिल पास किया है तो मैं तो इस बात का हामी हूं कि वह आगे नाफिज न हो। मगर जो भी बिल यहां पर पेश है उसको कम से कम रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट न मिल सके। इस वजह से मैंने अपनी यह तरमीम पेश की है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र खानचंद जी गौतम ने उपस्थित किया है मैं खास हालतों में मजबूर होकर उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उधर बैठने वालों की तरफ से काफी जोर इस बात पर दिया गया कि आयन्दा के लिए किसी तरह से यह लागू न हो और जब हम इस संशोधन की ताईद करते हैं तो उसके मानी यही होते हैं कि आयन्दा के लिए यह लागू नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि उसमें रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) भी है, हमको इस तरह के संशोधन की ताईद करनी पड़ रही है। मैं यह चाहता था और मैंने माननीय न्याय मंत्री से इस बात की दरख्वास्त की थी कि वह इस तरीके का संशोधन खुद लायें क्योंकि वह इस बात को मंजूर ही कर रहे हैं कि आयन्दा को यह लागू न होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं बखुशी इस संशोधन को वापस ले लेता। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इतनी बहस होने के बाद, कम से कम वह इस बात पर तो खुद सहमत हैं और उन्होंने हर तरीके से इस बात का आश्वासन दिया है कि यह आइन्दा किसी तरह से लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं वे इसे मंजूर कर लेंगे। उन्होंने दो दलीलें इस किस्म की और दीं और यह कहा कि इस हालत में मेम्बरान इतनी ओवरह्वेलमिंग मैजोरिटी (अधिक बहुमत) में हैं कि उनको पेट्रोनेज (संरक्षण) देने का मौका नहीं आयेगा। दूसरी दलील उन्होंने यह दी कि यह छोटी सी चीज है और आदरणीय भवन के जो सदस्य हैं वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं बड़े अदब से माननीय न्याय मंत्री से कहना चाहता हूं कि उनका यह कहना कि ओवरह्वेलमिंग मेजा-रिटी है, सही है और मेरा ख्याल है कि ओवरह्वेलमिंग मेजारिटी के नशे ने ही उनको इस पर मजबूर किया है कि इस तरीके का बिल लायें और वह भी अगर्चे सोचें कि ओवरह्वेलमिंग मेजारिटी (अधिक बहुमत) ड्विण्डिल (क्षीण) होती जा रही है, एक-चौथाई तो निकल गये और शायद औरों के निकलने के अंदेशे की वजह से यह रोकथाम की जा रही है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कितनी हो मिसालें दी जा चुकी हैं फिर क्या एतबार किया जा सकता है कि आइन्दा यह नहीं होगा। इसलिए मैं बाअदब फिर यह गुजारिश करूंगा कि आप इसमें कोई इस किस्म का संशोधन लायें कि अगले ५ महीने तक यह अमल दरामद में नहीं आयेगा, जो पिछला हो चुका वह हो चुका।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाब सदर, मैं कम से कम जो तजवीज पेश की गई है उसकी ताईद जो मेरे दोस्त श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने की है उससे सिर्फ यही नतीजा निकालता हूं कि बहरहाल उनको मुखालिफत करनी है चाहे कोई शकल भी इस बिल की हो। उन्होंने जो बात कही थी कि अगर यह बिल आइन्दा के लिए (विधि) ला हो जायगा तो गवर्नमेंट उससे गलत फायदा उठावेगी। उसके मुताल्लिक जो कुछ मुझे अर्ज करना था वह मैं कह चुका। लेकिन बावजूद इसके वह इसके लिए तैयार हैं कि यह बिल कम से कम यह हो जाय कि आयन्दा के लिए हो। पीछे के लिए न हो। मुझे कोई उसूल तो इस तरह की दलील के लिए मालूम नहीं होता क्योंकि यह बिल्कुल उसके खिलाफ है और खुद इसी विधान में अभी थोड़ी देर पहले बयान कर चुके हैं। बहरहाल मुझे इस पर कुछ ज्यादा तकरीर नहीं करनी है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि यह तो प्रीएम्बुल क्लाज (प्रस्तावना पद) है और मैंने इसकी वजह बतला दी कि गवर्नमेंट क्यों २६ जनवरी, १९५० ई० से लागू करना चाहती है। उसे फिर इस ऐवान में दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता।

इन अल्फाज के साथ मैं जो तरमीम पेश की गयी है उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमान् जी, इस स्टेज (प्रक्रम) पर आकर जबकि अब आज की कार्यवाही करीब करीब खत्म होने को है मुझसे न तो यह उम्मीद की जायगी कि मैं कोई तकरीर करूं और न मैं जबाब ही दूंगा। मगर जितनी तकरीरें न्याय मंत्री जी की तरफ से जवाब में हुईं, अगर उसका रूपांतर एक वाक्य में हो तो यही होगा "पंचों की बात सर माथे, लेकिन परनाला यहीं लगेगा।" माननीय न्याय मंत्री को बड़ी परेशानी इस बात की है कि हमने जो इस तरह से रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) को रोकने के लिए संशोधन रखा है उसको वे सिर्फ इसी वजह से नहीं मंजूर कर रहे हैं क्योंकि उनके ख्याल में अब तक बहुत से डिसक्वालीफाइड (अनर्ह) मेम्बर्स यहां आ चुके हैं और उनको किसी न किसी शक्ल में इस डिस्क्वालिफिकेशन से माफ कराना मंजूर है। आप मुझे क्षमा करें, मैं एक बात आपकी इजाजत से यहां अर्ज करना चाहता हूं। थोड़े ही दिन की बात है कि बनारस सेंट्रल जेल में हमारे बहुत से साथी थे जिनमें से बहुत से लोग उधर भी बैठे हुए हैं। वहां के अस्पताल में हम लोगों में से कई आदमी भर्ती थे। वहां एक केस हुआ। एक शख्स बीमार पड़ा, सिविल सर्जन ने उसके इलाज के लिए तय किया कि हाई टेम्परेचर (तेज बुखार) में उसके सर पर आइस कैप (बर्फ की टोपी) रखी जाय, अगर उस पर भी टेम्परेचर न उतरे तो एनीमा लगाया जाय और इसके बाद उसे मिक्सचर वगैरह जो उसने प्रेस्क्राइब (निर्धारित) किया था उसे दिया जाय। हुजूर वाला, डाक्टर साहब ने तो कोई परवाह ही नहीं की। गफलत से एक दिन उस मरीज का चाचा आया जो उसकी तीमारदारी के लिए रखा गया था और जो उस अस्पताल का कम्पाउंडर था जो ठीक से इंस्ट्रक्शन (आदेश) को समझ नहीं सका। इस दौरान में मरीज खत्म हो गया। उसको अन्दाजा नहीं हो सका कि मरीज मर गया या मर रहा है। मरते मरते जो जरा सी गरमी रह जाती है यानी नब्ज पर हाथ रखने से कुछ गरमी का अहसास रहता है तो ऐसी हालत में उसने उसके सर पर टोपी रखी और वह चूंकि गफलत में था तो उसने एनीमा भी शुरू किया। इसी दौरान में सिविल सर्जन आगये और उन्होंने देखा तो कहा कि यह क्या तुम कर रहे हो। तो उसने कहा कि साहब यह मरा जा रहा है तो इसको एनीमा दे रहा हूं। उसने कहा वह तो मर चुका। तो वह घबराहट में पूछने लगा कि इस एनीमा का क्या करूं तो उसने कहा बन्द करो और फिर पूछा कि इस मरीज को क्या करूं तो उसने कहा कि इसको चील घर ले जाओ....

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। इस विधेयक में यह है कि--

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

3. Whereas doubts have been expressed regarding offices hereinafter mentioned being offices of profit ;

Now, therefore, for the removal of doubts it is hereby declared that the —

(a) honorary offices for advising the State Government,

(b) honorary officers for the performance of any Special Duty, or

(c) offices of the Chairman or Members of a Committee appointed by the State Government or Central Government,

shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being Members of .. .."

[३—इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं —

अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों पर आसीन व्यक्ति .. .. ..
के सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे :

(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद,

(ख) किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिए (for the performance of any special duty) अवैतनिक पद, या

(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद,]

तो जब हमने इस क्लाज को पास कर दिया तो इससे यह पता चलता है कि आइन्दा के लिये भी यह लागू होगा और गुजिश्ता के लिये भी यह लागू है। तो जो मौजूदा अमेंडमेंट है वह उसके खिलाफ जाता है। जब सदन ने एक बार इसके लिये अपना फैसला दे दिया है तो उसके खिलाफ यहां कोई अमेंडमेंट नहीं पेश हो सकता। लिहाजा जो रूल है कि अगर एक मर्तबा किसी विषय पर निर्णय हो चुका है तो उस पर दुबारा निर्णय नहीं हो सकता है उसके मुताबिक यह अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर (नियम विरुद्ध) है।

श्री खानचन्द गौतम—मेरे माननीय मित्र श्री हुकुम सिंह साहब ने जो एतराज़ किया है वह तो मेरे संशोधन का ही समर्थन करता है। जो मेरी तरमीम है अगर उसको मान लिया जाय कि यह तुरन्त लागू होगा तो जो उन्होंने कहा है कि तुरन्त लागू होने के बाद चूंकि खंड ३ पास हो चुका है तो तब भी यह आपका क़ानून रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) लेकर रहेगा। अगर मेरे संशोधन के शब्द रहते हैं और भवन जिस चीज को पास कर चुका है उसके मुताबिक फिर भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट लागू होगा।

माननीय अध्यक्ष—मेरे ख्याल से जो क्लाज़ है उसके बिलकुल मुखालिफ तरमीम नहीं जाती है क्योंकि यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है और साथ ही साथ यह बात कि अब यह लागू होता है या दो महीने के बाद लागू होगा या गजट में शाया होने के दिन लागू होगा उसके बाद भी जो पिछले मामले हैं उनके मुताल्लिक़ भी यह लागू रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिलकुल साफ तरीक़े से मुखालिफ नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--जी हां, यही मुनासिब है और मुझे भी चलते चलते यही अर्ज करना है कि जो कुछ सिविल सर्जन ने मरीज के चचा से कह दिया कि अब एनीमा वगैरा बन्द करो और इसको चीलघर ले जाओ, वही मैं भी अर्ज करता हूं कि आप के पास क़ानूनी रू से अब कोई चारा नहीं है और इसको आप चाहे जिस तारीख से चाहें पिछली तारीख से या पास होने के बाद से लागू करें। लेकिन यह केस सिर्फ चीलघर जाने के क़ाबिल है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय :--

"(२) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
४ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९ पर)

सूची-क

अल्मोड़ा जिले में ऊन का कारोबार उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों में चल रहा है :—

१—बुनाई व रंगाई केन्द्र—
(१) अल्मोड़ा
(२) बागेश्वर
(३) चौरा

२—कताई केन्द्र—
(१) लीती
(२) शामा
(३) कपकोटी
(४) करमी
(५) हरशिला
(६) बगहर
(७) वादिया कोटी
(८) बागेश्वर
(९) गुलेर
(१०) कांदा
(११) चौरादुग
(१२) बनकोटी
(१३) सन्योड्यार
(१४) बैरीनग
(१५) होराली
(१६) जलमनी
(१७) डिन्डी घाट
(१८) सोमेश्वर
(१९) गरुड़
(२०) चितई
(२१) तारी खेत

उक्त केन्द्र इस विभाग के निरीक्षण में सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं।

कार्य-प्रगति

ऊन उद्योग योजना इस विभाग द्वारा १९३८ में प्रारम्भ की गई थी और उसका पुनर्संगठन सन् १९४६ में किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(१) कताई तथा बुनाई की ट्रेनिंग।

(२) सहकारी समितियां तथा व्यक्तियों द्वारा उत्तम उत्पादन के हेतु नवीन यंत्रों का प्रचार तथा वितरण करना।

(३) बने हुये माल की बिक्री के लिये सुविधायें देना।

(४) ऊन उद्योग की सहायक समितियों द्वारा व्यावसायिक रूप से विकास करना।

इस योजना के कार्य की प्रगति संलग्न आंकड़ों से अनुमानित की जा सकती है।

तथियां

अल्मोड़ा—नैनीताल ऊन स्कीम, अल्मोड़ा

वर्ष	ऊन की खरीद	कीमत	कपड़े का उत्पादन	कीमत	सूत का उत्पादन	कताई	कपड़े की बिक्री	चर्खों की वितरण संख्या
	मन सेर छ०	रु० आ० पा०	गज गिरह	रु० आ० पा०	मन सेर छ०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
१९४४–४५	३०८ १५ ३	२२,११२ १२ ०	३३,३३१ ०	१,१५,४२५ ७ ०	२३२ ५ ८	२१,३३७ १० ६	७६,१४१ ४ ३	९८
१९४५–४६	८७८ २७ ९	६४,०३६ १४ ६	३०,७५७ ६	१,८१,२७८ ३ ०	३६७ १० ११	५४,५२५ १० ९	९५,२२३ ६ ०	७१
१९४६–४७	९२ २० ९	७,८९२ १३ ६	२४,६६६ १४	८८,०६१ ३ ०	१४५ ९ ॥	२८,१५३ २ ९	३६,६७१ १५ ६	३५
१९४७–४८	८७ २ १२	६,३३० ६ ९	८,४४९ ०	२९,५७३ १४ ०	६ १२ ८	४३० ९ ९	१,६१,२१३ ४ ३	५ ४
१९४८–४९	३०४ २३ १	२८,४८५ ६ ०	१,५६० ५	५,२७४ १२ ६	६ ४ १५॥	४५० १३ ९	४६,८३५ ९ ९	१२८
१९४९–५०	५०१ १ १५	४५,५४७ ० ३	कोआपरेटिव	४५,३९२ १२ ०	१५६ १ १२॥	..	७६,८०१ १ ३	.. १
	..	..	डिपार्टमेंट	६,०३५ ८ ०	कोआपरेटिव द्वारा			
			व्यक्तिगत	१,२८,८९६ ० ०	सोसाइटी और विभाग द्वारा			

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९ पर)

सूची-क

अल्मोड़ा जिले में ऊन का कारोबार उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों में चल रहा है :—

१—बुनाई व रंगाई केन्द्र—
- (१) अल्मोड़ा
- (२) बागेश्वर
- (३) चौरा

२—कताई केन्द्र—
- (१) लोती
- (२) शामा
- (३) कपकोटी
- (४) करमी
- (५) हरशिला
- (६) बगहर
- (७) वादिया कोटी
- (८) बागेश्वर
- (९) गुलेर
- (१०) कांदा
- (११) चौराडुग
- (१२) बनकोटी
- (१३) सन्योड्यार
- (१४) बैरीन ग
- (१५) होराली
- (१६) जलमनी
- (१७) डिन्डी घाट
- (१८) सोमेश्वर
- (१९) गरुड़
- (२०) चितई
- (२१) तारी खेत

उक्त केन्द्र इस विभाग के निरीक्षण में सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं।

कार्य-प्रगति

ऊन उद्योग योजना इस विभाग द्वारा १९३८ में प्रारम्भ की गई थी और उसका पुनर्संगठन सन् १९४६ में किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(१) कताई तथा बुनाई की ट्रेनिंग।

(२) सहकारी समितियां तथा व्यक्तियों द्वारा उत्तम उत्पादन के हेतु नवीन यंत्रों का प्रचार तथा वितरण करना।

(३) बने हुये माल की बिक्री के लिये सुविधायें देना।

(४) ऊन उद्योग की सहायक समितियों द्वारा व्यावसायिक रूप से विकास करना।

इस योजना के कार्य की प्रगति संलग्न आंकड़ों से अनुमानित की जा सकती है।

वर्ष	ों ऊन की सं०		कर्घा वितरण की सं०	कार्मशियल आपरेशन का कुल खर्चा			प्राप्त हुई रकम		
	मन	सेर		रु०	आ०	पा०	०	आ०	पा०
१९४४–४५	३०८	१८४	४	१,२४,२४८	१	३	१,१९,०८६	६	६
१९४५–४६	८७८	२१९	६	१,९८,३६२	११	३	१,१४,६९७	१	९
१९४६–४७	९२	२८७	२	१,५१,५४४	३	६	८२,४२७	५	६
१९४७–४८	८७	२	१	९३,५८६	१४	६	७१,०९८	११	०
१९४८–४९	३०४	२।२	१३	१,२१,०३४	१३	०	२६,१९२	८	०
१९४९–५०	५०१	१७	..	१,८६,०१२	१	६	४६,९८१	०	६
	..								

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७१ पर)

१९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा स्वीकृत हुआ है।)

जहां तक उत्तर प्रदेश में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० की प्रवृत्ति का संबंध है उक्त ऐक्ट में संशोधन का

विधेयक

कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उक्त ऐक्ट की प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधित करना आवश्यक (एक्सपीडिएन्ट) है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम "१९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम" होगा।

(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० की धारा ८० के अन्त में निम्नलिखित नवीन धारा ८०-ए जोड़ दी जावे—

"80-A—The State Government may, by notification in the official *Gazettee*, declare that any of the provision of or under this Act shall apply to all or any land on the banks of canals or the sides of roads which are the property of the State Government or a local authority and thereupon such provisions shall apply accordingly."

उद्देश्य और कारण

सड़कों और नहरों के किनारों के पेड़ सरकार के अधिकार में हैं और उनकी देखभाल वन विभाग करता है। इन पेड़ों की रक्षा करने में वन अधिकारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ ज़िलों में ग्राम के लोग इन वृक्षों की, जिनके लगाने में बड़ा खर्च और कष्ट उठाना पड़ता है, डालियां बुरी तरह से काट डालते हैं और बहुधा उनको कोई दण्ड भी नहीं मिलता। इस समय कोई विशेष अधिनियम सड़कों और नहरों के किनारों पर स्थित पेड़ों की रक्षा के लिए नहीं है और क्योंकि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट निर्देश इन पर लागू नहीं है, वन-अधिकारी सड़कों और नहरों के किनारों पर स्थित पेड़ों को हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध कोई उपयुक्त कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। इंडियन पेनल कोड और नार्दर्न इंडियन कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट के निर्देश पेड़ों और उनकी डालियां काटने को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः इंडियन फारेस्ट ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित करने का विचार है जिससे सरकार सड़कों और नहरों के किनारे के पेड़ों पर इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के उपयुक्त नियमों को लागू कर सके। इस विधेयक का प्रयोजन इसी उद्देश्य की पूर्ति है।

हुकुम सिंह विश्वेन,
माल मन्त्री।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७२ पर)

ड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०

'र प्रदेश में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के प्रयोग के संबंध में उक्त कोड में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन के लिए

विधेयक

प्रयोजनों के निमित्त जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश में कोड मिनल प्रोसीजर, १८९८ के प्रयोग के सम्बन्ध में, उक्त कोड में संशोधन आवश्यक है, : निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

–(अ) इस अधिनियम का नाम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश) अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधि- हा गया है) की वर्तमान धारा ४९८, उक्त धारा की उपधारा (१) होगी र धारा की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :—

(2) The power conferred by sub-section (1) on a Court of Sessions shall, in respect of such cases or class of cases as may be notified, be exercisable by an Additional Sessions Judge or Assistant Sessions Judge authorised in that behalf by notification in the Official *Gazette* by the State Government."

—(१) मूल ऐक्ट की धारा ५२८ की उपधारा (1-A) में, शब्द "any case or l which he has made over to any Additional Sessions Judge" में शब्द "or withdraw any case or appeal pending before any onal Sessions Judge." रख दिये जायें।

) उपधारा (1-B) में शब्द "where a Sessions Judge withdraws or a case under sub-section (1) or recalls a case or appeal under ction (1-A)" के स्थान में शब्द "where a Sessions Judge withdraws lls a case or appeal under sub-section (1) or sub-section (1-A)" े जायें।

उद्देश्य और कारण

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा ४९८, हाई कोर्ट तथा कोर्ट आफ सेशन्स के जमानत कम करने या जमानत पर छोड़ देने के अधिकार के संबंध में है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें सेशन्स जज साधारणतया नहीं बैठते किन्तु एडीशनल सेशन्स जज बैठते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना-पत्र सेशन्स जज को देना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि मुकद्दमे वालों को असुविधा होती है और उन्हें अनावश्यक व्यय करना पड़ता है। नई उपधारा (२) द्वारा ऐसी व्यवस्था करने का उद्देश्य है जिसमें ऐसे मामलों में, या इस प्रकार के मामलों में जिसे राज्य सरकार नियत करे, सेशन्स जज के अधिकार को स्थानीय एडीशनल या असिस्टेन्ट सेशन्स जज उपयोग में ला सकें।

दूसरी कठिनता यह अनुभव की जा रही है कि सेशन्स जज को एडिशनल सेशन्स जज के न्यायालय से केवल ऐसे मामलों को वापस लेने का अधिकार है जो उन्होंने उक्त एडीशनल सेशन्स जज के पास भेजे हों। सेशन्स जज को यह अधिकार नहीं है कि वह एडीशनल जज के यहां के मामलों को वापस ले सकें या दूसरे एडीशनल सेशन्स जज के पास संक्रान्त कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि सेशन्स जज के यहां काम कम होने पर एडीशनल सेशन्स जज के यहां से, जिसके पास काम अत्यधिक हो, कुछ मामलों को वे अपने यहां ले सकते थे किन्तु अधिकार न होने के कारण, वे ऐसा नहीं कर पाते। तदनुसार यह अनुभव किया जा रहा है कि मामलों को शीघ्र निबटाने तथा सेशन्स डिवीजन के विभिन्न एडीशनल सेशन्स जजों के कार्यों के नियमन के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि एडीशनल सेशन्स जजों के यहां से मुकद्दमों या अपीलों को वापस लेने का अधिकार सेशन्स जजों को दिया जाय।

सैयद अली जहीर
न्याय मंत्री।

पी० ऐ० ला० [illegible]—५२ ए० ल० ए०—१९५१—६१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ईतिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
काली चरण टंडन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री

नवाजिश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री

सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर प्रसाद सत्य प्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[२९ अगस्त, सन् १९५१ ई० के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले में बेहटा-टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*१--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, बेहटा, जिला सहारनपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच, एस० डी० ओ०, सहारनपुर ने गत वर्ष की थी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--जी हां।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत किसी एक व्यक्ति ने की थी या कई लोगों ने की थी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--एक व्यक्ति के बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन कई तरह की शिकायतें आयीं, अखबारों में भी छपीं। तो यह हो सकता है कि कई व्यक्तियों ने वहां लोकली (स्थानीय रूप से) की हों।

श्री रामकुमार शास्त्री--वे शिकायतें क्या थीं ? क्या उनको कृपा पूर्वक मंत्री महोदय पढ़ देंगे ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कई तरह की शिकायतें थीं। कुछ तो रुपया बरबाद करने के बारे में थीं, बदनियती के बारे में थीं, कानून के हिसाब से कार्यवाही न करने के संबंध में थीं। ऐसी दो दो, तीन तीन शिकायतें हर मामले के बारे में थीं। करीब आठ चार्जेज (आरोप) उनके ऊपर लगाये गये थे और उनकी तहकीकात हुई।

*२--श्री त्रिलोकी सिंह--यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री इस जांच रिपोर्ट की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस रिपोर्ट की प्रति मेज पर रखना सरकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित नहीं समझती।

सरकार इस संबंध में समुचित कार्यवाही कर रही है।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट को रखने से सार्वजनिक क्या हानि होती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर—जब किसी चेयरमैन के बारे में कोई शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच सरकारी तौर पर खुली जांच नहीं होती है, क्योंकि वह एक चुना हुआ जिम्मेदार ओहदेदार आदमी होता है और कभी शिकायतें गलत होती हैं कभी सही होती हैं, इसलिए उनकी इन्क्वायरी कान्फीडेंशल (जांच गोपनीय) होती है और उसकी रिपोर्ट कान्फीडेंशल भी रखते हैं क्योंकि जो गवाही देने वाले होते हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है और रिपोर्ट में भी ऐसे रिमार्क्स हो सकते हैं जो उनके लिए गैरवाजिब तौर से इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इसलिए तमाम करेस्पान्डेन्स (पत्र-व्यवहार) जो होती है वह गुप्त रखी जाती है और जब तक कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है तब तक कोई आरोप स्पष्ट नहीं किया जाता है।

श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कितने दिनों तक कर लेंगे ?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर—टाउन एरिया के संबंध में यह कार्यवाही कमिश्नर को करनी होती है। उस रिपोर्ट के ऊपर कमिश्नर को योग्य कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिया गया है।

तामाढोन, पट्टी विचला चकॅट, जिला अलमोड़ा के शिल्पकारों को रामलीला करने की मनाही

*३—**श्री त्रिलोकी सिंह**—क्या यह सच है कि ग्राम तामाढोन, पट्टी विचला चकॅट, जिला अल्मोड़ा के शिल्पकारों ने पिछले दशहरा के अवसर पर रामलीला नाटक खेलने का आयोजन किया था और उन्हें रामलीला करने की इजाजत स्थानीय कर्मचारियों ने नहीं दी ?

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)—जी हां।

*४—**श्री त्रिलोकी सिंह**—यदि हां, तो क्यों ?

माननीय श्री लालबहादुर—तामाढोन ग्राम के शिल्पकारों ने जिला अधिकारियों से उक्त ग्राम में रामलीला करने की आज्ञा मांगी। यह लोग पहली ही बार इस गांव में रामलीला करना चाहते थे जब कि वहां शुरू से दूसरी रामलीला होती चली आ रही थी। दोनों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। अतः शिल्पकारों को यह सलाह दी गई कि वह अपना नाटक रामलीला जो हो रही है उसके खत्म हो जाने के बाद करें, परन्तु वह इस पर सहमत न हुए। इस कारण धारा १४४ लगा कर उसे रोकना पड़ा।

श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ग्राम में जो शिल्पकार हैं वे गैरशिल्पकारों की रामलीला में नहीं जाते ?

माननीय श्री लालबहादुर—इसकी जानकारी तो है नहीं क्योंकि मुद्दतों से रामलीला होती चली आ रही है और आमतौर से रामलीला में सभी होते हैं उसमें कोई जाति या बिरादरी का सवाल होता नहीं। लेकिन जो खास बात आपने पूछी उस पर कोई जवाब देना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है।

श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिल्पकारों को नये तौर से यह रामलीला करने की क्या जरूरत आ पड़ी ?

माननीय श्री लालबहादुर—क्यों उनको करने की इच्छा हुई यह कहना तो मुश्किल है लेकिन रामलीला एक स्थान में कई जगह भी हुआ करती हैं और अगर एक से ज्यादा करनी चाही तो कोई खास वजह नहीं है। न यही वजह है कि उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है।

श्री खूब सिंह—इस गांव में शिल्पकारों को रामलीला न करने का गवर्नमेंट का जो आर्डर निकाला गया है यह केवल एक साल के लिए है या आइंदा सालों के लिए भी मना कर दिया गया है ?

माननीय श्री लालबहादुर--इस संबंध में कोई खास हुक्म तो दिया नहीं गया। आखिरी वक्त में उन्होंने तय किया कि रामलीला करेंगे और दोनों पार्टियोंमें झगड़े का अंदेशा था इसलिए रोक लगाई गई।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दूसरी रामलीला हुई, उस स्थान पर कोई दंगा-फ़साद गांव में हुआ या नहीं?

माननीय श्री लालबहादुर--जी नहीं, चूंकि इंतजाम पहले से ही अधिकारियों ने वहां पर कर लिया था, इसलिए कोई दंगा-फ़साद वहां नहीं हुआ।

*५--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या यह सच है कि उसी समय बावजूद दफा १४४ लागू होने के कुछ सवर्ण जाति के हिन्दुओं ने रामलीला मनाई और उनके ऐसा करने में सरकार की ओर से कोई रोक नहीं डाली गई?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, क्योंकि रामलीला उक्त ग्राम में शुरू से ही होती चली आ रही थी और इस वर्ष भी धारा १४४ लगाने के पहिले ही आरम्भ हो चुकी थी। इसलिए उस पर रोक लगाने का सवाल नहीं उठा।

तहसील चकिया में बिसनपुरवा ग्राम सभा के सभापति का चुनाव

*६--श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चकिया की ग्राम सभा बिसनपुरवा के सभापति के चुनाव के संबंध में कोई झगड़ा सरकार के विचाराधीन है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां।

*७--श्री रामनन्दन सिंह--यदि हां, तो वह क्या है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मनोनीत-पत्र लेने तथा मतगणना में गलती हुई थी।

*८--श्री रामनन्दन सिंह--क्या इस संबंध में कोई तहक़ीक़ात भी हुई है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां।

*९--श्री रामनन्दन सिंह--यदि हां, तो जांच करने वालों ने क्या रिपोर्ट दी है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--गलती से चुनाव अफ़सरों ने एक पक्ष के मत दूसरे में गिन लिये थे और मनोनीत-पत्र नियम विरुद्ध लिये गये।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि चुनाव अफ़सरों ने जो गलती की जान बूझ कर की और एक पक्ष से कुछ ले लिया?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस तरह की पक्की खबर तो मेरे पास है नहीं।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि क्या फिर से वहां का चुनाव हुआ और उसका क्या नतीजा निकला?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा कि क्या-क्या चुनाव हुए और क्या-क्या नहीं हुए।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सभापति के पद के लिए उम्मीदवार कौन-कौन थे?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसके लिए भी नोटिस चाहूंगा।

रोडवेज के स्टेशन अफसरों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता

*१०--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज में कितने स्टेशन अफसर ग्रेजुएट हैं और कितने अन्डर ग्रेजुएट हैं ?

माननीय श्री लालबहादुर--६४ ग्रेजुएट और ६२ अन्डर ग्रेजुएट हैं।

श्री प्रयाग नारायण--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेशन आफिसर्स के लिये कोई क्वालीफिकेशंस हैं ?

माननीय श्री लालबहादुर--असिस्टेंट स्टेशन इन्चार्ज के लिये ग्रेजुएट का होना जरूरी है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ६२ अन्डर ग्रेजुएट स्टेशन इंचार्ज हैं उनको योग्यता से किसने मुक्त किया था ?

माननीय श्री लालबहादुर--शुरू में जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुला और उसमें नियुक्तियां हुईं तब कोई नियम शिक्षा का नहीं नियत था और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही लोगों को नियुक्त करते थे। बाद में चलकर यह नियम बन गया कि शिक्षा की क्या योग्यता हो और दूसरी बातों की क्या हो। इस लिए ये सब नियुक्तियां जो हैं उसके पहले की ही हैं।

*११--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जो स्टेशन अफसर रोडवेज में हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है ?

माननीय श्री लालबहादुर--स्टेशन इंचार्जों का चुनाव सेन्ट्रल एलेक्शन कमेटी द्वारा होता है और इनकी नियुक्ति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते हैं। इस कमेटी के बनने के पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही इनका चुनाव और इनकी नियुक्ति करते थे।

*१२--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--स्टेशन अफसर की नियुक्ति के लिए शिक्षा की न्यूनतम योग्यता का कहां तक होना अनिवार्य है ?

माननीय श्री लालबहादुर--स्टेशन इंचार्ज के लिए योग्यता बी० ए० की रखी गई है।

*१३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या शिक्षा की योग्यता के बन्धन से मुक्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

माननीय श्री लालबहादुर--विशेष परिस्थितियों में गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है।

* १४--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--ग्रेजुएट और अन्डर-ग्रेजुएट स्टेशन अफसर की सीनियारिटी (ज्येष्ठता) और जुनियारिटी (कनिष्ठता) का क्या नियम है ?

माननीय श्री लालबहादुर--स्टेशन इंचार्ज की सीनियारिटी उनकी नियुक्ति की तारीख पर निर्भर है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कायदा सीनियारिटी का बताया गया वह उन लोगों के लिए ही लागू है जिनको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है या उनके लिए भी लागू है जिनको कमिश्नर साहब ने पहले नियुक्त किया था ?

माननीय श्री लालबहादुर--काम करने में हमेशा शिक्षा और तालीम से ही योग्यता का फैसला करना ठीक नहीं हुआ करता। कभी-कभी यह भी होता है कि जो बी० ए० पास नहीं हैं या एम० ए० पास नहीं हैं वे बी० ए० और एम० ए० पास वालों से अपने अनुभव के आधार पर अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने साल, दो साल या तीन साल काम कर लिया है, जब उनकी सीनियारिटी का फैसला होगा तब यह नहीं देखा जायगा कि कौन बी० ए० है, कौन एफ० ए० और कौन इंट्रेंस है, बल्कि काम करके जो उन्होंने तजुर्बा हासिल किया है और उनका काम कैसा रहा है इसके आधार पर उनकी सीनियारिटी (ज्येष्टता) तय की जायगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या में यह समझूं कि यह जो प्रश्न संख्या १४ में जवाब दिया गया है उसमें यह बिलकुल तय नहीं है कि नियुक्ति में खाली सीनियारिटी देखी जायगी, बल्कि सीनियारिटी और योग्यता दोनों का लिहाज रखा जायगा?

माननीय श्री लालबहादुर--आम तौर पर सीनियारिटी के आधार पर तरक्कियां होती हैं लेकिन यह जरूर देखा जाता है अगर किसी आदमी का काम अच्छा नहीं है तो उनको तरक्की नहीं भी दी जाती है।

झांसी में प्याऊ के उद्घाटन के अवसर पर पुलिस द्वारा गोली का चलाया जाना

*१५--**श्री खुशवक्त राय**--क्या माननीय पुलिस मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अभी हाल में जो झांसी की पुलिस ने जनता पर गोली चलाई थी उसका क्या कारण था?

माननीय श्री लालबहादुर--कुछ लोगों ने बिना आज्ञा नई बाजार में एक प्याऊ बना दी थी। ७ अप्रैल, १९५१ ई० को कुछ लोगों ने उस प्याऊ का उद्घाटन जिलाधीश की १४४ की आज्ञा को तोड़ कर करने का प्रयत्न किया। भीड़ गैर कानूनी थी। उसे हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन लोगों की तरफ से ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। अफसरों और सिपाहियों को चोट भी आई। स्थिति जब काबू के बाहर मालूम हुई तब जिलाधीश ने गोली चलाने की आज्ञा दी।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्याऊ बन चुकी थी तब उसके उद्घाटन के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों शिकायत पैदा हुई?

माननीय श्री लालबहादुर--चूंकि प्याऊ गैर कानूनी तरीके पर बनी थी, इसलिए उसके संबंध में और आगे किसी कार्य की इजाजत देना नहीं चाहते थे।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्घाटन का सवाल तब पैदा हुआ जब वहां की जनता ने एक मीटिंग कर ली?

माननीय श्री लालबहादुर--मीटिंग तो उद्घाटन से थोड़ा पहले की गयी लेकिन अधिकारियों ने उनको इस बात को अच्छी तरह से समझा दिया था कि १४४ लग जायगी और आप उस प्याऊ के सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और अधिकारियों को यह उम्मीद दिलाई गयी थी कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। उसके बाद भी यह उद्घाटन की कार्रवाई करने की कोशिश की गई।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इजाजत दी थी या नहीं?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, दी थी, लेकिन जहां १४४ लगाई गई थी उसके बाहर।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर मीटिंग करने की इजाजत दी गयी थी वह प्याऊ से सिर्फ २०० गज दूर जगह थी?

माननीय श्री लालबहादुर--मेरे ख्याल में २०० गज की बात तो सही न होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा जहां १४४ लगी हुई थी उसके बाहर उन्होंने इजाजत दी थी।

श्री रामकुमार शास्त्री--जब ईंटे, ढेले फेंके जा रहे थे पुलिस अफसरों के ऊपर तो उस घटनास्थल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौजूद थे?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस पियाऊ के सिलसिले में गोली चलाई गयी और ईंटें फेंकी गई वह रात को गिरा कर हमवार कर दिया गया?

माननीय श्री लालबहादुर--उस रात वह गिराया नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह गिरा दिया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उसको किसने गिरवाया ?

माननीय श्री लालबहादुर--म्युनिसिपल बोर्ड के कहने पर। चूंकि वह प्याऊ का मामला उनके अधिकार में था और वह चीज गैरकानूनी बनी थी, इसलिए म्युनिसिपल बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त की कि उसको हटा दिया जाना चाहिए और तब वह हटा दी गई।

* १६--श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि उक्त गोली चलाने के कारण कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने मारे गये ?

माननीय श्री लालबहादुर--तीन व्यक्ति मारे गये और १० घायल हुए।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना में जो व्यक्ति मारे गये हैं उनके वारिसों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने को कोई बात सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

माननीय श्री लालबहादुर--जी नहीं, इस नाते तो नहीं है। कोई अगर और प्राइवेट तरीके से इंतजाम हो उस पर सोचा जा रहा है या शायद किया भी जा रहा है ?

* १७--श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि उक्त गोली चलाने के बाद झांसी की जनता ने यह मांग की कि उक्त गोली चलाने के संबंध में खुली जांच की जाय ?

* १८--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलायेंगे कि जांच की मांग सरकार ने स्वीकार की या नहीं ?

माननीय श्री लालबहादुर--सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आयी। परन्तु कुछ लोगों ने जांच के लिए कहा था।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी के एक माननीय सदस्य ने इस बात की मांग की थी कि वहां पब्लिक जांच कराई जाय ?

माननीय श्री लालबहादुर--ऐसी पब्लिक जांच की कोई मांग नहीं की गई थी। श्री धुलेकर की तरफ से एक तार आया था कि इस मामले की देखभाल इस गवर्नमेंट को करनी चाहिए।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार की मांग जांच कराने के लिए श्री धुलेकर जी ने की थी वैसी जांच कराई गई या नहीं ?

माननीय श्री लालबहादुर--वैसी भी करायी और उससे ज्यादा भी।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलाएंगे कि जांच कराने के लिए कुछ लोगों ने सरकार से याचना की थी, उन कुछ लोगों में कौन कौन से लोग थे ?

माननीय श्री लालबहादुर--इतना ब्यौरा बताना कठिन है।

श्री ऐजाज रसूल--क्या यह सही है कि पुलिस मंत्री भी इसकी तहकीकात करने गये थे ?

माननीय श्री लालबहादुर--तहकीकात करने के लिए नहीं गया था। लेकिन मैं झांसी गया था। मैंने वहां के व्यक्तियों और अधिकारियों से बातचीत की।

* १९—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह भी बतलायेंगे कि इस संबंध में माननीय स्वशासन मंत्री ने कोई जांच की है और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है ?

माननीय श्री लालबहादुर—माननीय स्वशासन मंत्री वहां गये लेकिन उन्होंने कोई नियमित जांच नहीं की। वहां वे लोगों से मिले और स्थिति को समझ कर लोगों को आवश्यक सलाह दी तथा अधिकारियों को भी आदेश दिये।

श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री वहां गये थे और उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसके बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट सरकार को दी ?

माननीय श्री लालबहादुर—उसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पुलिस के गोली चलाने के पहले वहां टियर गैस का इस्तेमाल किया गया मजमे को मुंतशिर करने के लिए ?

माननीय श्री लालबहादुर—टियर गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे ठीक इस वक्त मालूम भी नहीं है। मैं समझता हूं कि वहां टियर गैस का इन्तजाम भी नहीं है। लेकिन मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां टियर गैस का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता, क्योंकि सब के ऊपर एकसां असर हो जाता। बहुत तंग बाजार और ऊंचे ऊंचे मकानात थे जहां यह वाकया हुआ।

मेहतरों को सुविधायें देने के लिये सरकारी आदेश

*२०—श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने अपनी सिफारिशों सहित प्रस्ताव नं० ४४८६/११—७१३—४६ स्थानीय संस्थाओं में काम करने वाले मेहतरों को सुविधायें दिये जाने के लिए गत १९ अगस्त, सन् १९४७ ई० के गजट में प्रकाशित किया था ? यदि उत्तर हां में हो तो वे सुविधायें किस माह से दिये जाने को थीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जी हां, सिफारिश नं० १० को छोड़ कर जो निर्धारित स्केल के अनुसार वेतन देने के विषय में थी, अन्य सभी सुविधायें तुरन्त दी जाने को थीं। सिफारिश नं० १०, १ अक्टूबर, १९४७ से लागू होने को थी।

* २१—श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उपरोक्त जी० ओ० में प्रत्येक श्रेणी के म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के मेहतर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने की भी सिफारिश की थी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जी हां।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिन म्युनिसिपैलिटियों ने सरकार की इस आज्ञा का उल्लंघन किया है उन पर सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जिन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है और समय पर कार्यवाही नहीं की उनको बार बार तकाजा करके उस पर अमल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

* २२—श्री भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं और नोटिफाइड एरियाओं के नाम जिन्होंने अपने यहां के मेहतर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने की सिफारिश को माना, देने की कृपा करेंगी, और यह भी बतायेगी कि उन स्थानीय संस्थाओं का वार्षिक व्यय वेतन-वृद्धि के कारण कितना कितना बढ़ गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न २०—२२ श्रीमती प्रकाशवती सूद ने पूछे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस संबंध में स्थानीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त की जा रही है।

फतेहपुर में वाटर वर्क्स की योजना

* २३--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि फतेहपुर शहर में पम्प योजना वाटर वर्क्स न होने के कारण जनता को बड़ा कष्ट है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां।

* २४--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह बात ठीक है कि जब जब स्वशासन मंत्री फतेहपुर पधारे मान पत्रों में जो उन्हें अर्पित किये गये अथवा जबानी उनसे इस बात की प्रार्थना की गयी कि फतेहपुर शहर में वाटर वर्क्स खोला जावे, तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से बचन दिया कि फतेहपुर में तुरन्त सरकार की ओर से वाटर वर्क्स खोला जायगा ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह ठीक है कि जब स्वशासन मंत्री फतेहपुर गये तो उनके सामने उस नगर में लोगों को पानी मिलने की कठिनाई का प्रश्न रखा गया और मंत्री ने इस संबंध में कहा कि उस नगर के लिए जलकल की योजना को सरकार सहानुभूति की दृष्टि से देखेगी और जो कुछ सहायता हो सकेगी, करेगी। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि मंत्री ने किसी समय भी सरकार की ओर से जल योजना तुरन्त खोलने का वचन दिया था।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने आश्वासन की बात कही है वह अपनी याद से कही है या इसका रेकार्ड (अभिलेख) मौजूद है उसकी बिना पर यह बात कही गई है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, मैं अपनी याददाश्त से बतला रहा हूं और माननीय सदस्य भी समझ जायंगे कि जलकल योजना के तुरंत शुरू हो जाने की बात को कोई भी विचारवान व्यक्ति इस तरह का वायदा नहीं कर सकता है।

* २५--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह बात ठीक है कि सरकार की मांग के अनुसार फतेहपुर म्युनिसिपैलिटियों ने भी ११ हजार रुपये सरकार को दिये और सरकार ने भी १४ हजार रुपये मंजूर किये और काम शुरू भी किया, किन्तु अधूरा काम छोड़कर समस्त कर्मचारी और मिस्त्री चले गये ? यदि उत्तर हां में है, तो इसका क्या कारण है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--फतेहपुर नगरपालिका ने ११,००० रु० जलकल योजना बनाने के लिए चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ की फीस जमा की थी और यह जिसकी लागत ७,३५,९०० रु० होगी स्टेट हेल्थ बोर्ड से स्वीकृत हो चुकी है और स्टेट हेल्थ बोर्ड ने १४,००० रु० का अनुदान एक नलकूप बनाने के लिए दिया है। कुआं बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है और भूमि तल से १४० फीट नीचे तक बोरिंग हो चुकी है। इस स्थान पर बहुत कड़ी कंकरीली मिट्टी की तह पाई गयी है। इसको काटने के लिए आवश्यक औजारों के अभाव होने से बोरिंग का कार्य पूर्ण करने में कुछ बिलम्ब हुआ है। मेसर्स रिलायबुल वाटर सप्लाई सर्विस से उनकी बोरिंग रिंग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया; परन्तु उनकी बोरिंग रिंग खाली नहीं है। कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए दूसरा प्रबंध किया जा रहा है।

* २६--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--इस योजना में कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है और सरकार ग्रांट अथवा कर्ज के रूप में कितना देने को तैयार है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २३--२६ श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जलकल योजना की अनुमानित लागत ७,३५,९०० रु० होगी। आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार इस समय अनुदान देने में असमर्थ है। नगरपालिका ने इस योजना के लिए आठ लाख रुपये का ऋण मांगा है। सरकार उसके प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

गोंडा जिला बोर्ड के सेक्रेटरी का बहाल किया जाना

*२७--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, गोंडा के सेक्रेटरी को सरकार ने बहाल किया?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड के सेक्रेटरी को कब और किन कारणों से अलग किया गया था और बहाल करते समय सरकार ने क्या कारण देखे?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसमें उनके ऊपर विशेष चार्ज (आरोप) यह था कि उन्होंने अपने कम्पाउन्ड के सूखे दरख्तों को कटवाकर अपने इस्तेमाल में ले लिया था और बाकी को नीलाम करके पैसा बोर्ड में जमा कर दिया था। एक कारण तो यह था मैं सब बातें तो इस समय नहीं बतला सकता हूं। लेकिन दूसरा कारण यह था कि उन्होंने इंटेरिम रकम ले ली, जिसके वह उसके एंटायटिल्ड (अधिकारी) नहीं थे यह बाद में साबित हुआ रिलीफ की। इतनी बड़ी तनख्वाह पाने पर भी उन्होंने इंटेरिम रिलीफ लने का प्रयत्न किया। सरकार को जांच से मालूम हुआ किस तरह की लकड़ी को वहां के सब गवर्नमेंट आफिशियल्स इस्तेमाल करते हैं और उसी रिवाज के अनुसार उन्होंने किया। यह बात भी उन्होंने कही कि जितनी जरूरत पड़ी उतनी इस्तेमाल करके बाकी लकड़ी का रुपया नीलाम करके दाखिल कर दिया। इसमें उनकी बदनीयती नहीं मालूम हुई।

दूसरी चीज जो उन्होंने किया था वह यह था कि उन्होंने कायदे के अनुसार करने का प्रयत्न किया था लेकिन उनको इतनी तेजी नहीं करनी चाहिये थी। इसलिये सरकार ने उचित समझा कि इनको बहाल तो कर दिया जाय लेकिन इस बीच की पूरी रकम इनको न दी जाय, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस (आंशिक उपेक्षा) है और सीरियस नेगलीजेंस (गंभीर उपेक्षा) है। यह बात साफ है।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बहाली के पूर्व जिनको मुअत्तल किया गया था या बरखास्त किया गया था उन्हें जिला बोर्ड के प्रधान ने मुअत्तल या बरखास्त किया था या जिला बोर्ड ने?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसके लिये मैं नोटिस चाहूंगा, मुझे याद नहीं है।

*२८--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उन सेक्रेटरी साहब ने कब से काम करना शुरू किया?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सेक्रेटरी ने तारीख ३ जुलाई, सन् १९५१ को अपने पद का चार्ज लिया।

नोट--तारांकित प्रश्न २७--२८ श्री खानचन्द गौतम तथा २९ श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी यूनियन में श्री गोलवालकर का भाषण

*२९--श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में श्री गोलवालकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन में भाषण के अवसर पर कुछ झगड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप पुलिस की मौजूदगी में २२ विद्यार्थी घायल हुए ?

माननीय श्री लालबहादुर--७ मार्च को प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों के दो दलों में दो बार मारपीट हुई। पहली बार श्री गोलवालकर के भाषण देने के लिये आने से पूर्व और दूसरी बार उनके भाषण के शुरू होने पर। इनमें कुल २४ विद्यार्थी घायल हुए। पहली मारपीट के शुरू होते ही कुलपति ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही सिटी मैजिस्ट्रेट और सिटी डी० एस० पी० जो कि निकट ही कर्नलगंज थाने में ठहरे हुए थे पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे पर उनके पहुंचने तक मारपीट बन्द हो गयी थी। दूसरी मारपीट के समय पुलिस मौजूद थी और उसकी सहायता से बिगड़ती हुई स्थिति काबू में आयी।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में यह दो दल इसलिये हो गये थे कि कुछ विद्यार्थी यह चाहते थे कि श्री गोलवालकर जी का भाषण हो और कुछ नहीं चाहते थे।

माननीय श्री लालबहादुर--जी नहीं, दल तो वहां पहले से ही था। सिर्फ गोलवालकर जी के आने से या उसके भाषण देने से पूर्व नहीं बने थे।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री गोलवालकर जी के आने पर झगड़ा होगा इसकी सूचना कुलपति जी को कब मिली ?

माननीय श्री लालबहादुर--यह तो कुलपति जी ही जानें कि उनको कब सूचना थी लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है जब उन्होंने पुलिस को इत्तिला दी उस समय या उससे थोड़ी देर के पहिले ही उनको अन्देशा हुआ कि झगड़ा हो जायगा।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े के संबंध में वही लड़के रस्टीकेट भी किये गये थे जिनको चोटें आयीं ?

माननीय श्री लालबहादुर--इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को होगी, क्योंकि यह उन्हीं का काम है।

अतारांकित प्रश्न

अवध के जिला बोर्डों को सरकारी सहायता

१--श्री बलदेव प्रसाद--क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपा करके एक ऐसा नकशा मेज पर रक्खेंगे जिससे यह सूचना मिल सके कि अवध के अन्दर सन् १९४५ ई० से १९५० ई० तक प्रत्येक जिला बोर्ड को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी सहायता और किस किस रूप में मिली ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--निम्नांकित नक्शे से ज्ञात होगा कि सन् १९४५ ई० से १९५० ई० तक अवध के जिला बोर्डों को कुल कितनी सहायता किस किस रूप में सरकार द्वारा दी गई--

	१९४५–४६	१९४६–४७	१७४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१–शिक्षा ..	८१,५५,८४१	११,२२,४२०	१,२४,७६,९५०	३४,३५,४७१	२८,२२,५७०
२–चिकित्सा	७,१७,५८३	५,९७,३३५	४,३६,६१६	४०,७२८	८७,४२१
३–स्वास्थ्य ..	३०,०६०	३०,७३७	४४,१२६	..	..
४–यातायात ..	२२,१०,९८०	४,१४,८३४	४,७८,८६७	३२,२३०	२,३०,१३६
५– विविध घाटों से आमदनी मंहगाई, जुर्माना इत्यादि ..	२९,३७,७३५	३६,४३,०३५	४०,४२४	३,७४,४०९	४,०८,०७२

२—**श्री बलदेव प्रसाद**—क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी प्रारंभिक स्कूलों तथा सड़कों के जिला बोर्डों के हवाले हो जाने पर, उनके रख-रखाव के लिए अवध के हर जिला बोर्ड को सरकार की ओर से दोनों मदों में कितनी-कितनी सहायता प्राप्त होती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—अवध में सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के जिला बोर्डों के हवाले हो जाने पर उनके प्रबंध के हेतु सरकार ने हर जिला बोर्ड को सन् १९५०–५१ में निम्नलिखित सहायता प्रदान की —

क्रम संख्या	नाम जिला बोर्ड	सहायता
		रु०
१	लखनऊ	९१,५१०
२	उन्नाव	१,०२,५००
३	राय बरेली	१,०४,२४०
४	सीतापुर	१,०५,१४०
५	हरदोई	९९,७००
६	खेरी	१,०४,६००
७	फैजाबाद	१,३८,२१०
८	गोंडा	१,१२,२७०
९	बहराइच	१,१९,०६०
१०	सुल्तानपुर	१,१०,०६०
११	प्रतापगढ़	१,१०,८२०
१२	बाराबंकी	१,०५,४४०

इन स्कूलों के प्रबंध के हेतु सन् १९५१–५२ में दी जाने वाली सहायता का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

जिला बोर्डों के हवाले की हुई सड़कों के प्रबंध के हेतु सरकार ने जिला बोर्डों को अभी कोई सहायता नहीं दी है किन्तु वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अवध की ग्राम पंचायतों को सरकारी सहायता

३--**श्री बलदेव प्रसाद**--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अवध के अन्दर प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायतों को उनके शुरू होने से लेकर सन् १९५० ई० तक प्रति वर्ष किस किस रूप में और क्या-क्या सहायता प्रदान की ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--शासन ने अवध के अन्दर प्रत्येक जिले में गांव पंचायतों को उनको आरम्भ होने से लेकर सन् १९५० ई० तक विशेषकर आर्थिक सहायता दी है। उनको प्रति वर्ष जो आर्थिक सहायता जिस रूप में दी गयी है उसका जिलेवार ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०७ पर)

बख्शी का तालाब तथा इटौंजा के हलकों में चोरियां और कत्ल

४--**श्री गजाधर प्रसाद**--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत १ जून, सन १९५० ई० से २८ फरवरी, सन् १९५१ ई० तक हरिजन विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक केन्द्र बख्शी तालाब के हवाई अड्डे के हलके तथा इटौंजा इलाके में कितनी चोरियां, कितने कत्ल और कितने डाके पड़े।

माननीय श्री लालबहादुर--सरकार को सूचना मिली है कि हरिजन सहायक केन्द्र बख्शी तालाब की ओर से तथा इटौंजा इलाके से गत १ जून सन् १९५० ई० से २८ फरवरी सन् ५१ ई० तक कत्ल, डकैती और चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

बख्शी तालाब के औद्योगिक केन्द्र के शिक्षार्थियों द्वारा थाने में रिपोर्ट

५--**श्री गजाधर प्रसाद**--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक केन्द्र बख्शी तालाब, जिला लखनऊ के शिक्षार्थियों ने तथा वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने केन्द्र के खुलने से अब तक संबंधित थाने में कितनी बार और किस-किस प्रकार की रिपोर्टें कीं ?

माननीय श्री लालबहादुर--मौडियावां थाने में केवल दो रिपोर्टें लिखाई गई जो भारतीय दंड विधान की धारा ३२३ के अन्तर्गत थी।

६--**श्री गजाधर प्रसाद**--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त हलके के थानेदार ने उन रिपोर्टों के बारे में क्या-क्या कार्यवाहियां कीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर--चूंकि उपरोक्त दोनों रिपोर्टें गैर दस्तन्दाजी (non-cognizable) थीं और स्थानीय पुलिस देखभाल के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि भविष्य में शांति भंग की कोई संभावना नहीं है, इसलिये उन रिपोर्टों पर कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी गयी।

७--**श्री गजाधर प्रसाद**--क्या यह सत्य है कि कई बार वहां के शिक्षार्थी मारे गये, लूटे गये तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट केन्द्र के घर में चोरी हो गई ?

माननीय श्री लालबहादुर--न तो सुपरिटेंडेन्ट के घर में किसी ने चोरी की और न किसी शिक्षार्थी के लूटे जाने की इत्तला थाने पर लिखाई गई। केवल शिक्षार्थियों के मारे-पीटे जाने की दो रिपोर्टें, जिनका जिक्र प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में कर दिया गया है, लिखाई गई।

८--१०--**श्री गजाधर प्रसाद**--[इन प्रश्नों के उत्तर के लिये ३० अगस्त, सन् १९५१ ई० की कार्यवाही में ५--७ तक के प्रश्नों का उत्तर देखिए।]

दरोगाओं की सुपरिंटेन्डेंट के पद पर उन्नति

११--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट हैं जो पहिले दारोगा थे?

माननीय श्री लालबहादुर--जिलों के चार्ज में जो सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस सब-इन्स्पेक्टर आदि से उन्नति करके आये हैं उनकी संख्या १२ है।

सी० आई० डी० विभाग में कर्मचारी

१२--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--उत्तर प्रदेश में सी० आई० डी० विभाग में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं?

माननीय श्री लालबहादुर--इस प्रश्न का उत्तर देना जन-हित में उचित न होगा।

देहातों में डकैतियां

१३--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--क्या जनवरी, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश के देहातों में चोरी से डकैतियों की संख्या अधिक थी? यदि हां, तो कितनी?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बिना सूचना दिये पाकिस्तान जाने वाले पुलिस कर्मचारी

१४--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--जनवरी, सन् १९५१ ई० से पुलिस विभाग के कितने कर्मचारी पाकिस्तान बिला सूचना दिये चले गए?

माननीय श्री लालबहादुर--१ जनवरी से ३० जून, १९५१ तक २४ पुलिस कर्मचारी बिना सूचना दिये पाकिस्तान गये।

[बुधवार, ५ सितम्बर, सन् १९५१ ई० के लिये निर्धारित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१--२--श्री त्रिलोकी सिंह--[स्थगित किये गये।]

भीख मांगने वालों के लिये योजना

*३--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भीख मांगने वालों के संबंध में कोई स्कीम उनके पास आयी है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस संबंध में सरकार ने एक कमेटी बैठायी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है और कोई स्कीम सरकार के पास नहीं आयी है।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय स्वायत्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बैठायी गयी थी और इसकी रिपोर्ट सरकार के पास कब आई?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं समझता हूं कि यह कमेटी करीब साल डेढ़ साल हुए तब बैठाई गई थी और उसकी रिपोर्ट ५, ६ महीने हुए तब आई।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार अभी इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये कितना समय और लेना चाहती है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अभी अधिक समय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पूवर हाउसेज के संबंध में अभी रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं है। अभी विडोज होम

(विधवाश्रम) और आफनेज (अनाथालय) के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है। इसलिए उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरे फाइनेंस (वित्त) का सवाल है कि इसको कैसे फाइनेंस किया जाय। इस दृष्टि से भी विचार हो रहा है। इसलिये ४, ६ महीने इसमें लगेंगे।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट आने पर उत्तर प्रदेश में भिखमंगों की संख्या कितनी है यह मालूम हो चुका है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी नहीं।

*४--**श्री त्रिलोकी सिंह**--यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिला बोर्ड में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का कोआपशन

* ५--**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड गोंडा में पिछड़ी जाति के आधार पर किस व्यक्ति का कोआपशन किया गया है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पिछड़ी जाति के आधार पर किसी का कोआपशन नहीं किया गया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार से कोई आदेश जिला बोर्ड को इस आशय का जारी हुआ कि कम से कम कोआपशन में पिछड़ी जाति का एक सदस्य जरूर लिया जाय?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सरकार ने यह इच्छा तो प्रदर्शित की थी कि वह ऐसा करें लेकिन कानूनी तौर से सरकार को यह अधिकार नहीं था। सरकार ने बाध्य नहीं किया कि वे ऐसा करें लेकिन इंस्ट्रक्शंस इश्यु (अनुदेश जारी) किये थे जिनने। माना वह ठीक है लेकिन कानूनीतौर से लाजिमी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए लाजिमी नहीं किया गया।

* ६--**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**--जिन व्यक्ति का कोआपशन किया गया है वे किस जाति के हैं और वे किस पद पर हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--निम्नलिखित पांच व्यक्तियों का कोआ-पशन किया गया है और उनकी जाति तथा पद उनके सामने अंकित है--

क्रम सं० नाम सदस्य		जाति		पद
१--श्रीमती विद्यावती सिनहा	..	कायस्थ	.	कोई पद नहीं।
२--श्रीमती सरस्वती देवी	..	वैश्य	..	कोई पद नहीं।
३--श्री मोहन सिंह	..	सिक्ख	..	कोई पद नहीं।
४--श्री शान्ति प्रसाद शुक्ल	..	ब्राह्मण	..	सीनियर वाइस प्रेसीडेंट।
५--श्री बल्देव प्रसाद सैलानी	..	कायस्थ	..	कोई पद नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री शान्ति प्रसाद शुक्ल और श्री बल्देव प्रसाद सैलानी को किस आधार पर कोआप्ट किया गया है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझते ही होंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जिस तरह के प्रश्न यहां पूछे जाते हैं वैसे ही वहां भी पूछे जा सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--सरकार ने जो इंस्ट्रक्शंस जिला बोर्ड के नाम जारी किये हैं क्या इस बात का जानने की कोशिश की है कि किन किन ने उसको माना और किन किन ने उनको नहीं माना ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सरकार यह समझती है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं साधारणतया उसके आधार पर अमल किया जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर पूछा जाता है। माननीय सदस्य ने शिकायत की है, इसलिए मैं जरूर पूछूंगा कि किन उसूलों पर उन्होंने कोआप्ट किया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जो जिला बोर्ड इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करती है या करने का उसको अधिकार है ?

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य शायद कोआप्शन के संबंध में पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री कह चुके हैं कि उनको कानूनी अख्तियार है, लेकिन कानून से मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। वह मानें चाहे न मानें।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो आदेश सरकार के द्वारा जिला बोर्डों को दिये गये थे उनमें यह हिदायत थी कि जिन जातियों और जिन वर्गों का समावेश बोर्डों में नहीं हुआ है उनके नुमायन्दे लेने का प्रयत्न किया जाय ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मुझे उसके शब्द तो याद नहीं थे लेकिन माननीय सदस्य ने याद दिलाया है तो उसमें इस तरह की चेष्टा जरूर थी कि जो वर्ग उसमें नहीं आये हैं उनको प्रथम स्थान दिया जाय।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उसमें कोई पिछड़ी जाति के संबंध में आदेश नहीं था कि वे ही लिये जायं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मेरे पास उस आर्डर की नकल तो इस वक्त नहीं है, लेकिन एक साधारण सिद्धान्त उनको बता दिया गया कि उनमें से लिये जायं। उसका मतलब यही है कि पिछड़ी जाति के लोग जो पहले नहीं थे वे लिये जायं। मैं माननीय सदस्य को इत्तला के लिए बताना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के कई सज्जन आ चुके हैं।

* ७-९--श्री वंशगोपाल--[स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा जिले की ग्राम सभाओं को आर्थिक सहायता

* १०--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने गत वर्ष अल्मोड़ा जिले के ग्राम सभाओं को कुछ आर्थिक सहायता दी थी ? यदि हां, तो कितनी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--गत वर्ष अल्मोड़ा जिले की गांव सभाओं के लिए शासन ने ४०,००० रुपये का सहायक अनुदान दिया था।

* ११--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या यह आर्थिक सहायता अल्मोड़ा जिले के पट्टी मल्ला तल्ला, रीठागाढ़ तथा पट्टी खरही ग्राम सभाओं को भी दी गयी थी ? यदि हां, तो वास्तव में यह धन किस को दिया गया और किसने खर्च किया ?

*१२--क्या यह रुपया खर्च करने का अधिकार ग्राम सभाओं के सभापतियों को है या ग्राम पंचायत को ? यदि ग्राम पंचायतों को, तो क्या ग्राम पंचायतों से इस धन के खर्च करने की अनुमति ली गई ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूचना मंगाई गई है।

पंचायती अदालतों द्वारा दन्ड के रूप में वसूल किया गया रुपया

*१३--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायती अदालत जो रुपया दंड के फलस्वरूप लेती है, उसे वह कहां जमा करती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पंचायत अदालत जो रुपया दंड के फलस्वरूप लेती है, उस को वह शासन द्वारा स्वीकृत जिला पंचायत अधिकारी के वैयक्तिक लेखे (Personal Ledger Account) में जमा करती हैं।

*१४--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पट्टी मल्ला तल्ला, रीठागाड़ो, खरही के अदालती पंचायतों ने गत वर्ष कितना कितना रुपया दंड के फलस्वरूप लिया और वह रुपया कहां जमा किया गया ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस प्रश्न के उत्तर के लिए सामग्री एकत्र की जा रही है।

*१५--१९--राजा वीरेन्द्र शाह--[स्थगित किये गये।]

*२०--२४--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--[स्थगित किये गये।]

*२५--२८--श्री खुशीराम--[स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में पब्लिक व प्राइवेट कैरियर के परमिट

*२९--श्री खुशवक्त राय--[माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न ३७, जिसका अन्तःकालीन उत्तर १३ जून, १९५० ई० को दिया गया था।]

(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर में आर्थिक वर्ष १९४७-४८, १९४८-४९ व १९४९-५० में कितने पब्लिक व प्राइवेट कैरियर के रूट परमिट दिये गये ?

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन्हें उपरोक्त रूट परमिट दिये गये, उनके नाम तथा योग्यताएं क्या थीं ?

(ग) क्या उपरोक्त रूट परमिट पाने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति राजनीतिक पीड़ित थे ?

माननीय श्री लालबहादुर--

(क) जिला सुल्तानपुर के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना निम्नलिखित है--

		पब्लिक कैरियर	प्राइवेट कैरियर
१९४७-४८	..	९	१
१९४८-४९	..	..	१
१९४९-५०	..	८	१

(ख) जिनको उपरोक्त परमिट दिये गये उनके नाम और योग्यतायें निम्नलिखित हैं:-

१९४७--४८

१--श्री राम सुन्दर शुक्ल	..	आपको कोआपरेटिव सोसाइटी, सुल्तानपुर के लिए नमक ढोने का अस्थायी पब्लिक कैरियर परमिट दिया गया।
२--श्री मुहम्मद उमर खां	..	सरकारी बसें चलने के कारण सवारी गाड़ी के बदले में पब्लिक कैरियर परमिट दिया गया।
३--श्री महावीर सिंह		
४--श्री रामदुलारे पान्डे	..	ट्रांसपोर्ट [यातायात] की सुविधा की दृष्टि से परमिट दिया गया।
५--श्री भूवन राम		
६--श्री मधुसूदन दास	..	

७—श्री बसुदेव सेठ ८—श्री रामनारायण शुक्ल	शरणार्थी के रूप में। बाद में रद्द कर दिये गये।
९—श्री लाल सिंह ..	रिफ्यूजी मोटर आपरेटर होने के हेतु परमिट दिया गया।
१०—श्रीमती कलावती देवी	निजी कार्य के लिए तीन माह के लिए प्राइवेट कैरियर परमिट दिया गया।

१९४८—४९

११—श्री नोजिम हुसैन ..	खांडसारी, चीनी, तेल तथा आटा ढोने के लिए प्राइवेट कैरियर परमिट दिया गया।

१९४९–५०

१—श्री जानमुहम्मद २—श्री अब्दुल गफ्फार ३—श्री मुहम्मद मोती	रोडवेज़ की बसें चलने के कारण अस्थायी पब्लिक कैरियर परमिट दिया गया।
४—श्री गुरु प्रसाद सिंह श्री भगवती प्रसाद श्री लेख प्रसाद श्री बलभ श्री शिवचरण	राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया।
५—श्री राम बहादुर सिंह श्री गिरिराज सिंह श्री रामनाथ सिंह श्री गुरुदीन पान्डे श्री इन्द्रपाल सिंह	राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया।
६—श्री रामसम्भार सिंह श्री गुरकरन दास श्री नौकर हरिजन श्री भवानी भीख श्री सुख दीन	राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया।
७—श्री राममिलन सिंह श्री गाजीदीन गुप्ता श्री रामनरेश शर्मा श्री भगेलू राम श्री रघुनाथ सिंह	राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया।
८—श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी श्री हरनरायण चौधरी श्री रमजान अली श्री सूरज पाल सिंह	राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया।
९—श्री राम अवध ऐन्ड सन्स ..	निर्माण कार्य के लिए प्राइवेट कैरियर परमिट दिया गया।

(ग) सूचना ऊपर दी गई है।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण विधेयक (क्रमागत)

माननीय श्री सैयद अली जहीर न्याय मंत्री--जनाब सदर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर मेम्बर्स प्रीवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५१ [सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण जैसा कि विधेयक], वह सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५१ ई० के तीसरे वाचन में भाग लेने में मुझे बड़ा संकोच है और उस संकोच का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस रूप में यह विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था, करीब करीब उसी रूप में इसका आज तीसरा वाचन हो रहा है । अनेक बातें इस संबंध में कही गयीं । सम्भवतः बहुत कम ऐसी बातें हैं जो कहनी चाहिए थीं और नहीं कही गयीं । इसलिए मुझे और भी संकोच होता है कि कहीं मैं इस बात का दोषी न हो जाऊं कि उन्हीं बातों को जो यहां विवाद के सिलसिले में पिछले तीन दिनों के अन्दर कही जा चुकी हैं उन्हें दोहरा दूं । एक बात इस सिलसिले में और उत्पन्न हुई, और उसके लिये श्रीमान् मैं माननीय न्याय मंत्री का बहुत मशकूर हूं । माननीय न्याय मंत्री जी ने विरोधी दल के सदस्यों का, इधर बैठने वालों का ध्यान उनके कर्त्तव्यों की ओर दिलाया और कुछ ऐसी सलाह दी कि इससे इस विधेयक पर विचार करने में ज्यादा सुविधा होती । मुझे अफसोस है कि उनको ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि इस तरफ के बैठने वाले केवल इस भावना से प्रेरित हुए हैं कि वे रोड़े और अडंगे इस विधेयक के पारित होने में लगायें ।

इस विधान सभा के सामने कई प्रकार के लेजिस्लेशन, (विधान) उपस्थित होते हैं । कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो कि निर्विवाद होते हैं, जिनके इख्तिलाफ की गुंजायश बहुत कम होती है और मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा होना चाहिए था जिसमें इख्तिलाफ की गुंजायश नहीं पैदा होती । जब कभी भी इस प्रकार के विधेयक किसी असेम्बली या पार्लियामेंट में उपस्थित हुए हैं तो वहां पर इस बात की कोशिश की गयी है उन लोगों की तरफ से, पेश करने वालों की तरफ से कि सर्व सम्मति से बिल स्वीकार हो या बहुत विवाद की गुंजायश न हो और ऐसे विधेयक को बहुमत से पारित किया जाय । मेरा ख्याल यह था और मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि जहां मेम्बरों के डिस्कवालिफिकेशन (अनर्हता) के दूर करने का प्रश्न हो तो उससे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिये । चुनाव होते हैं, चुनाव के नियम बनते हैं । डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) होती है उसके भी नियम बनते हैं लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के नियम हों या न हों इसमें विवाद की गुंजायश, मैं समझता हूं, यह हमारे लिये अफसोस की बात है और नम्रतापूर्वक मेरे दिल में जो ख्याल है वह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी बहुत अंश में सरकार की है। कारण यह है कि हमारे देश के संविधान में इस बात की गुंजायश रखी गई है कि यदि कोई विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य एक आफिस आफ प्राफिट मंजूर कर लेता है तो वह इस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यह गुंजायश संविधान में रखी हुई है और इसके साथ साथ यह भी रखा हुआ है कि विधान परिषद् या विधान सभा को इस बात का अधिकार है कि वह यह तय करे कि कौन कौन पद आफिस आफ प्राफिट नहीं होंगे।

लेकिन सवाल यह है कि यह प्रश्न उठा कैसे और किसने उठाया और कितने दिन से। एक साल से अधिक हो गया, यह प्रश्न जनता के सामने है। श्रीमन्, एक सन्देहजनक उत्तर हमारी सरकार की तरफ से दिया गया। मैं यह अर्ज करता हूं कि सरकार के पास ला डिपार्टमेंट है, एडवोकेट (विधि विभाग) जनरल है, लीगल रिमेम्बरेंसर है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं और खुद हमारे न्याय मंत्री भी हाई कोर्ट में मशहूर और मारूफ वकील हैं। वे कितने कंयूज्ड (भ्रान्त) हैं। पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि—

"It is hereby declared that the following offices of profit shall not disqualify......"

[अतः प्रख्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित लाभ के पदों से अनर्हता नहीं होगी...]

यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया जो बिल लाई थी उस सिलसिले में पार्लियामेंट के सामने उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ आफिस आफ प्राफिट हैं जो डिस्क्वालिफाइड नहीं रहते। बरअक्स इसके हमारे यहां यह है कि जो बिल हमारा है वह यह कहता है कि

"Whereas doubts have been expressed regarding offices hereinafter mentioned being offices of profit... ..

[इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं...]

लेकिन आज तक यह सरकार एक बिल तो ले आई लेकिन यह तय नहीं कर सकी कि कौन कौन से आफिस आफ प्राफिट हैं या नहीं। लेजिस्लेशन की पूरी हिस्ट्री में, हाउस आफ कामन्स में, इंडियन पार्लियामेंट में मैंने देखने की कोशिश की कि कहीं इस शक्ल में कोई विधेयक पास हुआ है या नहीं। पहले आप इस शक को दूर करते। मेरे कहने का मंशा यह है कि आप इस पर गौर करें।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)—यह तो उसमें दिया हुआ है।

श्री त्रिलोकी सिंह—यह तो मैंने पढ़ कर सुनाया था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो बिल है उसके मुताबिक ही इसको नहीं बनाया गया है। उस में तो साफ साफ कहा गया है कि "फालोइंग आफिसेज आफ प्राफिट"। [निम्नलिखित लाभ के पद] यह साफ तौर पर उस बिल के अन्दर है, लेकिन हमारे यहां काबिल लोगों के रहते हुये भी हमारे दिल में यह शुबहा है कि कौन से आफिस आफ प्राफिट हैं और कौन से नहीं है। तो अगर विरोधी दल के लोगों के दिल में यह शुबहा पैदा होना जाहिर सी बात है। हमारे लिये यह मुमकिन भी नहीं है कि ऐसे ऐसे काबिल आदमियों की जैसे कि इस प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं, उनकी किसी कानूनी मामले में राय हासिल कर सकें। मुझे अफसोस है कि इस तरह के कनफ्यूजन (संभ्रम) की जिम्मेदारी सरकार की है और इसी वजह से और भी ज्यादा अफसोस है कि सरकार ने इस कनफ्यूजन को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टे उसको बढ़ाने की ही कोशिश की है जब विरोधी दल की तरफ से हमने कहा कि विधान सभा के और विधान परिषद् के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो आफिस आफ प्राफिट होल्ड (लाभ का पद धारण) करते हैं या जिन्होंने किया है। क्या सरकार आज ईमानदारी से

[श्री त्रिलोकी सिंह]

समझती है कि जितने भी सदस्य यहां हैं उन सबने कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड (लाभ का पद धारण) किया है और अगर किया है तो वह हिम्मत के साथ कहें और माननीय निर्माण मंत्री हिम्मत के साथ खड़े होकर कहें कि किया है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो पहले ही कह चुका।

श्री त्रिलोकी सिंह--माफ करेंगे, अगर वह पहले ही कह चुके हैं। लेकिन सरकार को इस फेक्ट (तथ्य) को शुबहे पर मबनी करना नहीं चाहिये था, बल्कि साफ-साफ कहना चाहिये था कि जुमला मेम्बर साहबान ने फलां फलां ओहदे क़बूल किये हैं और इन इन कमेटियों में फायदा उठाया है और इस कानून की फलां फलां धारा के अनुसार वह डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) के सबजैक्ट हो गये और उनको इस विधेयक के द्वारा सरकार रिमूव (दूर) करना चाहती है। लेकिन गलत चीजों का करना तो इस सरकार का शेवा है और उनको उसके करने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं है। मेरा संकोच तो यही है कि इस गवर्नमेंट में कोई सुननेवाला ही नहीं है। उस की तरफ से जिद और हठधर्मी की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्ज निकालिये। किस तरह से वहां इतनी बहस हुई है और कहां सरकार ने वह चीज अख्तियार की है कि जो यहां इस सरकार ने अख्तियार की है। शुबहे की बिना पर आप इस आदरणीय सदन के तमाम सदस्यों को अपनी गलतियों को छिपाने के लिये खींचना चाहते हैं। मैं यह बात मानता हूं कि ईमानदारों से भी गलती हो सकती है और मैं यह भी मानता हूं कि इस आदरणीय सदन का कोई भी सदस्य इच्छुक नहीं था कि वह इन ३ या ४ महीनों में जो बाकी रह गये हैं, कोई किसी तरह का नाजायज फायदा उठाये कि जो उसको कानून की रू से न उठाना चाहिये। अगर ऐसी बात है तो सवाल सीधा सादा एक ही रह जाता है कि कुछ लोगों को जिनको संविधान के अन्तर्गत अख्तियार हासिल नहीं था या कानूनी इजाजत नहीं थी कि वह कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड कर सकें उनके लिये ऐसा किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं और मेरी यह धारणा है कि अगर गलत बात कहता हूं तो माननीय न्याय मंत्री जी मुझे सही कर दें कि जिन माननीय सदस्यों ने इस आदरणीय सदन के या विधान परिषद् के जिन सदस्यों ने कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड किया है उन्होंने कोई ख्वाहिश इस तरह की जाहिर न की होगी, बल्कि जिन जिन को काम दिया गया है वह सरकार ही ने अपनी तरफ से दिया है। सरकार ने ऐसी भूल की, इसका मुझे अफसोस है और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर है कि सरकार अपनी भूल पर अब पुरजिद है और कहती है कि हमने भूल नहीं की। मैं जानता हूं कि ऐसे मौके अन्य देशों में और दूसरे लेजिस्लेचर्स (विधान मंडलों) में आये हैं जब कि भूल से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों की सेहत करने के लिये विधेयक लाये गये और उन को पारित कराया गया, लेकिन यहां कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तो स्पैसीफाई (स्पष्ट) कर दिया है कि किस तारीख को यह आफिस आफ प्राफिट क्रियेट (लाभ के पद का निर्माण) हुआ, यह नियुक्ति हुई और फलां तारीख को यह आफिस खत्म हुआ। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं--

"The offices of Chairman and Members of the Fiscal Commission which was appointed by the Government of India in the month of April 1949 and which ceased to function in the month of June 1950."

[उस राजकोषीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद, जिसकी नियुक्ति भारत-सरकार ने १९४९ के अप्रैल में की थी और जिसने १९५० जून को कृत्य करना बन्द कर दिया था।]

मुझे मालूम है कि एक मामले पर महामान्य राज्यपाल को दरख्वास्त दी गई। साढ़े चार महीने हो गये हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने उस पर सरकार से रिपोर्ट मांगी और सरकार उस कागज पर बैठी हुई है। मैंने इलेक्शन कमिश्नर साहेब से दरियाफ्त किया, क्योंकि कंस्टीटयूशन में उनसे पूछना लाजिमी है। मेरे पास महामान्य राज्यपाल के दस्तखत मौजूद हैं कि उनके पास दरख्वास्त भेजी गई। इलैक्शन कमिश्नर फरमाते हैं कि उनके पास दरख्वास्त नहीं पहुंची। हुआ यह कि वह सरकार के दफ्तर में आकर लोप हो गई। तो फिर इस सरकार पर सन्देह न किया जाय तो दुनिया में और किस पर किया जाय? मेरी तो कोशिश थी और ख्वाहिश थी और मैंने बहुत सोचा कि इस विधेयक को किसी भी तरह से सपोर्ट (समर्थन) कर सकूं। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौजूदा हालत में, जिस रूप में यह विधेयक पेश है, उसमें मैं इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। आफिस आफ प्राफिट इतना पेचीदा फिकरा है कि इसकी परिभाषा करना कोई आसान बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है कि सरकार इस तरह का यह स्वीपिंग बिल (सर्वव्यापी विधेयक) पेश कर दे कि यह नहीं होना चाहिये, और वह नहीं होना चाहिये। तमाम डिसक्वालीफीकेशन्स का जो संविधान के अन्दर मकसद था वह खत्म हो गया। अगर कभी कोई सन्देह की बात सरकार के सामने आती तो उसे दुरुस्त कराने के लिये सरकार यहां विधेयक पेश करती, लेकिन एक जरा से सन्देह पर उन्होंने यह सब कर डाला। मुझे अन्देशा है कि अगर इस तरह के २/३ विधेयक और आ गये और यह मिसाल कायम हो गई तो शायद इस प्रदेश की सरकार के लिये यह मुमकिन होगा कि माननीय सदस्यों में से किसी को भी कोई आफिस वह दे दे और उस पर किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं होगी।

हाउस आफ कामन्स का क्या दस्तूर है? वहां यही नहीं कि विलायत में कोई काम आदमी ले ले बल्कि अगर कोई आफिस अन्डर दी क्राउन ऐक्सेप्ट करे (क्राउन के अधीन कोई पद स्वीकार करे) तो वह भी डिसक्वालीफिकेशन में आ जाता है। यहां तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं है। यहां सरकार हमको कोई काम देती है और उस सिलसिले में जो खर्चा होता है उसको हम ही वोट करते हैं, बजट मंजूर करते हैं, और हम ही उसे ले लें, यह नहीं होना चाहिये। इस आदरणीय सदन का काम यह नहीं है कि वह बजट में प्रोवाइड (उपबंध) करके कुछ सदस्यों का पेट भर ले। हमारा काम है कि हम राज्य का काम चलाने के लिये रुपया लायें और उसे खर्च करें। मैं फिर दोहराता हूं कि यदि भूल में, इनऐडवर्टेंस (असावधानता) में कोई काम हो तो उसकी माफी होती है। लेकिन यहां भूल को एक कानूनी रूप देते हैं और यह चाहते हैं कि दूसरे यह समझें कि यह भूल नहीं, बल्कि जो काम किया गया वह बहुत जायज और सही काम किया गया। इसलिये मैं तो माननीय न्याय मंत्री से यह बहुत नम्रतापूर्वक कहने की जुर्रत करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें और मैं उनसे कहता हूं कि यदि वह ऐसा विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने लायें, जिसमें पुरानी जितनी भूलें हुई हैं, उनको माफी दी जाय, उनको जायज करार दिया जाय कानून के द्वारा, जो नुक्स है उसे दूर किया जाय, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन पुरानी भूलों को ठीक करने के सिलसिले में, उनके कानूनी नकायस को दूर करने के सिलसिले में आयन्दा इस बात की इजाजत कि वह ऐसा ही करते रहें, यह

[श्री त्रिलोकी सिंह]

बात बहुत खतरनाक है और मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के मत के बिलकुल विपरीत है।

यह कहा जा सकता है कि इस विधयक की जिन्दगी तो ३, ४, ५ महीने की है। लेकिन श्रीमन्, ३, ४, ५ महीने की बात नहीं है। एक बार जब ऐसा विधेयक इस आदरणीय सदन से पारित हो जायगा तो वह आयन्दा के लिये मिसाल बन जायगी और फिर आयन्दा बजाय इससे कि जो लम्बी फेहरिस्त इसमें रखी गयी हैं उसमें कोई काटछांट हो, उल्टे उसमें कुछ इजाफा किया जायगा कि यह भी इसमें जोड़ दिया जाय। इसलिये मैं तो उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें और इसको मानकर इस आदरणीय सदन के सामने एक ऐसा विधेयक लायें जिसके जरिये से जितनी भी भूलें इस सिलसिले में हुई हैं उन सब में जो क़ानूनी अड़ंगा है उसे दूर किया जाय। लेकिन आयन्दा के लिये ऐसा न करें और यदि ऐसा करना मुनासिब समझते हैं कुछ स्पेसिफिक आफिसेज (विशिष्ट पदों) के लिये तो वे बिल में बिलकुल साफ साफ लिखे होने चाहियें। यह नहीं होना चाहिये कि जो चाहें सो कर दें। मुझे बड़ा अफसोस मालूम होता है, श्रीमन् कि अगर ग़ौर किया जाय कि इस सदन की हैसियत क्या है और क्यों इस तरह की रोक लगायी गयी जाने दीजिये, यह तो असेम्बली है यू० पी० की, ज़रा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट को पढ़ लीजिये, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को पढ़ लीजिये, टाउन एरियाज ऐक्ट को पढ़ लीजिये, वहां भी मुमानियत है कि अगर कोई मेम्बर है तो उसका रिश्तेदार ठेका नहीं ले सकता, उसको नौकरी नहीं दी जा सकती, कोई नाजायज फायदा वहां से नहीं उठा सकता। और नाजायज शब्द का लाना तो मेरी भूल है, कोई जायज फायदा भी नहीं उठा सकता। ठेका लेना कोई नाजायज बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसका बाप उस म्युनिसिपलिटी का मेम्बर है, इसलिये वह वहां ठेका नहीं ले सकता। इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के लिये भी यह रोक है कि कोई आफिसेज आफ प्राफिट इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य सरकार के अन्तर्गत न होल्ड करें। तो यह अब सरकार ने कर दिया, भूल से कर दिया। लेकिन आप इसको भी तो देखें कि भावना क्या है। लोग यह समझते हैं कि इस आदरणीय सदन के सदस्य चुने हुये व्यक्ति हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है, वे घोषणापत्र निकालते हैं, प्रतिज्ञायें करते हैं और वे यह कहते हैं कि हम वहां जाकर अवैतनिक, बिना किसी मुआविजे के अपने कांस्टीटुएंट्स (निर्वाचक गण) को सर्व (सेवा) करेंगे। अब उसके बाद यदि ऐसी सूरत पैदा हो और वे किसी रूप में मुआविजा ले लें, वह चाहे एक पैसा हो या सौ रुपये हों, इसका सवाल नहीं है। माननीय न्याय मंत्री की तरफ से कहा गया था कि कोई ज्यादा फायदा नहीं उठाया गया, मैं कहता हूं इसमें ज्यादा और कम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं जानता हूं कि जिन माननीय सदस्यों से आपने काम लिया है और अगर दस रुपये उनको दिये हैं तो वह काम हजार रुपये देने से भी नहीं बन सकता था, लेकिन इसका कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस प्रदेश की सरकार के लिये यह मुमकिन हो सकेगा कि वह इस आदरणीय सदन के सदस्यों को कोई ऐसा मुनाफा भी दे सकें जो कि उनके हाथ की चीज हो।

मैं नहीं चाहता हूं श्रीमन, कि इस आदरणीय सदन के कोई सदस्य सरकार की गिफ्ट (भेंट) पर कोई आफिस होल्ड करें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की शान के खिलाफ वह बात है और इस आदरणीय सदन की प्रथाओं के खिलाफ यह बात है कि जो सदस्य जनता से चुन कर आया है वह सरकार से कोई गिफ्ट (भेंट) ले ले। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। दूसरे देशों में ऐसे सदनों के सदस्य कर्ज नहीं ले सकते, तकावी नहीं ले सकते, ग्रांट नहीं ले सकते, ठेका नहीं

ले सकते, नौकरी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कौन बनाता है यह आदरणीय सदन बनाता है, गवर्नमेंट जिसको आंसरेबिल और रिस्पांसिबिल (उत्तरदायी) है आदरणीय सदन को आंसरेबिल और रिस्पांसिबिल है। तो ऐसी हालत में सरकार के लिये यह मुमकिन होगा कि वह इस आदरणीय सदन के सदस्यों के साथ रियायत का बर्ताव कर सके और उनको किसी ओहदे पर बैठा सके। यह चीज प्रजातन्त्र की बुनियाद को काटने वाली बात है और, श्रीमन्, मुझे इसमें सब से बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ यही है। जनता आदरणीय सदन के सदस्यों से यह उम्मीद करती है कि वे वहां जाकर अवैतनिक, आनरेरी पद को स्वीकार करेंगे और वहां जाकर सरकार के अन्तर्गत कोई ओहदा स्वीकार नहीं करेंगे। इस आदरणीय सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि सरकार के लिये यह मुमकिन न हो कि इस आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य को कोई ओहदा दे सके। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत वजाहत के साथ यह बात अर्ज कर दी। हमारे आदरणीय सदन की चलन ऐसी होनी चाहिये कि वह दूसरों के लिये बायसे मिसाल हो। हमारी चलन से दूसरे इबरत हासिल करें, उससे लेसन (शिक्षा) हासिल करें।

आप देखें कि एक ठेकेदार हाउस आफ कामन्स का मेम्बर हो गया और हाउस आफ कामन्स का मेम्बर ठेकेदार नहीं हो सकता। किसी ने श्रीमन्, उनके नामिनेशन पेपर (नाम निर्देशन पत्र) पर एतराज नहीं किया जब कि एलेक्शन हुआ और संभवतः उनको भी मालूम नहीं था। वह मेम्बर हो गये और डिसक्वालीफाई (अनर्ह) होते हैं। वह क्या करते हैं, उनके आचरण की बात देखें। वह स्पीकर महोदय की सेवा में दरख्वास्त देते हैं कि श्रीमन् मैं ठेकेदार था, किसी ने मेरे नामिनेशन पर एतराज नहीं किया और मैं एलेक्ट हो गया, अब आप यह फरमायें कि हम कैसे इस आदरणीय भवन में जाकर बैठें और हम डिसक्वालीफाइड हैं और रिटर्निंग आफिसर ने हमको एलेक्ट कर दिया। स्पीकर महोदय ने क्या किया? एक कमेटी एप्वाइंट (नियत) कर दी, कमेटी को मामला सुपुर्द हुआ। कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि चूंकि एलेक्शन पेटीशन का वक्त निकल गया इसलिये चुनाव रद्द नहीं हो सकता इसलिये इसको आफिस आफ प्राफिट स्टुअर्डशिप ग्रांट कर दी जाय चिल्टन हंडरेड्स की और तब डिसक्वालीफाई कर दिया जाय। ये दस्तूर हैं, ये संसदीय प्रथायें हैं और कोई आजाद मुल्क इन्हीं प्रथाओं पर काम कर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से नहीं कि अगर कोई गल्ती हो तो उस पर पर्दा डाला जाय और बजाय इसके कि वह भूल मानी जाय उस पर इसरार किया जाय। मैं एक मिसाल और अर्ज करना चाहता हूं। सर सैमुअल होर एक नामी गरामी आदमी हुये हैं जिनका हिन्दुस्तान से काफी वास्ता रहा है। वह पार्लियामेंट के मेम्बर थे और एक फर्म के पार्टनर थे। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ चांदी खरीदी और चांदी को उस दूकान से खरीदा जिसके हिस्सेदार, शरीकदार सर सेमुअल होर साहब थे। सर सैमुअल होर से कोई वास्ता नहीं था उस ठेके से, और न उनको कोई इल्म था उस चांदी की खरीद से। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि उस फर्म से चांदी खरीदी गयी है, फौरन उन्होंने दरख्वास्त दी स्पीकर महोदय के पास कि सरकार को इस फर्म से चांदी दी गयी है और हम इस के हिस्सेदार हैं। आप फरमाइये कि हम क्या करें। स्पीकर महोदय ने एक कमेटी अप्वाइंट की और श्रीमन्, मैं यह आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि वह मामला प्रीवी कौंसिल को रिफर (निर्दिष्ट) किया गया। यह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमको नहीं बतलाया गया कि ऐडवोकेट जेनरल की क्या राय है। आपके ऐडवोकेट जेनरल हैं, उनकी राय हमारे सामने पेश होनी चाहिये थी कि आफिस आफ प्राफिट के बारे में उनका क्या मत है और जो यहां संदेह उत्पन्न किये गये हैं उनके सिलसिले में उन्होंने क्या मशविरा दिया। हाउस आफ कामन्स को देखिये कि उन्होंने प्रीवी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

कौंसिल को मामला रिफर किया और प्रीवी कौंसिल ने रिपोर्ट दी कि डिसक्वालिफिकेशन उन्होंने अक्वायर (अर्जित) कर लिया और वह हाउस आफ कामन्स के मेम्बर नहीं रह सकते। चुनांचे वह मेम्बरी से अलहदा कर दिये गये और एक रिट इशू (लेख निर्गत) कर दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी मौका है आप सोचें, ग़ौर करें और ग़ौर करने के बाद बजाय इस विधेयक के आप यदि दूसरा विधेयक इस रूप में लायें कि अब तक जितनी भूलें हुई हैं उनको माफी दी जाय तो हम उसे खुशी के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--क्या मशविरा, मैं समझा नहीं।

श्री त्रिलोकी सिंह--मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी भाषा में बोलता हूं जो हमारे माननीय मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब की समझ में नहीं आती। मुझे वह माफ फरमायेंगे और श्रीमन्, जो बात मैंने पहले अर्ज की थी वह मैं फिर दोहरा देता हूं। माननीय न्याय मंत्री से, मुहकमा इंसाफ के जरिये से मैंने यह गुजारिश की थी कि अगर वह इस बिल को इस शक्ल में पेश करें कि जितनी भी भूलें हुई हैं, जहां जहां ऐसे आफिसेज आफ प्राफिट इस सदन के मेम्बर साहबान ने होल्ड (धारण) किये हैं, वह जायज क़रार दिये जायं, तो मैं उसकी ताईद करूंगा और बजाय तीन दिन की बहस के वह चन्द मिनटों में इस आरणीय सदन से पारित हो जायगा जहां तक कि इस तरफ के बैठने वालों का सवाल है। मैं नहीं जानता कि इस सिलसिले में उधर के बैठने वाले क्या उज्र पेश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप हिम्मत करके और एक मुस्तहकम राय कायम करके उसे लाइये। माननीय निर्माण मंत्री खुद भी एक काबिल वकील रहे हैं और बहुत दिनों तक जस्टिस का पोर्टफोलियो भी उन्होंने होल्ड किया है। उनके मुंह से यह चीज शोभा नहीं देती है कि शुबहा है। शुबहा के ऊपर नहीं कानून बना करते हैं। जब तक प्वाइन्ट आफ आर्डर माननीय निर्माण मंत्री पेश न करें या पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वैयक्तिक स्पष्टीकरण) न पेश करने वाले हों तब तक मेरा हक है कि मैं अपनी बात करता रहूं। मैं यह कह रहा था कि चार दिन की बहस के बाद भी सरकार का शुबहा कायम है और जब उनका शुबहा कायम है तो जाहिर है कि हमारे शुबहा के दूर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे यह कहने का हक़ है कि संविधान की जो धारा रखी गयी है आफिस आफ प्राफिट के सिलसिले में डिसक्वालिफिकेशन की, वह बहुत सोच-समझकर रखी गयी है और उस धारा के साथ हम खेलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सरकार से मैं यह फिर श्रीमन् आपके द्वारा सानुरोध और दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वह ऐसी खराब मिसाल न कायम करें बल्कि जो कुछ भी हो गया है उसकी अगर वह तलाफी चाहें तो हम उसके लिये तैयार हैं। लेकिन यदि वह यह चाहते हैं कि आइन्दा सरकार को इस बात की गुंजायश कर दी जाय कि वह ऐसे ऐसे आफिसेज आफ प्राफिट क्रिएट करती रहे और उस पर कोई रोक न लगे तो हम उस पर समर्थन करने के लिए अपने को बेबस पाते हैं। मैंने कल भी यह जिक्र किया था और श्रीमन्, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी की थी और मैंने इस सिलसिले में यह कोशिश की थी कि किसी मेम्बर ने कोई आफिस ऐक्सेप्ट (स्वीकृत) किया हो मैं उसका दोषी सरकार को ठहराता हूं। सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उसने वह आफिस किसी मेम्बर के सुपुर्द किया और उस दोष को दूर करने के लिये सरकार का फर्ज है कि वह उन मेम्बरान की सफाई के लिये ऐसा विधेयक लाये जिससे उनकी पूरी सफाई हो जाय। यह इम्प्रेशन (धारणा) नहीं होनी चाहिये कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने

कोई याचना की थी और सरकार उसको बख्शने जा रही है। दरअसल तो सरकार ने एक काम किसी माननीय सदस्य के सुपुर्द किया था। इसलिये सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह एक ऐसा विधेयक लाये और मंजूर कराने का प्रयत्न करे जिससे यह रुकावटें दूर हों।

इन शब्दों के साथ में आपका शुक्र गुजार हूं और माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला, आखिरी कोशिश इस बात की करना चाहता हूं कि त्रिलोकी सिंह साहब के मकसद को अच्छी तरह से समझ सकूं। एक सजेशन (सुझाव) उन्होंने दिया है। मैं उसको अब तक समझा नहीं और मैं शायद यह बदतमीजी नहीं करता कि उनकी तकरीर के दौरान में दखल देता। मगर मैंने वह उनकी बात समझने के लिये किया कि वह क्या कहते हैं और क्या मशविरा दे रहे हैं। इसलिये मैं उस वक्त मुत्फक्किर था कि मैं जनाब की वसातत से मालूम करूं कि क्या मतलब है। मैं अब भी यह देखता हूं कि मैं उनका वह इरशाद समझा नहीं कि किस किस्म का बिल वह तजवीज करके बतला रहे हैं कि गवर्नमेंट इस किस्म का बिल लाये। अगर वह मुझे उसकी डेफिनिट शेप (निश्चत रूप) बतला दें तो मैं उसके मुताल्लिक कोई जवाब अर्ज करूं या उसके तामील इरशाद के लिये अर्ज करूं कि उस काम को किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल इस सिलसिले में आपस में बातचीत कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह उसको फिर दोहरायें। कार्यवाही चलती रहे।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--हुजूरवाला, उस वक्त की बात तो अलहदा है जब कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस और लीडर आफ अपोजीशन आपस में समझ बूझ कर कोई चीज लायें, तो उस वक्त हाउस के बैठने वाले मेम्बरान अपने खयालात का इजहार करेंगे लेकिन इस वक्त जो बिल हमारे सामने है उस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि दो तीन दिन से जो तकरीरें मिनिस्टर साहब की जानिब से और ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से हो रही हैं उनके अन्दर कमोबेश यही इशारा और शिकायत की गयी है कि इस तरह के, अपोजीशन के बैठने वाले, बिल के ऊपर जो कुछ तकरीरें कर रहे हैं वह वक्त जाया किया जा रहा है और जरूरत से ज्यादा अहमियत इस बिल को दी जा रही है। इस सिलसिले में कि आया अपोजीशन के बैठने वाले मेम्बरान इस बिल को कोई गैर जरूरी अहमियत दे रहे हैं, उससे ज्यादा कह रहे हैं, जितना इस बिल के सिलसिले में कहना जरूरी था, मैं जनाबवाला की इजाजत से मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के एक दो जुज मुख्तसिर तौर पर पढ़ना चाहूंगा। इस सिलसिले में, मेज जो पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सिलसिले में इस तरफ से और ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोट किया जाता है, उसने इस सिलसिले में क्या कहा है। मे का कमेंट यह है कि--

"The compatibility of office-holding, especially office-holding from or under the Crown with membership of the House of Commons is subject of great constitutional importance involving in particular the question of the relations between the Commons and the Crown. The matter is one which has been an important parliamentary issue during the past 400 years and is still the subject of frequent legislation."

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]

[पद धारण की अविरुद्धता और विशेषरूप से ऐसा पद धारण जो क्राउन से या क्राउन के अधीन हो और हाउस आफ कामन्स की सदस्यता के साथ हो, वह अत्यन्त वैधानिक महत्व का विषय है जिसमें विशेष रूप से कामन्स तथा क्राउन का संबंध समाविष्ट है। यह एक ऐसा विषय है जो गत ४०० वर्षों के बीच महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का वाद विन्दु रहा है और जो अब भी बहुधा विधान-निर्माण का विषय है।]

आगे चल कर इसी सिलसिले में एक सेलेक्ट कमेटी जो एलेक्शन के सिलसिले में ४५ में बैठी थी उसके पैरा ५ में तहरीर है जिसे इस सिलसिले में मैं निहायत रेलेवेंट (सुसगत) और जरूरी समझता हूं वह यह है --

"The principle underlying the conception of the disqualification of office-holders was the fear that the independence of the members of the Commons might be affected by dependence on the Crown. Today this principle is still of great importance in order to ensure that the House of Commons is a body acting without dependance on the executive or the government and it is easy to see that if the rule were abrogated the House might be filled with a large number of persons holding government posts and owing a duty to the executive to such an extent that their independence might be compromised."

[पदाधिकारियों की अनर्हता की भावना के सिद्धान्त के अन्तर्लीन यह भय था कि क्राउन पर निर्भरता का प्रभाव कामन्स के सदस्यों की स्वतन्त्रता पर पड़ सकता था। आज भी यह सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है यह विश्वास दिलाने के लिये कि हाउस आफ कामन्स एक ऐसी संस्था है जो कार्यपालिका तथा सरकार पर निर्भर नहीं है और यह मालूम करना सुगम है कि यदि नियम का निराकरण किया जाय तो सदन उन लोगों की बड़ी संख्या से भर जायगा जो सरकारी पदों पर हैं और जो इस हद तक कार्यपालिका के प्रति कर्तव्यशील हैं कि उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है।]

हुजूरवाला, यह मे के खयालात हैं जो उसने इस सिलसिले में जाहिर किये हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंटरी इंस्टीटयूशन तकरीबन सात सौ वर्षों से काम करता है और वहां अब इस बात की जरूरत स झी जाती है कि इस किस्म के काम जिसमें इग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) मेम्बरान हाउस की आजादी को अपने तरीकों से सल्व (हल) कर लें और उनकी आजादी खत्म हो जाय और वह तरीके इग्जीक्यूटिव (कार्य पालिका) के जिनसे डेमोक्रेसी खत्म हो जाय उन को आज भी वहां अहमियत दी जाती है और अजुम खयाल किया जाता है। बहरहाल, अपोजीशन की जानिब से यह कोशिश की गयी और निहायत कोशिश की गयी कि अमेंडमेंट (संशोधन) के जरिये से इस बिल को ऐसा बना दिया जाय जो ट्रेजरी बेंचेज और अपोजीशन दोनों को काबिले कबूल हो। मैं आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ से कभी इतनी ज्यादा बहस न होती अगर इसका ख्याल रखा जाता कि इस सिलसिले में सेन्टर में जो बिल लाया गया है उसमें और इस बिल में जो हमारे सामने इस वक्त जेरे बहस है कितना फर्क और तफाउट है। इस बिल के अन्दर स्कोप इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि हम लोग इस तरफ के बैठने वाले अपना फर्ज समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी बातों से रोकें जिससे इग्जीक्यूटिव हावी हो जाय और छा जाय तमाम मेम्बरान की आजादी के ऊपर और आइंदा हमारी इस स्टेट की असेम्बली के ऊपर बदनामी का धब्बा और दाग बन जाय जिससे उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जाय कि

उनका जमीर साफ नहीं है। हम इस तरफ के बैठने वाले लोग नहीं पसन्द करते कि इग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) अपने ढंग से अपने तरीक़ों से मेम्बरान असेम्बली की आजादी को साल्व (हल) कर ले जो उनको डेमोक्रेसी की तहत में मिली हुई है।

बहस के सिलसिले में जब लीडर आफ अपोजीशन तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने यह हवाला दिया कि जो फेहरिस्त हमें दी गयी है वह तमाम मेम्बरान की फेहरिस्त दी गयी है और उन्होंने यह जुमला इरशाद फरमाया कि हम तो यह समझते हैं कि एक किस्म का मजाक किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से हम से। मैं अपने भाई लीडर आफ अपोजीशन श्री त्रिलोकी सिंह जी से यह अर्ज करूंगा कि आप यह क्यों नहीं समझ लेते कि "मेरे शिकवा करने पर वह मुस्करायें, यहां तक तो पहुंचे यहां तक तो आये।" कम से कम उन्होंने एक फेहरिस्त तो मुहय्या कर दी और कम से कम आपकी बात समझने के लिये आपको याद तो फरमाया। मुमकिन है वह अपनी, हमारी और आपकी बात का खयाल करके एकोमोडेट कर सकें। यहां तक तो आयें। मैं समझता हूं कि अपोजीशन की यह बड़ी कामयाबी है कि गवर्नमेंट को यहां तक खींच लाये। अब यह दूसरी बात है कि आप उसको राजो नियाज का मौका दें कि इस बिल के अन्दर कोई ऐसी टैंजीबिल (अनुभाव्य) तरमीम हो जाय जो हाउस के सब मेम्बरान को काबिले कबूल हो।

हुजूरवाला, जो कुछ मुझे अर्ज करना है वह यह है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ शुबह है और इस सिलसिले के अन्दर गवर्नमेंट को यह खयाल पैदा हुआ कि कुछ मेम्बरान किसी गल्ती की वजह से या किसी शुबह की वजह से डिस्क्वालीफाइड न हो जायं तो कांस्टीटयूशन की दफा १९२ के अन्दर उसका इलाज बतलाया गया है कि ऐसे मामले आनरेबिल गवर्नर को रिफर कर दिये जायं। गवर्नमेंट का यह कहना कि यह गलती हो गई, फरोगुजाश्त हो गई तो इसको दुरुस्त कर ले और मेम्बरान इस जद में आते हों उनकी दफा १९२ के तेहत में डिस्क्वाली- फिकेशन दूर करा दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट का इसरार क्यों है? इतना बड़ा स्कोप गवर्नमेंट रखे कि मेबरान जो सिलेक्ट कमेटी में या एडवाइजरी कमेटी में बैठने वाले हैं उनके करेक्टर पर कोई दाग़ या धब्बा लगे और फिर आप उसको धोने के लिये तशरीफ लायें कि हम उनके दाग और धब्बों को धोना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ऐसी सूरत क्यों न अख्तियार करे जिससे धब्बा या दाग ही उनके दामन पर न पड़े। अपोजीशन की तरफ से ऐसी तरमीम पेश की गई थी जिसकी मंशा और गरज थी कि आप वह हिस्सा निकाल दें जो एडवायजर की हैसियत से, जो इमोल्यूमेंट्स (परिलाभ) वग़ैरह देने के सम्बन्ध में हैं, तब भी यह चीज काबिल क़बूल हो सकती थी अगर गवर्नमेंट इसको मंजूर फरमा लेती। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इसरार और तकाजा है कि जिस हालत में यह बिल है ख्वाह इसमें कितनी खराबियां क्यों न हों, वैसे ही पास हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अक्सरियत की इतनी बड़ी तादाद का गवर्नमेंट का इस तरह से फायदा उठाना बिलकुल ग़लत चीज है। इन अल्फाज़ के साथ मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं यह ऐतराज अपने ऊपर नहीं कराना चाहता हूं कि बिला किसी वजह से ज्यादा वक्त हाउस का लिया जाय। लेकिन मैं यह गुनाह समझता था कि इस मौक़े पर जब कि इस तरह से हुकूकों की तलाफी की जा रही है तो मैं खामोश बैठा रहूं। मेरी जिम्मेदारी थी कि अपने खयालात का इजहार मुख्तसरन गवर्नमेंट के सामने कर दूं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपोजीशन के लीडर से बात करने के बाद नरम होगी और अपनी पालिसी को इस सिलसिले में जरूर बदलेगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, यह एक छोटा सा बिल है जो इस ऐवान के सामने रखा गया है और बिल में जो बातें रखी गई हैं वह एक ऐसी नेचर की हैं कि जिन पर वाक़ई तौर पर कोई इख़्तिलाफ नहीं हो सकता। इस पर इस ऐवान में आज चार रोज से बहस हो रही है। कहां तक एक ऐसे बिल पर इतना वक्त सर्फ करना मौजूं हो सकता है इस तरफ जनाब के जरिये से ऐवान के मेम्बरान की तवज्जुह ही मब्जूल कराई जा सकती है। इस बिल के मुताल्लिक़ जब मैं तक़रीरें सुनता हूं तो बाज साहबान की निस्बत मुझको यह ख्याल होता है कि वे एक मुगालते में हैं और वे समझ नहीं रहे कि असल में यह बिल है क्या और कुछ साहबों की निस्बत यह ख्याल होता है कि वह समझ तो रहे हैं, लेकिन किसी वजह से उस मामले को जो उसकी जान है किसी और निगाह से देखते हैं, और इसलिये उससे इत्तिफाक़ नहीं करना चाहते। इस बिल का जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण) है उसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि यह बिल क्यों लाया गया। सिर्फ इसलिये लाया गया कि कुछ आफिसेज ऐसे हैं कि जिनका होल्ड करने वाला एक मेम्बर है तो वह मेम्बर उस आफिस को होल्ड करने की वजह से कांस्टीटयूशन के मुताबिक मेम्बरशिप से डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) हो गया कि नहीं। सिर्फ इतना ही सवाल है। मेरे दोस्त खुशवक्त राय साहब ने अपनी दो सिटिंग्ज (उपवेशनों) की तक़रीर में जो रोशनी डाली नहीं जा सकती उससे मैंने एक फायदा हासिल किया। उसकी बिना पर मैं इस ऐवान में पहले अर्ज कर चुका हूं कि आफिस आफ प्राफिट की कोई कट ऐंड राइट तारीफ की जाय कि जिससे कोई बार्डर लाइन कायम हो जाय और यह कहा जा सके कि किसी आफिस का आफिस आफ प्राफिट होना किस वक्त खत्म हो गया और इस तरह पर जो आफिस रहा वह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं।

मैं खुद तो इतना पढ़ा हुआ हूं नहीं, लेकिन जब अपने पढ़े हुये दोस्तों और काबिल लोगों की तक़रीरें सुनता हूं तो उनसे तो कुछ फायदा उठा ही सकता हूं और उससे इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वह भी अब तक अपनी तरफ से आफिस आफ प्राफिट की कोई ऐसी तारीफ नहीं कर सके जिससे कि आफिस आफ प्राफिट एक मखसूस चीज हो जाय कि वह न इससे ज्यादा लम्बा चौड़ा है और न गहरा ऊंचा है। अब स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में यह है कि गवर्नमेंट के सामने यह कानूनी मशविरा आया कि मसलन् एलेक्ट्रिसिटी कमेटी को मिनिस्टर ने कायम किया। उस पर कुछ मेम्बर इस ऐवान के कुछ इधर के और कुछ उधर के, काम करते हैं। तब उस वक्त अगर मैं यह सवाल करता हूं कि जो एलेक्ट्रिसिटी कमेटी पर मेम्बर्स काम कर रहे हैं आफिस आफ प्राफिट होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल १९१ के मुताबिक तारीफ में आता है तो उसका जवाब जो मुझे मिल सकता है वह यह है कि हां आता है। यकीनन कानूनी तारीफ में आता है और जितने कानूनदां साहबान बैठे होंगे या जो कानूनी मामलात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखते हों, नामुमकिन है वह न समझते होंगे जो सूरत है वह तो यही है और उसके सिवाय दूसरी नहीं हो सकती। तो फिर एक कानूनदां आदमी हरगिज यह नहीं कह सकता कि हाफिज साहब यह आफिस आफ प्राफिट होल्ड नहीं करते सिर्फ दो जवाब हो सकते हैं हां, या नहीं। तीसरा जवाब तो यही है कि वह कोई लाइन पेश करें जिसमें यह ख्याल हो सकता हो कि इसकी निस्बत यह कहा जा सकता है कि यह आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता हो या न करता हो, लेकिन हाफिज तुम फैसला कर दो कि आफिस आफ प्राफिट है या नहीं।

एक पोजीशन है दुनिया के अन्दर जो तमाम मसायल के मुताल्लिक और बिलखसूस कानून के मसले के मुताल्लिक़ है। तो मेरे दोस्त ने अभी इस ऐवान में फरमाया

कि यह गवर्नमेंट यह कानून लाती है शुबहों को दूर करने के लिये। अरे साहब दुनियां में जिस वक्त कानून के मानी पर शुबहात बयान किये गये हैं, केसेज हुये हैं हाई कोर्ट में जिनमें डाउट एक्सप्रेस (सन्देह व्यक्त) किया गया और उनको रिमूव करने के लिये बिल लाया गया। जिसके हुजूर स्पीकर हैं और यह खाकसार मेम्बर रहा है, इस ऐवान का मुझे अनुभव है। जमशेद अली खां साहब अगर कहते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि जरा लायब्रेरी में जाकर मुलाहिजा करें कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन ला कोर्टस ने जो डाउट्स एक्सप्रेस (सन्देह व्यक्त) किये गये थे उन पर किये थे। उनको दूर करके साफ कानून लाया गया और कहां नहीं लाया जाता और क्या दूसरी तदबीर है। मेरे दोस्त ने एक तदबीर बतलाई, लेकिन मैं समझता हूं मेरे दोस्त जिस दफा का हवाला देते हैं आर्टिकिल १९२ का उसके यह मानो हर्गिज नहीं। इसके मुताल्लिक यह अर्ज करूंगा कि जहां शक हो वहां उसे दूर करना बेहतर है या उसको बाकी रख लेना बेहतर है। कौन सी चीज बेहतर है यह इंसानों के दिमाग फैसला कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर कहीं डाउट रिमूवबिल (सन्देह निवार्य) है तो उसे दूर किया जाय या न किया जाय तो हर शख्स कहेगा कि उसको दूर करना चाहिये। मेरे दोस्त कहते हैं कि डाउट रिमूव करने के लिये कानून लाया गया। एक साहब कहते हैं कि डाउट है और दूसरे कहते हैं कि डाउट नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि आफिस आफ प्राफिट है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि आफिस आफ प्राफिट नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट कम्बख्त क्या करेगी। गवर्नमेंट के लिये कोई चारा नहीं है कि वह इस ऐवान के सामने आये और कहे, हुजूरवाला, कि आज यह जनता इस सूबे में जो है वह ऐसा कहती है, इस डाउट (सन्देह) को दूर कर दिया जाय। उसको दूर करने के लिये यहां कानून आयेगा दूसरे इस आर्टिकिल में वह भी अख्तियार दिया गया है कि जो साहब आफिस आफ प्राफिट पर बैठे हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशन को इनडेमनिफाई (परिहार) कर दिया जाय, उस डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) को प्रिवेन्ट कर (रोक) सकते हैं अगर वह पैदा हो गई है। दोनों बातें कर सकते है। यह अख्तियार इस आर्टिकिल में दिया गया है जिसको लेकर हम यहां आये। लेकिन इसको इतनी अहमियत दी गई कि इस एक प्वाइण्ट के ऊपर तीन दिन से मुसलसल बहस चारों तरफ से चली आ रही है। इतनी सी बात थी जिसको अफसाना कर दिया जाता। मेरे दोस्त ने शेर पढ़ कर सुनाये और दुनिया भर की बातें कह कर एक अफसाना बनाते जा रहे हैं। जमशेद अली साहब फरमा रहे थे कि शुबहा है कि आफिस आफ प्राफिट है या नहीं है तो यह आर्टिकिल १९२ से फायदा क्यों नहीं उठाते। कैसे उठावें। आर्टिकिल १९२ किसी मुश्तबा केस के लिये नहीं है। उसकी इबारत को पढ़िये और देखिये कि किस के लिये वह है। मुहम्मद इब्राहीम कहता है कि डिसक्वालिफिकेशन इनकर नहीं है और सम्पूर्णानन्द कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इनकर होती है, दोनों में डिस्प्यूट (झगड़ा) है जिसके लिये यह गवर्नमेंट यह कह कर यहां आई है कि इस चीज की निस्बत डाउट है कि वह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं है। लिहाजा उस शुबहे के खातिर हम यह करना चाहते हैं।

मेरे दोस्त भूल रहे थे। इस आर्टिकिल की जिसका हवाला वह देते हैं उसकी इबारत मैं पेश करता हूं और मेम्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह फैसला करें कि वह सही है या सही नहीं है। वह आर्टिकिल यह है—

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disquali-

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

fications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred to the decision of the Governor........"

[यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्य पाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायगा ...... ।]

जहां यह क्वेश्चन पैदा होता है कि डिसक्वालीफिकेशन (अनर्हता) इनकर हुई है और वहीं दूसरा यह कहने वाला हो कि यह इनकर नहीं हुई तो उसका फैसला गवर्नर करेगा। लेकिन इसमें यह सवाल नहीं है। इसमें तो मैं यह कहता हूं कि मेरा दिमाग इस बात का फैसला नहीं करता है, हो सकता है कि मैं नालायक होऊं, लेकिन मेरा दिमाग यह फैसला नहीं करता है कि परटीक्यूलर आफिस आफिस आफ प्राफिट (पद विशेष लाभ का विशेष पद) है या नहीं।

श्री ज्ञान चन्द्र गौतम---मैं इस चीज पर सख्त एतराज करता हूं। जिस तरह से किसी दूसरे सदस्य का माननीय मंत्री को नालायक कहना गैर मुनासिब है उसी तरह माननीय मंत्री भी अपने लिये नालायक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम---मैंने अपने लिये सिर्फ कहा ही नहीं है लेकिन मैं अपने आपको तो नालायक समझता ही हूं। हिन्दुस्तानी इखलाक के लिहाज से हर शख्श अपने आपको नालायक कह सकता है और यह चीज मुनासिब है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिकिल १९२ इसके लिये नहीं है। एक जगह है अगर एक शख्श कहता है कि वह आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) है और दूसरा कहता है कि आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) नहीं है, इसका फैसला करने के वास्ते गवर्नर साहब के पास जाने की जरूरत है। लेकिन जहां किसी किस्म का डाउट (सन्देह) पैदा हो जाता है, इसके लिये दुनिया भर में यही किया जाता है, वहां लेजिस्लेचर में उसको इसी तरह से दूर किया जाता है, यही तरकीब इसके करने को है और यही कांस्टीट्यूशन की भी सलाह है। इसीलिये यह कानून लाया गया है। अब एक सजेशन (सुझाव) यह आया था कि हम इस बिल को वापस ले लें और उसके एवज में दूसरा बिल लाने का सजेशन हमें दिया गया था। मैं उनकी जेनरोसिटी (उदारता) का बहुत मशकूर हूं कि एक भाई ने यह भी आफर (प्रस्ताव) किया कि वे बिल बना कर पेश कर देंगे। जैसा बिल वह बनाकर पेश करने वाले थे, मैंने बहुत चाहा कि मैं उससे कुछ फायदा उठा सकता, लेकिन मैं मजबूर रहा उस पर अमल करने में। मेरी और जनाब लीडर आफ अपोजीशन की बातचीत हुई, मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि अपनी कम समझी की वजह से मुझे अफसोस है कि मैं उसको नहीं समझ सका कि वह चीज काबिल अमल होगी और उसके जरिये से वह काम हो सकेगा कि जो काम इस ऐवान के समने है। मेरी गुजारिश करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो चीज जिस रोशनी में लाई गई है उसके मकसद को समझ कर, उसके मानी को समझ कर हमें उसके ऊपर एक ओपीनियन (राय) कायम करना चाहिये। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात है कि कुछ आदमियों की निस्बत मसलन जो इलेक्ट्रिसिटी कमेटी में है या एजूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति) में हैं, उनके मुताल्लिक यह तय नहीं हो सका कि वह आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) होल्ड कर रहे हैं या नहीं, कुछ की राय इस तरफ थी और कुछ की राय उस तरफ। तो जब हमारे कानूनी मुशीरों ने यह कहा कि यह चीज डाउटफुल (संदेहास्पद) है। हम यह नहीं कह सकते कि पक्की बात यह है, यह नहीं है और यह भी नहीं कह सकते कि यह सही है, यह गलत है तो मुझे मजबूरी है इन अल्फाज

के साथ में जनाबवाला, अर्ज करूंगा कि मेम्बरान ऐवान सिर्फ इतनी ही रोशनी के अन्दर इसको देखा करें तो इस चीज़ का खातमा हो। चार रोज बहस होते हुये हो गये और अभी तक इसका खातमा नहीं नजर आ रहा है।

इस ऐवान के सामने अभी और भी बहुत से काम मौजूद हैं जिनका करना जरूरी हैं। अब जनाब १ बजे उठ जायेंगे। इसलिये इसी सिलसिले में मैं एक और बात का जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे दोस्त नवाब जमशेद अली और राजा जगम्मन पुर ने आकर यह इरशाद फरमाया कि कल शाम तक ही असेम्बली हो ७ तारीख के बजाय। तो मैं सिर्फ यह इत्तला करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इसमें कोई एतराज नहीं है कि कल शाम तक असेम्बली हो और उसके बाद फिर १७ सितम्बर से शुरू हो और उसके बिजनेस (कार्य) के मुताल्लिक़ मैं शाम को अर्ज कर दूंगा।

श्री खुशवक्त राय--माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसी संबंध में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या माननीय निर्माण मंत्री जी उन आदमियों की फेहरिस्त दे सकते हैं जिनके बारे में शुबहा किया जाता है ?

माननीय अध्यक्ष--उन्होंने किसी आदमी पर शुबहा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यक़ीनन कुछ लोग ऐसे यहां रहे हैं।

श्री खुशवक्त राय--किसी के बारे में शुबहा हो तो उसकी फेहरिस्त मैं चाहता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, जो मैंने अर्ज किया था उसका कुछ खुलासा इस माने में अर्ज कर दूं कि मेरे दोस्त खुशवक्त राय जी की निस्बत शुबहा है। एलेक्ट्रिसिटी कमेटी जो बनायी गयी है उसके मेम्बरान की निस्बत मैंने कहा था और उसके मेम्बरान मेरे दोस्त भी हैं। ईरिगेशन कमेटी (सिंचाई समिति) के मेम्बरान भी मेरे दोस्त हैं।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, अब यह बिल इस मंजिल पर पहुंच गया है कि इसको मंजूर किया जाय या नहीं किया जाय। इसके कई पहलुओं पर मैं अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हूं और जिन चीजों को मैं पहले कह चुका हूं उनको दोहराऊंगा नहीं। अभी हमारे आनरेबिल मिनिस्टर हाफिज साहब ने यह कहा कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९१ के ताबीर में, उसके माने में, उसके मफहूम में कुछ दुश्वारी थी, उसके दो इंटर-प्रिटेशन (निर्वचन) हो सकते थे। इसलिये उसकी वजाहत के लिये यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब खुद अपनी तकरीर पर गौर करें और सोचें कि वे क्या कह गये तो उसके यह माने पैदा होते हैं कि यह एक मुस्तकिल ऐक्ट होगा और उस वक्त तक रहेगा जब तक कि आर्टिकिल १९१ कांस्टीट्यूशन का कायम रहेगा। अगर इसके यह माने हैं तो इसके कोई माने नहीं है कि ४, ५ महीने के लिये यह रहेगा। अगर ताबीर उसकी सही है तो कांस्टीट्यूशन (संविधान) में जब तक कि वह आर्टिकिल मौजूद है उस वक्त तक के लिये यह मौजूद है उस वक्त तक के लिये यह ऐक्ट परमानेंट (स्थायी) होना चाहिये। मगर उसी जानिब से यह कहा गया कि यह परमानेंट ऐक्ट नहीं है। तो मैं यह समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर ने, समझना तो दरकिनार, इसको सरसरी तौर पर पढ़ा भी नहीं है। यहां तो ऐसी दिक्कत पैदा हो गयी हैं जिनको रफा करने के लिये जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस ने फरमाया है यह बिल लाया गया है और उसकी लाइफ बहुत कम है। इसका मकसद यह है कि जो आपके फरोगुजाश्त हो गई हैं उनका अजाला किया जाय। जनाबवाला, जब यह कांस्टीट्यूशन बनाया गया तो यह समझा गया था कि इस पर अमल करना होगा, उसको अपने सामने रखकर चलायेंगे और कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल में जो जो हिदायतें हैं उसकी पूरी पाबन्दी

[श्री अब्दुल बाकी]

करेंगे। इस ऐक्ट के देखने से यह मालूम हुआ कि दरहकीकत में यह बिल मेम्बर्स के प्रोटेक्शन (संरक्षण) के लिये नहीं आया है, बल्कि इस कांस्टीट्यूशन के नाफिज होने के बाद २६ जनवरी सन् १९५० ई० से अभी तक जितनी गलत कार्यवाही हुई है उन पर परदा डालने के लिये यह बिल लाया गया है। इसके अलावा और कोई मकसद इस बिल का नहीं है। अपनी जगह पर यह सही है अगर गफलत में किसी गलतफहमी की वजह से गवर्नमेंट से कोई कार्रवाई हो गई है उसको कंडोन (परिमर्ज) करने के लिये है और कोई इसमें सेन्स (अर्थ) नहीं है। इसके कोई मायने नहीं हैं कि अगर गवर्नमेंट को नासमझी की वजह से कोई कार्यवाही हो गयी है तो उसको परपिचुएट (सदा के लिये बनाना) किया जाय।

दूसरी चीज जो मैं इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि आर्टिकिल ३८२ के दो टुकड़े हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ७ मिनट पर अधिष्ठातामंडल के सदस्य, श्री खान चन्द गौतम, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आर्टिकिल ३८२ के दो जुज हैं। पहला जुज तो हमारे सूबे और दूसरे सूबों की असेम्बली के मुताल्लिक है जो कांस्टीट्यूशन का निफाज होने के बाद बनाई नहीं गई है बल्कि पहले से मौजूद थीं, काम कर रही थीं और इसी वजह से आर्टिकिल ३८२ में इस किस्म के हाउसेज (सदन) के मुताल्लिक यह नहीं कहा गया है कि वह कांस्टीट्यूट किये जायेंगे, बल्कि कांस्टीट्यूट हुये। उसमें अल्फाज यह इस्तेमाल किये गये हैं कि--

"The House or Houses of the Legislature of the corresponding Province functioning immediately before the commencement of this Constitution shall exercise the powers and perform the duties conferred by the provisions of this Constitution on the House or Houses of the Legislature of such State."

[इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले तदस्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान मंडल का सदन, या सदन इस विधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को दी गयीं सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।]

यहां पर यह कहा है कि पहले से जो काम कर रहे थे वह अपनी पावर (शक्ति) को उसी तरीके से कायम रखेंगे यानी हमारी असेम्बली पहले से मौजूद थी, फंक्शन (कृत्य) कर रही थी और उसी तरीके से फंक्शन (कृत्य) करती रहेगी जब तक नया एलेक्शन न हो जाय। उसका दूसरा टुकड़ा पार्ट २ वह उन हाउसेज के मुताल्लिक है जिनके मुताल्लिक इस कांस्टीट्यूशन के निफाज के बाद रिएलेक्शन हुआ वहां पर कांस्टीट्यूशन या रिकान्स्टीट्यूशन का सवाल पैदा होता है। इसलिये आर्टिकिल ३८२ की दफा (२) में यह लफ्ज इस्तेमाल किये गये हैं कि--

"Notwithstanding anything in clause (1), where a general election to reconstitute the Legislative Assembly of a Province has been ordered before the commencement of this Constitution, the election may be completed after such commencement as if this Constitution had not come into operation."

[खंड (१) में किसी बात के होते हुये भी जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहले किसी प्रान्त की विधान सभा के पुनः संघटन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्त्तन में नहीं आया है]।

यहां पर दूसरे पार्ट में जो बताया गया है कि कुछ ऐसे हाउसेज (सदन) हैं जो मौजूद नहीं थे इस कांस्टीट्यूशन के निफ़ाज़ के वक्त, उनमें जनरल एलेक्शन होंगे। अगर जनरल एलेक्शन में सीटें वही रहेंगी जो पहले से चली आती हैं। यह कानून जो जेर बहस है इसमें गलत अल्फाज़ का इस्तेमाल किया गया है और गालिबन बड़ी जल्दी में उजलत में यह बिल तैयार किया गया है और इसमें ख्याल नहीं किया गया है कि किस लफ्ज़ का किस महल पर इस्तेमाल करना चाहिये। इसी वजह से दफा ३ में कहा गया है कि—

"shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being members of the State Legislature constituted under article 382 of the Constitution......"

[संविधान के अनुच्छेद ३८२ के अधीन निर्मित विधान मंडल के सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे ......]

तो यहां पर कहा गया है कि ३८२ में जो लेजिस्लेचर कांस्टीट्यूट होंगे उनके लिये यह तैयार किया जा रहा है। जनाबवाला, सीधे मानी इसके यह हैं कि अगर ठीक तरह पर इस बिल की तामील की जाय इसके सही मानी लगाये जायं, तो इस हाउस (सदन) के लिये अगर यह एप्लाई होगा ३८२ के पार्ट २ वाला हिस्सा तो वह जो रिकांस्टीट्यूटेड हाउस हैं उन पर एप्लाई (लागू) करेगा और इस हाउस से मुताल्लिक़ न होगा। बल्कि उनके मुताल्लिक़ होगा जिनका जनरल एलेक्शन कांस्टिट्यूशन के निफाज़ के बाद हुआ है। मैं समझता हूं कि फ्रेमर्स आफ दि बिल (विधेयक के निर्माणकर्ता) की मनशा यह नहीं है-- मतलब यह है कि बिल जिस वजह से स्टैंड करता है, यह ऐसा है कि जो कांस्टीट्यूशन में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसमें भी शक पैदा करता है। एक शक रफा करेंगे और उसके साथ साथ दस शक लाते हैं।

दूसरी वजह जो मेरे मुखालिफत करने की है वह यह है कि इसमें सही तरह से जो टेक्निकल या कानूनी अल्फाज़ का इस्तेमाल होना चाहिये वह इस बिल में इस्तेमाल नहीं किया गया है।

तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह भी एक कानूनी नुक़्ता है और मैं नहीं समझ सका कि जब इस बिल की तश्कील हो रही थी तो इस चीज़ को आखिर क्यों सामने नहीं रखा गया कि लेजिस्लेचर का फंक्शन यह है कि किसी चीज़ को लेजिस्लेट करे, यानी कोई कानून बनावे और किसी के हक़ को पैदा करे या किसी हक़ को तल्फ करें। लेजिस्लेचर का फंक्शन कभी यह नहीं रहा है कि डिक्लेरेशन (प्रख्यापन) करें किसी दफा के मुताल्लिक़ कि इसका इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) यह है, इसके माने यह हैं। यह चीज़ लेजिस्लेचर के दायरे के बाहर है और अगर कोई लेजिस्लेचर इस किस्म की हरकत करता है तो वह लेजिस्लेचर नहीं हुआ, वह लेजिस्लेचर पार्ट अदा करता है अदालत का। इसके माने यह हुये कि ऐक्ट बन गया मगर उसकी कोई हैसियत कानूनी नहीं होगी। इस चीज़ के मुताल्लिक़ मुझे ज्यादा तूल नहीं देना है। मगर........

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य का क्या ख्याल है कि यह बिल जो इस समय सामने है संविधान के किन किन आर्टिकिल का इन्टरप्रेटेशन (निर्वचन) कर रहा है?

श्री अब्दुल बाकी---जनाबवाला, मैं यही कोशिश करूंगा कि उसके स्कोप (क्षेत्र) से बाहर न आऊं और जो जो आर्टिकिल्स इसमें रेफर्ड हैं उन्हीं के हवाले पर मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिये।

इस बिल में जनाबवाला, दफा ३ में कहा गया है---

"Whereas doubts have been expressed regarding the offices hereinafter mentioned being offices of profit;

Now, therefore, for the removal of doubts it is hereby declared that the ....."

[इस अधिनियम में आगे चलकर उल्लिखित पदों के संबंध में संशय प्रकट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं। अतः उक्त संशय को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि ......]

यानी यह बिल यह कहता है कि चूंकि आफिस आफ प्राफिट के मुताल्लिक़ जो आर्टिकिल १९१ में जिक्र किया गया है उसके इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) में शक पैदा हो गया है, इसलिये यह बिल डिक्लेयर (प्रख्यापित) करता है। मैं यह कहता हूं कि बिल में ये अल्फाज बड़े नामौजूं तरीके से रखे गये हैं। सन् १९३८ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक फैसला दिया है। मसला यह था कि क्या लेजिस्लेचर को यह हक़ है कि किसी राइट को डिक्लेयर करे या नहीं। उसमें सफा ८४८ पर हाईकोर्ट के आनरेबिल जजेज ने यह इरशाद फरमाया है---

"I am of opinion that the functions of a Legislature are not to declare the law but to enact provisions of the law. When the Legislature finds that the Privy Council has declared that there is no right of an auction purchaser to receive back his purchase money under certatn conditions, the Legislature if it desires to give him such a right provides so by statute but it does not declare that the previous view of the Privy Council was wrong."

[मेरी सम्मति है कि विधान मंडल के कृत्य विधि का प्रख्यापन करना नहीं है वरन् विधि उपबन्धों की व्यवस्था करना है। जब विधान मंडल को ज्ञात होता है कि प्रिवी कौंसिल ने प्रख्यापित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन नीलाम क्रेता को अपने क्रय द्रव्य को वापस लेने का अधिकार नहीं है तब यदि विधान मंडल चाहता है कि उसे यह अधिकार दिया जाय तो वह संविधान द्वारा ऐसा आदेश कर सकता है, किन्तु यह ख्यापित नहीं कर सकता कि प्रिवी कौंसिल का पूर्व विचार गलत था।]

तो इसलिये मैं जनाबवाला के जरिये से इस हाउस को आगाह कर देना चाहता हूं कि इस बिल के माने यह होंगे कि यह बिल आर्टिकिल १९१ को इंटरप्रेट करेगा जो इस हाउस का फंक्शन नहीं है और इस बिल के जरिये हाउस वह काम करना चाहता है जो कोर्ट्स का है, लेजिस्लेचर का नहीं है। तो तीसरी बात मेरी मुखालिफत की यह हुई कि इसमें जो डिक्लेरेशन का लफ्ज़ आ गया है वह नामौजूं है और इस लेजिस्लेचर को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आफिस आफ प्राफिट को यह डिक्लेयर करें कि यह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं है।

चौथी चीज जो मैं इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि आनरेबिल मिनिस्टर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने बराबर अपनी तकरीर में यह कहा कि यह शुबहा पैदा हो गया है कि आफिस आफ प्राफिट है कौन और कौन नहीं। मैं समझता हूं उनको इतना ही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यह सवाल नहीं है कि आफिस आफ प्राफिट हुआ या नहीं, आफिस आफ प्राफिट तो है। सवाल यह है कि आफिस आफ

ाफिट जो अन्डर दि सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्डर दि स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसा आफिस आफ प्राफिट मेम्बर होल्ड कर सकता है या नहीं। आफिस आफ प्राफिट एक मेम्बर होल्ड कर सकता है मगर जब लेजिस्लेचर उसको इजाजत दे। लेकिन अगर हाउस के बाहर कोई आफिस आफ प्राफिट कोई शख्स ऐक्सेप्ट (स्वीकर) करता है और वह भी अन्डर दि आर्डर्स आफ दि सेंट्रल गवर्नमेंट आर दि स्टेट गवर्नमेंट तो किसी भी मेम्बर को हक हासिल नहीं है कि एकारडिंग टु आर्टिकल १९१ आफ दि कांस्टीट्यूशन के आफिस आफ प्राफिट को होल्ड करने के बाद भी मेम्बर रहे। जनाबवाला इस तरफ से और उस तरफ से दोनों जानिब से तकरीरें हुई और उन तकरीरों का असर यह निकला कि कौन आफिस आफ प्राफिट ऐसे हैं जोकि "विदिन दि हाउस" [सदन के अन्तर्गत] हैं और कौन ऐसे हैं जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत या स्टेट गवर्नमेंट के मातहत लोगों ने होल्ड किया है। कांस्टीट्यूशन पर सही अमल उस वक्त होता जब जिन लोगों ने आफिस होल्ड किया वह अपनी रजामन्दी से इस आफिस को छोड़ देते और जिस तरीके से हम यह बिल ला रहे हैं इसके माने यह हैं कि आइन्दा के लिये हम जमीन तैयार कर रहे हैं कि जब सरकार गल्ती करे तो अपनी गल्ती पर परदा डालने के लिये झट से एक बिल पेश कर दे और पास करा ले। यह तरीका नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग और हिम्मत के लोग, मुल्क की फिजा और बहबूद को पेशेनजर रखने वाले लोग कभी यह नहीं करते कि गल्ती पर परदा डालने के लिये कानून बनावें बल्कि तरीका यह है कि अपनी गल्ती से बाज आवें। मैं अपनी तकरीर को जनाब अल्लामा इक़बाल के एक शेर को पढ़ कर खत्म करूंगा।

"ऐ तायरे लाहोती उस जीस्त से मौत अच्छी,
जिस जीस्त से आ जाये परवाज़ में कोताही।"

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय सभापति जी, इस विधेयक के ऊपर चार रोज से मुबाहिसा जारी है और आज कुछ समय के बाद यह विधेयक पारित होने जा रहा है। लेकिन मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री को बता देना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को आज पारित जरूर कर लेवें लेकिन यह कानून बनने के बाद भी गैर कानूनी ही रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके लिये मैं आपके सामने वजाहत पेश करना चाहता हूं कि यह क्यों गैर कानूनी रहेगा। यह विधेयक जो आज पारित होने जा रहा है यह कांस्टीटयूशन आफ इंडिया की एक धारा नहीं, दो धारा नहीं, मैं तो दिखलाऊंगा कि पांच सात धाराओं को ट्रांसग्रेस (अतिक्रमण) करता है। एक धारा होती तो कहा जाता। इसमें तो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी धारा को ट्रांसग्रेस किया गया है। जो कांस्टीटयूशन आफ इंडिया में धारायें हैं, इस बिल को पारित करने से आप उनसे बहुत ज्यादा अख्तियारात लेना चाहते हैं।

श्रीमान्, सबसे पहले मैं आप की तवज्जह आर्टिकिल १९४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनेक बार इस भवन में यह पढ़ी गयी है और इसका बयान भी काफी तौर से हो चुका है लेकिन उसमें साफ यह है कि प्रिविलिजेज (विशेषाधिकार) पावर्स (शक्ति) और इम्युनिटीज (विमुक्तियां) जो हैं इस हाउस की, वह जब तक कोई कानून बन न जावे तब तक वही होंगी जोकि हाउस आफ कामन्स की हैं। यह उसमें साफ तरीके से है। तो उस धारा के खिलाफ जो सदस्य डिसक्वालिफाई (अनर्ह) होते हैं उनको आप इस बिल के जरिये से इम्युनिटीज (विमुक्ति) देना चाहते हैं। यह आप को हक नहीं है कि १९४ आर्टिकिल के होते हुये आप उनकी किसी तरीके से डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) रिमूव (दूर) कर सकें। मैं इसके बाद न्याय मंत्री की तवज्जह आर्टिकिल १९५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। कांस्टीटयूशन आफ इंडिया का अनुच्छेद १९५ कहता है कि—

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

"Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditins as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

[राज्य की विधान सभा और परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें इस राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों के ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक़ होगा।]

इसमें साफ यह है कि या तो आप कानून बनावें या कानून बनने से पहले जो मिलता था सदस्यों को उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। इस स्पष्ट अनुच्छेद के होते हुये आप इस बिल के जरिये से जिन्होंने कि ज्यादा वसूल किया उसको वैलिडेट (वैध) करने जा रहे हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। इन धाराओं के ऊपर या तो न्याय मंत्री ने गौर ही नहीं किया, या गौर किया तो आखिर क्या समझ कर यह बिल लाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अब मैं अनुच्छेद १९५ के बाद अनुच्छेद १९२ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अनुच्छेद १९२ में यह है--

"If any question arises as to wether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

[यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

इसमें भी यह साफ है कि अगरचे कोई सवाल इस किस्म का उठता है तो गवर्नर के पास उसका रेप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) होगा। उस खत का यहां पर कई बार हवाला दिया गया जिसको मैंने महामान्य राज्यपाल के पास भेजा था। वह खत मैंने भेजा था पहली तारीख को और उनको वह खत मिला तीन तारीख को और उनका मेरे पास यह जवाब आया "दैट दि मैटर इज लुक्ड इंटू" (कि विषय पर विचार किया गया है)। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके इस जवाब के बाद, उसका फैसला न होने के पहले आप यह बिल ले आते हैं और उसको भी वैलिडेट (वैध) करना चाहते हैं। महामान्य राज्यपाल ने अभी अपनी इनक्वायरी (जांच) खत्म नहीं की है और यहां तक कि महामान्य राज्यपाल ने उस मसले को एलेक्शन कमिश्नर तक भेजा तक नहीं बल्कि मालूम यह होता है कि गवर्नमेंट के पास उन्होंने इनक्वायरी (जांच) के लिये भेजा। गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि वह इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते और वह डाउट्स रिमूव करते वह एक बिल ले

आये। तो ये अनुच्छेद हैं जिनके खिलाफ आप यह बिल ला रहे हैं। मैं अनुच्छेद १९० (३) का उल्लेख करना चाहता हूं—

"If a member of a House of the Legislature of a State——

becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause (1) of article 191 his seat shall thereupon become vacant."

[यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य—

अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्जित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायगा।]

और जिस वक्त जो शख्स डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) होता है उसी वक्त उसकी सीट वेकेंट (रिक्त) हो जाती है। आप इस बिल के जरिये से इसे लेजलाइज (वैधिक) करना चाहते हैं। उसकी सीट तो वेकेंट हो गयी लेकिन यहां बिल लाकर जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर भी कानून बना देना चाहते हैं और कानून के जरिये से उसको भी लेजलाइज (वैधिक) करना चाहते हैं। अब मैं श्रीमान्, आपके जरिये से न्याय मंत्री की तवज्जह आर्टिकिल १७० की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। उसमें साफ है--

"Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall be composed of members chosen by direct election."

[अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य की विधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये सदस्यों से मिलकर बनेगी।]

कि जो यहां जगह खाली हो गयी उसका डाइरेक्ट इलेक्शन होगा। इस बिल के जरिये आप बजाय इसके कि वह डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आवें वैलिडेट किये देते हैं कि वह अपनी जगह पर बैठे रहें। तो आप इस आर्टिकिल १७० को भी ट्रांसग्रेस (अतिक्रम) कर रहे हैं। इसके बाद मैं कांस्टीट्यूशन का जो पहला आर्टिकिल है उसकी तरफ भी आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं--

"We, people of India, having solemney resolvld to constitute India into a Soverign Democratic Republic and to secure to all its citizens:

[हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को प्राप्त कराने के लिये:]

यानी हम इंडिया के सिटीजंस (नागरिक) हम रिपब्लिक इंडिया की ओथ (शपथ) लेते हैं।

हमारे निर्माण मंत्री हंस रहे हैं, मैं साफ-साफ उनकी बातों का जवाब दूंगा और जो हमारा प्रोपोजल है उसको भी उनको बताऊंगा कि वह क्या है और वह उसको समझने की कोशिश करें और मेरा ख्याल है कि समझ भी जायेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान में यह चाहा था कि इस तरफ के बैठने वाले कोई एक डेफिनिट प्रोपोजल (निश्चित सुझाव) दें जिस पर वह गौर करेंगे।

(माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम खड़े हुये)

अधिष्ठाता— मुझे अफसोस है कि जब माननीय सदस्य भाषण दे रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्य अपना स्थान न छोड़ें। अगर माननीय निर्माण मंत्री को कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना (वैधानिक प्रश्न उठाना) है तो मैं वक्ता महोदय को बैठने को कहूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—श्रीमन् जब आप बोलते हैं तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन जब हाफिज जी खड़े होते हैं तो मैं नहीं बैठता।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम— आन प्वाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर (श्रीमन्, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण के रूप में निवेदन करता हूं)। मैं क़तअन नहीं हंसा उनके ऊपर।

अधिष्ठाता—माननीय निर्माण मंत्री, अगर खुशमिजाज वाक़्य हुये हैं तो उसमें नाराजगी की बात क्या है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—उनके दिल में यह आया कि मैं उनके ऊपर हंसा।

श्री गोपालनारायण सक्सेना—श्रीमान, मेरा हरगिज यह मतलब नहीं था कि माननीय निर्माण मंत्री मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मेरा यह हरगिज मतलब नहीं था। उनकी सूरत रोनी वाकय नहीं हुई है नहीं तो मैं कह देता कि मुहर्रमी सूरत बनाये बैठे हैं। हंस रहे थे, मैंने कहा हंस रहे हैं।

हुजूरवाला, मैं आपके जरिये से न्याय मंत्री की तवज्जह दिलाना चाहता था कि मैंने संविधान की धारायें पढ़ कर सुनायीं जिनके खिलाफ यह बिल पेश होने जा रहा है। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह डैमोक्रसी का क़त्ल होने जा रहा है इस बिल के जरिये से। इसी तरीके से दुनिया में फैसिज्म और डिक्टेटरशिप आयी है। माननीय न्याय मंत्री माने या न माने जब भी किसी कानून के जरिये से सरकार वसीअ अख्तियारात अपने हाथ में लेती है, पैट्रनेज बांटने का तरीका अपने हाथ में लेती है तो उसका यह डिक्टेटरशिप का रास्ता खुलता है और आहिस्ता-आहिस्ता वह उसी रास्ते पर जाती है। माननीय न्याय मंत्री ने यह कहा था कि चार पांच महीने की बात है इसके ऊपर इतना तूफान नहीं खड़ा हो रहा है। मैं न्याय मंत्री से बड़े अदब से कहना चाहता हूं यह हमारा प्रजातंत्र बिलकुल बाल्यकाल में है। हम अगरचे इसमें ऐसी खराब प्रथायें डालेंगे तो बाद के आने वाले लोग उनकी ततब्बो करेंगे। क्या यह गलत चीज नहीं होगी कि आप प्रजातंत्र में गलत प्रिसीडेंट्स (प्रथायें) कायम करें। मेरे नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस बात पर जोर दिया कि इंग्लैंड में क्या होता है, किस तरह से श्री सैमुअल होर ने इस्तीफा दिया और किस तरीके से और मेम्बरों ने दिया। आखिर सात सौ वर्ष पुरानी उनकी जम्हूरियत है। जब हम आज अपनी जम्हूरियत की बुनियाद कायम कर रहे हैं तो हमको उनके तजुरबे से फायदा उठाना चाहिये। उनके यहां डेमोक्रेसी किस तरह से फ्लोरिश (विकसित) हुई है उससे हमें फायदा उठाना चाहिये। अगर इस बाल्यकाल में इस तरीके से बुनियादें डालेंगे तो आने वाली नसलें आपको हमेशा के लिये बुरा कहेंगी। इसी सिलसिले में मुझे याद आता है फ्रांस में रेवोल्यूशन (क्रांति) हुआ। रेवोल्यूशन के बाद नैपोलियन जोकि उस वक्त बड़ा हावी था, वह एम्परर (बादशाह) हो गया। वह, जो कि डेमोक्रेसी का झंडा लेकर उतरा था एम्परर हो गया। मैं यह कहता हूं कि आप इसी रास्ते के ऊपर डैमोक्रेसी को ले जाना चाहते हैं आप सोचिये और अब भी अपने दिमागों की चूलों को खोलिये और देखिये कि आप किस रास्ते पर इस डैमोक्रेसी को ले जाना चाहते हैं। अब मैं श्रीमान् जी, ज्यादा वक्त न लेकर, हमारे निर्माण मंत्री ने सुबह जो वजूहात दिये थे, उनके बारे में चन्द अल्फाज कह कर अपनी तक़रीर खत्म करूंगा।

मुझे हैरत होती है कि निर्माण मंत्री जैसे काबिल वकील इस सदन में खड़े होकर एक लफ्ज इधर से और एक लफ्ज उधर से लेकर पेश करते हैं तो मुझे ख्याल होने लगता है कि इन कुर्सियों पर बैठते बैठते जो उनका ऐसा कानूनी दिमाग था वह भी शायद अब कुछ और सोचने लगा है। वह कानूनी मसलों को उसी ढंग से सोचते हैं

जैसे कोई एक्जीक्यूटिव आफिसर सोचे। अब वह वकील की हैसियत से नहीं सोचते हैं, बल्कि एक्जीक्यूटिव आफिसर की हैसियत के से शख्स की तरह से हर मसले को सोचते हैं। यह कानूनी मसला है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन (निर्वचन) ठीक नहीं है। आपने डाउट्स पर कहा कि वह रिमूव (दूर) नहीं होंगे, अगर वह रिमूव नहीं होंगे तो क्या होगा। एक और मुश्किल है श्रीमान् कि जो इधर से तकरीरें होती है उनको माननीय मंत्री और उधर के बैठने वाले सदस्य गौर से नहीं सुनते हैं। कहीं एक लाइन इधर की और कहीं एक लाइन उधर की सुन लेते हैं और एतराज कर बैठते हैं। मेरे नेता ने साफ साफ कहा था और मैं मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने साफ बात कही थी और अभी आपके इंडियन पार्लियामेंट में इसी किस्म का एक बिल भी आया है। अभी माननीय निर्माण मंत्री हाथ हिला रहे हैं, गोया मैं गलत कह रहा हूं। अगर कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य निर्माण मंत्री के हाथ हिलाने और मुस्कराने पर न जायं। वह अपनी तकरीर जारी रखें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--अगरचे उनको यकीन नहीं है तो मैं उनको पढ़कर सुना दूं। इसमें जितनी डिस्क्वालीफिकेशन्स (अनर्हतायें) थीं (ए,) (बी) (सी) (डी) इस तरह से सबको लिख दिया कि इनको रिमूव (दूर) किया जाय। आपके लिये क्या दिक्कत थी जब आपको इस कानून के ड्राफ्ट बनाने से पहले यह बात महसूस हुई थी कि कुछ मेम्बर्स डिस्क्वालीफाइड (अनर्ह) होते हैं तो आपने जो मेम्बर्स की लिस्ट हमको दी है उसको अपने एडवोकेट जनरल या लीगल रिमेम्बरेंसर के पास भेजते और पूछते कि कौन से लोग, जो इंडियन कांस्टीट्यूशन है उसके मुताबिक डिस्क्वालीफाइड (अनर्ह) होते हैं। तरीका यह होता है। इस तरीके से नहीं कि गवर्नमेंट ने अखबारों में खबर पढ़ ली और बिल ले आये। आखिर गवर्नमेंट आफ इंडिया का बिल मौजूद है। अगरचे ऐसा मुमकिन था कि जिन कमेटियों के मेम्बर्स के लिये आपको शुबहा था या आपके एडवोकेट जनरल और लीगल रिमेम्ब्रेंसर कहते उनको स्पेसिफिकली (विशिष्टता से) ले आते। वह एक, दो या दस होते, सबको ले आते और कहते कि इनकी डिस्क्वाली-फिकेशन रिमूव कर दी जाय।

हमारे नेता ने कहा कि आप इस किस्म का बिल ले आयें। आप अपने कानूनदाओं से पूछिये कि कौन कौन डिसक्वालीफिकेशन में आता है और फिर उनके लिये बिल ले आइये, हम तुरन्त पास कर देंगे। इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ज्यादा प्रपोजल (प्रस्ताव) आप और क्या चाहते हैं। हमारा एतराज है और साफ एतराज है। एक मर्तबा नहीं सौ मर्तबा कहते हैं कि यह प्रथा गलत है, चाहे यह चार महीने के लिये हो या पांच महीने के लिये हो, लेकिन बुनियादी तरीके से गलत है। इस तरीके से कानून का बनाना कि जो कोई आयें सबको रिमूव (दूर) करना है, क्यों ऐसा किया गया है, यह तो कानून बनाने का तरीका नहीं है और यह भी बुनियादें आप कायम कर रहे हैं। इससे साफ मालूम होता है कि आप किधर जा रहे हैं। माननीय निर्माण मंत्री का यह कहना कि किसी प्रोपोजल (प्रस्ताव) में अपोजीशन (विरोधीदल) साथ देता नहीं है मेरी समझ में नहीं आता। हमारा प्रोपोजल साफ है कि राय लेकरके आप देखें कि कितने मेम्बर्स डिस्क्वालिफाई होते हैं और जितने होते हों उनके लिये आप बिल ले आइये। स्टैंडिंग कमेटीज के मेम्बर्स इससे डिस्क्वालिफाई नहीं होते हैं, मेरी राय है। अगर हो सकते हों तो हों उन सबकी एक फेहरिस्त बताइये और वे चाहे बीस हों, चाहे २५ हों, वे सब चाहे गवर्नमेंट ने जो कमेटीज मुकर्रर की है या स्पेशल आफिसर हों या स्पेशल आफिसर्स जिन्हें आपने मुकर्रर किया है, वे हों, उनके लिये अपने लीगल रिमेम्ब्रेंसर से राय ले लीजिये कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के दफात के अन्दर यह डिस्क्वालि-

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

फाई हो सकते हैं या नहीं और अगर हो सकते हैं तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कराने के लिये ले आइये और मैं समझता हूं कि उस वक्त कोई बहस नहीं होगी। चार रोज से जो बहस हो रही है, वह सिर्फ इसलिये कि यह बिल बुनियादी तरीके से गलत है। हमसे कहा जाता है कि हम हठधर्मी करते हैं, इस भवन का वक्त जाया करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप नई नई प्रथायें डाल रहे हैं, अपोजीशन से किसी बात में मशविरा भी नहीं करते हैं और अगर मशविरा करते भी हैं तो दूसरे रोज उसे ठुकरा देते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते और उसके बाद यह कहना कि हम वक्त जाया करते हैं बिलकुल गलत बात है।

मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी (संसदीय जनतंत्र) के आप लोग बिलकुल कायल ही नहीं हैं, पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी और मुल्कों में कैसे फली फूली और डिमोक्रेसी में आपोजीशन का क्या रोल है, उसको आप पढ़े और गौर करें। लेकिन आप तो गौर करने के आदी नहीं हैं, आप उन बातों को बरदाश्त नहीं कर सकते। जब हमारी तरफ से सुझाव होते हैं तो आप उनकी परवाह नहीं करते। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह गलत प्रथा है, आपको सही प्रथायें डालनी चाहिये। मैं फिर माननीय न्याय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस लेट वक्त में भी सोचें जब यह बिल पास होने जा रहा है आप इसको वापस लेवें और दूसरा बिल जो डेफिनिट तरीके से बिल हो ले आयें। अभी १५ रोज बाकी हैं, उसके पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और यह जो बदनुमा धब्बा सरकार पर लगने जा रहा है वह नहीं लगेगा वरना जैसा मैंने पहले कहा था कि यह बिल आप पास करा लेवें, लेकिन अगर किसी ने मुकद्दमा दायर किया तो यह बिल और यह ऐक्ट गैर-कानूनी करार दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारम्भ में माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देता हूं कि जिस डिगनीफाइड तरीके से आज उन्होंने तृतीय वाचन पर इस विधेयक के संबंध में विवाद को शुरू किया, जो, श्रीमन्, इस विधेयक के संबंध में कुछ थोड़ी सी गरमी विवाद में आ गई थी आज माननीय नेता विरोधीदल ने अपनी तक़रीर जिस ढंग से की, उसको उन्होंने खतम कर दिया। श्रीमन, माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से इस बिल का एतराज करते हुये कई एक बातें कही गईं और उसके बाद उनके साथियों ने भी करीब करीब उन्हीं बातों को दुहराया। उनमें से पहली बात यह है कि यह विधेयक अवैधानिक है और हमारे संविधान का उल्लंघन करता है।

हमारे संविधान में जो इस आदरणीय सदन को अधिकार हैं उनके अधिकारों पर यह सदन जाता है यह उनका पहला एतराज है। जहां तक कि इसका संबंध है, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके लिये उचित स्थान यह आदरणीय सदन नहीं है। अगर कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है, उसके प्रतिकूल है तो उसके लिये उचित जगह न्यायालय ही हो सकती है जो इस बात को एक तरह से अथारिटी के रूप में आखिरी तरीके से इसका फैसला कर सकता है। यहां, श्रीमन्, इसका फैसला न इस तरह के सदस्य कर सकते हैं, न उस तरह के सदस्य कर सकते हैं और न हुजूर वाला आप कर सकते हैं। तो जहां तक इस संबंध में बातें कही जाती हैं वे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक के संबंध में भाषण करते वक्त हमारे लिये बेकार सी चीज है।

दूसरी बात जो माननीय नेता विरोधी दल तथा उनके साथी श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने कही वह यह है कि विधेयक ऐसे अख्तियारात सरकार को देता है कि जिन अख्तियारात का इस्तेमाल अगर सरकार गलत तौर पर करे तो लोकतंत्र का विनाश हो सकता है, लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है। श्रीमन, जहां तक कि उनकी इस आपत्ति का संबंध है मैं श्रीमन् पूरे तौर से उनका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के अन्दर जो

अधिकार सरकार को दिये गये हैं अगर इस विधेयक की यह मंशा होती कि सरकार के यह स्थायी अधिकार रहेंगे और सरकार जब चाहे उन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी तब मैं भी इस बात को मानता कि सरकार गलत तरीके पर इसे इस्तेमाल करेगी। उस स्थिति में प्रजातंत्र के अन्दर बहुत सी खराबियां आ सकती थीं और हमारा प्रजातंत्र का जो तरीका है वह दूषित हो सकता था, लेकिन श्रीमन् यह एतराज उनका अपनी जगह पर कायम नहीं रहता जबकि हम यह देखते हैं कि यह विधेयक एक अस्थायी विधेयक है और इसका प्रमुख उद्देश्य केवल यह है कि जो अनर्हतायें अब तक इस भवन के माननीय सदस्य कर चुके हैं उनको दूर कर दिया जाय, जब इस विधेयक का इतना परिमित उद्देश्य है और आगे कोई अधिकार देना इसका उद्देश्य नहीं है उद्देश्य तो हो सकता है, यह कहा जा सकता है जब तक चुनाव नहीं होते और चुनाव के बाद नया सदन नहीं आ जाता तब तक इस विधेयक के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं उनका सरकार बराबर इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन, श्रीमन्, जब सरकार की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया कि सरकार इन अधिकारों का आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और न करेगी। वह सिर्फ इस वजह से उसको लाये हैं ताकि अब तक जो हो चुका है गलतफहमी के अन्दर उसको वह दूर कर दें, उनकी अनर्हता को यह दूर कर दें। तब मैं यह नहीं समझ सकता कि जैसी लम्बी-चौड़ी बातें कही गयी हैं, फ्रान्स का हवाला दिया गया है कि फ्रान्स के अन्दर चूंकि गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तभी फ्रांस में प्रजातंत्र का गला घुटा, यह जो बातें कही जाती हैं यह सबकी सब बेकार हो जाती हैं। यह हो सकता था, श्रीमन् कि विरोधी दल की तरफ से इस किस्म का अमेंडमेंट (संशोधन) लाया जा सकता था कि अब तक जितनी अनर्हतायें हुई हैं उन सबको, जैसा कि इस में दिया गया है, यह विधेयक दूर करता है लेकिन आइन्दा सरकार को केवल यही अधिकार होंगे कि वह केवल इतने आफिस आफ प्राफिट दे सके। यदि, श्रीमन् इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट विरोधीदल की तरफ से लाया जाता और यह सरकार उसको नामंजूर करती तो सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगाया जा सकता था। लेकिन कोई संशोधन इस प्रकार का नहीं लाया गया। श्रीमन्, मेरा खुद यह खयाल था कि इस प्रकार का संशोधन लाऊं, लेकिन मैं वैसा संशोधन तैयार करने में नाकामयाब रहा। जिस तरह से इस बिल का ढांचा बना हुआ है उसमें कम से कम मैं उस संशोधन को फिट नहीं कर सका। तो श्रीमन्, उसका तरीका यही हो सकता था कि अगर कोई वाकई उनकी मंशा यह होती कि इस बिल को निर्दोष कर दिया जाय जिससे उनको इस पर आपत्ति उठाने का मौका नहीं रहता, तो वे इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव लाते। जैसा कि माननीय न्याय मंत्री ने स्वयं बताया कि प्रवर समिति का एक प्रस्ताव नेता विरोधीदल की तरफ से था, और अगर उनका मक़सद इस बिल को निर्दोष करना होता, जैसा कि उनकी तरफ से और उनके साथियों की तरफ से कहा जाता है, तो वे भवन के सामने उस प्रस्ताव को जरूर रखते परन्तु इस तरह से उन्होंने इस भवन को अपनी नेकनियती का सबूत नहीं दिया।

श्रीमन्, दो-तीन बातें उनकी तरफ से और कही जाती हैं। वे यह कही जाती हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो विधेयक है, यद्यपि वह अभी अधिनियम नहीं बना है, फिर भी उसकी तरफ इशारा किया जाता है और कहा जाता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जब साफ साफ कुछ आफिसेज का जिक्र कर दिया है तो फिर उन्हीं लाइन्स पर चलने में इस गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के विधेयक का जिक्र करना और उसकी मिसाल देना निहायत नामुनासिब है। बहुत मुमकिन है उस पर विचार इस वजह से न हुआ हो कि वे समझते हों कि उसमें अभी खामियां हैं और अगर उसको पास कर दिया जाय तो उससे जो मंशा है वह पूरे तौर पर जाहिर नहीं होगी। श्रीमन्, इस सदन के सामने सदन के बड़े योग्य सदस्य श्री खुशवक्त राय जी ने

[श्री कृष्ण चन्द्र]

जो भाषण दिया उसमें हाउस आफ कामन्स के सोलीसिटर जनरल की राय दी है। अगर उसके ऊपर जाया जाय तो जो लोग किसी भी कमेटी के मेम्बर हैं, उस कमेटी के जिसको गवर्नमेंट ने मुकर्रिर किया हो, जिस कमेटी के मेम्बर होने के नाते से वही दैनिक भत्ता और सफर खर्च भी मिलता हो जो भवन के सदस्य होने के नाते से हमें मिलता है, वे भी आफिस आफ प्राफिट (लाभ-पद) में आ जाते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज (स्थायी समितियां) हैं वे आफिस आफ प्राफिट अन्डर दिस हाउस (इस सदन के अधीन लाभ-पद) हैं।

जहां तक इस हाउस के चार्ज में जितने आफिसेज हैं वे आफिस आफ प्राफिट के अन्दर नहीं आते हैं। वैसे देखा जाय तो आफिस आफ प्राफिट खुद माननीय नेता विरोधी दल भी ग्रहण किये हुये हैं। माननीय नेता विरोधी दल के पास टेलीफोन है तथा स्टेनोग्राफर को व और भी बहुत सी सुविधायें उनको मिली हुई हैं। लेकिन वह अन्डर गिफ्ट आफ गवर्नमेंट नहीं है बल्कि इस सदन के अन्दर विरोधी दल के नेता होने के हैसियत से वह उन्हें प्राप्त हैं। इसलिये वह आफिस आफ प्राफिट के अन्दर कभी भी नहीं आता है। नहीं तो हुजूर आफिस आफ प्राफिट के अन्दर वह भी आना चाहिये। तो जब कमेटी में हर मेम्बर आ सकते हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो विधेयक हमारे सामने है उसमें जितनी कमेटी गवर्नमेंट ने बनायी है उन सब कमेटीज में मेम्बरों को नहीं रखा गया है, न स्पैसीफाइड तौर पर कुछ किया गया है तो मैं श्रीमान्, यह कहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो विधेयक है वह दोषपूर्ण है और उससे जो मंशा वे हासिल करना चाहते हों बहुत मुमकिन है कि उन्हें हासिल न हो और बहुत मुमकिन है कि उन्हें दूसरा विधेयक लाना पड़े। श्रीमन्, इस संबंध में मैं यह अर्ज कर दूं कि यहां पर शायद यह कहा गया और कम से कम यह दिखलाने की कोशिश की गयी कि साहब, गवर्नमेंट कमेटीज वगैरह में जो मेम्बर रखे जायं वे तो खास तौर पर आफिस आफ प्राफिट में नहीं आते हैं, लेकिन ये जो चन्द ५, ६, ७ आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी पर हैं, उनके खयाल में ये जो चन्द आफिसेज हैं वे आफिस आफ प्राफिट में आते हैं और गवर्नमेंट खास तौर पर इनके संबंध में कानून बना देती तो वह काफी था। श्रीमान् जी, जहां तक हाउस आफ कामंस के बारे में कहा गया कि हाउस आफ कामंस रायल कमीशन मुकर्रर करता है .....।

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य केवल इतना खयाल रखें कि कमेटी स्टेज में जितना विचार हो चुका है और जितने तर्क वे अपने भाषण में दे चुके हैं या अन्य सदस्य दे चुके हैं उनके विस्तार में न जायें।

श्री कृष्णचन्द्र-- श्रीमन्, जो कुछ उन्होंने यहां कहा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं।

अधिष्ठाता-- केवल विस्तार में न जाने के लिये मैंने कहा।

श्री कृष्णचन्द्र-- मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रायल कमीशन के जितने मेम्बर होते हैं या किसी कमेटी में जब हाउस आफ कामंस के मेम्बर मुकर्रर होते हैं तो वे अपने हाउस की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, हाउस की सदस्यता और रायल कमीशन की मेम्बरी, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती हैं। अगर उसका उदाहरण श्रीमन् फालो (अनुकरण) करें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गवर्नमेंट की जितनी कमेटीज हैं उन सब के मेम्बरान आफिस आफ प्राफिट अन्डर गवर्नमेंट आते हैं, अगर उनका ऐसा मंशा है तो, श्रीमन्, मैं आपोजीशन को ही दावत दूंगा, उनके हर एक सदस्य को दावत दूंगा कि वे कोई ऐसी तजवीज, कोई ऐसा संशोधन ले आते और इस तरीके से इस बिल की रचना करके दिखला देते जिसमें तमाम कमेटीज का जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हैं, उन सब का समावेश हो जाता। कितने किस्म की कमेटीज मुकर्रर हैं। बद्रीनाथ टेम्पिल

सुधार कमेटी है, इसी तरह से और भी बहुत सी तमाम कमेटीज हैं। रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी है, रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी में तो, श्रीमान्, दैनिक भत्ता हम लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की बहुत सी कमेटियां हैं जिनको आफिस आफ प्राफिट कहें। इस तरह से बहुत से आफिसेज गवर्नमेंट में ऐसे हैं और वे इस खयाल से नहीं दिये गये थे, जैसा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर इस भवन के सामने वजाहत के साथ कहा था कि न तो लेने वाले का यह खयाल था कि हम आफिस आफ प्राफिट ले रहे हैं और न देने वाले का ही खयाल था कि हम आफिस आफ प्राफिट दे रहे हैं। तो इस खयाल से जितने भी आफिसेज हैं उन सभी का समावेश करना इस विधेयक का उद्देश्य है, इस तरफ के लोग मानते हैं और उस तरफ के लोग भी मानते हैं। क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर बेसमझी के कारण अनजाने में, या शुबहे की हालत में कोई भूल हो गयी हो और उसका निराकरण अगर कर दिया जाय तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है।

श्रीमन्, जब यह हालत है कि जितना भूल गये हैं उतने का निराकरण करना इस विधेयक का उद्देश्य है तब मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विधेयक की रचना की गई है और जिस तरह से इस विधेयक के अन्दर जितने भी किस्म के आफिसेज हो सकते थे उनको रख दिया गया है ताकि जितने भी आफिसेज हों, नाना प्रकार के काम के लिये जो सरकार बनाती है उन सब के सब की कार्यवाही इसके अन्दर आ जाय और कोई तरीका नहीं था सिवाय इसके कि जिस तरह से इस बिल की रचना की गई है। मुमकिन है कि यह कुछ इम्प्रूव (सुधार) हो सकता अगर वह प्रवर समिति के सामने जाता।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि इसमें एडवोकेट जनरल की राय ली जाती। इसका जवाब माननीय निर्माण मंत्री ने दिया कि एडवोकेट जनरल की राय और जो भी राय मिल सकती है और जो इसके विद्वान हैं और विधेयक की जानकारी रखते हैं, उन सब ने इस संबंध में इस मसले पर अपनी राय जाहिर की है, लेकिन कोई भी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि आफिस आफ प्राफिट जैसा माननीय निर्माण मंत्री ने कहा कि यही सब आफिस आफ प्राफिट है और इसके परे आफिस आफ प्राफिट नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हमारे एडवोकेट जनरल क्या सही सलाह देते कि यह आफिस आफ प्राफिट अन्डर गवर्नमेंट आते हैं या नहीं आते हैं ?

यहां विरोधी दल के सदस्य यह चाहते थे कि इसके ऊपर काफी वजाहत के साथ विचार हो जाय और वहां पर हमारी प्रवर समिति के अन्दर हमारी गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार थे। अगर वे चाहते तो वहां पर एडवोकेट जनरल को भी उसमें बुलाया जा सकता था और एडवोकेट जनरल की राय होती और भी कानून के जो पंडित हैं उन सब की राय होती और अगर उन सब की राय से इस बिल की अच्छी रचना की जाती तो यहां पर यह मौका नहीं था। इसके मुताल्लिक मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट की काबलियत, जहां तक गवर्नमेंट के साधन का संबंध है और साथ ही जहां तक विरोधी दल के जो बड़े-बड़े काबिल सदस्य हैं उनकी जानकारी और अनुभव का संबंध है उन्होंने जो यहां पर बहस की है उनकी किसी बहस से यह पता नहीं चलता कि इस तरह से अगर बिल की रचना की जाती तो यह बिल जो है वह सारे आफिस आफ प्राफिट को कवर (संवरण) कर लेता और उसके बाद और कोई जरूरत न थी लेकिन ऐसी वह कोई तजवीज नहीं दे सके हैं। जब कोई तजवीज उधर से नहीं आती है हालांकि वह आरजी तजवीज ला सकते थे मगर वह नहीं लाये तो फिर, हुजूरवाला, इसी पर अमल किया जाय। इससे सारी चीजें आ जाती हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के बिल का हवाला दिया जाता है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया वह बिल दोषपूर्ण है उसकी नकल नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट आफ इंडिया को अपना वह बिल बदलना पड़ेगा। अगर वह

[श्री कृष्णचन्द्र]

अपना मंशा हासिल करना चाहते हैं तो उसको बदलना पड़ेगा। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं कि अभी बम्बई गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है। वह विधेयक विधान सभा से पास हो चुका है यद्यपि अभी उस पर गवर्नर की मंजूरी नहीं मिली है। अगर आप नक़ल करना चाहते हैं तो उसकी नक़ल कर सकते हैं। हमारे इस बिल में भी वह सब बातें मौजूद हैं।

श्रीमन्, जहां तक इस बिल के संबंध में जो एतराज किये गये थे उनका मैंने जवाब दिया। एक बात और कही गई कि यह उचित नहीं मालूम होता है कि हम अपने आप पये को वोट करें और उसको खुद ही ले लें। इस तरह से तो हर सरकार करती है। क्या हम अपनी सैलरी के रुपये के बिल को यहां पर पास नहीं करते हैं? जो हमको सफर खर्च और दैनिक खर्च मिलता है उसके लिये भी हमने बिल इस सदन से ही खुद पास किया है। यही इस बिल का मंशा है कि जो आफिस आफ प्राफिट (लाभ पद) की वजह से कुछ कठिनाई पैदा हो गई है वह होने न पाये। इसलिये जो प्रस्ताव हमारे माननीय न्याय मंत्री ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--माननीय सभापति जी, अभी जो माननीय सदस्य तकरीर फरमा रहे थे उसको मैंने बहुत गौर के साथ सुना। उससे यह मतलब निकला कि उसूलों से उनको इत्तफ़ाक़ है कि कोई आफिस आफ प्राफिट इस तरह का लोगों को नहीं मिलना चाहिये। मगर मसलहत का तक़ाजा है कि इसको कंडोन कर देना चाहिये, क्योंकि इसके अन्दर बहुत से आदमी इन्वाल्व (सम्मिलित) हैं। लिहाजा उनको कंडोन कर देना चाहिये। आखिर जहां तक उसूलों का ताल्लुक़ है इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ (समझौता) नहीं हो सकता बगैर उस आइडियालाजी (आदर्शवाद) को नुक़सान पहुंचाये हुये कि जो इस वक्त मुल्क में चल रही है। दूसरी बात उन्होंने यह फरमाई थी कि यह न गवर्नमेंट को मालूम है और न मेम्बरों को मालूम है लाइल्मी में यह बात हो गई। इसका इम्प्लीकेशन यह होता है कि कांस्टीट्यूशन में थोड़ी सी कसर रह गई। उसके अन्दर कोई गुंजाइश नहीं रखी गई कि अगर इस तरीके की कोई भूलचूक हो जाय तो उसको कंडोन कर देना चाहिये। यह कसर रह गई। मगर कानून में क्या हम स किस्म की प्ली (तर्क) ले सकते हैं कि हमको मालूम नहीं था कि फलां बात जुर्म है और वह हमसे गलती हो गई? अगर "Ignorance of law is no excuse" (विधि-अज्ञान क्षमा का कारण नहीं हो सकता)। हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि यह छोटा सा बिल है इसमें इतनी बहस हो चुकी है। यहां पर सवाल छोटे या बड़े बिल का नहीं है बल्कि खोटे या खरे का सवाल है।

एक बिल अभी चन्द रोज हुये हमारे सामने आया था चिल्ड्रेन्स बिल (बालक विधेयक) वह एक दिन के अन्दर ही पास हो गया। उसमें इससे कहीं ज्यादा दफा थीं और कहीं ज्यादा मैटर था। उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी (वाद विवाद) नहीं हुई क्योंकि उसके अन्दर प्रिन्सिपल्स (सिद्धान्तों) की बात थी। मगर इसके अन्दर कुछ सिद्धान्त का सवाल है। यह कह देना कि आफिस आफ प्राफिट वेग [अनिश्चित] चीज है तो क्या इसके यह माने नहीं हैं कि संविधान के बनाने वालों पर यह आक्षेप है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस वेग (अनिश्चित) चीज को ही यहां पर उसमें रख दिया गया है? मेरे खयाल से इस तरह की दलील दे देना जल्दी की गुफ्तगू समझी जायगी। हम यह कहने के लिये मजबूर हैं कि कांस्टीट्यूशन में आफिस आफ प्राफिट की बात समझबूझ कर और जान-बूझ कर जिम्मेदार आदमियों ने रखी है। बेवकूफों ने नहीं रखी है। यह हमको मानना पड़ेगा। अगर हम उस कांस्टिट्यूशन से इत्तफ़ाक़ करते हैं और उन लोगों की रिस्पैक्ट (आदर) करते हैं तो हमको यह मानना पड़ेगा कि इन अल्फाज को समझकर रखा गया है। उनको वेग टर्म्स [अनिश्चित शब्दों] में नहीं रखा गया है। अब एक चीज को हम मानते हैं कि यह डेफिनिट

(निश्चित) है तो फिर क्या एक्सक्यूज (बहाना) हो सकता है ? बिलकुल डेफिनिट (निश्चित) है कि एक मेम्बर जो इस हाउस का है उसका तमाम काम भी इसी हाउस से मुतअल्लिक होना या जो कुछ यह हाउस उस से कहे या जो कुछ उसकी ड्यूटी यहां हो वहीं करे और इसके बाहर जो कुछ हाउस डाइरेक्ट करे वह करे और इसके अलावा प्राइवेट इनडिवीजुअल की तरह कुछ भी करे लेकिन सरकार के मातहत अगर कुछ करता है तो वह आफिस आफ प्राफिट में आ जाता है यह मेरे खयाल से बिलकुल डेफिनिट है और विरोधी दल का एतराज यही है कि एक तरफ तो हम शिकायत करें और दूसरी तरफ ऐसा बिल बनायें जो वेगनेस (अनिश्चितता) पर बेस्ड (निर्भर) हो और न तो वेगनेस का और न कान्ट्राडिक्शन (प्रतिवाद) पर ही गौर किया गया। मैं जानता हूं कि हमारी अक्सर बातें लाजिकल नहीं होतीं लेकिन कोशिश की जाती है कि हमारे फेल और हमारे एकानात और गुफ्तगू में कान्ट्राडिक्शन (असंगत) न आवें। मेरे खयाल में यह बिलकुल सही बात होती कि हमारे दोस्त, जिन पर यह इलजाम है, हाउस की मेम्बरी से इस्तीफा दे देते और हम भी उन की पेट्रियट स्पिरिट (देशभक्ति की भावना) की तारीफ करते कि उन्होंने कांस्टीट्यूशन (संविधान) और (डेमोक्रेसी) के लिये यह सेक्रीफाइस (त्याग) की। यह तो सिर्फ आफिसेज का मामला है। फर्ज कीजिये कि कल को लड़ाई छिड़ जाय तो क्या उस वक्त जान की परवाह की जायगी ? हम को समझना चाहिये कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह मुल्क की बेहतरी के लिये कर रहे हैं या नहीं।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो डेमोक्रेसी के गुलाम या दिलदादा हों और मैं एक नहीं सैकड़ों मर्तबा कह चुका हूं कि यह मुल्क अभी डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है और यहां अभी सख्त हुकूमत ही कामयाब हो सकती है। लेकिन जो पार्टी डेमोक्रेसी का दावा करती है उसको तो खुद ऐसा न करना चाहिये। यहां कहा गया कि हम रिट्रास्पैक्टिव एफैक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर इस हाउस का कोई सदस्य इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाय या यहां से इन्तक़ाल कर जाय तो क्या आप रिट्रास्पैक्टिव एफैक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देकर उसको फिर बुला सकते हैं। अगर कोई शख्स पागल हो जाय तो वह उसी दिन से यहां का मेम्बर नहीं रह सकता। तो या तो वह पागल है या पागल नहीं है लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको गवर्नर साहब भी चाहें और एलेक्शन कमिश्नर भी चाहें तो एक सिविल सर्जन के सर्टीफिकेट के मुकाबिले में उनकी राय की वकत कम होगी और एक पागल का फैसला एक टैक्निकल आदमी किसी दूसरे के मुकाबिले में कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता है ?

जहां तक डिसक्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वह किसी किस्म की हों, वह मौजूद हों या हो चुकी हों उन को लाइफ कैसे दी जा सकती है ? इसके मानी तो यह हैं कि "फ्लागिंग ए डेड हार्स" मुर्दा घोड़े को हन्टर से मारे जाइये। जाहिर है कि यहां पर आप जो जो चाहें पास करा लें लेकिन इसका आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा और करना चाहिये। ख्वाह यहां से कोई इस केस को वहां तक ले जाय या न ले जाय लेकिन वहीं इसका सही इन्टरप्रिटेशन (निर्वचन) लगाया जा सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की मेम्बरशिप किसी आफिस आफ प्राफिट की वजह से खत्म हो चुकी, फिर उनकी मेम्बरशिप कंटीन्यू [जारी] की जा सकती है। यह फैसला कम से कम मैं तो नहीं कर सकता हूं। मेरा तो जाती खयाल है कि नहीं की जा सकती, मगर इसका फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और फिर अगर जो मेम्बर ऐसे हैं, सरकार जिनके लिये डाउटफुल कहती है, हालांकि मेरी समझ में डाउटफुल (संदिग्ध) नहीं हैं, खुद अपनी तरफ से सेक्रीफाइस (त्याग) का एलान करते तो किस क़दर उनकी वाह वाह होती और मुल्क उनको हाथों हाथ ले लेता। सरकार ने उन लोगों के साथ में भलाई नहीं की, बल्कि उनके हक़ में कांटे बोये। इन चन्द अल्फ़ाज़ के साथ में इस बिल की मुखालिफत करता हूं।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, इस बिल को थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) के सिलसिले में अभी मेरे दोस्त प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र साहब ने अपनी तक़रीर में यह कहा था कि यह भवन या इस भवन में बैठने वाले इस बात का फैसला करने के मुस्तहक़ नहीं हैं कि आया यह विधान जो बनाया जा रहा है वह गैरकानूनी है या ऐसा विधान नहीं बनाया जा सकता। मुझे ताज्जुब है कि ऐसी बात उन्होंने कैसे कही ! इस भवन में बैठने वाले सदस्य अपनी अक़्ल और समझ के मुताबिक़ हर कानून को बनाते वक्त यह पूरा खयाल रखते हैं कि जो कानून इस भवन के सामने रखें वह अगर पास हो जाय तो वह हर तरह से मुनासिब हो। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिये कि इस भवन के बैठने वाले जो कानून बनाते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट से या फेडरल कोर्ट से जो तजावीज उसके खिलाफ पास होती हैं और वे हजरत जो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि लीगल प्रोफेशन की क्या ओपीनियन (अभिप्राय) किस भवन के मुताल्लिक़ रहती है। वे यह कहते हैं कि इस भवन के बैठने वाले सदस्य शायद अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर पूरी नहीं करते और ऐसा कानून नहीं बनाते जिस पर कोई भी नुक्ताचीनी न कर सके। इसलिये और बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा कानून जिसके मुताल्लिक़ दो रायें हों, इस भवन के अन्दर पेश न हो। उस वक्त हमको गौर से सोचना चाहिये कि आया यह कानून ऐसा तो हम नहीं बना रहे हैं कि जिसके मुताल्लिक़ दो रायें हो सकती हों। इसलिये जहां तक प्रोफेसर साहब का यह कहना है कि इस भवन को फैसला नहीं देना है, बल्कि इस भवन के सदस्यों के अन्दर एक सावरेंटी रेस्ट करती (प्रभुसत्ता रहती) है जो जनता देती है, यह एक बुनियादी सवाल है और मैं समझता हूं कि अगर प्रोफेसर साहब इस पर गौर करेंगे तो इसके मुताल्लिक़ दो रायें नहीं हो सकती हैं।

दूसरा सवाल जनाब प्रोफेसर साहब ने जो उठाया कि यह मसला सेलेक्ट कमेटी को रेफर होना चाहिये था, मुझे ताज्जुब है कि इस भवन में एक बार नहीं सैकड़ों बार इस सरकार की तरफ से यह मोशन आया, मिनिस्टर महोदय खड़े हो कर यह कहते हैं कि इस बिल को हम सेलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजते हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि इस बिल के सिलसिले में आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम पार्टीज़ के लीडरों से गुफ्तगू करने की कोशिश की और नाम तक हासिल करने की कोशिश की और इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि यह डिसक्वालिफिकेशन आफ मेम्बर्स के बिल की एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी। जनाबवाला, यहां तक हुआ कि वह कमेटी आया जुमा को बैठेगी या शनिश्चर को बैठेगी। इस पर यह कहा गया कि जुमे को ही रखा जाय, शनिश्चर और एतवार को छुट्टी हुआ करती है। जहां तक गुफ्तगू पहुंच चुकी थी तो मुझे ताज्जुब है कि प्रोफेसर साहब का यह एतराज कि अपोजीशन की तरफ से यह सवाल पैदा ही नहीं हुआ और उन्होंने इस सुझाव को नहीं रखा, कहां तक ठीक है। उन्हें शायद याद नहीं कि अपोजीशन के बैठने वाले मेम्बरों ने बार बार कहा कि ऐसे कानून के लाने की अब कोई जरूरत ही नहीं है जबकि यह हाउस तीन महीने के बाद खत्म होने वाला है। जब हम उस उसूल को ही नहीं मानते, उस बुनियाद को ही तस्लीम नहीं करते और जब हम कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर जब प्रिंसिपल को मान लेते तभी तो हम सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने के मसले पर सोचते और ध्यान देते। हम तो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हर आदमी यह समझता है कि यह हो नहीं सकता कि वे सदस्य जो कि स्टैंडिंग कमेटियों के मेम्बर बनाये गये हैं वह किसी तरह भी डिसक्वालीफाई हो जायं, न वह आफिस आफ प्राफिट कहा जा सकता है और न वे निकाले जा सकते हैं और न उनको किसी प्रोटेक्शन (रक्षा) की जरूरत है। तो डिसक्वालीफिकेशन का सवाल चन्द आदमियों का रह जाता है और उन चन्द आदमियों में से मैं समझता हूं कि सिर्फ एक जो लेबर इंक्वायरी के प्रेसीडेंट साहब हैं उनके खिलाफ गवर्नर साहब को दरख्वास्त दी गई है और किसी

के खिलाफ कोई ऐसी दरख्वास्त गवर्नर साहब को नहीं दी गई और जहां तक लेबर इंक्वायरी कमेटी के प्रेसीडेंट का सवाल है वह मसला भी ऐसा था जिसको कि तय करते कराते और गवर्नर महोदय के फैसला होते हवाते दो-तीन महीने से ज्यादा खत्म हो जाते और इसके बाद फिर वह हाउस खत्म हो जाता। वह डिसक्वालिफिकेशन भी ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से कि वह एलेक्शन लड़ न कर सकते। यह कोई डिसक्वालीफिकेशन उसके लिये नहीं थी, सिर्फ वे जो ४२० या ४०९ या और इसी तरह के किसी खास वजह की बिना पर डिसक्वालीफाई होते हैं उनके लिये ही यह कहा जा सकता है कि वह मेम्बर एलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह से उस मेम्बर की जात पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिये ही हमने इस मसले पर इतने दिनों तक बहस की।

जनाब वाला, जहां तक गवर्नमेंट कमेटीज का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह उसूल ही गलत है। अगर इस हाउस के अन्दर एक सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि इस सवाल को जांचने के लिये इस मसले पर एक कमेटी एप्वाइंट (नियत) की जाय तो मुझे याद है कि आज से करीब १ १/२ साल पहले एलेक्ट्रिसिटी के मसले पर एक-दो लाइन का बिल आया कि सन १९४९ में खत्म होने वाला है सन् १९५२ के लिये कर दिया जाय। उस पर इधर के बैठने वाले मेम्बरों ने डिबेट शुरू की थी और चार दिन तक बराबर इस हाउस में डिबेट को किया गया और गवर्नमेंट को कंडेम्न (निन्दित) किया गया और इस पर जोर दिया कि एक कमेटी बनाई जाय और भवन की एक कमेटी बनाई गई ताकि इस मसले पर बयान दे सके और वह मसला चार रोज तक चलता रहा। मुझे ताज्जुब है कि इस ऐवान में बैठने वाले अभी तक यही सोचा करते हैं कि इस तरफ के बैठने वाले वक्त जाया करते हैं और देरी लगाते हैं। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के माने क्या हैं? पार्लियामेंट फ्रेंच वर्ड "पार्ली" से निकला है जिसके माने "टाकिंग" के हैं, यानी दुनिया के तमाम जम्हूरी निजाम में यही होता है। पहले फैसला तलवारों से हुआ करता था लेकिन जब दुनिया तरक्की करती गई और हालत बदली तो दुनिया ने महसूस किया कि मसले तलवार से न हल होकर आपस में बातचीत होकर हल हों। "पार्लियामेंट इज ए प्लेस आफ टाकिंग"। (संसद बातचीत का एक स्थान है)। यहां तलवार के जरिये से फैसले नहीं किये जाते हैं, तलवार से सर नहीं काटे जाते हैं, बल्कि जबान से फैसले होते हैं और हाथों से सर काट दिये जाते हैं। यहां वक्त जाया होने का सवाल नहीं है, आज सवाल है इसकी अहमियत और जरूरत का। आपने देखा कि एलेक्ट्रिसिटी कमेटी पर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के बाद लीडर आफ दि हाउस ने कहा कि कमेटी एप्वाइंट (नियत) होगी और सरकार ने वह कमेटी एप्वाइंट की। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कमेटी सरकार मुकर्रर करना चाहती है उसको उसे इस हाउस के अन्दर मुकर्रर करनी चाहिये और ऐसी कमेटी जो सरकार नियुक्त करे उनमें कोई डिसक्वालीफिकेशन का सवाल पैदा ही नहीं होगा।

जहां तक एलाउंसेज, टी० ए० या डी० ए० का सवाल है, उसके लिए एक खास दफा मौजूद है। इसलिये न कोई डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हता) का सवाल एराइज होता (उठता) है और न कोई नये ऐक्ट बनाने का सवाल पैदा होता है। इस सिलसिले में जो यहां सवाल किया गया था उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया सिवाय इसके कि गवर्नमेंट कुछ लोगों को जगहें देना चाहती है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोग इस बिल के जरिए रुपया लेना चाहते हैं वह सरकार के जो बड़े बड़े महकमे हैं उनमें नौकरी करलें। अगर कोई अप्वाइन्टमेंट का मामला हाउस के सामने आयेगा और हाउस उसमें अपनी रजामन्दी दे देगा, तो फिर डिसक्वालिफिकेशन का कोई सवाल ही नहीं एराइज होगा।

[श्री फखरुल इस्लाम]
इन हालात में जब कि एलेक्शन्स बहुत क़रीब हैं ऐसा कंट्रोवर्शियल (विवाद ग्रस्त) बिल ला करके अगर वह यह समझते हैं कि इस पर ज्यादा बहस करना वक्त का जाया करना है तो इसकी जिम्मेदारी खुद सरकार के ऊपर है। शायद यह कहा जाता है कि आफिस आफ प्राफिट की कोई डिफिनीशन (परिभाषा) नहीं है। इसके मुताल्लिक़ बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं और फिर इस विधान के बनाने वाले क्या कोई मामूली दि.ाग के लग थे? बेहतरीन दिल व दिमाग के लोग इस विधान के बनाने वाले हैं। न सिर्फ इस सूबे के बल्कि तमाम हिन्दुस्तान के बड़े बड़े दिल दिमाग रखने वाले लोगों ने इस विधान को बनाया है। वह जरूर जानते होंगे कि आफिस आफ प्राफिट है क्या और किस किस्म का आफिस आफ प्राफिट हो सकता है जिसकी बिना पर मेम्बर्स डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि यह पालिसी जो गवर्नमेंट अख्तियार कर रही है न जायज है, न मुनासिब है, न सही है और न इसे अख्तियार करना चाहिये। इसलिये जिन हालात के अन्दर यह बिल पेश किया गया है वह ऐसे हैं कि जिनको देख कर यह जरूरी हो जाता है कि यह बिल रद्द कर दिया जाय।

हमारे प्रोफेसर साहब ने यह फरमाया कि इस भवन के अन्दर ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं पेश किया गया जिससे यह बिल एक नयी सूरत अख्तियार कर लेता। जनाबवाला, मैं आपके जरिए प्रोफेसर साहब को बतलाना चाहूंगा कि जब वह खुद ही यह कहते हैं कि यह विधान के स्ट्रक्चर (ढांचा) को चेंज करने का ऐसा मसला है जिसमें कोई तरमीम पेश ही नहीं हो सकती है, तो अगर अपोजीशन बेंचेज पर बैठने वाले एसी कोई तरमीम पेश करने से कासिर रहे तो इसमें क्या बुराई है। जैसा कि खुशवक्त राय जी ने शुरू में अपनी तक़रीर में फरमाया था कि बजाय इस बिल के आप ऐसा बिल लाइये कि ऐसी ग़लती हो चुकी है कि कुछ सदस्यों ने आफिस आफ प्राफिट होल्ड (पद ग्रहण) किया है और जो डिसक्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन उनको कंडोन (परिमर्ष) कर दिया जाय, माफ कर दिया जाय और जो दरखवास्त पड़ी है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सरकार ने उस पर खयाल नहीं किया गोकि यह कानून सिर्फ इस भवन के लिए है और जो नया भवन बनेगा वह अपने लिये नये कानून बनायेगा। मैं समझता हूं कि आफिस आफ प्राफिट का मसला इतना आर्डिनरी नहीं है जिस पर हम आप इतनी आसानी से कोई फैसला कर सकते हैं। दुनिया में जहां जहां डिमोक्रसी चल रही है, आप देखेंगे कि वहां आज तक वह एक सही और मुनासिब नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं कि क्या क्या आफिस आफ प्राफिट हो सकते हैं। अगर सरकार वाक़ई एक डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव (अनर्हता को दूर) करना चाहती थी और चाहती थी कि इस तरह का बिल आये, और अगर बहुत सोच समझ कर इस मसले पर राय दी गयी होती मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होता। मैं समझता हूं कि इसकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं। इस विधान के पास करने से यह भवन अपनी साख को बुलन्द नहीं करेगा, बल्कि नीचे गिरायेगा और जैसा कि इधर के बैठने वाले मेरे दोस्तों ने कहा, इसके लिये वक्त नहीं है कि फेडरल कोर्ट या हाईकोर्ट जायें।

सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाये हैं जिनमें बहुत सी खामियां हैं और नजीर ऐसी मौजूद हैं कि जब सरकार के बनाये हुए कानून हाईकोर्ट ने रद्द कर दिये हैं। इसलिये हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस पर गौर करें कि ऐसा कानून स्टेटयूट बुक में न लाइये जिससे दुनिया हम पर हंसे। हम सुना करते थे कि इंगलिस्तान का राजा मर्द को औरत और औरत को मर्द बना सकता है। यह इंगलेण्ड के मुताल्लिक़ रवायत मौजूद है, लेकिन यह सरकार जो अपने को जनता की सरकार कहती है, जो डेमाक्रेसी के उसूलों पर जिन्दा रहना

चाहती है जो राइटियसनेस (सत्य परायणता) के उसूलों पर अमल करना चाहती है वह क्यों मुतमन्नी है कि वह ऐसे विधेयक से जनता के सामने डिसक्वालिफिकेशन आफ मेम्बर्स के सिलसिले में ऐसी चीजें पेश कर सकती है ? इसलिये, जनाबवाला, जैसा मेरे दोस्तों ने कहा है इस भवन ने अपने वक्त को जाया नहीं किया बल्कि उसने हर एंगिल से, हर विजन (दृष्टिकोण) से तमाम खराबियां इस कानून की पेश कीं, वह वक्त नहीं बरबाद हुआ। ऐसी सूरत में आप अपने रांग आइडियाज़ (ग़लत भावों) को छिपाना चाहते हैं और कानून के साथ जुल्म करना चाहते हैं। जब ऐसी सूरतें हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिये। अब भी वक्त है कि वह भवन से इस कानून को हटा ले। अभी गवर्नर महोदय का फैसला नहीं हो सकता। उसका वक्त और इस दरमियान में १७ तारीख तक एक दूसरा आसान बिल ले आये। उसमें आप कुछ पार्टिकुलर [विशेष] मेम्बर्स के लिये क्लियर (स्पष्ट) कानून लाकर कह दें कि हम इनको माफ करना चाहते हैं, लेकिन बकिया का जिनका कोई सरोकार ही नहीं है उनको रहने दें, वरना आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और देखेंगी कि इस भवन के बैठने वाले सदस्यों ने अपनी कमजोरियों और कमियों को एक कानूनी शक्ल देकर किस तरह से कानून का खून किया है और अपनी मैजारिटी (बहुमत) के द्वारा कैसे कैसे कानून बनाए हैं जिनके ऊपर दुनिया हंसेगी और दुनिया को हंसना पड़ेगा। इसलिये सरकार इस पर ध्यान दे और ग़ौर करे और इसको वापस ले ले।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुझे वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दी जाय।

अधिष्ठाता—मैं देखता हूं कि अभी कुछ माननीय सदस्य इस पर बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं और उनमें एक इंडिपेंडेंट मेम्बर भी हैं जिनको तीसरे वाचन पर बोलने का अवसर नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि अभी तो वह अवसर नहीं आया है जिस पर बहस बन्द की जाय। एक भाषण के बाद आप इसको फिर उपस्थित करें और उस समय अगर मैं यह देखूं कि अन्य बहुत सदस्य विवाद में भाग लेना नहीं चाहते तो मैं आपका प्रस्ताव ले लूंगा।

श्री सुलतान आलम खां—जनाब चेयरमैन साहब, इस बिल पर आज कई रोज से बहस हो रही है और आज यह अपनी तीसरी रीडिंग में चल रहा है और शायद थोड़ी देर के बाद यह बिल इस असेम्बली से पास हो जायगा। कहा यह गया है कि इस बिल पर जो बहस हुई, बाज लोगों का यह खयाल है कि उसमें कुछ वक्त जाया हुआ या खर्च हुआ; तो मैं समझता हूं कि इसमें शक नहीं कि इस भवन को जितना वक्त एक बिल पर खर्च करना चाहिये था उससे ज्यादा इस पर खर्च हुआ। लेकिन इसका एक नफा ऐसा हुआ कि आफिस आफ प्राफिट जैसे उसूली और जैसे बुनियादी मसले के ऊपर काफी रोशनी पड़ गयी। अगर्चे आफिस आफ प्राफिट सन् १९३५ के ऐक्ट के बाद यहां रहा लेकिन कभी इसके इस्तेमाल करने और उस पर राय लेने का मौक़ा नहीं आया। यह शायद पहला मौका है कि इस पर इतनी तसकीन के साथ गुफ्तगू करने का मौक़ा मिल रहा है। अगर इस तरह से इस पर ग़ौर किया जाय तो मैं समझता हूं कि जो ज्यादा वक्त इस बहस में सर्फ हुआ है उसका जरूर कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। मैं यह भी समझता हूं कि इस बिल पर जितनी ज्यादा बहस हुई वह बहुत कुछ एवाएड (दूर) की जा सकती थी और तफसील में न जाकर इतना जरूर कहूंगा कि अगर इस बिल पर कोई सेलेक्ट कमेटी बैठ जाती तो इसका डिसकशन (चर्चा) बहुत काफी कम हो जाता और हमें एक ठंडी फिजा में इस मसले पर ग़ौर करने का मौक़ा मिलता।
मैंने कल भी यह बात खंड ३ पर तक़रीर करते हुये कही थी और मुझे यह उम्मीद

[श्री सुल्तान आलम खां]

थी कि माननीय मंत्री थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) में अपनी तक़रीर फरमाते वक्त इसके मुताल्लिक कुछ फरमायेंगे, लेकिन मुझे मायूसी हुई जब माननीय मंत्री ने अपनी तक़रीर शुरू की तो सिर्फ इस प्रस्ताव को पेश कर दिया और उसके मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इज़हार नहीं किया। कहा यह जाता है कि सेलेक्ट कमेटी इस वजह से नहीं बैठ सकी कि लीडर आफ अपोज़ीशन (विरोधी पक्ष के नेता) की तरफ से यह तजवीज़ आई और वह पेश नहीं हुई ख्वाह वह आर्डर पेपर पर आई। तब भी बहुत आसानी के साथ अपनी जानिब से गवर्नमेंट यह इनीशियेटिव (प्राथमिकता) ले सकती थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। आम-तौर पर यह दस्तूर रहा है कि जो बिल बुनियादी हैसियत या उसूली हैसियत से आते हैं या ओरीजनल (प्राथमिक) हैसियत के आते हैं तो उन्हें आमतौर पर सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है और उसकी वजह यह है कि वहां ठंडी फिजा में ग़ौर होता है और इ के अलावा भवन का बहुत सा समय जो मुख्तलिफ किस्म के अमेंडमेंट (संशोधनों) में लग जाता है वह बच जाता है, हालांकि इस बिल के मामले में उसका वक्त जाता रहा है। लेकिन बुनियादी हैसियत से यह मसला ऐसा है कि जिसे गवर्नमेंट को अपने तहत में रखना चाहिये और हमेशा इसका ख़याल रखना चाहिये। जो बिल तारीख़ी हैसियत रखते हैं वे ज़रूर सिलेक्ट कमेटी में जाने चाहियें या जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी (वाद-प्रतिवाद) हो। यह बिल ज़रूर ऐसा था कि जो सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये था मगर यह नहीं जा सका, इसका मुझे अफसोस है।

जनाबवाला, कल जब मैंने खण्ड ३ पर कुछ अर्ज किया था तो उस वक्त मैंने इस सिलसिले में २-३ बातों का जिक्र किया था। उनमें से एक बात तो यह थी कि मैंने दरियाफ्त करना चाहा था कि बेशक यह सही है कि गवर्नमेंट को इस किस्म का कानून लाने का हक़ है। मगर हमारा कंस्टीटयूशन २६ जनवरी सन् ५० से लागू है तो फिर पौने दो साल से ऐसा बिल क्यों नहीं लाया गया। मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाने का हक़ हासिल है और यह इसलिये भी सही मालूम होता है कि बहुत से लोग जो इन्नोसेंटली डिसक्वालीफाई हो गये हैं, जिसमें उनका कोई जाती हाथ नहीं था, उनके लिये कोई न कोई प्रावीजन ज़रूर होना चाहिये जिससे वे लोग उससे एग्ज़ेम्पशन (मुक्ति) हासिल कर सकें। आखिर इस बिल को बहुत आसानी के साथ २५ जनवरी के बाद फौरन् लाया जा सकता था। लेकिन पौने दो साल तक यह बिल नहीं लाया गया। उसकी क्या वजह है, कम से कम इस हाउस को इसके मुताल्लिक़ मालूम होना चाहिये। मैंने यही अर्ज की थी लेकिन जो जवाबी तक़रीर दी गयी उसमें इसके मुता-ल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। मुझे मालूम नहीं कि क्या असबाब पैदा हुए जिनकी वजह से इस बिल को लाने में इतनी देर की गयी। मैं समझता हूं कि यह भवन इस बात का मुस्तहक है कि वह इन दिक्कतों और दुशवारियों को मालूम कर सके जिनकी ......

अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चंद मिनटों में वह जो कुछ कह रहे हैं उसका सम्बन्ध प्रथम वाचन और कमेटी स्टेज (प्रक्रम) से है। उस समय इन सब बातों पर प्रकाश भी पड़ चुका है और मान-नीय सदस्य उन बातों को कह चुके हैं। इस समय वह अपने भाषण में उसी पर प्रकाश डालें जो तृतीय वाचन में उपयुक्त है।

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने कल यही बात कही थी। मैं जानना चाहता था कि इसके मुताल्लिक़ गवर्नमेंट का रवइया क्या है। लेकिन इसके मुताल्लिक़ कोई चीज़ नहीं दी गयी। मैंने सिर्फ इसका रिफ्रेंस अपनी तक़रीर में दिया था।

हुजूरवाला, दूसरी चीज यह कि इस बिल को देखने से मालूम होता है कि यह बिल एक जनरल बिल है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के और इस बिल को देखने के बाद एक नजर में इस बात का खयाल पैदा होता है कि यह बिल बहुत जनरल है। इसके होने से सिर्फ यही राय कायम की जा सकती है कि गवर्नमेंट इस पालिसी पर अमल करना चाहती है कि इस फैलाव को जहां तक हो सके फैलाया जाय यानी वह चाहती है कि हाउस के मेम्बरान से वह काम जो हाउस के बाहर का है जहां तक मुमकिन है लिया जाय। और अगर मैं गलती नहीं करता तो मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि इस बिल में इस बात की कोशिश की गयी है कि जहां तक इस बिल का स्कोप वाइड (क्षेत्र व्यापक) हो सके उतना रखा जाय ताकि वक्त जरूरत जब इस गवर्नमेंट को इस ऐवान के मेम्बरान से काम लेने की जरूरत पेश आये, ऐडवाइजर्स (परामर्श-दाताओं) की हैसियत से तो उन तमाम कामों को लिया जा सके। मैं समझता हूं कि यह बिल स्टैटचूट बुक पर जरूर आ रहा है और जरूर आयेगा। लेकिन इस बिल की मौजूदगी के बाद भी गवर्नमेंट कनवेंशंस (प्रथाएं) कायम कर सकती हैं। हेल्दी कनवेंशन्स (सम्यक प्रथाएं) कायम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बिल के पास करने के बावजूद भी हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम ऐवान के मेम्बरान से कम से कम यह खिदमत लें जो बाहर की हों। इसलिये दुनिया में जहां-जहां डेमोक्रेसी हैं उनका यह मुसल्लिमा उसूल है कि तीन उसूली आर्गनाइजेशंस [संगठन] होते हैं, लेजिस्लेचर, इक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी। सही निजाम डेमोक्रेसी वही है जहां ये तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट [स्वतन्त्रता] काम करते हैं। एक इंडिपेंडेंट एक्जिक्यूटिव हो, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो और एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर हो। अगर लेजिस्लेचर के कुछ अख्तियारात एक्जीक्यूटिव से लें, एक्जिक्यूटिव के कुछ अख्तियारात लेजिस्लेचर से लें, और जुडिशियरी के कुछ अख्तियारात लेजिस्लेचर से लें तो इससे एक किस्म की दिक्कत पैदा हो जाती है और जो अधिकार हर एक के अलहदा अलहदा डिफाइन कर दिये गये हैं, उसमें दुश्वारी पैदा होगी। तो मैं बड़े अदब से गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि उनकी पालिसी यह हो कि जुडीशियरी अलहदा रहे, एक्जिक्यूटिव अलहदा रहे, और लेजिस्लेचर अलहदा रहे। यह जमाने का तकाजा है और हमने बार बार इसी भवन के अंदर सेपेरेशन [पृथकता] आफ जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव पर जोर दिया है और गवर्नमेंट ने अगरचे पूरे तरीके पर नहीं तो हाफ हार्टेड वे (अरुचिपूर्ण ढंग पर) से उस चीज को मंजूर भी किया है। इस सूबे में अगर्चे जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव बिल्कुल सेपेरेट (पृथक) नहीं हुई हैं फिर भी बहुत हद तक डिमार्केशन कर दिया गया है और जब एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी की अलहदगी होती है तो मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर के लिए यह चीज और भी जरूरी है।

लेजिस्लेचर का काम बढ़ रहा है और आने वाले कांस्टीटियूशन में जबकि हाउस भी बढ़ेगा और मेम्बरान के फरायज भी बढ़ेंगे उनकी ऐक्टिविटीज (कार्यकलाप) भी बढ़ेंगी तो मैं समझता हूं कि जो मेम्बर ईमानदारी से अपने फरायज को पूरी तरह से अंजाम देने के लिये कोशिश करेंगे उनके लिये मुश्किल से कोई वक्त निकलेगा कि असेम्बली के पार्लियामेंटरी वर्क के अलावा कोई एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) पार्लियामेंटरी वर्क अंजाम दे सके। ऐसी सूरत में अगर किसी मेम्बर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंटरी वर्क दिया जाय तो इसके माने यह होंगे कि वह ऐट दी एक्सपेंस आफ पार्लियामेंटरी वर्क [संसदीय कार्य का नुकसान करके] दिया जा रहा है। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं और मैं महसूस करता हूं कि हमारे इस सूबे के अंदर, मुल्क के अन्दर और इस ऐवान के अन्दर और इस ऐवान के बाहर ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इन

[श्री सुल्तान आलम खां]
कामों को अंजाम न दे सकें। कुछ मुकाम ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर हाउस के बाहर ऐसे लोग न हों जो एडवाइजरों की हैसियत से या आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की हैसियत से काम का अंजाम न दे सकते हों। यह कहना कि हाउस के लोग ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है तो इसके माने यह हैं कि हमारे सूबे के और मुल्क के लोगों के कैलीबर [शक्ति] का सही अंदाजा नहीं हो सका है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इस बात को मानेगी और हर शख्स मानेगा कि हमारे यहां ऐसे लोगों की बहुत काफी तादाद है। किसी पार्टी या जमाअत में ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग न हों जो इस किस्म के ओहदों को संभाल न सकें।

हुजूरवाला, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि जहां तक लेजिस्लेचर का ताल्लुक है उसको वही शख्स अंजाम दे जो पालियामेंट वर्क करने के लिये आया हो, किसी सूरत में एक्जीक्यूटिव का काम है तो उसको एक्जीक्यूटिव आफिसर ही अंजाम दे। उसमें दूसरे लोगों का कतई हाथ नहीं होना चाहिये। इसी तरह से जुडीशियरी के काम को भी जुडीशियरी के लोग ही अंजाम दें, यानी जुडीशियरी भी इंडिपेंडेंट [स्वतन्त्र] होनी चाहिये। अगर लोग सब अपनी-अपनी जगह पर काम करेंगे तो यह दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी।

मेरे बुजुर्ग और दोस्त प्रोफेसर कृष्णचन्द्र ने एक बात बड़े मजे की कही थी। उन्होंने फरमाया था कि वह चाहते थे कि इस बिल में ऐसा अमेंडमेंट लादें जिसके जरिये से जिन लोगों ने आफिस आफ दी प्राफिट होल्ड (लाभ का धारण) किया है उनको इस वक्त मुस्तसना किया जाय और आयन्दा लोगों को इजाजत न दी जाय। लेकिन उन्होंने फरमाया था कि उनको कुछ दिक्कत और दुश्वारियां थीं जिसकी वजह से वह इस किस्म का अमेंडमेंट इस बिल में पैवस्त न कर सकें यानी लगा नहीं सके। मैं नहीं समझ सकता कि उनकी दुश्वारियां क्या थीं। बहरहाल, वह विद्वान आदमी हैं उनको कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन एक नतीजा निकलता है कि हाउस के अन्दर ख्वाह वह इधर का बैठने वाला हो, ख्वाह उधर का बैठने वाला हो, उनकी इस बात की ख्वाहिश जरूर है कि जो लोग इस ऐवान के अन्दर पालियामेंटरी वर्क (कार्य) करते हैं उनसे एक्जीक्यूटिव का काम न लिया जाय।

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह बात जरूर है। इसका यनानिमिटी (सर्वसम्मति) सबूत है और यह चीज जाहिर करती है कि हमारे यहां काफी लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है और उन लोगों ने जोर दिया है कि गवर्नमेंट ऐसा कानून लाये जिससे जो लोग ऐसे ओहदों पर काम करते रहे हैं उनको एक्जेम्प्शन (मुक्ति) मिल जाय, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, वह तो अननोइंगली (बिना जाने हुये) काम करते रहे हैं। हम लोग जनरल वे में आमतौर पर एक उसूल बना लें या एक पालिसी बना लें। लेकिन इसको एन्करेज (प्रोत्साहित) करना मैं समझता हूं कि किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। अगर हम सेंटर के ऐक्ट को पढ़ें, अगरचे प्रोफेसर साहब ने यह राय जाहिर की है कि वह ऐक्ट उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा और उनको दूसरा ऐक्ट लाना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका खयाल सही हो। लेकिन जो बिल हमारे सामने है उसकी स्पिरिट (भावना) बतलाती है कि हम उतना ही काम लेना चाहते हैं जितने काम की हमें जरूरत है, जो इसके ओहदे या पद थे, जो गवर्नमेंट ने बना दिये थे जिसकी वजह से कुछ मेम्बरान डिस्क्वालीफिकेशन में आ गये थे उसे दूर करने की कोशिश की है। इसके जरिये से इस पालिसी पर अमल करने की या इन्करेज (प्रोत्साहित) करने की ख्वाहिश नहीं की है। लेकिन हम जब अपने यहां के बिल को देखते हैं तो कुछ ऐसी बू उसमें आती है कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट शायद इस पालिसी को इन्करेज (प्रोत्साहित) करना चाहती है और इसलिये मैं बड़े अदब से गवर्नमेंट

के सामने यह चीज रखूंगा कि यह किसी सूरत में मुनासिब नहीं होगा यह डिमोक्रेसी उसूल के खिलाफ है और जो पार्लियामेंट्री वर्किंग है उसके लिये भी मुफीद और मुनासिब नहीं है, हालांकि मैं गवर्नमेंट की नीयत पर हमला नहीं करता। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने नेकनियती से इस चीज को पेश किया है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि दूसरे लोगों के दिलों में इसकी वजह से शकूक पड़े हैं या पड़ रहे हैं और मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो शकूक पड़े हैं वे गलत हैं और उसको रफा करने के लिये अकदाम जरूर लिये जाने चाहियें। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों ऐसा कन्वेनशन बनाया जाय। हम समझते हैं कि हमें ऐसा कन्वेंशन बनाना चाहिये जो हेल्थी हो और हमारा काम भी सफर न करें और उसके जरिये से हम पार्लियामेंटरी और एक्स पार्लियामेंटरी ऐक्टीविटीज को अलहदा कर सकें।

हुजूरवाला, जब मैं इस बिल के प्रिएम्बिल (प्रस्तावना) को पढ़ता हूं तो उसमें मैं यह देखता हूं

"Whereas it is expedient to provide for the settlement of doubts regardi ıg certain offices being offices of profit and for consequential matters;"

[य ः आवश्यक है कि कुछ पदों के विषय में उनके लाभ का पद होने के संशय को दूर करने के लिये एवं तत्संबंधी परिगणित विषयों के संबंध में व्यवस्था की जाय ;]

तो मुझे यह चीज महसूस हुई कि यह बिल जो ड्राफ्ट हुआ है वह महज इसी वजह से ड्राफ्ट हुआ है कि शकूक रफा किये जायं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक तरफ तो लोगों के दिमागों में ऐसे शकूक पड़े कि आफिस आफ प्राफिट की वजह से बहुत से लोग डिसक्वालिफाइड हो गये और इसकी इबारत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट खुद अपनी जगह पर डाउटफुल (संदिग्धपूर्ण) है कि आया इसके बाद भी डिसक्वालिफिकेशन हुआ या नहीं है। गवर्नमेंट ने यकीनन अपने मुशीरों से मशविरा किया होगा और हमारे माननीय न्याय मंत्री जी बहुत ही फाजिल और काबिल कानूनदां हैं, उन्होंने खुद भी इस पर गौर किया होगा और उनकी कैबिनेट में भी इस पर गौर हुआ होगा और यकीनन वह डेफीनिट (निश्चित) नतीजे पर पहुंचे होंगे और तभी यह बिल लाये होंगे लेकिन प्रियेम्बिल (प्रस्तावना) के जो अल्फाज हैं वह अनहेल्थी (अच्छे नहीं) हैं और इन अल्फाज से यह साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट अपनी जगह पर खुद इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आया लोगों के दिमाग में जो शकूक हैं वह सही हैं या गलत है। हुजूरवाला, मैं नहीं समझ सका कि इस आखिरी स्टेज (अवस्था) पर कैसे कह दूं कि मेरी सलाह बहैसियत एक लेमैन (साधारण जन) के गवर्नमेंट के लिये मुफीद हो सकती है। लेकिन बहरहाल यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसको जरा रिस्ट्रेंट (निग्रह) से अमल किया जाय। बेशक यह बिल उन लोगों के डिसक्वालिफिकेशन [अनर्हता] को रिमूव [दूर] करता है, जिन्होंने नेकनियती से काम किया था। इस बिल के लिये यह कहा जा सकता है कि "बिल इज बैड" (विधेयक बुरा है) लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनकांस्टीट्यूशनल [अवैधानिक] है, लेकिन मैं इतना फिर आखिर में अर्ज करूंगा कि बावजूद इसके कि यह बिल आ रहा है और यह पास भी हो जायेगा और इससे गवर्नमेंट को बहुत वसीअ अख्तियारात मिल जायेंगे और इतने वसीअ अख्तियारात मिलेंगे जितने न इस गवर्नमेंट को अब तक थे और जितने सेन्टर (केन्द्र) को भी नहीं मिले, मिल जायेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब यह बिल ऐक्ट बनकर आयेगा तब गवर्नमेंट इस पर बहुत रिस्ट्रेन्ट (निग्रह) से काम लेंगे और सिर्फ स्पेशल केसेज में जब अनपार्लियामेंटरी वर्क के लिये बेहतर लोग बाहर से न मिल सकें तब तो नान-पार्लियामेंटरी वर्क के लिये यहां से लोग ले लिये जायेंगे, वरना पार्लियामेंटरी वर्क फार पार्लियामेंटरी पीपुल और एक्स्ट्रा पार्लियामेंटरी वर्क फार आउटसाइडर्स (बाहरी लोगों के लिये) रहना चाहिये,

[श्री सुल्तान आलम खां]

ताकि हम सही कंवेंशंस [परम्परा] कायम कर सकें और हमारी जुडीशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स सब इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) हों और हर एक के फरायज को अलहदा अलहदा डेफीनिट (निश्चित) कर दिया जा सके। इन अल्फाज के साथ में इस बिल की यहां तक तो ताईद करता हूं कि यह बिल यहां से पास होकर उन लोगों की डिसक्वालिफिकेशन को दूर कर दे जितने लोग अब तक डिस्क्वालिफाई (अनर्ह) हुये हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् से क्लोजर मूव (विवाद समाप्ति प्रस्ताव उपस्थित) करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं अनुमति देता हूं कि आप उपस्थित कर सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर अब विवाद समाप्त किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस प्रश्न पर अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर--जनाबवाला, मुझे यह लगता है कि गवर्नमेंट ने इस बिल में जो अल्फाज यह लिख दिये इस कानून के मुताल्लिक़ कुछ शुबहात हैं तो इसने शुबहा पैदा कर दिया जिसकी वजह से आज ४ दिन से मुतवातिर इसी पर बहस होती चली जा रही है और किसी तरह से शुबहात रफा नहीं होते। जितनी मेरी जबान में ताक़त थी और जितना कानून के सिलसिले में बता सकता था हर तरह से मैंने कोशिश की कि उन शुबहात को रफा करूं लेकिन बदकिस्मती से आखिर वक्त तक जो तकरीर हुई है उसमें भी यह जाहिर किया गया है कि ये शुबहात गवर्नमेंट के गलत हैं, यह नहीं होने चाहिये थे और बिलआखिर यह कहा गया कि इस बिल की जरूरत नहीं थी और बहुत से मेम्बरान ने तो यह फरमाइश की कि इस बिल को वापस ले लिया जाय और दूसरा बिल इस किस्म का पेश कर दिया जाय। बहरहाल जहां तक कि इस बिल की वापसी का ताल्लुक़ है मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट का इरादा इस बिल को वापस लेने का नहीं है और मैं अपने जवाब में चन्द उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि वाकई सीरियस किस्म के एतराजात हैं या ऐसे एतराजात हैं जिनका असर हो सकता है। हमारे विरोधी दल के नेता मेरे दोस्त त्रिलोकी सिंह साहब ने शुबहा को निहायत मुदल्लल और पुरमग्ज बताया और उसमें उन्होंने दो बातें खासतौर से उठाई और मैं चाहता हूं कि खास तौर से उन्हीं दो बातों का जवाब दूं और मुझे यकीन है कि उन दो बातों का जवाब देने में बहुत से उन एतराजात का जवाब हो जायगा जो इस सिलसिले में उधर से किये गये हैं। इसके अलावा जो दो तकरीरें एक तो मेरे को लीग (सहयोगी) मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस ने और दूसरी मेरे दोस्त कृष्णचन्द्र जी ने की उनमें बहुत सी बातों का जवाब दे दिया गया है।

पहली चीज जो उधर से पेश की गयी है वह यह थी कि पार्लियामेंट ने अपना जो बिल पेश किया है उसमें इस किस्म के अल्फाज नहीं रक्खे गये शक वगैरह के, बल्कि उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि:--

"It is hereby declared that the following offices of profit under the Government shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being Members of Parliament;"

[अतः यह प्रख्यापित किया जाता है कि सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पद अनर्ह नहीं करेंगे और संसद के सदस्य होने के नाते पदाधिकारियों को अनर्ह नहीं समझा जायगा।]

बहस यह थी कि इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया को इसके मुताल्लिक़ शक नहीं था तो क्या वजह इसकी है कि यू० पी० गवर्नमेंट के दिमाग में शक थे। उनके

पास बड़े बड़े आफिसरान थे और आसानी के साथ अपने शकूक को वह रफा कर सकते थे। मैं निहायत अदब के साथ तवज्जह दिलाऊंगा उस प्रिएम्बिल [प्रस्तावना] की तरफ और उस आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य और कारण) की तरफ जो इस बिल के साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया के शाया हुये हैं। अगर उसको पढ़ा जायगा तो उसमें यह लिखा गया है। आर्टिकिल १०२ जो हमारे आर्टिकिल १९०-१९२ के बराबर है —

"Article 102 of the Constitution lays down that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State other than an office declared by Parliament by law not disqualify its holders.

There are certain Committees or Boards set up by the Government both before and after the commencement of the Constitution to which Members of Parliament had been appointed and were in receipt of certain allowances and or fees like subsistence allowances, daily allowances and travelling allowances in connection with their duties as Members of such Committees or Boards. As it is felt that in these cases the question as to the disqualification for membership of Parliament is not free from doubt and in any case as such appointments were made under the *bonfaide* belief that they would not amount to a disqualification under Article 102 (1) (a) of the Constitution, the Bill makes provision to remove the disqualification retrospectively."

[संविधान के अनुच्छेद १०२ में व्यवस्था की गयी है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण किये हुये है।

संविधान के आरम्भ होने के पहले तथा बाद में सरकार ने कुछ समितियां तथा बोर्ड स्थापित किये हैं, जिनमें पार्लियामेंट के सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं और उन्हें ऐसे बोर्डों तथा समितियों के सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्य पालन के संबंध में कुछ भत्ते या शुल्क जैसे निर्वाह भत्ते, दैनिक भत्ते, तथा यात्रा भत्ते मिले थे। क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि इन मामलों में संसद की सदस्यता की अनर्हता का प्रश्न संदेह से मुक्त नहीं है और किसी भी दशा में क्योंकि ऐसी नियुक्तियां इस सदभावना से की गयी थीं कि संविधान के अनुच्छेद १०२(१) (क) के अन्तर्गत वे अनर्हता का कारण नहीं बनेंगी अतः यह अधिनियम अनुदर्शी रूप से अनर्हता के निवारण के लिये उपबन्ध करता है।]

मुझे निहायत अदब के साथ अर्ज करना है कि उन्होंने अपने आब्जैक्ट्स और रीजन्स [उद्देश्य और कारण] में यह लफ्ज लिख दिये हैं कि उनको उसके मुताल्लिक शक था। चुनांचे उनको फीस दी जाती थी या उनको और एलाउन्सेज दिये जाते थे इस वजह से इस किस्म के शकूक पैदा हुये। हमारे बिल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि जिस डाउट की बुनियाद पर हम जो यह बिल लाये हैं उसको हमने उसमें भी लिख दिया है। जहां तक शकूक का सवाल है वह यहीं तक है कि आफिस आफ प्राफिट के ओहदे कौन कौन हैं जैसा कि मेरे कलीग (सहयोगी) ने अपनी तक़रीर में जाहिर किया यह समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी लाइन खींच दी जाय जिससे दोनों का फर्क निकल जाय और दोनों ओहदे अलग अलग हो जायं। बहुत से ऐसे

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

ओहदे हैं जहां बरायनाम डी० ए०, टी० ए० मिलता है और बाज सूरतों में ऐसे ओहदे भी आफिस आफ प्राफिट होते हैं जिन पर किसी किस्म का मुआविजा नहीं मिलता है। इस वास्ते इसकी जरूरत होती है कि कानून में इस किस्म की तशरीह कर दी जाय। इसीलिये इस कानून की जरूरत पड़ी और हाउस के सामने पेश किया गया।

दूसरा एतराज जो निहायत शिद्दत के साथ किया गया वह यह है कि जो चीज गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपने कानून में रखी वह यहां क्यों नहीं रखी गयी। यह क्यों नहीं लिखा गया कि १, २, ३, ४ और ५ ओहदे जिनकी वजह से डिसक्वालिफिकेशन हुई है और उसको हम रिमूव करना चहते हैं। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इसमें सिर्फ फर्क अप्रोच (पहुंच) का है। इसका जवाब प्रोफेसर कृष्णचन्द्र साहब दे चुके हैं। मैं उसको दुहराना नहीं चाहता। मुझे उसका दूसरा जवाब यह अर्ज करना है कि जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमारे बिल का ताल्लुक़ है उनमें कोई प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) का फर्क नहीं है। हमने आफिस डेजिगनेट [पद का नाम] करने के बजाय कटेगरीज (श्रेणियां) बनाई हैं और लिखा है कि उसको डिसक्वालीफिकेशन से मुस्तसना समझा जायगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो नाम लिखे गये हैं उनसे पता नहीं चलता कि उनको किस किस किस्म के एडवांटेज (लाभ) गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से दिये गये। ऐसा भी मालूम होता है, जैसा कि मस्लन मैं अर्ज करूंगा, गोकि मैं इस पर एतराज नहीं करता हूं कि एक आफिस है आफीशियेटिंग (स्थानापन्न) असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर जिनको फीस मिलती है। उनको इसकी भी जरूरत थी कि वे उनको भी इससे मुस्तसना करें। इसलिये जरूरत हुई कि वह उस तजवीज को उसमें लाये। जहां तक हमारे बिल का ताल्लुक़ है हमारे यहां ऐसे वाक़यात नहीं हुये हैं। हमारे यहां चन्द कंम्पेंसेटरी एलाउन्सेज (प्रतिकर भत्ते) मिलते हैं। कंपेंसेटरी अलाउन्सेज के मानी यह हुये कि कोई ऐसी चीज जो आउट आफ पाकिट ऐक्सपेंसेज से हो जाती है, वे ज्यादा इखराजात जो मेम्बरान को अपने फर्ज के अदा करने में बरदाश्त करने पड़ते हैं, उनकी अदायगी गवर्नमेंट से होती है। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में जहां तक हमारे बिल का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि अगर आप गौर से देखेंगे और मुंसिफाना नजर से देखेंगे और महज इस नीयत से, इस नजर से नहीं कि उसकी नुक्ताचीनी ही करनी है, उसे गलत ही ठहराना है, तो आप देखेंगे कि यह तरीका ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम कोई फेहरिस्त लम्बी चौड़ी दे देते और उसमें यह कहते कि साहब, जितनी फेहरिस्त हमने दे दी उसमें जो लोग हैं वे आफिस आफ प्राफिट में नहीं हैं, ये मुबर्रा हैं। इसकी वजह से आपके सामने धोखा हो जाता है और आप यह नहीं समझ पाते जब तक कि तशरीह नहीं मांगते कि जिनके नाम लिखे गय हैं, उनको कितनी कितनी रक़म मिली और उनको क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के फायदे पहुंचे हैं। अब हमने जो बिल पेश किया है उसमें हर किस्म के फायदे, जिन फायदे की बिना पर मैं कहता हूं कि ये लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैं उसकी पूरे तौर पर तशरीह कर दी है और गालिबन आप देखेंगे तो आपको यकीनन मालूम पड़ेगा कि बिल में पूरी तशरीह है बजाय इसके कि उसमें यह लिख दिया जाता कि हमने ए० बी० सी० डी० को मुस्तसना कर दिया और उनको चाहे हजारों रुपये का फायदा पहुंच पाता और आपको मालूम भी नहीं होता कि इस हैसियत के सिलसिले में किस किस्म का फायदा पहुंचा है और क्या क्या फायदा पहुंच सकता है। लिहाजा मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि जो तरीका हमने अख्तियार किया है वह यह है कि हमने कम्पेनसेटरी (प्रतिकर) लफ्ज इस्तेमाल किया है और उसकी तशरीह कर दी है सिवा इसके कि ए० बी० सी० डी० को बिल में लिख दें कि हमने इनको मुस्तसना कर दिया है।

मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि एतराज करने के लिये तो बहुत गुंजाइश है और एतराज तो हो सकता है। लेकिन इतनी तकरीरें हुई, चार दिन तक बहस हुई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी समझ में कोई ऐसा अहम एतराज नहीं आया, जिसकी वजह

से मैं यह समझूं कि इस बिल में कोई खराबी है या हम किसी सूरत में किसी तरह से डैमोक्रेटिक प्रिंसपिल (सिद्धान्त) को या किसी उसूल को तोड़ रहे हैं। विरोधी दल के डिप्टी लीडर श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने कानून की ४, ५ दफात का हवाला दिया। जैसे उन्होंने आर्टिकिल १९०, १९१ और १९२ का हवाला दिया। मैं यह जानता हूं कि इसका असर कुछ न कुछ इस एक्ट के ऊपर है और इसी आर्टिकिल के मातहत यानी १९१ के मातहत हमने यह कानून पेश किया है लेकिन जहां तक और आर्टिकिल्स का ताल्लुक है यानी १९४, १९५ या प्रीएम्बिल या १७०, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या ताल्लुक मौजूदा बहस से है। यहां आगे मैंने अपनी बहस में तशरीह कर दी है कि अगर हाउस का कोई मेम्बर है तो वह महज इस वजह से कि उसने डिस्क्वालिफिकेशन कोई इस किस्म का इनकर किया जिसके मुताल्लिक डाउट (सन्देह) है तो वे मेम्बर नहीं रहते हैं। मैंने यहां साफ तौर पर इस चीज को अर्ज कर दिया है कि इन आर्टिकिल्स यानी १९०, १९१ और १९२ में जो फर्क है वह साफ लिखा हुआ है। आर्टिकिल १९१ में जिस मेम्बर को ओहदा दिया जाता है वह इस गरज से दिया जाता है कि उस ओहदे को लेने के बाद वह शख्स मेम्बर नहीं रहेगा। बरखिलाफ इसके अगर कोई ऐसा होता है जो बहैसियत मेम्बर के उसके मुताल्लिक कोई ड्यूटी, फरायज मामूर किया जाता है जिसकी बिना पर कोई काम अंजाम देगा तो उसके लिये उसे मुआविजा मिलता है और उसके मुताल्लिक सवाल उठता है कि यह शख्स बावजूद इसके कि जिम्मेदारी अपने सर लेता है उसे कम्पेनसेटरी एलाउंस मिलेगा तो आया वह मेम्बर रहेगा या नहीं। ऐसी सूरत में वह मेम्बर उस वक्त तक रहेगा जब तक कि १९२ के अन्दर कोई डिक्लेरेशन उसके मुताल्लिक गवर्नर की तरफ से नहीं होता। इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि हम लोग कानून के जरिये से ऐसे लोगों को जो कि आफिस होल्ड किये हुये हैं उनको हाउस का मेम्बर बनाये रखना चाहते हैं। कहने का मंशा यह है कि जितने लोग हैं, जितने आदमी हैं बार बार कह दिया करते हैं वे सभी मेम्बर हैं और मेम्बर रहेंगे बावजूद इसके कि उनको डेली एलाउन्स (दैनिक भत्ता), कनवेएंस एलाउन्स (यात्रा भत्ता), कम्पेनसेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) ट्रेवेलिंग एलाउन्स ऐंड (यात्रा भत्ता और) आकेजनली ए कार ऐट दि एक्सपेंस आफ गवर्नमेंट (सरकार के व्यय पर कभी कभी मोटर कार) मिलता है। और यह सिर्फ इसी वजह से उनको मिलता है कि उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया है जिसके एवज में उनको एलाउन्सेज मिलते हैं। जो आफिस आफ प्राफिट होल्ड कर रहे हैं उनके लिये यह मुनासिब समझा जायगा या नहीं, इसके मुताल्लिक जो शक है उसी को इस कानून के जरिये हम साफ कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस के ऊपर जो एतराज किया गया और जो उसूल बयान किये गये उन में से हमने किस उसूल की खिलाफवरजी की है और किस तरह से हमने किन डैमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स (सिद्धान्त) की पाबन्दी नहीं की है।

मैं आपसे निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यहां बड़ी लम्बी चौड़ी बहस की गई लेकिन कोई माकूल वजह बयान नहीं की गयी कि जिस से समझा जाय कि इस बिल में कोई खास खराबी है कि जिसकी वजह से यह कानून गलत है या ऐसा है कि जिसकी वजह से इस को तसलीम न किया जाय या कि यह अन्देशा हो कि आगे अदालत इसको नहीं मानेगी बहरहाल तकरीरों में इंगलिस्तान का हवाला दिया गया कि वहां लोगों ने इस्तीफा दे दिया और यह कहा गया कि यहां भी लोग खुद अपनी तरफ से मुस्तफी हो जायं। मैं निहायत अदब से आप से अर्ज करूंगा कि अगर उन मेम्बरान को या गवर्नमेंट को एक मिनट के लिये भी बदगुमानी होती कि वह मेम्बर नहीं है तो मुमकिन है कि उनकी बात का कुछ असर होता। लेकिन मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि न तो वह मेम्बर ही ऐसा समझते हैं और न यह सरकार ही ऐसा समझती है।

इंगलिस्तान में ऐसी भी मिसालें हैं कि लोगों ने अपने ओहदों का पूरा फायदा उठाया है। वहां पर तीन आदमी जो पालियामेंटरी सेक्रेट्री के ओहदे पर थे उन पर इलजाम लगाया गया। वह अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। डिसक्वालिफिकेशन हुई

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

और उन लोगों को अलग किया गया। लेकिन कम से कम हमारा जो खयाल है वहां न तो गवर्नमेंट की नियत इस तरह की है और न मेम्बर्स की किसी तरह की गलत नियत की बात है कि जिस की वजह से वह कोई नाजायज फायदा उठा रहे हों या उन की कानशंस (आत्मा) को कोई अन्देशा रहा हो। म्युनिसिपैलिटी की मिसाल दी गई है और कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटी में बहुत सी पाबन्दी आयद की जाती है जो यहां भी मेम्बरान के ऊपर होनी चाहिये। अगर एक स्टेप (पद) और आगे बढ़ें तो म्युनिसिपैलिटी में ही नहीं बल्कि एक दरजा वह जो है कि जितने फरायज वह अन्जाम देते हैं उन को कोई मुआविजा नहीं मिलता। लेकिन यहां तनख्वाह, टी० ए०, डी० ए० सब मुकर्रर हैं। लिहाजा इस तरह की मिसालों से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। मैं आप से निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जो उसूल हैं उनको सच्चे तौर से एप्लाई (लागू) करना है। लिहाजा हर चीज पर एतराज करना मैं समझता हूं कि एक गलत तरीका है और इससे कोई फायदा नहीं होता और मैं समझता हूं कि इस कानून में कोई खराबी नहीं है जैसा कि विरोधी दल की तरफ से जाहिर किया गया। इन अल्फाज के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि हाउस इस को मंजूर करे।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५१ ई०, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—६८

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ईर्तिजा हुसैन, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
खुशीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जुगलकिशोर, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
परागीलाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मसुरियादीन, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में–१७

अम्मार अहमद खां, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगाधर, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
चेतराम, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नजीर, श्री
बीरेन्द्र शाह, राजा
शंकरदत्त शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
साजिद हुसैन, श्री

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीनुएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक*

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, सन् १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मुझे अधिक तो कुछ कहना नहीं है। जिन उद्देश्यों से यह विधेयक फिर इस भवन में विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है वे तो इस विधेयक के साथ संलग्न हैं। उनको देखने से सदस्यों को भली-भांति इस बात का परिचय मिल जाता है कि इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है। आज भी इस सरकार की और केन्द्र की सरकार की नीति यह है कि कंट्रोल और राशनिंग की व्यवस्था चले और उस व्यवस्था को चलाने के लिये गल्ले का संग्रह किया जाय। जब हमारे प्रदेश की यह नीति है तो जो गल्ला सरकार इकट्ठा करे उस गल्ले को रखने के लिये भी सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध होना चाहिये। इसी कारण से सर्वप्रथम सन् १९४७ में इस प्रकार का विधेयक इस भवन के सामने रखा गया था, जिसमें कि यह निर्णय हुआ था कि स्टोरेज एकोमोडेशन को प्राप्त करने के लिये सरकार को अधिकार रहें। उस विधेयक की आखिरी तारीख ३१ दिसम्बर, १९५१ है। आज भी हम गल्ला प्रोक्योर कर रहे हैं, गल्ले को संग्रह कर रहे हैं और उसे जमा करने के लिये और इकट्ठा करने के लिये गोदामों और खत्तियों की आवश्यकता है। इस वर्ष तो इन गोदामों और खत्तियों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि केन्द्र की सरकार को बाहर के देशों से गल्ला काफी

*यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा की २७ अगस्त, १९५१ ई० की कार्यवाही में छपा।

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मात्रा में उधार लेना पड़ रहा है और वह गल्ला केन्द्र की ओर से प्रदेश की सरकारों की मातहती में विभिन्न प्रदेशों की गोदामों में रखा जायगा। इसलिये इस बात की और भी आवश्यकता है कि इस तरह के एकोमोडेशन (जगहों) को रिक्वीजीशन करने का अधिकार सरकार को रहे। सरकार ने इन वर्षों में इस बात का प्रयत्न किया है कि वह अपनी तरफ से कुछ खत्तियां बनवाये। १९४९-५० में सरकार ने १३९६ खत्तियां बनवाईं, जिनमें करीब ७ लाख मन गल्ला रखा जाता है। ऐसा एक और गोदाम कानपुर में दो लाख मन गल्ला रखने के लिये बनवाया। मगर १९४९-५० के बाद सरकार को अपने इस कार्य में थोड़ी रोक डालनी पड़ी, क्योंकि रुपये की कमी हुई। इसलिये जितनी और खत्तियां हम आइन्दा सालों के लिये बनाना चाहते थे उसमें कुछ असमर्थ हुये इसलिये हमने फिर यह तय किया कि हम प्राइवेट एजेंसीज से खत्तियां बनवायें और उनको खत्ती बनाने के लिये लोहा, सीमेंट, कोयला इत्यादि की मदद दें ताकि जिस प्रकार की खत्तियां हम चाहते हैं वह हमारे लिये बनवायें और हमें मुनासिब किराये पर दें। इस प्रकार की खत्तियां प्राइवेट एजेंसीज ने इस प्रदेश में उन दो वर्षों में बनाई हैं और हमने उनको उन चीजों की मदद दी है जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक की आज भी आवश्यकता है क्योंकि गल्ले को हमें गोदामों में और खत्तियों में रखना है और उसके लिये जगह की आवश्यकता है। इन कारणों से यह विधेयक इस भवन के विचारार्थ पेश किया जा रहा है और इसमें और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस भवन के सदस्य इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री खुशवक्तराय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अन्न मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कान्टीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, पर विचार करने के लिये प्रस्ताव करते हुये जो भाषण किया है उसको मैंने बहुत ही गौर से सुना और उसके सुनने के बाद मेरी जो राय इस विधेयक के आने से पहले थी वही राय कायम है और मुझे दुःख है कि माननीय अन्न मंत्री जी ने जो एक अपील की है कि हम इस बिल के साथ सहानुभूति प्रकट करें वह मैं नहीं प्रकट कर पाऊंगा। बात यह है कि किसी भी विधेयक को जब कोई भी मंत्री महोदय इस भवन के सम्मुख लाते हैं तो उनके लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि वह यह बतावें कि इस विधेयक की जरूरत क्या है। इस विधेयक को पास कराने के लिये उनके अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ जब चुनाव आने वाला है तो यह भी बतलाना चाहिये कि इस विधेयक से किसी दुरुपयोग की गुंजायश तो नहीं है। ये तीन ऐसी बातें हैं जो मैं समझता था कि जब इस विधेयक पर विचार करने के लिये माननीय मंत्री जी प्रस्ताव उपस्थित करेंगे तो इन बातों पर प्रकाश डालेंगे।

अगर उन्होंने इस पर प्रकाश डाला होता तो शायद अपना जो मेरा पहले विचार था और जिस विचार के अधीन होकर मैंने एक संशोधन भी दिया है, मैं शायद अपने उस विचार को बदलता, परन्तु मुझे दुःख है कि वह बातें नहीं बताई गईं। अब मैं वह बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और वह बातें ये हैं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमने रुपये की कमी की वजह से स्टोरेज (गोदामों) का काम बन्द कर दिया। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब आप इस बात का जिम्मा लेते हैं कि जितनी राशन्ड जनता है उसे आप खाना खिलायेंगे, तो आप इस बात का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं कि उनको जो अन्न दिया जाय वह ठीक जगह पर रखा जाय। आप उसके लिए स्टोरेज क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। चीज यह है कि जो चीज पहले होनी चाहिये, उसका आप ख्याल नहीं करते हैं और दावा यह कर देते हैं कि साहब हम तो हर आदमी को अन्न देंगे। आप कमिट (आश्वासन) कर देते हैं मगर यह नहीं देखते

हैं कि उसका इंतजाम भी करना जरूरी है या नहीं। आप यह कहते हैं कि रुपये की कमी हो गयी। अगर रुपये की कमी हो गयी थी तो और बहुत से काम थे, जो जरूरी नहीं थे, उनको न करते और यह गल्ले के स्टोरेज का काम करते जिस पर जनता का स्वास्थ्य निर्भर करता ह। मैंने अभी हाल में माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि जो राशन जनता को मिलता है उसमें १३ सौ कैलोरी एक आदमी को मिलती है। वैसे तो ३ हजार कैलोरी चाहिये लेकिन उनके ऐसे आदमी का काम २६ सौ कैलोरी से चल जाता है। अगर यही मान लिया जाय तो जहां २६ सौ कलोरी की जरूरत है वहां आप २३ सौ कैलोरी देते हैं। इस तरह अगर अच्छा अन्न हुआ तब तो १३ सौ कैलोरी प्राप्त होगा और अगर अच्छा अन्न न हुआ तो बजाय १३ सौ के हजार ही रह जायगी। इसका आप को प्रबन्ध करना चाहिये था, परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

माननीय मंत्री जी को याद होगा कि इस भवन में जब बजट पेश था तब यह कहा गया था कि यह वेलफेयर स्टेट (सर्वोदय राज्य) है। वेलफेयर स्टेट (सर्वोदय राज्य) जो होती है वह इन बातों की जिम्मेदार होती है और वह इन जिम्मेदारियों को निभाती है कि हर आदमी को भर पेट खाना मिले। अगर हमारे यहां अन्न की कमी है तो यह अन्न के रखने के लिए स्टोरेज का ठीक इन्तजाम होना चाहिये। परन्तु यहां इसका ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया। अगर आप के पास स्टोरेज का इन्तजाम नहीं ह तो आप गल्ले को कहां रखेंगे। अभी तक हमारे यहां लार्ज स्केल (बड़े पैमाने पर) पर स्टोरेज नहीं बने थे। हमारे यहां के जो गल्ले के व्यापारी थ वह बहुत थोड़ा गल्ले का काम किया करते थे और उनके पास स्टोरेज बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज (संग्रह शक्ति) में नहीं हुआ करते थे। साथ ही साथ यहां स्टोरेज इस तरह के साइंटिफिक नहीं हुआ करते थे जिनमें गल्ला बहुत ज्यादा दिनों तक रखा जा सके। माननीय मंत्री जी को यह बातें मालूम होंगी कि हमारे यहा गल्ले की स्टोरेज कपेसिटी जो होती थी वह बहुत थोड़े दिन के लिए होती थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक तरीक़े स्टोरेज में बरते जाने चाहिये कि जिससे गल्ला खराब न हो, गल्ला सूखे नहीं, वह बातें भी नहीं होती थीं। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस भवन में एक प्रश्न का जवाब देते हुये उन्होंने कहा था कि जो गल्ला स्टोरेज में रखा जाता है उसमें कुछ सूखता है और जो गल्ला इधर-उधर से भेजा जाता है उसमें भी कुछ खराब होता है। अगर उनके पास स्टोरेज का ठीक प्रबन्ध होता तो शायद यह बात नहीं होती, परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं किया। यदि सरकार इस ओर प्रयत्न करती तो वह दूसरे खर्च काट कर यह कर सकती ह, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे खर्च किये हैं जो जरूरी नहीं थे। मैं समझता हूं कि उनको इस मामले को प्रायरिटी (प्राथमिकता) देनी चाहिए था, परन्तु यदि उनका प्रायरिटी देने का इरादा होता, यदि उनके दिल में प्रायरिटी का खयाल होता, तो इसके लिये वह अपनी कैबिनेट में लड़ते, इसके लिए वह रुपया लेते और स्टोरेज बनवाते।

दूसरी बात उन्होंने इसी के साथ यह कही कि उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो बाहर के लोग हैं उनसे स्टोरेज बनवा लें। लेकिन यह सोचने की बात ह। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात के लिए तैयार थे कि उनको कंट्रोल रेट (नियंत्रित दर) पर बिल्डिंग मैटीरियल (निर्माण सामग्री) दिलवा दें। लेकिन क्या उन्होंने यह भी कभी सोचा कि जो पैसे वाला आदमी है जब तक उसको कुछ प्राफिट (लाभ) नहीं होगा उस वक्त तक कभी वह बनवा सकता है? आज तक उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया कि किसी व्यापारी या पैसे वाले से कहा हो कि तुम बनवा दो, हम दो, चार, आठ साल के लिये इसको लेंगे। जब तक वह यह

[श्री खुशवक्त राय]

आश्वासन न दें तब तक यह कहना कि हमने व्यापारियों को बिल्डिंग मैटीरियल दे देने को कहा, व्यर्थ सी बात है। जो आदमी पैसा रखता है वह तो यह चाहता है कि उससे हमको मुनाफा हो और खास कर व्यापारीगण। अभी हमारे देश में ऐसे आदमियों की बहुत बड़ी कमी है जो इस बात पर तैयार हों कि उनको मुनाफा न हो, और फिलैंथ्रापिस्ट स्पिरिट (उदार भावना से) से कोई काम कर दें। जहां तक मैं जानता हूं उसके बारे में हमने और हमारे उन सज्जनों ने जो कि आज सरकार बने हुये हैं इस बात की कोशिश नहीं की कि फिलैंथ्रापिस्ट स्पिरिट पैदा भी हो। जो सिर्फ प्राफिट मोटिव से काम करते हैं उन व्यापारियों से यह कहना कि वह बिना मुनाफे के कोई काम कर दें यह उनकी सिर्फ पायस विश (पवित्र भावना) है।

दूसरे माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अन्न की कमी है, ठीक है। अन्न आपको प्रोक्योर (संग्रह) करना है, आपकी नीति के अनुसार। मैं नहीं मानता कि अन्न को प्रोक्योर करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी नीति है उस हिसाब से अन्न को प्रोक्योर करना है। मैंने आपके जरिये यह इत्तिला चाही थी कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अलग अलग प्रतिवर्ष कितने निजी गोदाम रिक्वीजीशन किये हैं। दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि ४७ में जो गोदाम रिक्वीजीशन किये गये उनकी कुल कितनी कैपेसिटी थी और इस वक्त रिक्वीजीशंड गोदामों की कैपेसिटी कितनी है। इसके उत्तर में जवाब आया है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

४ और ५—इनफारमेशन नाट अवेलेबिल (सूचना अप्राप्य)।

४७ में आपने कानून बनाया। ४९ में उसकी तरमीम हुई और ५१ में आप फिर ले आये हैं। लेकिन आप उसकी फेहरिस्त नहीं दे सकते कि आपने कितने गोदाम रिक्वीजीशन किये। अगर हमको मालूम हो जाता कि जिलेवार कितने कितने गोदामों की जरूरत है तब तो हम कुछ गौर भी कर सकते थे कि आपको जरूरत है। लेकिन आपको जरूरत की इत्तिला नहीं है और आपने विधेयक बना कर पेश कर दिया। लेकिन आप के पास इसकी इत्तिला नहीं कि आपकी जरूरत क्या है। तो यह जो विधेयक आप ले आये हैं उसकी क्या जरूरत है यह मेरी समझ में नहीं आता।

एक बात मेरे ध्यान में आती है। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया और माननीय निर्माण मंत्री ने उसको दोहराया, क्योंकि वह सुन नहीं पाये थे वह बात दुरुपयोग की है। वह इस प्रकार से आती है। आप अधिकार चाहते हैं कि आप जिस किसी के मकान को चाहें रिक्वीजीशन कर लें स्टोरेज मान कर। उसका दुरुपयोग सोचिये क्योंकि आप नेगोशिएशंस (समझौता वार्ता) से तय करना नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि जब से शहरों में राशनिंग हो गयी है तब से गल्ले का व्यापार व्यापारियों के पास रहा नहीं और उनके पास जो स्टोरेज हैं जिनको आप रिक्वीजीशन करना चाहते हैं वे उनके पास एक तरह से बेकार पड़े हुए हैं। अगर आप निगोशिएशन करते तो मुझे वजह नहीं मालूम पड़ती कि वह क्यों नहीं दे देते जबकि खाली पड़े हुए हैं और उनसे वे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से बात नहीं करना चाहते हैं बल्कि आप तो यह चाहते हैं कि ऐसे अधिकार हों जिससे कोई इंकार न कर सके। चीज तो यह थी कि आप यह कहते कि हमें अब इस बात की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम बाई

नेगोशियेशन (समझौते) बात करना चाहते हैं। ५ साल से हम आपको अधिकार दिये हुये हैं और आप उसके अनुसार काम करते रहे। अब आप फिर अधिकार चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपको आदत बिगड़ जायगी और जब आपके पास से यह अधिकार हटाये जायेंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकार के बल पर चलने वाला उसी तरह से होता है जैसा कि बैसाखी के बल पर आदमी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब दुरुपयोग की बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं और इसमें पैसे वाले व्यक्तियों की हर एक को जरूरत होती है। उनके पास पैसा होता ही है और सवारियां होती हैं और कुछ बहुत असर भी होता है। इन लोगों के पास अगर ऐसी अकोमोडेशन (स्थान) हैं तो उनके ऊपर आप नाजायज दबाव डाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हिम्मत की गो मुश्किल है, मगर यह हिम्मत की कि इस वक्त जो सरकार है उसके आदमी की वह सहायता नहीं करता है तो आपको मौका मिलेगा इसके दुरुपयोग करने का और आप कहेंगे कि हम तुम्हारी अकोमोडेशन को स्टोरेज के लिये ले लेंगे। वह सोचेगा कि राड़ से हार भली। इसलिये वह कहेगा कि जितने मेरे आदमी हैं वह सब आपको वोट करेंगे। इसलिये इन सब बातों को देखते हुये आवश्यक तो यह है कि आप इस बिल को ही न लायें और इसको वापस ले लें और जो कर्मचारीगण हैं उनको हिदायत करें बाई नेगोशियेशन बात करके गोदाम दिलवा दें। आपको मालूम है। मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट द्वारा अपाइन्टेड कमेटी (नियुक्त समिति) का मेम्बर हूं। इस संबंध में मुझे जो जानकारी हुई है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। मगर इतना कहना चाहता हूं जो जानकारी मुझे इस सिलसिले में नहीं हुई है। अगर आप बाई नेगोशियेशन बात करें तो बड़ी आसानी आपको अकोमोडेशन के मिलने में हो। वह जमाने चले गये जब डिफेंस आफ इंडिया रूल्स (भारत रक्षा नियम) थे और हालत खराब थी अब वह बात नहीं है। जब आदमी के पास कोई खाली चीज पड़ी होती है और कोई साहब आकर कहें कि इसके चार पैसे ले लो जब कि उसकी कीमत तीन ही पैसे होती है तो कोई वजह नहीं है कि वह उसको स्वीकार न करे। इस तरह से मेरे पास कोई चीज बेकार हो और उसके अच्छे पैसे मिलते हों तो कोई वजह नहीं है कि मैं उसको स्वीकार न करूं।

इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय अन्न मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है और इसको पास करने की जरूरत नहीं है। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार का अवधिकाल बहुत कम है। यह आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि दूसरी सरकार आयेगी ३१ दिसम्बर तक उसके बाद केवल महीने दो महीने की बात रह जाती है। फिर नई सरकार आयगी और उसकी नई नीति होगी और जो नीति वह चलायेगी उसको मजबूती से चलायेगी। हमारी मौजूदा सरकार की तो बात यह है कि वह आज एक बात करती है तो कल दूसरी बात कर देती है। इसलिये मौका दिया जाय और चुनाव हो जाने दिये जायं। दो महीने अधिकार न रहें न सही। फिर नई सरकार आयेगी वह नीति तय करेगी। आज आपकी जो नीति है उसके खिलाफ काफी असंतोष है और उसके होते हुये जब आप चुनाव में हिस्सा लेंगे तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि उसके ऊपर भी प्रकाश डालें। चाहे हम उसके मुआफिक कहें या उसके खिलाफ और जब हम ऐसी बातों को कहने के बाद भी यह कहते हैं कि नये लोग चुन कर आयेंगे, नई गवर्नमेंट चुन कर आयेगी।

श्री बनारसी दास--जब आपकी सरकार आयेगी तब आप परिवर्तन कर लीजियेगा।

श्री खुशवक्त राय-- तब मैं हुक्म दूंगा। तो मैं कह रहा था कि थोड़े से दिन हैं और थोड़े से दिनों के लिये अधिकार आपके पास मौजूद हैं। चुनाव के बाद जो नयी सरकार आयगी आप उसके हाथ १९५४ तक बांध देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जैसे

[श्री खुशवक्त राय]

आप अकर्मण्य कहें वैसे ही आपकी तरह से आनेवाली सरकार भी अकर्मण्य हो जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय अन्न मंत्री इसको इस वक्त वापस लेवें और जब नई सरकार आवेगी उसको जैसी नई नीति निर्धारित होगी उसका जैसा विचार हो वैसा वह करे।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां— जनाब वाला, मैंने बड़े गौर से आनरेबिल मिनिस्टर आफ फूड की तकरीर को सुना और उसी के साथ साथ कुंवर खुशवक्त रायजी ने जो अपोजीशन की जानिब से तकरीर की है उस पर भी मैं बराबर गौर करता रहा। यह जरूर कहूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ फूड ने जो तकरीर की है उसी के साथ साथ मैं चाहता था कि उसके अन्दर वह पूरी स्टोरेज पोजीशन (स्थिति) सरवे (जांच) करते, इस वास्ते कि यह स्टोरेज के रिक्वीजीशन का मसला इस हाउस के सामने सन् १९४७ से बराबर आता रहा है। सन् ४७ के बाद सन् ४९ में आया और अब यह बिल फिर पेश हो रहा है और इसमें ५४ तक के लिये इजाजत चाही गई है। इस तरफ के बैठने वालों का यह हक़ है कि वह यह उम्मीद रखें कि जब कोई लेजिस्लेशन (विधान) इस हाउस के सामने पेश हो तो पूरी मुमकिन सर्वे उस काम की जिस गरज के लिये वह बिल लाया जा रहा है रखी जाय। लेकिन आनरेबिल मिनिस्टर की तक़रीर से यह बात पूरी तौर पर जाहिर नहीं होती। लेकिन इस तसवीर का दूसरा रुख यह भी है कि गिजा का मसला ऐसा मसला है जिसके लिये हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवाजें उठ रही हैं। इधर हमारी तरफ से यह कहा जाता है कि खलकत भूखों मरी जा रही है और जिस तरह से भी हो सके गवर्नमेंट को चाहिये कि उनके लिये गिजा गल्ला बहम पहुंचाये और चुनान्चे गवर्नमेंट चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट उसने इस वक्त तक कोशिश की और जहां तक हो सका गल्ले को बाहर से लाकर जिस तरह से भी हो सका यहां के रहने वालों के पेट को भरा। अब इस तरफ से यह कहना कि हमें गल्ला भी जहां तक हो सके बहम पहुंचाया जाये और बाहर से अनाज मंगाया जावे, लेकिन गल्ला स्टोर करने के लिये स्टोरेज के मुताल्लिक़ कानून न लाया जाये, चूंकि एलेक्शन होने वाले हैं यह नजीर मेरी समझ में नहीं आती।

आज सोशलिस्ट पार्टी के लीडर भी रेलवे स्ट्राइक के मुताल्लिक़ तजकिरा करते हैं तो ख्वाह किसी और बात से इख्तिलाफ हो, लेकिन जहां तक गिजा का मसला है उनको भी यह कहना पड़ता है कि अगर रेलवे स्ट्राइक होती भी है तो गिजा के मामले में रेलों का आना जाना इससे मुस्तसना रहेगा। मैं इस चीज को समझ सकता हूं, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं जो कुंवर खुशवक्त रायजी ने कहा कि साइन्टिफिक़ तरीका क्यों नहीं अख्तियार किया गया जिससे स्टोरेज का गल्ला अच्छी हालत में रहे। ऐसी सूरतें क्यों नहीं अख्तियार की गई कि गल्ला खराब न हो मैं इससे सब्बा भर माफिक़ हूं। बेशक गवर्नमेंट से यह एक्सपेक्ट (आशा) करना चाहिये कि वह बेहतर से बेहतर जो साइंटिफिक़ जरायें और तरीके अवेलेबिल (प्राप्य) हों और हासिल हो सकते हैं उन सबको गिजा और गल्ले की हिफाजत के लिये, अच्छाई और बेहतरी के लिये कोई न कोई अख्तियार करे और गवर्नमेंट की जानिब से यह कोताही रहती है तो गवर्नमेंट अपने फर्ज में कोताह है। इन सब चीजों से मुझे इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि इस वक्त जब कि गल्ला हमारे पास आ रहा है, गल्ला रखने के लिये हमें स्टोर्स की जरूरत है उस वक्त हमारा यह कहना, जबकि आनरेबिल मिनिस्टर आफ फूड ने यह जाहिर कर दिया कि स्टोरेज हमारे पास काफ़ी नहीं है, उनको रिक्वीजीशन करना पड़ेगा, उस वक्त यह कहना कि क्यों स्टोरेज नहीं बनाये और अब तक नहीं बना सके हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लिहाजा हम रिक्वीजीशन करने के अख्तियारात नहीं देंगे यह कहां तक सही और दुरुस्त किस्म की पालिसी होगी। मैं इसको समझने से क़ासिर हूं, मैं यह राय नहीं रखता कि गिजा के मसले को या स्टोरेज के मसले को या खरीदारी के मसले को या ट्रांस्पोर्ट के मसले को चेस बोर्ड बनाया जाय जिससे खेला जाय। ऐसी चीजों पर बाजी नहीं लगाई जा सकती, उससे खेला नहीं जा

सकता। मैं बेशक यह चाहूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ फूड कोशिश करें, अपने बहुत से विचारों को पसेपुश्त डालकर गिजा को रखने के लिये स्टोरेज बनायें और रिक्वीजीशन करने की तरफ कम तवज्जह दें। और इस कानून का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिये। बेशक यह चीज ऐसी नहीं है, न इस कानून की मुझे हिमायत है कि रिक्वीजीशन करना कोई सही तरीका है लेकिन उसी के साथ-साथ जो मेरे दोस्त खुशवक्त राय ने जो सब्सटीट्यूट (विकल्प) बतलाया है उससे बिलकुल मुझे इत्तिफाक़ नहीं है। वह सब्सटीट्यूट जो मेरे लायक दोस्त ने फरमाया है कि प्राइवेट नेगोशियेशन के जरिये से स्टोरेज क्यों न हासिल किये जायं, मैं जनाब की मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि यह निहायत खतरनाक पालिसी है अगर गवर्नमेंट से यह कहा गया कि प्राइवेट नेगोसियेशंस शुरू कर दो। मैं नहीं समझ सकता कि आनरेबिल मिनिस्टर फूड किस तरह से डिफेंड (रक्षा) कर सकेंगे अगर उनकी जानिब से यह चीज आती तो मैं पहले मुखालिफत करता। मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि प्राइवेट इन्टरप्राइज़ (वैयक्तिकप्रयास) से कहा जाय कि वे स्टोरेज बनायें और उसके लिये आप कंट्रोल रेट पर सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स मुहइया कर दें। लेकिन आप यह करें कि अपने काम करने वालों से, अपने आफिसरान को यह हिदायत कर दें कि वह प्राइवेट नेगोसियेशन जारी कर दें तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं, यह निहायत गलत पालिसी होगी।

मैं जनाबवाला के जरिये से यह अर्ज करूंगा अपने दोस्तों से जो कि इधर के बैठने वाले हैं कि गिजा का मसला हरगिज इस किस्म का नहीं है जिसके मुताल्लिक़ महज इस बिना पर कि चूंकि हम अपोजीशन में हैं इसलिये अपोज (विरोध) करेंगे। हमारा फर्ज है कि इस तरफ जितने मेम्बर हैं जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं उनको यह नहीं देखना चाहिये, बल्कि उनको एक कंवेंशन क्रियेट (अभिसमय निर्माण) करना है, एक रिवाज कायम करना है कि अपोजीशन के लोग जिस मसले को इस काबिल समझते हैं कि अपोज (विरोध) किया जाय उसको अपोज करते हैं और जिस मसले को इस काबिल समझते हैं कि सपोर्ट (समर्थन) किया जाय उसको सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी दयानतदारी, सच्चाई, हमारा सही और मुंसिफाना नजरिया हर शख्स पर रोशन हो जाय। इन अल्फाज़ के साथ मैं इस रिजोल्यूशन (संकल्प) की ताईद करता हूं।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, रिक्वीजीशन का यह जो इस वक्त एक्सटेंशन बिल आया है इस सरकार ने इससे पहले भी ऐसा ही एक कानून पेश किया था। हमें यह देखना है कि इस कानून के सिलसिले में इस सरकार ने क्या कार्यवाही की और कितना गल्ला स्टोरेज के जरिये से सरकार ने बचाया और उसकी हिफाज़त की है और इस सिलसिले में जो कार्यवाही की है वह मुनासिब है। इस कानून के जरिये से जो अख्तियारात सरकार लेना चाहती है वह सरकार लेने की मुस्तहक़ है, जनाबवाला हमें यह मालूम होना चाहिये। अगर हमारे मुल्क में स्टोरेज आफ ग्रेन (अन्न का संग्रह) का जो तरीका रायज है मुनासिब तौर पर हो जाता है और मुनासिब तौर पर स्टोरेज आफ फूड ग्रेन्स किया जाता है और स्टोरेज के सिलसिले में जो वेस्टेज (बरबादी) होता है वह रोक लिया जाता है, उसके लिये मुनासिब तरीका अख्तियार किया जाता है तो गल्ले की कमी बहुत कुछ रुक जायगी। बाहर से जो गल्ला यहां मंगाया जाता है, वह न मंगाना पड़ेगा। स्टोरेज के सिलसिले में अगर मुनासिब और जरूरी तरीके इस्तेमाल किये जायं, ट्रान्स्पोर्ट (परिवहन) पर जो नाजायज खर्च होता है अगर उसको बचाया जाय तो सरकार का काफी खर्चा बच जायगा और उसकी वजह से गल्ले की कीमत भी कम हो सकती है अगर साइंटिफिक (वैज्ञानिक) और मुनासिब ढंग पर स्टोरेज किया जाय।

आप देखेंगे कि हमारे सूबे का जो स्टोरेज का तरीका है वह एक बड़ा ही गलत और नामुनासिब तरीका है। यानी अगर गल्ला बाम्बे के पोर्ट पर उतरा, उसे यू० पी० के ५२ जिलों में बांटना है तो सरकार को चाहिये कि हर जिले के अन्दर स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम करे, क्योंकि हर जगह ऐसी खत्तियां या गोदाम हो जिनमें पहिले से व्यापारी लोग गल्ला रखते थे

[श्री फख ल इस्लाम]

जो आजकल बेकार पड़े हुये हैं, क्योंकि उनके पास कोई कारबार नहीं है। जब हर जिले के अन्दर यह सरकार स्टोरेज का इतजाम कर लेगी तो आप बाम्बे से सीधे हर जिले के अन्दर गल्ला पहुंचा सकेंगे। लेकिन अब यह है कि पहिले गल्ला फूड कंट्रोलर के पास आता है चाहे वह मेरठ का है, चाहे गोरखपुर या बनारस का है, लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स पर ही सरकार गल्ले का स्टोरेज करती है। एक जगह से दूसरी जगह गल्ला जाने का नतीजा यह होता है कि पहिले गल्ला एक जगह आता है और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है। इस पर काफी पया बरबाद होता है। मालगाड़ी में लादने, बोरा उतारने और बोरा रखने वगैरा के सिलसिले में जो कार्यवाही होती है उसमें काफी वेस्टेज (बरबादी) और खर्च होता है, लेकिन अगर यह सरकार सही और मुनासिब तरीके पर गल्ला इकट्ठा करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट (वितरण) करे तो खर्चा काफी कम हो जाता है। सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर इस सरकार को कारबार करना है तो उसे कारबार के उसूलों को भी सामने रखना चाहिये। वह यह कि बार-बार बोरा खोला नहीं जाता है और बार-बार बोरा तौला नहीं जाता है। गल्ले के चन्द बुनियादी उसूल हैं, और चूंकि गल्ले में मार्जिन बहुत कम होता है इसलिये उनको जरूर अपने सामने रखना चाहिये। अगर ऐसा किया जाय तो हैंडलिंग चारजेज में काफी कमी हो सकती है। पुराने जमाने में व्यापारी खरीद करता था। वह एक जगह पर खरीद लेता था फौरन चन्द उसूलों पर उसको भरवा लिया और डाइरेक्ट (सीधा) होलसेलर को हर जिले में भेज दिया और उसने रिटेलर के पास पहुंचा दिया। जब तक वह रिटेलर को दिया जाता है, वह खोला नहीं जाता। आम तौर पर बोरे के बराबर खोले जाने से वेटेज (वजन) बहुत कम हो जाता है और उसी पर एतराज होते हैं। यहां पर क्या होता है जहां पर प्रोक्योरमेंट (संग्रह) होता है वहां पर वह भरा जाता है और वहां भी शुरू में ही गड़बड़ होता है वहां पर सख्त निगरानी की जरूरत है। किसी उसूल की बिना पर बोराबन्दी होनी चाहिये। वहां से जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) होता है वहां पर वह गल्ला सीधा जाना चाहिये। बीच में यह जो फूड कंट्रोलर साहब रहते हैं यह नहीं रहने चाहिये सिर्फ कागजी तरीके पर ही रहने चाहिये। लेकिन उसको हैंडलिंग (रखने) के लिये फूड कंट्रोलर के दफ्तर में न खोला जाय। मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर आप इस तरह से करें तो यह ९९ फीसदी जो गड़बड़ होती है वह कम हो जायगी और लोगों की शिकायत नहीं रहेगी। बराबर गल्ले का खोला जाना इस बात का मौका देता है कि गड़बड़ हो और उसकी क्वालिटी (गुण) में भी फर्क़ आता है। और जहां पर वह फरोख्त होता हो वहां पर भी निगरानी रखी जाय ताकि लोगों को सहीतौर पर गल्ला मिल सके तो फिर कोई शिकायत का भी मौका नहीं रहेगा। स्टोरेज के कानून से हर जिले में, हर तहसील में जहां पर सरकार को जरूरत है कि स्टोरेज लिया जाय वह उसको हासिल कर सकेगी।

इसके अलावा किसी एक आदमी के अन्दर में वह चीज नहीं होनी चाहिये क्योंकि एक आदमी के जिम्मे काम रहने से उसको गड़बड़ करने का मौका रहता है बैंक के जरिये से अगर इस काम को कराया जाय तो यह ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। बैंक अपना काम किसी उसूल के ऊपर करते हैं और अपने सब माल को गोदामों में सही तरीके पर रखते हैं। अगर उनसे इस काम को कराया जायगा तो जो नुक़सान होता है और ज्यादा फर्क़ पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं कि सरकार के इस कानून के द्वारा कोई खास तकलीफ पब्लिक को नहीं हो सकती है इसलिये कि हर जिले में हर मंडी के अन्दर ऐसी काफी जगह मौजूद हैं, खत्तियां मौजूद हैं जहां पर गल्ला रखा जाता है। उनको अगर सरकार चाहती है तो उन व्यापारियों के लिये यह मौका न हो कि वह इन्कार कर दें। इसलिये अगर सरकार अपनी इस नीति को सामने रखकर उसूल के साथ हर जिले में अपना गल्ला खत्तियों में रखे और जिसके जरिये से उस गल्ले को फरोख्त कराया जाय उस पर भी नजर रखे तो मैं समझता हूं कि बहुत काफी गल्ला

बच जायगा और जो गल्ले की स्केयरसिटी (कमी) है वह भी दूर हो जायगी।

ईशू गोदाम के ऊपर जो आपने नियम बनाये हुये हैं उन पर भी कई हजार या कुछ सौ टन गल्ला वेस्टेज के नाम से होता है। उसके फिगर्स (आंकड़े) फूड कंट्रोलर के दफ्तर में मिलते हैं। अगर सरकार के उन फिगर्स को देखा जाय तो मालूम होगा कि कितना गल्ला वेस्टेज (नाश) होता है। लेकिन हर जगह रखने से और बोरा न खोलने से काफी फायदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि काफी ख्याल इन सब बातों का रक्खा जाय। जो सब से बड़ी दिक्कत ट्रांस्पोर्ट की रहती है वह भी कम हो जायगी और गल्ले की क्वालिटी (किस्म) पर भी इसका असर पड़ेगा, लोगों की शिकायत कम होगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे और गौर करे और इस कानून के जरिये से सही और मुनासिब तौर पर इन्तजाम करे और साथ ही चूहे से तो बचाने का इन्तजाम करती ही है मगर इन इन्सानी चूहों से उनको बचाया जाय और इसके लिये मुनासिब तरीके अख्तियार करे तो इन तमाम चीजों से अच्छा इन्तजाम हो सकता है और सरकार का फायदा भी हो सकता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय अध्यक्ष महोदय, यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कांटीनुएंस आफ पावर्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५१, जो माननीय अन्न मंत्री ने इस भवन के सामने उपस्थित किया है मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने यह राय कायम की कि यह बिलकुल गैरमुनासिब और गैरजरूरी बिल है। मेरे मित्र, श्री खुशवक्त राय जी ने माननीय अन्न मंत्री से जो इन्फारमेशन मांगी थी और जो जवाबात उन्होंने दिये उसके बाद तो मेरी यकीनी राय यह हो गयी कि यह बिल बिलकुल गैरजरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस बुनियाद पर इस भवन के सामने बिल पेश करती है। आज सरकार का, माननीय अन्न मंत्री का यह कहना कि हमारे पास इन्फारमेशन अवेलएबुल (सूचना प्राप्य) नहीं है कि कितने स्टोरेज की हमको जरूरत है। श्रीमान्, आपके द्वारा माननीय अन्न मंत्री से पूछता हूं कि जब यह बिल पेश होने के लिये आया तब भी क्या उन्होंने यह दरियाफ्त नहीं किया कि कितनी कमी है और कितनी जरूरत हमको पड़ेगी जिसके लिये यह बिल पेश किया जा रहा है। अगर्चे यह इन्फारमेशन (सूचना) इस बिल के लाने पर भी नहीं मांगी गयी तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ऐसा बिल इस भवन म पेश करती है, क्योंकि श्रीमान्, मेरी समझ में तो यह आता है कि आज राशनिंग और प्रोक्योरमेंट (संग्रह) यहां अरसे से जारी है। उस अरसे में गल्ला जमा भी होता है, प्रोक्योरमट भी किया जाता है। आखिर अब क्या सरकार को जरूरत पड़ी कि और स्टोरेज लिया जाय? क्योंकि जितनी जरूरत गल्ले की थी उसके लिये तो उनके पास स्टोर रूम्स होंगे ही। अगर स्टोर रूम्स न होते तो बाहर तो गल्ला पड़ा नहीं होगा।

अब इस स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारणों के विवरण) में यह कहा गया है कि बाहर से गल्ला ज्यादा आ रहा है। यह भी दलील मेरी समझ में नहीं आयी। यह सही है कि गल्ला बाहर से आ रहा है। लेकिन जब गल्ला बाहर से कम आया तो इसके माने यह हैं कि यहां ज्यादा पैदा हुआ था, इसलिये बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं हुई। कम से कम माननीय अन्न मंत्री को यह तो बताना था कि सन् १९४७ से सन् १९५१ तक कितना गल्ला आया और कितने स्टोर रूम्स उनके पास थे जो अब ज्यादा की जरूरत है। जब आप किसी विधेयक को पेश करते हैं तो उसके लिये कोई मैटीरियल तो इकट्ठा करना चाहिये कि आपको कितनी जरूरत है। मेरा तो अपना यह ख्याल है कि एक मर्तबा किसी सेक्रेटरी ने यह ध्यान दिया कि यह दिसम्बर, सन् १९५१ में खत्म होने जा रहा है लिहाजा विधेयक पेश कर दिया जाय सन् १९५४ तक के लिये और सरकार ने यह विधेयक पेश कर दिया, वर्ना माननीय मंत्री को कम से कम यह तो पूछ लेना चाहिये था कि कितने स्टोर रूम्स हैं और कितनों की और

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

जरूरत है। यह भी सोचने की बात है कि अभी तक बहुत से विधेयक यहां आये लेकिन उन सबकी मियाद सन् १९५२ तक रखी जाती थी। और उस समय हमारा भी यह खयाल था कि चूंकि चुनाव भी सन् १९५२ में होने वाले हैं इसलिये उन सब विधेयकों की मियाद सन् १९५२ तक रखी जा रही है। इस विधेयक में अब सन् १९५४ कर दिया गया है। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बड़े जोर से कहा कि हमारी नीति तो राशनिंग और कंट्रोल की है। सही है, उनकी सरकार की नीति राशनिंग और कंट्रोल की है। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि जो दूसरी सरकार इस चुनाव के बाद आवे उसकी राशनिंग की नीति न हो। आप दूसरी सरकार के हाथ क्यों बांधना चाहते हैं?

श्रीमान्, आपके जरिये से मैं फिर कह देना चाहता हूं कि अभी जैसा कि मेरे दोस्त नवाब जमशेद अली खां ने कहा, गिजा के मसले को हम किसी तरीके से फुटबाल नहीं बनाना चाहते हैं। इस भवन में मुख्य मंत्री ने और हमारे अन्न मंत्री ने कई बार इस बात को कहा कि गिजा का मसला ऐसा है कि यह सियासत का फुटबाल न हो जाय और इस तरफ के बैठने वालों ने भी पूरा आश्वासन उनको दिया कि इस मसले पर हम सरकार से पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, सरकार जो हमसे सहयोग मांगे, हम उसको देने को तैयार हैं। आज तक गिजा के मसले पर कभी कोई बातचीत इधर के बैठने वालों से करना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि वह क्या नीति अपना रही है। मुझे इसकी शिकायत नहीं है। यह तो सरकार का काम है कि सरकार मुनासिब समझे तो हमारा सहयोग ले और मुनासिब न समझे तो हमारी सलाह और मशिवरा न ले। लेकिन हम अपनी तरफ से कम से कम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि गिजा के मसले पर हमारा हर तरह से सहयोग होगा। कोई भी सरकार हो, आज आवे, कल बने, हम खुद उधर बैठें तो हम अपने विरोधियों की सलाह इस गिजा के मसले पर लेंगे। तो इस बात को मद्दे नजर रखते हुये मेरी अर्ज यह है कि यह मेरी समझ में नहीं आता है कि आया इस वक्त सन् १९५४ के लिये तौसीअ क्यों मांगी जा रही है।

जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, इसके पहले जितने विधेयक आये उनमें सन् १९५२ की बात कही जाती थी। कुदरती तरीके से हम लोगों के दिमाग के ऊपर यह असर पड़ता था कि यह सब चुनाव की तैयारी है और उसी वक्त तक के लिये अपनी ताक़त चाहते हैं उसके बाद नहीं रखना चाहते। लेकिन आज इससे भी बढ़ कर बात की गई। मेरे खयाल में तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ५१ तक तो अख्तियारात हैं ही। लेकिन उसके साथ-साथ मैं सब से ज्यादा जोर इस बात पर देना चाहता हूं कि इस विधेयक पर गौर होने के वक्त कम से कम माननीय मंत्री को इस तरफ के बैठने वालों को सब आदादोशुमार बताना चाहिये कि अब तक उनके पास कितने स्टोर रूम्स हैं, कितना गल्ला उन स्टोर रूम्स में रहता था और कितना गल्ला ज्यादा आया है जिसकी वजह से कितने मकानात की उनको जरूरत होगी। कम से कम ये फीगर्स अगरचे भवन के सामने आ जायं तो हम लोग इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि हां वाकई में सरकार को गल्ला जमा करने के लिये स्टोर रूम्स की जरूरत है और उसको प्रोवाइड करना है और मुमकिन है कि हम उसको अपनी अनुमति दें। लेकिन सरकार अंधेरे में टटोलती है और सरकार हमें अंधेरे में रख कर चाहे कि हम उसको अनुमति देवें तो यह गैर मुमकिन है।

अब मैं दूसरी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपनी तकरीर कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
५ सितम्बर, सन् १९५१ ई०

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये २९ अगस्त, १९५१ के स्थगित अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर)

अवध के जिलों को गांव-पंचायतों को आर्थिक सहायता की सूची

जिले का नाम		१९४९ प्रारम्भिक व्यय के लिये सहायक अनुदान	१९४९ पंचायत सचिवों के हेतु सहायक अनुदान	१९५० पंचायत सचिवों के वेतन के हेतु सहायक अनुदान
लखनऊ	..	५५,६५०	२९,१००	१६,९७५
उन्नाव	..	१,००,९५०	५१,९००	३०,३७५
रायबरेली	..	१,०७,४००	५४,३००	३१,६७५
सीतापुर	..	१,३२,७५०	६५,७००	३८,३२५
हरदोई	..	१,१४,६००	५६,१००	३२,८५०
खीरी	..	१,१२,३५०	४४,७००	२६,०७५
फैजाबाद	..	१,४७,१५०	६६,३००	३८,६७५
गोंडा	..	१,७३,८५०	७९,५००	४६,३७५
बहराइच	..	१,२७,९५०	५६,४००	३२,९००
सुल्तानपुर	..	१,२६,६००	५३,४००	३१,१५०
प्रतापगढ़	..	१,११,३००	५०,७००	२९,५७५
बाराबंकी	..	१,०९,३५०	४५,९००	२६,७७५
योग	..	१४,१९,९००	६,५४,०००	३,८१,६२५

पी० एस० यू० पी०—५३ एल० ए०—१९५१—६१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ सितम्बर सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य, श्री कृष्णचन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६५)

अक्षयकुमार करण, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अलगूड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयबीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री

दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण ,श्री
प्रेमकिशन खन्ना ,श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा ,श्री
बदन सिंह ,श्री
बनारसी दास ,श्री
बलदेव प्रसाद,श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम,श्री
बादशाह गुप्त ,श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री ,श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल,श्री
भगवानदीन श्री
भगवानदीन मिश्र , श्री
भगवान सिंह,श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन ,श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद ,श्री
मसुरिया दीन, श्री
महफूजुर्रमान ,श्री
महमूद अली खां ,श्री
महमूद अली खां ,श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल , श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुज्जफर हुसैन ,श्री
मुहम्मद इब्राहीम ,माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद नबी,श्री
मुहम्मद नजीर ,श्री
मुहम्मद फारूकी चिश्ती ,श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रहमत खां,श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी ,श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी,श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय,श्री

रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री,श्री
रामकृपाल सिंह,श्री
रामजी सहाय , श्री
रामधारी पान्डेय ,श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायन ,श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति ,श्री
रामशंकरलाल ,श्री
रामशरण,श्री
रामस्वरूप गुप्त ,श्री
रुक्नुद्दीन खां,श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन ,श्री
लाखनदास जाटव ,श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
वंशगोपाल ,श्री
विद्याधर बाजपेयी ,श्री
विद्यावती राठौर ,श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी ,श्री
विश्वनाथ प्रसाद ,श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी ,श्री
शंकरदत्त शर्मा ,श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा ,श्री
शिवकुमार पान्डेय ,श्री
शिवकुमार मिश्र ,श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह ,श्री
शिवमंगल सिंह कपूर ,श्री
श्यामलाल वर्मा ,श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्याम चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय ,श्री

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह माननीय, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की सूची

*१--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये उन जातियों की जो सूची शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है उसमें इस वर्ष कोई परिवर्तन हुआ है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मन्त्री)--जी नहीं।

शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पिछड़ी जातियों की सूची संलग्न है । इसी के आधार पर अब भी पिछड़ी जातियों की छात्रवृत्तियों आदि का वितरण हरिजन सहायक विभाग करता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६७ पर)

*२--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--यदि हां, तो क्या सरकार इस परिवर्तित सूची की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सरकार से कोई सूची पिछड़ी जातियों की मांगी है या मांगी थी ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--ऐसा तो नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

ऐंटी ट्यूबरक्लोसिस संस्था, कानपुर को सरकारी सहायता

*१--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय अन्न मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में एन्टी-ट्यूबरक्लोसिस नाम की कोई संस्था है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मन्त्री)--जी हां।

*२--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐंटी-ट्यूबर क्लोसिस संस्था, कानपुर को इस प्रदेश की सरकार ने उस के सालाना खर्च की आधी रकम बतौर सहायता के देने का वचन दिया था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--वादा नहीं किया था, परन्तु आधा सालाना खर्चा देने की आशा दिलाई गई थी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार भी कुछ रुपया सालाना इस अस्पताल को देती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के कुछ लोगों ने चार लाख रुपया इस संस्था को देने के लिए जमा किया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है। इतना मैं जानता हूं कि कई वर्ष पहले जो नई बिल्डिंग बनी है, उसको खोलने के लिये मैं गया था और उस समय अवश्य कुछ व्यक्तियों ने बड़े लम्बे लम्बे वायदे किये थे और यह वायदा किया था कि दस या बारह महीने में वे इतना रुपया इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन दस बारह महीने क्या दो-ढाई साल बीत गये और सरकार के पास इसकी इत्तिला नहीं आई कि कितना रुपया इस सिलसिले में उस बिल्डिंग को बढ़ाने के लिये इकट्ठा किया गया है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आधा खर्चा देने की आशा दिलाई गई थी तो यह किस आधार के ऊपर दिलाई गई थी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--आधा खर्चा रेकरिंग (आवर्त्तक) की उस वक्त आशा दिलाई गई थी जब यह समझा गया था कि इसका इंतजाम ठीक तरह से चलेगा। इस क्लीनिक के बारे में काफी शिकायतें रही हैं। जो डाक्टर या सुपरिन्टेन्डेंट इन दो तीन सालों के अन्दर रक्खे गये उनसे और उसकी मैनेजिंग कमेटी में बराबर झगड़ा रहा। पहले डाक्टर शर्मा थे, उनसे और इसके प्रबन्धकर्ताओं में झगड़ा रहा। उसके बाद इसके संचालकों ने एक स्विस डाक्टर बुलाया। उससे भी झगड़ा रहा। सरकार के पास यह शिकायतें आईं कि उसका हिसाब-किताब और जो गवर्नमेंट की ग्रांट है वह भी ठीक तरह से नहीं रखी गयी। इस आधार पर डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ने सरकार से कहा कि इसको आगे ग्रांट देने पर विचार स्थगित किया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस क्लीनिक के मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर कौन-कौन लोग हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सबके नाम तो मेरे पास नहीं हैं। डाक्टर मेहरे उसके सेक्रेटरी हैं। सब सदस्यों के नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गोल माल या खराबी जो थी शिकायतें सरकार के पास किसने भेजी हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--लोकल फन्ड्स एकाउन्ट्स के आडिटर ने यह शिकायत की, जो गवर्नमेंट ने डेढ लाख रुपया एक बार दिये और १६ हजार ५ सौ रुपये फिर से दिये गये, जब आडिटर ने हिसाब की जांच की तो उसने कहा कि हिसाब देखने से यह पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट की ग्रांट का सदुपयोग हुआ है या ठीक तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस क्लीनिक को अब तक सरकार ने कितना रुपया सहायता के तरीके से दिया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो आंकड़े अभी तक हैं वे बतलाते हैं कि डेढ़ लाख रुपये इसकी इमारत बनाने में दिये गये, के सिलसिले में साढ़े सोलह हजार एक दफा और करीब दस हजार एक दफा दिये गये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गोलमाल की सरकार कोई जांच करा रही है ?

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त--जांच तो जैसा मैंने बताया आडिटर लोकल फन्ड एकाउन्ट ने ही की थी। उसके बाद हमारे डाइरेक्टर ने सिविल सर्जन के ज़रिये से कुछ जांच करवाई। उसकी सिफारिश के ऊपर कि इस प्रश्न पर और ध्यान दिया जाय सरकार ने उसका निर्णय किया।

*३--श्री त्रिलोकी सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वायदे को पूरा किया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--वादा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता। गवर्नमेंट इस संस्था को भरसक सहायता देने के लिये तैयार है परन्तु अभी इसके अधिकारियों ने इसके मामले में बड़ी गड़बड़ी कर रक्खी है। हिसाब-किताब की जांच की जा रही है और यह आशा की जाती है कि सरकार इसकी सहायता के प्रश्न पर शीघ्र ही अन्तिम फैसला करेगी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब यह सहायता कब तक इस अस्पताल को दी जायेगी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार के सामने इस विषय में कई सुझाव आये हैं। एक सुझाव यह आया है कि चूंकि मैनेजिंग कमेटी का इंतजाम ठीक नहीं है इस लिये सरकार इस बात के ऊपर विचार करे कि इस संस्था का प्रांतीयकरण क्यों न किया जाय।

जिला प्लानिंग कमेटी के सदस्यों का नाम निर्देशन

*४--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में प्लानिंग कमेटी बनी है?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि रायबरेली में कौन पदाधिकारी या कांग्रेसजन उस प्लानिंग कमेटी में चुना गया है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--श्री रामस्वरूप विशारद।

*५--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सच है कि हर जिले में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसके सदस्य हैं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--करीब-करीब हर जिले में अध्यक्ष अथवा अन्य कोई पदाधिकारी जिला नियोजन कमेटी के सदस्य मनोनीत हुए हैं ?

*६--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सच है कि रायबरेली में ऐसा नहीं हुआ ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*७--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार इसका कारण बतायेगी ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह प्रश्न उठता ही नहीं।

राज्य की अन्न सम्बन्धी आत्म-निर्भरता

*८--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य अन्न के मामले में कहां तक अपने पर ही निर्भर रह सकता है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हाल में खरीफ की फसल को जो व्यापक रूप से हानि पहुंची है उसके कारण हमें दो लाख टन से भी अधिक गल्ला बाहर से मंगाना पड़ेगा ताकि वर्तमान आधार पर राशनिंग चालू रक्खी जा सके। यदि कृषि सम्बन्धी स्थिति सामान्य (नार्मल) रही होती तो इस वर्ष वास्तव में जितना गल्ला हम बाहर से मंगाते वह नहीं के बराबर होता।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतलावेगी कि अन्न के मामले में हमारा राज्य कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब इसका उत्तर देना एक बड़ा कठिन कार्य हो गया है, अगर नार्मल कंडीशन्स रहतीं तो आशा यह की जाती थी कि इस वर्ष भी हमारी जितनी कमी थी वह पूरी हो जाती, परन्तु दुर्भाग्यवश नार्मल कंडीशन्स रही नहीं, वर्षा हुई नहीं और उसके कारण फसल को जो नुकसान हुआ उन तमाम बातों को सामने रखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इस साल या आगे आने वाले साल के ८ या १० महीने चले जाने के बाद भी हम पूरी तरह से जो कमी है उसको पूरी कर लेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या अन्न की कमी का एक कारण यह भी है कि बहुत से लोग जो खेती करना नहीं जानते हैं वे भी खेती करने लगे हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो राय की बात है कि कुछ लोगों के आने से जो इस काम को पहले नहीं करते थे फसल में कमी हो गई है।

* ९-१३--**श्री खुशवक्त राय**--[वापस लिये गये।]

तराई भाबर में नौतोड़ भूमि का वितरण

*१४--**श्री त्रिलोकी सिंह**--क्या माननीय मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई-भाबर में जो जमीन नौतोड़ की जा रही है उसमें १०० एकड़ से अधिक जमीन किसको दी गई है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--तराई और भाबर के औपनिवेशिक भाग में किसी को ५० एकड़ से ऊपर जमीन नहीं दी गई। जहां तक स्टेट के भीतर के भाग का, जो औपनिवेशिक भाग के बाहर है, संबंध है, सरकारी खर्च पर कोई जमीन नहीं तोड़ी गई है और इस क्षेत्र में तोड़ी हुई जमीन को किसी को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५० एकड़ जमीन कितने आदमियों को दी गई है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसकी फेहरिस्त मेरे पास नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जमीन किस हिसाब से बांटी गई है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त मेरे पास फेहरिस्त नहीं है मैंने यह कहा है।

दलित वर्ग के सर्वदल सम्मेलन को हरिजन सहायक विभाग की आर्थिक सहायता

* १५--**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ता० १९-३-५१ को लखनऊ में होने वाले दलित वर्ग के सर्वदल सम्मेलन के लिए उसके संयोजक को सम्मेलन कराने के खर्च के लिए हरिजन सहायक विभाग की ओर से कितना रुपया दिया गया है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--पांच सौ रुपया।

* १६--**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और सम्मेलन के संयोजक कौन सज्जन थे ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था हरिजनों के मध्य उत्थानकार्य में संलग्न कार्यकर्त्ताओं एवं नेताओं को एकत्र करना तथा इस वर्ग की सर्वतोमुखी उन्नति के उपायों पर विचार करना। सम्मेलन के संयोजक स्वामी रामानन्द शास्त्री जी थे।

नोट--तारांकित प्रश्न १५-१७ श्री रामचन्द्र सेहरा ने पूछे।

*१७--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि हरिजन विभाग की ओर से दलित वर्ग के सम्मेलनों के लिये दिया जाने वाला धन केवल कांग्रेसी हरिजनों को ही दिया जाता है ? यदि नहीं, तो किन दूसरों को दिया गया जो कांग्रेसी नहीं है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं । इस प्रकार के सम्मेलनों को आर्थिक सहायता किसी विशेष पार्टी के आधार पर नहीं दी जाती । पर जो भी कार्यकर्त्ता सक्रिय रूप से हरिजन उत्थान का कार्य करते हैं उनको आर्थिक सहायता केवल इस कारण रोकी नहीं जा सकती कि वे कांग्रेसी हैं । निम्नलिखित तीन कार्यकर्त्ता गैर-कांग्रेसी हैं, जिन्हें इस प्रकार की सहायता दी गई--

			रु०
१	श्री चेतू राम नायक आजमगढ़	मार्फत श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, चेयरमैन जिला बोर्ड और जिला विकास मंत्र, आजमगढ़	२००
२	श्री एम० एल० जैसवार ..	मंत्री, शेडूलकास्ट एजूकेशन कमेटी, बरफखाना, लखनऊ	१७५
३	श्री बाबू लाल कुसमेश ..	बाराबंकी के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	२००

विवरण

जिन समस्त कार्यकर्त्ताओं (कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी) को सहायता दी गई उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६८ पर)

बनारस जिले की ज्ञानपुर तहसील में समाजवादियों द्वारा कपड़े का वितरण

* १८--श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि बनारस जिले के ज्ञानपुर तहसील में ता० ६ अप्रैल, १९५१ ई० को समाजवादियों का एक प्रदर्शन हुआ था और उस समय जिला सप्लाई आफिसर वहां मौजूद थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*१९--श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि जिला सप्लाई आफिसर ने समाजवादियों से वादा किया था कि चार गांठ कपड़ा उनके द्वारा जनता में बांटा जायगा ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने यह आश्वासन दिया था कि उन लोगों के लिए कपड़े का प्रबंध किया जाएगा जो अब तक कपड़ा नहीं पा सके हैं और जिनको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है और उन्होंने प्रदर्शकों से ऐसे ही व्यक्तियों की सूची मांगी थी जिसकी प्रचलित प्रणाली के अनुसार जांच की जा सकेगी ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सप्लाई आफिसर के आश्वासन के ऊपर समाजवादियों ने यह दरख्वास्त दी थी कि ११ गांठ कपड़ा बांटने के लिए दे दिया जाय ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादियों ने कोई सूची सप्लाई आफिसर को दी थी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह तो है कि कुछ समाजवादियों ने जो प्रदर्शन के रूप में आये उन्होंने एक सूची दी थी ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या उस सूची की एक प्रति माननीय अन्न मंत्री टेबिल पर रखने के लिए तैयार हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूची मेरे पास आई नहीं है लेकिन न मुझे ऐसी इत्तिला है कि उन्होंने सप्लाई आफिसर को एक सूची दी थी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कोई आदेश सप्लाई आफिसर के नाम जारी किये हैं कि कपड़ा केवल कांग्रेसियों की सिफारिश पर दिया जाय, या समाजवादियों या किसी और पार्टियों की सिफारिश पर दिया जाय?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं परन्तु जब डी० एस० ओ० को डिस्क्रीशन इस्तेमाल करना है तो वह किसी दल के व्यक्ति की मदद से वितरण कर सकता है।

* २०--**श्री बेचन राम गुप्त**--क्या यह सही है कि समाजवादियों की सिफारिश से विवाह इत्यादि कार्यों के लिए कपड़ा जनता को दिया जाता रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, ग्राम सभा, अदालत पंचायत के सभापतियों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जांच के उपरांत ही कपड़े का वितरण किया गया।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या यह सही नहीं है कि विवाह आदि कार्यों के लिए देहातों में ग्राम पंचायतों के सभापतियों की सिफारिश पर कपड़ा वितरण किया गया है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अधिकांश रूप में तो यही हुआ है।

* २१-२२--**श्री बेचन राम गुप्त**--[स्थगित किये गये।]

भुवाली सेनीटोरियम में रोगियों के लिये निवास-स्थान तथा भोजन

* २३--**श्री गोपाल नारायण सक्सेना**--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवाली सेनीटोरियम में कितने मरीजों के रहने के लिए स्थान है और एक मरीज को क्या खाना दिया जाता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--भुवाली सेनीटोरियम में २८५ मरीजों के रहने के लिए स्थान है। प्रत्येक मरीज को प्रति दिन जो खाना दिया जाता है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७३ पर)

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल सन् ४० से यह खाना कम क्यों दिया जा रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- सन् ४० में वहां विभिन्न प्रकार के पेशेंट (रोगी) थे और लिहाजा विभिन्न प्रकार से खाने की सूची रखी जाती थी, जैसे एंग्लो-इंडियन्स के लिए एक दूसरे प्रकार की सूची थी और हिन्दुस्तानियों के लिए और जनरल पेशेंट्स के लिए दूसरी सूची थी। वह बात अब बदल गई है और उस सब को देखते हुए इस तरह के खाने का इंतजाम किया गया है और अब यूरोपियन, नान-यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन इस प्रकार की बात का ख्याल नहीं रखा जाता और वहां जितने आदमी रहते हैं उनकी जरूरत को देखते हुए, तन्दुरुस्ती को देखते हुए यह तब्दीली की गयी है। खर्चे में कोई अधिक अन्तर नहीं आता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब क्या डाक्टरों की राय में ट्युबरक्लोसिस (क्षय) के मरीजों को कम खाना दिया जाय?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--खाना कम देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सिर्फ कैटेगरी (वर्ग) बदल दी गई है कि यूरोपियन्स और इंग्लो-इंडियन्स को दूसरे किस्म का खाना दिया जाय, उनको अलग और हिन्दुस्तानियों को अलग प्रकार से दिया जाय। वह चीज ठीक नहीं थी उसको बदल दिया गया है। जहां तक खर्चे की कमी का सवाल है उस कमी में कोई अधिक अन्तर नहीं आता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जो सूची माननीय मंत्री ने दी है उसको पढ़कर देखें तो उसमें मात्रा कम दी गयी है । मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि वह मात्रा डाक्टरों की राय से कम हुई या खर्चे के खयाल से कम हुई, किस वजह से मात्रा कम की गई ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसमें खर्चे की कमी की वजह से कम करने का सवाल ही नहीं उठता । डाक्टरों की अपनी राय से, सारी परिस्थिति और जरूरत को देखकर उसमें बदली की गई है । किस कैटेगरी में कौन सी चीज और कौन सा खाना मिले उसमें तब्दीली की गई है । सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया न यह कहा कि खर्चे में कमी करने के लिए मात्रा में कोई कमी या बेशी की जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि भुवाली सेनीटोरियम में मरीजों के स्थान पाने के लिए कोई ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनसे सर्व-साधारण सुविधा के साथ वहां स्थान पा सके बिला किसी सिफारिश के ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियम तो कोई खास नहीं बनाये गये हैं । जो सार्वजनिक अस्पतालों में नियम बने हुए हैं वही भुवाली सेनीटोरियम के लिए भी लागू हैं । दिक्कत सिर्फ भुवाली सेनीटोरियम में यह होती है कि मरीजों की संख्या अधिक होती है, इसलिए हर मरीज को वहां दाखिला नहीं मिल पाता है और इस कारण से कभी कभी बहुत से मरीज जो वहां पहुंच जाते हैं वह जगह नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उन्हें बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि भुवाली सेनीटोरियम में प्रायः सर्वसाधारण को जगह ठहरने के लिए प्राप्त नहीं होती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि सर्वसाधारण से यह मतलब है कि हर सर्वसाधारण व्यक्ति जो वहां जाता है और मरीज होता है और उसे दाखिले की आव-श्यकता होती है तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि हर शख्स जो वहां पहुंच जाता है उसको जगह नहीं मिल पाती क्योंकि बेड्स की बहुत कमी है।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि भुवाली सेनीटोरियम में जो मरीजों के लिए बेड्स मुकर्रर हैं उनको बढ़ाने के लिए सरकार कोई तजवीज सोच रही है और उस पर कितना अमल किया गया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार कई वर्षों से इस चेष्टा में थी कि एक और सेनीटोरियम खोले और उस वर्ष उसने डाक पत्थर, देहरादून में एक खोल भी दिया है । उसके उपरान्त कानपुर में भी लाला लाजपतराय अस्पताल में एक वार्ड इसके लिए रिजर्व कर दिया है । इस तरह के टी० बी० के मरीजों के बेड्स की संख्या बढ़ी है। पहले के मुकाबले भुवाली में भी बेड्स बढ़ा दिए गए हैं।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उसने कानपुर, भुवाली वगैरा दूसरे मुकामात पर टी० बी० के मरीजों के लिए जो इंतजाम किया है उनमें कितने बेड्स कायम हो चुके हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाकपत्थर सेनीटोरियम में अभी एक महीना हुआ जब यह खोला गया है वहां ९० बेड्स का इंतजाम किया गया है । कानपुर में भी लाजपतराय अस्पताल में जो वार्ड रिजर्व कर दिया गया है उसमें भी करीबन ३७ बेड्स हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल भुवाली सेनीटोरियम में कितने मरीज दाखिल हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जितने बेड्स हैं वह सब भरे हुए हैं जहां तक मेरी मौजूदा इत्तला है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी० बी० के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद को कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां टी० बी० के मरीजों के इलाज का संबंध है उसके बारे में मैंने बताया कि इस वर्ष दो जगहों पर मरीजों के बेड्स बढ़ाने का प्रबंध किया गया है। जहां तक इसको रोकने का प्रश्न है उसके संबंध में बी० सी० जी० के टीके काफी मात्रा में लगाये जा रहे हैं। ९ बी० सी० जी० टीम्स इस कार्य में संलग्न हैं और जगह जगह पर यह कार्य कर रही हैं। चेष्टा यह की जा रही है कि शहरों में जो यह कार्य हो रहा है उसे देहात के क्षेत्रों में बढ़ा दिया जाय जिन स्थानों में टी० बी० के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके इलाज के मातहत कोई सेनेटोरियम कायम करने की तजवीज पर सरकार गौर कर रही है या नहीं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--फिलहाल तो ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है। एक दफा दो तीन वर्ष पहिले यह प्रश्न उठा था और कोशिश की गई थी कि बनारस में जो एक सेनेटोरियम मंगला प्रसाद जी के नाम से है उसको लेने की सरकार ने वहां के अधिकारियों से बातें की थीं लेकिन बातचीत सफलता के साथ नहीं चल सकी। इसलिए कोई क़दम इस ओर नहीं बढ़ाया गया।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि यह जो बनारस में सेनीटोरियम का हवाला दिया गया है वह क्या हमारे माननीय चीफ व्हिप का है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--श्री मंगला प्रसाद चीफ व्हिप के नाम का कोई सेनीटोरियम कायम नहीं हुआ है। एक सेनीटोरियम जो वहां मंगला प्रसाद के नाम से था वह वहां के प्रख्यात नेता श्री शिवप्रसाद गुप्ता ने अपने भतीजे श्री मंगला प्रसाद के नाम से वहां पर खोला था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके प्रबंध में गड़बड़ी हुई। उसके प्रबंधकर्त्ताओं ने सिफारिश की कि गवर्नमेंट इसको ले ले। जब सरकार ने बातचीत की और उसे लेना चाहा तो उन्होंने कई शर्तें ऐसी पेश कीं जिनको सरकार ने मंजूर नहीं किया इसलिये यह सेनीटोरियम सरकार ने नहीं लिया।

*२४--**श्री गोपाल नारायण सक्सेना**--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४० में एक मरीज को क्या क्या खाने को दिया जाता था?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९४० ई० में एक मरीज को जो जो खाने को दिया जाता था उस की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७५ पर)

* २५-२९--**श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल**--[स्थगित किये गये।]

कण्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी के सदस्य

* ३०--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय अन्न मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी कब बनायी गई थी और इसके कौन-कौन सदस्य हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--कन्ट्रोल जांच समिति दिसम्बर, १९५० ई०, में बनाई गई थी इसके सदस्यों की एक सूची नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७८ पर)

* ३१--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--उपरोक्त कमेटी का कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपरोक्त समिति का कार्य सितम्बर, १९५१ ई० तक समाप्त होने की सम्भावना है।

* ३२--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--इस कमेटी के ऊपर इस समय तक कितना खर्च हो चुका है और कितना आगे होने की सम्भावना है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस कमेटी के ऊपर इस समय तक कुल १७,५५९ रु० ८ आना खर्च हो चुके हैं । लगभग चार पांच हजार रुपये और खर्च होने की सम्भावना है ।

* ३३--३५--श्री कृष्णचन्द्र--[स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले में कपड़े के आयतक और थोक विक्रेता

* ३६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सन् १९५०-५१ ई० में किन लोगों के पास कपड़े के थोक फरोश व इम्पोर्टरी के लाइसेंस थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक सूची मेज पर रखी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २७५ पर)

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शिवसहाय मल और हजारी लाल सीतापुर में सन् १९५०-५१ ई० में इम्पोर्टर्स थे और उनको हटा दिया गया था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास इस वक्त हटाने की सूचना नहीं है मेरे पास जो इत्तिला आयी है वह यह नहीं आई है कि ये कौन व्यक्ति हैं । उनका बेसिक इयरली बिजनेस था इसलिए उनको नियुक्त किया गया । हटाये गये थे या नहीं हटाये गये थे इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शिवसहाय मल और हजारी लाल जिनकी फिर नियुक्ति ६ जून से होने जा रही है यह पहले इम्पोर्टर्स थे या नहीं थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी सूचना भी अगर नोटिस दिया जाय तो दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास यह नहीं है । इसमें तो यह कि ६ जून को जो वहां पर इम्पोर्टर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो उनके बाद जिनका बेसिक इयरली बिजनेस था उनको अप्वाइंट (नियत) किया गया ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिवसहायमल और हजारी लाल वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने खुद जांच की थी और मेरे खिलाफ भी आरोप लगाये गये थे ?

माननीय श्री चद्रभानु गुप्त--मुझे इस बात का तो याददाश्त नहीं है कि ये वही व्यक्ति हैं । हो सकता है वही व्यक्ति हों । मैं इसको ठीक तौर से बता नहीं सकता कि यह कौन से व्यक्ति हैं । यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी करना चाहते हैं तो मुझे बतायें, मैं इसका उत्तर आने पर इत्तिला प्राप्त करके बतला सकता हूं ।

* ३७--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनमें से कौन से सज्जन लाइसेंस हासिल करने के पहले कपड़े का व्यापार नहीं करते थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--केवल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन जिसके ऊपर कपड़े का व्यापार आवश्यक होने का प्रतिबंध लागू नहीं किया जाता ।

* ३८-४१--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये ।]

कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की बैठकें तथा सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता

*४२--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की बैठक में उपस्थिति के कारण उस के प्रत्येक सदस्य को कितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिला और कमेटी की बैठकें किस किस तारीख को हुईं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--कन्ट्रोल जांच समिति के प्रत्येक सदस्य को जो यात्रा तथा दैनिक भत्ता मिला उसको तथा जिन तारीखों में बैठकें हुईं उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८० पर)

*४३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--[स्थगित किये गये।]

नेत्र-चिकित्सा के सम्बन्ध में सरकारी आज्ञा-पत्र

*४४--श्री नारायणदास--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २१ जून, १९५१ ई० को कोई आज्ञा पत्र सचिव स्वास्थ्य विभाग ने डाइरेक्टर चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं, उत्तर प्रदेश को नेत्र-चिकित्सा के संबंध में भेजा था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*४५--श्री नारायणदास--यदि हां; तो क्या माननीय मंत्री उस आज्ञापत्र की एक प्रति मेज पर रखवाने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--आज्ञापत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८२ पर)

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर और अलीगढ़ ही के आंखों के अस्पतालों को यह काम क्यों दिया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--क्योंकि ये अस्पताल सरकार की निगाह में ऐसे अस्पताल हैं जो इस कार्य के करने की योग्यता और क्षमता अधिक रूप में रखते हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि और भी डाक्टर जो कि आंखों का इलाज और जगह कर रहे हैं उन्होंने भी कोई दरख्वास्तें इस क़िस्म की दीं कि सरकार से सहायता मिले ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार की इस तरह से जिले जिले में कार्य करने की दरख्वास्तें अब इस स्कीम के चालू हो जाने के बाद दो या तीन जगहों से आयी हैं। एक तो फर्रुखाबाद से आयी है, एक कानपुर से आयी है और एक लखनऊ मेडिकल कालेज से आयी है। सरकार उन तीनों दरख्वास्तों पर विचार कर रही है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ़ैजाबाद के डाक्टर मेहरा को भी कोई दरख्वास्त सहायता के लिए आयी है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सहायता का सवाल तो इसमें है नहीं। उसके संबंध में उनकी दरख्वास्त आयी थी और उस पर सरकार ने विचार करके उनको सहायता देने का इन्तज़ाम भी कर दिया है। लेकिन यह तो जिले जिले में इस तरह का कार्य करने की स्कीम का संबंध है। इस संबंध में डाक्टर मेहरा की कोई दरख्वास्त मेरे पास तो आयी नहीं है।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों का स्थायीकरण

*४६--श्री मुहम्मद रहमत खां--क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि आजकल जो १८० जुडीशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं क्या सरकार उनमें से सिर्फ ६० को मुस्तक़िल करना चाहती है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी हां ।

श्री मुहम्मद रहमत खां--बाक़ी लोगों को मुस्तक़िल क्यों नहीं किया गया और जिनको किया गया उनकी वजूहात क्या हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--वे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गये और जिनको वह ठीक समझेगा वे मुस्तक़िल होंगे ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाकी लोगों को मुस्तक़िल करने का सरकार का कब तक इरादा है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--अभी इस इरादे की तरफ कोई क़दम नहीं उठाया गया ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सरकार की इसके बारे में नीति क्या है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--पालिसी यह है कि जिस क़दर काम इस स्टेट के अन्दर है इस जुडीशियल आफिसर्स के करने का उतने आदमी रखे जायं और उनको मुस्तक़िल बनाया जाय ।

श्री सुलतान आलम खां--माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है क्या उससे यह नतीजा निकाला जाय कि जितने जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ ६० ऐसे हैं जो मुस्तक़िल हों और बाक़ी सब की सर्विसेज खत्म कर दी जायेंगी ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मेरे जवाब से यह नतीजा नहीं निकलता ।

श्री सुलतान आलम खां--६० मैजिस्ट्रेट्स जो मुस्तक़िल हो जायेंगे उसके बाद बाक़ी जो मैजिस्ट्रेट रह जायगे वे मुस्तकिल रहेंगे या वे आरज़ी रहेंगे ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसका जवाब पहले दिया जा चुका है कि पोजीशन रिकंसीडर होगी तब कुछ फैसला होगा ।

जिला हरिजन सुपरवाइजरों का हटाया जाना

*४७--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या यह सच है कि जिला हरिजन सुपरवाइजर अपनी जगहों से अलग कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी हां ।

विभाग के पुनःसंगठन के पूर्व सुपरवाइजरों की संख्या निम्न प्रकार थीः--

१	शिक्षा सुपरवाइजर	६२
२	रिक्लेमेशन	२०
३	जिला हरिजन	५१
४	डिप्रेस्ड क्लास	१६
५	कालोनी	२

पुनर्संगठन १ अप्रैल सन् १९५१ ई० से कार्यान्वित हुआ । उसके फलस्वरूप कुल सुपरवाइजरों की संख्या ११० कर दी गई । अतएव ४१ शिक्षा सुपरवाइजर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापकों के पद पर वापस कर दिये गये । वापस हुए सुपरवाइजर स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं ।

हरिजन विभाग में उलटफेर

*४८--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--हरिजन विभाग में क्या-क्या उलटफेर हुआ है और अब कौन सी नयी योजना उनके लिए बनायी गई है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--पहली अप्रैल सन् १९५१ ई० से रिक्लेमेशन विभाग, हरिजन सहायक विभाग और दलित वर्ग शिक्षा संबंधी शिक्षा विभाग के अंग को मिला कर एक विभाग बना दिया गया है। इसके पूर्व रिक्लेमेशन का कार्य रिक्लेमेशन आफिसर के अधीन था और हरिजन सहायक विभाग हरिजन सहायक आफिसर के अधीन था। यही हरिजन सहायक आफिसर विशेष पदाधिकारी की हैसियत से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हरिजन शिक्षा का कार्य भी देखते थे। अब इन दोनों अधिकारियों के स्थान में एक ही अधिकारी उत्तर प्रदेशीय हरिजन सहायक आफिसर रक्खा गया है जिस पर कि हरिजन उत्थान संबंधी समस्त कार्य का उत्तरदायित्व है। हरिजन उत्थान संबंधी योजना पूर्ववत् है।

एक विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८६ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि पिछड़ी जातियों के लिये जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं उनके अन्तर्गत सरकारी नौकरियों में उन पिछड़ी जाति वालों को रखने के संबंध में कोई योजना विचाराधीन है जिनकी संख्या सरकारी नौकरियों से कम है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसके लिये तो किसी खास योजना की जरूरत न उस वक्त होगी और न अब होती है। यह हमेशा ख्याल रहता है कि हरिजन रखे जायं और जिस हद तक वे मिल सकते हैं उस हद तक के रखे जाते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक शिक्षा के लिए जो आर्थिक सहायता सरकार पिछड़ी जाति वालों को देती है वह अब तक किन किन उद्योगधंधों के लिए दी जा चुकी है और किस किस उद्योगधंधों में सरकार पिछड़ी जाति वालों को प्रोत्साहित कर रही है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसके लिये नोटिस चाहिये।

हरिजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा

*४९--**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ओर से भिन्न भिन्न सहायता प्राप्त प्राइवेट शिक्षालयों के प्रमुख अधिकारियों को उन के यहां शिक्षा पाने वाले हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफी के लिये सरकारी आदेश जारी हुए हैं ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--जी हां।

प्रतापगढ़ जिले में हरिजन विद्यार्थियों के बोर्डिंग की सहायता का बन्द किया जाना

*५०--**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में हरिजन विद्यार्थियों के बोर्डिंग के लिये जो ग्राण्ट मिलती थी, वह बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ ने सूचित किया है कि हरिजन छात्रावास जो पूरेपितई, जिला प्रतापगढ़ में चल रहा था, मार्च, १९४९ में लड़कों के न रहने के कारण टूट गया, जिसके फलस्वरूप जो ग्रांट उसे मिलती थी वह ६ मार्च सन् १९४९ से बन्द हो गयी।

अतारांकित प्रश्न

१-३- **श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

४-७--**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल**--[स्थगित किये गये।]

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, १९५१ ई० को पुरःस्थापित करता हूं।

सन् १९५१ ई० का दुधी रावर्ट्स गंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं दुधी रावर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ ई० को पुरःस्थापित करता हूं।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कांटीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक (क्रमागत)

अधिष्ठाता—अब माननीय अन्न मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, सन् १९५१ ई० पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय सभापति जी, कल इजलास के समाप्त होते वक्त मैं कह रहा था कि इस विधेयक का एक और पहलू है जिसके ऊपर कि मैं रोशनी डालना चाहता हूं। इस विधेयक की मुद्दत सन् १९५१ से जो सन् १९५४ की गयी है उससे एक यह इम्प्लीकेशन (कठिनाई) होता है कि जो सरकार का इरादा था जो सरकार का ख्याल था और जैसा कि मुख्य मंत्री ने बड़े दावे के साथ इस भवन में कहा था, कि सन् १९५१ तक हमारा सूबा सेल्फ सफीशेंट (स्वावलम्बी) हो जायगा, इस मुद्दत के बढ़ने से जो सन् १९५१ से १९५४ की जा रही है उससे यह जाहिर होता है कि अभी हमारा सूबा सेल्फ सफीशेंट (स्वावलम्बी) होने नहीं जा रहा है और सन् १९५४ तक नहीं होने जा रहा है। मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा, उसकी वजह यह है कि हमारी सरकार की नीति कोई कंट्रोल और प्लांड इकानामी (सविधायनमय अर्थतंत्र) की नहीं है। हमारी सरकार यह जो कंट्रोल और राशनिंग रखे हुए है इसको, उसने खुद बारहा कहा है कि मजबूरी है इसके लिये, इसलिये रक्खे हुए हैं। सरकार की तरफ से लोगों का भी ख्याल यह है कि इन कंट्रोलों और राशनिंग की वजह से बड़ी खराबियां हैं और बड़ा भ्रष्टाचार है और इसको सरकार भी मानती है। सरकार ने इस सिलसिले में एक कमेटी भी मुकर्रर की है कि वह अपनी सिफारिशें दे। अभी उस कमेटी की सिफारिशें तो नहीं आयी हैं लेकिन जो मुख्य मंत्री ने सरकार की नीति बतायी थी उससे तो यही जाहिर होता था कि अगर्चे यहां गल्ले की समस्या हल हो जाय, अगर्चे सूबे में काफी तौर से गल्ला हो जाय तो उनको कोई एतराज नहीं होगा कंट्रोल और राशनिंग खत्म कर देने में।

कंट्रोल और प्लाण्ड इकोनामी (संविधानमय अर्थतंत्र) के तो माने यह होते हैं कि चाहे जितना गल्ला पैदा हो, तब भी कंट्रोल और राशनिंग कायम रहें यह तरीका है अर्थ शास्त्र का, लेकिन सरकार हमारी उस नीति को मानने वाली नहीं है। सरकार जो आज तक कंट्रोल और राशनिंग रखे हुए है वह सिर्फ इस वजह से रखे हुए है कि गल्ले की कमी है, लेकिन गल्ले की कमी जिस वक्त दूर हो जायगी उसी वक्त वह इस कंट्रोल और राशनिंग को हटा देगी। जहां तक मैं समझता हूं सरकार की नीति यही है और सरकार की नीति यह नहीं है कि गल्ला चाहे जितना पैदा हो, लेकिन हम कंट्रोल और राशनिंग हमेशा के लिये रक्खेंगे। अगर्चे ऐसा इरादा होता तो टोटल (पूर्ण) राशनिंग का इंतजाम होता। अभी तो यहां पारशियल (आंशिक) राशनिंग है। इसका मैं यह नतीजा निकालता हूं कि सरकार मजबूरी की वजह से इसको कायम किये हुए है। तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि इस विधेयक के लाने से एक हमारे ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर यह भी असर पड़ता है कि हमारा प्रदेश सेल्फ सफीशेंट नहीं होगा। यह बड़ी शोचनीय बात है, क्योंकि

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

वादे हर साल बराबर होते रहे और पिछले बजट के सेशन में भी मुख्य मंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा था कि उस तरफ के बैठने वाले चाहे जो कुछ कहें वे यह चाहे कहें कि गल्ला कम पैदा हो रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सन् १९५१ में हमारा प्रदेश सेल्फ सफीशेंट हो जायगा क्योंकि सेल्फ सफीशेंट (स्वावलम्बी) होने की बात अगर मानी जाती तो इस विधेयक के लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सन् १९५१ ई० में अगरचे हमारा प्रदेश सेल्फ सफीशेंट हो जाय तो इसके मानी यह हैं कि बिल की कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे यह भी कि जब सन् ५२ की जनवरी में चुनाव होने जा रहा है तो क्या जरूरत है कि जो दूसरी सरकार आये उसके हाथ की बंदिश की जाय। तो ऐसा मालूम होता है कि अब सरकार का इस बात का विश्वास उठ गया है कि सन् ५१ में इस प्रदेश को सेल्फ सफीशेंट बना देंगे।

दूसरे इस विधेयक से और जो माननीय मंत्री ने भाषण दिया उससे भी मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने फरमाया कि हमारे पास रुपये की कमी की वजह से सरकार स्टोर रूम्स (भंडारगृह) न बनवा सकी। इसलिये उसकी जरूरत पूरी की और मकानों का जब गल्ला स्टोर करने के लिये जरूरत हो तो उनको रिक्विजीशन कर लें। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब माननीय मंत्री को यही अब तक नहीं मालूम है, उनके पास बिल को तैयार करते वक्त यह इन्फारमेशन (सूचना) ही नहीं दी गयी कि कितने स्टोर रूम्स उनके हैं, कितना गल्ला उनके स्टोर रूम में रखा है और कितने की जरूरत है तो मैं समझता हूं कि यह राशनिंग तीन चार वर्ष से चली आती है। बीच में कुछ अर्से के लिये जरूर बन्द हो गयी थी। इन चार वर्षों में जो गल्ला हासिल करके आता था वह कहां रखा जाता था। जरूर सरकार ने इस गल्ले को स्टोर करने के लिये कोई जगह मुकर्रर की होगी। और अब क्या वह गल्ले के स्टोर्स सरकार से निकल गये, या सरकार ने उन गल्ले के गोदामों को छोड़ दिया और दूसरे गल्ला गोदाम लेना चाहती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसकी तशरीह कर दें क्योंकि जितना गल्ला ४७, ४८, ४९, ५० या ५१ में था उसके लिये माननीय मंत्री के पास जरूर स्टोरेज (संग्रह) के लिये गोदाम होंगे वह गल्ला भरते होंगे। तो जब रिक्विजीशन की जरूरत पड़ती है तो एक नतीजा यह निकलता है कि कुछ गोदाम सरकार ने छोड़ दिये या नाकिस समझे और अब दूसरे नये गोदाम हासिल करना चाहती है। अगरचे ऐसा नहीं है, पुराने गोदामों को सरकार ने नहीं छोड़ा है तो नये गोदामों की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा पड़े तो एक दो गोदामों की जरूरत पड़ जाय जैसा कि आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य और कारणों) में माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ बाहर से ज्यादा गल्ला आ गया है। तो मैं समझता हूं कि एक या दो गोदामों के लिये इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं होती।

मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार को एक मीनिया (उन्माद) हो गया है कि जितनी ताकतें हैं उनसे वह चाहे फायदा उठाना चाहते हों या न चाहते हों, लेकिन इस बात का मीनिया (उन्माद) है कि ताकत हमारे पास जरूर रहे। हम कानून के जरिये से अपने में ताकत ले लें, उसका हम उपयोग करेंगे या न करेंगे, क्योंकि बहरहाल यह कहा गया है। न्याय मंत्री ने भी कल यह फरमाया था कि कानून बना लेने से और अख्तियारात हासिल कर लेने से यह मंशा नहीं हो जाता कि उन अख्तियारात को हम अमलदरामद में लायेंगे। सवाल यह है कि इस तरीके के कानून और इस तरीके की ताकतें जो आप लेते हैं और कहते हैं कि उनके अमलदरामद में नहीं लायेंगे यह क्या कोई सही तरीका है। सरकार जब इस तरह के अख्तियारात अपने हाथ में लेना शुरू करती है मैं बाअदब कहूंगा कि वह रास्ता खतरनाक रास्ता है और जम्हूरियत से अलहदा जाने वाला रास्ता है। यह जम्हूरियत का रास्ता नहीं कि एक कानून के जरिये से

अख्तियारात अपने हाथ में ले लिये जायं चाहे उनको कभी अमलदरामद में लाये या न लायें। मुमकिन है कि इस तरह के प्रिसीडेंस (दृष्टांत) कायम करके आप तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आयन्दा जो गवर्नमेंट आये वह इससे फायदा उठाये तो आप यह बहुत ही खतरनाक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के बिल या विधेयक न लाइये, जितना कम मुमकिन हो उतने कम कानून बनायें। यों ही बहुत काफी कानून बने हैं और आप जो चाहें वह कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने जो पहलू रखा है माननीय मंत्री उस पर रोशनी डालेंगे।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--कोई वक्त ऐसा है जिस वक्त तक के लिये श्री गोपाल नारायण सक्सेना रजामंद हों कि उस वक्त तक के लिये यह स्कीम रहे।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जी हां, मेरा एक संशोधन है कि इसको सन् ५२ तक तय कर दिया जाय।

श्री साजिद हुसैन--माननीय सभापति जी, इस बिल के जरिये से सरकार यह अख्तियार लेना चाहती है कि गल्ले के स्टोरेज (संग्रह) के लिये जो उसको जरूरत हो उसको रिक्वीजीशन कर सके और ले सके और यह अख्तियार ५४ तक रहे। जहां तक ५४ की मियाद का ताल्लुक है और इस एतराज का सवाल है कि कम क्यों नहीं रखी और ज्यादा क्यों रखी गयी। मेरी समझ में यह बात आती है और यह वजह बतायी गयी कि मुमकिन है कि दूसरी पार्टी पावर (शक्ति) में आ जाय तो उसको क्यों बाइंड (बद्ध) किया जाय तो इस प्रकार की कोई वजह नहीं है चाहे इसकी मियाद ५४ तक हो ६० तक हो या ७० तक हो इसकी मियाद रख दी जाय। लेकिन जब दूसरी पार्टी आयगी तो इसको रिपील (निरस्त) कर सकती है, खत्म कर सकती है और अगर यही पार्टी आयेगी और इसकी राय बदल गई तो यह भी रिपील (निरस्त) कर सकती है। इसलिये यह मियाद मेरे ख्याल में कोई माने नहीं रखती है।

अब रहा सवाल पावर (शक्ति) का कि सरकार को यह पावर्स दी जायं या न दी जायं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है इसके स्टोरेज (भंडार-गृह) बनाने का ताल्लुक है मैं जरूर इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार को बराबर यह कोशिश रखनी चाहिये जब कि गल्ले का सवाल इतना नाजुक है और करीब करीब मुस्तकिल हो गया है तो उसको स्टोरेज का इंतजाम करना चाहिये और हर सेंटर (केन्द्र) के लिये वह कोशिश यह करे कि अपने स्टोरेज बनवाये और लोहा सीमेंट वगैरह की जो जरूरत हो उसका इंतजाम करे और इन चीजों का काफी हिस्सा इस तरफ डायवर्ट (परावर्त्तन) करें ताकि यह चीज तैयार हो सके। मगर जहां तक इस बिल का ताल्लुक है और इसकी अर्जेन्सी (त्वरीयता) का सवाल है, मैं नहीं कह सकता कि वाकई इतनी जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है और अगर है और हम इसको रिजेक्ट (अस्वीकार) करते हैं तो एक आफत की शक्ल हो जायगी, एक कैलमिटी (आपद्) की शक्ल हो जायगी कि सरकार के पास गल्ला रखने के लिए जगह नहीं है।

जहां तक गल्ला रखने का सवाल है मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें कोई पार्टी पालिटिक्स (दलगत राजनीति) का सवाल नहीं उठ सकता है। अगर कोई उठाये तो उसमें हिस्सा लेने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। गल्ले का सवाल सब पार्टियों का है और इसकी अर्जेन्सी सबको अफेक्ट (प्रभावित) करती है ख्वाह वह विरोधी दल के हों या गवर्नमेंट के हों। मुमकिन है कि बहुत सी बातों में इख्तिलाफ हो। मगर इस सवाल का जहां तक ताल्लुक है यह कोई पार्टी का सवाल नहीं हो सकता है। गल्ले की जो हमको परेशानी है वह मेरा जाती ख्याल है रोजबरोज बढ़ती जायगी और इसका सालूशन (हल) इस तरह से नहीं

[श्री साजिद हुसैन]

हो सकता जैसा सरकार कर रही है। उसका साल्यूशन तो पापुलेशन (जनसंख्या) का कंट्रोल (नियंत्रण) है लेकिन सरकार की तवज्जह उस तरफ नहीं है और जब तक यह तवज्जह नहीं है यह सवाल रोजबरोज संगीन होता जायगा और इसके पोलिटिकल (राजनीतिक) और एकनामिक (आर्थिक) नतायज इन्तिहा से ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तवज्जह उस तरफ नहीं है तब तक के लिये तो यह जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे काम करे। मुमकिन है ऐसा एक वक्त आ जाय जब हम दुनिया की तमाम नेसेसिटीज (आवश्यकताओं) को खत्म करके तमाम डवलेपमेंट (विकास) के कामों को खत्म करके गल्ला ही मंगाते रहें और ऐसी सूरत में यह स्टोरेज का सवाल प्रायरिटी (प्राथमिकता) का है और इसकी अहमियत दूसरे सब सवालों से ज्यादा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इसे गैरजानिबदारी की नजर से देखें और थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि मंत्री जी अपने अख्तियारात को बढ़ाने के लिये या अपने शौक के लिये इसे ले रहे हैं या असलियत में ले रहे हैं तो भी उस सूरत में इस अख्तियार को न देना अपनी अरबन पापुलेशन (नागरिक जनसंख्या) को खत्म करना है। अगर हम कुल दलीलों का बैलेंस (संतुलन) करें तो इस वक्त इन पावर्स (शक्तियों) का देना बमुकाबिले न देने के अच्छा है।

(माननीय अन्न मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए)

अधिष्ठाता--माननीय अन्न मंत्री क्या कुछ कहना चाहते थे ? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं उनका जो कि अभी तक भाषण हुए हैं उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ था।

अधिष्ठाता--उत्तर तो आप बाद में दे देंगे जब बहस समाप्त हो जायेगी। अगर आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको हक है कि आप उस बात को कह दें, लेकिन आप इस समय उत्तर नहीं दे सकते।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् सभापति जी, मैं श्रीमान् के द्वारा अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो उनका विरोध करने का काम ही है, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छा विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय तो हर हालत में उसका विरोध यदि वे करना चाहते हैं और करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं तो मैं यह कहूंगा कि उनको विरोध करने का मीनिया (उन्माद) हो गया है। यह तो मानी हुई बात है कि सरकार के ऊपर ......

श्री सुलतान आलम खां--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर (महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है)। हुजूर, अभी मेरे दोस्त ने जो लफ्ज "मीनिया" इस्तेमाल किया है क्या वह पालियामेंट्री (संसदीय) है ?

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य श्री गोपाल नारायण जी ने अभी पहले सरकार के लिये ये मीनिया (उन्माद) का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं समझता हूं कि वह भी अनपार्लियामेंट्री (असंसदीय) था लेकिन उसका किसी ने विरोध नहीं किया था।

अधिष्ठाता--मैं इस लफ्ज को अनपार्लियामेंटरी डिक्लेयर (असंसदीय प्रख्यापित) करने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन आप दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, यह एक अत्यंत आवश्यक विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है, फिर भी विरोधी पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करना उचित समझा।

सरकार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि यहां के रहनेवालों के लिये अन्न की उचित व्यवस्था हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अन्न की हमारे देश में कमी है और इसकी पूर्ति के लिये सरकार को बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है। यहां के सरप्लस (आधिक्य) जिलों से अन्न एकत्र करना पड़ता है और राशनिंग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसका भरण-पोषण के लिये अन्न दिया जाता है। अब इस बात पर हमें हर्ष है फिर इस बात का दावा है कि वर्तमान सरकार के काल में यद्यपि अन्न की काफी कठिनाई पड़ी, प्रकृति के कोप से अन्न की कमी है, तरह तरह की दिक्कतें पैदा हुईं, जनसंख्या बढ़ी, बाहर से शरणार्थी हमारे यहां आये, इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी हमारे इस प्रदेश में अन्न से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं हुई और किसी न किसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का भरण-पोषण होता रहा। यह कहना जैसा कि हमारे भाई श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने कहा रिक्वीजीशन्स (अधियाचन) की क्या जरूरत है, क्या सरकार नये मकानात लेना चाहती है, क्या पुरानों से उसका काम नहीं चलेगा, मैं तो उनसे कहूंगा कि रिक्वीजीशन की पावर्स को अगर सरकार नहीं लेगी उसका समय नहीं बढ़ाया जायगा तो पहले रिक्वीजीशंड मकान हैं वे भी उस कानून के अन्तर्गत मुनासिब तरीके पर रिक्वीजीशंड समझे जायंगे या नहीं इस पहलू पर भी विचार करने की जरूरत है।

इसके अलावा इस साल वर्षा नहीं हुई, हमारा खरीफ का अन्न बहुत कम होगा, बाहर से गल्ला मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसी दशा में भी हमको गल्ले को रखने के लिये मकानों की जरूरत होगी। इस भवन के माननीय सदस्य राजा साजिद हुसन ने भी विरोध किया। मैं तो उनसे यह कहूंगा कि अगर हमारे राजा और ताल्लुकेदार लोग अपने-अपने मकानों का एक एक हिस्सा गल्ला रखने के लिये दे दें तो सरकार को इस प्रकार मकानों के रिक्वीजीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास काफी जगहें हैं और वह इस प्रकार सरकार की सहायता कर सकते हैं। मैं श्रीमान् के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के यह मानी नहीं हैं कि बिला जरूरत किसी मकान को गल्ला रखने के लिये लिया जाय, लेकिन जब उसकी जरूरत है तो यह कहना कि सरकार इस किस्म के अख्तियारात न हासिल करे यह तो नामुनासिब चीज है। गल्ले के मसले पर एक दिन इस सदन में वाद-विवाद हुआ था। यह दूसरी बात है कि गल्ला इस देश में काफी नहीं हो रहा है, हमारे प्रदेश का गल्ला इस प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता और गल्ला पैदा करने के मामले में सरकार की जो भी टीका टिप्पणी करनी है उसे करिये, लेकिन जब राशनिंग की स्कीम चालू है, गल्ला रखने की जरूरत है तो इस विधेयक का विरोध करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह यह कह सकते हैं कि हम ऐसा क्यों समझें कि ५४ तक हमको जरूरत पड़ेगी मकानों को रिक्वीजीशन करने की, हो सकता है और मैं इसे मानता हूं कि ईश्वर करे वह दिन जल्दी आये कि हमारे देश में गल्ला अधिक हो और राशन हटाया जाय। लेकिन यहां के आदमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती है और जब तक जरूरत है तब तक हमें इन कानूनों पर विचार करना ही पड़ेगा। जब तक गल्ले की कमी रहती है तब तक इन कानूनों की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं कि आज जो परिस्थिति है उसके जरिये हमें इस कानून के पास करने की जरूरत है। हां, यह दूसरी बात है कि हम उसकी मियाद सन् ५४ तक न बढ़ायें और उसके पहिले भी किसी और तारीख तक रखें और अगर फिर आवश्यकता हो तो दूसरा विधेयक लायें, लेकिन इस समय जरूरत है कि इसकी मियाद बढ़ाई जाय। मैं समझता हूं कि जब विरोधी पक्ष की ओर से मियाद के बारे में कोई प्रस्ताव उपस्थित होगा तो उस पर यह भवन विचार करेगा लेकिन मौजूदा हालत में जब तक इस विधेयक की जरूरत है, इसका विरोध करना गलत होगा। परिस्थिति के अनुसार

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

इस कानून को बनाने की आवश्यकता है इसलिये इस कानून का विरोध करना उचित नहीं है। इसलिये मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस विधेयक का विरोध न होना चाहिये, समय के लिये अगर वे कुछ कहें तो दूसरी बात है।

श्री सुलतान आलम खां--जनाब चेयरमैन साहब, जो बिल इस भवन के सामने आज पेश है, मैं उसकी ताईद करता हूं। मैं समझता हूं और मेरा खयाल है कि इस भवन के अन्दर और इस भवन के बाहर कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो यह महसूस करे कि इस मुल्क और इस सूबे के अन्दर कन्ट्रोल जारी रहें और स्टोरेज का मामला हल न किया जाय जब तक हम सूबे और मुल्क के अन्दर कंट्रोल जारी रखेंगे तो लाजिमीतौर पर उसका नतीजा यह होगा कि हमें उसके स्टोरेज, ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) और डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) का इंतजाम करना पड़ेगा। इस खयाल से मैं महसूस करता हूं कि जहां तक कि स्टोरेज का ताल्लुक़ है उसके खिलाफ कोई नहीं आयेगा। अलबत्ता मैंने यह महसूस किया है कि बाज तरमीमें इसमें ऐसी आई हैं जिनके मातहत इस बिल की मियाद घट जाती है। मैं यह समझता हूं कि यह बार जरुरी बात है और इसके लिये गवर्नमेंट के पास भी कोई वजह नहीं हो सकती कि वे ऐसी तरमीम पर ग़ौर न कर सकें और अपोजीशन (विरोधी दल) के लिये भी कोई वजह मालूम नहीं होती कि वे यह ख्याल करें कि वह तरमीम ऐसी है जिसके बिना यह बिल पास नहीं हो सकता।

जहां तक स्टोरेज का ताल्लुक़ है मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जब हमें कंट्रोल चलाना है, राशन का बन्दोबस्त करना है तो गल्ला रखने के लिये स्टोरेज का इन्तजाम करना पड़ेगा। अब तक जो स्टोरेज का इन्तजाम रहा उसमें बहुत से नुक्स रहे। कहीं कहीं यह भी शिकायत रही कि गल्ला खराब हुआ या जाया हुआ। हमारे यहां सन् ४७ में जो ऐक्ट पास हुआ उसमें यह लिखा हुआ है --

"Provided further that no accommodation which is requaired for storage shall be requisitioned without the prior sanction of the Provincial Government."

[परन्तु यह और भी कि कोई भी इमारत जिसकी गल्ला संग्रह के लिये आवश्यकता है। बिना प्रान्तीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधिग्रहित नहीं की जायगी।]

यानी यह कि जो इमारत गल्ला रखने के लिये ली जायगी वह ऐसी होगी मुझे यह मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कितनी जगहें रिक्वीजीशन की गयीं। जब माननीय मंत्री इस बिल पर तक़रीर फरमायें तो वह हमारे सामने यह चीज भी रखें कि हमें इस हालत में जो इमारतें हासिल करनी पड़ी हैं जो लोगों के लिये जरुरी नहीं थीं, लेकिन मुहामी जरूरत के लिये स्टोरेज को हासिल करनी पड़ीं।

इसके अलावा, जहां तक स्टोरेज का ताल्लुक़ है इसका बहुत ही नजदीक ताल्लुक़ राशनिंग और कंट्रोल से है और हममें से हर शख्स यह जानता है कि जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक़ है यह गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की पालिसी (नीति) का मसला है और हमारे यहां की गवर्नमेंट का इस कंट्रोल को चलाने में बहुत कम भाग है और इस कंट्रोल के मसले में सिर्फ एक राय देने की हैसियत रखती है। लेकिन कंट्रोल को रखा जाय या न रखा जाय इसके मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं ले सकता है। हमको यह भी मालूम है कि हमारे यहां की गवर्नमेंट ने अभी कुछ अरसा हुआ एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी (नियंत्रण परिप्रश्न समिति) है और वह अपना काम कर रही है। यह कंट्रोल के इन्तजाम कहां पर दुरुस्त है और कहां पर ग़लत है, स्टोरेज का प्राब्लम (संग्रह की समस्या) ट्रान्सपोर्ट का प्राब्लम (परिवहन की समस्या), डिस्ट्रिब्यूशन का

प्राब्लम (वितरण की समस्या) यह सब चीजें उसमें हैं और अनकरीब ही उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आयेगी और उन तमाम बातों पर ग़ौर करेगी कि इसमें क्या क्या सुधार इस कमेटी की राय में मुनासिब हो सकते हैं। जब तक यह रिपोर्ट आ, जाहिर है इस मसले को कंटीन्यू (जारी) करने के लिये स्टोरेज के मामले में दिक्कत न हो इस कानून की जरूरत है।

हुजूरवाला, इस सिलसिले में क़ुदरतन् एक सवाल यह भी पैदा होता है कि गवर्नमेंट अपने स्टोरेज खुद बनाये और मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इस सिलसिले में दी गई है उसकी तरफ कुछ कदम उठाया गया है। मैंने खुद देखा है कि कानपुर में जो गोदाम बनाये गये हैं उनमें वैसे तो काफी रुपया सर्फ हुआ है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि उससे स्टोरेज का मसला एक बड़ी हद तक हल हो गया है और यह भी जाहिर है कि जो इस वक्त स्टोरेज का इन्तजाम है उसके मातहत गल्ले का कुछ न कुछ जाया होना बच जायगा। अगर हम स्टोरेज का बेहतर बन्दोबस्त कर सकें तो उससे गल्ला बचाया जा सकता है, हमारी सेल्फ सेफिशियेन्सी (स्वावलम्बन) में मदद मिलती है। तो फिर सवाल यह है कि हर जिले के हेडक्वार्टर पर एक गोदाम बनाया जाय और वहां पर गल्ला रखने के लिये गोदाम तैयार किये जायं तो उनमें बहुत काफी रुपया खर्च करना होगा और शायद हमारा एक्सचेकर (वित्त विभाग) इतने कड़े खर्चे को बरदाश्त न कर सके। अगर इस सूरत में हम तवज्जह करें तो यही हल निकल सकता है कि हम मुकामी लोगों को इस बात पर आमादा करें कि वह अपने वहां गोदाम बनायें। इससे हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसमें एक दिक्कत हायल होती है और वह दिक्कत यह है कि लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि कंट्रोल कब तक रहेगा। इसलिये शाई (संकुचित) हैं कि कहीं रुपया वापस न आये अगर उसको स्टोरेज में लगा दिया। ६ महीने के बाद अगर कंट्रोल हटा दिया जाता है तो उनका वह रुपया जाया होगा यह उनके रास्ते में बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं यह समझता हूं और मेरा यह ख्याल है और इससे भवन मुत्तफिक है कि जहां तक कंट्रोल का मसला है ऐसा मालूम होता है कि एक अरसे तक कंट्रोल को जारी मुल्क में रखना पड़ेगा। इसके मुताल्लिक़ कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब ने ऐलान किया था कि सन् १९५१ ई० तक हम सेल्फ सेफिशियेन्सी (स्वावलम्बन) हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसी आज हालत है उनको देखने पर यह मालूम होता है कि अभी इस रास्ते पर चलने में बहुत देर है। हमने बेशक बहुत कोशिश की ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) के सिलसिले में, लेकिन उसमें हम नाकाम रहे बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी और ऐलान किया था लेकिन अभी उसमें देर है। इस वास्ते दरहक़ीक़त यह मानना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हम कर सकते तो बहुत अच्छा था। मगर नतीजा यह निकलता है कि अभी कई वर्षों तक हमको गल्ले पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहें कि वह लोगों से अपरोच (पहुंच) करे कि अभी गल्ले का कंट्रोल काफी अरसे तक इस सरकार को मौजूदा हालत में चलाना पड़ेगा। इस बुनियाद पर वहां के लोगों से बात की जाय कि गल्ले का कंट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट उनको माकूल किराया देगी। मुझे उम्मीद है कि रुपया आयेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे (पूंजी लगायेंगे) और स्टोरेज बनाने की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा एक मसला यह भी है कि स्टोरेज बनाने के वक्त इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि जो स्टोरेज बनाये जायं वे इस किस्म के हों कि अगर

[श्री सुल्तान आलम खां]

कंट्रोल्स किसी वक्त वापस ले लिये जायं तो उनकी डिज़ाइन [नक्शा] इस किस्म की हो कि वे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकते हों। अगर इस चीज का ख्याल रख कर हम स्टोरेज बनायें तो मुझे यकीन है कि कैपिटल शाई नहीं होगी और अगर वे इस किस्म के बनाये जायेंगे कि कंट्रोल न रहने के बाद वे दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकें तो अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अज़ला में लोगों से एप्रोच करके लोगों से इस किस्म की गुफ्तगू करें, तो मुझे तो यह यकीन पड़ता है कि बहुत सी जगहों में हमारे गोडाउन्स तैयार हो जायेंगे, जिन पर हमें रुपया लगाना नहीं पड़ेगा।

हुजूरवाला, यह एक वाक़या है कि जिन जिन अज़ला में प्रोक्योरमेंट (खाद्यान्न प्राप्ति) होता है वहां गोदाम न होने की वजह से वह गल्ला एक जगह स्टोर किया जाता है, फिर दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर तीसरी जगह भेजा जाता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में स्टोरेज हो जाय तो हमरा बहुत सा क्रास मूवमेंट (प्रतिकूल गति) बच जायगा और उससे गवर्नमेंट का वह रुपया जो वह गल्ले के ट्रांसपोर्ट में खर्च करती है बच जायगा और उसे दूसरे तरीके पर हम सर्फ कर सकेंगे। इसलिये मेरा ख्याल है कि जो बिल हमारे सामने है वह ऐसा है कि इसको हर तरफ से ताईद होनी चाहिये। और यह बात कि यह सन् १९५४ तक रहे या ५२ तक ही रहे, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि बीच में ही हम इसको मंसूख कर दें या जरूरत हो तो हम इसको एक्सटेंड (प्रसार) कर दें। तो मैं समझता हूं कि इस बिल में और इसकी तरमीम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और यह बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं वह ऐसा है जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता और इस बिना पर मैं इस बिल की ताईद करता हूं और चाहता हूं कि यह पास हो जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान्, मैं आज्ञा चाहता हूं कि अब क्लोज़र मूव (विवाद समाप्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत) करने की अनुमति दी जाय।

अधिष्ठाता--आपको इजाज़त है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न पर विवाद समाप्त किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--६७

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री

त्रेपन सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवप्रसाद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मसुरियादीन, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकरलाल, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फअली खां, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में--१४

अक्षयकुमार करण श्री
अब्दुल बाकी, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
गंगाधर, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
फ़ज़लुल इस्लाम, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
वंशगोपाल, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
श्रीचन्द सिंहल, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सभापति जी, जिस विधेयक पर कल से बहस आरम्भ हुई उस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मेरा काम, जहां तक उन प्रश्नों का संबंध है जो श्री गोपाल नारायण जी ने और श्री खुशवक्तराय जी ने अपने भाषणों के द्वारा इस भवन में उठाये थे, बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर उन्हीं की ओर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने दे दिया है। उन्होंने यह बता दिया है कि इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है। आज के समय में जब इस सरकार की नीति और इस भवन की नीति यह है कि कंट्रोल और राशनिंग की व्यवस्था चले तो यह नितान्त आवश्यक है कि स्टोरेज (संग्रह) की अकोमोडेशन (स्थान) के लिये रिक्वीजीशन (अधियाचन) की पावर (शक्ति) सरकार को मिले। आजके दिनों में जाहिर है कि वह जरूरत तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हमारी नीति कंट्रोल की व्यवस्था को चालू रखना है। इसलिये मैं उस प्रश्न का उत्तर इस भवन में देना अब जरूरी नहीं समझता।

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसके अलावा कुछ बातें जो श्री खुशवक्त रायजी और श्री गोपाल नारायण जी ने अपने भाषणों में इस भवन के सामने प्रस्तुत की हैं, मैं उनके संबंध में इस भवन के सामने अवश्य कुछ बातें रखूंगा। एक बात जो श्री खुशवक्त राय जी ने और श्री गोपालनारायण जी ने इस भवन के सामने रखी है कि अब इस विधेयक की आवश्यकता सरकार क्यों महसूस करती है और सरकार के पास अभी तक जितना गल्ला रहा है वह कहीं न कहीं रखा ही होगा और आइन्दा अगर कुछ गल्ला ज्यादा आयेगा भी तो उसका सरकार अपने पुराने गोदामों या खत्तियों में, जो उसके पास अभी तक रहे हैं, रख सकती है। यह प्रश्न बड़ा भ्रमात्मक प्रश्न है। आखिर जितना गल्ला अभी तक सरकार के पास रहा है या है और जिसे इकट्ठा करके गोदामों में सरकार रखती रही है, वह उन्हीं गोदामों में रखती है, जिनको उसने इस कानून के अन्तर्गत रिक्वीजीशन किया था और जो आज भी रिक्वीजीशण्ड की हालत में उसके पास हैं। अगर यह कानून फिर से बनाया न गया तो यह जितने गोदाम या खत्तियां सरकार के पास हैं वे पहली जनवरी के बाद उसके पास न रह सकेंगी, क्योंकि वह सारी खत्तियां रिक्वीजीशन द्वारा ही प्राप्त हो गयी हैं। इसलिये यह कह देना कि सरकार के पास तो अभी तक गोदाम और खत्तियां काफी मात्रा में थीं और अब आइन्दा उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न भ्रमपूर्ण है। खत्तियां जो अब हमारे पास हैं, जैसा मैंने कहा, उनमें से काफी रिक्वीजीशन की ताकत से प्राप्त की गयी हैं। इसलिये आज भी जब हमें उन खत्तियों और गोदामों को रखना है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हमारे पास इस प्रकार की ताकत रहे कि जिससे ये खत्तियां और गोदाम हमारे पास बने रहें।

एक सवाल और श्री गोपालनारायण जी सक्सेना ने उठाया था कि मंत्री जी ने यह अपने भाषण में कहा था कि सन् १९५१ में हमारा प्रदेश सैल्फ सफीशियेंट हो जायगा और अब जब इस विधेयक में सरकार ने १९५४ की मियाद, गोदामों और खत्तियों को रिक्वीजीशन करने के लिए रख दी है, तो उससे जाहिर होता है कि सरकार ऐसा महसूस करती है कि १९५४ तक यह प्रदेश सेल्फ सफीशियेंट नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तर्क भी भूल से भरा हुआ है। आखिर को जो फूड कंट्रोल की व्यवस्था है वह केवल इस प्रदेश से ही संबंध नहीं रखती है। वह तो सारे देश की समस्या है। जब तक सारे देश में फूड में सेल्फ सफीशियेंसी नहीं हो जाती तबतक यह संभव नहीं है कि किसी प्रदेश की सरकार को केन्द्र की सरकार से गल्ला रखने के लिये, गल्ला उपलब्ध करने के लिये, और गला संग्रह करने के लिये आदेश समय समय पर न मिलते रहें। आखिर को यह देश एक इकाई है। यह नहीं हो सकता कि इस देश का अगर एक हिस्सा सेल्फ सफीशियेंट हो जाय, वहां गल्ले का संग्रह न हो और वहां से गल्ला दूसरे प्रदेशों को न भेजा जाय। ऐसा संभव है कि एक प्रदेश सेल्फ सफीशियेंट हो जाय और दूसरे प्रदेश न हों और केन्द्र की सरकार उन प्रदेशों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कंट्रोल की व्यवस्था सारे देश के अन्दर जारी रक्खे। इसलिये वह ऐसे स्थान से जहां गल्ला अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकता है संग्रह करने की योजना जारी रख सकती है। इसलिये इस विचार से इस पर जोर देना कि इस नीति से यह जाहिर होता है कि यहां की सरकार ऐसा महसूस करती है कि ५४ तक प्रदेश सेल्फ सफीशियेंट न होगा, बड़ी भ्रामक बात है।

१९५४ तक इस विधेयक को क्यों रखा? उसकी मंशा साफ जाहिर थी। क्या हम नहीं जानते हैं कि केन्द्र की सरकार ने फूड के तमाम विषयों पर विचार करने के लिये एक प्लानिंग कमीशन (संविधायन आयोग) नियुक्त किया था। उसने अभी थोड़े ही दिन हुए अपनी रिपोर्ट केन्द्र की सरकार के पास भेज दी है। उसमें उसने साफ कह दिया है कि कम से कम तीन वर्ष तक हमारे देश में सेल्फ सफीशियेंसी (आत्म निर्भरता) का सवाल नहीं उठता है। हमें बाहर से गल्ला मंगाकर अपने देश की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। यही वजह थी कि हमने बजाय एक साल के तीन साल का समय इस विधेयक

की अवधि का रखा, क्योंकि हम समझते थे कि अगर केन्द्र की सरकार की यही नीति रहेगी तो हमें आदेश दिया जायगा कि हम अपने प्रदेश में जहां गल्ला अधिक मात्रा में पैदा होता है गल्ला संग्रह करें, उसे गोदामों में रखें और दूसरे प्रदेशों को भेजने की कोशिश करें। केन्द्र की नीति और आदेशों के अनुसार ५४ तक की अवधि हमने इस विधेयक में रखी है।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत इसकी धाराओं का दुरुपयोग किया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इस भवन के माननीय सदस्यों ने कभी यह बताया हो कि इस विधेयक का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है और न यही बताया है कि जो मौजूदा कानून चल रहा है उसके अन्तर्गत कोई गैर जाब्ते की बात, कोई ऐसी बात जिससे दूसरों को परेशानी हुई हो, हो रही है। जितने भी रिक्वीजीशन किये गये हैं वे तो जरूरत को देख कर किये गये हैं। उसके बारे में भवन के सामने अब तक कोई शिकायत नहीं आयी है। फिर इस तरह की आलोचना करना कि इसका दुरुपयोग होता है, मैं नहीं समझता, कि इसके क्या मानी हो सकते हैं। सरकार की आलोचना इस बुनियाद पर करना कि यह सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है, मैं समझता हूं कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जो इस भवन के सदस्यों को बरतनी चाहिये। जैसाकि अपोजीशन के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खाने और गिजा का ऐसा मामला है कि जो राजनीति का प्रतिवाद नहीं बनाया जा सकता इसलिये इस विषय के ऊपर कोई विवादग्रस्त बातें न करना ही अच्छा होगा।

जब तक यह भवन यह मान कर चलता है कि हमें नियंत्रण की नीति को बरतना होगा, तब तक तो भवन को यह अधिकार सरकार को देना होगा कि सरकार जो गल्ला संग्रह करती है उसके रखने के लिये समुचित इंतजाम करे और वह उसके लिये वह गोदामों और खत्तियों को प्राप्त कर सके। यह भी कहा गया है कि डायरेक्ट नेगोशियेशन्स से सरकार को खत्ती और गोदाम प्राप्त करने चाहिये और कानून के द्वारा यह कार्य नहीं करना चाहिये। इसके विषय में मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय श्री जमशेद अली खां ने कल इसका उत्तर दे दिया था और बतला दिया था कि अगर सरकार डायरेक्ट नेगोशियेशन्स करती है तो यह खतरे से भरा हुआ होगा। इसलिये मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा।

जहां तक यह एतराज उपस्थित किया गया है कि सरकार ने खत्ती और गोदाम क्यों नहीं बनवाये, मैंने कल जो भाषण दिया था उसमें यह बतलाया था कि सरकार के पास १,३९६ खत्तियां हैं जो सरकार ने सन् १९४८-४९ में बनवाई थीं। सरकार की यह योजना थी कि सारे उत्तर प्रदेश में सरकारी खत्तियां और गोदाम बनवाये जायं। इसी के अन्तर्गत १,३९६ खत्तियां बनीं और एक गोदाम कानपुर में बनवाया गया। माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात है कि दो वर्षों से हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार को धन की कमी का मुकाबला करना पड़ रहा है इससे बहुत सी योजनाओं में कमी हो गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार डेवलपमेंट की स्कीमों के लिये जो सब्सीडी (राजसहायता) दिया करती थी वह भी उसने बन्द कर दी। इस सब्सीडी में हमारी खत्तियों का भी हिस्सा था। इसलिये इसके लिए भी रुपया मिलना सरकार को बंद हो गया। ऐसे समय में विकास की योजनाओं की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के खजाने पर आ पड़ी और भवन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसे फायनेंसेज (वित्त) नहीं हैं कि हमारी सारी योजनाओं को एक साथ कार्यान्वित हो सकें। इसलिये जरूरत समझते हुए हमने यह निर्णय किया कि जो हमारी योजना खत्तियों के बनवाने की है उसमें काट-छांट करें। हम ३५० खत्तियां पिछले वर्ष भी बनवाना चाहते थे। लेकिन रुपये की कमी की वजह से नहीं बनवा सके।

कुछ आंकड़े मांगने की बात हमारे सदस्य श्री खुशवक्त राय जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ विषयों की सूचना उन्होंने मांगी थी और उनमें से कुछ की सूचना सरकार नहीं दे सकी। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि सारे विषयों की सूचना सरकार के पास हर समय नहीं रहती है। वह जिला अधिकारियों के पास या रीजनल

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

फूड कंट्रोलर के पास रहती है। जैसाकि इस विधेयक से माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। हमारे पास उन बातों की जानकारी या सूचना रहती है जिन बातों में सरकार को आज्ञा देनी पड़ती है। यदि १९४७ के ऐक्ट का ध्यान उन्हें हो तो उनको पता होगा कि जहां तक खत्तियां और गोदामों के रिक्वीजीशन करने का संबंध है वह तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फूड कंट्रोलर्स करते हैं और उन तमाम बातों की सूचना उनके पास ही रहती है। लेकिन इस सन् ४७ के ऐक्ट में एक धारा (३) है जिसके अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फूड कंट्रोलर्स को गोदामों और उन मकानों के संबंध में, जो पहले इस्तेमाल नहीं किये गये थे, सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है और उसकी सूचना हमारे प्रदेश की सरकार के पास रहती है। वह सूचना आज भी मेरे पास है। मेरे मित्र ने कल यह सूचना नहीं मांगी थी कि इस धारा के अन्तर्गत जो मकान रिक्वीजीशन किये गये हैं और जिनकी सरकार ने आज्ञा दी है उनकी क्या संख्या है। यदि वे जानना चाहते हैं तो मैं उनको बतला सकता हूं कि ऐसे मकानों की संख्या नौ है। बकिया जितने मकान गोदामों या खत्तियों के लिये रिक्वीजीशन किये गये हैं उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फूड कंट्रोलर्स के पास है। यदि वे यह सूचना चाहें तो मैं मंगवा कर दे सकता हूं। एक सूचना वे यह जानना चाहते हैं कुल कितनी खत्तियां हैं, कितने गोदाम हैं और कितनी जगहों पर गल्ला संग्रह करके रखा जाता है और उनमें से कितनी और खत्तियां ऐसी हैं जो सरकार ने खुद बनवायी हैं और कितने ऐसी हैं जो सरकार ने दूसरों से ली हैं। उनके आंकड़े मेरे पास हैं और इस भवन की सूचना के लिये पढ़कर सुना देता हूं। हमारे प्रदेश में जो सेन्सस (जनगणना) ली गई थी उसके अनुसार हमारे यहां खत्तियां ५०४२ हैं जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ५६,७३,५६१ मन है और गोदाम हमारे यहां ८,४७४ हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी १,४४,७४,३१८ मन की है। सरकार के पास जो स्टोरेज कपेसिटी है वह ८७,५३६ टन के लिये इस वक्त है। जो सरकार के पास स्टोरेज कैपेसिटी है वह तीन प्रकार की है। एक स्टोरेज कैपेसिटी गोदामों और खत्तियों के रूप में सरकार के पास है, दूसरी जो जगहें डाइरेक्ट निगोशियेन्स (सीधे समझौते) से ले ली गयी हैं उनके रूप में और तीसरी वे जगहें जो सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत ले रखी हैं और इसीलिये आज सरकार इस भवन से यह इजाजत चाहती है कि सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत जो कैपेसिटी (संग्रहशक्ति) ले रखी है उसको कायम रखने की इजाजत दी जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--कुल टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो सरकार की पोजीशन स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें ८७,५३६ टन खत्ती के रूप में एकोमोडेशन है और २,१९,०६७ टन कैपेसिटी गोदाम के रूप में है। इस तरह से टोटल एकोमोडेशन ३,०६,६०३ टन की है। सरकार की खुद की जो स्टोरेज पोजीशन है वह ९ लाख मन की है, और उसके आंकड़े कि उसमें कितनी खत्तियां हैं और कितने गोदाम हैं वह मैंने कल अपने भाषण में दे दिये थे।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--यह जो फिगर्स दिये गये हैं उससे यह मालूम होता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह काफी है और ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी जो कमी है वह बता दें कि कमी कैसे है तो बहुत सहूलियत हो जायगी।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर यह कानून ३१ दिसम्बर को खतम हो गया तो वह स्टोरेज कैपेसिटी जो हमने इसके अन्तर्गत प्राप्त की है निकल जायगी और वे जगहें हमसे छिन जायेंगी।

आज मौजूदा सरकारी स्टोरेज कैपेसिटी को कायम रखने तथा प्राप्त करने के लिये जिसकी हम आइंदा जरूरत महसूस करते हैं, हमें इस कानून की आवश्यकता है। केन्द्र की सरकार के पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से

मालूम है कि इस साल और अ
काफी गल्ला मिल रहा है। प्र
जब केन्द्र के गल्ले को ट्रस्ट के
उनको कहां से प्राप्त करेंगे?
के लिये अधिकार रहेगा। अ
हमारे पास यह ताकत जारी
प्राप्त करने का अधिकार रहे।
क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत से
ट्रेडर (असरकार व्यवसाय) भी
(प्रतियोगिता) हुआ तो प्राइवेट
खाना) के रूप में। सरकार ऐस
को देखते हुए हम ऐसी व्यवस

ऐसे स्थान हैं जहां गल्ला
गोदामों के अधिक दाम लगा
पर उनको रोक नहीं सकेंगे।
होने नहीं देना चाहेंगे। इन कार
तरफ से मांगे जा रहे हैं इस
हमारे यहां राशनिंग की व्यवस्थ
न हम प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूल

एक संशोधन के बारे में भी
रखी है। १९५२ क्यों नहीं र
अधिकार सरकार को दिये जाय
आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार
में लाना और उन पर बहस कर
खर्च होता है और टैक्स पयर
होता है। अगर हम इस बात क
पड़ेगा, जिसका निर्णय पर्ला
हमारे सामने आ गयी है और इ
राय दी है उसमें कुछ तत्व ह
की इजाजत मिलनी चाहिये
समझता हूं कि ६ या ८ महीने प
हो सकता है और सरकार को
भवन के सदस्यों से एक बात अ
की बात नहीं है। कई दफा
केन्द्र की सरकार है, जो प्रदेश
महसूस करते हैं कि देश में अ
को पूरा नहीं कर पाते हैं तब
बात से सहमत हैं तो उन्हें जो
इसकी अवधि रखी जाय। ब
भवन निर्णय करता है कि ५
वह इनकी मुखालिफत में कुछ
में इन शब्दों के साथ आशा कर
पूर्वक प्राप्त करेगा।

अधिष्ठाता—विधेयक
(संशोधन) विधेयक, कि उत्तर प्रदेश जरे
(प्रश्न

यू० पी० ऐक्ट ९ सन् १९४९ की धारा २ का संशोधन

२—सन् १९४९ इतनी बात है कि यह
धारा २ में संख्या जमींदार भाइयों को
रहता है। हालांकि
है। यह एक ऐसा
श्री गोपाल ना तुर की वजह से जो
पर हैं मैं उसको उ जाती है। इस वजह
जाय और इसको
में प्रस्ताव आउट आफ डेट
रखा जाय। क्त में जो दिक्कत
माननीय मंत्री ने हाउस के सामने पेश
इस संशोधन को मंजूर करेगा।
तो मुझे कोई तकरीर ब जकर २ मिनट पर
जारी रखूंगा। की कार्यवाही पुनः
माननीय श्री
मुझे यह मंजूर है।
अधिष्ठाता— चौड़ी तकरीर नहीं
आनरेबिल मिनिस्टर
रखा जाय। निशन एक्सप्लेनेशन
क शहरों और कस्बों
अधिष्ठाता— ने जमीन लीज पर
बने। का मालिक है और
(प्रश्न मेंट है। अगर वह
हैं वह इस कानून के
क्योंकि यू० पी०
१९५१ ई० तक सन् से पहले जो मुकद्दमे
ऐक्ट द्वारा जारी बातें मैं आनरेबिल
और क्योंकि उल्लुक है मेरे ख्याल में
की व्यवस्था करना में होगा और यह
इसलिये नि वा स स्टेट में ऐसा
कान और दूसरी चीजें
१—(१) इस
(संशोधन) अधिनिय हम करना चाहता हूं

छोटा शीर्ष नाम और आरम्भ

(२) वह
अधिष्ठाता— तक पहले सवाल का
बन जाय। लाऊं कि जिस जमीन
(प्रश्न हीं। जहां तक मेरा
माननीय श्री जरे चहारुम का है
(कंटीन्युएंस आफ सामान्य विधि से
गी।
अधिष्ठाता—
(संशोधन) विधेयक गालिबन २५ अगस्त
है कहना है।

[माननीय श्री चप्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स)
फूड कंट्रोलर के पास र सन् १९५१ ई०, पर विचार किया जाय।
हैं। हमारे पास उन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)
आज्ञा देनी पड़ती है। खंड २
कि जहां तक खत्तियां ई० के यू० पी०, स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स) ऐक्ट की
मैजिस्ट्रेट या फूड कंट्रो "१९५१" के स्थान पर संख्या "१९५४" रख दी जाय।
लेकिन इस सन् ४७ के
फूड कंट्रोलर्स को गोद
थे, सरकार की आज्ञा रायण सक्सेना--जो संशोधन मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय के नाम
है। वह सूचना आज उपस्थित करना चाहता हूं।
के अन्तर्गत जो मकान करता हूं कि अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५२"
संख्या है। यदि वे जा
नी है। बकिया जितने अपनी तकरीर में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनकी गवर्नमेंट
सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र करने के लिये तैयार है अगर सरकार मेरे इस संशोधन को मान लेती है।
मंगवा कर दे सकता हूं करने की जरूरत मालूम नहीं होती। अगरचे नहीं मानती तो मैं तकरीर
कितने गोदाम हैं
और उनमें से कित
ऐसी हैं जो सरकार ने चन्द्रभानु गुप्त--मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में ही कह दिया था कि
के लिये पढ़कर सुना
अनुसार हमारे यहां प्रश्न यह है कि खंड २ में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५२"
और गोदाम हमारे यह
सरकार के पास जो प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)
के पास स्टोरेज कैपे प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग
और खत्तियों के रूप
(सीधे समझौते) से ले उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)
इस कानून के अन्तर्गत प्रस्तावना तथा खंड १
चाहती हैं कि सरका
उसको कायम रखने (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर,
१९४९ ई० के यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स)
श्री गोपाल ना ला गया था।

माननीय श्री चाल ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक जारी रखने
८७,५३६ टन खत्ती के हैं,
के रूप में है। इस तरह निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--
जो स्टोरेज पोजीशन है अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स)
खत्तियां हैं और कित म, १९५१ ई० होगा।
श्री गोपाल नारा रन्त प्रचलित हो जायगा।
कि जो स्टोरेज कैपेसिटी
जो कमी है वह बता दें प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंग

माननीय श्री च उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)
वह स्टोरेज कैपेसिटी चन्द्रभानु गुप्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन
वे जगहें हमसे छिन पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

आज मौजूदा सर प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्युएंस आफ पावर्स)
जिसकी हम आइंदा ज सन् १९५१ ई० पारित किया जाय।
सरकार के पास कोई स (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन विधेयक, सन् १९५१ ई० पर विचार किया जाय;

इस बिल के संबंध में मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करनी है। सिर्फ इतनी बात है कि यह जरे चहारुम का दस्तूर बड़ा पुराना दस्तूर है जिसके जरिये से हमारे जमींदार भाइयों को किसी मकान की बिक्री फरोख्त में जरे चहारुम पाने का हक रहता है। हालांकि तामीर में एक पैसा भी जमींदार साहबान को सर्फ करना नहीं पड़ता है। यह एक ऐसा दस्तूर है जो बदली हुई परिस्थिति में ठीक नहीं बैठता। इस दस्तूर की वजह से जो मकानात कम कीमत पर बिक सकते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से यह जरूरी समझा गया कि यह विधेयक सदन के सामने पेश किया जाय और इसको कानून की शक्ल में पास किया जाय ताकि यह दस्तूर जो बिलकुल आउट आफ डेट (असामयिक) है वह खत्म हो जाय और मकानों की खरीद और फरोख्त में जो दिक्कत दरपेश है उसमें सहूलियत पैदा हो जाय। इसलिये यह विधेयक हाउस के सामने पेश किया गया है और मुझे आशा है कि माननीय सदन इसको स्वीकार करेगा।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता मंडल के सदस्य, श्री केशव गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मुझे इस मसले पर कोई बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करनी है और न इस बिल को मुखालिफत करना है। सिर्फ चन्द बातें आनरेबिल मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं। अव्वल तो यह कि जो डेफिनिशन एक्सप्लेनेशन २ है उसका क्या मतलब है? यह बिल सिर्फ देहात के लिये नहीं बल्कि शहरों और क़स्बों की जो जमीनें हैं उन सब पर यह ऐक्ट लागू होगा। अगर किसी ने जमीन लीज पर दे दी और उस पर दूसरे ने अपना मकान बनाया तो वह सिर्फ अमले का मालिक है और जमीन का मालिक वह नहीं हो सकता क्योंकि उन के साथ ही एग्रीमेंट है। अगर वह चाहे तो अमले को सेल कर सकता है लेकिन जो जमीन के मालिक हैं वह इस कानून के बाद कायम रहेंगे या नहीं।

दूसरी बात मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि २५ अगस्त से पहले जो मुक़द्दमे किसी अदालत में चल रहे हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। यह दो बातें मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं। जहां तक जरे चहारुम का ताल्लुक़ है मेरे ख्याल में इसका रिवाज बहुत कम है और बनारस में या दूसरे मशरिकी अजला में होगा और यह अवध में बहुत कम है। मुमकिन है कि गवर्नमेंट स्टेट में या कोर्ट आफ वार्ड्स स्टेट में ऐसा हो कि जरे चहारुम वहां लिया जाता हो चूंकि वहां अक्सर, दरख्त मकान और दूसरी चीजें नीलाम होती हैं उनमें यह लिया जाता हो। बस इतना ही मैं मालूम करना चाहता हूं इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय सभापति महोदय, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है उससे मैं यह समझा कि नवाब साहब चाहते हैं कि मैं बतलाऊं कि जिस जमीन पर मकान बना है उसकी मिलकियत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है और जहां तक इस बिल का मतलब है इससे ताल्लुक सिर्फ जरे चहारुम का है और जमीन का मामला जो है वह तो आरडिनरी ला से गवर्न (सामान्य विधि से शासित) होता है और होता रहेगा, उस में कोई दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है वह मेरी समझ में नहीं आई गालिबन २५ अगस्त से पहले के जो मुक़द्दमे हैं वह खत्म हो जायंगे। बस इतना ही मुझे कहना है।

अधिष्ठाता-- प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन विधेयक, सन् १९५१ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ तथा ३

परिभाषा

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर--

(क) "ज़रे चहारुम" का तात्पर्य भूस्वामी (land-lord) के ऐसे अधिकार से है, वह चाहे किसी नाम से प्रसिद्ध हो और चाहे वह प्रथा या संविदा (custom or contract) पर आधारित हो, जो उसे किसी मकान या इमारत के विक्रय (sale) होने पर क्रय मूल्य (purchase price) में कोई हिस्सा या अंश पाने का हो।

स्पष्टीकरण १--"विक्रय" (sale) के अन्तर्गत किसी डिग्री के निष्पादन (execution) में शोध्रावसान (fore-closure) या विक्रय (sale) है।

स्पष्टीकरण २--"भूस्वामी" (landlord) का तात्पर्य उस भूमि के जमींदार या स्वामी (proprietor) से है जिस पर मकान या अन्य इमारत हो।

(ख) "लगान" अथवा "किराया" के अन्तर्गत घरद्वारी और परजौ ी ै।

ज़रे चहा म की प्रथा का विनाश

३--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है किसी वाजिबुल अर्ज, अनुबन्ध (agreement) या किसी न्यायालय के निर्माण, डिग्री या आज्ञा या किसी अन्य आलेख (document) में किसी बात के रहते हुये भी २५ अगस्त, १९५१ से ज़रे चहारुम की प्रथा का एतद्द्वारा उत्सादन (abolition) किया जायगा और किया जाता है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द "या" निकाल दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में शब्द "इमारत" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जावें--"दरख्त या बांस"

सभापति जी, इसे पेश करने का मेरा मकसद यह है कि जहां तक शहरों का ताल्लुक़ है वहां तो मकानों के ही मामले ेश हुआ करते हैं। यह बिल देहात पर भी लागू होता ै इसलिये वहां मकानों के मामले ो होते हैं नहीं और अगर होते हैं तो नहीं के बराबर होते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें दरख्त और बांस और जोड़ दिये जावें। उन पर जमींदार ज़रे चहारुम वसूल करता है। इससे देहात के रहने वाले गरीब किसानों को भी कुछ इस बिल से फायदा हो सकेगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह--सभापति जी, जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है मुझे सिर्फ यही अर्ज करना है अपने भाई की इत्तिला के लिये कि दरख्त और बांस जमींदारी उन्मूलन बिल में है और जिस वक्त वह ऐक्ट लागू हो जायगा तो उसमें यह सब जो काश्तकारों की मिल्कियत है, उनकी हो जाय ी और जमींदारों का कोई हक़ इसमें नहीं रहेगा। लिहाजा उसमें ज़रे चहारुम का कोई हक़ पैदा नहीं होता है। इस वजह से पेड़ों की बात इस बिल में नहीं रखी गई है। महज इमारतों के लिये यह बिल रखा गया है मैं समझता हूं कि मेरे मित्र मुझसे इत्तिफाक़ करेंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे क्योंकि यह इस बिल से ताल्लुक़ नहीं रखता है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसे तो मैं पहले ही से जानता था कि जमींदारी अबालीशन जब कानून का रूप

लेगी और जमींदारी खत्म हो जायगी तो पेड़ वगैरह भी खत्म हो जावेंगे। लेकिन जमींदारी का मामला तो लटक रहा है और मैंने इसी ख्याल से यह तरमीम पेश की थी। लेकिन जैसा उनके कथन से प्रकट होता है मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री को पूरा यकीन हो गया है कि जमींदा ी खत्म होने में बहुत देर नहीं । अगर ऐसी बात है तो मैं अपने संशोधन को ेस नहीं करना चाहता और इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता--खंड २ में अब कोई संशोधन बाकी नहीं है और न इसमें कोई संशोधन हुआ है ओर खड ३ में भी कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं खंड २ और ३ को एक साथ सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ स वि ेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--कि ो ा, अनुब या अन्य आलेख में किसी बात के होते हुये भी २५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद किसी विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति को जरे चहारुम के आधार पर यह अ कार न होगा कि ऐसी भूमि पर जिसका वह स्वामी हो स्थित मकान या इमारत के क्रय मूल्य के किसी अंश या भाग को, विक्रेता (seller) या क्रेता (purchaser) से वसूल कर सके। उक्त अंश या भाग की अदायगी के संबंध में, किन्तु अन्य में नहीं, कोई भी अनुबन्ध अवैध होगा।

जरे चहारुम के अधिकार का अवैध होना

अधिष्ठाता--खंड ४ में अब कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५ और ६

५--यदि धारा ४ के कारण जरे चहारुम के रूप में किसी धनराशि को देने की प्रतिज्ञा (promise) अवैध हो जाय, तो अनुबन्ध वाला आलेख (document) उपर्युक्त के विषय को छोड़कर किसी अन्य बात के लिये अवैध न होगा, चाहे कोई विधि (law) इसके प्रतिकूल भले ही हो।

अन्य विषयों में अनुबन्ध आदि का प्रभावशील रहना

६--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी २५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद हुये विक्रय के संबंध में जरे चहारुम के आधार पर किसी धनराशि की प्राप्ति के लिये प्रत्येक, वाद, प्रार्थना या व्यवहार (Suit, application, proceeding) का प्रशयन हो जायगा (Shall abate) और वे खारिज (dismiss) कर दिये जायेंगे; किन्तु उनसे संबद्ध व्यय न्यायालय के विचार पर निर्भर होगा।

२५ अगस्त, १९५१ के बाद के दायित्व के संबंध में वाद (suit) का प्रशयन

अधिष्ठाता--खंड ५ और ६ में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं इन दोनों खंडों को एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७, ८ और ९

७--(१) किसी संविदा या प्रथा में किसी बात के रहते हुये भी, किसी ऐसी भूमि के भूस्वामी के लिये जिसके संबंध में २४ अगस्त, १९५१ को जरे चहारुम का अधिकार ाप्त हो, यह वैध होगा कि वह वाद द्वारा उस लगान को बढ़ा सके जो उक्त भूमि के लिये उक्त दिनांक पर प्रदेय हो:

वाद द्वारा लगान बढ़ाने का अधिकार।

किन्तु प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि वृद्धि उक्त लगान के ३३, १/३ प्रतिशत से अधिक न होगी ;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि भूस्वामी ने किसी समय उक्त भूमि पर स्थित मकान या इमारत के संबंध में जरे चहारुम के रूप में कोई धनराशि वसूल की है तो किसी वृद्धि की आज्ञा नहीं दी जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि के लिये देय लगान में वृद्धि की गई है तो जब तक वृद्धि कार्यान्वित किये जाने के दिनांक से ३३ वर्ष न बीत जायं, दुबारा लगान की वृद्धि नहीं की जायगी।

धारा ७ के अधीन लगानकी वृद्धि के संबंध में सी० पी० सी० आर्डर २, रोल २ की बाधा

८--कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के आर्डर २, रूल २ में किसी बात से यह न समझा जायगा कि केवल इस कारण कि धारा ६ में उल्लिखित वाद निविष्ट (दाखिल) हुआ था, भू-स्वामी धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन लगान की वृद्धि के लिये वाद प्रस्तुत करने से वंचित रह जायगा।

प्रशस्ति

९--२५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद किये गये विक्रय के संबंध में जरे चहारुम के लिये धनराशि को लेने वाले व्यक्ति को ऐसा अर्थ-दंड दिया जायगा जो उक्त प्रकार से लगाई गई या वसूल की गई धनराशि से दुगुनी तक हो सकती है, और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किये गये अर्थ-दंड में से ऐसा भाग जो विक्रेता या क्रेता द्वारा दी गई धनराशि से अधिक न होगा, यथास्थिति, विक्रेता अथवा क्रेता को वापस कर दिया जाय।

अधिष्ठाता--खंड ७, ८ और ९ में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं इन तीनों खंडों को एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

जरे चहारुम की प्रथा के उत्सादन (abolition) की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन विधेयक, सन् १९५१ ई०, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन विधेयक, सन् १९५१ ई०, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य के क्रम में परिवर्तन

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मुझे जनाबवाला से और जनाब के जरिये से इस ऐवान से यह दरख्वास्त करना है कि अगला आइटेम (८८) जो एजेंडा पर है इस वक्त उसकी बजाय नम्बर १४ और १५, १६ और १७, २० और २१ पहले ले लिये जायं। नम्बर १४ कांस इरेडिकेशन बिल की बाबत है, नम्बर १६ फारेस्ट बिल की बाबत है और नम्बर २० कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बाबत है। ये तीनों बिल बिलकुल नानकंटेंशस (विवादरहित) हैं। इसलिये ये तीनों बिल अब ले लिये जायं। अगर वक्त बाद को बचेगा तब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को लें वरना नहीं।

अधिष्ठाता--मैं यह समझता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री का आशय यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, आज स्थगित कर दिये जायं। मैं समझता हूं कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(कुछ रुककर)

इसलिये ये दोनों स्थगित किये जाते हैं।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)--माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१ ई०, पर विचार किया जाय।

जैसा कि माननीय निर्माण मंत्री ने अभी फरमाया है, यह बिल नानकंटेंशस (विवादरहित) बिल है। यों तो इस विधेयक के पास होने पर गवर्नमेंट को अधिकार हो जाता है कि सारे उत्तर प्रदेश में जहां चाहे इसको लागू करे लेकिन अभी हमारी मंशा केवल यह है कि बुंदेलखंड में, इसी एक वर्ष के अन्दर और अगर हो सके तो जल्दी भी, ४० एकड़ जमीन पर कांस एरेडिकेट (उत्सादन) किया जाय और उसी मंशा से यह बिल रखा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको दो ट्रैक्टर यूनिट्स भी इसी गरज के लिये दे रही है और पये की मदद भी हमको मिल रही है। आम तौर पर तो किसान लोग गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि उनके खेतों या जमीनों पर कांस का गवर्नमेंट अपने ट्रैक्टर के जरिये उत्सादन कर दे और उखाड़ दे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ किसानों को इसमें उज्र होता है। किसानों के भले की बात है लेकिन बाज बाज किसान जिनका खेत, जिनकी जोत या जिनका खाता दूसरे किसानों की होल्डिंग (खाता) के बीच में चारों तरफ आ जाता है वह उसमें रुकावट डालते हैं और जो कांस एरैडिकैशन आपरेशंस (उत्सादन कार्य) हैं वे अच्छी तरह से नहीं हो सकते। इसलिये यह बिल पेश किया गया है कि जब गवर्नमेंट चाहे तब जिस इलाके को चाहे "कांस इरैडिकेशन एरिया" (कांस उत्सादन क्षेत्र) करार दे दे। अगर किसी किसान को, या जमींदार को या किसी और हक़दार को इसमें आपत्ति हो तो नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के ३० दिन के अंदर उज्र करने का अधिकार होगा और उसके उज्र को सुनने के बाद और उसके उज्र को खत्म करने के बाद फिर गवर्नमेंट को या उसकी ओर से कांस आफिसर को यह अधिकार होगा कि उस इलाके में कांस उखाड़ने के लिये जितने जरूरी आपरेशंस हों, यानी ट्रैक्टर्स के जरिये से काम कराना या सीमाबन्दी कराना आदि जो जरूरी कार्यवाही हों, उनको कर सकता है। सिर्फ किसान के लिये यह लाजमी होगा कि वह इस आन आपरेशन में किसी प्रकार की रुकावट न डाल सके। अगर वह कावट डालते हैं तो कोई कैद की सजा नहीं रखी गई सिर्फ जुरमाने की सजा रखी गई है। एक साल के अन्दर जिस जमीन से कांस को उखाड़कर उसको नोटीफाई (अधिसूचित) कर देंगे उस जमीन को पाने का वह अधिकारी होगा सिर्फ कांस उखाड़ने में जो खर्चा गवर्नमेंट का हुआ है उसको देने के लिये वह जिम्मेदार होगा। उसको भी या तो नगदी दे दे या अगर नगदी देने की बिसात नहीं है तो किस्तबन्दी में दे सकता है। किस्तबन्दी का एग्रीमेंट (क़रार) लिखाने के बाद वह जमीन उसको वापस कर दी जायगी।

[माननीय श्री चरण सिंह]

ये मोटी मोटी सी तीन चार धारायें हैं। मैं समझता हूं कि भवन को इसे पास करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका उसूल किसानों की मदद करना है और उसी के हित में यह कानून लाया जा रहा है। कम से कम समय के लिये गवर्नमेंट जमीन को अपने क़ब्जे में लेना चाहती है और हो सका तो साल भर से भी पहले इसको वापस कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भवन इसको मंजूर करेगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २--१४

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर,

(क) "कांस उत्सादन क्रिया" का तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जिसे कांस अधिकारी, कांस के नाम से प्रसिद्ध घास के उत्सादन के लिये, आवश्यक समझे;

(ख) "कांस क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति द्वारा कांस से आक्रान्त (इफेक्टेड बिद कांस) क्षेत्र प्रख्यापित करे;

(ग) "कांस अधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है और उसके अन्तर्गत कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी है जो राज्य सरकार अथवा कांस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, अधिकृत किया जाय;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा नियत से है;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

कांस क्षेत्र का प्रख्यापन

३--(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई क्षेत्र कांस से आक्रान्त है, तो वह सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का पूरा विवरण देकर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, उस क्षेत्र को कांस क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति का प्रकाशन, ऐसे सब व्यक्तियों के प्रति जो उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि या भूमियों के स्वामी हों अथवा उसमें हित रखते हों, उक्त विज्ञप्ति में लिखे हुए तथ्यों के विषय में पर्याप्त सूचना होगी।

उपधारा ३ के अधीन विज्ञप्ति का निरसन

४--यदि कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति से तीस दिन के भीतर कोई आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत करे कि कांस क्षेत्र या उसका कोई भाग, ऐसे कारणों से, जिन्हें आपत्ति करने वाला उल्लिखित करे, कांस उत्सादन क्रिया के निमित्त लेने योग्य नहीं है, तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, उक्त विज्ञप्ति को कुल क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में निरसन (कैन्सिल) कर सकती है। यदि उक्त निरसन कुल क्षेत्र के सम्बन्ध में हो तो उक्त क्षेत्र कांस क्षेत्र न रहेगा और यदि वह क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में हो तो उक्त भाग उक्त कांस क्षेत्र के अन्तर्गत न रहेगा।

५--(१) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के बाद, और यदि कोई आपत्ति धारा ४ के अधीन प्रस्तुत की गयी हो, तो उक्त आपत्ति के निस्तारण के बाद, कांस अधिकारी, उसके अधीनस्थों अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत श्रमिकों के लिए निम्नलिखित वैध होगा :-- माप करने और कांस उत्सादन क्रिया करने का अधिकार।

(क) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि में प्रवेश करना, उसका माप करना और उसका समतल लेना (टेक लेविल्स),

(ख) उक्त भूमि के अन्तस्तल (सब सायल) को खोदना या उसमें बेधन (बोर) करना,

(ग) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की सीमाओं को निश्चित करना,

(घ) उक्त भूमि में कांस उत्सादन क्रियाओं के निमित्त आवश्यक सभी काम करना,

(२) कांस उत्सादन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाला कार्य, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जायगा।

(३) जब किसी कांस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त भूमि पर कांस उत्सादन क्रिया समाप्त हो जायगी, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में उक्त आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी, उसके उपरान्त कांस उत्सादन क्रिया के विषय में यह समझा जायगा कि वह समाप्त हो गयी और वह क्षेत्र उस दिनांक से कांस क्षेत्र नहीं रहेगा।

६--(१) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि का स्वामी या उसमें हित रखने वाला कोई व्यक्ति, कांस उत्सादन की अवधि के भीतर उक्त भूमि पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कांस उत्सादन क्रिया में कोई बाधा या विघात पड़े। स्वामी और दूसरे व्यक्ति क्रिया में बाधा न करेंगे।

(२) यदि कोई व्यक्ति कांस उत्सादन क्रिया में विघ्न या बाधा डालेगा, तो अपराधी निर्णीत होने पर उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा।

(३) कांस अधिकारी कांस उत्सादन क्रिया से सम्बद्ध सभी व्यय का हिसाब नियत रीति से रक्खेगा और उक्त हिसाब उसमें लिखित सभी तथ्यों के प्रमाण के रूप में लिया जा सकेगा और उसके विरुद्ध कोई विशेष आक्षेप किसी वाद या अन्य विधिक व्यवहार (सूट आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) में नहीं किया जा सकेगा।

७--(१) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि पर कांस उत्सादन क्रिया में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय (जिसे इस अधिनियम में आगे चल कर कांस क्रिया व्यय कहा गया है), उस भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार, जहां से कांस उत्सादन किया गया है कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि या भूमियों के स्वामियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनका इसमें या इनमें हित हो, कांस अधिकारी द्वारा न्यायसंगत रूप से (एक्वीटेबली), विभाजित कर दिया जायगा। कांस अधिकारी, उक्त प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति द्वारा देय धनराशि को निश्चित करेगा और इस प्रकार निश्चित धनराशि तत्सम्बन्धी भूमि पर भार (चार्ज) होगी। उक्त प्रकार निश्चित धनराशि के विषय में कोई आक्षेप किसी वाद या अन्य विधिक व्यवहार (सूट आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) में नहीं किया जा सकेगा। कांस क्रिया का व्यय।

(२) कांस अधिकारी यह भी निश्चित करेगा कि उपधारा (१) के अधीन विभाजित धनराशि, उक्त भूमि के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा एकमुश्त (इन वन लम्प सम) या वार्षिक क़िस्तों में दी जायगी, और यदि वह वार्षिक किस्तों का आदेश दे तो वह क़िस्तों की धनराशि और संख्या को भी निश्चित करेगा।

(३) कांस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर, जो उस भूमि का स्वामी हो या उसमें हित रखता हो, जिसमें कांस उत्सादन क्रिया की गयी हो, मांग की एक ऐसी सूचना तामील करायेगा जिसमें उसके द्वारा देय कांस उत्सादन क्रिया का व्यय और वह अवधि जिसमें उक्त व्यय दिया जायगा, लिखे होंगे। यदि वह व्यक्ति, जिसके ऊपर उक्त सूचना तामील की गयी हो, मांगी हुई धनराशि न दे या कोई किस्त देने में चूक जाय तो उक्त धनराशि मालगुजारी के बक़ाया के रूप में (ऐज एरियर्स आफ लैण्ड रेवेन्यू) वसूल की जा सकेगी।

कांस भूमि को वापस करना।

८—धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना में निर्दिष्ट कांस उत्सादन क्रिया के व्यय के देने अथवा उसकी वसूली पर, अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन निश्चित वार्षिक किस्तों में उसको देने के लिये प्रतिज्ञा-पत्र (बांड) के लिख दिये जाने पर कांस अधिकारी उक्त स्वामी या व्यक्ति को कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि वापस कर देगा।

क्षति के लिये प्रतिकर।

९—(१) धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर धारा ५ के अधीन की गयी कांस उत्सादन क्रिया के कारण किसी वृक्ष, फसल या दूसरी वस्तु, जो नियत की जाय, विनाश या क्षति के निमित्त और उक्त धारा के अधीन प्रविष्ट (एण्टर्ड अपौन), कृष्ट भूमि (कल्टिवेटेड लैण्ड) की फ़सल की हानि के लिए, प्रतिकर के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र आने पर कांस अधिकारी नियत रीति से ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हो और ऐसी प्रतिकर की धनराशि दे सकता है जो ठीक और उचित प्रतीत हो। प्रतिकर देने की कांस अधिकारी की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (फायनल ऐण्ड कांक्लूसिव) होगी।

अनुपालन कराने का कांस अधिकारी का अधिकार।

१०—कांस अधिकारी ऐसे कार्य कर सकता है या करा सकता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो उसकी राय में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के लिये उचित रूप से आवश्यक हों।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति जनसेवक होंगे।

११—ऐसे व्यक्तियों के विषय में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य करें, यह समझा जायगा कि वे इण्डियन पिनल कोड, १८६० में दिये गये उस शब्द के तात्पर्य के अनुसार जनसेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) हैं।

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

१२—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग, या अन्य विधिक व्यवहार (सूट, प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिंग्स) निविष्ट (इन्स्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे।

समर्पण।

१३—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी, या प्राधिकारी (अथारिटी) को, इस अधिनियम के अधीन मिले हुए किसी अधिकार

को, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन उपयोग में लाने के लिये समर्पण (डेलीगेट) कर सकती है।

१४--(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियम में निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) धारा ३ के अधीन प्रकाशनीय विज्ञप्ति का आकार-पत्र (फार्म) और प्रकाशन की रीति,

(ख) रीति जिसके अनुसार धारा ४ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जायगी और सुनी जायगी।

(ग) रीति जिसके अनुसार और विषय जिसके सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन जांच की जायगी,

(घ) धारा ५ के प्रयोजनों के निमित्त कांस उत्सादन क्रियाओं की योजना तथा कार्य-क्रम,

(ङ) धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति का आकार-पत्र,

(च) स्थिति जिसके अधीन तथा प्रयोजन जिसके निमित्त धारा ६ के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(छ) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन हिसाब रखने से सम्बन्धित विषय,

(ज) रीति जिसके अनुसार धारा ७ के अधीन कांस उत्सादन क्रिया के व्यय अवधारित तथा विभाजित किये जायंगे और दिये जायेंगे,

(झ) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की पैदावार या उपज की विक्रय आय से, यदि कोई हो, कांस उत्सादन क्रिया के व्यय को संधानित करना (ऐडजस्ट),

(ञ) धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना का आकार-पत्र और वह रीति जिससे उसकी तामील की जायगी।

(ट) धारा ७ के अधीन लिखे जाने वाले प्रतिज्ञा-पत्र (बांड) का आकार-पत्र।

(ठ) धारा ८ के अधीन अतिकर अवधारण के निमित्त विचारणीय विषय,

(ड) धारा ८ के अधीन प्रतिकर के सम्बन्ध में व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके सम्बन्ध में अपील, एवं

(ढ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बद्ध किसी विषय में कांस अधिकारी और अन्य अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन (गाइडेंस)।

अधिष्ठाता--इस विधेयक में किसी भी खंड पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिए जितने खंड हैं उन सबको आपके सामने मैं एक साथ प्रस्तुत कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक के अंश माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कांस घास के उत्सादन के निमित्त व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चरण सिंह—श्रीमान् सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं श्रीमान की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

इस संबंध में मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं कि इस बिल का मतलब यह है कि जो रोड साइड (सड़क के किनारे) और कैनाल (नहर) के किनारे फारेस्ट डिपार्टमेंट को जंगलात लगाने का अधिकार दिया गया है उसके प्रोटेक्शन (संरक्षण) में दिक्कत पड़ती है और लोग दरख्तों को काट ले जाते हैं, लिहाजा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में जो प्राविजन्स (उपबन्ध) हैं उसको हम एक्सटेंड (प्रसारित) करने के लिये यह अख्तियारात लेना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरमीम की जरूरत है। सिर्फ एक धारा ८०-ए उसमें हम जोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना खंड १ और २

ऐक्ट सं० १६, १९२७ ई०।

कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिये जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट १९२७ ई० को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उक्त ऐक्ट की प्रवृति का संबंध है, संशोधित करना आवश्यक (एक्सपीडियेंट) है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

१—(१) इस अधिनियम का नाम "१९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम" होगा। संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारंभ।

(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० की धारा ८० के अन्त में निम्नलिखित नवीन धारा ८०-ए जोड़ दी जावे— १९२७ के ऐक्ट सं० १६ में नवीन धारा ८०-ए का जोड़ना।

"80 A.—The State Government may, by notification in the official *Gazette*, declare that any of the provisions of or under this Act shall apply to all or any land on the banks of canals or the sides of roads which are the property of the State Government or a local authority and there upon such provisions shall apply accordingly."

अधिष्ठाता—इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं सबको एक साथ रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, खंड १ और खंड २ इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्रीमान जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

इस बिल में सिर्फ दो बातें हैं। एक तो यह है कि असिस्टेंट सेशन्स जज और एडीशनल सेशन्स जज को इस वक्त ला (विधि) की रू से यह अख्तियार नहीं है कि बेल (प्रतिभूति) ले सकें और सेशंस जज को यह अख्तियार नहीं है कि वह एडीशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जज की फाइल्स पर से केसेज को मुन्तकिल कर सकें। इन दो बातों से दिक्कतें वाकय हुई हैं और जिन जिलों में एडीशनल जजेज बने हुए हैं वहां बेल (प्रतिभूति) वगैरा लेने में तकलीफ होती है। सिर्फ इस तकलीफ को रफा करने के लिये इन दो अगराज से यह बिल पेश किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ऐवान उसको मंजूर करेगा।

श्री वंश गोपाल—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा। जहां तक दफा २ का ताल्लुक है यह बात तो जरूर इस दिक्कत को दूर करती है कि अभी तक मुकद्दमे सेशंस जज के यहां दाखिल करने पड़ते थे और इसलिये जहां पर सेशंस जज नहीं है और एडीशनल सेशंस जज हैं तो वहां पर यह मुकद्दमे दायर हों, यह बात बहुत ठीक मालूम होती है। मेरे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं है। लेकिन दफा २ और ३ का मुकाबिला करने से ऐसा मालूम होता है कि दफा २ के मुकदमे एडीशनल सेशंस जज के यहां और असिस्टेंट सेशंस जज के यहां भी हो सकेंगे। लेकिन दफा ३ में आपने मुकद्दमे वापस लेने का अख्तियार सिर्फ उन्हीं मुकद्दमों

[श्री वंश गोपाल]

के बारे में दिया है जो कि एडीशनल सेशंस जज के यहां हों, उसमें असिस्टेंट सेशंस जज का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अगर कोई मुकद्दमे दफा २ के मातहत और उन अख्तियारात के मातहत जो उन्हें देते हैं असिस्टेंट सेशंस जज के वहां होंगे, वह केस वापस हो सकेंगे। इसलिये आप गौर करें और अगर मुनासिब समझें तो दफा ३ में भी एडीशनल सेशंस जज के साथ असिस्टेंट सेशंस जज को भी रख दें।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, जिस अमेंडमेंट (संशोधन) की जरूरत सरकार को इस कानून के द्वारा पेश आई, मुझे ताज्जुब है कि ऐसी जरूरत इस कानून में सरकार को क्यों पेश आ रही है। आप यह देखेंगे कि इस लड़ाई के बाद जितने मुहकमे सरकार के हैं उस सिलसिले में सरकार ने क्या किया है। इंजीनियर्स को ले लीजिये। हर जिले में एक इंजीनियर, इसी तरह से कोआपरेटिव में आप देखेंगे हर जिले में कोआपरेटिव आफिसर्स (सहकारिता अधिकारी) रख दिये गये। एजूकेशन के सिलसिले में देखेंगे कि हर ज़िले में इंसपेक्टर आफ स्कूल्स बना दिये गये। वेटरिनरी डिपार्टमेंट (पशु चिकित्सा विभाग) में एक डिस्ट्रिक्ट आफिसर इसके लिये भी मुकर्रर कर दिया गया। पहले ही से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज जुडिशियल आफिसर्स (न्यायिक अधिकारी) की और एस० डी० ओज० की बढ़ा दी गयी। जब आप देखते हैं कि हर मुहकमे में ऐसी कार्यवाही हुई है, जो गैर जरूरी हैं और उनके लिये डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हर जिले के अन्दर रख दिये गये हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि जब कि यह डिमांड (मांग) बराबर इस हाउस के अन्दर और बाहर की गयी, एक डिस्ट्रिक्ट जज हर जिले में न रख दिया जाय जहां पर नहीं हैं। लेकिन यह सरकार किसी मामले में भी जो सही मानों में, सही चीज है, सही तौर पर सोचने की न तो आदी रही है और न सोचने के लिये तैयार है।

यह अमेंडमेंट बिल इसलिये लाया गया है कि लिटीगेंट्स (मुकदमेबाज) को तकलीफ होती है। मैं यह कहूंगा कि वाकई में सरकार को लिटीगेन्ट्स से इतनी हमदर्दी है और जब कि यह रेवेन्यू (राजस्व) का मुहकमा है, लाखों रुपया सरकार के कोर्टफीस के जरिये से बचते हैं तो सरकार यह क्यों नहीं करती कि हर जिले के अन्दर एक डिस्ट्रिक्ट जज जहां नहीं है जैसे मैनपुरी, इटावा, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिरजापुर, इलाहाबाद, जहां के लिये आसानी के साथ थोड़े से जजों को सरकार बढ़ा सकती है और इस कानून को तरमीम करने की जरूरत न आये। बल्कि और भी बहुत सी जहमतें हैं। रोजाना के मसलों में दखिए, दिक्कतें होती हैं। बजाय इसके कि गवर्नमेंट बेलस (प्रतिभति) के सिलसिले में इस अमेंडमेंट को पेश करे। पहिले उसको यह चाहिये कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं हैं वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट की (बनाई) जाय उससे सरकार पर कोई खास खर्चा नहीं बढ़ेगा जबकि आज भी बड़े-बड़े जिलों में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (अपर जिला और सत्र न्यायाधीश) भी मौजूद हैं तो बहुत आसानी से सरकार इसको कर सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस मसले पर ध्यान दे और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट कर (बना) दे। सिर्फ ६-७ जिले ऐसे हैं जिनके लिये पोस्ट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जो बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, हमारे एक दोस्त ने यह बतलाया कि असिस्टेंट सेशंस जज को फाइल पर जो केसेज होंगे उनको विथड्रा किये (वापस लिए) जाने की कोई पावर (शक्ति) इस बिल के अन्दर मौजूद नहीं है। यह सही है कि उसके मुताल्लिक खास दिक्कतें होने की बिना पर उनके तजुर्बे पर यह बिल लाया गया है। ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई है।

दूसरी एक सूरत मेरे दोस्त फखरुल इस्लाम साहब फरमा रहे थे। उसमें यह बात तो सही है कि ज्यादा तादाद बढ़ाना आफिसर्स की जरूरी और मुनासिब है और

गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन ऐसा करती भी रहती है और आइंदा भी ख्याल रखेगी। लेकिन जहां तक इस बिल के मकसद का ताल्लुक है वह तो सही है। आफिसर्स की तादाद बढ़ाना वह तो अलग होता रहेगा। इस बिल से तादाद पर कोई असर पड़ता नहीं है। इस लिये में कहता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही गयी है। जहां तक सजेश्चन (सुझाव) का सवाल है गवर्नमेंट उन पर यकीनन गौर कर सकती है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तरप्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १, २ व ३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ ई० के प्रयोग के संबंध में, उक्त कोड में संशोधन आवश्यक है।

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१--(अ) इस अधिनियम का नाम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(ब) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(स) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१८९८ ई० के ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४९८ का संशोधन।

२--कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ ई० (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा ४९८, उक्त धारा की उपधारा (१) होगी और उक्त धारा की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा:

"(2) The power conferred by sub-section (1) on a Court of Sessions shall, in respect of such cases or class of cases as may be notified, be exercisable by an Additional Sessions Judge or Assistant Sessions Judge authorised in that behalf by notification in the Official Gazette by the State Government."

१८९८ ई० के ऐक्ट सं० ५ की धारा ५२८ का संशोधन।

३--(१) मूल ऐक्ट की धारा ५२८ की उपधारा (1-A) में शब्द "any case or appeal which he has made over to any Additional Sessions Judge" के स्थान में शब्द "or withdraw any case or appeal pending before any Additional Sessions Judge." रख दिये जायं।

(२) उपधारा (1-B) में शब्द "where a Sessions Judge withdraws or recalls a case under sub-section (1) or recalls a case or appeal under sub-section (1-A)" के स्थान में शब्द "where a Sessions Judge withdraws or recalls a case or appeal under sub-section (1) or sub-section (1-A)" रख दिये जा ।

अधिष्ठाता--इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं सब को एक साथ प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, खंड १, खंड २ और खंड ३ इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का दुधी राबर्ट्स गंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैं श्रीमान, की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दुधी राबर्ट्स गंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, सन् १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

इस संबंध में मुख्तसरन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह वह इलाका है जो अभी तक पारशियली एक्सक्लूडेड एरिया (आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र) कहलाता था जो कमूर पर्वत के साऊथ (दक्षिण) में है और यहां के रहने वाले बहुत सी बैकवर्ड (पिछड़े) लोग हैं। वहां पर कोई कानून लागू नहीं था। इसी वजह से वहां के महाजनान नाजायज फायदा इन लोगों की जहालत और कमजोरी का उठाते हैं और मनमाना सूद लेते थे और उनको उनकी जमीन से महरूम कर देते थे। अब हमारे संविधान में वह पारशियली एक्सक्लूडेड एरिया (आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र) नहीं रहा और इस सूबे की सरकार को वहां के मुतालिलक भी कानून बनाने का अधिकार हासिल हो गया। लिहाजा वहां की जाहिल और गरीब जनता को मदद और सहारा पहुंचाने के लिये और उन्हें महाजनान की ज्यादती से बचाने के लिये स विधेयक को यहां लाना आवश्यक समझा गया।

इसमें मोटी २ बातें हमने यों रखी हैं कि जो तीन वर्ष से ज्यादा पुराने कर्ज हैं वह माफ हो जायेंगे क्योंकि वहां पर पुश्तहापुश्त से कर्जे आ रहे हैं और किसी को ऐसे कर्जे को आड़ में पर्सनल सर्विस (वैयक्तिक सेवा) का लेना भी अब इस कानून से बैन (रोक) किया गया है। पुश्तहापुश्त खिदमत करते जाते थे और फिर भी सूद बढ़ता जाता था, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और कर्जा भी बढ़ता जाता था। इस वजह से उनकी परेशानियों का अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते हैं।

सूद के बारे में भी हमने जिस कानून में इंतजाम किया है। खंड ५ में अगर कोई शख्स दावा करे अपने कर्जे के लिये तो उसको पहले के समय का सिर्फ ५ फीसदी से ज्यादा सूद नहीं मिल सकता है और इसके बाद ३ फीसदी से ज्यादा नहीं मिल सकता है। यह मोटी मोटी बातें इसमें रखी गयी हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जिससे वहां की गरीब और जाहिल जनता को बराबर फायदा पहुंचेगा और उनकी तकलीफों में कमी होगी। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को जरूर मंजूर करेगा।

श्री साजिद हुसेन--जनाबवाला, जहां तक सूद को कम करने का सवाल है मुझको इत्तिफाक है मगर जो तीन साल वाले कर्जे को खत्म कर देने की बात है वह अ

तक मैं समझ नहीं पाया। अगर किसी ने सही तरीके से कर्जा लिया है तो मेरे ख्याल में वह लाएबिलिटी (दायित्व) उसके ऊपर रहनी चाहिये। अगर यूजरस रेट आफ इंटरेस्ट (ऊंची ब्याज की दर) है या हद से ज्यादा रेट आफ इंटरेस्ट है तो उसको कतई तौर से रिडयूस (कम) करना चाहिये। बैंक रेट्स या और जो रेट्स हैं उससे उनको गाइड (पथ-प्रदर्शित) होना चाहिये। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सूरत सिर्फ उसी रकबे की नहीं है बल्कि मेरे ख्याल में करीब करीब सूबे के हर हिस्से में और मेरे जिले में तो यह सूरत है कि इस वक्त सूद एक आना रुपया है यानी ७५ फी सदी मालूम नहीं कि यह बात कैसे उनकी नजर में नहीं आई। इतनी दूर उनकी नजर पहुंच गई।

माननीय श्री हुकुम सिंह--उसके लिये कानून है।

श्री साजिद हुसेन--देन आई स्टैंड करेक्टेड [तब आपका कहना ठीक है] लेकिन कानून होते हुए भी वह डेड लेटर (व्यर्थतार्थ) है, उसकी कोई पाबन्दी नहीं हो रही है। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि सूद एक आना रुपया मेरे जिले में देहातों में है। इसकी तरफ तवज्जह होनी चाहिये और खसूसन जब आप १० गुना लगान वसूल करके ५ फीसदी उनको दे रहे हैं और ८५ फीसदी उनसे दिलवा रहे हैं इस तरफ खास तौर से तवज्जह करनी चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय सभापति जी, मेरे लायक दोस्त श्री साजिद हुसैन की दो एक बुनियादी बातें मैंने सुनीं और उनसे मैंने यह समझा कि वे इस विधेयक के बुनियदी उसूलों से इत्तिफाक करते हैं महज उन्होंने गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाई है कि खीरी लखीमपुर में ७५ फीसदी सूद महाजनान वसूल करते हैं लिहाजा जब कि राबर्टसगंज और दूधी जिला मिर्जापुर की तरफ इस सरकार की तवज्जह गई तो खीरी जो अवध का एक जिला है और जो इस कैपिटल (राजधानी) के बहुत करीब है उसकी तरफ क्यों तवज्जह नहीं हुई। इसके मुताल्लिक में केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट और एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट दो कानून हैं और एक तीसरा कानून यूजरस लोन्स ऐक्ट है तीनों लागू हैं। इन कानूनों के होते हुए भी अगर लोग फायदा न उठायें तो गवर्नमेंट का फर्ज नहीं होता कि अगर कोई गैरकानूनी तरीके से कर्ज अदा करें तो गवर्नमेंट जाकर उसको समझाये कि आप इतना दीजिये और इतना न दीजिये। कानून बनाना इस सदन का फर्ज है, उसको एलान करने का और शाया कर देने का गवर्नमेंट का फर्ज है और उससे फायदा उठाना लोगों का फर्ज है। अगर लोग उससे फायदा नहीं उठायें तो गवर्नमेंट के लिये तो यह बड़ी मुश्किल बात है कि वह हर कर्जख्वाह के घर पर जाकर कहे, कोई मिनिस्टर जाये या उसका कोई आदमी जाये और यह समझाये कि साहब इतना सूद दीजिये और इतना सूद न दीजिए। तो काम तो ऐसा है जो ह्यूमनली पासिबल (मानवीय रूप से संभव) नहीं है। कानून मौजूद है, राजा साहब उनके नुमाइन्दे हैं, वहां के बहुत बाअसर आदमी हैं, जिन गरीबों को परेशानी होती है उनको प्रोटेक्शन (संरक्षण) दें और समझायें और अगर जरूरत समझें तो गवर्नमेंट की भी तवज्जह दिलायें और जो भी कानूनी मदद होगी सरकार दिलाने के लिये तैयार है। लिहाजा जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह तो मुनासिब है, ठीक है, गरीब तबके की हिफाजत के लिये है, उनकी तकलीफात को दूर करने के लिये है। लिहाजा मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

श्री साजिद हुसेन--वह माफी का टुकड़ा?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जरूरत है माफी करने की। वह अनसेक्योर्ड डेट्स (अरक्षित ऋणों) के मुतािल्लक है सेक्योर्ड डेट्स (रक्षित ऋणों) के मुतािल्लक नहीं है। कहीं कागजात में लिख दिया और पुश्तहापुश्त इन्दराज होते चले आते हैं, ज्यादातर फर्जी होते हैं। मैं समझता हूं कि राजा साहब जब खीरी गये हैं तो उनके इल्म में ऐसी बातें होंगी कि अनसेक्योर्ड डेट्स इन बे पढ़े लिखे लोगों से कैसे करा लिये जाते हैं। उनका हिसाब कभी नहीं होता। पुश्तहापुश्त मुलाजिमत करते चले आते हैं। इसलिये जो अनसेक्योर्ड डेट्स पुराने हैं उन्हीं को खतम किया जायगा। लेकिन जो सिक्योर्ड हैं जिनके लिये रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं उनके मुतािल्लक ऐसी बात नहीं है।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, मंत्री महोदय अब अपना एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दे चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

अधिष्ठाता--माननीय मंत्री का आखरी भाषण था और उसके पहिले काफी मौका दिया गया। जब कोई साहब नहीं उठे तब उसके बाद माननीय मंत्री उठे थे। इसलिये अब मैं कोई मौका देने को तैयार नहीं हूं।

श्री फखरुल इस्लाम--ऐसा तो नहीं है। माननीय मंत्री के एक्सप्लेनेटरी स्पीच (व्याख्यात्मक भाषण) के बाद जो मेम्बर चाहें उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये।

अधिष्ठाता--मैं अपने माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त तो अब मैं मौका नहीं दूंगा। लेकिन थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) के वक्त काफी मौका मिलेगा।

प्रश्न यह है कि दूधी राबर्टसगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, सन् १९५१ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

परिभाषा

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर,

(१) "कृषक" का तात्पर्य--

(क) ऐसे व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में जिसमें वह अधिनियम प्रवृत्त हो :--

(१) दो सौ पचास रुपये तक मालगुजारी या पचीस रुपये तक स्थानीय कर (local rate) प्रति वर्ष देता हो; अथवा

(२) सौ रुपये वार्षिक तक लगान देता हो, या ऐसी भूमि उसके पास होजो लगान से मुक्त (free of rent) हो और जिसका क्षेत्रफल पचास एकड़ से अधिक न हो, अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची १ में उल्लिखित किसी वर्ग का हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में आय-कर (Income-Tax) अवधारित किया गया हो कृषक नहीं समझा जायगा।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो कृषक न हो (non-agriculturist), उस स्थिति को छोड़ जबकि उसका नाम केवल जमानत के लिए सम्मिलित किया गया हो, ऋण के किसी व्यवहार में किसी कृषक के साथ सम्मिलित हो, तो वह कृषक उक्त व्यवहार के प्रयोजनों के लिये कृषक नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--(१) इस खंड में मालगुजारी और लगान (Revenue and rent) का तात्पर्य ऐसे मालगुजारी और लगान से है जो बाजार की मंदी या कृषि सम्बन्धी आपत्तियों के कारण दी जाने वाली छूट पर विचार न करते हुए देय हो।

स्पष्टीकरण--(२) इस खंड में शब्द लगान के अन्तर्गत, जब कि लगान जिन्सी हो, वह रुपया (money) भी होगा जो गत वर्ष के माल के कागजात (revenue papers) में उक्त जिन्सी लगान के समरूप (equivalent) अभिलिखित हो।

(२) "ऋण" का तात्पर्य कृषक को नगद (cash) या किसी पदार्थ के रूप में (in kind) दिये गये ऋण से है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यवहार (transaction) भी है जो सारतः (in substance) ऋण हो, किन्तु उसके अन्तर्गत वह ऋण नहीं है जो भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऋण देने के लिए अधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) द्वारा दिया गया हो, अथवा कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० के उपबन्धों के अनुसार निबद्ध (रजिस्टर्ड) अथवा निबद्ध समझी गयी किसी सोसाइटी द्वारा या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ ई०, की दूसरी अनुसूची (second schedule) में लिखित किसी बैंक द्वारा दिया गया हो।

(३) "व्यक्तिगत सेवा" के अन्तर्गत ऋणी या उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हाथ का या शारीरिक परिश्रम भी है।

(४) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(५) "असुरक्षित ऋण" का तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसकी वापसी की सुरक्षा किसी विशेष सम्पत्ति के बंधक या उस पर भार (charge) से अथवा आधि (pledge) द्वारा न की गयी हो।

व्यक्तिगत सेवा का अनुबन्ध अवैध।

३--किसी ऐसे ऋण के प्रतिफल के रूप में जो दिया गया हो या दिया जाने वाला हो, व्यक्तिगत सेवा करने का अनुबन्ध या प्रतिज्ञा (agreement or promise) अवैध होगी।

अधिष्ठाता--खंड २ और ३ पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं आपके सामने खंड २ और ३ रखे देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने की अवधि।

४--(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे असुरक्षित ऋण की वसूली के लिये जो वाद (suit) प्रस्तुत करने से तीन साल पहले लिया गया हो, कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(२) सभी ऐसे वाद (suits) जो उनके प्रस्तुत करने से तीन वर्ष से अधिक पहले लिये गये ऋण की वसूली के लिए हों, और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विचाराधीन हों, खारिज (dismiss) कर दिये जायंगे।

सुरक्षित ऋण का शोधन।

(३) उस ऋण को छोड़कर जिसकी वसूली के लिए उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, प्रत्येक असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए यह समझा जायगा कि उस दिनांक से जब कि ऋण दिया गया था तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर, उक्त ऋण का शोधन पूर्णतया हो गया (duly bischarged)।

(४) रुपये की देन की ऐसी सभी डिक्रियों के विषय में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक पहले लिये गये असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में दी गयी हों, निर्णीत व्यय (costs awarded) को यदि कोई हो, छोड़ कर, यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजन और सभी समय के लिए, उनका शोधन पूर्णतया होगा।

श्री अब्दुल बाकी—जनाबवाला, मैं यह बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जिस तरीक़े से दफा ४ इस बिल में है उसको मंजूर नहीं होना चाहिये। मैं जनाबवाला की तवज्जह दिलाऊंगा दफा ४ (२) पर जिसमें लिखा है—

"All suits for the recovery of a loan advanced more than three years before the institution thereof and psnding at the commencement of this Act shall be dismissed."

[सभी ऐसे वाद जो उनके प्रस्तुत करने से तीन वर्ष से अधिक पहले लिये गये ऋण की वसूली के लिए हों, और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विचाराधीन हों, खारिज कर दिये जायंगे।]

इसमें यह बताया गया है कि जिनको कर्जा लिये हुए ३ साल से ज्यादा गुजर गये हैं तो जो दावे उसके पेश्तर होंगे वे डिसमिस (खारिज) हो जायेंगे और दूसरे दावे हो नहीं सकेंगे। इस तरीक़े से इस दफा को रखा गया है जो मुनासिब सा नहीं मालूम होता। इस दफा में यह मान लिया गया है कि जो कर्जा दिया गया है और अगर उस पर तीन साल की मुद्दतें गुजर चुकी हैं तो गोया जिसका कर्जा लिया गया है उसकी सब की बेबाकी उसने कर दी है और उसे अदा कर दिया है और महाजन को पूरी रकम वसूल हो गई है। पहली दिक्कत तो इससे लिमिटेशन (परिसीमन) की पैदा होती है। ३ साल लिमिटेशन के जमाने में पूरा हो जाता है तो बजाहिर यह दफा यह बताती है फर्ज कीजिये कि जून की १५ तारीख को तीन साल पूरे हो जाते हैं। लिमिटेशन ऐक्ट के जरिये से जब कचहरी खुलेगी यानी अगर एक तारीख को खुलेगी तो दावा हो सकेगा। लेकिन इसमें एक चीज डेफीनिट (निश्चित) कर दी गई है कि अगर तीन साल गुजर गये तो कर्जा दिये हुये तो ऐसे दावे डिसमिस हो जायंगे। इसलिये कि इसमें कहीं यह नहीं बताया गया है। यह स्पेशल ऐक्ट है उसके खिलाफ जो जनरल ऐक्ट है उसके लिये यह पाबन्दी नहीं है कि उसकी पाबन्दी की जाय या मुस्तसनयाब बातें हैं और उसमें आपने ३ साल की कैद लगा दी है। अगर १५ जून की तातील हो जाती है और १५ जून को ही उसकी मियाद पूरी हो जाती है, लेकिन दावा तभी हो सकेगा जब कि कचहरी खुलेगी। फिर दावा नहीं हो सकता। इसलिये इस कानून की भी जो मंशा है उसके भी यह खिलाफ है। चूंकि यह बिल आज ही रखा गया था इसलिये मौका नहीं मिला कि कोई तरमीम लाई जा सकती, इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि बजाहिर जिस तरीक़े का बिल रखा गया है वह खिलाफ जाब्ता मालूम होता है। इसके बजाय यह होना चाहिये था कि जिस शख्स ने कर्जा लिया है उसे यह अख्तियार दे दिया जाय कि वह प्रूव (सिद्ध) कर सके कि यह पेमेंट सर्विस (सेवा द्वारा अदायगी) से या और किसी तरीक़े से हो चुका है। मगर जिस तरीक़े से यह दफा रखी गई है वह नामुनासिब ह, मंजूर नहीं होनी चाहिये।

श्री साजिद हुसैन--जनाबवाला, मैं बाकी साहब की राय से इत्तफाक करता हूं। राय उनकी यह है कि यह तीन साल का कर्जा बगैर किसी बुनियाद के माफ कर दिया जाय, बगैर किसी वजह के, यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इस किस्म के कर्जे देहातों में नहीं बांटता हूं। अगर कोई कर्जा अदा नहीं करता और फिर उसे आप माफ कर दें तो इसके कोई मानी नहीं है। यह तो बिल्कुल प्राइवेट प्रापर्टी बेसिस पर स्ट्राइक (निजी संपत्ति के आधार पर प्रहार) करता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि कर्जा देने वाले कोई बड़ी रकम वाले नहीं होते हैं, वे गरीब होते हैं, मामूली हैसियत के होते हैं। लेने वाले और देने वाले में १९, २० का फर्क होता है। फर्ज कीजिये कि एक ने रुपया लेकर दूसरे को दे दिया। "रौबिंग पिटर टु पे पाल" (एक से छीन कर दूसरे को देना) अपनी जेब से तो सरकार का कुछ खर्च होता नहीं। वह दूसरे के कंधे पर बन्दूक रख कर दागती है। यहां तो वही हलवाई की दूकान, काजी का फातिहा वाली बात है। दूसरे के बिरते पर ही फैयाजी दिखलाना, दूसरे के कंधे पर ही बन्दूक रख कर दागना, यह कहां का इंसाफ है? यह बिल्कुल गलत उसूल है, गलत तरीका है। अगर सरकार की हमदर्दी उनके साथ है तो वह एक स्पेशल लेवी स्लाइडिंग स्केल स्कीम लावें और उसके बाद खुद पेमेंट कर दे। उसके बाद कर्जा लेने वाले समझेंगे कि सरकार सब से बड़ी महाजन है। लेकिन असल में सरकार महाजन नहीं है।

सरकार तो खुद कर्जे की तलाश में रहती है, ख्वाह वह जमींदारी एबालीशन के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में हो, वह बराबर रुपये की तलाश में रहती है और लोगों से रूपया मांगा करती है। अगर कर्जा फर्जी है या सूद ज्यादा है तो उसको अदालत तय करेगी। यह न तो सरकार का काम है और न इस हाउस का काम है, यह तो अदालत का काम है। अगर आप यह तय कर दें कि जुमला कर्जा फर्जी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी दलील है। अगर आप समझते हैं कि कर्जा ठीक है और उसने कर्जा लिया है तो उसको पे (अदा) करना चाहिये। यह तरीका कि साहब कर्जा लेने वाले का रुपया सरकार सोच समझकर माफ कर दे, मेरे ख्याल में सही नहीं है। हां यह आम बात है कि सयासी फैयाजी जो होती है वह दूसरे के बिरते पर होती है। "दि पोलिटिकल जेनरासिटी इज आलवेज ऐट दि एक्सपेंस आफ अदर्स" (राजनीतिक उदारता दूसरों के व्यय पर की जाती है)। कोई भी अपनी जेब से खर्च करने के लिये तशरीफ नहीं लाता है। अगर सोशलिस्ट इकनामी (समाजवादी अर्थतंत्र) हो तब तो यह कंसीव (विचार) हो सकता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकनामी (पूंजीवादी अर्थतंत्र) में इस किस्म के मेजर (कानून) के क्या मानी हैं? एक तरफ तो इसी मुल्क में ऐसे ऐसे करोड़पति और अरबपति मौजूद हैं जिनके कर्जे के मुताल्लिक एक पैसा भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह उसे माफ करा सके और दूसरी तरफ जो बेचारे छोटे-छोटे साहूकार हैं, वे भी इसी मुल्क के नागरिक हैं, उनके साथ सरकार का इस तरह से रवैया रखना कहां का इंसाफ है।

मैंने अभी अर्ज किया कि जहां तक रेट्स आफ इंटरेस्ट (ब्याज की दर) का ताल्लुक है मैं कतई इसके खिलाफ हूं कि रेट्स आफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो कि कर्ज अदा न हो सके। इसके लिये सरकार एक कमीशन बैठावे, जो इनक्वायरी करे, वह देखे। सरकार को अख्तियार है कि जो तकावी रोज बांटा करती है उसे माफ कर दे। लेकिन दूसरे के पैसा पर फैयाजी करना ठीक नहीं है। अगर वे ऐसे निकम्मे आदमी थे कि उन्होंने कर्जा ले लिया और अपनी पूंजी नहीं जमा कर सके तो फिर आप उन सबका कहां तक ख्याल रख सकते हैं। साहब वे जो काश्तकार हैं उनके पास ऐसी-ऐसी भैंसें बंधी हुई हैं जो पन्द्रह-पन्द्रह सेर दूध देती हैं, उनके यहां गल्ला पैदा होता है मगर फिर भी वे लोग पया नहीं अदा करते हैं। तो इस

[श्री साजिद हुसैन]
तरह के जो डिफाल्टर्स (दोषी) हैं उनकी मदद करना उसूलन किस तरह से ठीक है। हर जगह पर आप डिफाल्टर (दोषी) की तरफदारी करते हैं। कहीं पर भी जो ठीक तरह से चलने वाला है उसकी आपने तरफदारी नहीं की। आज तक जितने कानून बने हैं वह सब इन्साफ पर बनते हैं। इस तरह से आप कानून बनाकर कानून की जिल्लत करते हैं। आप उन उसूलों की जड़ काट रहे हैं जिनके ऊपर आप खड़े हैं और सारे मुल्क में हुकूमत चल रही है। अगर सरकार का यह दम है तो मैं कहता हूं कि जितनी प्राइवेट प्रापर्टी (निजी संपत्ति) है उस सबको आप खत्म कर दीजिये। मगर आपमें यह हिम्मत नहीं है आप तो बड़े बड़े सेठों की पूजा करते हैं। उनके चरणों के नीचे रहते हैं। तो यह सरकार छोटे आदमियों के साथ अन्याय कर रही है। लेने वाला भी छोटा आदमी है और देने वाला भी छोटा आदमी है। बड़े आदमी को आप पकड़ते नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसी काश्तकार पर ज्यादती हो मगर जो वाक़ई उन पर कर्जा है वह किसी तरह से माफ नहीं होना चाहिये। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ इस बिल की इस धारा की मुखालिफत करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने दोस्त श्री अब्दुल बाक़ी की तक़रीर को सुना और मैंने सिर्फ यह समझा कि उनकी दिक्कत यह है कि खंड ४ में जो ३ साल की मियाद रखी गई है उसका असर यह होगा कि अगर कहीं ३ वर्ष १५ जून को पूरे हो गये और अदालत दीवानी की तातील हुई तो कचहरी के खुलने पर वह दावा दायर नहीं हो सकेगा। यह बात मुझे अपने दोस्त की जबान से सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। अगर हमारे मित्र इस विधेयक की धारा १० को ग़ौर से पढ़ते तो एतराज़ न करते। उसमें यह दिया हुआ है कि--

"The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and of the Indian Limitation Act, 1908 shall apply to all suits and proceedings under this Act so far as they are not in consistent with the Provisions contained in this Act."

[इस अधिनियम के अधीन सभी वाद या व्यवहार के सम्बन्ध में कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रवृत्त होंगे।]

अब इसके बाद में अपने दोस्त की तवज्जह लिमिटेशन ऐक्ट की धारा ४ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि--

"Where the Period of limitation prescribed for any suit, appeal or application expires on a pay when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day that the court re-opens."

[जब किसी वाद, पुनर्विचार अथवा प्रार्थना के लिये नियत परिसीमन की अवधि किसी ऐसे दिन समाप्त होती हो जब न्यायालय बन्द हो तो वह वाद, पुनर्विचार अथवा प्रार्थना उस दिन प्रारम्भ की जा सकती है, चलाई जा सकती है अथवा की जा सकती है जब न्यायालय पुनः खुले।]

इस धारा से मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त की दिक्कत हल हो गई और उनका खास एतराज यह था, इस कानून की दिक्कत की वजह से एतराज था वह दूर हो गया। हमारे राजा साजिद हुसैन साहब ने यह कहा कि दूसरे के जायदाद पर यह सखावत कैसी? वाकई इसमें कुछ तत्व है और मैं इसके बारे में ग़ौर करूंगा। जब यहां पर डेट रिडम्पशन ऐक्ट लाऊंगा जैसा कि हमारे दोस्त ने मांग की है कि जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में एक डेट लेजिस्लेशन (ऋण विधान) लाना चाहिये। उस वक्त मैं

इस चीज को ध्यान में रखूंगा कि दूसरों की जायदाद पर सखावत न रखी जाय। वाक़ई यह बात मानने के क़ाबिल है और इसको ध्यान में रखूंगा। लेकिन जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक़ है क्या में राजा साहब की तवज्जह उन व तरफ दिला सकता हूं जैसे एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट और डेट f जो कि उस जमाने में पास हुये थे जबकि यहां जमींदार पार्टी क और उनकी हुकूमत भी थी। उस जमाने में भी उनके जरिये से दूसरों सखावत की गई थी और ताल्लुक़दारान जो मक़रूज़ थे उनके लि कम करके उनके कर्जे कम किये गये थे। जहां आपने यह मिसाल र आपकी तरफ से लोग जिस वक्त बरसरे इक़तदार थे उस वक्त उ कायम की थी। हमने तो आपही के बनाये हुये रास्ते पर क़दम रखा

वाद प्रस्तुत करने का ऋण-दाता का अधिकार।

दूधी राबर्ट्सगंज के गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल कोने में पड़े हैं और जिनको नहीं मालूम कि क्या तरक्की आज देश आज तक वह एक्सक्लूडेड एरिया (पृथक् किया गया क्षेत्र) था और में कोई कानून बनाने का अख्तियार इस स्टेट को नहीं था। आज जब इस स्टेट को मिला तो उनकी बेहतरी के लिए अब यह कानून बना लेकिन हमारे राजा साहब को शिकायत है कि उन ७५ फीसदी : के साथ ज्यादती क्यों की जाती है और उनकी बड़ी हमदर्दी उन ७५ फी सदी सूद के हिसाब से अपनी असिल रक़म को न मालूम व कर चुके और फिर भी असिल बक़ाया में मौजूद है। मैंने जैसा कि पह था कि इसमें से अधिकांश कर्जा फर्जी हैं। हमने एक दूधी इन्क कायम की थी और उस कमेटी ने घूम घूम कर सबूत लेकर और त के अपनी रिपोर्ट दी थी और कमेटी ने उसमें सिफारिश की थी कि वहां के महाजनान के जरिये से सताये और परेशान किये गये हैं अ पर सूद लेकर उनको पुश्तहापुश्त से गुलामी में रखा गया है, उन नहीं किया गया है और वह इस तरह से मक़रूज़ रखे गये हैं और व परेशान हाल हैं लिहाजा ऐसा कानून लाया जाय ताकि उनकी माली ह उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल लाया गया है और र बेबुनियाद नहीं है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि धारा ४ ब धारा है और अगर वह निकाल दी जाती है तो मैं समझता हूं कि का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। जहां तक बाक़ी साहब की कानूनी सवाल था वह चीज तो शायद हल हो गई और वह अब मुतमइन हैं। जहां तक राजा साहब का ताल्लुक़ है उनकी बात एक फर्जी खया है और उनके सुझाव पर मैं आने वाले किसी मुनासिब मौक़े पर अमल क करूंगा। इन चन्द अलफ़ाज़ के साथ इस दफा ४ की ताईद करता हूं।

वाद का स्थान।

कृषि संबंधी उपज के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन की अवधि।

कृषि संबंधी उपज की मुक्ति।

सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन ऐक्ट की प्रवृत्ति।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ५-१० और अनुसूची

५—समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में अथवा पक्षों द्वारा किये गये किसी अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण ऋणदाता को ऐसा ब्याज नहीं दिलायेगी जो —

(१) वाद के प्रारम्भ से पहिले की अवधि के लिये उस दर से हो प्रतिशत ५ वर्ष से अधिक हो, और

(२) वाद के प्रारम्भ के पश्चात् सारा ब्याज प्रतिशत ३ प्रति वर्ष से अधिक हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऋण पर उस अवधि के लिए जिसमें ऋण दाता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत सेवा की गयी हो, कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

६--उस दिनांक या दिनांकों के संबंध में जबकि ऋण प्रति देय हो, किये गये किसी संविदा में किसी शर्त के रहते हुए भी, उक्त ऋण की वसूली के लिए, धारा ४ के उपबन्धों को बाधिक न करते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय वाद (suit) निविष्ट (institute) किया जा सकता है।

७--समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी ऋण की वसूली के लिए वाद ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा जो उस अधिक्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत हो जहां पर प्रतिवादी (defendent) अथवा एक से अधिक प्रतिवादी हों, तो प्रतिवादियों में से कोई, सामान्यता रहता हो।

८--समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में, किसी बात के रहते हुए भी, ऋण के आधार पर दी गयी डिक्री के निष्पादन (execution) के लिए, वाद ऋणी (judgment-debtor) की कृषि-संबंधी उपज के विरुद्ध कोई आज्ञा यदि उक्त डिक्री इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की हो, तो उक्त प्रारम्भ के दिनांक से और यदि उक्त डिक्री इस अधिनियम के बाद की हो तो डिक्री के दिनांक से छः महीने की समाप्ति के बाद, नहीं दी जायगी।

इस धारा में कही गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी डिक्री के निष्पादन (execution) के लिए प्रार्थना की अवधि बढ़ायी गयी है।

९--समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, किसी वाद-ऋणी (judgment-debtor) की कृषि संबंधी उपज की एक-चौथाई से अधिक की कुर्की ऐसी डिक्री के निष्पादन में जो किसी ऋण के आधार पर दी गयी हो, नहीं होगी, और उक्त डिक्री का निष्पादन वाद-ऋणी की गिरफ्तारी या उसके अवरोध (detention) द्वारा तब तक नहीं होगा जब तक कि न्यायालय को यह संतोष न हो जाय कि उस ऋणी ने, उक्त डिक्री के निष्पादन के असफल करने अथवा उसमें बिलम्बन करने का उद्देश्य से अपनी किसी सम्पत्ति को छलपूर्वक हस्तान्तरित किया है, हटा दिया है अथवा छिपा लिया है।

१०--इस अधिनियम के अधीन सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८, और इंडियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची १

कृषि संबंधी श्रमिक, सामान्य श्रमिक, ग्वाले, गड़रिये, दुग्ध व्यापारी, लोहार, बढ़ई, मछुए, शिकारी (बहेलिए), नाविक, नाई, चमड़ा पकाने वाले और चमड़े का काम करने वाले, मेहतर, टोकरी बनाने, कुम्हार, दाई, चौकीदार, धोबी, बुनिये, जुलाहे या ग्राम जनता के अन्य सेवक या व्यक्तियों के ऐसे ही वर्ग जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय समय पर इस अनुसूची के अन्तर्गत करे।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५,६,७,८,९,१० और अनुसूची इस विधेयक का अंश माने जायं।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना तथा खंड १

मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण स्थित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से उद्धार करने की व्यवस्था करना आवश्यक है,

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) इस अधिनियम का नाम दूधी-राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृष उद्धार अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार जिला मिर्जापुर के उस भाग में होगा जो कैमूर पर्वत श्रेणी में है।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दूधी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

श्री साजिद हुसैन--सभापति जी, मैंने एक उसूली सुझाव इस बिल के सिलसिले में माननीय मंत्री जी के सामने रखा था लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना और न कोई क़ाबिले इत्मीनान वजह ही बताई। बल्कि उन्होंने यह कहा कि जमींदारों ने किसी जमाने में इस क़िस्म का कानून अपने फायदे के लिए बनाया था या यह कि आयन्दा जब डेट लेजिस्लेशन (ऋण विधान) का सवाल आयेगा तो वह इस पर गौर करेंगे, इसलिए हम इस सवाल को न उठावें। जहां तक गलती का ताल्लुक है, गलती गलती ही रहेगी, ख्वाह उसे इस सरकार या जमींदार ने की हो। बुराई उसके करने वाले की वजह से अच्छाई नहीं हो सकती। अगर कोई काम बुरा है तो उसे ख्वाह मैं करूं या मंत्री जी करें वह बुरा ही रहेगा। इसके यह मानी नहीं होने चाहिए कि वह बुराई में दूसरों की तक़लीद करें। अच्छाई के मामलों पर वे तक़लीद करने की कोशिश करें। यह उनकी कोई दलील नहीं है।

मैंने जो उसूल पेश किया है वह यह है कि जब तक कि प्राइवेट प्रापर्टी इस मुल्क में मानी जाती है तब तक यह नहीं होना चाहिए। संविधान के बाद इस मुल्क की प्रेस्टीज (प्रतिष्ठा) दूसरी हो गई। गुलाम हिन्दुस्तान और आजाद हिन्दुस्तान में फर्क है और बड़ा फर्क है। जब तक जो उसूल हमने मान लिए हैं संविधान के अन्दर, तो फिर उनके रहते हुए ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। संविधान में हमने यह हक़ दिया है कि हर सिटीजन (नागरिक) को हक़ हासिल है कि वह प्राइवेट प्रापर्टी रख सकता है और उसे हासिल कर सकता है। ऐसा होते हुए यह नया तरीका टैक्सेशन का सरकार को उचित नहीं है। अगर वह टैक्स होता तो वह स्लाइडिंग स्केल के उसूल पर होना चाहिए। मगर वे उसे टैक्स नहीं कहते हैं। वह तो मौक (विनोद) करते हैं। मैं उन लोगों को कभी भी सपोर्ट (समर्थन) नहीं करता हूं जिन्होंने ज्यादा सूद लेकर अपना कैपिटल बढ़ाया हो या कोई फर्जी तहरीर ले ली हो। जब तक कि सरकार इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेती कि सिटीजन्स की जुमला जरूरियात को वह पूरा करे तब तक उसे नागरिकों को उनकी पूंजी के हक़ से डिप्राइव (वियुक्त) करना मुनासिब नहीं है। यह है बुनियादी उसूल। उसका नाम सोशल इकानामी (समाजवादी अर्थतंत्र) है। जब तक सरकार किसी की तमाम जरूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है उस वक्त तक उसे कोई हक़ किसी की पूंजी को इस तरह से लेने का नहीं हासिल हो सकता और अगर किसी ने पहले ऐसा किया था, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने फरमाया कि जमींदारों

[श्री साजिद हुसैन]

ने किया था, तो उन्होंने गलती की और अगर यह सरकार उनके अफआल को सामने रखकर उसी तरह उनकी तक़लीद करना चाहती है तो यह गलत करती है। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं और उसके भी खिलाफ हूं।

जब तक प्राइवेट प्रापर्टी हमारे मुल्क में मानी जाती है तब तक उसकी रक्षा करना सरकार का फर्ज है। अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है तो सरकार क्यों पुलिस भेजती है ? यह कहा जा सकता है कि वह भूखा था और उसने ले लिया। लेकिन इसी उसूल को मानते हुए कि उसको प्राइवेट प्रापर्टी रखने का हक़ है, वह सरकार को टैक्स देता है कि उस टैक्स से वह पुलिस रखे और अदालतें चलाये और उनके जरिये से उसकी पूंजी की रक्षा करे। लेकिन इन चीजों की तरफ हमारे मंत्री जी तवज्जह भी नहीं करते और इसी वजह से उन्होंने एतराज किया। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता जो देहातों में रुपया क़र्ज़ देते हैं। जिस रक़बे के लिए यह कानून है मुझे उससे क़तई वास्ता नहीं है, मगर मैं सिर्फ एक उसूली बात इस हाउस के सामने रखता हूं कि यह हाउस उस उसूल को मानते हुए फिर उसके खिलाफ कैसे कर सकता है। अगर सरकार को उनसे हमदर्दी है तो तक़ावी दे, अगर उनके साथ ज्यादती की गयी है तो कोर्ट आफ ला में जाकर साबित करे और अगर कोर्ट आफ ला एक्सपेंसिव (व्ययशील) है तो एक कमीशन आफ इन्क्वायरी (परिप्रश्न आयोग) बिठायें। मगर बगैर समझे हुए सब के सब को एक सूली पर लटका देना कहां तक ठीक है, माना कि १० आदमियों ने क़त्ल किया। तो उनके साथ आप ग्यारहवें आदमी को भी लटका दें, यह कहां तक मुनासिब है ? आपको देखना चाहिए कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। सरकार यह सब वोटों के लिए कर रही है। मुझे वोट मिलें या न मिलें, चाहे मैं इलेक्शन में आऊं या न आऊं मगर उसूल को हमेशा सामने रखूंगा। क्यों नहीं सरकार कह देती कि हम बेउसूली की जिन्दगी बसर करते हैं और हम सोल्जर्स आफ फार्चून (अवसरवादी सैनिक) हैं ? मैं तो इसी वजह से इसकी मुखालिफत करता हूं और इन चन्द शब्दों के जरिये अपने ख्यालात का इजहार करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् सभापतिजी, मैं तो दो एक शब्द ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य है कि राजा साहब एक ऐसे बिल का विरोध कर रहे हैं जो कि उन गरीबों की बाबत है जो बहुत दुखी है और जिनके साथ सूद लेने में अनेक प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। मैं तो अब भी यह जानता हूं कि ऐसे ऐबारिजिनल्स (आदिवासी) के साथ इस प्रकार का व्यवहार अपने सूबे के और जिलों में ही होता है। मेरे अपने गांव के पड़ोस में ही एक जंगली क़ौम मुसहर की है। वे बेचारे पत्तल, दोने बनाते हैं, सवारी ढोते हैं और इसी तरह के छोटे छोटे काम करते हैं,। उनको लोग कर्ज देते हैं तो जितने रुपये कर्ज देते हैं उतने आने पहले ही उसमें से काट लेते है, जैसे १६ रुपये दिये तो १६ आने काट कर १५ रुपये देते हैं। उसके बाद महीने महीने आना रुपया के हिसाब से सूद लेते हैं।

एक सदस्य--ये लेने वाले कौन है ?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--लेने वाले कुछ महाजन और ऐसे ही क़िस्म के लोग हैं शायद जिनकी तरफदारी राजा साहब कर रहे हैं। शायद राजा साहब तो इस बात की भी ताईद करेंगे कि अगर कोई आदमी अपने रुपये से किसी आदमी को खरीद ले काम करने के लिए तो वह उसकी प्राइवेट प्रापर्टी हो जाय क्योंकि वह उसका खरीदा हुआ गुलाम है। तो यह प्राइवेट प्रापर्टी के बुनियादी उसूल की बात आज फिर राजा साहब की जुबान मुबारक से इस भवन में सुनने में आयी उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आप कहते हैं कि गल्ती गल्ती ही रहेगी। जमींदार साहबान ने एक कानून बनाया था उस वक्त डेट रिडेम्पशन (ऋण विमोचन) का, वह गलत था। मैं तो राजा साहब से यह कहूंगा कि भांटा किसी को पित्त करता है और किसी को वायु। "भांटा एक को पित्त

करे एक को बायु" । जो आपने गलती की वह वाकई गलती थी । आपने कानून बना दिया कि कर्जा माफ । किसानों ने कर्जा नहीं दिया था, उन्होंने रुपया दिया और जमीनों को मारगेज (गिरवी) किया । उन बेचारों ने अपनी कमाई से रुपया लगा कर काश्त करने की गर्ज से जमीन ली और इस तरह से उनको उन्होंने रुपया दिया और कानून बना कर उनका रुपया जो कि कर्ज नहीं था बल्कि काश्त के लिये जमीन का था उसको खत्म कर दिया । वह तो जरूर गलती थी लेकिन ये बेचारे गरीब जो महाजनों के फंदे में पड़े हुए हैं उनको मुक्त करने के लिए कदम उठाया गया तो आप कहते हैं कि यह उसूलन गलत बात है । मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत शानदार विधेयक पेश किया है और मैं उसको मुबारकबाद देता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो मुकदमा नहीं लड़ सकते और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनके लिए ऐसे कानून होने चाहिए ।

श्री अब्दुल बाकी--जनाब वाला, मुझे यह अर्ज करना है कि इस बिल में जो कायदे मुतय्यन किये हैं वे ये हैं कि जब इस बिल का निफाज होगा तो शरह सूद की होगी तीन रुपया सालाना और इस ऐक्ट के निफाज के पहले पांच रुपया सालाना होगी और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पर्सनल सर्विस (वैयक्तिक सेवा) की होगी तो जितने जमाने तक डेटर (ऋणी) की पर्सनल सर्विस होगी उस जमाने का कोई सूद नहीं होगा । मेरे ख्याल में एक ओमिशन (चूक) है इस बिल में । सिर्फ पर्सनल सर्विस नहीं बल्कि अगर किसी किस्म का पेमेंट साबित होगा तो सूद नहीं होना चाहिए था । पर्सनल सर्विस तो एक खास किस्म की हुई । कभी-कभी यह होता है कि कर्जा सिक्योर्ड (रक्षित) तक नहीं होता । कर्जा सिक्योर्ड नहीं बल्कि अनसिक्योर्ड होता है तो इसमें कोई प्राविजन (उपबंध) नहीं मालूम होता कि अगर लोन (ऋण) के एवज में चीज डेटर (महाजन) को देता है तो वह सूद से बरी होगा या नहीं । बजाहिर कि इसका कोई प्राविजन इसमें मालूम नहीं होता है ।

दूसरी चीज यह है कि पर्सनल सर्विस (निजी सेवा) क्रेडिटर (ऋणी)ने रेंडर की (की) है या नहीं की है यह दौरान मुकदमे में तय होगा और दफा १० में बताया गया है कि सिविल प्रोसीजर एप्लाई (व्यवहार प्रक्रिया प्रवृत्त) होगी। यह फैसला कि पर्सनल सर्विस कोई रेंडर की है या नहीं रेंडर की है यह दौरान मुकदमे में होगा और जब दौराने मुकदमे के बाद फैसला होगा तो उसके बाद कोई इंक्वायरी होगी नहीं । अगर सिविल प्रोसीजर अप्लाई करता है और सेक्शन ३५ के जरिये से ऐसे कर्जों पर और जो रायज सूद है तीन परसेंट का वह दिलाया गया तो इससे दफा १० की रू से यह मालूम होता है कि कर्जे पर जो डिग्री सादिर होगी वह क्रेडिटर को मिलेगी तीन परसेंट सूद पर । ऐसा बहुत होता है कि दावा हो जाता है लेकिन सर्विस जो जारी होती है वह जारी रहती है । इसका मतलब यह है कि दावा के पहले अगर उसने पर्सनल सर्विस रेंडर की है तो उसका सूद निकल जायगा लेकिन डिग्री के बाद तीन परसेंट सूद उसको मिलता रहेगा । तो जो उसूल इसमें तय किया गया है वह उसूल इसमें आकर पामाल हो जाता है । इस वजह से मैं समझता हूं कि यह बिल नाकिस है । इसमें यह भी होना चाहिए था कि न पहले का कोई सूद होगा और न डिग्री में कोई सूद दिलाया जायगा और अगर डिग्री में कोई सूद दिलाया जायगा तो दिक्कत यह होगी कि उसके बाद अगर उसने कोई पर्सनल सर्विस रेंडर की है तो उसमें सूद चलेगा ।

दूसरी जो फरोगुजाश्त इसमें है वह यह है कि पर्सनल सर्विस के होने पर सूद नहीं चलेगा, सही है, लेकिन अगर उसने जोतने के लिए सूद के एवज में कोई आराजी दी है, तो कर्जा हुआ अनसीक्योर्ड, लेकिन इस बिल में जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे नहीं मालूम होता कि इसमें कोई ऐसा प्राविजन है कि जैसा डेट रिडम्पशन ऐक्ट में है कि अगर लोन दिया गया है और

[श्री अब्दुल बाकी]
सीक्योर्ड लोन नहीं है मगर डेटर ने कोई आराज़ी अपनी दे दी है, या कोई चीज़ प्लेज (गिरवी) कर दी है और उससे प्राफिट पहुंचा है क्रेडिटर को, तो जिस क़दर प्राफिट हुआ है क्रेडिटर को वह सेट आफ (घटाना) किया जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् के ज़रिये से मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आखिरी प्वाइन्ट मेरी समझ में नहीं आया है, बड़ा पेचीदा है, इसलिए वह साफ कर दिया जाय।

श्री अब्दुल बाकी--मैं जनाब वाला, फिर से दोहराना चाहता हूं कि इसमें क़र्ज़े दो किस्म के बतलाये गये हैं, लोन और सीक्योर्ड लोन। सीक्योर्ड लोन की तारीफ है कि प्लेज होकर, मारगेज होकर या चार्ज हो कर क़र्ज़ा लिया गया हो लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्लेज नहीं होती है। प्लेज तो इम्मूवेबिल प्रापर्टी (अचल संपत्ति) का होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सादा कर्ज़ा होता है। काश्तकार यह करता है कि मारगेज नहीं करता है वह सिर्फ यह कह देता है कि तुम इतनी आराज़ी जोतते रहोगे, जब तक तुम जोतते रहोगे उसको हम मिनहा करते जायंगे। डेट रिडम्शन ऐक्ट में यह दिया गया है कि अगर डेटर ने एक आराज़ी दे दी है क्रेडिटर को, तो वह सिक्योर्ड लोन तो नहीं है मगर जो सूद होगा उसके लिए डेटर को यह हक़ हासिल होगा कि क्रेडिटर ने उस आराज़ी से जितना मुनाफ़ा हासिल किया है वह सेट आफ कर दिया जाय। इसमें इस क़िस्म का कोई प्राविजन नहीं है। सिर्फ इस क़दर प्राविजन है कि अगर पर्सनल सर्विस उसने की होगी तो पर्सनल सर्विस को सेट आफ कर दिया जायगा और क्रेडिटर को कोई सूद नहीं मिलेगा।

मैं ग़ालिबन अब वाज़ेह कर चुका हूं कि इस बिल में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि अगर डेटर ने क्रेडिटर को कोई आराज़ी सिर्फ जोतने को दे दी है और उसको मारगेज नहीं किया है, तो उस सूरत में डेटर को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और इस हद तक यह बिल बहुत नाकिस है। तो दो दिक्क़तें इसमें हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। एक तो सूद तीन परसेंट डिग्री पर होगा और अगर पर्सनल सर्विस की है तो उसका कोई लिहाज नहीं होगा। दूसरे यह कि अगर डेटर ने जोतने वग़ैरह के लिए कुछ दे दिया है तो वह सेट आफ नहीं होगा। तीसरी चीज जो इसमें शरह की बतलाई गयी है वह बिल्कुल बेउसूल है। या तो शरह कुल की कुल ३ परसेंट होना चाहिये या कुल की कुल ५ परसेंट होना चाहिये।

श्री फ़खरुल इस्लाम--जनाब वाला, जो बिल कि मंजूर किया जा रहा है वह जिस गरज से लाया गया है वह अपनी अगराज को पूरी तरह से पूरी नहीं करेगा। सिर्फ यही नहीं किया कि यह सवाल एक पर्टिकुलर (विशिष्ट) इलाक़े का है, बल्कि जनाब वाला मैं यह कहूंगा कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर एक आम रिवाज सकड़ों बरस से चला आ रहा है कि हरवाहा एक शख्स के यहां काम करने जाता है तो वह उसको २५, ५०, १०० रुपये का प्रोनोट लिख देता है और वह प्रोनोट हर तीसरे साल बदलता रहता है। उसका कोई सूद उसे अदा नहीं करना पड़ता। सूद की सूरत है कि वह जब तक जिन्दा रहे तब तक वह और उसके बाद उसका लड़का भी जब आये वह हमेशा उसकी हरवाहागीरी करे और काम करता रहे। उसे थोड़ा सा गल्ला खाने के लिये दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक परपिचुअल स्लेवरी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट (शाश्वत दासता पूर्वी जिलों) में फैली हुई है।

जैसा कि मेरे दोस्त ने खीरी का जिक्र किया और जौनपुर के वाक़यात से हमारे आनरेबिल मेम्बर मौर्य साहब वाकिफ होंगे तो सरकार को चाहिये था कि इस क़ानून को इस हिस्से के वास्ते न समझकर इस हाउस के सामने ठीक शक्ल में पेश करना चाहिये था। सरकार समझती है कि पूरी तरह से इसे फायदा होगा। देखना यह है कि वह क्या तरीक़े हैं, क्योंकर इससे जहां की जनता मुसीबत में है उसको फायदा हो सकता है। बहुत से क़ानून ऐसे हैं जिनसे यहां की जनता का और खासतौर से काश्तकारों का फायदा हो सकता है। उन्होंने ३ क़ानूनों का जिक्र किया, डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, अग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट और इंजुरियस लोन्स ऐक्ट

और अपनी तक़रीर में आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि पहले दोनों ऐक्टों से काश्तकारों का बड़ा फायदा होगा। लेकिन क्या वह जानते हैं कि इस देश के अन्दर ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास न एक बीघा जमीन है, न काश्त है उनका इनसे क्या फायदा होता है। लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिकों) का क्या फायदा होता है।

यूजुरियस लोन्स ऐक्ट के मुताल्लिक़ बड़े दावे के साथ तक़रीर की गयी। उसकी नौइयत यह है कि कोर्ट चाहे तो २ परसेंट के हिसाब से २४ पर्सेंट तक डिग्री कर सकती है और बावजूद इसके कि इस भवन के अंदर यह बार बार कहा गया कि आपने उन लोगों के लिये जो कि जमींदार हैं, छोटे या बड़े काश्तकार हैं या छोटे काश्तकार हैं उनके लिये तो क़ानून बनाये लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शहरों के अन्दर गुरबत की जिन्दगी गुजारता है और देहातों के अन्दर जिनके पास खेती नहीं है उनके वास्ते भी ऐसा क़ानून लायें जिससे सूद की तकलीफ दूर हो। आज भी २ परसेंट की डिग्रियां हो सकती हैं। कोर्ट चाहे तो मौजूदा कंडीशंस मुल्क की देखकर लीनिएंट व्यू (उदार दृष्टिकोण) ले सकती है और वह चाहे तो सूद की शरह कम कर सकती है। लेकिन बहुत सी अदालतें उसी क़ानून के मातहत जिसका जिक्र इतने फख्र के साथ किया गया और बाहर भी किया गया उसके अन्दर सूद की रक़म वही करार देती हैं। ऐसे हाफ हार्टेड मेजर्स (उत्साह हीन क़ानूनों) से क्या लाभ जनता को पहुंच सकता है। कानून तो बहुत से पास हुए स्टेट्यूट्स (सविधि पुस्तकें) तो स्याह हो गये रोशनाई तो खर्च की गयी, कागज बन गया लेकिन जनता की हालत न सुधरनी थी, न सुधरी और उसका नक़शा बड़ी आसानी से हर एक देख सकता है। इतने बड़े-बड़े क़ानून बने लेकिन उन पर जब अमल दरामद हुआ उससे कितना फायदा हुआ यह चीज गौरतलब है।

जो मेजर रखा गया है अपनी जगह पर मुनासिब है और होना चाहिए। लेकिन जिस तरीक़े पर और जिस हाफ हार्टेड वे (उत्साहीन ढंग) में रखा गया है वह गैरमुनासिब है और जिस जरूरत के लिए रखा गया है उसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे। लेकिन गौर करने का सवाल ही नहीं है। आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू यह समझते ही हैं कि यह बिल पास हो जायगा। इससे जनता का फायदा होगा और वह मुबारकबादी के मुस्तहक़ होंगे। लेकिन उनको कोई मुबारकबादी हासिल नहीं हो सकेगी। एक लैंड रिफार्म्स ऐक्ट (भूमि सुधार अधिनियम) बड़े जोर शोर से इस भवन में पेश हुआ, सेलेक्ट कमेटी में बहुत जोर रहा, हाउस को भी गर्मियों में बिठाला गया ताकि जल्द से जल्द जनता के सामने एक नयी चीज आ जाय। लेकिन आज हालत क्या है—बजाय इसके कि कोर्ट मंजूर करे, गवर्नमेंट ऐडवोकेट खुद उसको आगे नहीं बढ़ाता और कंटस्ट (विवाद) नहीं करता कि इंजंक्शंस कैंसिल (निषेधाज्ञायें निरस्त) हों। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो बिल पास करते हैं उनके पीछे आपकी रूह नहीं होती है। आप नहीं चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाय।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मौजूदा सूरत की मुखालिफत करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्रीमान् जी, इस थर्ड रीडिंग (तृतीय पठन) में हमारे मित्र अब्दुल बाक़ी साहब और उनकी पार्टी के नेता श्री फखरुल इस्लाम साहब ने इस विधेयक की मुखालिफत की। अब्दुल बाकी साहब ने हस्ब दस्तूर बाल की खाल निकालने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया कि अक्सर ऐसा होता है कि जमीन न तो चार्ज होती है, न मारगेज होती है और न प्लेज होती है। लेकिन उन्होंने एक बात और फरमायी। बाज वक्त ऐसा होता है कि कुछ जमीन डेटर क्रेडिटर को दे देता है। ऐसी सूरत में सीक्योर्ड या अनसीक्योर्ड का सवाल कैसे हल हो सकता है। मैं अपने दोस्त की इत्तिला के लिए कैसे कहूं वह तो वकील हैं। जब कोई गैर मनकूला जायदाद मुन्तकिल की जाती है तो वह किस तरह से मुन्तक़िल की जाती है। इसके खास प्राविजन ट्रांसफर आफ प्राप्टी एक्ट में मौजूद है अगर कोई खास मनकूल जायदाद दूसरे के हक़ में मुन्तक़िल की जाय और उसकी मालियत सौ रुपये से कम है तो क़ब्जा डेलीवरी आफ पजेशन (क़ब्जा देने) से होता है और सौ रुपये

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

से ज्यादा मालियत है तो जरिये रजिस्टर्ड डीड (निबद्ध लेख्य) हो सकता है और अगर क़र्ज़ के एवज में कोई खास जमीन देता है तो डेलीवरी आफ पजेशन से डेट तो एक क़िस्म से सीक्योर्ड हो जाता है। जमीन जो देता है या तो सूद की पटौती में देता है या सूद और असल की पटौती में देता है। मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी दिक़्क़त क्या है। जिस तरह का वह केस कंसीव (सोचते) करते हैं वह नहीं है जिसमें सीक्योर्ड या अन-सीक्योर्ड का सवाल है।

मेरे दोस्त फख़रुल इस्लाम साहब ने फरमाया और उन्होंने पंचम स्वर में फरमाया, उन्होंने सब बातें बिला आवाज में कमी बेशी किये हुए फरमायीं। वह ग़ालिबन इसके उसूल से इत्तिफ़ाक़ करते हैं और वह चाहते हैं कि शहरों में जो ऐसे गरीब लोग हैं उनके लिए भी ऐसा क़ानून लाया जाता ताकि उनको भी सहूलियत पहुंचे। मैं कैसे कहूं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट उन्होंने नहीं देखा। इस बिल का जो शेड्यूल है इसमें जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट लेबरर्स हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया है और वह शेड्यूल जो डेट रिडेम्पशन ऐक्ट है उससे लिया गया है जो शहरों और देहातों दोनों में लागू है। उसमें नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट भी शामिल हैं जिनको उस क़ानून से फायदा पहुंचता है।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ऐसी तफसील है कि जिसमें जो मुस्तहक़ हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। लिहाजा यह कहना कि ऐसा क़ानून लाया जाता जो शहर के लेबरर्स के फायदे के लिये होता वाक़ई यह प्रोपेगेंडा के नुक्ते ख्याल से बहुत ही अच्छा है वर्ना इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क़ानून पहले से ही लागू है। हमारे दोस्त ने फरमाया कि रेवेन्यू मिनिस्टर अभी किसी मुबारकबाद के मुस्तहक़ नहीं हैं मैं कहता हूं कि वाक़ई में किसी मुबारकबाद का मुस्तहक़ नहीं हूं और मैं इसको खुद तस्लीम करता हूं। लेकिन एक वक़्त आ सकता है, गो हम मुस्तहक़ न हों, लेकिन हमारे दोस्त और हमारे साथी हमें मुबारकबाद दें। लेकिन हमारे दोस्त को कभी ऐसा मौक़ा नहीं आयेगा क्योंकि उनकी दिली मुराद यह रही है कि जनहित के लिये कोई क़ानून न बनने पावे। यह उनकी मंशा है और यह कभी पूरी नहीं हो सकती है इसलिये वह कभी मुबारकबाद के पात्र नहीं हो सकते हैं। पांच वर्ष का जमाना हुआ। मैंने आज तक नहीं देखा कि जनता और किसानों के हक़ की कोई बात हो, उनके लिये कोई क़ानून लाया गया हो और हमारे दोस्त फखरुल इस्लाम साहब ने उसकी ताईद की हो।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, मैं इसकी तरदीद करता हूं। जब कोई चीज किसानों और मजदूरों या जनहित के फेवर (पक्ष) में पेश की गई है तो मैंने और हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट (समर्थन) किया है। यह गलत है और झूठ है कि ऐसा कोई बिल आया हो और हमने उसकी ताईद न की हो।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं फिर मेनटेन करता हूं। और रिकार्ड मौजूद है। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक़ है मैंने काफ़ी बातें अर्ज कर दी हैं और इन बातों के होते हुये और बातों के दुहराने की जरूरत नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि जिस मक़सद के लिये यह बिल पेश किया गया है वह बहुत अच्छा है और इससे दूधी इलाक़े के गरीब तबक़े के लोगों को फायदा पहुंचेगा। लिहाजा मैं नम्र निवेदन करता हूं कि सदन इसको पारित करे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि दुद्धी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शेष कार्यक्रम का स्थगन

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० ....।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति जी, मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि परसों माननीय अध्यक्ष ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें सरकार ने कुछ तरमीम करना चाही थी और उसका अध्यक्ष महोदय ने इस भवन में ऐलान किया और यह कहा कि यह फाइनल स्कीम है। आज सबेरे जो एजेंडा हमें मिला था उसके आइटम ६ पर यह था कि माननीय माल मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन और प्रकीर्ण निदेश) विधेयक, सन् १९५१ ई० पर विचार किया जाय। सरकार की तरफ से यह निवेदन किया गया। इसके ऊपर ११-१२ संशोधन थे। हम लोगों का ख्याल यह था कि आज दिन भर यह विधेयक चलेगा। लेकिन उसको सरकार ने मुल्तवी कर दिया और इसके बाद हमारा यह ख्याल होता था कि दूसरा जो जरे बहाहम का विधेयक है जिसमें भी करीबन १२ संशोधन थे, आज दिन भर चलेगा मगर खुशकिस्मती या बदकिस्मती से संशोधन गवर्नमेंट की बेंचों पर बैठने वाले लोगों के थे और वे सब वापस कर दिये गये। इसके बावजूद भी सरकार और बिलों को भी लेना चाहती है।

श्री फ़ज़लुल इस्लाम--आज आप देख रहे हैं कि आज घंटे भर के अन्दर जिस तरीक़े से यह पांच बिल पास करा लिये गये यह किसी तरह के लिये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। हमको काम से कम मौक़ा दिया जाता और जब हमको एक एजेण्डा दिया जाता है तो हम उसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो उसी हिसाब से काम होना चाहिये। लेकिन अगर सरकार का यह मंशा है कि वह धोके में जो चाहे पास करा लें मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब चीज है सरकार के लिये क्योंकि यह कहना कि यह नान कंट्रोवर्शल मेजर (विवादरहित क़ानून) है और सब ग़रीब लोगों के फायदे के लिये है। अभी दुद्धी रावर्ट्सगंज बिल जो पास हुआ उसमें मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं भी समझता हूं कि वह फायदेमंद बात है। लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने इसपर क़ानूनी नुक्ताचीनी की वह क़ानूनी नुक्ताचीनी सही थी या गलत थी, मैं कह नहीं सकता। अगर मैंने पढ़ा होता तो शायद उनकी राय के मुताबिक जिस तरीक़े से ग़रीबों को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो मैं भी इस बिल पर अपनी राय दे सकता। बहरहाल, इसके बाद भी मैं निवेदन करूंगा कि अब आगे कोई बिल सरकार न लेवे। काफ़ी बिल पास हो चुके हैं। अब जब फिर सदन बैठेगा तो फिर और बिल ले लिया जावेगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, अगर मेरे दोस्त, जो अभी बैठ गये हैं, ने यह इरशाद फरमाया होता कि अब और कोई बिल न लिया जाय तो मैं फौरन् ही यह अर्ज कर देता कि यह मुनासिब है और आगे कोई बिल न लिया जाता इसको मंजूर कर लेता लेकिन चन्द ख़िलाफ़ वाक़यात बातें कही गई और उनकी बिना पर गलत इल्ज़ाम आयद करना मैं नहीं समझता कि यह किसी अपोजीशन के लिये कहां तक बजा हो सकता है। टेनेंट्स प्रिविलेजेज बिल पर कल ही नवाब ऐजाज रसूल साहब तशरीफ़ रखते हैं वह शायद इसके शाहिद होंगे, नवाब जमशेद अली खां साहब जो डिमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं से मैंने गुफ्तगू की। राजा साहब जगम्मनपुर ने यह फरमाया कि वह चाहते हैं कि इस बिल को न लिया जाय। मैंने जनाब त्रिलोकी सिंह साहब से मशविरा लेना चाहा वे तशरीफ नहीं रखते थे। लेकिन उनके न होने पर श्री खुशवक्त राय साहब यहां तशरीफ रखते थे, मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि इधर के साहबों ने यह ख्वाहिश की है कि यह बिल न लिया जाय। वह वहां फिर जाकर लौट आये और आने के बाद उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया और यह हुआ कि उसके बाद के जो बिल हैं वह चलेंगे। मैंने उन बिलों में से दो-तीन के मुतालिक़ अलाहिदा अलाहिदा हर मौक़े पर जनाब की खिदमत में यह दरख्वास्त की जिसको जनाब ने हाउस के सामने रखा और जब हाउस ने इत्तिफ़ाक़ किया तब मुझे इजाजत दी गई कि उन बिलों को लाया जाय। जो कुछ बिल ऐसे थे जिनको न लाना चाहिये था उनको मैंने टच नहीं कराया। तो अब यह कहना कि मैंने कोई ऐसी बात की मेरी समझ में नहीं

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

आया। अगर यह फरमाया जाता कि और बिल अब न लिये जायं तो जैसा मैंने कहा कि उसको मंजूर कर लेता। लेकिन मेरे दोस्त गोपाल नारायण सक्सेना ने महज इल्जाम लगाया तो इल्जाम हम पर लगाया जाय। हमने तो ईमानदारी से और इस बात को मलहूज खातिर रखते हुये कि आपोजीशन के मेम्बरान की ख्वाहिश पूरी हो इस काम को किया और इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया।

अधिष्ठाता--एजेंडा आपके सामने सुबह ११ बजे आ गया। जहां तक आइटम नम्बर ६ का सम्बन्ध है माननीय निर्माण मन्त्री जी ने अभी आपके सामने वजाहत से बतलाया कि उन्होंने जमशेदअली खां साहब से जो डिमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और श्री त्रिलोकी सिंह जी से जो अपोजीशन के लीडर हैं सलाह की और उन दोनों की सम्मति से इसे स्थगित किया। मुमकिन है गोपाल नारायण सक्सेना जी को इसका इल्म न हो। इसलिये उन्होंने मुगालते में ऐसा कहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का बिल जो इसके आगे है उसको भी हाउस की अनुमति से कि इस वक्त यह न लिया जाय तब मैंने उसको छोड़ा। अगर हाउस अनुमति नहीं देता तो जैसा एजेंडा पर था उसी क्रम से यह एजेंडा लिया जाता लेकिन हाउस की अनुमति से वह नहीं लिया गया और दूसरे बिल लिये गये। एक बात और मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर एजेंडे में कोई चीज ऐसी आई थी, जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा था वह उसके विरुद्ध थी तो ११ बजे जब एजेंडा आया था तभी उस ओर ध्यान दिलाना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिये मैं समझता हूं कि जो माननीय निर्माण मंत्री ने आपके सामने एक्सप्लैनेशन (स्पष्टीकरण) दिया उसके बाद श्री गोपाल नारायण सक्सेना को संतोष हो गया होगा और मैं समझता हूं कि अब उनको कोई आपत्ति बाकी नहीं रही होगी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति जी, माननीय निर्माण मंत्री ने कहा कि जिस पर हम लोगों को एतराज होगा उसको वह नहीं लेंगे। लिहाजा फार्मली (औपचारिक रूप से) मैं एतराज करता हूं कि अब ये बिल न लिये जायं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैंने एतराज की कोई बात नहीं कही। मैंने कहा था कि अगर यह कहा जाता कि अब कोई बिल आगे न लिये जायं तो मैं उसे मान लेता और हुजूर से दरख्वास्त करता कि आगे कोई कार्यक्रम न लिया जाय।

श्री ज़फ़रुल इस्लाम--अब तो कोई काम, हुजूर वाला, रहता नहीं। बाकी के जो बिल्स हैं अगली तारीख पर जब असेम्बली बैठेगी उस वक्त उनको ले लिया जायगा।

अधिष्ठाता--वह तो माननीय मंत्री ने श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने जो प्रार्थना की थी उसी के जवाब में कह दिया कि वह आगे का काम नहीं चलायेंगे। काम जितना होता है वह सब की मर्जी से होता है और अब आपकी जो बात है उसे स्वीकार कर लिया गया। अब मैं समझता हूं कि कोई काम बाकी नहीं रहता तो अब छुट्टी है।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५५ मिनट पर सोमवार, १७ सितम्बर, सन् १९५१ ई०, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ सितम्बर, सन् १९५१ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये उन जातियों की सूची

क्रम-संख्या	हिन्दू	क्रम-संख्या	मुसलमान
१	जाड	१	रंगरेज
२	लोहार	२	मिरासी
३	सुनार	३	धफ़ाली
४	तेली	४	भटियारा
५	कुम्हार	५	फकीर
६	भार	६	नद्दाफ़ (धुनिया)
७	नायक	७	दर्जी
८	गड़रिया	८	मोमिन अन्सार
९	दरजी	९	हज्जाम (नाई)
१०	कोरी (आगरा, मेरठ और रोहेलखंडडिवीजन में	१०	भंगी
११	काछी	११	कासगर
१२	बनजारा	१२	नक्काल
१३	छिप्पी	१३	मुसलमान कायस्थ
१४	जोगी	१४	मनिहार
१५	गुजर	१५	नट
१६	माली	१६	बढ़ई
१७	कहार	१७	कन्जड़
१८	मनिहार	१८	गद्दी
१९	बढ़ई	१९	किसान
२०	धोवर	१०	चिकवा (क़स्साव)
२१	गुसाई		
२२	किसान		
२३	भुरजा या भरभूजा		
२४	बैरागी		
२५	तमोली		
२६	कोरी		
२७	अरख		
२८	कुरमी		
२९	अहीर		
३०	लोध		
३१	हलवाई		
३२	मुराउ या मुराई		
३३	केवट		
३४	लोनिया		
३५	बारी		
३६	दुशाध		

कुमायूं प्रान्त में मरछा, नायक लड़कियां और पिछड़े मुसलमान पिछड़ी जातियों में गिने जायेंगे।

मदन मोहन राय,
शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के लिये।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर)

क्रम-संख्या	ग्रांट पाने वाले का नाम	धन दिया गया	सम्मेलन का विवरण	दिन तथा जगह जहां सभा हुई	विशेष व्यक्ति जिनके सभापतित्व में सभा हुई अथवा जिन्होंने सभा का उद्घाटन किया
		रु०			
१	श्री परागी लाल, एम० एल० ए० ..	३००	हरिजन उत्थान कार्य के लिये धन दिया गया। प्रचार के लिये जगह-जगह सभायें की गई।	१५ जनवरी, १९४९ ई० ..	..
२	श्री सुन्दर लाल धानुक, मंत्री, स्वागतकारिणी सभा, यू० पी० धानुक सभा, कानपुर	२००	यू०पी०धानुक सभा का वार्षिक जलसा	२७ और २८ मार्च, सन् १९४९ ई० में कनिया, जिला कानपुर में हुई।	..
३	श्री विशन लाल सभापति, जिला दलित वर्ग संघ, बिजनौर	२००	हरिजन सम्मेलन, बिजनौर	मई, १९४९ ई० में, बिजनौर	श्री गोविन्द सहाय जी के सभापतित्व में हुई तथा माननीय जेल मंत्री ने उद्घाटन किया।
४	श्री विशनलाल, सभापति, जिला दलितवर्ग संघ, बिजनौर	५००	हरिजन सम्मेलन, बिजनौर	मई, १९४९ ई० में बिजनौर	,,

५	श्री चेतू राम नायक, आजमगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	२००	जिला हरिजन सभा का वार्षिक सम्मेलन, आजमगढ़	१५ जून, १९४९ ई० सिधौरीबाग, आजमगढ़ ।	बाबा राघव दास एम० एल० ए०, श्री सालिग राम पथिक तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती उपस्थित हुए ।
६	श्री शिवनाथ, मंत्री, यू० पी० मेहतर सभा, कानपुर	५००	प्रान्तीय मेहतर मजदूर सभा का तीसरा सम्मेलन	९ और १० जुलाई, १९४९ ई० में बनारस	श्री भगवान दीन, एम० एल० ए० के सभापतित्व में हुआ तथा माननीय मंत्री एल० एस० जो० ने उद्घाटन किया ।
७	सभापति, यू० पी० मेहतर मजदूर फेडरेशन, कानपुर	५००	मेहतर मजदूर फेडरेशन का वार्षिक जलसा	..	..
८	श्री शिवनाथ प्रधान मंत्री, यू० पी० प्रान्तीय मेहतर मजदूर फेडरेशन, कानपुर ..	१,०००	यह धन यू० पी० के मेहतरों को संगठित करने के लिये दिया गया इस संगठन कार्य में जगह जगह मेहतरों की सभाएं की गई	१३ जुलाई, १९४९ ई० ..	..
९	श्री रामानन्द शास्त्री, प्रधान श्री भारतीय रविदास सेवा संघ, हरद्वार	२००	श्री भारतीय रविदास सेवा संघ का सम्मेलन	सितम्बर १९४९, ई० हरद्वार	..
१०	श्री विश्वनाथ प्रसाद, एम० एल० ए०, मिर्जापुर	३००	हरिजनों के उत्थान के संबंध में किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये दिया गया हरिजन सम्मेलन भी इस कार्य में शामिल है ।	८ अक्तूबर, १९४९ ..	..

क्रम-संख्या	ग्रांट पाने वाले का नाम	धन दिया गया	सम्मेलन का विवरण	दिन तथा जगह जहां सभा हुई	विशेष व्यक्ति जिनके सभापतित्व में सभा हुई अथवा जिन्होंने सभा का उद्घाटन किया
११	श्री नरेन्द्र कुमार, बनारस ..	५०	नवयुवक संघ बनारस के निरीक्षण में हरिजन सम्मेलन।	१३ अक्तूबर १९५०, ई० सकलडिहा, बनारस	..
१२	श्री राम लखन कनवीनर, शिड्यूल्ड कास्ट सम्मेलन, बनारस	१५०	शिड्यूल्ड कास्ट सम्मेलन, बनारस	१९ अक्तूबर, १९४९ ई० में बाबुरी जिला बनारस	श्री छेदी लाल, प्रान्तीय हरिजन सहायक आफिसर के सभापतित्व में हुई।
१३	श्री मानसिंह आर्गेनाइजर श्रमजीवी सम्मेलन बुलन्दशहर	२५०	श्रमजीवी सम्मेलन बुलन्द-शहर	१ जनवरी, १९५० ई० ..	माननीय जेल मंत्री के सभापतित्व में हुआ।
१४	श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी ..	१५०	बाल्मीकी सभा, लखनऊ .	१ जनवरी, १९५० ई० ..	माननीय खाद्य मंत्री ने उद्घाटन किया तथा प्रान्तीय हरिजन सहा-यक आफिसर के सभापतित्व में हुआ।
१५	श्री मेवा लाल डिवीजनल हरिजन सम्मेलन इलाहाबाद	६००	डिवीजनल हरिजन सम्मेलन, इलाहाबाद	१९५० ई० के आरम्भ में इलाहाबाद	..
१६	श्री शिव प्रसाद ..	२००	हरिजन सम्मेलन ..	९ फरवरी, १९५०, ई० देवरिया	बाबा राघव दास एम० एल० ए० के सभा-पतित्व में और प्रा० ह० स० आ० में उपस्थित हुए।

१७	श्री बाबू लाल बाराबंकी के एक डिप्रेस्ड क्लास सुपरवाइजर	३००	प्रान्तीय हरिजन सम्मेलन	१२ फरवरी, १९५० ई०, देवरिया, बाराबंकी	श्री राम प्रसाद टमटा एम० एल० सी० के सभापतित्व में हुआ।
१८	श्री एम० एल० जैसवार मंत्री, शिडियूल्ड कास्ट एजूकेशन कमेटी, बरफखाना, लखनऊ	१७५	लखनऊ परिगणित जातीय कमेटी के तत्वाधान में हुई	१५ फरवरी, १९५० ई०, बरफखाना, लखनऊ	श्री बी० डी० सानवाल आई० सी० एस० के सभापतित्व में हुई और माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव उपस्थित हुए।
१९	श्री शिव प्रसाद ..	२५०	हरिजन सम्मेलन ..	२९ मार्च, १९५० ई० ..	..
२०	आगरा जिला हरिजन कान्फेंस के आर्गेनाइजर	२००	जिला हरिजनों का सम्मेलन	८ मई, १९५० ई० (बाह) आगरा जिला	माननीय कृषि मंत्री, और प्रा० ह० स० आ० सम्मेलन में उपस्थित हुए।
२१	श्री हरेन्द्र कुमार मंत्री हरिजन नवयुवक संघ	१००	हरिजन नवयुवक संघ, बनारस के निरीक्षण हरिजन	१७ और १८ जून, १९५० ई०, सकलडिहा, बनारस	..
२२	श्री नारायण दीन जनरल सेक्रेटरी प्रान्तीय मजदूर फेडरेशन	१२०	प्रान्तीय मेहतर फेडरेशन के निरीक्षण में हरिजन सम्मेलन इलाहाबाद	१३ अगस्त, १९५० ई० इलाहाबाद	..
२३	श्री कन्हैया लाल बाल्मीक, सभापति प्रान्तीय मेहतर संघ	५०	प्रान्तीय मेहतर संघ, लखनऊ की सभा	२० सितम्बर, १९५० ई० लखनऊ	..
२४	श्री शिव प्रसाद ग्राम कनखोरिया, डाकखाना कासिया, देवरिया	४००	हरिजन सम्मेलन ..	३० नवम्बर, १९५० ई० रामकोला, जिला देवरिया	बाबा राघवदास एम० एल० ए० के सभापतित्व में हुआ।
२५	श्री गनपति राम आर्गेनाइजर हरिजन सम्मेलन बनारस	१००	हरिजन सम्मेलन ..	१ जनवरी, १९५१ ई० पलहा पट्टी जिला बनारस	..

क्रम-संख्या	ग्रांट पाने वाले का नाम	धन दिया गया	सम्मेलन का विवरण	दिन तथा जगह जहां सभा हुई	विशेष व्यक्ति जिनके सभापतित्व में सभा हुई अथवा जिन्होंने सभा का उद्घाटन किया
		रु०			
२६	मंत्री, स्वागतकारिणी सभा, मेहतर मजदूर, फेडरेशन, कानपुर	३००	वार्षिक सभा ..	२८ फरवरी, १९५१ से १ मार्च, १९५१ ई०, लखनऊ	पहिले दिन माननीय मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन माननीय मंत्री एल० एस० जो० ने।
२७	श्री बाबू लाल कुसमेश, बनारस ..	२००	हरिजन सम्मेलन, बाराबंकी	मार्च, १९५१ के अंत में बाराबंकी।	..
२८	रामानन्द शास्त्री सभापति दलित वर्ग संघ, यू० पी०	५००	हरिजन सम्मेलन .	मार्च, १९५१ ई०, लखनऊ...	माननीय मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया और आचार्य जुगलकिशोर के सभापतित्व में हुई

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१६ पर)

उन चीज़ों की सूची जो अब खाने को दी जाती हैं

जेनरल सेक्शन								स्पेशल सेक्शन	
	चीज़ें								
आटा	..	७	७	५	५	०	०	आटा ..	२ छटांक
चावल	..	१	१	१	१	६	२	चावल .	१ छटांक
दाल	..	१	२	१	२	२	०	दाल ..	१/२ छटांक
घी	.	१	१	१	१	१।२	०	आलू ..	३ छटांक
आलू	..	२	२	२	२	०	०	घी ..	१ १/४ छटांक
शक्कर	..	१	१	१	१	०	२	शक्कर ..	२ छटांक
दलिया	.	१/२	१/२	१/२	१/२	०	०	दलिया या सूजी	१/२ छटांक
मसाले	..	८	८	८	४	४	०	मसाले ..	१ आ० ६ पा०
साबूदाना	.	०	०	०	०	०	१	प्याज़ ..	१ छटांक
हरी तरकारियां	.	२	२	२	२	२	०	चाय ..	१/४ औंस
मांस	..	२	०	३	०	०	०	हरी तरकारी ..	३ छटांक
दूध	.	१६	१६	१६	१६	०	२४	मांस ..	६ छटांक
								हड्डी का शोरबा	१ छटांक
								या हरी तरकारी	६ छटांक
								फल ..	४ छटांक
								दूध ..	१४ छटांक
								मक्खन ..	१ औंस
								अंडे ..	३ यूनिट
								रोटी ..	१/२ यूनिट

उपरोक्त सभी चीज़ें छटांकों में हैं, सिवाय मसालों के जो पाइयों में है ।

जलाने की लकड़ी ४ मन, कोयला २० सेर प्रति दिन नियत किया जाता है ।

जलाने की लकड़ी २ मन, कोयला १० सेर, प्रति दिन निर्धारित किया जाता है ।

नोट :—लेकिन मेडिकल अफसर चिकित्सा संबंधी कारणों के आधार पर इनके अतिरिक्त अन्य चीज़ें भी दिला सकते हैं ।

१—सभी मरीजों को साबूदाना, सिवेंई, माकारोनी (Macaroni) फल तथा जैम आदि की विभिन्न प्रकार की फुडिंग प्रति दिन दी जायगी।

२—साधारणतया सभी मरीजों का सप्ताह में एक बार परिंदे (fowl) बत्तख या मछली का मांस दिया जायगा और उतना ही मांस वजन में उनके कांटे से काट लिया जायगा। (किसी परिंदे या बत्तख या सामान्य स्टैंडर्ड वजन प्रति परिंदा या बत्तख १ पौंड या आधा सेर के हिसाब से लगाया जायगा)। २ छटांक मांस के लिये डेढ़ अंडे के हिसाब से मांस के बदले में अंडे भी दिये जा सकते हैं।

३—प्रत्येक मरीज को सप्ताह में एक बार २ छटांक फल, दो औंस केक एक बन्द या एक करेन्ट लोफ दिया जायगा।

४—इसके अतिरिक्त अन्य छोटी मोटी चीजें खरीदी जा सकती हैं जो कि अर्द्ध-योरोपीय क़िस्म तथा स्तर का खाना पकाने के लिए आवश्यक हों।

५—जब तक कि मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट विशेष आज्ञा न दे, डिब्बों में बन्द खाना नहीं दिया जायगा।

६—लेकिन मेडिकल अफसर चिकित्सा सम्बन्धी कारणों के आधार पर, नके अतिरिक्त अन्य चीजें भी दिला सकते हैं।

(ह) डी० एन० केसरवानी,
मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट।

२८ अगस्त, १९५१ ई०

नत्थी 'घ'

(देखिये तरांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

उन चीजों की सूची जो सन् १९४० ई० में खाने को दी जाती थीं।

स्पेशल सेक्शन (यूरोपियनों, ऐंग्लो इंडियनों और भारतियों) के लिये खाने का स्केल।

मांस (मटन)	..	.. १/२ सेर (१ पौंड)
दूध	..	.. १४ छटांक
शक्कर	..	.. २ छटांक (४ औंस)
दलिया या सूजी		.. १ छटांक (२ औंस)
रोटी	..	.. १ पाव रोटी (१३ औंस)
मक्खन	..	.. १/२ छटांक (१ औंस)
अंडे	..	.. ३ (२ खाने के लिये और १ पुडिंग के लिये)।
चावल		.. १ छटांक (२ औंस)
घी	..	.. ३/४ छटांक (११/२ औंस)
आलू और प्याज	..	.. ४ छटांक (८ औंस)
हरी तरकारी	..	.. ३ छटांक (६ औंस)
मसाले	..	.. ६ पाई प्रति आदमी
चाय	..	.. १/४ छटांक (१/२ औंस)
हड्डी या मांस (मटन) का शोरबा		. एक प्रति दिन

प्रतिदिन—टपाबरा, साबूदाना, वर्मासिल्ली (सेवई), मकारोनी, चावल, आटा, कार्न-फ्लावर (मकई का आटा), सूखोमेवा और ताजे फल, जैम, खांड आदि के पुडिंग।

कभी कभी—काफ़ी (कहवा), कोको, पनीर, फिश्र्स (पनीर), बिस्कुट, केक, करंट, लोफ बन, इत्यादि।

कभी कभी—मछली या परिन्दे (fowl) मांस के स्थान पर। बिना सुपरिन्टेंडेंट की विशेष आज्ञा के कोई डिब्बे में बंद खाने या अतिरिक्त पदार्थ (extras) नहीं दिये जाते।

दूध और शक्कर का अलाउन्स

पारिज (लप्सी या हलवा) और पुडिंग चाय (दो बार) (दूध १० बजे प्रातः) (५ बजे सायंकाल) ५ छटांक।

दूध २ छटांक, ४ छटांक, ३ छटांक, ६ औंस, श्रेणी १ के मरीजों को ताजे फल जब प्राप्य हों, प्रतिदिन दिये जाने चाहिये और श्रेणी २ के मरीजों को एक सप्ताह में दो बार दिये जाने चाहिये।

१ जनवरी, १९३७ ई० (हस्ताक्षर) बी० जी० श्री खंडे।

भोवाली

११ मार्च, १९३९ ई०

उन चीजों की सूची जो सन् १९४० ई० में खाने को दी जाती थी

जनरल सेक्शन (डी और एफ श्रेणी), रेडक्रास वार्ड तथा पुलिस वार्ड के लिये भोजन का स्केल

चीजें		एफ० एम०	एफ० बी०	एल० एम०	एल० बी०	के०	एस०	ए० १ या १/२	नर्सों का भोजन	एच० १	एच० २
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
आटा	.	७	७	५	५	०	०	८	५	४	८
						साबूदाना	१				
चावल	.	१	१	१	१	६	२	०	१	०	०
दाल	.	१	२	१	२	२	०	२	१	२	२
आलू	..	२	२	२	२	०	०	४	२	२	२
घी	.	१	१	१	१	१/२	०	१	१	१/२	१
शक्कर	..	१	१	१	१	०	२	०	..	१	१/२
दलिया	.	१/२	१/२	१/२	१/२	०	०	०	..	१/२	०
मसाले	.	४	४	४	४	२	०	४	४	२	४
हरीतरकारी		२	२	२	२	२	०	०	२	०	०
मांस	..	२	०	२	०	०	०	०	२	०	०
दूध	..	१६	१६	१६	१६	०	२४	०	..	१२	६

अतिरिक्त पदार्थ जब आवश्यकता हो––(ए) (बी) (सी) (डी) (ई) (एफ) (जी) (एच) (एम०के) (एम० टी) (आर) (एस) (एल० बी)।

नोट––मुख्य भोजन की सभी मात्रायें छटांकों में दी गयी हैं सिवाय मसालों के जो पाइयों में दी गयी है।

ऊपर दिये गये शब्दों के अर्थ :––

एफ० एम०	..	पूरा गैर तरकारी वाला भोजन		(ए) आटा
एफ० बी०	..	पूरा तरकारी वाला	..	(बी) मक्खन
एल० एम०	.	कम गैर तरकारी वाला	..	(सी) दही
एल० बी०	..	कम तरकारी वाला	..	(डी) दलिया
के०	..	खिचड़ी	..	(ई) अंडे
एस०	..	चम्मच	..	(एफ) फल

ए० १ या १/२	. एराइल पूरा या आधा	.. (जी) घी
एच० १	. छुट्टी संख्या १	.. (एच) हलुवा
एच० २	.. छुट्टी संख्या २	.. (एम के) दूध
		(एम टी) मांस
		(आर) चावल
		(एस) शक्कर
		(एल बी) डबल रोटी

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

कंट्रोल व्यवस्था जांच समिति के सदस्य

१—आचार्य जुगुल किशोर, एम० एल० ए० .. चेयरमैन
२—श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, एम० एल० ए०
३—श्री बदन सिंह, एम० एल० ए०
४—श्री खुशवक्त राय, एम० एल० ए०
५—श्री सुल्तान आलम खां, एम० एल० ए०
६—श्री कृष्णचन्द्र पुरी, एम० एल० ए०
७—श्री प्रायग नारायण, एम० एल० ए०
८—श्री सलीम अहमद खान, एम० एल० ए०
९—श्री राजाराम शास्त्री, एम० एल० ए०
१०—श्री श्याम लाल वर्मा, एम० एल० ए०
११—श्री अब्दुर रऊफ खां, एम० एल० ए०
१२—श्री [illegible]नदयाल शर्मा, एम० एल० ए०
१३—बेगम ऐजाज रसूल, एम० एल० सी०
१४—श्री विचित्र नारायण शर्मा, एम० एल० सी०
१५—श्री दीपचन्द्र, एम० एल० सी०
१६—श्री राजा राम, एम० एल० सी०
१७—श्री टी० एन० सिंह, एम० पी०
१८—श्री शतीश चन्द्र, एम० पी०
१९—डाक्टर राधाकमल मुकर्जी,
२०—रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाईटीज, उत्तर प्रदेश
२१—प्राविन्शियल टैक्सटायल कन्ट्रोलर, उत्तर प्रदेश
२२—कमिश्नर, खाद्य तथा रसद विभाग अथवा उनके नियुक्त अधिकारी
२३—श्री कृष्णचन्द्र जोशी, सेक्रेटरी
२४—श्री कृष्णप्रताप, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१९ पर)

सीतापुर ज़िले में सन् १९५०-५१ में कपड़े के आयातक और थोक विक्रेता के लाइसेन्स पाने वालों की सूची --

आयातक--

१-- सर्वश्री रामनरायन प्रागनरायन ।

२--सर्वश्री रामेश्वर दयाल कपूर (६ जून सन् १९५१ तक) और तत्पश्चात् सर्वश्री शिवसहायमल हजारी लाल ।

थोक विक्रेता --

१--सर्वश्री श्रीराम लक्ष्मी नारायन ।

२--सर्वश्री मुरलीधर कन्हैयालाल ।

३--सर्वश्री दीनदयाल विनोदीलाल ।

४--सर्वश्री छोटेलाल बाबूचन्द ।

५--श्री महाराजदीन शुक्ला ।

६--सर्वश्री गुलाबचन्द अनन्तलाल ।

७--सर्वश्री भुवरेलाल बलदेवप्रसाद ।

८--सर्वश्री गुलाबराय यातेश्वरकुमार ।

९--सर्वश्री हिगालाल रामनरायन ।

१०--सर्वश्री अहमद अली रहीम बक्श ।

११--सर्वश्री हाजी अब्दुल लतीफ मोहम्मद बक्श ।

१२--श्री जागेश्वरदयाल कपूर ।

१३--सर्वश्री रामचन्द्र कृष्णचन्द्र ।

१४--सर्वश्री सालार बक्श बुढ्ढा मियाँ ।

१५--सर्वश्री शंकरदयाल गोपीमोहन ।

१६--सर्वश्री गयाप्रसाद अचलबिहारी ।

१७--सर्वश्री चुन्नूलाल द्वारकाप्रसाद ।

१८--सर्वश्री ज्वालाप्रसाद शम्भूनाथ ।

१९--सर्वश्री मबारक हुसैन अख्तर हुसैन ।

२०--श्री रामेश्वर दयाल कपूर (६ जून सन् १९५१ को आयात व्यापार से इस्तीफा देने के पश्चात्)

२१--सर्वश्री रुद्रमंगल श्यामाचरन ।

२२--श्री सेवालाल ।

२३--सर्वश्री दसवनधीरराम काशीराम ।

२४--सर्वश्री जीवनदास किशनलाल ।

२५--सर्वश्री ईश्वरदास सरी ।

२६--सर्वश्री इन्द्रलाल तिलकराज ।

२७--सर्वश्री हरवंसलाल अवनाशीराम ।

२८--सर्वश्री श्रीराम मथुराप्रसाद ।

२९--सर्वश्री शिवसहायमल हजारीलाल (आयात व्यापार करने के पहले) ।

३०--सर्वश्री लाहोरी शाह सरदारीलाल ।

३१--सर्वश्री डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ।

३२--सर्वश्री चौधरी अख्तर हैदर हुसैन ।

३३--सर्वश्री जगन्नाथ शिवदयाल ।

३४--सर्वश्री कन्हैयालाल सरजूप्रसाद ।

३५--सर्वश्री मन्नीलाल राधेश्याम ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

कन्ट्रोल व्यवस्था जांच समिति के सदस्यों द्वारा लिये गये यात्रा तथा दैनिक भत्तों की सूची

क्रम-संख्या	नाम	यात्रा का भत्ता			दैनिक भत्ता			योग		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	आचार्य युगल किशोर, एम० एल० ए०, चेयरमैन	२६६	१५	०	२७०	०	०	५३६	१५	०
२	श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, एम० एल० ए०	..			.			.		
३	श्री बदन सिंह, एम० एल० ए०	१,०८५	१	०	६६५	०	०	१,७५०	१	०
४	श्री खुशवक्त राय, एम० एल० ए०	८७७	५	०	५९०	०	०	१,४६७	५	०
५	श्री सुलतान आलम खां, एम० एल० ए०	४७९	११	०	५९५	०	०	१,०७४	११	०
६	श्री कृष्णचन्द्र पुरी, एम० एल० ए०	९२	०	०	१००	०	०	१९२	०	०
७	श्री प्रयागनारायण, एम० एल० ए०	३५३	१४	०	२१५	०	०	५६८	१४	०
८	श्री सलीम हामिद खां एम० एल० ए०	५८२	९	०	२७०	०	०	८५२	९	०
९	श्री राजाराम शास्त्री, एम० एल० ए०	१४३	९	०	३२५	०	०	४६८	९	०
१०	श्री श्यामलाल वर्मा, एम० एल० ए०	१,५८१	४	०	१,०७०	०	०	२,६५१	४	०
११	श्री अब्दुर रऊफ खांन, एम० एल० ए०	६१४	९	०	६१०	०	०	१,२२४	९	०
१२	दीनदयाल शर्मा, एम० एल० ए०	८८६	१३	०	५३०	०	०	१,४१६	१३	०
१३	श्री विचित्र नारायण शर्मा, एम० एल० सी०	१५६	०	०	१३४	८	०	२९०	०	०
१४	बेगम ऐज़ाज़ रसूल, एम० एल० सी०	..			..			..		
१५	श्री दीप चन्द्र, एम० एल० सी०	१,६४८	१४	०	५९०	०	०	२,२३८	१४	०
१६	श्री राजाराम, एम० एल० सी०	९५८	०	०	३३५	०	०	१,२९३	०	०
१७	श्री टी० एन० सिंह, एम० पी०	४२६	३	०	११०	०	०	५३६	३	०
१८	श्री सतीश चन्द्र, एम० पी०	१८८	२	०	१००	०	०	२८८	२	०

कन्ट्रोल व्यवस्था जांच समिति तथा उपसमिति की बैठके नीचे लिखी तारीखों में हुई

दिसम्बर, १९५०	..	३०
जनवरी, १९५१	..	५, ६, १२, १८, १९
फरवरी, १९५१	..	५
मार्च, १९५१	.	१२, १४, १६, १७, १९, २०, २८, २९
अप्रैल, १९५१	.	६, ७, २४
मई, १९५१	..	८, ९
जून, १९५१	..	२२, २५, २६
जुलाई, १९५१	..	८, ९, १०, ११, १५, १६, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१
अगस्त, १९५१	..	१, २, ६, ७, ८, ९, १०, १३, २०, २१, २२, २३, २७, २८, २९, २०, ३१

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

No. 1915-D/V—1275-1950

From

Sri K. N. SINGH,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh,

To

The DIRECTOR of Medical and Health Services (M),
Uttar Pradesh.

MEDICAL (B) DEPARTMENT.

Dated Lucknow June 21, 1951.

Subject :—Operational Zones of the Sitapur and Aligarh Eye Hospitals.

Sir,

WITH reference to the correspondence ending with your letter No XI.-12170, doted April 30, 1951, I am directed to say that in order that the Eye Hotspital, Sitapur and the Gandhi Eye Hospital, Aligarh may do eye relief work on a more organised and effective bssis, the Governor has accepted their proposals that they may do eye relief work in the districts mentioned in the accompanying statement on the following conditions:

(1) The above pemission will be operative for a period of three years, that is upto June 30, 1954. The question of continuing this scheme beyond this period will be considered in the light of experience gained during this time.

(2) The cost of eye relief work within the operational zones will be met from subscriptions and donations from the public to be arrangep by the Hospital authorities themselves. No additional grant will be given by Government for the purpose beyond what is being given at persent.

(3) The Government and their officers in the districts will not support any other non-official orgauisation which may like to do eye relief work in the districts which are being alloted to these two hospitals. They will not, however, stop any other non-official eye relief organisation from functioning in these areas.

(4) Condition no. (3) does not in any way restrict the right of the Government to permit or direct medical officers in its service who are specialists in eye diseases or Government medical institutions to undertake eye relief work in any part of the province.

2. The District Magistrates of the above districts are authorised to help the hospital authorities in raising voluntary subscriptions for the purpose on the conditions laid down in Government Order No. 153B/V-1269/50, dated February 27, 1951, copy enclosed.

3. The Gandhi Eye Hospital, Aligarh is also permitted to continue its eye relief work in Jaunsar Bawar area in Dehra Dun district as hitherto.

4. The authorities of the two hospitals are being informed accordingly.

Yours faithfully,
K. N. SINGH,
Secretary.

No. 1915(i)-B/V—1275-1950

Copy forwarded for information to—

(1) All Commissioners of Divisions in Uttar Pradesh.

(2) All District Magistrates in Uttar Pradesh (together with a copy of Government Order No. 153B/V-1269/1950, dated February 27, 1951). Printed copies of the G. O. will be sent soon.

(3) The Secretary, Planning Department for information and communication to the Planning Officers in the districts with the request that the authorities of these hospitals may be given facilities for work in theire areas. Printed copies of the G. O. will be sent soon.

(4) The Secretary, Local Self Government, with the request that these instructions may be brought to the notice of all Local Bodies through the Divisional Commissioners. Printed copies of the G. O. will be sent soon.

(5) The Chief Medical Officer of the (a) Sitapur Eye Hospital, Sitapur and (b) Gandhi Eye Hospital, Aligarh.

By order,
K. P. SRIVASTAVA,
Assistant Secretary.

No. 1915(ii)-B/V—1275-1950

Copy forwarded to the Director of Information for publicity.

By order,
K. P. SRIVASTAVA,
Assistant Secretary.

Statement showing the demarcation of districts of the Operational Zone between the Gandhi Eye Hospital, Aligarh and Sitapur Eye-Hospital, Sitapur.

Gandhi Eye Hospital, Aligarh	*Sitapur Eye Hospital, Sitapur*
I—Aligarh Zone.	*I—Sitapur Zone*
1. Aligarh	1. Sitapur.
2. Dehra Dun.	2. Garhwal
3. Saharanpur.	3. Naini Tal.
4. Muzaffarnagar.	4. Almora.
5. Meerut.	5. Bareilly.
6. Bulandshahr.	6. Pilibhit.
7. Bijnor.	7. Bahraich.
8. Moradabad.	8. Shahjahanpur.
9. Rampur.	9. Hardoi.
10. Etah.	10. Kheri.
11. Tehri-Garhwal.	11. Ganda.
12. Budaun.	

II—From Agra Zone.

1. Agra.
2. Etawah.
3. Mainpuri.
4. Jhansi.
5. Jalaun.
6. Hamirpur.
7. Mathura.

III—From Lucknow Zone.

1. Fatehpur.

IV—From Allahabad. Zone.

1. Banda.

Total—21 districts.

II—From Lucknow Zone.

1. Lucknow.
2. Unnao.
3. Bara Banki.
4. Faizabad.
5. Sultanpur.
6. Rae Bareli.
7. Banaras.
8. Kanpur.

IV—From Allahabad Zone.

1. Allahabad.
2. Partapgarh.
3. Jaunpur.
4. Mirzapur.
5. Ghazipur
6. Ballia.
7. Deoria.
8. Gorakhpur.
9. Azamgarh.
10. Basti.

IV—From Agra Zone.

1. Farrukhabad (Fatehgarh).

Total—30 districts.

Copy of letter no. 153 B/V/1269-1950, dated February 27, 1951 from the Assistant Secretary to Government, Uttar Pradesh, Medical (B) Department, Lucknow to the Commissioner, Meerut—Agra Division, Meerut.

Subject:—Permission to District Magistrates to raise Voluntary subscriptions for eye relief work.

With reference to the correspondence resting with your D. O. No. 210/DEV, dated January 4, 1951, on the above subject to Sri Pande, Secretary, Health, I am directed to say that the Governor has been pleased to permit, as a very special ease, the District Magistrates of the marginally noted districts to help in raising voluntary subscription for the Gandhi Eye Hospital Trust, Aligarh in their respective districts which have been allotted to the institution to operate eye relief work on zonal basis. Since, however, is not desirable that the District Magistrates should be mixed up with the collection of funds even for public institutions except for very convincing reasons, the District Magistrates concerned should be told not to suggest any particular amount to any person nor to make any collection personally.

1. Aligarh. 2 Dehra Dun. 3 Saharanpur. 4. Muzaffarnagar. 5. Meerut. 6 Binjnor. 7. Rampur 8. Budaun. 9. Tehri-Garhwal.

No. 153 (i)-B/V—1269-1950

Copy forwarded to the Commissioner, Rohilkhand-Kamaon Division, Barelilly for information and necessary action.

By order,
K. P. SRIVASTAVA,
Assistant Secretary.

No. 153 (ii)-B/V—1269-1950

Copy also forwarded to the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradeesh, Lucknow for information with reference to his letter no. XI. F—33682, dated January 2, 1951.

By order,
K. P. SRIVASTAVA,
Assistant Secretary.

नत्थी 'भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में होने वाले हरिजन उत्थान संबंधी कार्य को और अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिये समस्त कार्य को एक विभाग के अन्तर्गत केन्द्रित कर दिया है।

(२) रिक्लेमेशन विभाग जिसमें अपराधशील जातियों के सुधार का काम होता था तथा शिक्षा विभाग के एक उपविभाग जिसमें दलित वर्ग सम्बन्धी शिक्षा का कार्य होता था और हरिजन सहायक कार्यालय को मिला कर एक विभाग बना दिया गया है और इनका उत्तर-दायित्व भी एक ही अधिकारी को सौंप दिया गया है।

(३) हरिजन उत्थान कार्य हरिजन सहायक विभाग द्वारा हो रहा है और मुख्य मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :--

(क) शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं :--

(१) निर्धन हरिजन विद्यार्थियों को प्राइमरी से युनिवर्सिटी कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा।

(२) प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध।

(३) पुस्तकों इत्यादि के लिये अनावर्तनीय सहायता।

(४) शिक्षा के मुख्य केन्द्रों में निःशुल्क छात्रावासों का प्रबन्ध तथा सरकारी छात्रावासों में फीस से मुक्ति।

(५) हरिजन बस्तियों में विशेष स्कूलों एवं पुस्तकालयों आदि का प्रबन्ध।

(ख) आर्थिक उन्नति सम्बन्धी योजनाएं :--

(१) हरिजनों के निजी उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना।

(२) हरिजन नवयुवकों के लिये औद्योगिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध।

(३) सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिये १० स्थानों का सुरक्षित रखना।

(४) यू० पी० लैंड युटिलाइजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत हरिजनों को कृषि के हेतु भूमि प्रदान करने में प्राथमिकता देना।

(ग) उत्तम रहन सहन संबंधी योजनाएं :--

(१) हरिजन बस्तियों में कुओं का निर्माण।

(२) आदर्श बस्तियों में कुओं का निर्माण।

(ङ) रिक्लेमेशन कार्य :--

(१) जरायम पेशा जातियों में सुधार।

(२) इन जातियों को उद्योग धन्धों एवं कृषि कार्य में लगाना।

(३) इन जातियों के लिये शिक्षा का विशेष प्रबन्ध।

(च) पिछड़ी जातियों के लिये योजनाएं :--

(१) विद्यार्थियों के लिये विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां।

(२) विद्यार्थियों को किताबों इत्यादि के लिये अनावर्तनीय सहायता।

(३) औद्योगिक शिक्षा के लिये विशेष आर्थिक सहायता।

पी० एस० यू० पी०--५४ एल० ए०--१९५१-- ६१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ९७

टिप्पणी--स्थान विशेष व व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध प्रश्न विषय क्रमशः "स्थानिक प्रश्न" तथा "व्यक्तिगत प्रश्न" शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये हैं। प्र० वि०=प्रश्न विषय।

फ

स्थानिक प्रश्न

ह

प० एस० यू० पी०—९५ ए० ज० ए०—१९५१—६१०